18 मार्च 1981 फाल्गुन, 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[पांचवां सत्र]

सत्यमेव जयते

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 23, बुधवार, 18 मार्च, 1981/27 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 412, 414 और 417 से 420	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 413, 415, 416, और 421 से 431	19—30
अतारांकित प्रश्न संख्या 3964 से 4000, 4002 से 4031 और 4033 से 4163	30—179
सभा पटल पर रखे गये पत्र	180
राज्य सभा से संदेश	181
दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में,	181
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	181
18वां प्रतिवेदन	
कार्य मंत्रणा समिति	181
14वां प्रतिवेदन	
कच्चे तेल पर रायल्टी की दर बढ़ाये जाने के बारे में वक्तव्य	182
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	
विशेष वाहक बंधपत्र (उन्मुक्ति तथा छूट) अध्यादेश, 1981 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प-अस्वीकृत	183—245
और	
विशेष वाहक बंधपत्र (उन्मुक्ति तथा छूट) विधेयक	
श्री ज्योतिर्मय बसु	183
श्री आर० वेंकटरामन	183
श्री राम जेठमलानी	199

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय-सूची

अंक 23, बुधवार, 18 मार्च, 1981/27 फाल्गुन, 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 412, 414 और 417 से 420	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 413, 415, 416, और 421 से 431	19—30
अतारांकित प्रश्न संख्या 3964 से 4000, 4002 से 4031 और 4033 से 4163	30—179
सभा पटल पर रखे गये पत्र	180
राज्य सभा से संदेश	181
दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में,	181
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	181
18वां प्रतिवेदन	
कार्य मंत्रणा समिति	181
14वां प्रतिवेदन	
कच्चे तेल पर रायल्टी की दर बढ़ाये जाने के बारे में वक्तव्य	182
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	
विशेष वाहक बंधपत्र (उन्मुक्ति तथा छूट) अध्यादेश, 1981 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प-अस्वीकृत	183—245
और	
विशेष वाहक बंधपत्र (उन्मुक्ति तथा छूट) विधेयक	
श्री ज्योतिर्मय बसु	183
श्री आर० वेंकटरामन	183
श्री राम जेठमलानी	199

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री आरिफ मोहम्मद खां	202
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	206
श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर	210
श्री सोमनाथ चटर्जी	211
श्री राम प्यारे पनिका	215
श्री जार्ज फर्नान्डीस	217
श्रीमती कृष्णा साही	223
श्री के० ए० राजन	225
श्री जेवियर अराकल	227
श्री हरिकेश बहादुर	229
श्री मूल चन्द डागा	230
श्री चित्त बसु	231
गेंहूँ और जौ के वसूली मूल्य के बारे में वक्तव्य	246—247
राव वीरेन्द्र सिंह	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों के आरक्षण के सम्बन्ध में आन्दोलन और प्रदर्शनों से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत	248—331
श्री राम विलास पासवान	248
श्री भेरावदन के० गधावी	258
श्री नवीन रवाणी	259
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	267
श्री सी० डी० पटेल	271
श्री जैनुल बशर	274
श्री अटल विहारी वाजपेयी	276
श्री मोहन लाल सुखाड़िया	283
श्री मोहन भाई पटेल	285
श्री वी० किशोर चन्द एस० देव	286

विषय	पृष्ठ
श्री मूल चन्द डागा	289
प्रो० मधु दण्डवते	292
श्री आर० आर० भोले	296
श्री इन्द्रजीत गुप्त	298
डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी	304
श्री जार्ज फर्नान्डीस	306
श्रीमती इन्दिरा गांधी	314
श्री आर० एन० राकेश	319
श्री हीरा लाल आर० परमार	321
श्री एन० ई० होरो	323
श्री जयपाल सिंह कश्यप	324
श्री चित्त बसु	325
श्री जैल सिंह	326

लोक-सभा

सोमवार, 18 मार्च, 1981/27 फाल्गुन, 1902 (शक)

(लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : आज तो आचार्य महोदय से शुरू हो रहा है ।

अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा दिया जाना

*412. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह लगातार मांग की जा रही है कि अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा दिया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) इस आशय की मांग की जाती रही है । मामला अभी तक विचाराधीन है ।

प्रो० मधु दंडवते : आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है वह इस प्रकार से रूखा है जैसा कि मेरा सिर गंजा है । उन्होंने केवल यह कहा है कि इस संबंध में मांग प्रस्तुत की गई थी । मामला विचाराधीन है, यह एक उस अभ्यावेदन की तरह है जिसमें नौकरी की मांग की गई हो और मालिक उत्तर दे रहा है कि मामला विचाराधीन है ।

एक माननीय सदस्य : आपको भी इसी प्रकार के उत्तर देने थे ।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने इस प्रकार का उत्तर कभी नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ ऐसा लगता है कि आपने सवाल में जान डाल दी है । सारा सिर गंजा नहीं है ।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : यह उससे भी ज्यादा रूखा है ।

प्रो० मधु दंडवते : इस रूखे उत्तर के बावजूद मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली में नागरिक परिषद् में बोलते हुए न्यायाधीश खन्ना जैसे प्रमुख व्यक्ति ने कुछ के किसी भी अधिकार के हनन करने टिप्पणियां की थीं। मुझे याद है कि न्यायाधीश खन्ना ने यह टिप्पणी की थी कि "धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यकों के किसी भी प्रयास से विश्वास भंग ही नहीं होगा बल्कि संवैधानिक दृष्टि से अस्वीकार्य होगा और न्यायालयों द्वारा उसे रद्द कर दिये जाने की सम्भावना रहेगी। इसी समय उन्होंने यह भी कहा था कि संविधान में अच्छे शब्दों में किए हुए उपबन्ध आपके उत्तर की तरह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इनके अतिरिक्त कुछ और भी किए जाने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि कुछ और का मतलब है कि जो आयोग नियुक्त किया गया था उसने मुरादाबाद के दंगों सहित कुछ दंगे होने के पश्चात् कुछ गवाहों के बयान लेकर, कुछ सबूत एकत्रित करके कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। उन्होंने अन्य अल्पसंख्यकों सहित एक उच्च शक्ति प्राप्त पैनल की नियुक्ति भी की थी। उन्होंने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की। क्या हमारा अनुभव यह नहीं बताता कि इन उपबंधों तथा इन सिफारिशों के बावजूद कोई ठोस कार्य नहीं किया गया? इन सब बातों को देखते हुए मामला विचाराधीन कहने के बजाय आप हमें समय-सीमा बताते हुए आ वासन दें?

श्री ज्योतिर्मय : टाइम बम।

प्रो० मधु दंडवते : समय-बद्ध, टाईम बम नहीं, आप सदैव बम की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि उनके विचार विनाशकारी होते हैं?

प्रो० मधु दंडवते : उनके विचार बहुत अधिक रचनात्मक होते हैं?

क्या आप मामला विचाराधीन कहने के बजाय हमें यह आश्वासन देंगे कि एक निश्चित अवधि में आयोग की, जो पहले ही नियुक्त किया जा चुका है, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा?

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ने दो चीजों को मिला दिया है। पहला है आयोग और दूसरा है पेनल। पेनल को आयोग ने नियुक्त किया है। उसे सरकार ने नियुक्त नहीं किया है।

माननीय सदस्य ने मुझसे आश्वासन मांगा है। इस संबंध में हमारे घोषणा-पत्र में वायदा किया गया है। घोषणा-पत्र में दिए गए सभी वायदों को पांच वर्ष की अवधि में पूरा किया जाएगा। हम इसे यथासंभव शीघ्र करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आप मुझे बोलने की अनुमति दें तो मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि सीमा विवाद के संबंध में मेरे द्वारा उठाए गए एक प्रश्न पर प्रधान मंत्री ने पांचवी लोकसभा में यह आश्वासन दिया था कि कर्नाटक-महाराष्ट्र विवाद को चुनाव से पहले निपटा दिया जाएगा, परन्तु ऐसा नहीं किया गया। जब प्रधान मंत्री द्वारा गिए गए आश्वासन का कोई मूल्य नहीं तो गृह राज्य मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन का क्या मूल्य हो सकता है?

इस देश में अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 18 प्रतिशत है। मैं इस मामले को मिलाना नहीं चाहता परन्तु कुछ तनावपूर्ण बातें कमजोर वर्ग के लोगों के दिमाग में पहले ही उत्पन्न हो चुकी हैं।

दूसरे, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग साथ-साथ चलते हैं ? हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के हैं परन्तु अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होकर रहना ठीक समझते । अल्पसंख्यकों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने देने से पहले यह कहने के बजाय कि घोषणापत्र को पांच वर्षों में लागू कर दिया जाएगा हमें वह समय-सीमा बताई जाय जिसके भीतर उक्त आश्वासन को क्रियान्वित कर दिया जाएगा ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह कैसे संभव हो सकता है कि समय-सीमा निर्धारित कर दी जाए ? मैंने कहा था कि पांच वर्ष की हमारी सत्ता की अवधि में घोषणा-पत्र में दिए गए सभी आश्वासनों को पूरा कर दिया जाएगा ।

प्रो० मधु दंडवते : एक प्रथा है । एक परिपाटी है । इसी वाद-विवाद के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की बकाया राशि की अदायगी 15 अप्रैल तक करदी जाएगी । क्या उन्होंने समय-सीमा बताते हुए आश्वासन नहीं दिए ? यदि वित्त मंत्री ऐसे आश्वासन दे सकता है तो गृह मंत्री क्यों नहीं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने यथासंभव ठीक कहा है ।

श्री एड्ओर्डो फैलीरो : गृह मंत्री ने अभी अभी अल्पसंख्यक आयोग के बारे में बताया है । उन्होंने इसे उच्च शक्ति प्राप्त पेनल से भिन्न बताया है । एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है । इन दोनों निकायों के कार्य क्या-क्या हैं ? क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि वे किस प्रकार भिन्न हैं ? उनके विभिन्न कार्य क्या हैं । उच्च शक्ति प्राप्त पेनल ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है । मैं समझता हूं कि सरकार को यह प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है । क्या सरकार इस रिपोर्ट को सभापटल पर रखेगी ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : दोनों निकाय भिन्न हैं । उच्च शक्ति प्राप्त पेनल के कार्य इस प्रकार हैं :—

1. यह सुनिश्चित करना कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों दोनों ही की स्थापना राजकोषीय नीतियों का लाभ वास्तव में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति तें तथा अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को मिल रहा है ।

2. उन दिक्कतों तथा अड़चनों का पता लगाना जिनके कारण इन्हें प्रोत्साहन, सुविधाएं तथा अन्य सहायतापूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही हैं ।

3. ऐसे तरीकों का सुझाव देना जिनसे विभिन्न आर्थिक नीतियों प्रोत्साहनों सुविधाओं तथा अन्य सहायताओं का लाभ इन्हें पहुंचे ।

4. अल्प सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध सिफारिशें देना ।

ये उच्च शक्ति प्राप्त पेनल के कार्य हैं । जहां तक अल्पसंख्यक आयोग का संबंध है उसके कार्य इस प्रकार हैं ।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह हम सभी जानते हैं कि उन्हें नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आयोग का कार्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संविधान में दिए गये सुरक्षा उपायों तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों का मूल्यांकन करना है।

जहां तक रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने का संबंध है, हमने अल्पसंख्यक आयोग के संकल्प के अन्तर्गत आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई दो रिपोर्टों को दोनों सदनों के सभा पटलों पर पहले ही रख दिया है।

जहां तक पेनल का संबंध है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उसकी रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाए।

श्री जी० एम० बनातवाला : इस अल्पसंख्यक आयोग का गठन जनता पार्टी ने किया था। सरकार ने केवल एक सरकारी आदेश जारी करके इसका गठन कर दिया और उसे संवैधानिक शक्ति प्रदान नहीं की ताकि आयोग सरकार के इशारे पर चलता रहे और उसे निदेश दे सके। इसी नीति का अनुसरण वर्तमान सरकार द्वारा किया जा रहा है। उदाहरणतया, सरकार ने आयोग को निदेश दिया कि हैदराबाद में से मीनार का आयोजन न करे। जब न्यायाधीश अन्सारी ने इसके लिए आग्रह किया तो उनसे सभापति का पद छीन लिया गया।

मेरा अगला प्रश्न यह है कि क्या सरकार की नीति अल्पसंख्यक आयोग को अपने इशारे पर नचाते रहने, इसे अपने प्रशासनिक आदेश के अन्तर्गत रखने और इसे इस संवैधानिक शक्ति प्रदान न करने की है। यदि नहीं, तो सरकार सदन को बताए कि सत्ता में आए एक वर्ष से भी अधिक समय हो जाने पर भी वर्तमान सरकार ने आयोग को किस व्यावहारिक कठिनाई के कारण संवैधानिक शक्ति प्रदान नहीं की है, इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री ज्ञैल सिंह) : स्पीकर साहब, माइनोरिटी कमीशन एग्जीक्यूटिव आर्डर से बना और इससे पहले लिंगुइस्टिक माइनोरिटीज के लिए भी एक कमीशन कांस्टीट्यूशन के मुताबिक बना हुआ है। इस पर गौर करना है कि रिलीजस माइनोरिटीज और लिंगुइस्टिक माइनोरिटीज के लिए एक ही कमीशन काम करे या दो काम करें और दोनों की पोजीशन क्या हो ? जनता पार्टी के जमाने में एक बिल लाया गया, लेकिन वह बिल पास नहीं करवाया गया, मैम्बरों को गैर-हाजिर करा दिया। हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम जो बिल लायेंगे तो पास करवाएंगे।

जहां तक माइनोरिटी कमीशन के हैदराबाद के सैमिनार का सवाल है, वह हमने सैंक्शन कर दिया, लेकिन बाद में हमको पता चला कि वह सैमिनार ओनली फार मुस्लिम हो रहा है; तमाम माइनोरिटीज को वहां नहीं बुलाया गया, इसमें कोई डाउट नहीं कि हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी माइनोरिटी मुसलमान हैं, लेकिन मुस्लिम माइनोरिटी का जो दर्जा है, उससे भी छोटी माइनोरिटीज हैं। सबसे कम माइनोरिटी हिन्दुस्तान में पारसियों की है। लेकिन भारत सरकार की यह नीति है कि जो भी माइनोरिटीज हैं, उनके साथ कहीं भी कोई बेइन्साफी होती हो तो वह न हो और यही मंशा इस कमीशन की है, इसलिए हमने उस सैमिनार को पोस्टपोन करवा दिया कि यह ठीक नहीं है। जब भी सैमिनार हो तो तमाम माइनोरिटीज के लोगों को बुलवाकर उन्हें सुना जाए।

इसके अलावा मैं और भी कहना चाहता हूं कि मुल्क की एकता को कायम रखने के लिए यह जरूरी है। दुनिया भर के मुल्कों में जो माइनौरिटीज होती हैं, वह अलैहदा कोई फैसला नहीं करती हैं, मैंजौरिटी के लोग भी उसमें शामिल होते हैं। उनको समझाया बुझाया जाता है, बात कही जाती है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि माइनौरिटी विदआउट ऐनी मैंजौरिटी मैम्बर बैठकर विचार कर लें, अगर उनमें भी खलीज पैदा करदी जाए, अलैहदा कर दिया जाये, सिखों को, मुसलमानों को जैनियों को तो इससे नुकसान होगा। इसलिए वह पोस्टपोन करने का सुझाव दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न

कुछ माननीय सदस्य : यह एक महत्वपूर्ण मामला है···

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : हमने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था। आपने वह भी स्वीकार नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : कौन कहता है, मैंने स्वीकार नहीं किया ? यह रहा वह प्रस्ताव। मैंने उसे अस्वीकार नहीं किया है।

श्री रतनसिंह राजदा : यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक सवाल पर 15 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता हूं। इसे और किसी ढंग से उठाया जा सकता है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : इस पर हाफ-एन-अवर डिस्कशन एलाऊ कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। ऐसा करने के और भी तरीके हैं। हमें सदन की मर्यादा बनाए रखनी है। हमें प्रश्न के लिए निर्धारित मिनटों के अनुसार चलना है। मामले की महत्वता तथा गंभीरता को देखते हुए मैंने दुगना समय दे दिया है। यदि मैं इस पर आगे बोलने की अनुमति देता हूं तो पूरा एक फंटा लग जाएगा। इस पर और किसी तरीके से चर्चा हो सकती है और मैंने इस पर किसी प्रश्न को रोका नहीं है। किसी प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया है। वहां क्या हो रहा है ? आप उत्तेजित क्यों हो रहें हैं ? कृपया बैठ जाइए।

एक माननीय सदस्य : आप कितने सदस्यों को अनुमति देंगे ?

श्री रतनसिंह राजदा : वे दोनों ओर से होने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय अपना निर्णय है। वही अन्तिम है। मैं अपने विनिर्णय से पीछे नहीं हटता।

अतिरिक्त लागत के विनियमन के लिए आवेदन

*414. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री बी० वी० देसाई :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अतिरिक्त क्षमता के विनियमन के लिए आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी, 1981 कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने उद्योगों ने अपनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस तारीख को और बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां।

(ख) सन्निहित विश्लेषण हाल ही में शुरू किया है और इसके पूरा होने में कुछ समय लगेगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है तथा और अतिरिक्त समय दिया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ती : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अतिरिक्त क्षमता को नियमित करने के लिए अधिसंख्य लोगों के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कुछ उद्योगों का पता लगाया है। प्रारम्भ में इसके लिए अन्तिम तिथि 30 नवम्बर, 1980 निर्धारित की गई थी। बाद में इसे 31 जनवरी, 1981 तक बढ़ा दिया गया। अतिरिक्त क्षमता को नियमित पाने से औद्योगिक लाइसेंस नीति तथा अधिनियम के एकाधिकार-विरोधी उद्देश्य विफल हो जाएंगे तथा इसका सबसे बड़ा लाभ एकाधिकारी घरानों को होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि इस प्रयोजनार्थ किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है और उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें विशेष आधार पर 31 जनवरी, 1981 तक का समय दिया गया था ?

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, माननीय सदस्य का यह आरोप कि इससे एकाधिकार घरानों को लाभ पहुंचेगा, सही नहीं है क्योंकि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम था गैर-विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम कम्पनियों को नियमित करने के लिए पृथक प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। जब सरकार ने अतिरिक्त क्षमता को नियमित करने का निर्णय लिया है इसे काफी चयनात्मक आधार पर किया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं बताया है कि उन वस्तुओं पर भी दिया गया है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा अधिसंख्य लोगों के उपभोग की वस्तु हैं। अतः यह कहना कि इससे बड़े घरानों को लाभ होगा, सही नहीं हैं। चयन करते समय, हमने केवल 34 मदों का चयन करने में सावधानी बरती है। मैं आपको इन मदों की सूची दूंगा। मैं नहीं समझता कि इन सभी 34 मदों को पढ़ना मेरे लिए सम्भव भी होगी। मैं इन मदों की सूची सभा पटल पर रखूंगा। केवल इन 34 मदों को नियमित किया गया है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ती : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार को विभिन्न औद्योगिक गृहों की लाइसेंस क्षमता तथा अधिष्ठापित क्षमता के बारे में पूरी जानकारी है। किन्तु, अधिकांश मामलों में यह अधिष्ठापित क्षमता लाइसेंस क्षमता से आगे जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या औद्योगिक लाइसेंसिंग अधिनियमन का उल्लंघन किये जाने के कारण सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री पी० ए० संगमा : इस नीति का सारा उद्देश्य अतिरिक्त क्षमता को नियमित करना है। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य महोदय क्या चाहते है।

श्री बी० वी० देसाई : यदि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगों को भी इसके अन्तर्गत लाया जाता तो और अच्छा होता। मंत्री महोदय ने बताया है कि इसका विश्लेषण हाल में शुरू किया गया है तथा इसके पूरा होने में कुछ समय लगेगा। इसे ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या इस प्रश्न को स्थगित रखा जा सकता है तथा मंत्री महोदय इसका उत्तर बाद में दे दें। यदि यह सम्भव नहीं है तो मैं अपना प्रश्न पूछूंगा।

श्री० पी० ए० संगमा : नहीं, हम इस प्रश्न को स्थगित नहीं रखेंगे। मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है और मेरा कहना है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा गैर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम कम्पनियों के लिए पृथक प्रक्रियाएं हैं और प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा यह विश्लेषण किया जा रहा है। इस पर कार्यवाही हो रही है। अत: इस प्रश्न को स्थगित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री बी० वी० देसाई : आपने कम्पनियों के नाम नहीं दिए हैं।

श्री पी० ए० संगमा : मैंने कहा है कि मैं सभा पटल पर सूची रख दूंगा।

श्री बी० वी० देसाई : नहीं, महोदय; मैंने अभी तक अपना प्रश्न नहीं पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : तब आपने क्या पूछा है ?

श्री बी० वी० देसाई : मैं इस प्रश्न को स्थगित कराना चाहता था। किन्तु वे कहते हैं कि उन्होंने उत्तर दे दिया है। अत: मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जहां तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम उद्योगों की अतिरिक्त क्षमता को नियमित किए जाने का संबंध है, क्या उन्हें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत मुक्त कर दिया गया है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों के लिए विशेषरूप से ऐसा क्यों किया गया है ? अन्य उद्योगों के साथ इन्हें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : सबसे पहले, सभा को पहले ही बताया जा चुका है कि वस्तुओं का चयन उन दो क्षेत्रों में से किया गया है जो अधिक लोगों के उपभोग की वस्तुओं तक राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं के उत्पादन में लगी हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार तथा गैर-एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार का प्रश्न यहां बिल्कुल भी नहीं है। परिशिष्ट-एक में दी गई 34 मदें महत्वपूर्ण उद्योगों की मदें हैं तथा राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों एवं अधिकांश लोगों के उपभोग की वस्तुएं हैं। नियमित किए जाने के लिए इन आवेदन पत्रों पर कार्यवाही भी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत की जाएगी। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम आवेदन पत्रों पर कार्यवाही उसी ढंग से की जाएगी जिस रूप में अन्य एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्रों पर की जाती है। अत:, इससे अलग हटकर कोई कार्य नहीं किया गया है।

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य को इस बात की पहले से ही जानकारी है कि सरकार द्वारा इस विशेष कारखाने की जांच-पड़ताल कराये जाने का प्रमुख कारण श्रमिकों का हित है। रोजगार के मामले और श्रमिकों के रोष के कारण ही सरकार को बाध्य होकर समग्र मामले पर विचार करना पड़ा। जहां तक इस सदन में एक विधेयक पेश करने का सम्बन्ध है इस मामले में सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय कर लिये जाने के बाद ही आगामी कार्यवाही की जायेगी।

श्री के० लकप्पा : मैंने कर्मचारियों की कठिनाइयों के बारे में माननीय मन्त्री महोदय को एक लम्बा पत्र लिखा है। इस कारखाने में कार्य कर रहे कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। उनकी जीविका का कोई साधन नहीं है और उनकी दशा अत्यन्त दयनीय है। पिछले प्रबन्धकों द्वारा इस कम्पनी का कुप्रबन्ध किये जाने के कारण ही कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ी थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ तात्कालिक अल्पकालीन उपाय करेंगे जिससे कि इस कारखाने को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने आदि के बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व ही कर्मचारियों की शिकायतें दूर हो सकें। यह उपाय कर्मचारियों के व्यापक हित में निर्वाह भत्ते के रूप में उन्हें कुछ राशि का भुगतान हो सकता है।

श्री चरणजीत चानना : पूरा मामला न्यायाधीन है। जहां तक इस कारखाने को सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लिये जाने का सम्बन्ध है हम केवल श्रमिकों के हित में ही इस मामले पर शीघ्र कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री सूरजभान : अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया है कि दो साल से दो हजार मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। इन मजदूरों को फैक्ट्री बन्द होने से भी एक साल पहले से वेतन नहीं मिला है। उनको वेलेंस दिया जाए और जो मजदूर दो साल से भूखे बैठे हैं, उनके लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री चरणजीत चानना : जब तक कर्मचारी फैक्ट्री की सूची पर थे, उस अवधि के लिये बकाया राशि के भुगतान के बारे में अन्तिम निर्णय लेने के बाद ही किया जायेगा कि क्या इसे परिसमाप्त किया जाये अथवा क्या इसका सरकारीकरण किया जाये। इसके बाद एक भुगतान आयुक्त नियुक्त किया जायेगा और वह दावों आदि के भुगतान के बारे में निर्णय करेगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि भुगतान सम्बन्धी प्राथमिकताओं में सबसे पहली यह है कि श्रमिकों को उनकी देय राशि का भुगतान किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 420।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : श्रीमन्, संख्या 13 को सामान्य तौर पर 12क अथवा 12ख रखा जाता है·····(व्यवधान) मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से केवल अनुरोध कर रहा हूं जो इस सदन को सुचारू रूप से संचालित करते हैं और माननीय सदस्यों को जो अच्छी प्रकार भाग लेते हैं कि भविष्य में प्रश्न संख्या 420 को 419क के रूप में रखा जाये। हो सकता है कि सीमेन्स कम्पनी के मामले में यह प्रश्न समाचार-पत्रों में अत्यन्त प्रमुख रहा है···(व्यवधान)।

श्री चरणजीत चानना : वास्तव में जापान में फ्लोर की अशुभ संख्या कभी भी लिफ्टों में नहीं दी जाती है।

"भेल्स न्यू बिड फार डील विद साइमन्स" शीर्षक से समाचार

*420. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री के० पी० सिंह देव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1981 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' "भेल्स न्यू बिड फार डील साइमन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सौदे की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) जिन उत्पादों के लिए भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड "साइमन्स" से तकनीकी जानकारी प्राप्त करेगा, उन विभिन्न उत्पादों के अनुसंधान और विकास की प्रगति में यह सौदा कहां तक सहायक होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) बी० एच० ई० एल० ने निम्नलिखित तीन उत्पाद वार प्रस्ताव विचार तथा मंजूरी के लिए सरकार को भेजे हैं :—

(1) सीमेन्स के सहयोग से एस० एफ० 6 और वैक्यूम सर्किट ब्रेकरों के निर्माण के लिए;

(2) सीमेन्स के सहयोग से ए० सी० और डी० सी० मोटरों के निर्माण के लिए;

(3) 200 मे० वा० से कम क्षमता के टर्बो जनरेटरों के निर्माण के लिए क्राफ्टवर्क यूनियन के साथ विद्यमान करार के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए।

सरकार इन प्रस्तावों की जांच कर रही है।

(ग) इन क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास एक ऐसा पहलू है जिसे हमेशा ध्यान में रखा जाता है। सहयोगकर्त्ता अर्थात सीमेन्स ने सहयोग के क्षेत्रों में पूरी जानकारी तथा जानने का कारण प्रदान करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है और इससे स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास प्रयासों को तेज करने में मदद मिलेगी।

श्री के० पी० सिंह देव : हमारी सरकार द्वारा बिजली के उत्पादन को बहुत उच्च प्राथमिकता और महत्ता दी गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसा कि समाचार-पत्रों में संकेत किया गया है कि पिछली जनता सरकार में एक मंत्री ने एक अत्यन्त शक्तिशाली लाबी पैदा करके इस सौदे में रुचि दिखाई थी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे पास स्वदेशी तकनीकी जानकारी और अनुसंधान और विकास उपलब्ध है और क्या सीमेन्स से प्राप्त होने वाली तकनीकी जानकारी और प्रौद्योगिकी नवीनतम है अथवा नहीं ? हमें इस देश में और विदेशों में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के कार्यकरण का पता है और वे हमें घटिया और अत्यन्त घटिया किस्म की प्रौद्योगिकी देने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

इस दृष्टि से क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा प्रदान करने के लिए और मलेरिया से होने वाली बड़ी संख्या में मौतों को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

मैं यह भी जानना चहूंगा कि क्या उपयोजना क्षेत्रों के सभी आदिवासी लोगों के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ये सभी कार्यक्रम समेकित आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत चलाये जाते हैं और जैसाकि माननीय सदस्य ने सही कहा है, कुछ क्षेत्रों में ऐसी बीमारियां हैं और वहां पानी का भी अभाव है। समेकित आदिवासी विकास योजनाओं के अधीन सरकार ये सभी कार्यक्रम चला रही है।

श्री रेणुपद दास : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर देने से बचने का प्रयास किया है। श्रीमन् मैं एक बात जानना चाहूँगा। आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का वनों के साथ गहरा सम्बन्ध है और इन लोगों को न्यूनाधिक छोटे-छोटे वन उत्पादों यथा घास, तेंदु के पत्तों, महुआ के फूलों तथा बीजों, साल के बीजों तथा पत्तों, गोंद, लाख, टसर कोकूनों और अन्य जंगली फलों क्या फूलों आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि इस समिति को बहुत पहले ही समझा जा चका है, परन्तु दुर्भाग्य से उनके लिए स्पष्ट नीतियों तथा कार्यक्रम नहीं बनाये गये हैं। अत: क्या मैं, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूँ कि :

(क) क्या आदिवासियों के इन परम्परागत अधिकारों से मान्यता दी जायेगी कि वे बिना कोई रायल्टी अदा किये छोटे छोटे वन उत्पाद एकत्रित कर सकें।

(ख) क्या वन-पुनर्वास सम्बन्धी कार्य तेजी से पूरा किया जायेगा; और

(ग) क्या तत्सम्बन्धी अधिकारों तथा विशेषधिकारों को सरकारी तौर पर मान्यता दी जायेगी, उन्हें सांदताबद्ध किया जायेगा तथा उनका प्रचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह अनुपूरक प्रश्न है अथवा कि बजट भाषण ?

श्री रेणुपद दास : ···हम ढंग से कि इन लोगों को वे बड़ी आसानी से समझ में आ सकें ? मैं मंत्री महोदय से इन बातों का उत्तर चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि सदस्यगण अपने प्रश्न संक्षिप्त रखें। यह तो प्रश्न नहीं बल्कि संवाद है। यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : प्रश्न आदिवासी उप-योजना के मूल्यांकन के बारे में है। माननीय सदस्य ने बहुत सी बातें उठायी हैं जो इस प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आती हैं। मुझे इसके लिए अलग से पूछना चाहिए।

श्रीमती संयोगिता राणे : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि दमन में जो शेडयूल्ड ट्राइब्स और शेडयूल्ड कास्ट के लिए प्राजेक्ट बना है और जिस पर 8-9 लाख रुपया खर्च हो चुका है, ऐसा कहा जाता है कि अब उनके पास प्रोजेक्ट शुरु करने के लिए पैसा नहीं है और फंड्स नहीं हैं—उस को पूरा करने के लिए, इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने कहा है कि यह इवैल्यूएशन का सवाल है। उनके पास पैसा है या नहीं है, इस को हम देखेंगे। वे मुझे लिखें।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : इन्टीग्रेटेड ट्राइबल डवेलपमेन्ट प्राजेक्ट्स के इवैल्यूएशन का जो काम किया गया है उनमें ऐसी कौनसी स्टेट्स हैं जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है तथा उनके सम्बन्ध में भारत सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : सभी राज्यों ने इस काम को अच्छी तरह से किया है, लेकिन कई जगहों पर कमियां रह गई हैं—ऐसा इवैल्यूएशन से मालूम पड़ता है। जहां-जहां कमियाँ हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री कृष्णचन्द हाल्दर : अध्यक्ष महोदय, समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के माध्यम से सरकार उनकी आर्थिक दशा सुधार रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सांस्कृतिक स्तर पर आदिवासियों के चरित्र में ये सुधार करने के काम को समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं में शामिल किया गया है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में सांस्कृति तथा शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने आदिवासियों में शिक्षा के प्रसार की परियोजनायें आरम्भ की हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं में आदिवासी, संस्कृति को भी शामिल किया जायेगा और याद हो तो आप शिक्षा प्रसार में सांस्कृतिक स्तर को उठाने हेतु क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : श्रीमन् हमारे संविधान में, आदिवासी संस्कृति को बनाये रखने और उनकी आर्थिक दशा में सुधार भी करने के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। विशेषतया उनकी आर्थिक दशा में सुधार तथा शैक्षिक विकास के लिए ये आदिवासी उप-योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं के अधीन उनके आर्थिक कल्याण एवम् शैक्षिक विकास की कई योजनायें हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजदा।

श्री रतनसिंह राजदा : श्रीमन्—

श्री आर० के० महालगी : मुझे भी एक अवसर मिलना चाहिए। मैं काफी देर से खड़ा हूं···

अध्यक्ष महोदय : वह अपना पहला अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। मुझे समय सीमा को भी देखना है।

श्री रतनसिंह राजदा : हम यहां आदिवासी संस्कृति के विकास तथा संरक्षण की बातें कर रहे हैं जिसके बारे में अभी मंत्री महोदय ने बताया कि आदिवासी संस्कृति सम्बन्धी विषयों पर कार्य कर रहे सभी अधिकारियों ने सरकार एवम् समाज के नेताओं को पहले ही चेतावनी दे दी है कि नई सभ्यता उन पर लागू करने के अपने जोश में हमें यह भी देखना चाहिए कि उनकी मूल संस्कृति तथा मान्यताओं का कहीं लोप ही नहीं हो जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू आदिवासी

संस्कृति को सुरक्षित रखने के बड़े इच्छुक थे। वह आदिवासियों के पास जाते थे और उनके साथ नाचते थे। क्या मंत्री महोदय भी उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए उनके पास जाएंगे तथा उन आदिवासियों के साथ नाचेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मात्र नाचने से तो संस्कृति की रक्षा नहीं होगी परन्तु जब कभी मुझे अवसर मिलेगा तो निश्चय ही मैं ऐसा करूंगा।

पिछड़े जिलों में कुटीर तथा लघु उद्योग

*418 **श्री पीयूष तिरकी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कौन सी बातें हैं जो बड़ी संख्या में उद्यमियों को देश के पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास करने से रोकती है; और

(ख) छठी योजना के दौरान देश के पिछड़े जिलों में कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास करने हेतु अधिकाधिक उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास में बाधक कारण प्रत्येक पिछड़े जिले की स्थानीय स्थितियों के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं। मुख्य समस्याएं अवस्थापनाओं का अभाव, कच्चे माल की सप्लाई और विपणन में होने वाली देरी और सम्बन्धित संवर्द्धनकारी संगठनों तथा अभिकरणों के बारे में पता न होना है।

(ख) पिछड़े जिलों में लघु एककों के स्थापित करने में उद्यमियों को होने वाले कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से उनके यहां मौजूदा विभिन्न विद्यमान उपायों और योजनाओं को अपनाने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से अनेक उपाय करके अवस्थापना सम्बन्धी समन्वित औद्योगिकीकरण के लिए केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किया है।

श्री पीयूष तिरकी : मैंने अपने प्रश्न में मंत्री जी से सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का ब्यौरा पूछा था, लेकिन उत्तर में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। बहुधा यह देखा जाता है कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जो रा-मैटीरियल होता है, उस को लेकर वे एन्टरप्रेन्योर्स अपनी इण्डस्ट्रीज शहरी इलाके में लगाते हैं। मंत्री जी से मेरा सवाल यह है कि जहां पहड़ी इलाके हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे हमारे यहां नार्थ बंगाल में हैं, और वहां पर रा-मैटीरियल भी बहुत है, उन जगहों के आदमियों को एम्प्लायमेन्ट दिलाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है ? मुझे उसका ब्यौरा बतलाइये और यदि आप अभी न दे सकें तो क्या उसे सभा-पटल पर रखने के लिए राजी हैं ? प्लानिंग और कामर्स मिनिस्ट्री का 1984-85 के लिए जो प्रोजेक्टेड डेफिसिट है वह 3972 करोड़ रुपये है, टोटल एक्सपोर्ट 9872 करोड़ रुपये का होगा और इम्पोर्ट 13850 करोड़ रुपये का होगा। इस सम्बन्ध में बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए आपका जो प्लानिंग है उस के बारे में मिनिस्ट्री को क्या कहना है ?

श्री चरणजीत चानना : जहां तक पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को उपलब्ध सुविधाओं, रियायतों तथा प्रोत्साहनों का सम्बन्ध है, इनके बारे में जानकारी प्रकाशित सामग्री के रूप में तथा ग्रंथागार में उपलब्ध है। इनके दो स्वरूप हैं। प्रथम तो केन्द्रीय राज सहायता के लिये राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पिछड़े राज्यों के लिये और दूसरे, वित्तीय संस्थान से रियायती ऋण। प्रकाशित सामग्री में उपलब्ध जानकारी में माननीय सदस्य प्रोत्साहनों की दो श्रेणियां पायेंगे। जहां तक आयातों तथा निर्यातों में अन्तर का प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपना प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय को भेजें। पिछड़े जिलों के उद्योगों की समस्याओं के बारे में हमने पश्चिम बंगाल सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को कहा है कि वे इन समस्याओं का जिलेवार पता लगायें। हम उस जिला-विशेष में एक कार्यदल भेजेंगे जो वहां बफर स्टाक बनाने के अलावा समस्याओं के हल के लिये उपाय ढूंढेगा।

श्री पीयूष तिरकी : क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बैकवार्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो स्माल स्केल और काटेज इंडस्ट्रीज खोलने का ब्यौरा भेजा है, उस में सेन्ट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है पश्चिम बंगाल की स्कीमों की तरफ ?

श्री चरणजीत चानना : इंडस्ट्रियल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को सहायता देने की जो बात है, वह चाहे कोई भी स्टेट हो, जो इनसेंटिव दिये जाते हैं वे 103 इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्टिक्ट्स के लिए दिये जाते हैं और वेस्ट बंगाल भी उसमें इन्क्लूडेड है और मैंने पहले सबमिट किया है कि वह उस में इन्क्लूडेड है।

श्री रणवीरसिंह : मैं यह जानना चाहूंगा कि बैकवर्ड जिले तय करने का क्या आधार है और उत्तर प्रदेश के जो बैकवर्ड जिले हैं जैसे बहराइच, उन को छोड़ देने का क्या कारण है ?

श्री चरणजीत चानना : वस्तुतः, योजना आयोग ने दो कार्य-दलों के माध्यम से दो प्रयास शुरु किये हैं। सबसे बाद का एक और तीसरा प्रयास एक विशेष समिति का गठन है जो पिछड़े क्षेत्रों में समस्या ग्रस्त क्षेत्रों क्या वहां की समस्याओं का पता लगाएगी। सरकार प्रतिवेदन पर विचार कर रही है। प्रतिवेदन तैयार हो जाने पर इसे समापटल पर रखा जा सकता है।

श्री के० पी० सिंह देव : मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर के आधार पर लघु आयोग सेवा संस्थान ने उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में एक सर्वेक्षण किया था और यह पाया था कि वहां एक न्यूक्लियस संयंत्र लगाना अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। क्या उड़ीसा सरकार ने इस बारे में उस कार्यदल से बातचीत की है जो कि ऐसे न्यूक्लियस औद्योगिक संयंत्रों की स्थापना हेतु ढेंकनाल को शामिल करने हेतु कुछ समय पहले भुवनेश्वर गया था ?

श्री चरणजीत चानना : अभी प्रतिवेदन आया नहीं है ? जब आयेगा तो माननीय सदस्य से विवरण प्राप्त हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि नये उद्यमी जो बैकवर्ड जिलों में उद्योगधंधे लगाना चाहते हैं उनको इनके

पदाधिकारी द्वारा इस कदर परेशान किया जाता है कि अन्त में परेशान होकर वे उस को छोड़ देते हैं और कोई उद्योगधंधा नहीं लगा पाते हैं। मैं खास तौर से बिहार की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी और यदि जानकारी है तो वे इस दिशा में क्या करना चाहते हैं ?

श्री चरणजीत चानना : यह तो एक सामान्य टिप्पणी है। मैं तो मानूंगा तब जब कोई विशिष्ट मामले हमारी जानकारी में लाये जायें। हम कड़ी कार्यवाही करेंगे।

श्री झारखण्डे राय : मंत्री जी, स्थिति बहुत चिन्ताजनक है और केवल बिहार में 30 हजार काटेज इंडस्ट्रीज में से लगभग 20 हजार काटेज इंडस्ट्रीज बन्द हो चुकी हैं, जिन में सवा तीन अरब रुपया लगा हुआ है। पंजाब और हरियाणा जो इन मामलों में काफी तरक्कीयाफ्ता माने जाते हैं, वहां भी कच्चे माल के अभाव में, बिजली के अभाव में, कर्ज के अभाव में और उन के बने बाल की बिक्री न होने के कारण सब मामला गड़बड़ हो रहा है। क्या स्थिति यह नहीं है कि कुटीर उद्योग इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं देश के कोने कोने में और चाहे बैकवर्ड जिला हो और चाहे फारवर्ड जिला हो, कि जो चीजें वे बनाते हैं, वही चीजें बड़े बड़े कारखाने भी बनाते हैं। यह जो पेरेललइज्म डेवलप हो रहा है, उस कम्पीटीशन में कुटीर उद्योग मरते जा रहे हैं और बड़े बड़े उद्योग पनपते जा रहे हैं। इस की रोकथाम के लिए आप क्या करने जा रहे हैं ताकि यह पेरेललइज्म न हो बल्कि सप्लीमेंटेशन एक दूसरे का हो ताकि कुटीर उद्योग बढ़ सकें ?

श्री चरणजीत चानना : जहां तक बड़े और छोटे उद्योगों की बात है, छोटे उद्योगों के लिए और विशेषतया कुटीर उद्योगों के लिए जो उनके क्षेत्र रिजर्व्ड हैं, उनमें किसी भी सूरत में हम बड़े उद्योगों को नहीं आने देते परन्तु आपका कोई स्पेशल केस हो, तो हमारे नोटिस में लाइए और तब हम पूरे तरीके से उसको देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री झारखण्डे राय : मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं काटन साड़ियों का। बड़े बड़े कैपिटेलिस्ट्स भी वे बनाते हैं और वे साड़ी कोयमबेटूर और माऊ वगैरह में हजारों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों की बनती हैं और वे लोग मरते जा रहे हैं।

चरखी दादरी सीमेंट कारखाने को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना

*419. **श्री चिरंजी लाल शर्मा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चरखी दादरी (हरियाणा) स्थित सीमेंट कारखाने को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव किस चरण में है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) मेसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लि०, चरखी दादरी सीमेंट कारखाने में मार्च, 1980 से काम बन्द कर दिया गया

था और तभी से यह कारखाना बन्द पड़ा है। सरकार ने इस परियोजना की आर्थिक जीव्यता की जांच करने के लिए एक समिति द्वारा अध्ययन शुरू कराया था। इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर इस कारखाने को पुन: चालू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इस बारे में जल्दी ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की आशा है।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन अब प्राप्त हो चुका होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह हमें कारण बताये जिससे गत वर्ष इस कारखाने को बन्द करना पड़ा था ? क्या यह सच है कि इस कारखाने को बन्द करने का प्रमुख कारण डालमिया प्रबन्धक-वर्ग और उनके एजेन्टों द्वारा धनराशि का गबन किया जाना था ? क्या यह भी सच है कि डालमिया बन्धुओं ने इस कारखाने को बन्द करने से पूर्व 2 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक की राशि का ऋण लिया था जिसे बिना ब्याज के छह मासिक किस्तों में वापस किया जाना था लेकिन अब तक इस ऋण की एक भी किस्त अदा नहीं की गई है ?

श्री चरणजीत चानना : इस समिति के निदेश पद, जैसा मैंने इस प्रश्न के उत्तर में कहा है, इस कारखाने की संभाव्यता और उसकी आर्थिक जीवन-क्षमता के बारे में विचार करना था। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न का संबन्ध है, यह मामला वास्तव में कम्पनी कार्य विभाग को भेज दिया गया है और वह इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर अस्पष्ट और गोलमोल है। समिति अपना प्रतिवेदन दे चुकी होगी। नि:सन्देह समिति की नियुक्ति इस परियोजना की जीवनक्षमता के प्रश्न पर विचार करने के लिये की गई थी। लेकिन अब समिति का प्रतिवेदन मिल चुका है अत: समिति ने इस कारखाने को बन्द करने के कारण का अवश्य ही उल्लेख किया होगा। मैं इस बारे में माननीय मन्त्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री चरणजीत चानना : मैं माननीय सदस्य के समक्ष इस बात की पुष्टि करता हूं कि विशेषज्ञों वाली इस समिति के निदेश-पदों इस में कारखाने की आर्थिक जीवनक्षमता और इस को पुन: खोलने की संभावना का पता लगाना था। जहां तक कुप्रबन्ध और इस कारखाने को बन्द करने के प्रमुख कारण का सम्बन्ध है मैंने माननीय सदस्य को सूचित किया है कि सरकार द्वारा इस मामले की जांच-पड़ताल और अध्ययन किया जा रहा है। कम्पनी कार्य विभाग इस पर विचार कर रहा है और वह इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री चिरन्जीलाल शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले प्रबन्धकों ने गत दो वर्षों से इस कारखाने के लगभग 2,000 श्रमिकों को मजूरी और वेतन का भुगतान नही किया है। श्रमिक अपनी मजूरी और रोजगार को सुनिश्चित कराने के लिये मारे-मारे फिर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस परियोजना को अपने अधिकार में लेने की वांछनीयता पर विचार करेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या लोकसभा के वर्तमान सूत्र में इस प्रयोजन के लिये एक विधेयक पुर:स्थापित किये जाने की कोई संभावना है ?

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य को इस बात की पहले से ही जानकारी है कि सरकार द्वारा इस विशेष कारखाने की जांच-पड़ताल कराये जाने का प्रमुख कारण श्रमिकों का हित है। रोजगार के मामले और श्रमिकों के रोष के कारण ही सरकार को बाध्य होकर समग्र मामले पर विचार करना पड़ा। जहां तक इस सदन में एक विधेयक पेश करने का सम्बन्ध है इस मामले में सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय कर लिये जाने के बाद ही आगामी कार्यवाही की जायेगी।

श्री के० लकप्पा : मैंने कर्मचारियों की कठिनाइयों के बारे में माननीय मन्त्री महोदय को एक लम्बा पत्र लिखा है। इस कारखाने में कार्य कर रहे कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। उनकी जीविका का कोई साधन नहीं है और उनकी दशा अत्यन्त दयनीय है। पिछले प्रबन्धकों द्वारा इस कम्पनी का कुप्रबन्ध किये जाने के कारण ही कर्मचारियों को परेशानी उठानी पड़ी थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ तात्कालिक अल्पकालीन उपाय करेंगे जिससे कि इस कारखाने को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने आदि के बारे में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व ही कर्मचारियों की शिकायतें दूर हो सकें। यह उपाय कर्मचारियों के व्यापक हित में निर्वाह भत्ते के रूप में उन्हें कुछ राशि का भुगतान हो सकता है।

श्री चरणजीत चानना : पूरा मामला न्यायाधीन है। जहां तक इस कारखाने को सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लिये जाने का सम्बन्ध है हम केवल श्रमिकों के हित में ही इस मामले पर शीघ्र कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री सूरजभान : अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया है कि दो साल से दो हजार मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। इन मजदूरों को फैक्ट्री बन्द होने से भी एक साल पहले से वेतन नहीं मिला है। उनको वेलेंस दिया जाए और जो मजदूर दो साल से भूखे बैठे हैं, उनके लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री चरणजीत चानना : जब तक कर्मचारी फैक्ट्री की सूची पर थे, उस अवधि के लिये बकाया राशि के भुगतान के बारे में अन्तिम निर्णय लेने के बाद ही किया जायेगा कि क्या इसे परिसमाप्त किया जाये अथवा क्या इसका सरकारीकरण किया जाये। इसके बाद एक भुगतान आयुक्त नियुक्त किया जायेगा और वह दावों आदि के भुगतान के बारे में निर्णय करेगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि भुगतान सम्बन्धी प्राथमिकताओं में सबसे पहली यह है कि श्रमिकों को उनकी देय राशि का भुगतान किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 420।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : श्रीमन्, संख्या 13 को सामान्य तौर पर 12क अथवा 12ख रखा जाता है·····(व्यवधान) मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से केवल अनुरोध कर रहा हूं जो इस सदन को सुचारू रूप से संचालित करते हैं और माननीय सदस्यों को जो अच्छी प्रकार भाग लेते हैं कि भविष्य में प्रश्न संख्या 420 को 419क के रूप में रखा जाये। हो सकता है कि सीमेन्स कम्पनी के मामले में यह प्रश्न समाचार-पत्रों में अत्यन्त प्रमुख रहा है···(व्यवधान)।

श्री चरणजीत चानना : वास्तक में जापान में फ्लोर की अशुम संख्या कभी भी लिफ्टों में नहीं दी जाती है।

"भेल्स न्यू बिड फार डील विद साइमन्स" शीर्षक से समाचार

*420. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री के० पी० सिंह देव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1981 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' "भेल्स न्यू बिड फार डील साइमन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलवाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सौदे की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) जिन उत्पादों के लिए भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड "साइमन्स" से तकनीकी जानकारी प्राप्त करेगा, उन विभिन्न उत्पादों के अनुसंधान और विकास की प्रगति में यह सौदा कहां तक सहायक होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) बी० एच० ई० एल० ने निम्नलिखित तीन उत्पाद वार प्रस्ताव विचार तथा मंजूरी के लिए सरकार को भेजे हैं :—

(1) सीमेन्स के सहयोग से एस० एफ० 6 और वैक्यूम सर्किट ब्रेकरों के निर्माण के लिए;

(2) सीमेन्स के सहयोग से ए० सी० और डी० सी० मोटरों के निर्माण के लिए;

(3) 200 मे० वा० से कम क्षमता के टर्बो जनरेटरों के निर्माण के लिए क्राफ्टवर्क यूनियन के साथ विद्यमान करार के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए।

सरकार इन प्रस्तावों की जांच कर रही है।

(ग) इन क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास एक ऐसा पहलू है जिसे हमेशा ध्यान में रखा जाता है। सहयोगकर्त्ता अर्थात सीमेन्स ने सहयोग के क्षेत्रों में पूरी जानकारी तथा जानने का कारण प्रदान करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है और इससे स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास प्रयासों को तेज करने में मदद मिलेगी।

श्री के० पी० सिंह देव : हमारी सरकार द्वारा बिजली के उत्पादन को बहुत उच्च प्राथमिकता और महत्ता दी गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसा कि समाचार-पत्रों में संकेत किया गया है कि पिछली जनता सरकार में एक मंत्री ने एक अत्यन्त शक्तिशाली लाबी पैदा करके इस सौदे में रुचि दिखाई थी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे पास स्वदेशी तकनीकी जानकारी और अनुसंधान और विकास उपलब्ध है और क्या सीमेन्स से प्राप्त होने वाली तकनीकी जानकारी और प्रौद्योगिकी नवीनतम है अथवा नहीं ? हमें इस देश में और विदेशों में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के कार्यकरण का पता है और वे हमें घटिया और अत्यन्त घटिया किस्म की प्रौद्योगिकी देने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री चरणजीत चानना : श्रीमान्, माननीय सदस्य का प्रश्न एक लाबी और भूतपूर्व मंत्री के बारे में है। मैं उन्हें केवल इस विशेष बात पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि प्रौद्योगिकी का चयन करने अथवा आयात करने सम्बन्धी मानदंड हमारी प्रौद्योगिकी को अद्यतन बना रहे हैं। और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है अब देश में बिजली उत्पादन को दी गई महत्ता को देखते हुए, जबकि विश्व ऊर्जा संकट से गुजर रहा है, हम इस प्रौद्योगिकी में इस समय विश्व के समान अद्यतन होना चाहते हैं। अब जहां तक भूतपूर्व मंत्री की जोरदार लाबी का संबंध है मैं माननीय सदस्य को यह जानने के लिए कहना चाहता हूं कि पिछला प्रस्ताव एक व्यापक-समझौता (अम्ब्रेला एग्रीमैंट) था। अनुसंधान और विकास के कारण ही हम इस करार को प्रौद्योगिकीय अन्तर को समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी की जांच अथवा उसे अपनाने तक ही सीमित कर रहे हैं। यह केवल अनुसंधान और विकास प्रयास है जिससे वस्तुत: प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के सन्दर्भ में तीन मदों, उत्पादों की तीन किस्मों का पता चला है जो आवश्यक हैं। अत: माननीय सदस्य को विश्वास होना चाहिए की प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने का कार्य देश में इस उद्योग के सम्वर्धन के हित में किया जायेगा।

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, मैं जानना चाहता था कि क्या अनुसंधान और विकास में स्वदेशी तकनीकी जानकारी उपलब्ध है अथवा नहीं ? मन्त्री महोदय इस विषय पर चुप रहे हैं।

श्री चरणजीत चानना : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि जहां तक प्रौद्योगिकी के उपलब्ध होने का सम्बन्ध है, इस बारे में प्रयास किया गया था। प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाते हुए हम सुनिश्चित करते हैं कि क्या अनुसंधान और विकास उपलब्ध है अथवा नहीं और अनुसंधान और विकास के परिणाम क्या हैं। इस प्रक्रिया का लक्ष्य प्रौद्योगिकी को नवीनतम स्थिति के स्तर पर लाना है और यह विशेष क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्यमान अन्तर को पूरा करके किया जा रहा है।

श्री के० पी० सिंह देव : मेरा दूसरा प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय : आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है।

श्री के० पी० सिंह देव : वह मेरे पहले प्रश्न का स्पष्टीकरण था। मैं जानना चाहता हूं कि समझौते की अवधि क्या है और विदेशी मुद्रा की राशि क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : ये ब्यौरे हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

श्री चरणजीत चानना : महोदय, एक प्रस्ताव हाल ही में मिला है और इस पर विचार करने और कोई निर्णय लेने से पूर्व इन ब्यौरों को देना उचित नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्रीमान् मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अपना गृह-कार्य ठीक प्रकार से किया है और जनता शासन के दौरान डा० राजा रामन्ना की अध्यक्षता में गठित एक विशेष विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किये गए प्रतिवेदन का अध्ययन किया है ? जनता-शासन के दौरान प्रत्येक बात बुरी नहीं थी अत: आपको.....

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी भी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं जानता हूं कि मैं ऐसी बात कह रहा हूं जिसे उन्हें पसंद करना चाहिए । तथापि मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस प्रतिवेदन को देखा है और क्या यह सच है कि जहां तक 200 मैगावाट प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सस्ते मूल्यों पर अच्छी प्रौद्योगिकी प्रदान करके अन्तर्राष्ट्रीय टेंडर प्राप्त किये हैं और क्या मंत्री महोदय इस बात की गारंटी देंगे कि जहां तक 200 मैगावाट से कम निर्धारण का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई विदेशी सहयोग नहीं मांगा जायेगा ?

श्री चरणजीत चानना : श्रीमान्, जहां तक माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का सम्बन्ध है मैं पुष्टि करता हूं कि मैंने कहा है कि हम 200 मैगावाट प्रौद्योगिकी में केवल प्रौद्योगिकीय अन्तर को पूरा कर रहे हैं । वह उन व्यक्तियों में से एक है जिन्होंने व्यापक प्रौद्योगिकी-समझौते पर आपत्ति की थी और शायद इसी कारण से उन्होंने कहा है जनता शासन में सभी बातें खराब नहीं थीं । उनके दूसरे प्रश्न अर्थात् सहयोग के बारे में आश्वासन का सम्बन्ध है हम सहयोग नही ले रहे हैं । अन्तर को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाया जा रहा है । पूर्ण रूप से सहयोग बिलकुल नहीं किया जा रहा है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस अन्तर का आपने किस आधार पर पता लगाया था ? क्या कोई विशेषज्ञ समिति है ?

श्री चरणजीत चानना : देश के बाहर 200 मैगावाट और इससे कम मैगावाट जेनरेटरों को सप्लाई करने की प्रक्रिया में हमने 200 मैगावाट से कम जेनरेटरों के प्रौद्योगिकीय अन्तर का भी पता लगा लिया है । और इन कल-पुर्जों का आयात करके अब तक हम इस अन्तर को पूरा कर रहे हैं । लेकिन इससे पूर्व भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारी उद्योग मंत्रालय ने इन उत्पादों का पता लगा करके समग्र मामले की जांच की थी । यह तकनीकी जांच थी जिससे हमें यह परिणाम प्राप्त हुआ अर्थात् इन तीन उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने की आवश्यकता थी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों पर व्यय

*.423 **श्री समर मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-आसामी लोगों को, जो जबरदस्ती आसाम से खदड़ दिए गए हैं और जो अब पश्चिम बंगाल में शिविरों में रह रहे हैं, अस्थायी राहत और शरण देने में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी धनराशि दी है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि 6 दिसम्बर, 1980 तक राज्य सरकार ने लगभग 34 लाख रुपये खर्च किए है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेशी नागरिकों के मामले के प्रश्न पर आन्दोलन के परिणामस्वरूप असम छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों को अस्थायी शरण और राहत देने के लिए किए गए खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। उनके अनुसार 6 दिसम्बर, 1980 तक लगभग 34 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

कागज की कमी

*415. **श्री छांगुरराम :**
श्री रशीद मसूद :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कागज की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 के दौरान यदि देश में कागज के उत्पादन में अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में कोई कमी है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1981 के दौरान मांग और सप्लाई के बीच कितना अन्तर रहने की सम्भावना है;

(घ) क्या वर्ष 1980 के दौरान आयात करने के कार्यक्रम में कोई कमी रह गई है जिसके कारण कागज की कमी पैदा हुई है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1979 की तुलना में वर्ष 1980 के दौरान मांग और सप्लाई के बीच का अन्तर कितना न्यूनाधिक रहा; और

(च) वर्ष 1981 के दौरान सरकार का विचार कागज की मांग को किस तरह पूरा करने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) वर्ष 1980 में कागज तथा कागज गत्ते का देशी उत्पादन लगभग 10.80 लाख मी० टन रहा जबकि अधिष्ठापित क्षमता 15.38 लाख मी० टन थी। बिजली की कमी, माल गाड़ी के डिब्बे लाने-ले जाने सम्बन्धी बाधाओं तथा कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण क्षमता के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वर्ष 1980 में कागज की मांग व पूर्ति के बीच लगभग 70,000 मी० टन का अन्तर था, जिसे आयात द्वारा पूरा किया गया तथा इसके फलस्वरूप इस समय देश में कागज की कोई कमी नहीं है।

(ग) 1 जनवरी, 1981 को, कागज तथा गत्ते का उत्पादन करने की अधिष्ठापित क्षमता 16.57 लाख मी० टन थी। बिजली तथा कोयले की सप्लाई में आशा के अनुरूप सुधार आ जाने पर क्षमता उपयोग उस स्तर तक पहुंच जाने की आशा है, जिस पर मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन काफी रहता है।

(घ) समय-समय पर आवश्यकतानुसार आयात की व्यवस्था की गई है।

(ङ) वर्ष 1980 में कागज की मांग तथा पूर्ति के बीच लगभग 70,000 मी० टन का अन्तर था तथा वर्ष 1979 में भी लगभग यही स्थिति थी।

(च) कागज की मांग को पूरा करने के लिए देशी उत्पादन पर्याप्त रहने की आशा की गई है। किन्तु, स्थिति की समय-समय पर संवीक्षा की जायेगी तथा यदि आवश्यक हुआ तो आयात का सहारा लिया जाएगा।

कजारहाट चीनार सीमेंट फैक्टरी

*416 **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कजारहाट चीनार सीमेंट फैक्टरी में उत्पादन आरम्भ किया जाने वाला है;

(ख) यदि हाँ, तो कब तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा और इस कारखाने में कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन होगा;

(ग) क्या इस कारखाने में बना सीमेंट अन्य कारखानों में बनें सीमेंट की तुलना में सस्ता होगा; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक सस्ता होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) यू० पी० स्टेट सीमेंट कारपोरेशन ने सूचित किया है कि निगम की 8.4 लाख मी० टन क्षमता वाली चुनार सीमेंट फैक्टरी के प्रथम चरण में मार्च 81 के अन्त तक वाणिज्यक उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है। निगम को ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट की वार्षिक 16.80 लाख मी० टन क्षमता के लिए लाइसेंस दिया गया है।

(ग) और (घ) इस कारखाने द्वारा उत्पादित सीमेंट उसी रेलभाड़ा मुक्त मूल्य पर बेचा जाएगा जो सीमेंट के अन्य कारखानों द्वारा सीमेंट पर लागू होता है।

रेजर ब्लेडों का आयात

*421. **श्री सुशील भट्टाचार्य** :
श्री के० ए० राजन :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक ब्लेड लि०, कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश विकास तथा एशियन केबल्स कारपोरेशन जिसके संस्थापक है, एक बहुराष्ट्रिक कम्पनी मैसर्स विल्किंसन स्वोर्ड लि० से रेजर ब्लेडों का आयात करके रेजर ब्लेडों को बिक्री करेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा देशी उत्पादन के स्थान पर एक बहुराष्ट्रिक कम्पनी को प्रोत्साहन दिए जाने के कारण क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हैदराबाद में सी० आर० पी० एफ० के लिए भर्ती के सम्बन्ध में विज्ञापन

*422. डा० बसन्तकुमार पंडित : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अक्तूबर, 1980 में हैदराबाद न्यूज पेपर में प्रकाशित हुए उस विज्ञापन के बारे में जांच पूरी कर ली है जिसमें सिपाहियों के 115 पद भरने हेतु 46 मुसलमानों 27 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों, 15 भूतपूर्व सैनिकों और शेष 57 व्यक्तियों का चयन करने के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किए गए थे ;

(ख) क्या मन्त्रालय ने उक्त विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या और किसके विरुद्ध ;

(घ) क्या सभी सम्बन्धित लोगों को इस आशय के सामान्य अनुदेश जारी कर दिये गए हैं कि वे धर्म के आधार पर आरक्षण दिखाने वाले विज्ञापन जारी न करें ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) तथाकथित विज्ञापन के लिए जिम्मेदार अधिकारी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल हैदराबाद के ग्रुप सेन्टर के कमान्डेंट को भविष्य में अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी गयी है ।

(घ) निर्देश जारी कर दिये गए हैं ।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों में पूंजी निवेश

*423 श्री आनन्दसिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उद्योगों में कितनी केन्द्रीय पूंजी लगाई गई है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ जिलों की पूर्णत: उपेक्षा की गई है;

(ग) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सरकार किन उद्योगों की स्थापना करने की योजना बना रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मार्च, 1980 के अन्त तक 802.28 करोड़ रुपये का सकल निवेश किया गया था । किसी विशेष जिले अथवा जिलों की उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सरकारी क्षेत्र के एककों की स्थापना वास्तविक कारणों पर आधारित होती है । उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में छठी योजनावधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में किसी एकक की स्थापना करने हेतु संभावनाओं का पता लगाया जायेगा ।

उड़ीसा में सीमेंट उद्योगों के लिये कोयले की कमी

424. **श्री अनादि चरण दास :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी के कारण कुछ सीमेंट उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या उड़ीसा के ऐसे किसी सीमेंट उद्योग को उपरोक्त कारणों से धक्का पहुंचा है; और

(ग) यदि हां, तो कोयले की सुगम ढुलाई के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां। सीमेंट के कुछ कारखानों ने कोयले का कम संभरण होने के बारे में जानकारी दी है।

(ख) उड़ीसा में हीरा सीमेंट वर्क्स, बारगढ़ और उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड, राजगंगपुर नामक सीमेंट के दो कारखाने हैं। यद्यपि कोयले की कमी रही है, फिर भी, इन दोनों कारखानों की उपयोग क्षमता क्रमशः 101 और 102 प्रतिशत रही है।

(ग) सीमेंट कारखानों को कोयले के संभरण की नियमित रूप से संवीक्षा की जाती है और सीमेंट उद्योग को कोयले का संभरण बढ़ाने हेतु कदम उठाए जाते हैं।

बड़ोदा में एक नया कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय का खोला जाना

*425. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ोदा में बड़ोदा और पंच महल जिलों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिये गुजरात रीजनल कमेटी आफ वर्क्स प्रोविडेंट फण्ड की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिया गया निर्णय क्या है;

(ख) गुजरात के उन श्रमिकों की संख्या कितनी है जो भविष्य निधि के सदस्य हैं और और पंच महल जिलों के श्रमिकों की संख्या कितनी है ; और

(ग) सूरत तथा राजकोट क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्बद्ध सदस्य श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) बड़ोदा में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने संबंधी सिफारिश अभी तक सरकार के विचाराधीन है।

(ख) विवरण मेज पर रख दिया गया है।

(ग) सूरत और राजकोट में कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तथापि, इन स्थानों में उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इन कार्यालयों से सम्बद्ध श्रमिकों की संख्या इस प्रकार है :—

	छूट प्राप्त	छूट न प्राप्त
(क) सूरत	12345	68050
(ख) राजकोट	14864	64743

विवरण

	छूट प्राप्त	छूट न प्राप्त	कुल
31-12-1980 की स्थिति के अनुसार गुजरात क्षेत्र में भविष्य निधि के अंश—दाताओं की कुल संख्या	256332	411421	667753
बड़ौदा जिले से सम्बद्ध सदस्यों की संख्या	60176	52924	1,13,100
पंचमहल जिले से सम्बद्ध सदस्यों की संख्या	4130	3467	7597

विद्युत् विस्तार के लिए योजनागत आवंटन में कमी

*426. **श्री चन्द्रजीत यादव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी योजनावधि के दौरान विद्युत् विस्तार कार्यक्रम के लिए धन के आवंटन में भारी मात्रा में कमी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और जबकि देश बिजली की अत्यन्त कमी का सामना कर रहा है, देश में विद्युत् विस्तार कार्यक्रम में कमी किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) छठी योजनावधि के दौरान शुरू किए जाने वाली प्रस्तावित नई विद्युत् परियोजनाओं और बिजली की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप विद्युत् उत्पादन लक्ष्यों की उपलब्धि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। छठी योजना में सरकारी क्षेत्रक में कुल 97500 करोड़ रु० के निवेश में से विद्युत् क्षेत्रक के लिए 19265 करोड़ रु० की वित्त व्यवस्था की गई है। यह पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 17·8 प्रतिशत के मुकाबले कुल सरकारी क्षेत्रक परिव्यय का 19.8 प्रतिशत होता है।

(ग) उपर्युक्त निवेश से छठी योजना की अवधि में चालू करने के लिए 19666 मे०वा० की अतिरिक्त विद्युत् उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है जिससे कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ़कर 51191 मे०वा० हो जाएगी। इस वित्त व्यवस्था से सरकार विद्युत् की मांग में वृद्धि के समनुरूप परियोजनाओं के निर्माण का काम हाथ में लेने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकेगी जो सातवीं योजना में उपभोक्ता क्षेत्रकों की संवृद्धि दर और संरूप पर प्रत्यक्ष निर्भर है। उपर्युक्त लक्ष्य और वित्त व्यवस्थाएं देश के लिए योजना में अनुमानित आर्थिक विकास की संवृद्धि की दर और संरूप के अनुरूप हैं।

न्यूनतम मजूरी के संबंध में राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक

*427. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य श्रम मंत्री सम्मेलन की स्थायी समिति ने न्यूनतम मजूरी, इसमें संशोधन की आवश्यकता और आपसी बातचीत द्वारा मजूरी तय करने की व्यवस्था संबंधी विषयों पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसमें क्या निर्णय लिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) इस प्रश्न पर सितम्बर 1980 में श्रम मंत्रियों की स्थायी समिति में सामान्य रूप से विचार-विमर्श किया गया इसने निर्णय लिया कि चार ग्रुप (उप-समितियां) बनाई जाएं ताकि अन्य बातों के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी-दरों को विनियमित करने और मजदूरी करारों की समय-समय पर पुनरीक्षा के बारे में गहन विचार किया जा सके और सिफारिशें की जा सकें। संबंधित उप-समिति की फरवरी, 1981 में बैठक हुई और इसकी सिफारिशों को स्थायी समिति की अगली बैठक में रखा जाएगा।

लेह-मनाली मार्ग पर पर्यटकों पर प्रतिबंध

*428 श्री प्रो० नामग्याल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू-काश्मीर में लेह-मनाली मार्ग विदेशी पर्यटकों के साथ भारतीय पर्यटकों के लिए भी वर्जित है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पर्यटकों के लिए प्रतिबंध के कारण बहुत से पर्यटक इस क्षेत्र में ट्रेकिंग करने और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के मामले में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ग) क्या जनता की मांग को देखते हुए सरकार का विचार इस मार्ग पर भारतीय और विदेशी पर्यटकों की यात्रा पर लगाए गए प्रतिबन्धों को वापस लेने का है ;

(घ) यदि हां, तो प्रतिबंध कब हटाए जाएंगे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या उस अधिसूचना को, जिसके अन्तर्गत उक्त मार्ग को पर्यटकों के लिए वर्जित किया गया है, एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) लेह-मनाली सड़क जम्मू व कश्मीर में उप्शी तक खुली हुई है और जम्मू व कश्मीर में केवल उप्शी के दक्षिण से हिमाचल प्रदेश में सचूं तक बंद है। परन्तु विदेशी पर्यटकों को गया में गोमपास, उप्शी के दक्षिण में पड़ने वाले नीरु और रुम्टसे जाने, 20 व्यक्तियों तक के दलों में यात्रा करने की अनुमति दी जाती है और जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा उनके साथ एक गाइड भेजा जाता है बशर्ते कि उनके पास सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक

परमिट हों। भारतीय पर्यटक भी राज्य प्राधिकारियों से परमिट लेने के बाद इन क्षेत्रों की यात्रा करसकते हैं।

(ख) से (घ) जहां तक संभव हुआ है छूट दी जा चुकी है। सुरक्षा संबंधी कारणों से और आगे छूट देना संभव नहीं है।

(ङ) अधिसूचना सं० जी एस० आर०-300 (ई०), 24 मई, 1978 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, जिसकी एक प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध करा दी गई है।

तकनीकी विकास महानिदेलय के उद्योगों में नकारात्मक विकास दर

429. **श्री राम बिलास पासवान :**

श्री बी० डी० सिंह :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत बहुत बड़ी संख्या में उद्योगों में वर्ष 1980 के दौरान विकास दर नकारात्मक रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1980-81 के अन्त तक लक्ष्य की तुलना में अनुमानत: कितनी विकास दर प्राप्त करने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) जिन 132 उद्योगों की विकास दर प्रति मास मानीटर की जाती है, उनमें 60 उद्योगों ने नकारात्मक विकास दर दिखाई है। तत्सम्बन्धी विवरण तथा कारणों को सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1980-81 में तकनीकी विकास के महानिदेशालय के उद्योगों की विकास दर का लक्ष्य 10 प्रतिशत रखा गया था। अप्रैल-दिसम्बर, 1980 की अवधि के कार्य निष्पादन के आधार पर वर्ष 1980-81 में सम्भावित दर 7 से 8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

विवरण

जिन उद्योगों में 1980 में गिरावट आई है, उनके कारण सहित विवरण

क्रमांक	उद्योग	भार	गिरावट का प्रतिशत	
			जनवरी-सितम्बर 1980	जनवरी-दिसम्बर 1980
1	2	3	4	5
	क. मुख्यत: बिजली तथा कोयला आदि की अवस्थापना संबंधित बाधाओं के कारण			
1.	बीयर	0.69	—	4.1
2.	अखबारी कागज	0.02	14.2	1.7

1	2	3	4	5
3.	नाइट्रोजिन्स उर्वरक	0.87	12.5	9.6
4.	कास्टिक सोडा	0.32	6.2	3.1
5.	सोडा एश	0.22	—	0.8
6.	आक्सीजन गैस	0.05	11.3	8.0
7.	डी० ए० गैस	0.12	5.3	2.9
8.	कैल्सियम कार्बाईड	0.06	24.2	19.8
9.	विस्कोस स्टेपल फाइबरें	—	32.1	18.6
10.	रंजक पदार्थ	0.41	1.0	9.9
11.	सीमेंट	1.17	7.8	2.2
12.	स्टील कास्टिंग्स	0.61	4.6	5.7
13.	अल्युमीनियम	0.55	27.8	12.7
14.	पावर ट्रांसफार्मर्स	1.48	3.0	3.8
		5.57		

ख. कच्चेमाल सम्बन्धी बाधाओं के कारण

1.	बिस्कुट	0.31	2.8	3.5
2.	बी० एच० सी० (टैक)	0.10	22.1	17.2
3.	मेलाथियन	0.05	63.4	66.2
4.	स्टील ट्यूबों (ब्लैक तथा गालवे/नाइज्ड)	0.72	12.6	10.4
5.	अल्युमिनियम शीट तथा सर्किल्स	0.36	17.6	8.4
6.	वायर रोप्स (तार रस्से)	0.47	1.8	3.7
7.	वैल्डिंग इलैक्टराड्स	0.62	7.8	6.1
8.	इलेक्ट्रिक लैम्प	0.29	8.4	0.4
9.	पी० आई० एल० सी०	0.15	14.0	6.5
10.	कलाई घड़ियां	—	10.5	6.8
		3.07		

1	2	3	4	5
	ग. औद्योगिक सम्बन्ध विषयक बाधाओं के कारण			
1.	सिगरेट	2.21	2.8	1.4
2.	पी० वी० सी० रेजिन्स	0.12	34.5	35.3
3.	पोलिएस्ट्रीन	0.03	22.8	22.2
4.	विस्कोस फिलामेंटयार्न	0.15	2.5	1.4
5.	नाइलोन टायर कोर्ड	—	13.3	2.7
6.	पोलिएस्टर फाइबर	0.14	9.4	8.4
7.	जस्ता	—	34.4	31.1
8.	एयर कन्डीशनर्स	0.01	—	0.7
9.	रेडियो रिसीवर्स	0.97	4.9	6.1
		3.63		
	घ. लघु क्षेत्र के लिए आरक्षण, लम्बा उत्पादन चक्र, क्षमता सम्बन्धी बाधाएं मांगे जैसी विविध बाधाओं के कारण			
1.	शिशु आहार	0.3	—	0.3
2.	चमड़े का कपड़ा	0.43	—	4.0
3.	भारतीय किस्म के चमड़े के जूते	0.31	—	7.0
4.	पश्चिमी किस्म के चमड़े के जूते	0.03	6.8	10.3
5.	साइकल टायर	0.17	7.8	6.9
6.	एच० डी० पी० ई०	0.02	9.1	19.6
7.	सिंथेटिक रबड़	0.10	17.8	29.6
8.	डी० एम० टी०	—	—	5.9
9.	विस्कोस टायर कोर्ड	0.35	15.4	11.8
10.	सैलुलोस फिल्म	0.05	10.4	9.4
11.	डी० डी० टी०	—	16.7	14.6
12.	दियासलाई	0.26	7.6	0.2

1	2	3	4	5
13.	पैंसीलीन	1.08	15.7	8.8
14.	स्ट्रेप्टोमाइसिन	1.08	23.6	14.9
15.	सल्फा दवाइयां	0.20	4.6	4.9
16.	विटामिन "ए"	0.12	19.0	5.3
17.	ट्रांसमीशन टावर्स	0.12	10 6	6.5
18.	कापर/ब्रास शीट्स तथा सर्किल्स	0.32	15.1	11.8
19.	रेजर ब्लेड्स	0.13	13.6	17.9
20.	चीनी मशीनरी	0.19	18.9	17.0
21.	सीमेंट मशीनरी	0.21	21.6	3.5
22.	मिट्टी हटाने वाले उपकरण	0.06	10.3	13.8
23.	लिफ्टें	0.07	—	0.4
24.	रबर तथा प्लास्टिक का सामान	0.07	9.4	8.1
25.	बाइसिकिलें	0.37	10.2	5.2
26.	दीवार घड़ियां	0.13	16.1	13.0
27.	पैंसिलें	0.19	1.4	0.2
		6.39		

आयातित कैसेट टेपों का स्वदेशी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना

*430. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि घरेलू बाजार में आयातित कैसेट टेप स्वदेशी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं और उसके विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) आयात नीति के अनुसार कैसेट टेपों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा है। कैसेट टेपों के निर्माणकर्त्ताओं को कैसेट टेपों के आयात की अनुमति केवल पूरक आयात लाइसेंस के आधार पर दी जाती है तथा

निर्यातकर्त्ताओं को पंकीकृत निर्यात नीति (आर० ई० पी०) विषयक लाइसेंस प्राप्त करने पर— (क) कैसेट तथा पूर्व-रिकार्डित कैसेटों तथा (ख) टेप रिकार्डरों/टेप रिकार्डरों तथा रिकार्ड प्लेयरों या रिकार्ड चेंजरों के मिले जुले सेटों अथवा टेप रिकार्डरों और रेडियो के मिले जुले सेटों का निर्यात करने पर प्रदान की जाती है। किन्तु जहां तक (ख) श्रेणी में पंजीकृत निर्यात नीति (आर० ई० पी०) के अन्तर्गत अनुमति देने का प्रश्न है, निर्यात किये गये प्रत्येक उत्पाद पर केवल एक सी-30 टेप आयात करने की अनुमति है। यह आयात नीति कई अन्य इलेक्ट्रानिक मदों पर लागू आयात नीति की अपेक्षा अधिक प्रतिबन्धात्मक स्वरूप की है और इसे विशेष रूप से स्वदेशी टेप विनिर्माण उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

उड़ीसा में बड़े उद्योगों द्वारा लघु एककों से सामग्री की खरीद

431. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र प्राधिकरण और अन्य बड़े उद्योग राज्य में कार्य कर रहे सहायक एककों से अपनी अपेक्षित सामग्री नहीं खरीद रहे हैं जिस कारण लघु तथा मध्यम दर्जे के औद्योगिक एककों को अपने माल का निपटान करने में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बड़े उद्योगों को उड़ीसा में सहायक उद्योगों से अपना अपेक्षित सामान खरीदने के लिये निदेश देने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र लघु तथा सहायक एककों को नियमित रूप से क्रयादेश देता है। संयंत्र द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान दिए गए क्रयादेश में का मूल्य निम्न प्रकार है :—

19 8-79	रु० 6.17 करोड़
19 9-80	रु० 6.13 करोड़
1980-81 (दिसम्बर, 80)	रु० 5.63 करोड़

जहां तक सरकारी क्षेत्र के अन्य एककों का सम्बन्ध है सरकारी उद्यम ब्यूरों ने सहायक उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु उनका तेजी से विकास करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए उन्हें विस्तृ रूप से मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए हैं। इसके अलावा, कटक के लघु उद्योग सेवा संस्थान में एक उप-संविदा केन्द्र सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्र में उनके उत्पादों के लिए उपयुक्त खरीदारों का पता लगाने हेतु राज्य के लघु एककों की सहायता करने के लिए कार्य कर रहा है।

उड़ीसा के गंजम जिले में सीमेंट परमिट देना बन्द किया जाना

3964. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गंजम जिले में सीमेंट परमिट देना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने गंजम जिले के सीमेंट विक्रेता महासंघ के अभ्यावेदन देखे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि शुरू में मुक्त बिक्री की श्रेणी के अन्तर्गत अक्तूबर-दिसम्बर, 1980 की तिमाही में बाढ़ सम्बन्धी मरम्मती कार्य के लिए एक हजार मी० टन सीमेंट आरक्षित कर दी थी । गंजम जिला वितरक संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त होने पर बाढ़ सम्बन्धी मरम्मती कार्य के लिए आरक्षित सीमेंट में से 500 मी० टन सीमेंट बिक्री के लिए दे दी गई ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

3965. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत देश के भिन्न भिन्न-भागों में 16 फरवरी, 1981 तक (राज्यवार) कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गए ;

(ख) नजरबन्द व्यक्तियों में से अब तक कितने व्यक्तियों को रिहा किया जा चुका है;

(ग) इस अधिनियम का किन-किन राज्यों ने अभी तक प्रयोग नहीं किया है;

(घ) क्या सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में दिल्ली राजहरा लोह अयस्क की खानों के मजदूर संघ नेताओं की गिरफ्तारी की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप फरवरी, 1981 में खान श्रमिकों की हड़ताल हुई थी; और

(ङ) क्या यह संसद में दिये गये उस आश्वासन के विरुद्ध है कि मजदूर संघ के नेताओं के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग नहीं किया जायेगा; यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) हरियाणा, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, और प० बंगाल की राज्य सरकारें और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा तथा नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव लक्षद्वीप, मिजोरम और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के उपबंधों को अभी तक लागू नहीं किया है ।

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान् । राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन नजरबन्दी किसी व्यक्ति के किसी ट्रेड यूनियन के साथ सम्बद्धता के आधारों पर नहीं की जाती है । इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को नजरबन्दी जहां आवश्यक होता है नजरबन्द करने का अधिकार रखने वाले प्राधिकारी के आदेश द्वारा की जा सकती है जब उसको प्रतिकूल गतिविधियों पर अधिनियम की धारा 3 की धारा (1) और (2) के उपबंध लागू किये जा सकते हैं ।

अन्तरिक्ष कार्यक्रम का नवीकरण

3966. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरिक्ष कार्यक्रम का उचित प्रकार से नवीकरण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त उद्देश्य प्राप्त करने में भारत को कितना समय लगेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम के प्रारम्भ से ही अत्यन्त स्पष्ट उद्देश्य रहे हैं । इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय कार्यों, जिसमें संचार का संवर्धन तथा प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रबन्ध करना शामिल है, की व्याख्या के लिये आत्म-निर्भर रूप में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अन्तरिक्षयान और राकेटों के डिजाइन, निर्माण और प्रमोचन का कार्य बराबर चल रहा है ।

(ख) आशा की जाती है कि संचार उपग्रह प्रसारण तथा मौसमविज्ञानीय उपयोगों के लिये एक बहु प्रयोजनीय भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रणाली 1982 तक उपलब्ध हो जायेगी । एक सुदूर संवेदन उपग्रह लगभग 1985 तक उपलब्ध होगा । भारत से ऐसे उपग्रहों को छोड़ने की क्षमता अस्सी दशाब्द के मध्य में प्राप्त होने की संभावना है । इसके अलावा, सुसंगत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकासों की लगातार समीक्षा की जाती है, ताकि राष्ट्रीय विकास के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिये, यदि आवश्यक हो, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में नये तत्वों को शामिल किया जा सके ।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी की दर

3967. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता दर क्या है ; और

(ख) इस अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में विकास की समेकित दर क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पिछले पांच वर्षों के

दौरान औद्योगिक उत्पादन के अन्तिम आंकड़ों में प्रतिशत परिवर्तन निम्न प्रकार रहा है :—

1975-76	(+) 7.2 प्रतिशत
1976-77	(+) 9.6 प्रतिशत
1977-78	(+) 3.3 प्रतिशत
1978-79	(+) 7.6 प्रतिशत
1979-80	(+) 1.4 प्रतिशत

(ख) इसी अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की मिश्रित दर 5.2 प्रतिशत निकलती है।

मेघालय से विदेशी राष्ट्रिकों को निकालना

3968. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय से विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें निकालने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कोई प्रबंध किया गया है अथवा न्यायाधिकरण स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मेघालय में हाल ही में एक सदस्यीय विदेशी राष्ट्रिक न्यायाधिकरण गठित किया गया है। भा० प्र० सेवा के एक सेवानिवृत अधिकारी को न्यायाधिकरण का सदस्य नियुक्त किया गया है और उसने 13-2-1981 से उस कार्यालय का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। यह न्यायाधिकरण, विदेशी राष्ट्रिक अधिनियम 1946 के अनुसार उन मामलों का निर्णय करेगा कि क्या कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं। न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार का विस्तार सम्पूर्ण मेघालय राज्य तक कर दिया गया है।

पांचवीं योजनावधि के दौरान रोजगार के अवसर

3969. **श्री त्रिलोक चन्द :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री बी० डी० सिंह :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजनावधि में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में रोजगार के कितने अवसर पैदा हुए और इस अवधि में नौकरियां चाहने वाले कितने शिक्षितों, अशिक्षितों, कुशल तथा अकुशल लोगों को नौकरियां दी जा सकीं ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1980 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार शिक्षितों, अशिक्षितों, कुशल तथा अकुशल लोगों की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) 1981-82 वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी; और

(घ) इस वर्ष अधिकतम लोगों को नौकरियां प्रदान करने के लिए सरकार ने यदि कोई कार्यक्रम बनाया है तो वह क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

पांचवीं पंच वर्षीय योजना में रोजगार सृजन सम्बन्धी लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं करती।

पांचवीं योजना अवधि के दौरान सृजित किए गए रोजगार अवसरों या इस अवधि के दौरान जिन शिक्षित/अशिक्षित, कुशल/अकुशल व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया उनकी संख्या के बारे में विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना पांचवीं योजना अवधि (1974-78) के दौरान अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि से संबंधित है, जैसी कि श्रम मंत्रालय रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम से प्रकट होती है, जो यह दर्शाती है कि 1974-78 की अवधि के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार में 22 लाख की वृद्धि हुई।

रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दिसम्बर, 1980 के अन्त में 162 लाख शिक्षित/अशिक्षित, कुशल/अकुशल व्यक्ति पंजीकृत थे, इनमें अनिवार्यत: सभी बेरोजगार नहीं हैं।

1981-82 के दौरान इन वर्गों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में सम्भावित वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया गया है।

वर्ष 1981-82 के दौरान छठी पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में पर्याप्त रोजगार अवसर सृजित करने के लिए अनेक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सूची नीचे दी गई है :—

(1) वर्ष के दौरान सिंचाई भूमि के क्षेत्र में .5 मिलियन हैक्टर की वृद्धि।

(2) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का और अधिक कार्यान्वयन, जिसके अन्तर्गत 2-10-1980 से देश के सभी 5011 ब्लाक आते हैं। इससे वर्ष के दौरान 3 मिलियन परिवारों को गरीबी का स्तर पार करने में सहायता मिलेगी।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से वर्ष के दौरान 300 से 400 मिलियन श्रम दिवस सृजित होने की आशा है।

(4) "आपरेशन फ्लड-दो" परियोजना और अन्य डेरी विकास परियोजनाएं।

(5) मत्स्य विकास।

(6) 25 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाएगी। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करने के लिए भी उपाय किए जाएंगे।

(7) ग्रामीण और लघु उद्योगों का विकास ।

(8) स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम ।

(9) 36,000 अतिरिक्त ग्रामों के लिए स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी ।

(10) तेल, कोयला और पावर के क्षेत्रों में क्षमताओं का विस्तार ।

(11) 22,000 ग्रामों को बिजली दी जाएगी और 4.25 लाख पम्पसेंटों को लगाया जाएगा ।

विकसित देशों में प्रौद्योगिकी का अन्तरण

3970. **श्री सुब्रहमण्यम स्वामी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों से भारत की और भारत से अन्य विकासशील देशों को औद्योगिकी के अन्तरण के बारे में सरकार की कोई नीति है; और

(ख) यदि हां, तो तेल छिद्रण, औषध और विद्युत क्षेत्रों के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) तेल छिद्रण, औषधियों, उर्वरकों और शक्ति सहित उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी सहयोग की अनुमति देने में आधर नीति प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की है ।

भारतीय प्रौद्योगिकी और अनुभव अन्य विकासशील देशों के लिए संयुक्त उद्यमों के माध्यम से और विदेशों में परियोजनाओं को लेकर निष्पादन के माध्यम से उपलब्ध हो गया है ।

विदेशी सहयोग और विदेशों में संयुक्त उद्यमों से सम्बन्धित निदेशक रेखाएं निर्धारित की गई हैं ।

न्यूक्लीयस उद्योगों की स्थापना के लिए असहयोग करने वाले राज्य

3971. : **श्री गुफरान आजम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य आदिवासी अथवा पिछड़े जिलों का पता लगाकर केन्द्र की "न्यूक्लीयस औद्योगिक योजना में सहयोग नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सहयोग करने वाले सहयोग न करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) पिछले जिलों में औद्योगिक प्रगति में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं तथा इन्हें आवंटन और सुविधाओं का ब्योरा क्या है ; और

(घ) सहयोग न करने वाले राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना): (क) से (घ) उद्योग, राज्य मन्त्री द्वारा राज्य के मुख्य मंत्रियों को भेजे गए एक पत्र, जिसमें उनसे अपने राज्यों में केन्द्रीय रूप से घोषित किये गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में से दो जिलों का पता लगाने का अनुरोध

किया गया था, इसके उत्तर में अभी तक आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा सरकारों से पत्र मिले हैं। पंजाब, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने उद्योग राज्य मंत्री से बातचीत करते समय पता लगाए जिलों/क्षेत्रों के नाम भी सुझाए हैं।

की जाने वाली कार्यवाही के प्रकार का निर्णय जिन राज्यों में जिलों/क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है, उनकी राज्य सरकारों के परामर्श से लिया जाएगा।

टेलीविजन एककों का विस्तार

3972. **श्री हरिहर सोरन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विद्यमान टेलीविजन एककों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या टेलीविजन ट्यूबों के लिए नए लाइसेंस भी दिए जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्तावों को कब क्रियान्वित किया जाएगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्यमन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां। बड़े क्षेत्र के जिन उद्योगों को दूरदर्शन सेटों का लाइसेंस प्रदान किया गया था और जिन्होंने अपनी वर्तमान लाइसेंसशुदा क्षमता को उचित रूप से कार्यान्वित किया है, उन्हें अपनी क्षमता बढ़ा कर प्रति वर्ष 40,000 सेटों का उत्पादन करने की अनुमति दी जा रही है। जहां तक लघु उद्योग क्षेत्र का सम्बन्ध है, उन्हें भी उसी आधार पर क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी जा रही है।

(ख) जी, नहीं। दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के निर्माण के लिए नये एककों को नये औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। फिर भी विद्यमान एककों को उत्पादन बढ़ाने की उदारतापूर्वक अनुमति दी जा रही है।

(ग) इन प्रस्तावों को पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है क्षमता बढ़ाने की अनुमति प्रदान करने के लिए पेश किए गए आवेदन-पत्रों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(घ) जहां तक दूरदर्शन सेट उद्योग का सम्बन्ध है, जिन विद्यमान एककों ने अपनी क्षमता बढ़ा कर प्रति वर्ष 40,000 सेट करने का अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है। जहां तक पिक्चर ट्यूबों का सम्बन्ध है, विद्यमान एककों से प्राप्त विस्तार के प्रस्तावों पर सरकार द्वारा पक्षों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन

3973. **श्री रामावतार शास्त्री** :

प्रो० मधु दण्डवते :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस अधिनियम में संशोधन कब तक करने का है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

निर्णय के शीघ्र लिए जाने की आशा है।

पश्चिम बंगाल में सीमेंट की कमी

3974. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में सीमेंट के जबर्दस्त अभाव की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य को गत चार साल के दौरान सीमेंट के आवंटन की मात्रा कितनी थी और वर्षवार वास्तविक सप्लाई कितनी हुई;

(घ) सीमेंट कोटा-आवंटन में कमी के क्या कारण है; और

(ङ) पश्चिम बंगाल की मांग पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पश्चिमी बंगाल सहित देश में सीमेंट की सामान्य कमी है।

(ख) विद्यमान क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल करके, नई क्षमताओं के लिए स्वीकृति देकर तथा सीमेंट का आयात करके सीमेंट की उपलब्धता में बढ़ोतरी करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में पश्चिमी बंगाल राज्य को किया गया सीमेंट का आवंटन तथा भेजी गई सीमेंट की मात्रा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आवंटन	भेजी गई सीमेंट की मात्रा
1977	1157.5	1099.0
1978	1318.0	1062.1
1979	1419.6	1106.4
1980	1195.6	1051.4

(घ) राज्य को कम सीमेंट आवंटन करने का कारण देश में सीमेंट की कम उपलब्धता है।

(ङ) देश में सीमेंट की उपलब्धता की स्थिति में सुधार हो जाने पर ही पश्चिमी बंगाल राज्य सहित सभी राज्यों को अधिक सीमेंट का आवंटन किया जाना सम्भव हो सकेगा। इसके लिए

हर सम्भव उपाय किया जा रहा है। किन्तु, चालू तिमाही में पश्चिमी बंगाल राज्य को 15,350 मी० टन सीमेंट का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

आसाम में बांस पर आधारित कागज मिलों की स्थापना

3975. **श्री सन्तोष मोहन देब** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांस, जिससे आसाम के जंगल भरपूर हैं, का इस्तेमाल करने के लिए कागज मिलों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) आसाम के जोगी धोपा नामक स्थान पर स्थित 27,000 मी० टन की वार्षिक क्षमता वाले एक एकक अशोक पेपर मिल्स के अतिरिक्त, आसाम में, राज्य में उपलब्ध बांस के स्रोतों पर आधारित, दो नये समन्वित कागज मिलों की स्थापना की जा रही है। इनकी हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन द्वारा नोगोंग जिले के जागी रोड तथा कछार जिले के पंचग्राम क्षेत्र में प्रत्येक एकक की 1,00,000 मी० टन प्रति वर्ष की अधिष्ठापित क्षमता के साथ स्थापना की जा रही है इन योजनाओं का 1984 तक पूरा हो जाने का अनुमान है।

गोवा में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना

3976. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोवा में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या रोजगार में लगे व्यक्तियों की तुलना में अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 32वें दौर (1977-78) के सर्वेक्षण के अनंतिम परिणामों के अनुसार गोवा में बेरोजगारी की दर अखिल भारतीय दर की तुलना में अधिक थी।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान बेरोजगारी की स्थिति को ध्यानमें रखते हुए गोवा की छठी योजना (1980-85) के परिव्यय को अन्तिम रूप दिया गया है। योजना में शामिल किए गए विभिन्न कार्यक्रमों से गोवा में रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की आशा है।

जनशक्ति का वैज्ञानिक उपयोग सम्बन्धी सम्मेलन

3977. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1980 में इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स के तत्वाधान में जन-शक्ति के वैज्ञानिक उपयोग के बारे में एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या विचार व्यक्त किए गए और सुझाव दिए गए; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध जनशक्ति का अधिकतम उपयोग करने के लिए यदि कोई योजना बनाई गई है तो वह क्या है और उपरोक्त सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचारों और सिफारिशों को योजना तैयार करने में किस प्रकार से सम्मिलित किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिक्स और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कार्यशाला की सिफारिशें इस प्रकार है :—

भारत जैसे विकासशील देश के लिए अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में वित्तीय निवेश काफी कम रहे हैं। इन्हें काफी अधिक बढ़ाना होगा जिससे कि इन्हें कुल राष्ट्रीय उत्पादन के कम से कम 1% तक लाया जा सके ताकि निधीयन की अनम्यता को कम किया जा सके।

जो उद्योग अनुसंधान और विकास कार्यकलाप नहीं कर रहे हैं उन पर अनुसंधान और विकास शुल्क आरोपित किया जाना चाहिए ताकि ऐसे संसाधन जुटाए जा सके जिन्हें अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के वित्तीयन में इस्तेमाल किया जा सके।

उपयुक्त अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों को अधिक मान्यता प्रदान की जाए ताकि अत्यधिक उत्कृष्ट प्रतिभा को आकृष्ट किया जा सके और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अधिक उत्पादक बनाया जा सके।

कुछ अधिक जोखिम वाले अनुसंधान क्रियाकलापों को इस आशा से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी अछूते क्षेत्र में प्रारंभिक सफलता प्राप्त की जा सके।

अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास के अर्थव्यवस्था में प्रभावी स्थानांतरण के लिए शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान के एक अन्तःविषय शास्त्रीय उपागम आवश्यक है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उच्च शिक्षा में प्रवेश पर नियंत्रण आवश्यक है ताकि गुणवत्ता और उद्देश्याभिमुख शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सके।

उच्च शिक्षा में अच्छी सुविधाओं और प्रशिक्षण का उद्देश्य उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को आकर्षित करना होना चाहिए।

जहां तक सम्भव हो उच्च शिक्षा का संगठन उच्च शिक्षा के लिए उम्मीदवारों का प्रयोजन करके उद्योगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होना चाहिए।

छात्रों के एक उल्लेखनीय समानुपात को डिप्लोमा या आई० आई० टी० स्तर की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर देश में एक ठोस तकनीशियन संवर्ग का निर्माण किया जाना चाहिए। तकनीशियन संवर्ग की वेतन और मजदूरी संरचना को अपग्रेड किए जाने की आवश्यकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों के लिए एक सुपरिभाषित भर्ती, मूल्यांकन और पदोन्नति नीति की आवश्यकता है जिसका उद्देश्य विभिन्न कार्य दक्षताओं और कार्यों को पूरा करना होना चाहिए और भविष्य की भर्ती और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को अभिनिर्धारण करना होना चाहिए।

वेतनमानों में वृद्धि करके, प्रोत्साहन देकर और अनुसंधान और विकास में लगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों की उपलब्धियों को उपयुक्त सामाजिक मान्यता प्रदान कर उपयुक्त प्रतिभा को आकर्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिएं।

परामर्श सेवा के माध्यम से अनुसंधान और विकास कार्मिकों को अपनी आय में वृद्धि करने के अनुमति प्रदान करने की संभावना पर भी विचार किया जाना चाहिए।

अनुसंधान और विकास कार्मिकों की एक स्थान से दूसरे स्थान से पर जा सकने की असमर्थता के कारण देश में अनुसंधान और विकास प्रयास बासीपन से पीड़ित है। अनुसंधान और विकास में लगे हुए लोगों को कुछ समय पश्चात् अपने कार्य क्षेत्र बदलने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

देश में उपलब्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेष योग्यता के बारे में आंकड़ा आधार बनाए रखने की आवश्यकता है।

बहुत ही कम प्रतिशत महिलाएं विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों में लगी हुई हैं। उन्हें ऐसी गतिविधियों में भाग लेने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अधिक निवेश के अलावा, छठी पंचवर्षीय योजना में कई उपायों की पूर्व कल्पना की गई है यथा उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान को तीव्र करना, युवा व्यावसायिकों के ग्रामीण कोरों का निर्माण, कमजोर वर्गों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की योजनाएं, महिलाओं और युवा वैज्ञानिकों के लिए विशेष कार्यक्रम, विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का व्यावसायिक और वैज्ञानिक संस्थाओं में उपयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य परिषदों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सूचना प्रणाली की स्थापना।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास में गिरावट

3978. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में 1980-81 में औद्योगिक विकास में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं; और

(ग) गिरावट को रोकने तथा विकास की गति बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 1980-81 के उत्पादन संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं; अतः निश्चित रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है। फिर भी स्वीकृत किए गए आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या संबंधी स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृत किए गए आशयपत्रों की संख्या	स्वीकृत किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1979	34	7
1980	47	18
1981 (फरवरी, 81 तक)	3	1

दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम को ऋणों का भुगतान न लौटाया जाना

3979. **श्री भीकू राम जैन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्यमियों द्वारा ऋणों की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम गम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो कुल बकाया राशि कितनी है; और

(ग) स्थिति का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) 31 जनवरी, 1981 तक औद्योगिक शेडों के आवंटियों की तरफ बिजली तथा पानी के लिए देय राशि तथा ब्याज प्रभार सहित कुल मिलाकर 6.30 करोड़ रुपए की रकम बकाया थी। दिल्ली लघु उद्योग विकास निगम को देय बकाया राशि की वसूली करने हेतु प्रभावी कदम तो उठाए ही जा रहे हैं शेडों के लिए किराए पर दिए जाने के बजाय किराया खरीद के आधार पर पट्टे पर देने की वांछनीयता तथा इसके लिए जरूरी बातों पर भी विचार किया जा रहा है।

समय-सीमा में विदेशी सहयोग

3980. **श्री रघुनन्दन भाटिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी सहयोग करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने पर नये सिरे से विचार कर रही है जिससे कि पुरानी पड़ी तकनीकी जानकारी के आयात से जा बचा सके; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहयोग उसके लिए समय सीमा आदि के बारे में सरकार के निर्णय में प्रस्तावित परिवर्तन की मोटी रूपरेखा क्या है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रोद्योगिकी का निर्धारण एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। प्रोद्योगिकी का आयात करने के बारे में सरकार की नीति चयनात्मक है तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित है। देश की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त तथा नवीनतम प्रोद्योगिकी का निर्धारित समय से आयात करना हमारा उद्देश्य है ताकि अधिकाधिक आत्मनिर्भर बना जा सके।

विदेशी सहयोग प्राप्त करने के प्रत्येक मामले के बारे में करार की समयावधि पर सरकार द्वारा प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जाता है। सामान्यत: करार के लिए आठ वर्षों की तथा रायल्टी के लिए 5 वर्षों की अवधि रखी गई है जिसमें से तीन वर्ष उत्पादन चालू होने में लगते हैं किन्तु जहां जरूरी समझा जाएगा करार की अवधि 10 वर्षों तक करने पर भी विचार किया जा सकता है।

स्टेशन हाउस आफिसर के रूप में पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति

3981. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने राज्यों को यह परामर्श दिया है कि उन क्षेत्रों में जहां हरिजनों पर बहुधा अत्याचार किए जाते हैं अथवा जहां ऐसा होने की आशंका है वहां इन पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को स्टेशन हाउस आफिसर के रूप में नियुक्त किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों का किन राज्यों में पालन किया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केन्द्रीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों को लिखे गए अपने तारीख 6 सितम्बर, 1980 के अपने पत्र में अन्य बातों के साथ यह सुझाव दिया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को जहां तक संभव हो स्टेशन हाउस आफिसर के रूप में ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में जहां पर सामान्य रूप से हरिजनों पर अत्याचार किए जाते हैं, तैनात किए जाना चाहिए। अधिकांश राज्यों से प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि राज्य इस सुझाव का जहां तक संभव है अनुसरण कर रहे हैं।

उड़ीसा के आदिवासी जिलों में आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत "माइक्रो" परियोजना

3982. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कि उडीसा के आदिवादी जिलों में आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत कुछ "माइक्रों" परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उन आदिवासी जिलों के नाम क्या हैं जहां ऐसी "माइक्रो" परियोजनाएं चल रही हैं; और

(ग) उड़ीसा में आदिवासी उप-योजना की संरचना का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आदिम जनजातियों के विकास के लिए उड़ीसा राज्य में दस "माइक्रो" परियोजनाएं हैं। 8 माइक्रो परियोजनाएं उड़ीसा के जनजाति उप-योजना क्षेत्रों मे कार्य कर रही हैं।

(ख) कोरापुट, सुन्दरगढ़, मयूरभंज, कियोनझार, गनजम और फूलबती।

(ग) उड़ीसा के जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत 18 खंड आते हैं जिनका गठन 21 समग्र जनजाति विकास परियोजनाओं में किया जाता है। 19 समग्र जनजाति विकास परियोजनाओं का भौगोलिक क्षेत्र संबंधित राजस्व उप-मंडल सीमा के साथ ही समाप्त होता है। शेष दो समग्र जनजाति विकास परियोजनाओं में संबंधित राजस्व उप-मंडल के कुछ भाग ही आते हैं। 15 समग्र जनजाति विकास परियोजनाओं में स्वतंत्र रूप से श्रेणी-I के अधिकारी परियोजना प्रशासकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। चार छोटे समग्र जनजाति विकास परियोजनाओं में संबंधित उप-मंडलीय अधिकारी, परियोजना प्रशासकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक समग्र जनजाति विकास परियोजना में समीप के समग्र जनजाति विकास परियोजना के प्रशासक अतिरिक्त प्रभारी है। प्रत्येक समग्र जनजाति विकास परियोजना के लिए एक परियोजना स्तर की एक समिति गठित की गई है, जिसका अध्यक्ष संबंधित समाहर्ता है। गैर सरकारी कर्मचारी जैसे संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य और पंचायत समिति के अध्यक्ष इसके सदस्य हैं।

स्कूटर इकाइयां और स्कूटर्स इण्डिया में घाटा

3983. **श्री आर के० महालगी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्कूटर्स इण्डिया की कितनी इकाइयों को लाइसेंस दिए गए थे और ये इकाइयां किन-किन स्थानों पर थीं;

(ख) 31 मार्च 1980 तक स्कूटर्स इण्डिया का कुल घाटा कितना था; और

(ग) लाइसेंसशुदा इकाइयों में कितनी इकाइया बंद हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड लखनऊ के 7 लाइसेंसधारी थे। उनके नाम तथा स्थान नीचे दिए जाते हैं :—

नाम	स्थान	राज्य
1. आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड	पटनचेरू	आंध्र प्रदेश
2. कर्नाटक स्कूटर्स लिमिटेड	मद्दूर	कर्नाटक
3. स्कूटर्स केरल लिमिटेड	अल्लेपी	केरल
4. पंजाब स्कूटर्स लिमिटेड	नाभा	पंजाब
5. तवी स्कूटर्स लिमिटेड	जम्मू	जम्मू तथा कश्मीर
6. वेस्ट बंगाल स्कूटर्स लिमिटेड	खड़गपुर	पश्चिमी बंगाल
7. बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	फतुआ	बिहार

(ख) 1978 करोड़ रुपये।

(ग) पंजाब स्कूटर्स लिमिटेड ने स्कूटरों का उत्पादन बन्द कर दिया है। स्कूटर्स केरल, तवी स्कूटर्स, जम्मू और वैस्ट बंगाल स्कूटर्स स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के कारखाने और श्रमिक ठेकेदारों के रूप में काम कर रहे हैं।

दिल्ली में सांगली मैस की भूमि को महाराष्ट्र सरकार को दिया जाना

3984. श्री बी० एन० गाडगिल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के विस्तार के लिए सांगली मैस की भूमि महाराष्ट्र सरकार को आबंटित कर दी है;

(ख) क्या भूमि रक्षा कर्मचारियों के लिए स्वीकृत है; और

(ग) सरकार का इसका कब्जा महाराष्ट्र सरकार को कब दिए जाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सदन के विस्तार के लिए सांगली मैस क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है। इस भूमि पर सेना के विवाहित अफसरों के लिए कुछ मकान बने हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने निर्माण और आवास मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके, यह भूमि निम्नलिखित शर्तों पर महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है :—

(क) इस भूमि के बदले में रक्षा मंत्रालय को इतनी ही भूमि दी जाये ताकि उसके पास 3.8 एकड़ भूमि रह जाए।

(ख) विस्थापित परिवारों के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय बदले में आवास का प्रबन्ध करे।

उपरोक्त मद (क) के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय सहमत है। आवास के वैकल्पिक आबंटन का जहाँ तक संबंध है वे उसके लिए भी तैयार है। लेकिन आबंटन सम्बन्धी ब्यौरा, निर्माण और आवास मंत्रालय के साथ अभी तय किया गया जाना है। स्कीमों मंत्रालयों को मान्य नियमों और शर्तों के अनुसार वैकल्पिक भूमि का आबंटन होते ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गयी भूमि खाली कर दी जायेगी।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में हाथी द्वारा महिला की हत्या

3985. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में हाथी द्वारा महिला की हत्या के बारे में 1८ मई, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 1140 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृतक परिवार के सदस्यों को अंडमान और निकोबार प्रशासन ने मुआवजे का भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने मृतक पूर्णालक्ष्मी के कानूनी वारिस को तत्काल राहत के रूप में 1,000 रु० दिए हैं। अंडमान और निकोबार प्रशासन कृषि मंत्रालय के परामर्श से मुआवजा देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

राज्यों की राजधानियों में दर्ज अपराध

3986. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली सहित राज्यों की राजधानियों में दर्ज किए गए अपराधों को नगरवार और माहवार संख्या क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

भारत में बेरोजगार लोग

3987. **श्री हन्नान मोल्लाह** :
श्री जनार्दन पुजारी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में दिसम्बर, 1980 के अन्त तक इंजीनियरों, डाक्टरों, मैट्रिकुलेट लोगों, एस० ए०, बी० ए० तथा पी० एच० डी० डिग्रीधारियों की राज्यवार संख्या क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31-12-1980 को प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शैक्षिणिक स्तरों द्वारा वर्गीकृत नौकरी चाहने वाले शिक्षितों (मैट्रिक और इससे ऊपर) की संख्या

(अनन्तिम)

31-12-1980 को चालू रजिस्टर पर संख्या

	राज्य	मैट्रिकुलेट	निम्नलिखित में स्नातक				कालम 4 से 7 तक का योग
			हायर सैकेन्डरी	कला	इंजीनियरी	मेडिसिन	अन्य	
1		2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	362346	153564	24625	2709	3570	66307	97411
2	असम	87623	31548	12541	15	93	6652	20301
3	बिहार	722628	208556	91154	7053	1·97	63045	162449
4	गुजरात	202687	24934	15061	620	959	24163	41803
5	हरियाणा	109664	25487	18798	211	237	13719	33135
6	हिमाचल प्रदेश	53547	11009	4840	219	2	2134	7195
7	जम्मू एवं कश्मीर	7310	5299	3338	221	7	2557	11125
8	कर्नाटक	250835	37228	31422	1784	775	33254	67235

1		2	3	4	5	6	7	8
9	केरल	643102	78615	29321	1538	835	38780	70474
10	मध्य प्रदेश	32367	251339	33846	1029	908	37305	73088
11	महाराष्ट्र	469713	53652	48062	8?7	714	44588	94241
12	मणीपुर	33435	10559	7242	217	1	1272	8732
13	मेघालय	2526	1003	470	—	5	219	694
14	नागालैंड	1581	217	51	—	—	22	73
15	उड़ीसा	104427	24390	32471	279	412	17604	50766
16	पंजाब	123920	43014	33269	311	354	22999	46933
17	राजस्थान	56612	69612	14480	430	232	28914	44056
18	सिक्किम*							
19	तामिलनाडु	343118	92757	36695	2164	1937	60235	100131
20	त्रिपुरा	20087	8911	2875	22	—	1313	42:0
21	उत्तर प्रदेश	269114	326879	110629	304	:76	56959	168268
22	पश्चिम बंगाल	509849	522393	88393	1272	335	105624	195624

31-12-1980 को चालू रजिस्टर पर संख्या

राज्य		निम्नलिखित में स्नातकोत्तर				कालम 9 से 12 तक का योग	कुल शिक्षित (मैट्रिक तथा उनसे अधिक) कालम 2, 38, तथा 13
		कला	इंजीनियरी	मेडीसीन	अन्य		
1		9	10	11	12	13	14
1	आन्ध्र प्रदेश	7901	29	64	8363	16357	631678
2	असम	103	—	—	102	205	139677
3	बिहार	3349	958	246	4862	9415	1103248
4	गुजरात	1229	—	11	1715	2955	271389
5	हरियाणा	2556	20	22	1208	3806	171992
6	हिमाचल प्रदेश	732	48	—	422	1202	72953
7	जम्मू व कश्मीर	937	10	—	703	1650	20382
8	कर्नाटक	3419	12	8	1699	5138	360436
9	केरल	2487	11	5	2444	4947	797138
10	मध्य प्रदेश	8789	17	15	5775	14596	371390
11	महाराष्ट्र	4524	28	115	5381	10048	627654
12	मणीपुर	544	—	—	175	719	53445

1		9	10	11	12	13	14
13	मेघालय	54	—	—	30	84	4307
14	नागालैंड	3	—	—	—	3	1874
15	उड़ीसा	747	—	2	541	1290	180873
16	पंजाब	6307	6	5	1667	7985	231852
17	राजस्थान	2798	—	14	2013	4825	175105
18	सिक्कम*						
19	तमिलनाडु	7816	4	5	3551	11376	547382
20	त्रिपुरा	115	—	—	63	178	33366
21	उत्तर प्रदेश	179 2	1	5	4825	22743	787004
22	पश्चिम बंगाल	2343	32	18	2306	4699	1232565

लोक सभा के अतरांकित प्रश्न संख्या 3987 दिनांक 18-8-1981 के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

31-12-1980 को प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शैक्षणिक स्तरों द्वारा वर्गीकृत नोकरी चाहने वाले शिक्षितों (मैट्रिक और इससे ऊपर) की संख्या

(अनन्तिम)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31-12-1980 को चालू रजिस्टर पर संख्या						
	मैट्रिकुलेट	हायर सैकेन्डरी	निम्नलिखित में स्नातकोत्तर				कालम 4 से 7 तक का योग
			कला	इंजीनियरी	मेडिसिन	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8
संघ राज्य क्षेत्र							
1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17834	1194	249	—	—	296	545
2 अरूणाचल प्रदेश*							
3 चण्डीगढ़	13210	6950	4362	214	324	2497	7397
4 दादरा एवं नागर हवेली*							
5 दिल्ली	104887	72848	27774	980	1926	38486	69166
6 गोवा	11133	1931	1122	51	162	1170	2505
7 लक्ष्यद्वीप	1090	60	32	4	6	26	68
8 मिजोरम	4064	18	325	—	—	10	335
9 पाण्डिचेरी	12764	3466	1022	96	99	1653	2870
अखिल भारतीय योग	4555373	2067433	675469	22620	14776	674073	1386938

नोट : *1 इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2 दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब को छोड़कर विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्रों से सम्बन्धित आंकड़े शामिल नहीं हैं।

पिछले पृष्ठ से

31-12-1980 को चालू रजिस्टर पर संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित में स्नातकोत्तर				कालम 9 से 12 तक का योग	कुल शिक्षित (मैट्रिक तथा उससे अधिक कालम 2, 3, 8 तथा 13
	कला	इंजीनियरी	मैडिसिन	अन्य		
1	9	10	11	12	13	14
1 संघ राज्य क्षेत्र						
1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21	—	—	8	29	3502
2 अरूणाचल प्रदेश*						
3 चण्डीगढ़	847	8	6	1165	2026	29583
4 दादरा एवं नागर हवेली*						
5 दिल्ली	2210	52	1289	3823	7374	254275
6 गोवा	70	—	7	63	140	15709
7 लक्ष्यद्वीप	8	—	—	7	15	1233
8 मिजोरम	13	—	—	3	16	4433
9 पाण्डिचेरी	135	—	—	130	305	19405
अखिल भारतीय योग	78009	1236	1837	53034	134126	81,43,870

नोट : (पिछले पृष्ठ के जारी है)

3 रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी नौकरी चाहने वाले अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं हैं।

4 क्योंकि पंजीकरण स्वेच्छित है इसलिए हो सकता है सभी बेरोजगार व्यक्ति अपना पंजीकरण न करवाते हों।

रोजगार केन्द्रों में 1980 के दौरान पंजीकृत बेरोजगार लोगों की संख्या

3988. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980 के दौरान बेरोजगारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश में रोजगार केन्द्रों में 1980 के दौरान पंजीकृत कुशल और अकुशल लोगों की संख्या क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिये क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) वर्ष 1980 के दौरान रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की सख्या (यह जरूरी नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों) में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई ।

(ख) 31-12-1979 की रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या से संबंधित उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है :—

	(लाखों में)
कुशल तथा अर्धकुशल	7.9
अकुशल	33.2

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में यह परिकल्पना की गई है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम रोजगार की पर्याप्त सम्भावनाएं प्रदान करेंगे । जिला जनशक्ति आयोजना और रोजगार सृजन परिषदों को गठित कर के जनशक्ति आयोजना और रोजगार सृजन के विकेन्दीकृत नीति अपनाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता मिलेगी ।

कर्नाटक में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना

3989. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में और जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में कितने केन्द्रों की स्थापना की जानी है; और

(ग) कर्नाटक में उन स्थानों के नाम क्या है, जहां इन केन्द्रों की स्थापना की जायेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) अब तक 382 जिला उद्योग केन्द्रों कोचिन में 392 जिले विहित हैं स्वीकृति दे दी गई है । शेष जिलों को सम्मिलित करने के बारे में जैसे ही सम्बद्ध राज्य/संघ शासित क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त होंगे वैसे ही उन पर विचार किया जाएगा ।

(ख) और (ग) कर्नाटक के 19 जिलों में से 13 जिलों के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शेष जिलों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार से अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में उद्योग की स्थापना करना

3990. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) पिछड़े क्षेत्रों सहित मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में विशेष रूप से इन क्षेत्रों की औद्योगिक क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) देश में 246 जिलों (जैसा कि विवरण 1 में दिया गया है) को रियायती वित्त तथा अन्य सुविधाएं पाने के लिए पात्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है। इनमें से 101 जिलों/क्षेत्रों (जैसाकि विवरण-2 में दिया गया है) का केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के लिए भी पता लगाया गया है।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से औद्योगिकीकरण करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है :—

(1) निवेश राजसहायता की केन्द्रीय योजना।

(2) अखिल भारतीय सांवधिक ऋणदाता वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं।

(3) कर सम्बन्धी रियायतें।

(4) लघु उद्योगों द्वारा राष्ट्र लघु उद्योगों से मशीनरी की किराया खरीद।

(5) तकनीकी सेवाओं के लिए परमर्श।

(6) ब्याज राज सहायता।

(7) कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं।

(8) ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम।

(9) ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम।

(10) जिला उद्योग केन्द्र।

विवरण-1

वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्त लेने हेतु पात्रता के लिए चुने गये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची

आन्ध्र प्रदेश (14)	अनन्तपुर, चित्तूर, कुडप्पा, करीमनगर, खमाम, कुरनूल, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, नेलोर, निजामाबाद, अंगोले, श्री काकुलम, और वारंगल।
असम (7)	कछार, गोलपारा, कामरूप, गिकिर, हिल्स, नार्थ कछार हिल नौगांव और न्यू लखीमपुर जिला।
बिहार (18)	भागलपुर, चम्पारन*, दरभंगा*, मुज्जफरपुर*, पालमऊ, पूर्णिया, सहरसा, सन्थाल परगना, सारन*, नालन्दर, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर, बेगूसराय और मूंगेर।

गुजरात (10)	अमरोली, बनासंकठा, भावनगर, भडांच, जूनागढ़, कछ, मेहसाना, पंचमहल्स, साबरकंठा और सुरेन्दरनगर ।
हरियाणा (4)	भिवानी, हिसार**, जीन्द और मोहिन्द्रगढ़** ।
हिमाचल प्रदेश (7)	छम्ब, कांगड़ा*, किन्नौर, कुलू, लाहौल और स्पिति, सोलन और सिरमूर ।
जम्मू और काश्मीर (10)	अनन्त नाग, बारामूला, डोढी, जम्मू, कठआ, लद्दाख, पूंछ, राजैरी, श्रीनगर और उधमपुर ।
केरल (5)	एलेप्पी, केदानोर, मालापुरम, त्रिचुर और त्रिवेन्द्रम ।
कर्नाटक (11)	बेलग्राम, बीदर, बीजापुर, धाडवार, गुलबर्गा, हसन, मैसूर, नार्थ कनारा, राइचूर, साउथ कनारा और तुमकूर ।
मध्य प्रदेश (36)	बालाघाट, बस्तर, बेतूल, बिलासपुर, भिण्ड, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, देवास, गुना, होसंगाबाद, झाबुआ, खरगोन, मंडला, मन्दसौर, मोरेना, नरसिम्हपुर, रायगढ़, रायपुर, राजनन्दगांव, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, रेवा सागर, शिवनी शजापुर, शिवपुरी, सिधी सुरगुजा, टीकमगढ़, विदिशा और न्यू सिहोर जिला ।
महाराष्ट्र (13)	औरंगाबाद, भंडारा, भोर, बुलढाना, चांदा, गुलाब, धूलिया, जलगाँव, नन्देड, उसमानाबाद, प्रभनी, रत्नगिरि और यवतमल ।
मणिपुर (5)	पांचों जिले ।
मेघालय (2)	गोरी हिल्स* और यूनाइटेड खासी और जन्तिया*, हिल्स ।
नागालैंड (3)	कोहिमा, मेकोकंचुग और तनसंग ।
उड़ीसा (8)	बालासौर, बालगिर, धनेकनाल, बालाहंडी, केनझर, कोरापुट, मयूरगंज और संगरूर ।

पंजाब (5)	भटिन्डा*, फिरोजपुर**, गुरूदासपुर, होशयारपुर तथा संगरूर।
राजस्थान (16)	अलवर, बांसवाड़ा, बारमेड, भीलवाड़ा, चुरू, डूंगरपुर, जेसलमेर, जालोर, झुनझुनू झालावाड़, जोधपुर, नागौर, सिकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर।
सिक्किम (4)	गंगटोक, मंगल, ग्यालसिंग और नामची।
तमिलनाडु	धरमपुरी, कन्याकुमारी, मदुरै, नार्थ अर्काट, रामानाथपुरम, साउथ आरकोट, तजौर तिरूचापल्ली और पुडुकोट्टाई जिले।
त्रिपुरा (3)	तीनों जिले।
उत्तर प्रदेश (38)	अल्मोड़ा, आजमगढ़, बदाऊं, बहराइच, बलिया, बांदा, बारावंकी, बस्ती, बुलन्दशहर*, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरूखाबाद, गढ़वाल, गाजीपुर, गोंडा, हमीदपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुलतानपुर, टिहरी, गढ़वाल, उन्नाव और उत्तर काशी।
पश्चिम बंगाल (13)	कुरा, बीरभूम, बर्दवान, कूच बिहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुडी, मालदा, मिदनापुर, मुर्शीदबाद, नदिया, पुर्लिया, और वेस्ट दिनाजपुर।
अंडमान और निकोबार	समस्त क्षेत्र
अरूणाचल प्रदेश	समस्त क्षेत्र
दादरा और नागर हवेली	समस्त क्षेत्र
गोवा, दमन और द्वीप	समस्त क्षेत्र
लक्षदीप	समस्त क्षेत्र
मिजोरम	समस्त क्षेत्र
पांडिचेरी	समस्त क्षेत्र

*जिला जैसे कि उसकी स्थिति हाल ही में किये गये पुनर्गठन के पूर्ण विद्यमान थी।

**जिला जैसा कि हाल ही में पुनर्गठित किया गया है।

विवरण-2

केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजनाओं के लिये पात्र जिले/क्षेत्र

1. आंध्र प्रदेश

श्रीकाकुलम जिला और पांच क्षेत्र

रायलसीमा प्रदेश के 2 क्षेत्र जिसमें 22 ब्लाक है :—

क्षेत्र 1 : इसमें 13 ब्लाक अर्थात चित्तूर बांगरूपालम, पुलीचेरला, पत्तूर, चन्द्रगिरि, व कलाहास्थी (चित्तूर जिले से) तथा कोडर, राजमपेट, सिधोना, गुडाप्पा, कमालपुरम, प्रादुत्तूर तथा पालीवेंडला (गुडाप्पा जिले से) आते हैं।

क्षेत्र 2 : इसमें 9 ब्लाक अर्थात तदपत्तरी, सिंगनामला, गूटी, कुदेसर (अनन्तपुर जिले से) व धोन, कुरनूल, बंगनापल्ली, बन्यात और गिददालुर (कुरनूल जिले से) आते हैं।

तेलंगाना प्रदेश के तीन क्षेत्र जिसमें 43 ब्लाक हैं :—

क्षेत्र 1 : इसमें 14 ब्लाक अर्थात महबूब नगर, जदुवेरला, शादनगर, कलवाकर्वी व अंभगल (महबूब नगर जिले से) और नालगोन्डा, सुगाडी, नकराकल, सूर्यापेट, कोडड, कुजरनगर, मीसयालगुडडा पेट्टावोरा तथा देवकोन्डा (नालगोन्डा जिले से) आते हैं।

क्षेत्र 2 : इसमें 14 ब्लाक अर्थात खम्मम, थिरूमताथपालम, कल्लूर, येतान्डु, कोट्टामुडम, असवरावेट, पुरागमपेट तथा भाद्राचलम (खम्सम जिले से) और महबूबाबाद, नरसमपेट, अनकोन्डा, धानापुर जनगांव और मुबग (वारंगत जिले से) आते हैं।

क्षेत्र 3 : इसमें 15 ब्लाक अर्थात जहीराबाद, पाटनचेरव, नरसापुर, मूंडक ओर सिढढीपेट (मेडक जिले से) येडापल्ली, निजामाबाद, कामारेडी और डेमाकोन्डा (निजामाबाद जिले से) और सिरिल्ला, करीमनगर सुलतानाबाद, पेडापल्ली, मन्थाली और हजूराबाद (करीमनगर) जिले से आते हैं)।

2. असम गोलपाडा, मिकिहिल्स, कामरूप, नौगांव, कछार और लखीमपुर जिले।

3. बिहार भागलपुर, दरभंगा, चम्पारन, पालामऊ, सहरसा और संथाल परगना जिले।

4. गुजरात — पंचमहल, भडोंच और सुरेन्द्र नगर जिले ।

5. हरियाणा — पुनर्गठित महेन्दरगढ़ जिला (जिसमें मेहिन्दरगढ़ और रेवाड़ी उपखण्ड आता है (भिवानी जिला) जिसमें भिवानी तथा दादरी उपखंड तथा 8 ब्लाक का एक क्षेत्र अर्थात हिसार ब्लाक नम्बर एक बरवाना ब्लाक (हिसार तहसील से) तोहना ब्लाक (फतेहाबाद तहसील से) हिसार जिले से जीर्ण ब्लाक और जुलाना ब्लाक (जीर्ण तहसील से) उद्दना ब्लाक (नरवाना तहसील) जिंद जिले से ।

*यह 10 जुलाई, 1972 के बाद चुने गये जिले/उपखंड/तालुक/ब्लाक तहसील बताता है ।

**यह वह जिले बताता है जैसे कि हाल ही में किये गये पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे ।

6. हिमाचल प्रदेश — कांगड़ा, चम्बा,* कुलू,* सिरगुर* तथा सोलन* जिले ।

7. जम्मू तथा कश्मीर — जम्मू, श्रीनगर, अनन्तनाग,* डोडा,* बारामूला* और पूंछ* जिले ।

8. कर्नाटक — रायचूर, मैसूर* तथा धारवाड़* जिले ।

9. केरल — एलेप्पी, कन्नानोर* तथा मालापुरम* जिले ।

10. मध्य प्रदेश — छः क्षेत्र

क्षेत्र 1 : (पूर्वीय प्रदेश के) इसमें 12 ब्लाक अर्थात, कोरबा, बलोदा, चम्पा, कोटा, मस्तूरी तथा बिल्हा (बिलासपुर ब्लाक) बिलासपुर जिले से (भाटापारा सिमगा, टिल्डा भारसिवा (रायपुर) अभनपुर तथा राजिम ब्लाक (रायपुर जिले से) आते हैं ।

क्षेत्र 2 : (पश्चिमी प्रदेश के) इसमें 10 ब्लाक अर्थात देवास और टोंक खुर्द ब्लाक (देवास जिले से) मुलोना, शुजालपुर और शाजापुर ब्लाक (शाजापुर जिले से) पंचोर (सारंगपुर) और ब्यावटा ब्लाक (राजगढ़ जिले से) और छछोरा रोघोगढ़ और गुना ब्लाक (गुना जिले से) आते हैं ।

क्षेत्र 3 : (उत्तरी क्षेत्र से) इसमें 9 ब्लाक अर्थात शिवपुरी, तथा करेरा (शिवपुरी जिले से) दत्तिया तथा सिऔंधा (दत्तिया जिले से) भिन्ड, मेहगांव तथा गोहाद (भिन्ड जिले से) तथा मोरेना और जाओरा (मोरेना जिले से) आते हैं ।

क्षेत्र 4 : * (केन्द्रीय क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात बीना, इटावा खुरी बांदा (बिनैका), राहतगढ़, सागर, शाहगढ़ अमरपाटु (सागर जिले से) टीकमगढ़, वल्देवगढ़ (टीकमगढ़ जिले से) विदिशा और ग्यारसपुर (विदिशा जिले से) और छतरपुर (छतरपुर जिले से) आते हैं।

क्षेत्र 5 : *(पिश्चमी क्षेत्र 2 से) इसमें 12 ब्लाक अर्थात पेटलावाद, धार और नतोहा (धार जिले से) महेश्वर और बरवाहा (खारगोन जिले से) रतलाम और जावरा (रतलाम जिले से) मदंसौर मल्हरगढ और नीमच (मन्दसौर जिले से)

क्षेत्र 6 : *(उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात रीवां, और रायपुर गढ़ (रीवां जिले से) मझौली, सीधी डूसर और वैधान (सीधी जिले से) सोनहट, मैकुठपुछ, महेन्दरगढ, सूरजपुर और अंबिकापुर (सरगुजा जिले से)

11. मणिपुर — सभी पांच जिले।

12. मेघालय — गोरोहिल्स, तथा संयुक्त खासी और जंतिया हिल्स

*यह 10 जुलाई 1982 के पश्चात चुने गये जिले/उपप्रभाग/ताल्लुक/ब्लाक/तहसील बताता है।

**यह वह जिले बताता है जैसे कि हाल ही में पुनर्गठन से पूर्व विद्यमान थे।

13. महाराष्ट्र — रतनगिरी, औरंगाबाद और चन्दनपुर जिले।

14. नागालैंड — कोहिमा, मंकोचुग, त्युनसेंग जिले।

15. उड़ीसा — कालाहनन्दी, मयूरभज, बोलनगिरी*, धनकानाल, क्योझर* और कोरापुरट* जिले।

16. पंजाब — होशियारपुर, संमरूर* और भटिण्डा जिले।

17. राजस्थान — अलवर, जोधपुर, भीलवाडा*, चुरू*, नागौर और उदयपुर जिले।

18. सिक्किम — गंगटोक* ग्यानसिंग, मेंगन* और नामची* जिले (16.5.1975 से शामिल)।

19. तमिलनाडु — तीन क्षेत्र टैक्टस जिसमें 33 ताल्लुके है :—

एक क्षेत्र : जिसमें 12 ताल्लुके (सब ताल्लुक मिलाकर) रामानाथापुरम, मदुकुताथुर, शिवागंगा, परमाकुडी, स्थिरवादानी, कारईकुडी और स्थिरूपाथुर ताल्लुक (मदुराई जिले से) पड़कोटाटाई थिरूमायम, आलमगुडडी और कुलाथुर ताल्लुक (पुडाकोटाई जिले से)

	2 ट्रेक्टस : 11 जिसमें धर्मपुरी, पालाकोड, होसूर देनकानि कोटह कृष्णागिरी उठीनगराय, हरूर (धरमपुरीजिले से) तरपादुर, वानियामबादी वल्लूर, बालाजपेट (उत्तर आरकोट जिले से)
	3 ट्रेक्टस : जिसमें 10 ताल्लुक, अरूपाकोटाइ, सत्तूर, विरुधनगर, श्रीविलीपुटुर, राजपतयम (रामानाथपुरम के प० रामानाथापुरम जिले से) तिरूमंगलम, डसिलामपट्टी नीलाकोथाठ, डिन्डी गल और वेदासन्दूर (मदुराई जिले से)
20. त्रिपुरा	सभी 3 जिले ।
21. उत्तर प्रदेश	बलिया, झांसी**, अल्मोडा*, बस्ती,* फैजाबाद**, और रायबरेली* जिले ।
22. पश्चिम बंगाल	पुरूलिया, मिदनापुर* और नादिया* जिले ।

केन्द्र शासित क्षेत्र

1. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	पूरा संघीय क्षेत्र
2. अरूणाचल प्रदेश	वही
3. दादरा और नागर हवेली	वही
4. लक्षद्वीप	वही
5. मिजोरम	वही
6. गोवा, दमन और द्वीप	संघीय क्षेत्र की राजधानी की नगरीय सीमा के भीतरी क्षेत्र को छोड़कर समस्त संघीय क्षेत्र
7. पांडिचेरी	पांडिचेरी के नगरपालिका क्षेत्र के कोर छवरोल दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी बुलेवर्ड सम्मिलित नहीं है ।

*10.7.1972 के बाद चुने गये जिले/सब-डिवीजन्स/ताल्लुक/ब्लाक तहसीलों को दर्शाता है ।

**अभी हाल ही में किये गये उनके पुनर्गठन से पूर्व जिलों को प्रदर्शित करता है ।

बड़े-बड़े उद्योग गृहों के आशय-पत्रों को रद्द करना

3991. **प्रो० नारायणचन्द पराशर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बड़े-बड़े उद्योग गृह पहले तो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना के लिये लायसेंस प्राप्त कर लेते हैं और फिर किसी न किसी बहाने उक्त एकक स्थापित करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर देते हैं जिसके फलस्वरूप संबंधित-क्षेत्र में औद्योगिक प्रगति में विलम्ब पैदा हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनके द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में एककों की स्थापना में असमर्थता प्रकट किये जाने के बाद उनके विरुद्ध उनके लायसेंस/आशय पत्र रद्द करने अथवा भविष्य में उन्हें लायसेंस न देने के प्रयोजनार्थ उन्हें काली सूची में रखने जैसी कड़ी कार्यवाही करती है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सरकार समूचे देश के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को बहुत महत्व देती है ताकि विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास के स्तरों में असमानता को प्रगामी रूप से कम किया जा सके। आशय-पत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने सम्बन्धी सभी आवेदनों पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन स्थापना-स्थल सम्बन्धी दृष्टिकोण को विशेष ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। सरकार का यह प्रयत्न है कि उद्योगों को घनी आबादी वाले महानगरों से पिछड़े क्षेत्रों में स्वीकृत स्थापना-स्थल पर स्थानान्तरित करने को प्रोत्साहित किया जाये तथा सामान्यत: उद्योगों को स्वीकृत पिछड़े क्षेत्रों से जो अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र घोषित नहीं हैं वहां स्थानान्तरित करने को निरुत्साहित किया जाये।

(ख) एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार के अन्तर्गत आये उपक्रम को किसी प्रकार का स्थापना-स्थल सम्बन्धी परिवर्तन करने के बारे में कम्पनी कार्य विभाग तथा उपयुक्त लाइसेंसिंग समिति से स्वीकृति लेनी पड़ती है नियमानुसार, पिछड़े क्षेत्र से गैर-पिछड़े क्षेत्र में स्थापना-स्थल परिवर्तन करने की स्वीकृति नहीं दी जाती है। ऐसी परिस्थितियों में औद्योगिक लाइसेंस रद्द या व्यपगत हो जाना ही काफी बड़ा निवारक है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल) में जिला उद्योग केन्द्रों का कार्यकरण

3992. **श्री सन्त कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल) में जिला उद्योगकेन्द्रों के कार्यकरण में बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सुन्दरबन (पश्चिमी बंगाल) में कोई अलग जिला उद्योग केन्द्र नहीं है। वर्ष 1978-79 में 24 परगना जिले में स्थापित किए गए जिला उद्योग केन्द्र के ही अन्तर्गत सुन्दरबन क्षेत्र भी आता है। कुछ जिला उद्योग केन्द्रों का राज्य सरकारों के परामर्श से उनका वर्तमान प्रबन्ध प्रभावपूर्ण ढंग से चलने के बारे में मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के आधार पर जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यक्रम के पुनर्निधारण के कुछ प्रस्तावों पर हाल ही में हुई राज्य उद्योग मन्त्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। सम्मेलन में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए जिला उद्योग केन्द्रों की योजना में संशोधन किया जाएगा।

दो पहियों के स्कूटर की कमी तथा उनका उत्पादन

3993. **श्री भीखा भाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो पहियों के स्कूटरों की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1979-80 अर्थात, मार्च 1980 को समाप्त वर्ष में विभिन्न किस्म के दो पहियों वाले स्कूटरों की माँग क्या थी;

(घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात, 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान विभिन्न किस्म के स्कूटरों का कम्पनी-वार उत्पादन क्या था;

(ङ) दो पहियों वाले स्कूटरों के उत्पादन में वृद्धि के क्या उपाय किये गये हैं;

(च) क्या दो पहियों के स्कूटरों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये आशय पत्र देने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो उन सभी कम्पनियों के नाम क्या हैं, नाम सहित, जिन्हें उत्पादन में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) बजाज तथा प्रिया स्कूटरों जिसे उपभोक्ता अधिक पसन्द करते हैं की काफी बड़ी प्रतीक्षा सूची है अन्य मेक तत्काल उपलब्ध हैं।

(ग) योजना आयोग द्वारा परिवहन, मिट्टी हटाने के उपकरणों तथा कृषि सम्बन्धी मशीनों के लिए स्थापित कार्यकारी दल ने बताया था कि 1979-80 में दो पहिये वाले स्कूटरों को मांग 2,60,000 नग होगी।

(घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ङ) दो पहिये वाले स्कूटरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों में मे० बजाज आटो लिमिटेड की क्षमता 80,000 नग से बढ़ाकर 160,000 नग करना तथा सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम स्कूटर्स इण्डिया लि० को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनः स्थापना तथा आधुनिकीकरण के लिए धन का प्रावधान करना शामिल है।

(च) स्कूटरों का निर्माण करने के लिए एक नया कारखाना स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, मोपेडों के सम्बन्ध में औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाने के लिए एक आवेदन पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है।

(छ) स्कूटरों के सम्बन्ध में मे० बजाज आटो लिमिटेड, पुणे को अपनी क्षमता 80,000 नग प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,60,000 नग प्रतिवर्ष कर देने की अनुमति दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कूटरों (दो पहिये वाले) का उत्पादन

क्र० सं०	फर्म का नाम	उत्पादन नगों में		
		1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5
1.	मे० आटोमोबाईल प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०, बम्बई	20474	26844	26407
2.	मे० बजाज आटो लि०, पुणे	85134	81422	62613
3.	मे० स्कूटर्स इण्डिया लि०, लखनऊ	16717	23101	33994
4.	मे० एस्कार्टस लि०, फरीदाबाद	676	221	—
5.	मे० महाराष्ट्र स्कूटर्स लि०, पुणे	27382	27279	18986
6.	मे० आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लि०, पाटनचेरु	8133	10265	9532
7.	मे० गुजरात स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, अहमदाबाद	222	291	1082

1	2	3	4	5
8.	मे० अरावली स्वचालित वाहन लि०, अलवर	965	424	—
9.	मे० पंजाब स्कूटर्स लि०, नाभा (पंजाब)	2572	1666	—
10.	मे० बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, फत्तवा (पटना)	75	—	—
11.	मे० कर्नाटक स्कूटर्स लि०, बंगलौर	3523	3690	2831
12.	मे० वेस्ट बंगाल स्कूटर्स लि०, कलकत्ता	610	—	—
	कुल	166484	175203	155445

गृह मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

3994. **श्री एन० सुन्दरराजन :**
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय के नई दिल्ली कार्यालय में श्रेणी-वार कुल कितने-कितने कर्मचारी काम करते हैं; और

(ख) इनमें से श्रेणी-वार अनुसूचित जातियों औरअ नुसूचित जनजातियों से संबंधित कितने कितने कर्मचारी हैं और उनमें श्रेणी-वार उनकी अपनी निजी प्रतिशतता क्या क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के विषय में पूछी गई सूचना का एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्रम सं०	पदों की श्रेणी	9-3-1981 को कर्मचारियों की कुल संख्या	कालम 3 में उल्लिखित कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत	कालम 3 में उल्लिखित कर्मचारियों में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या और उनका प्रतिशत
1.	ग्रुप—"क"	98	5 (5%)	2 (2%)
2.	ग्रुप—"ख"	438	46 (10.50%)	8 (1.83%)
3.	ग्रुप—"ग"	636	76 (11.95%)	7 (1.10%)
4.	ग्रुप—"घ"	1144	219 (19.15%)	40 (3.50%)

वैज्ञानिक अधिकारियों को मुख्यालय विशेष वेतन

3995. **श्री सी० चिन्ना स्वामी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी० जी० आई० मानकीकरण निदेशालय और डी० टी० डी० तथा पी (एयर) में काम करने वाले 30-35 वैज्ञानिक अधिकारियों के मुख्यालय विशेष वेतन का मामला सरकार के पास 1976 से लम्बित पड़ा है जबकि अन्य मुख्यालय संगठन में उनके समान काम करने वाले अधिकारी मई 1978 से यह वेतन ले रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कानूनी सलाहकार ने लिखित रूप में बताया है कि इन अधिकारियों को मुख्यालय विशेष वेतन अदा किया जाना है;

(ग) क्या विलम्ब के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन वैज्ञानिक अधिकारियों को मुख्यालय वेतन के भुगतान के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) निरीक्षण महानिदेशालय की रक्षा किस्म नियंत्रण सेवा और तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु) की रक्षा वैज्ञानिकी किस्म नियंत्रण सेवा के अफसरों को मुख्यालय विशेष वेतन मंजूर करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा। आशा है शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(ख) कानूनी सलाहकार (रक्षा) का मत है कि मानकीकरण निदेशालय के अफसर भी विशेष वेतन पाने के हकदार हैं।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

सामाजिक सर्वेक्षण

3996. श्री सूरजभान : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक आंकड़ों पर राष्ट्रीय सेमीनार ने 1975 में यह सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन और भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद रिसर्च की संयुक्त परियोजना के रूप में सामाजिक रुखों अर्थात् सामाजिक सर्वेक्षण की वार्षिक संवीक्षा शुरू की जाए;

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक की गयी कार्रवाई का विवरण क्या है; और

(ग) क्या संसद के सम्मुख प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण के साथ सामाजिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत किया जायेगा ?

योजना एवं श्रम मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) संगोष्ठी (सेमीनार) की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सामाजिक सांख्यिकी सम्बन्धी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने का निश्चय किया गया था और यह रिपोर्ट भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के सहयोग से समाप्ति के अन्तिम चरण में है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

असम के सरकारी कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन में भाग लिया जाना

3997. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागरिक अधिकार संरक्षण समिति के एक शिष्ट मण्डल ने प्रधानमन्त्री से आग्रह किया है कि वर्तमान आंदोलन में असम के सरकारी कर्मचारियों द्वारा भाग लिए जाने के खिलाफ कठोर कार्यवाही करें; और

(ख) यदि हां, तो नागरिक अधिकार संरक्षण समिति की मांग का ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) नागरिक अधिकार संरक्षण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने 20-2-1981 को प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन दिया था। उनके सुझाव और मांगे विवरण में है।

विवरण

(क) आंदोलन में सक्रीय रूप से भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को दण्ड दिया जाना चाहिए।

(ख) कार्यकारी विभागों, नागरिक और पुलिस प्रशासनों में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करने में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को सहायता दी जाये;

(ग) सभी स्तरों पर प्रशासकीय स्थापनाओं में जनसंख्या पद्धति के प्रभाव के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासन में संरचना सम्बन्धी परिवर्तन के लिए उपाय शुरू किए जायें और पूर्णत: सामान्य स्थिति के बहाल होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती को बनाए रखा जाए।

(घ) बोर्ड और विश्वविद्यालय परीक्षाओं की अवधि के दौरान परीक्षा केन्द्रों में और इसके आस-पास अल्प समुदायों के परीक्षार्थियों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपाय किए जायें और परिसर में अध्यापकों और छात्रों की सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए भी।

(ङ) अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को फिर से बसाने के लिए और उन सभी व्यक्तियों को जिन्हें राज्य से बाहर शिविरों में शरण लेनी पड़ी थी वापस लाने और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करके उन्हें फिर से बसाने और उनकी सम्पत्ति को क्षति और हानि के लिए पर्याप्त मुआवजा देने के लिए तत्काल कदम उठाए जायें और इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जाये।

(च) भरत सरकार को स्थिति को चुनौती देते हुए भारतीय नागरिकों को जारी किए गए सभी भारत छोड़ो नोटिस को वापिस लेने के लिए कदम उठाए जायें और संसद में घोषित नीति के आधार पर भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी न करने तक इस प्रकार के सभी नोटिसों को जारी करने के कार्य को रोकना।

(छ) आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के माध्यम से समझौते पर पहुंचने के लिए प्रयत्न करते हुए, आंदोलनकारियों के साथ किसी भी परिस्थिति में कोई अनुचित रियायत न बरती जाए और विदेशियों की पहचान के सम्बन्ध में भारत सरकार को पहले उद्घोषित अपनी नीति पर कायम रहना चाहिए।

(ज) तथाकथित विदेशी राष्ट्रिकों के मामले पर भविष्य में होने वाली बातचीत में नागरिक अधिकार संरक्षण समिति, जो कि राज्य में भाषाई, धार्मिक और गैर इसाई अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व निकाय है को भी एक दल के रूप में सम्मिलित किया जाए।

(झ) आंदोलन के परिणामस्वरूप अल्पसंख्यकों की हत्या करने वाले अपराधियों का पता लगाने के लिए उचित जांच पड़ताल की जाये और हत्या करने वालों को उदाहरणीय दण्ड दिया जाए। अल्पसंख्यकों के विरुद्ध गठित सभी झूठे मामलों को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।

(ञ) राज्य के सभी धार्मिक भाषाई और गैर-इसाई वर्गों से समर्पित कार्यकर्ताओं को लेकर, राज्य एकता परिषद को पुन: गठित करने के लिए कदम उठाए जायें।

(ट) साम्प्रदायिक सौहार्दता और राष्ट्रीय अखण्डता प्राप्त करने के लिए जन संघटन कार्यक्रम शुरू किया जाए और ऐसे कार्यक्रमों के उद्देश्यों में विश्वास करने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को राज्य इकाईयों को इस कार्यक्रम से सम्बद्ध करने के प्रयत्न किए जाएं।

बड़े औद्योगिक गृहों को जारी किए गए लाइसेंस

3998. **श्री बी० के० नायर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1976, 1977 और 1978 के वर्षों के दौरान 15 बड़े औद्योगिक गृहों को कोई नए लाइसेंस दिये गए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : दिनांक 31-12-1978 को क्रमनिर्धारित बड़े 15 औद्योगिक घरानों को कम्पनी कार्य विभाग के द्वारा वर्ष 1976 से 1978 के दौरान उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत जारी किए गए लाइसेंस की कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

औद्योगिक घरानों का नाम	वर्ष 1976 से 1978 के दौरान जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की कुल संख्या
1. बिरला	10
2. टाटा	8
3. मुक्तलाल	5
4. जे० के० सिंहनिया	7
5. थापर	8
6. आई० सी० आई०	5
7. बंगुर	1
8. श्री राम	12
9. आयल इंडिया	—
10. सिंधिया	—
11. लारसन एण्ड टुब्रो	12
12. ए० सी० सी०	2
13. भिवान्डीवाल्स	—
14. किर्लोस्कर	7
15. हिन्दुस्तान लीवर	3

जारी किए जाने वाली सभी औद्योगिक लाइसेंस के ब्यौरे "वीकली बुलेटिन आल इम्पोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंसेज एण्ड इन्डस्ट्रियल लाइसेंज" और भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित "मंथली न्यूजलेटर" के परिशिष्टमें प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकायय में उपलब्ध हैं।

खान सुरक्षा संयुक्त निदेशक के कार्यालय का शाहडोल से जबलपुर ले जाया जाना

3999. श्री दलबीरसिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त निदेशक, खान सुरक्षा का शाहडोल स्थित कार्यालय जबलपुर ले जाया गया है,

(ख) यदि हां, तो कब और इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या यह कार्यालय एसे स्थान पर ले जाया गया है जो 200 कि०मी० दूर है और जिसके परिणामस्वरूप सरकार को अनावश्यक वित्तीय मार उठाना पड़ रहा है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) यह कार्यालय फरवरी, 1976 में स्थानांतरित किया गया था। साथ ही, सरगुजा जिले में चिरीमिरी (डाकघर मनेन्द्रगढ़) में एक नया उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया था। जबलपुर का कार्यालय खान सुरक्षा निदेशक की देख-रेख के अधीन है। जबलपुर कार्यालय के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में मिर्जापुर, इलाहाबाद वाराणसी, बांदा, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, हमीरपुर, गोन्डा, फैजाबाद, आजमगढ़, गाजीपुर, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, जालौन, औराय, बलिया, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और ललितपुर तथा मध्य प्रदेश राज्य में शाहडोल रेवा सुरगुजा, बिलासपुर, सतना, पन्ना, रायगढ़, जबलपुर, सागर, दमोच, छत्तरपुर, टीकमगढ़, मान्डला और सेहोर।

(ग) इस कार्यालय को खान अधिनियम, 1952 को अच्छी तरह से लागू करने के लिए जबलपुर में स्थानांतरित किया गया था। यह शाहडोल की अपेक्षा सेन्टर में स्थित है। अतः इस कार्यालय को जबलपुर स्थानांतरित करने में प्रशासनिक व्यय में किसी प्रकार की परिहार्य वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता।

श्रम न्यायाधिकरणों में विचाराधीन श्रमिक मुकदमें

4000. श्री अमररांय प्रधान : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमिक न्यायाधिकरणों तथा उच्च न्यायालयों में काफी बड़ी संख्या में श्रमिक मुकदमें विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, इन मुकदमों का निपटान करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अधीन 31-1-1981 को केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों में 890 मामलें लम्बित पड़े थे, विभिन्न उच्च न्यायालयों में 30 जून, 1980 को 6838 श्रम सम्बन्धी मामले लम्बित पड़े थे ।

(ख) इन मामलों की स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और पीठासीन अधिकारियों से मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध किया जाता है ।

उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े श्रम मामलों के सम्बन्ध में, यद्यपि विशेष रूप से ऐसे मामलों के लम्बन में कमी करने के लिए कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई है, फिर भी न्याय विभाग द्वारा उच्च न्यायालयों में लम्बन में कमी करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :—

(1) उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया गया है कि वे न्यायाधीश के पदों में हुई रिक्तियां को भरने के लिए अपने प्रस्ताव भेजते हुए निर्धारित समय अनुसूची का पालन करें ।

(2) न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि की गई है; और

(3) अनेक उच्च न्यायालयों द्वारा सामान्य विषय वाले मामलों का एक ग्रुप बनाया जा रहा है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में कोई ऐसी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिसके अन्दर पंचाट दिए जाने अपेक्षित हैं । तथापि, मामलों का शीघ्र निपटान किए जाने के लिए अधिनियम में किए जाने वाले कुछ परिवर्तनों में जिस पर विचार किया जा रहा है, पदच्युत, बर्खास्त, छंटनी या अन्यथा सेवाओं की समाप्ति के मामलों में श्रमिकों को सीधे श्रम न्यायालय के पास जाने सम्बन्धी अधिकार देना, श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों द्वारा मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा निर्धारित करना और इन प्राधिकारियों से अधिकारों में वृद्धि करना शामिल हैं ।

नारियल जटा बोर्ड का पुनर्गठन

4002. श्री ई० बालानन्दन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये बोर्ड का पुनर्गठन करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) इसका पुनर्गठन कब कर दिया जायेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) बोर्ड के पुनर्गठन पर अभी विचार किया जा रहा है और सरकार यथाशीघ्र निर्णय लेने की आशा करती है।

पंखों का उत्पादन

4003. श्री एन० ई० होरो : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंखा निर्माता लघु एककों को उत्पादन शुल्क में पूरी छूट देने की सरकार की नीति का वास्तविक लघु एककों के विकास पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो पंखों के वार्षिक उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा की वार्षिक आय, का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में नारियल जटा और दियासलाई उद्योग

4004. **श्री जेवियर अराकल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारियल जटा और दियासलाई जैसे परम्परागत उद्योगों को, विशेषकर केरल में, गम्भीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) इन परम्परागत उद्योगों की मदद करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है; और

(ग) इन उद्योगों को कितनी और किस रूप में सहायता दी जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) केरल में कयर यार्न तथा कयर उत्पादों के भण्डार इकट्ठे होने के बारे में कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । सरकार ने देश में तथा विदेशों में कयर एवं कयर उत्पादों की बिक्री सुधारने के लिए निम्नलिखित अभ्युपाय किए हैं :—

1. देश के अन्दर परिवहन में सुधार लाने के लिए वैगनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ।

2. केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों से कयर का अधिक सामान खरीदने के लिए अनुरोध किया गया है । उन से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीन उपक्रमों कार्यालयों को इसी प्रकार के निर्देश जारी करें ।

3. राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी कार्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों एवं सरकार के द्वारा नियंत्रित सहायता प्राप्त संस्थानों में कयर की फर्निशिंग का अधिकतम प्रयोग करें ।

4. विशेषरूप से जिन देशों के साथ हमारे द्वारा द्विपक्षीय व्यापार करार किए गए हैं, उनके साथ अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

5. घरेलू बिक्री में वृद्धि करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं और इस उद्देश्य के लिए भावी उपभोक्ताओं से ऋयादेश प्राप्त करने के लिए उन्हें तैयार करने के लिए राज्य के प्रतिष्ठानों के सहयोग से विशेष दलों का गठन किया गया है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा कयर उद्योग को प्रत्यक्ष रूप से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है । किन्तु, उद्योग द्वारा रियायती संस्थागत वित्त प्राप्त किया जा रहा है ।

केरल के माचिस उद्योग के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में उद्योग मन्त्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए राज्यों को नियतन

4005. **श्री नवलकिशोर शर्मा** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए राज्यों को राशि इस बीच नियत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्य राजस्थान को कम नियतन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार राजस्थान के औद्योगिक वार्षिक विकास के लिए राजस्थान को और अधिक राशि आवंटित करने के प्रश्न पर विचार करेगी;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) सरकारीक्षेत्रक परिव्ययों में राज्यों की योजना में परिव्यय और विभिन्न राज्यों में अवस्थित केन्द्रीय क्षेत्रक में निवेश शामिल हैं।

(ख) से (ङ) जहां तक राजस्थान सहित राज्यों की योजनाओं का सम्बन्ध है, राज्यों के अपने संसाधनों और अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखा गया है। राज्यों की योजनाओं को केन्द्रीय सहायता के आवंटन में, आशोधित गाडगिल फार्मूले की दृष्टि से वस्तुपरक कसौटी अपनाई गई है । इसलिए अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान को कम राशि का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । आशोधित गाडगिल फार्मूले में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में यथा अभिव्यक्त राज्यों के आर्थिक पिछड़ेपन को अधिक तरजीह दी गई है । इसकी दृष्टि से राजस्थान को आवंटन की समीक्षा करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । जहां तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक निवेशों और अवस्थिति-मूलक वितरण का सम्बन्ध है, ये परियोजनाओं की अवस्थिति के सिद्धांतों के अनुसार होते हैं ।

चमड़ा विकास निगम

4006. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा विकास निगम स्थापित किया गया था और उसके उद्देश्य क्या थे और इस निगम ने टोंक चमड़ा केन्द्र के संवर्धन और विकास के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है क्योंकि इस परियोजना को अब तक लाखों रुपयों की हानि हो रही है;

(ख) क्या चमड़े के निर्यात के लिए सीता रमैया समिति नियुक्त की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति ने क्या निर्णय किए हैं और ये निर्णय किस ढंग से क्रियान्वित किए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सरणजीत चानना) : (क) भारत लैदर कारपोरेशन लिमिटेड (बी० एल० सी०) की स्थापना मार्च, 1976 में देश में चमड़ा तथा चमड़ा वस्तु उद्योग का संविधान एवं विकास करने हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। इन उद्देश्यों की प्राप्ति देश में आवश्यक अवस्थापना का निर्माण करके प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर को सुधार कर तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में चमड़ा कर्मचारियों को जहां कहीं भी जरूरी हो, चमड़े, के उत्पादों का विपणन करने में सहायता देकर करने का विचार है। राजस्थान टैनरीज लि०, टोंक राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित की गई एक अलग ही कम्पनी है। भारत लैदर कारपोरेशन द्वारा इसके कार्य-संचालन में सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिये गए हैं।

(ख) जुलाई, 1972 में तकनीकी विकास महानिदेशक डा० ए० सीतारमैया की अध्यक्षता में निर्यात के प्रयोजन के लिए चमड़ा तथा चमड़ा निर्माण का विकास करने तथा अर्ध तैयार खालों तथा त्वचाओं से तैयार चमडा तथा चमड़ा उत्पादों का तेजी से निर्यात करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। उसने दिसम्बर, 1972 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(ग) संलग्न विवरण में समिति की सिफारिशें दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी-2163/81] सरकार द्वारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए की गई कार्रवाई के फलस्वरूप :

1. अर्ध तैयार खालों एवं त्वचाओं के निर्यात पर शुल्क पहले ही लगाया जा चुका है।

2. अर्ध तैयार खालों तथा त्वचाओं के निर्यात को कोटा प्रतिबंधों के अंतर्गत ले आया गया है तथा इसे 1973 से राज्य व्यापार निगम के जरिए प्रणाली बद्ध किया गया है।

3. कच्ची खालों तथा त्वचाओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

4. देश के विभिन्न भागों में पांच सामान्य सुविधा केन्द्रों का निर्माण करने हेतु कार्रवाई की गई है। इन पांच केन्द्रों में से दो एककों में कार्य शुरू हो चुका है।

5. कच्चे माल के रूप में ई० आई० कमाए गए तथा क्रोम कमाए गए चमड़े के आधार पर सामान्यत: तैयार चमड़े के लिए नये एककों की स्थापना करने की अनुमति दे दी गई है।

6. तैयार चमड़ा तथा चमड़े के उत्पादों के निर्यात के बदले नकद राजसहायता उपलब्ध है।

7. तैयार चमड़ा उत्पादों के निर्यात का आयात से प्रतिपूर्ति करने की सुविधा उपलब्ध है।

8. तैयार चमड़ा तथा प्रमुख चमड़ा उत्पादों का निर्यात करने पर हवाई भाड़े की राज-सहायता उपलब्ध है।

9. खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत निशुल्क कच्ची खालों व त्वचाओं, वेट ब्लयू खालों त्वचाओं का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

स्टेनोग्राफर के लिए चयन ग्रेड

4007. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टोनोग्राफर ग्रेड "सी" के लिये चयन ग्रेड सेवावधि की बजाए प्रतिशतता आधार पर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप 16 वर्ष की सेवावधि से अधिक वाले बहुत से स्टेनोग्राफर इससे वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे समयबद्ध (टाइम स्केल) पदोन्नति बनाकर, जैसा एन० सी० सी० के अधिकारियों के समान कुछ अन्य सेवाओं के मामले में है, 15 वर्ष की सेवावधि पूरी हो जाने पर स्वत: चयन ग्रेड देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा का कोई भी ग्रेड-"ग" आशुलिपिक चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए या तो अपने ग्रेड में 14 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अथवा साधारण ग्रेड के वेतनमान का $\frac{3}{4}$ भाग पूरा कर लेने पर इसमें जो भी लाभप्रद हो पात्र हो जाता है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) चयन ग्रेड में नियुक्ति का मापदण्ड तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित है ।

कागज उद्योगों के लिए वाणिज्यिक वन लगाने के लिए ऋण

4008. **श्री हीरालाल आर० परमार** :
श्री तारिक अनवर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग की कच्चे माल की आवश्यकता पूरी करने के लिए वाणिज्यिक वन लगाने के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए एक फार्मूला तैयार करने के लिए सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को निर्देश देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या वाणिज्यिक वन लगाने की योजना बड़े पैमाने पर वनों की कटाई रोकी जा सकेगी ; और

(ग) क्या दूसरे उद्योगों को उनकी कच्चे माल की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आसान शर्तों पर वैसा ही ऋण देने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को निर्देश देने की सरकार की इच्छा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं । कागज मिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लुगदी की लकड़ी के पेड़ लगाने सम्बन्धी सम्भावनाओं

का पता लगाने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उक्त कार्यकारी दल के सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। कार्यकारी दल लगाए जाने वाले पेड़ों की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाएगा, जिसमें इन पेड़ों के वित्तीयन के प्रकार शामिल भी हैं।

(ख) यह आशा है कि उद्योगपरक लुगदी की लकड़ी के पेड़ लगाने से प्राकृतिक वनों की बर्बादी होने से रुक जायेगी तथा कागज उद्योग को निरन्तर-आधार पर कच्चे माल का संभरण करते रहना भी निश्चित हो जायेगा।

(ग) जी, नहीं।

साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं में स्त्रियों के लिए पृथक नियतन

4009. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य की योजनाओं में स्त्रियों के लिए साक्षरता और स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्य अलग से नहीं रखे गए हैं और विभिन्न विभागों को अलग से राशि नियत नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस मामले में राज्य सरकारों का रवैया अच्छा नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य, पूरे समुदाय को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के लिए आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, परामर्शी अस्पताल, आदि के रूप में मूल आधारिक संरचना का निर्माण और विकास करना है। इसलिए इस क्षेत्रक के लाभ समाज के सभी जरूरतमंद वर्गों तक पहुँचेंगे और महिलाओं के लिए अलग लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए साक्षरता सेवाओं के सम्बन्ध में, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं के नामांकन के लिए अलग लक्ष्य नियत नहीं किए गए हैं। तथापि यह निर्णय किया गया है कि प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम तैयार करते समय, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा खेतिहर मजदूरों और गंदी बस्तियों में रहने वालों जैसे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) और (ग) ग्रामीण स्वास्थ्य और प्रौढ़ शिक्षा को प्रारम्भिक शिक्षा के भाग के रूप में, राज्यों की योजनाओं के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया है और उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के रूप में परिव्यय निर्धारित किए गए हैं।

आदिवासी लोगों को उनके मूल वासस्थान से हटाये जाने से रोकना

4010. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में 1980-81 के दौरान आदिवासी लोगों को उनके मूल वासस्थान से हटाए जाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश के किसी भी राज्य अथवा पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष, 1980-81 के दौरान आदिवासियों को उनके मूल स्थानों से हटाए जाने के किसी मामले की सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिट्टी के तेल के स्थान पर फिलीपीन्स में पाये गये एक ऊर्जा वृक्ष की फलियों का उपयोग

4011. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव :**
प्रो० पी० जे० कुरियन :
श्री धर्मवीर सिंह :
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि फिलीपीन्स में हाल ही में एक ऊर्जा वृक्ष पाया गया है जिसकी फलियों को मिट्टी के तेल के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है और इस वृक्ष को किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त वृक्ष का देश में विकास करने के लिये अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) सरकार को फिलीपीन्स में पाए गए ऊर्जा वृक्ष की जानकारी दृढफल से मिट्टी के तेल जैसा तेल प्राप्त किया गया है। पौधे का साधारण नाम "वैक्स ट्री" और वनस्पति वैज्ञानिक नाम 'अल्यूराईट्स मोल्यूकाना' (यूफोरबिएसी कुल) है। यह फिलीपीन्स, मलेशिया और प्रशान्त महासागर के द्वीपों के कुछ अन्य देशों में पाया जाता है। वृक्ष के दृढ़ फलों से हाइड्रोकार्बनों युक्त 'टंग आयल' नामक तेल प्राप्त किया जाता है। इस तेल का उपयोग रोशनी करने और रंग रोगन और वारनिशों के विनिर्माण में किया जाता है। दक्षिणी भारत और आसाम में इस वृक्ष को लगाया जाता है और यह तेजी से बढ़ता है। तेजी से बढ़ने वाली और हाइड्रोकार्बन प्रदान करने वाली जातियों के अतिरिक्त इस जाति को जीवभार के उत्पादन पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है तथा इसका अतिरिक्त विस्तृत अन्वेषण के लिए अभिनिर्धारण किया गया है।

पंजाब में उत्तर प्रदेश और बिहार के असंतुष्ट श्रमिक

4012. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिहार के श्रमिकों को प्रतिदिन लुधियाना, जालन्धर और पटियाला में पंजाब के फार्मों में काम करने के लिये जबरन पकड़ा जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बुराई को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अन्तर-राज्य प्रवासी श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अधीन पंजाब सरकार कृषि प्रतिष्ठानों के बारे में सम्बन्धित सरकार है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसे कोई मामले उनके ध्यान में नहीं आए हैं और भेदभाव या दुर्व्यवहार की शिकायतों, यदि कोई हों, पर तत्काल कार्यवाही की जाती है और कृषि श्रमिकों को अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों की अदायगी सुनिश्चित की जाती है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

4013. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :**
श्री धर्मबीर सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को अलग-अलग कुल कितनी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं और प्रत्येक वर्ग को प्रति वर्ष कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के लिए केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रशासित की जाती है और राज्यों के "प्रतिबद्ध शेयर" अर्थात पिछली योजना अन्त तक हुए खर्च के स्तर के अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। चूंकि योजना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा किये गये कुल व्यय के बारे में अद्यतन सूचना उपलब्ध नहीं है। 1979-80 के दौरान भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को क्रमश: 649.86 लाख रुपए और 105.41 लाख रुपये दिये हैं।

(ख) 1979-80 के दौरान दी गई केन्द्रीय धनराशि के ब्यौरे का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		दी गई केन्द्रीय धन राशि		
		अनु० जातियों के लिए	अनु० जनजातियों के लिए	जोड़
1		2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	22.20	4.00	26.20
2.	असम	6.00	4.60	10.60
3.	बिहार	10.00	12.50	22.60
4.	गुजरात	20.00	12.90	32.90
5.	हरियाणा	3.70	—	3.70
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	0.60	—	0.60
8.	कर्नाटक	20.00	2.00	22.50
9.	केरल	8.00	1.00	9.00
10.	मध्य प्रदेश	11.70	3.68	15.38
11.	महाराष्ट्र	50.00	7.90	57.90
12.	मणिपुर	0.90	7.35	8.25
13.	मेघालय	0.40	2.00	2.40
14.	नागालैंड	—	2.50	2.50
15.	उड़ीसा	6.00	4.68	10.68
16.	पंजाब	8.50	—	8.50
17.	राजस्थान	8.70	7.31	16.01
18.	तमिलनाडु	16.00	1.60	17.60
19.	त्रिपुरा	1.50	1.00	2.50
20.	उत्तर प्रदेश	433.00	8.75	441.75
21.	पश्चिम बंगाल	22.00	5.90	27.90
22.	सिक्किम	0.26	0.51	0.77
	जोड़	649.46	90.68	740.14

1		2	3	4
	कुल राज्य (पिछला शेष)	649.45	90.68	740.14
संघशासित क्षेत्र				
23.	दादरा और नागर-हवेली	—	20.28	0.28
24.	दिल्ली	—	—	—
25.	गोवा, दमण तथा दीप	0.10	—	0.10
26.	मिजोरम	—	14.45	14.45
27.	पांडिचेरी	0.30	—	0.30
	जोड़	0.40	14.73	15.13
	कुल जोड़	649.86	105.41	755.27

रक्षा प्रतिष्ठान में कर्मचारी संघ

4014. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रक्षा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा विभाग में काम कर रहे कर्मचारी संघों को किन नियमों के अन्तर्गत मान्यता दी जाती है ;

(ख) उक्त प्रतिष्ठानों में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित प्रतिष्ठानों में पंजीकृत श्रमिक संघों की सदस्य संख्या 1979-80 में कितनी थी और उनमें से कितने अखिल भारतीय श्रम संगठनों से सम्बद्ध है ; और

(घ) मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों और फेडरेशनों के नाम क्या हैं और उन्हें किस-किस तारीख को मान्यता दी गई थी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रक्षा स्थापनाओं में कर्मचारी यूनियनों को मान्यता सिविल कार्मिक नेमी आदेश 63/59 में दिए गए नियमों के अन्तर्गत दी जाती है। इन नियमों की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2137/81]

2. रक्षा मंत्रालय की निम्न विरचनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 5·50 लाख है। इस संख्या में उन स्थापनाओं के कर्मचारी भी शामिल हैं जो ट्रेड यूनियन गतिविधियों के दायरे में नहीं आते।

3. जो कर्मचारी यूनियनें मान्यता प्राप्त नहीं हैं उनकी सदस्यता की संख्या के बारे में ब्यौरे ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार से लिए जा सकते हैं। मान्यता प्राप्त और पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के सदस्यों की कुल संख्या और अखिल भारतीय श्रम संगठनों से उन के सम्बन्धित होने के बारे में सूचना इस मंत्रालय में तत्काल उपलब्ध नहीं है।

4. राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा कर्मचारियों के दो महासंघ हैं अर्थात अखिल भारत रक्षा कर्मचारी महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कर्मचारी महासंघ। इन महासंघों को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई है।

5. मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों के नाम मंत्रालय में उपलब्ध हैं और परिशिष्ट "ख" में दिए गए हैं। इन यूनियनों को अलग-अलग तारीखों को मान्यता दी गई थी। मान्यता देने की तारीख के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है।

समाज विरोधी तत्वों द्वारा वाकी-टाकी रेडियो टेलीफोन का उपयोग

4015. श्री दलीप सिंह भूरिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगरों में समाज विरोधी तत्वों द्वारा खुले आम मीडियम रेंज के वाकी-टाकी रेडियो टेलीफोन का उपयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके उपयोग पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात के लिए आशय-पत्र

4016. श्री छोटू भाई गामित : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना के लिए 1977 से 1980 के दौरान प्रतिवर्ष कितने आशय-पत्रों की मांग की गई ;

(ख) उनमें से कितने आशय-पत्र मंजूर किये गये और सभी आशय पत्र मंजूर न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) शेष आशय-पत्र कब तक मंजूर किये जायेंगे और उनके मंत्रालय द्वारा उनको शीघ्रता से मंजूर करने हेतु उठाये जा रहे कदमों का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) गुजरात राज्य में विभिन्न किस्म के उद्योग स्थापित करने लिए वर्ष 1977, 1978, 197 तथा 1980 में प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदनों की संख्या क्रमश: 137, 156, 222 तथा 249 थी ।

(ख) इन आवेदनों में से अभी तक 356 आशय-पत्र स्वीकृत किए गए हैं 249 आवेदन रद्द किये गए हैं, 110 आवेदन अन्यथा निपटाए गए हैं तथा 49 आवेदन अब भी विचारार्थ निलम्बित पड़े हुए हैं ।

(ग) आवेदनों को समय पर निपटाने का सरकार का निरन्तर प्रयास रहता है । आवेदकों को उनके प्रकरणों पर निर्णय लिए जाते ही सूचना दे दी जाती है ।

पार्ले समूह की कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों के भविष्य-निधि अंशदान का जमा न कराया जाना

4017. **श्री के० लक्कप्पा :**
श्री धर्मदास शास्त्री :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पार्ले समूह की कम्पनियों ने पिछले कई वर्षों से भविष्य-निधि अंशदान जमा नहीं कराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) बकाया राशि वसूल करने के लिए भविष्य-निधि प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) भविष्य-निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि पार्ले समूह की कम्पनियों की ओर कोई बकाया राशि नहीं है ।

अनुभाग अधिकारियों/डेस्क अफसरों की अवर सचिव के पद पर पदोन्नति

4018. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अवर सचिव के ग्रेड में पदोन्नति के हेतु अनुभाग अधिकारियों/डेस्क अफसरों के लिये अपेक्षित योग्यता क्या है ;

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में पिछले तीन वर्षों में अवर सचिव ग्रेड में पदोन्नति किये गये अनुभाग अधिकारियों/डेस्क अफसरों की वर्षवार संख्या क्या है ;

(ग) इनमें से अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों की अलग-अलग संख्या क्या है ;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों का आरक्षित कोटा पूरा हो गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षित कोटा पूरा न करने के क्या कारण हैं और यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 12(2) के उपबंध के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I की रिक्तियां, स्थायी अनुभाग अधिकारियों/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "क" के उन अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं जिनकी कम से कम 8 वर्षों की अनुमोदित सेवा हो।

(ख) तथा (ग)

वर्ष	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग				
		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		योग
1978	106	29	+	2	=	31
1979	113	12	+	0	=	12
1980	108	19	+	0	=	19

(घ) तथा (ङ) वर्ष 1978 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के अधिकारियों के लिए आरक्षित कोटा पूर्ण है। वर्ष 1979 और 1980 के लिए बकाया रिक्तियों को भरने की पद्धति विचाराधीन है।

अपराध की घटनायें

4019. **श्री अजय बिश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में पिछले वर्ष राज्यवार हत्या, डाके, बलात्कार, हरिजनों और गिरिजनों पर अत्याचार की कितनी घटनायें हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण

4020. **श्री धर्मबीर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की सहायता करने की दृष्टि से, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के आरक्षण के अतिरिक्त सरकार केन्द्रीय सरकार के संस्थानों में जाति का भेदभाव न किये बिना आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिये कुछ प्रतिशत पदों का आरक्षण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी

4021. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जो 5 वर्षों से अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति पर हैं ;

(ख) पांच वर्ष की अवधि पूरी कर लेने पर भी उन्हें उनके मूल कार्यालय में वापिस न भेजे जाने के क्या कारण हैं जिससे अन्य योग्य कर्मचारी समान अवसरों से वंचित रह गये हैं ; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने पांच वर्ष से अधिक की प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी कर ली है उन्हें उनके मूल कार्यालय में वापस भेजने के लिये क्या करवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

4022. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है और यदि हां, ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उक्त प्रस्ताव किस हद तक स्वीकार किया गया है और वहां किस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सामान्यतः सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं स्थापित

करने लिए भारत सरकार से सम्पर्क करती है । किन्तु केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोणों पर आधारित होती है । उत्तर-प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल केन्द्रीय क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाएं निम्नलिखित हैं :—

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, हरिद्वार तथा झांसी

1. ट्रांसफार्मर फैक्टरी, झांसी
2. बड़े आकार की ट्रबो जेनरेटर परियोजना, हरिद्वार
3. सेन्ट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट, हरिद्वार
4. सेन्ट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट, हरिद्वार-संतुलन सुविधाएं
5. स्टेम्पिंग शांप, हरिद्वार
6. ट्रबो जेनरेटिंग सेंटों के लिए परीक्षण सम्बन्धी सुविधाएं हरिद्वार
7. ट्रबो जेनेरेटिंग सैटों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं, हरिद्वार
8. हैवी इलैक्ट्रीकल इक्विपमैंट प्लांट, हरिद्वार
9. केप्टिव पावर प्लांट, हरिद्वार
10. फोसर्ज फोर्जिंग डोस, हरिद्वार
11. प्रतिस्थापना, नवीकरण, आधुनिकीकरण, बस्ती
12. भारत पम्पस एण्ड कम्प्रैशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद
13. स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, इलाहाबाद
14. त्रिवेणी स्ट्रैक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद
15. एरोमेटिक्स रिकवरी यूनिट
17. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्माच्युटिकल्स, ऋषिकेश
18. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड, गोरखपुर परियोजना
18. पायराइट्स ऐण्ड फास्फेट्स कम्पनी लिमिटेड
19. सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद
20. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन
21. बरेली तथा नैनी में इण्डियन टेलीफोन का विस्तार ।

राजस्थान में बड़े उद्योगों की स्थापना करना

4023. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य में बड़े उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कहां पर की जानी है और उस पर कितना व्यय होगा तथा इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा और इसे कार्यान्वित नहीं किया जाना है तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों के आधार पर राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना की जाती है। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81) में राजस्थान के लिए शामिल की गई केन्द्रीय क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की सूची नीचे दी गई है :—

1. **हिन्दुस्तान कोपर लिमिटेड** : खेतड़ी तांबा परियोजना (खेतड़ी तांबा कम्पलैक्स, स्मैल्टर और रिफाइनरी, उपोत्पाद संयंत्र आदि। (परिव्यय-34.46 करोड़ रुपये)

2. **हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड** : राजपुरा दरीबा खानें, जावारमाला खानें, मेटन फोस्फेट खानें, अनुसंधान देवारी खानें और स्मैल्टर विस्तार, लीच रेजीड्यू (अवशेष) ट्रीटमेंट संयंत्र, आगुक-बरोई खानें और स्मैल्टर कम्पलैक्स, चांदी, पारा रिकवरी संयंत्र, पाइराइट यूटीलाइजेशन संयंत्र आदि। (परिव्यय-99.22 करोड़ रुपये)

3. **एच० एम० टी० लिमिटेड** : मशीन टूल्स प्रभाग, अजमेर-विस्तार, विविधीकरण आदि। (परिव्यय-1.32 करोड़ रुपये)

4. **हैवी वाटर प्रोजेक्ट, कोटा** : (परिव्यय-13.86 करोड़ रुपये)

5. **पाइराइट्स एण्ड फास्फेट्स लिमिटेड** : सलादी पुरा में फाइराइट्स का खनन और छानना। (परिव्यय-10.50 करोड़ रुपये)

6. **हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड** : सांभर साल्ट। (परिव्यय-) करोड़ रुपये)

7. **इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा** : मिल्क एनालाइजर प्रोजेक्ट में जिसका अंशत: वित्तीयन राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट एण्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन द्वारा किया जाएगा। उसमें विविधीकरण विस्तार और उत्पादन (परिव्यय-3.35 करोड़ रुपये)

8. **इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड** : संयुक्त क्षेत्र निर्धारण एकक। (परिव्यय-0.11 करोड़ रुपये)

नौवहन प्राधिकारियों द्वारा काउन्सिल हाल लौटाने की मांग

4024. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन प्राधिकारियों ने बम्बई में काउंसिल हाल भवन को उन्हें लौटाये जाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर महाराष्ट्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 1978 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री से काउंसिल हाल के भवन को नौसेना को वापस करने के लिए विचार करने का अनौपचारिक अनुरोध किया गया था।

(ग) तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस बारे में मौखिक आश्वासन दिया था कि काउंसिल हाल का नया भवन बन जाने पर वे इस पर विचार करेंगे।

तापीय बिजलीघरों और उद्योगों की कोयले की राख का उपयोग

4025. **श्री जैनुल बशर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तापीय बिजली घरों और अन्य उद्योगों की कोयले की राख का औद्योगिक प्रयोजनों के लिये किसी प्रकार से उपयोगी पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) तापीय बिजली घरों की कोयले की राख सीमेंट कारखानों द्वारा पोजलाना सीमेंट के उत्पादन के लिए पोजलाना माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। सूचना है कि इस राख को अपने पोजलाना माल के रूप में प्रयोग करने वाले 13 सीमेंट कारखाने हैं।

स्वाधीनता सेनानियों की सहायता के लिए संसद सदस्यों की एक समिति का गठन

4026. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन पड़ा हुआ है कि स्वाधीनता सेनानियों की सहायता करने के प्रयोजन से सरकार को नीति सम्बन्धी मामलों में मंत्रणा देने हेतु उन संसद् सदस्यों की एक समिति गठित की जाये जो स्वयं स्वाधीनता सेनानी रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामला कब से विचाराधीन है और सरकार का विचार ऐसी समिति का गठन कब तक कर देने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में फीडर लाइन वायुयानों के निर्माण के लिए कनाडा के "हैविललैण्ड" और स्पेन के कासा की पेशकश

4027. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे स्तर की वायुसेवा के लिए हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड में फीडर

लाइनर वायुयान के लिए कनाडा के "द हविललैण्ड एयर क्राफ्ट" और स्पेन के कासा ने अपने-अपने वायुयानों के लिए लाइन निर्माण शुरू करने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इन पार्टियों द्वारा पेश की गई शर्तें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : कनाडा की मैसर्स द हविललैण्ड और स्पेन की मैसर्स कंस्ट्रक्शियोन्स एयरोनाटिक्स एस० ए० सहित कुछ विदेशी वायुयान निर्माणकर्त्ताओं के फीडर लाइन और अन्य कामों के लिए हल्के परिवहन वायुयानों का निर्माण करने के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ सहयोग करने की पेशकश की है।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में हल्के परिवहन वायुयानों का निर्माण करने की परियोजना के औचित्य और व्यवहार्यता के सम्बन्ध में अध्ययन कर लेने के बाद बात-चीत शुरू की जाएगी। पार्टियों ने जिन शर्तों की पेशकश की है उनके बारे में विवरण देना इस समय लोक हित में नहीं है।

विद्यमान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा पूर्ति की जा रही ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकता

4028. **श्री निरेन घोष** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यमान परमाणु विद्युत संयंत्रों से भारत की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकता के कितने प्रतिशत भाग की पूर्ति हो रही है;

(ख) क्या परमाणु विद्युत संयंत्रों द्वारा भारत की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकता की पर्याप्त प्रतिशतता की पूर्ति के लिए किसी योजना पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) वर्तमान परमाणु बिजलीघर देश में होने वाली बिजली की कुल खपत के लगभग 3% भाग की पूर्ति करते हैं।

(ख) तथा (ग) 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में 6 और रिएक्टर लगाने का प्रस्ताव है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी। इन रिएक्टरों के तैयार हो जाने पर बिजली के कुल उत्पादन में 1410 मेगावाट की वृद्धि होगी।

पनडुब्बियां प्राप्त करना

4029. **श्री चित्त बसु** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के लिए सरकार का नई पनडुब्बियां प्राप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम जर्मनी और स्वीडन ने पनडुब्बियां बेचने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो बिक्री की शर्तें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) बिक्री की शर्तें अभी तय नहीं हुई हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सेवा परीक्षा आयोजित किये जाने की प्रणाली का समाप्त किया जाना

4030. **श्री रासबिहारी बहेरा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने पूर्व की कर्मचारी भविष्य निधि लेखा परीक्षा प्रणाली, जिसे पहले श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता था, को बदल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस परिवर्तन को मंजूरी दे दी है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण निदेशालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सेवा परीक्षा का आयोजन 1969 से कर रहा था। 1974 से रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक अपने बढ़े हुए कार्य भार के कारण इस व्यवस्था को जारी रखने में कठिनाई अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस कठिनाई को मार्च, 1980 में पुनः अभिव्यक्त किया गया। इस बीच, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के कर्मचारी चयन आयोग से परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुरोध किया गया, परन्तु उन्होंने भी गैर-सरकारी संगठनों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए संगठन द्वारा प्राप्त पर्याप्त विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, इस कार्य को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष की स्वीकृति से केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है। परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

नमक पर उपकर और उसका वितरण

4031. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय नमक उपकर से गुजरात राज्य में 5 वर्षों से अधिक समय से कितनी राशि एकत्र की गई है;

(ख) इस राशि में से नमक उत्पादकों के लाभ के लिए कितनी राशि वितरित की गई है; और

(ग) जिस प्रयोजनों के लिए यह राशि एकत्र की गई है उसके लिए शेष राशि का कब वितरण किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) चूंकि विभिन्न राज्यों से इकट्ठा किए गए नमक उपकर को सरकार के सामान्य राजस्व में जमा किया जाता है उसमें से नमक उद्योग से सम्बन्धित कार्यों के लिए होने वाले खर्च को किया जाता है, अतएव, राज्यवार नमक उपकर इकट्ठा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में मजूरी सम्बन्धी मामलों का समझौता

4033. श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने 9 जनवरी, 1980 को अपने कर्मचारियों के संघों के साथ मजूरी और अन्य सेवा शर्तों से सम्बन्ति एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे;

(ख) क्या यह समझौता संघों और प्रबन्धकों के बीच लम्बी बातचीत के बाद हुआ था;

(ग) क्या सरकार ने इस समझौते का औपचारिक अनुमोदन किया है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) क्या यह अनुमोदन बिना किसी शर्त के दिया गया था अथवा किन्हीं बातों के आधार पर दिया गया था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां । 8 तथा 9 जनवरी, 1980 को बी० एच० ई० एल० के प्रबन्धकों ने अपने कर्मचारी संघों के साथ एक विधिवत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे जो कि 3 तथा 4 नवम्बर, 1979 के वेतन वृद्धि पर हुए समझौते के अनुरूप था ।

(ख) समझौता काफी लम्बी अवधि की बातचीत जो कि मार्च, 1978 में आरम्भ हुई थी, के बाद सम्पन्न हुआ था ।

(ग) से (ङ) सरकार की विधिवत स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी किन्तु बी० एच० ई० एल० को सूचित कर दिया गया था कि यह देखा गया है कि इस समझौते पर अन्तिम रूप से निर्णय तत्कालीन उद्योग मंत्री द्वारा बी० एच० ई० एल० के अध्यक्ष को दी गई स्वीकृति के अनुरूप किया गया था ।

उपग्रहों से प्राप्त जानकारी

4034. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिकों को भारतीय उपग्रहों अर्थात् आर्यभट-भास्कर और रोहिणी से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी किस प्रकार की है; और

(ख) उक्त जानकारी से देश को किस प्रकार लाभ पहुँचा है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह): (क) और (ख) आर्यभट उपग्रह का मुख्य उद्देश्य उपग्रह प्रौद्योगिकी के लिये जरूरी विभिन्न उप-प्रणालियों के डिजाइन, विकास, संविरचन तथा कक्षीय कार्य-निष्पादन के सन्दर्भों में उपग्रह प्रौद्योगिकी में अनुभव प्राप्त करना था। इसके अलावा, उपग्रह में आयनमण्डल, एक्स-रे खगोलविज्ञान, सूर्य से सौर न्यूट्रोन और गामा किरणों के बारे में परीक्षण करने के लिये वैज्ञानिक नीतभार भी रखे गये थे। वैज्ञानिक परीक्षण केवल 5 दिन तक ही जारी रहे। फिर भी, प्रौद्योगिकीय उप-प्रणालियों का कार्य निष्पादन बहुत अच्छा रहा, जिससे सभी प्राथमिक मिशन उद्देश्यों की पूर्ति हुई। इससे प्राप्त अनुभव देश में उपग्रह प्रौद्योगिकी के लिये अत्यन्त उपयोगी रहा है तथा इसने भास्कर नामक भारत के प्रथम भू-प्रेक्षण उपग्रह के डिजाइन में भी सहयोग प्रदान किया।

भास्कर ऐसा प्रथम कदम है, जिसने अन्तरिक्ष खण्ड, भू-खण्ड और प्रयोक्ताओं के साथ एक पूर्ण सुदूर संवेदन प्रणाली को विकसित किया। टी० वी० कैमरों को चालू करने में उत्पन्न हुई प्रारम्भिक समस्याओं के बावजूद, पर्याप्त भू-अनुकारों ने समस्या की किस्म का पता लगाया और एक टी० वी० कैमरे को चालू किया जा सका। अभी तक 800 से अधिक चित्रावलियां प्राप्त की जा चुकी हैं, और आंकड़ों का प्रयोग जल विज्ञान, भू-उपयोग तथा वानिकी के विविध उपयोगों में किया जा रहा है। भास्कर में रखे उपग्रह माइक्रोवेव रेडियोमीटर (समीर) ने समुद्री सतह के तापमान, वायुमण्डलीय आर्द्रता की मात्रा, इत्यादि के बारे में अत्यन्त उपयोगी सूचना प्रदान की है, जिसमें मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणी करने के लिये एक महत्वपूर्ण उपकरण में अनुभव प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भास्कर में रखे विविध प्रौद्योगिकीय परीक्षण भी सफल रहे।

रोहिणी उपग्रह वस्तुत: उपग्रह प्रमोचक राकेट (एस० एल० वी०) के चतुर्थ खण्ड के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिये बनाया गया था। यह मिशन सफल रहा। इसके अलावा, स्वदेशी सौर सेलों से निर्मित दो छोटे सौर पैनलों की इस उपग्रह में सफल जांच की गई।

सभी तीनों उपग्रहों ने अपने प्राथमिक मिशन लक्ष्यों को पूरा किया तथा राष्ट्रीय विकास में उपग्रह प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिये देश में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया।

उड़ीसा द्वारा वार्षिक योजना नियतन का उपयोग न किया जाना

4035. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने दिसम्बर, 1980 तक वार्षिक योजना नियतन का उपयोग असन्तोषजनक ढंग से किया है; और

(ख) यदि हां, तो विभाग-वार निर्धारित किये गये कुल बजट प्रावधानों तथा योजना और समन्वय विभाग द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार व्यय का ब्यौरा क्या है ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए 250.16 करोड़ रु० के अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले दिसम्बर, 1980 तक 109.92 करोड़ रु० का व्यय उड़ीसा सरकार द्वारा सूचित किया गया है। उड़ीसा सरकार ने यह भी सूचित किया है कि चालू वर्ष में योजना की धनराशि का पूरा उपयोग किया जाएगा।

मध्य प्रदेश सीमेंट का आवंटन

4036. **श्री अरविंद नेताम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य राज्यों को आवंटित सीमेंट की मात्रा की तुलना में मध्य प्रदेश को 1980 की प्रत्येक तिमाही में सीमेंट की कितनी मात्रा आवंटित की गई और यह किस कार्य के लिए आवंटित की गई ;

(ख) मध्य प्रदेश की सीमेंट की तिमाही मांग कितनी है ;

(ग) सीमेंट का कोटा निर्धारित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ;

(घ) 1980-81 में प्रत्येक राज्यों को प्रति व्यक्ति सीमेंट की कितनी मात्रा आवंटित की गई ; और

(ङ) प्रत्येक राज्य को सीमेंट की कितनी मात्रा आवंटित की गई, 1980-81 के दौरान अतिरिक्त कोटा कितना था और प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक राज्य को सीमेंट की कितनी मात्रा प्राप्त हुई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों का जनवरी, 1980 से लेकर पांच तिमाहियों के सीमेंट के तदर्थ आवंटन तथा संभरण सहित तिमाही आवंटनों का एक विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है। राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सीमेंट का इकट्ठा आवंटन किया जाता है।

(ख) राज्य सरकारों की सीमेंट सम्बन्धी मांगे इकट्ठी नहीं की जाती। किन्तु, मध्य-प्रदेश सरकार ने हाल ही में यह बताया है कि उनकी आवश्यकता प्रति-तिमाही 3.5 लाख मी० टन होगी।

(ग) और (घ) राज्यों को तिमाही आवंटन पिछली खपत के आधार पर और सीमेन्ट की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है जनसंख्या आदि के आधार पर नहीं।

(ङ) वांछित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2138/81]

मंत्री महोदय के निजी कर्मचारियों की संख्या

4037. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रियों के निजी कर्मचारियों की अधिकृत सख्या कितनी है विवरण और श्रेणियां बताएं ;

(ख) क्या प्रत्येक मामले में कार्मिक विभाग और वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) विभिन्न मंत्री कितने वैयक्तिक कर्मचारी रखने के हकदार हैं इस सम्बन्ध में सूचना गृह मंत्रालय के दिनांक 27-6-1962 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20/1/62-के० से० (ख) में दी गई है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा वित्त मंत्रालय की मंजूरी सृजित किए गए केवल उन्हीं पदों के लिए आवश्यक होती है जिनका वेतनमान उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में विनिर्दिष्ट वेतनमान से अधिक होता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2139/81]

केरल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1980 को अनुमति

4038. **श्री इ० के० इम्बीचीबावा :**
श्री एम० एम० लारेंस :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 1980 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने में देरी के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : विधेयक में कानूनी और संवैधानिक मामले अन्तर्ग्रस्त हैं जिनकी जांच की जा रही है।

हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड, बैरकपुर में कर्मचारियों की संख्या में कमी

4039. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड बैरकपुर पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है और अनेक वर्षों से वहां नये लोगों की भर्ती पर रोक लगी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड में गत पांच वर्षों के दौरान (वर्षवार तथा श्रेणी-वार) कर्मचारियों की संख्या कितनी रही और कितनी नई नियुक्तियां हुई ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की बैरकपुर शाखा की स्थापना कुछ किस्म के विमानों का ओवरहाल करने के लिए की गई थी। सेना से इन विमानों को धीरे धीरे हटा लिए जाने पर इस यूनिट का काम कम हो गया है। रोजगार के स्तर पर भी इसका असर पड़ा है। 31 दिसम्बर, 1976 को इस यूनिट में कर्मचारियों की संख्या 779 थी जो अब घट कर 31 दिसम्बर, 1980 को 747 रह गई है। इसी अवधि में इस यूनिट में 14 नई नियुक्तियां की गई हैं।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नौसेना अकादमी की स्थापना के लिए समिति की रिपोर्ट

4040. श्री एम० एम लारेंस : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना अकादमी के स्थान के चयन के बारे में गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार कर रही है। शीघ्र ही निर्णय ले लिए जाने की सम्भावना है।

देश में अनपढ़ बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

4041. श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय अनपढ़ बेरोजगार व्यक्ति कितने हैं; और

(ख) प्रत्येक योजना में बेरोजगारी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 1977-78 में किए गए सर्वेक्षण के 32वें दौर के अन्तिम परिणामों के अनुसार सामान्य स्थिति के आधार पर देश में (5 और ऊपर के आयु-वर्ग के) बेरोजगार निरक्षरों की संख्या 33 लाख थी।

(ख) पिछली योजना की अवधियों के लिए बेरोजगारी के विश्वसनीय और तुलनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सहायता हेतु सेना का बुलाया जाना

4042. श्री पी० के० कोडियन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए असैनिक अधिकारियों की सहायता के लिए लिए कितनी बार सेना बुलाई गई और किन किन स्थानों पर बुलाई गई ;

(ख) क्या सेना की टुकड़ियों का खर्च ऐसे अवसरों पर स्वयं सेना द्वारा उठाया गया अथवा असैनिक शासन द्वारा ; और

(ग) कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सेना की सेवा प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पिछले एक वर्ष में अर्थात 1-3-1980 से 28-2-81 तक सिविल अधिकारियों ने 47 बार और 38 स्थानों पर सेना की सहायता ली थी ।

(ख) कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति पर होने वाला सारा खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है, लेकिन, यदि राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र इसमें अंशदान करना चाहें, तो वे ऐसा कर सकते हैं ।

(ग) कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेना की सहायता की मांग करने के लिए उच्चतम रैंक का मजिस्ट्रेट अधिकृत है ।

समुद्र में जीवनस्रोतों का विकास करने हेतु मत्स्य तथा समुद्र-विज्ञान सम्बन्धी शोध करने वाले जहाज

4043. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्र में जीवन स्रोतों के विकास के लिये मत्स्य तथा समुद्र विज्ञान सम्बन्धी शोध कार्य करने वाले जहाज प्राप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने जहाज प्राप्त किये जायेंगे और उन पर कुल कितनी लागत आयेगी तथा इन्हें किस देश से प्राप्त किया जावेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) डेनिश वित्तीय सहायता से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक बड़े गहन समुद्र में जाने वाले मात्स्यकी और समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान (एफ० ओ० आर० वी०) को प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है । इसकी अनुमानित लागत 23 करोड़ रुपये होगी । दो छोटे मात्स्यकी अनुसंधान जलयान (35 मी०) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए भारत में ही बनाए जा रहे हैं जिन पर लगभग 4.2 करोड़ रुपये का परिव्यय आएगा । इसी प्रकार से तीन छोटे मात्स्यकी सर्वेक्षण जलयान में भारत कृषि विभाग के लिए बनाए जा रहे हैं, जिन पर कुल 7.29 करोड़ रुपये का परिव्यय आएगा ।

बिहार मे मधुबनी और दरभंगा जिलों में उद्योगों की स्थापना

4044. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मधुबनी दरभंगा और अन्य जिलों का औद्योगीकरण करने की क्या-क्या योजनाएं और परियोजनाएं हैं; और

(ख) बिहार में तथा देश के अन्य राज्यों में कुटीर अल्प लघु उद्योगों के लिए क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) बिहार राज्य के विभिन्न निगमों जैसे बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, बिहार ऋण एवं निवेश निगम, बिहार राज्य चीनी उद्योग निगम, बिहार राज्य वस्त्र निगम, बिहार राज्य रसायन निगम आदि के पास छठी पंचवर्षीय योजनावधि (1980-85) में राज्य में उद्योगों की स्थापना करने के प्रस्ताव हैं। ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्र में मधुबनी तथा दरभंगा सहित बिहार के सभी 31 जिले जिला उद्योग केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत प्रायोजित हैं जिला उद्योग केन्द्रों के अन्तर्गत आते हैं जिसका उद्देश्य एक ही स्थान पर उद्यमियों को कुटीर तथा लघु एककों की स्थापना करने हेतु सभी प्रकार की सहायता तथा सेवाएं प्रदान करना है। केन्द्रस्थ औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने के लिये बिहार राज्य सरकार ने मधुबनी तथा पालामऊ का सुझाव दिया है। इस सम्बन्ध में ठोस संभावनाओं का पता लगाने के लिये प्रस्तावों के ब्यौरे पर विचार करने हेतुकतिक बल (टास्कफोर्स) की स्थापना करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

कुटीर, टाइनी तथा लघु एककों की योजनाएं तथा कार्यक्रम मुख्यतः संवर्धनात्मक हैं। इनमें लघु उद्योग सेवा संस्थाओं के जरिये तकनीकी विस्तार सहायता, शाखा संस्थान, विस्तार केन्द्र, क्षेत्रीय जांच केन्द्र औजार कक्ष महत्वपूर्ण है। अन्य महत्व के संवर्धनकारी उपायों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम, परामर्श सेवाएं प्रदान करना, परियोजना बनाने में सहायता देना, मशीनों की किराया खरीद, केवल लघु उद्योग ही उत्पादन तथा खरीदारी के लिये वस्तुओं का आरक्षण करना, आसान शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था करना आदि आते हैं। ये कार्यक्रम तथा योजनाएं बिहार सहित सभी राज्यों में चल रही हैं। उपर्युक्त सुविधाओं के अलावा, जैसा कि पंचवर्षीय योजना प्रलेख में बताया गया है, कुछ अन्य सुविधाएं भी बिहार राज्य को मिली हुई हैं। इनमें बिजली राज-सहायता, बिक्री कर से छूट देने के एवज में दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण पटना में व्यापार केन्द्र, डीजल जनित्रण सेटों की खरीदारी करने के लिये लघु एककों के लिये पूंजीगत राजसहायता महत्वपूर्ण है तथा चुने हुए औद्योगिक क्षेत्रों तथा बस्तियों में विशेष अवस्थापना संबंधी सुविधाएं दी जाती हैं।

पश्चिम बंगाल में बीस इंजीनियरी इकाइयों का बन्द किया जाना

4045. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 फरवरी के "इकानामिक टाइम्स" में "टुवन्टी इंजीनियरिंग यूनिट्स क्लोजड इन वैस्ट बंगाल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन इकाइयों ने भविष्य निधि कर्मचारी राज्य बीमा योजना, परिवार-पेन्शन आदि के अंशदान का अपना भाग उपयुक्त प्राधिकारियों को जमा नहीं करवाया था;

(घ) यदि हां, तो इन कम्पनियों में से प्रत्येक से सम्बन्धित इस प्रकार की बकाया राशि का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अंशदान जमा करने में हुई चूकों के परिणामस्वरूप इन कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पटल पर रख दी जायेगी।

पुराने उद्योगों का आधुनिकीकरण

4046. **श्री अशोक गहलोत** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में पुराने उद्योगों के आधुनिकीकरण और उन्हें अद्यतन प्रौद्योगिकी उपलब्ध करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो किन किन उद्योगों को ये सुविधाएं देने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) मार्च, 1976 से एक तकनीकी विकास निधि योजना नामक योजना विद्यमान है जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण करना, किस्म नियन्त्रण में सुधार लाना, प्रौद्योगिकी को समुन्नत बनाना, मिश्र उत्पादों का युक्तियुक्तिकरण करना तथा वर्तमान औद्योगिक एककों की निर्यात सम्बन्धी क्षमताओं को बढ़ाना है। इस योजना में सन्तुलनकारी निवेश करना तथा प्रतिवर्ष 2,50,000 अमरीकी डालर तक की अपेक्षाकृत कम मूल्य का आयात करना शामिल है। इस योजना के क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

1. सन्तुलनकारी किस्म के पूंजीगत उपकरण;

2. परामर्श;

3. तकनीकी जानकारी, तथा

4. खाके एवं डिजाइनें।

इनके साथ ही लोक वित्त संस्थाएं उद्योग समूहों अर्थात् सूती वस्त्र, जूट, सीमेंट, चीनी तथा कुछ इंजीनियरी उद्योगों के लिये एक आसान ऋण योजना भी चलाती है ताकि ये उद्योग आधुनिकीकरण करने के लिये कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकें।

पाक अधिकृत कश्मीर में चीनी सेनाओं का जमाव

4047. **श्री तारिक अनवर :**
श्री माधवराव सिंधिया :
डा० बसन्त कुमार पंडित :

क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी सेनाओं ने सामरिक महत्व के काराकोरम राजमार्ग पर कब्जा कर लिया है;

(ख) क्या अब चीन उक्त मार्ग के जरिये बहुत ही अल्पकालीन नोटिस पर 36 मिलिटिरी डिवीजन से अधिक सेना भारतीय सीमाओं पर तैनात करने की स्थिति में हो गया है ;

(ग) क्या चीन के सैनिक कर्मचारी बराबर इस मार्ग से आ-जा रहे हैं और उन्हें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में और पाकिस्तान में महत्वपूर्ण सैनिक ठिकानों पर भेजा जा रहा है; और

(घ) यदि उपर्युक्त भागों का उत्तर सकारात्मक है तो राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस राजमार्ग के निर्माण के कारण सामरिक दृष्टि से चीन की स्थिति कुछ अधिक अनुकूल हो गई है ।

(ग) इस विषय में सरकार के पास कोई पक्की सूचना नहीं है ।

(घ) पूरी रक्षा तैयारियों की योजनाओं को अद्यतन बनाते समय हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं का बराबर ध्यान रखा जाता है ।

मैसर्स मारुति लिमिटेड द्वारा किया जाने वाला भुगतान

4048. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों के नाम और पते तथा राशि और भुगतान के क्या कारण हैं जिन्हें मारुति लिमिटेड द्वारा विभिन्न प्रकार के भुगतान किए जाने हैं; और

(ख) उन व्यक्तियों के नाम और पते तथा राशि और भुगतान के क्या कारण हैं जिन्हें मारुति लिमिटेड द्वारा, उसके सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने के पश्चात् विभिन्न प्रकार के भुगतान किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मुआवजे की अदायगी के बारे में ये ब्यौरे मारुति लि० (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा हस्तान्तरण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों के अनुसार भुगतान आयुक्त द्वारा तय किये जाने हैं ।

(ख) अब तक ऐसा कोई भुगतान नहीं किया गया है।

संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों से खाली पदों को भरना

4049. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी कर्मचारी अनुभाग अधिकारियों और वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में एक, दो बार नहीं बल्कि तीन बार सफल होने पर भी पर्याप्त रिक्त स्थानों की कमी के कारण आयोग द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) में नहीं आ पाते हैं जिसके परिणामस्वरूप परीक्षार्थियों की कड़ी मेहनत और उनका श्रम निष्फल हो जाता है ;

(ख) क्या वर्ष के दौरान अप्रत्याशित रूप से कुछ स्थान रिक्त होते हैं और वे उन परीक्षार्थियों को मिलने के बजाये जिनको परिणाम की घोषणा के समय रिक्त स्थान न होने के कारण वे नहीं मिल पाते, तदर्थ रूप से अन्य कर्मचारियों को दे दिए जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे रिक्त पद उन परीक्षार्थियों को दिए जाएं जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त की होती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 की अनुसूची के विनियम 2 के साथ पठित इन नियमों के नियम 13(2) के अधीन किसी वर्ष के दौरान अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 28% रिक्तियां सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों में से भरी जाती हैं। चूंकि उक्त परीक्षा प्रतियोगितात्मक स्वरूप की है इसलिए योग्यता सूची पदोन्नति की इस पद्धति के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या तक ही सीमित रखी जाती है।

(ख) से (घ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड से अल्पकालिक/अस्थायी रिक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के नियम 13 के उपबन्धों के अनुसार पात्र सहायकों की पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। इन रिक्तियों के ऐसे उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता जिन्हें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सफल नहीं पाया गया है।

थीन बांध परियोजना के लिये मंजूर राशि

4050. **श्री दौलत राम सारण** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने सम्बद्ध राज्यों की लागत और लाभ के बारे में निर्णय किये बिना थीन बांध परियोजना के लिये पंजाब योजना में कुछ धनराशि मंजूर की है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि लागत और लाभ का निर्णय किये बिना राज्य को धनराशि नियत करने का योजना आयोग का निर्णय अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में अब तक अपनाई गई सामान्य प्रक्रिया के प्रतिकूल है यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) योजना आयोग ने थीन बांध परियोजना के लिए निवेश अनुमोदन नहीं दिया है। विद्युत् विभाग से इन विषयों के बारे में स्पष्टीकरण के लिए कहा गया है (1) परियोजना का संगठन, प्रबन्ध और वित्त-व्यवस्था; (2) सिंचाई और विद्युत् के बीच लागत के आवंटन का तर्कसंगत आधार; और (3) अन्तर्राज्यीय विषय। पंजाब की छठी पंचवर्षीय योजना में 130 करोड़ रु० (सिंचाई क्षेत्रक के अन्तर्गत 53 करोड़ रु० और विद्युत् क्षेत्रक के अन्तर्गत 77 करोड़ रु०) की व्यवस्था की गई है, जो योजना आयोग द्वारा निवेश अनुमोदन दिए जाने के अधीन है।

बेरोजगार इंजीनियर स्नातक

4051. **श्री सुधीर गिरि :**
श्री जनार्दन पुजारी :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनवरी, 1981 तक बेरोजगार इंजीनियर स्नातकों की कुल संख्या क्या है; और

(ख) सरकार का बेरोजगार इंजीनियर स्नातकों की बेरोजगारी की समस्या को हल करने का क्या प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) 81-12-1980 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर इंजीनियरी स्नातकों, स्नातकोत्तरों सहित, नौकरी चाहने वालों की संख्या (जिनमें अनिवार्यत: सभी बेरोजगार नहीं है) 23,856 (अनन्तिम) थी।

(ख) छठी योजना दस्तावेज 1980-85 के 'जनशक्ति एवं रोजगार' सम्बन्धी अध्याय में इंजीनियरों सहित शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार संभावनाएं सृजित करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के ब्यौरे दिए गए हैं। योजना में यह परिकल्पना की गई है कि विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत आरम्भ किए जाने वाले कार्यक्रम इंजीनियरों सहित शिक्षित व्यक्तियों के रोजगार के लिए पर्याप्त सम्भावनाएं प्रदान करेंगे। स्व:नियोजितों की प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऋण सुविधाएं, विपणन सुविधाएं और मार्गदर्शन प्रदान कर के एक पुनर्व्यवस्था प्रदान करने का प्रस्ताव है।

नेवल डाकयार्ड और डिपो में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अर्जित अवकाश की सुविधा का न होना

4052. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 दिन के अर्जित अवकाश की सुविधा फ्लैग आफीसर कमांडिंग इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय बम्बई के लिपिक वर्गीय तथा गैर-औद्योगिक

कर्मचारियों को ही दी गई है, जबकि यह सुविधा नेवल डाकयार्ड तथा अन्य प्रमुख डिपुओं के औद्योगिक श्रमिकों को नहीं दी गई है, इस प्रकार दस हजार श्रमिक इस लाभ से वंचित हैं;

(ख) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस भेदभाव को समाप्त करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) सचिवालयी, औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों की अर्जित छुट्टी की हकदारी के बारे में अलग-अलग नियम बने हुए हैं।

(ग) और (घ) इस विषय में राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) ने सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष के बीच हुए मतभेद को रिकार्ड करने के बाद इसे विवाचन मंडल (जे० सी० एम) के पास भेज दिया था। विवाचन मंडल के निर्णय के अनुसरण में औद्योगिक कर्मचारियों की छुट्टी की हकदारी 1.1.1981 से बढ़ा दी गई है।

गोबर गैस सन्यन्त्रों का निर्माण

4053. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में गोबर गैस सन्यन्त्रों का, जिन्हें आसानी से लगाया जा सके और दूर-दराज के गाँवों में संचालित किया जा सके, निर्माण करने के लिये योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना/स्कीम का ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) सरकार का छठी योजना की अवधि के दौरान सारे देश में जैव-गैस संयंत्रों की प्रतिष्ठापना के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रारम्भ करने का इरादा है। इस प्रयोजन के लिए, कई हजार सन्यन्त्रों की संविरचना की जाएगी और सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की इकाईयों, जिनके पास इस क्षेत्र की विशेष योग्यता है, को इनके निर्माण और विनिर्माण में सम्मिलित किया जाएगा। इस समय, खादी ग्रामोद्योग आयोग, उत्तर प्रदेश राज्य योजना संस्थान का योजना अनुसंधान और कार्य प्रभाग (प्लानिंग रिसर्च एण्ड एक्शन डिवीजन) और राज्य में कई कृषि-उद्योग निगम इन इकाईयों का निर्माण/विनिर्माण कर रहे हैं। उनके कार्यक्रमों का अपेक्षाओं के अनुकूल और अधिक विस्तार भी किया जाएगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विचार

4054. **श्री चतुर्भुज** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद ने परिवहन, रेलवे, सिंचाई, विद्युत तथा सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना की दृष्टि से राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान ने उक्त विकास कार्यों के लिये मद-वार कितनी राशि मांगी है और उसे कितनी राशि देने का विचार है; और

(ग) क्या राजस्थान ने केन्द्र सरकार को राज्य में विकास की गति को तेज करने सम्बन्धी कोई मार्गदर्शी सिद्धांत प्रस्तुत किये हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) राजस्थान सहित विभिन्न दृष्टिकोणों से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास उन विकास योजनाओं का भाग है जिन पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा विचार किया जाता है।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा अपनी 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित मद-वार राशि और सहमत परिव्यय संलग्न विवरण में बताए गए हैं।

(ग) राज्य में विकास की गति को तेज करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत राजस्थान सरकार से योजना आयोग में प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85—राजस्थान

(करोड़ रु०)

क्षेत्रक	1980-85	
	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित	अनुमोदित
1	2	3
कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रक	404.72	318.43
सहकारिता	28.00	24.38
सिंचाई	550.00	375.00
बाढ़ नियन्त्रण और बस्तियों का निर्माण	42.75	17.75
विद्युत्	1000.00	675.00

1	2	3
उद्योग और खनिज	119.87	83.59
परिवहन और संचार	294.00	136.50
शिक्षा	145.43	101.25
चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	58.75	40.98
मलक जल व्यवस्था और जलपूर्ति	441.14	198.29
आवास	38.72	24.85
अन्य सामाजिक सेवाएं	31.18	19.76
आर्थिक सेवाएं	7.08	1.22
सामान्य सेवाएं	11.23	8.00
जोड़	3167.87	2025.00

भारतीय स्टेट बैंक, साहिबाबाद में डकैती

4055. **श्री नवीन रवाणी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक, साहिबाबाद में पिछले महीने हुई 7 लाख रुपये की डकैती के मामले को साढ़े चार लाख रुपये की सम्पत्ति का पता लगाने के साथ सुलझा लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में पकड़े गए हथियारों, वस्तुओं, माल और दूसरी चीजों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इस मामले से सम्बद्ध व्यक्ति कौन-कौन हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इस प्रकार के मामले में डाकुओं के एक अन्तर्राज्यीय गिरोह का हाथ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के गिरोहों को सदा के लिए समाप्त करने हेतु क्या उपाय किए गये हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने 2 अभियुक्त व्यक्तियों जगतारसिंह और अंसार अहमद को गिरफ्तार करके साहिबाबाद के निकट

भारतीय स्टेट बैंक, महाराजपुर में हुई डकैती का पता लगाया है। 1,57,000 रुपए नकद, घरेलू सामान, आभूषण और एक मोटर साइकिल जो अभियुक्त जगतार सिंह द्वारा बैंक डकैती के लूट के माल के अपने हिस्से से खरीदी गई थी, बरामद किए गए हैं। अभियुक्त व्यक्ति, जगतार सिंह और अंसार अहमद से चार फियट कार और एम्बेसडर कार भी बरामद की गई है। जगतार सिंह से बिना चले पांच कारतूस और खाली (चला हुआ) कारतूस सहित एक पिस्तौल (भारतीय) बरामद की गई थी। अभियुक्त अंसार अहमद से भी छः भरे हुए कारतूसों सहित एक इंगलिश रिवाल्वर बरामद की गई थी।

(ग) दोनों अभियुक्त थाना नजफगढ़, दिल्ली क्षेत्र में शस्त्र अधिनियम की धारा 27/54/59 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 42 और 43 तारीख 22-2-1981 के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। उनके साथियों को गिरफ्तार करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(घ) इस डकैती में अन्तर्ग्रस्त गिरोह एक अन्तर्राज्यीय गिरोह है।

(ङ) दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) मर्मस्थलों पर टुकड़ियां तैनात की गई हैं।

(2) आसूचना एकत्र करने के लिए साधन जुटाए गए हैं।

(3) बदमाशों की गतिविधियों पर कड़ी सतर्कता रखी जा रही है।

(4) पुलिस बल की गतिशीलता में वृद्धि की गई है।

(5) चुनिन्दा और सामरिक महत्व के स्थानों पर रुकावटें खड़ी की गई है।

(6) पड़ोसी राज्यों के अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ अन्तरजिला बैठकें की जाती हैं और सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है।

विभागों/कार्यालयों द्वारा भर्ती तथा पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण सम्बन्धी सरकारी आदेशों की क्रियान्विति

4056. **श्री नाथू राम शाक्यवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कुछ विभाग/कार्यालय हैं जो भर्ती/पदोन्नति के समय आरक्षण सम्बन्धी सरकारी आदेशों की क्रियान्विति के बारे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त अथवा ऐसे अन्य निकायों को कोई सूचना नहीं भेजते हैं हालांकि उनका समूचा खर्च सरकारी निधि से पूरा किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ये विभाग/कार्यालय कौन-कौन से हैं और ये उपरोक्त निकायों को कब से वह सूचना नहीं भेज रहे हैं ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/जनजातियों के आयुक्त तथा ऐसे अन्य निकायों ने गत तीन वर्षों के दौरान इस मामले में कभी गृह मंत्रालय से बात चीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) जब कभी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त द्वारा पूछ-ताछ की जाती है तो मामलों के तथ्य उन्हें भेजे जाते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार उन्होंने ऐसे सामलों की जानकारी नहीं दी है जिनमें विभागों/कार्यालयों द्वारा उन्हें सूचना न भेजी गई हो, सिवाय उन बातों के, जिन्हें उन्होंने 1977-78 और 1978-79 की अपनी वार्षिक रिपोर्टों में दी है, जहां सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, रेल मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राज्य सरकारों आदि का उल्लेख किया गया है जिन्होंने या तो विलम्ब से या अपूर्ण सूचना दी है अथवा कोई सूचना ही नहीं दी है। गृह मंत्रालय सम्बन्धित विभागों/अभिकरणों के परामर्श से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की सिफारिशों पर कार्यवाही करता है। जनवरी, 1981 में अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त को अपेक्षित सूचना नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाए। "अन्य निकायों" जो माननीय सदस्य के ध्यान में हों, के किसी विचलन के अभाव में कोई सूचना देना मुश्किल है।

केरल में सीमेंट की कमी

4057. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में सीमेंट की अत्यधिक कमी की जानकारी है जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र में विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सीमेंट की मात्रा क्या है और उसे सप्लाई की गई मात्रा क्या है ; और

(ग) केरल राज्य को पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) केरल सहित देश के सभी भागों में सीमेंट की सामान्य कमी है और इस सीमा तक अतएव यह संभव है कि राज्य में विकास की गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा।

(ख) राज्य सकरारों से सीमेंट की मांग इकट्ठी नहीं जाती है। तो भी, हाल ही में केरल सरकार ने बताया है कि उन्हें प्रति तिमाही 5 लाख मी० टन सीमेंट की आवश्यकता होगी। पिछली चार तिमाहियों में केरल राज्य को भेजी गई सीमेंट निम्न प्रकार है :—

तिमाही 1/80 (जनवरी-मार्च, 1980)	2,23,400 मी० टन

तिमाही 2/80 (अप्रैल-जून, 1980)	3,05,300 मी० टन
तिमाही 3/80 (जुलाई-सितम्बर, 1980)	1,95,900 मी० टन
तिमाही 4/80 (अक्टूबर-दिसम्बर, 1980)	2,16,400 मी० टन

(ग) केरल राज्य सहित सभी राज्यों को अधिक आवंटन केवल तभी संभव होगा की उपलब्धता स्थिति बेहतर हो जाए इसके लिए प्रत्येक संभव उपाय किए जा रहे हैं।

आग्नेयस्त्रों पर प्रतिबन्ध

4058. श्री रामलाल राही : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न अपराधों, साम्प्रदायिक दंगों और हत्याओं में आग्नेयस्त्रों के प्रयोग में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए सरकार का विचार इन अस्त्रों को निषेध करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में राज्य सरकारों को निदेश दिये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार को इस समस्या की जानकारी है। राज्य सरकारों को अवैध शस्त्रों/गोला बारूद का पता लगाने के लिए अभियान शुरू करने के लिए कहा गया है। उनको यह भी सुझाव दिया गया है कि शस्त्रों के लिए स्वीकृत लाइसेंसों का पुनरीक्षण किया जाये और उन क्षेत्रों में लाइसेंसों को रद्द कर दिया जाये जहां अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचार हुए हैं अथवा एसे अत्याचार होने की सम्भावना विद्यमान है। अवैध शस्त्रों को निर्माण के लिए कुख्यात क्षेत्रों को भी छानबीन की जानी चाहिए और अत्याचारों का करने के लिए आपूर्ति करने वाले साधनों को समाप्त किया जाना चाहिए। उनको बाहर से हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए भी कहा गया है। लाइसेंस शुदा व्यापारियों और लाइसेंस शुदा उत्पादकों को बारम्बार और सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए। अवैध शस्त्रों और गोला बारूद का पता लगाने के संबंध में राज्य सरकारों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजे गए हैं।

(1) पुलिस मुख्यालय में केवल गैर-लाइसेंस शुदा निर्माण, बिक्री और शस्त्र गोला-बारूद और विस्फोटकों को रखने की समस्या को हल करने के लिए एक छोटे कक्ष का सजन किया जाये।

(2) गैरलाइसेंस शुदा निर्माण और अग्नेयस्त्रों और गोला-बारूद की बिक्री का पता लगाने के लिए विशेष प्रयत्न करने के लिए सभी उप-मंडलीय पुलिस अधिकारियों और सभी थाना प्रभारी अधिकारियों को निदेश दिए जायें।

(२) इस सम्बन्ध में उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए पुलिस अधिकारियों को उपयुक्त पुरस्कार दिए जायें। गैर-लाइसेंसशुदा शस्त्रों और विस्फोटकों को बरामदगी की सूचना देने वाले व्यक्तियों को भी उपयुक्त नकद पुरस्कार दिए जाएं, ऐसे व्यक्तियों की पहचान गुप्त रखी जाए।

(4) राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित उचित अवधि में गैर-लाइसेंसशुदा हथियारों को स्वेच्छा से समर्पण करने वाले व्यक्तियों को क्षमा करने के प्रश्न पर विचार किया जाये।

(5) अवैध शस्त्रों के बरामद करने के लिए राज्यों में शुरू किए गए विशेष अभियान के अंग के रूप में छात्रों के छात्रावासों से अग्नेयस्त्रों का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाई की जानी चाहिए।

बर्मा से आए शरणार्थी

4059. **श्री चिंगवाग कोनयक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करने के लिये बर्मा से नागालैंड में शरणार्थी आए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बर्मा से नागालैंड में आने वाले शरणार्थियों की कुल संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। राज्य सरकार के अनुसार खेमुंगान जनजाति से सम्बन्धित 1362 शरणार्थियों ने अप्रैल 1980 से अब तक नागालैंड सीमा पार की। बताया जाता है कि इनमें से 682 अब तक वापिस जा चुके हैं।

छठी योजना में महिलाओं के लिए रोजगार तथा उनके कल्याण के लिए प्रस्ताव

4060. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए रोजगार तथा उनके कल्याण के लिए विभिन्न महिला-संगठनों ने योजना आयोग के सामने क्या-क्या सिफारिशें रखी हैं ;

(ख) क्या उन में से कोई सिफारिश स्वीकार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उनके द्वारा की गई सिफारिशों में से कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं—लक्ष्यित समूह के रूप में महिलाओं के साथ कार्यक्रमों में परिवार दृष्टिकोण का प्रतिस्थापन, केन्द्र और राज्यों में सभी क्षेत्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों में निर्धारित संसाधनों के साथ विशेष संघटक दृष्टिकोण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भीतर बाल देखभाल केन्द्रों के समुच्चय की व्यवस्था, विशेष रूप से कृषि और कृषि पर आधारित उद्योगों में प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं के भीतर

विशेष संघटक के रूप में बाल स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, साक्षरता और प्रारंभिक शिक्षा में पुरुष-महिला के अंतर को कम करने के लिए वास्तविक और समयबद्ध लक्ष्यों को अपनाना, शैक्षिक, प्रक्रिया के जरिए पुरुष महिला की समानता के मूल्यों का संवर्धन, महिलाओं और महिला कामगारों के संरक्षण के लिए मौजूदा कानूनों के प्रवर्त्तन में सुधार।

(ख) और (ग) छठी योजना को अन्तिम रूप देते समय इन सिफारिशों को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया था। योजना दस्तावेज में "महिलाएं और विकास" नामक एक अलग अध्याय शामिल किया गया है।

आदिम जाति विकास के लिए मध्यावधि योजना पर कार्यदल की सिफारिशें

4061. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जाति विकास के लिए 1978-73 के मध्यावधि योजना पर कार्यदल की सिफारिशें उनके मंत्रालय और सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों और राज्यों द्वारा स्वीकार और कार्यान्वित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन का क्या परिणाम रहा ; और

(ग) उनमें से कितनी कार्यान्वित नहीं की गई हैं और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) कार्य दल का गठन मध्यमावधि योजना 1978-83 के दौरान नीति और अग्रता पर सलाह देने के लिए किया गया था। सरकार ने रिपोर्ट की स्वीकार कर लिया था और इसे राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों को भेज दिया था ताकि वे राज्य जनजाति उप-योजनाएँ और केन्द्रीय मंत्रालयों की क्षेत्रीय योजनाएं बनाते समय कार्य दल के विचारों को ध्यान में रख सकें। राज्य सरकारों द्वारा कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है, इसकी सिफारिश-वार सूचना उपलब्ध नहीं है। मध्यमावधि योजना का स्थान अब छठी योजना ने ले लिया है।

अन्त्योदय योजना को जारी रखने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्ताव

3062. **आचार्य भगवान देव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह अपनी छठी पंचवर्षीय योजना में पिछली सरकार की भांति "अन्त्योदय" कार्यक्रम को जारी रखे;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में इस कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष कितना व्यय आने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या योजना आयोग "अंत्योदय" कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर रहा है ?

योजना और श्रम-मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान सरकार ने अन्त्योदय कार्यक्रम के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में 3 करोड़ रु० के और 1981-82 की वार्षिक योजना में 1.5 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की है।

(ग) अन्त्योदय कार्यक्रम बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों की योजनाओं में शामिल किया गया है।

मेसर्स टी० वी० सुन्दरम आयंगर का एकाधिकार

4063. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टी० वी० सुन्दरम आयंगर एण्ड सन्स द्वारा तमिलनाडु के आटोमोबाइल कम्पोजिट मैन्युफैक्चरिंग प्लांटों के एकाधिकार की जानकारी है ; और

(ख) इस एकाधिकार को खत्म करने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) यह मानते हुए कि "एकाधिकार" शब्द का अभिप्राय एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 में परिभाषित "प्रभुत्व" शब्द से है, टी० वी० सुन्दरम आयंगर एण्ड सन्स ग्रुप से सम्बन्धित केवल एक कम्पनी है अर्थात मेसर्स लुकास इण्डियन सर्विसज लिमिटेड, जो रोटोर आर्म्स और इग्निशन कायत्स के निर्माण हेतु एक प्रमुख उपक्रम के रूप में एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 की धारा 26 के साथ पठित धारा 20(ख) के अधीन पंजीकृत है।

(ख) सम्भरण के अतिरिक्त स्त्रोतों का विकास करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

जनजातीय उप-योजना के लिये विशेष सहायता

4064. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों को 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान जनजातीय उप-योजना कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये विशेष सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने कुछ अनुदान वापस कर दिये हैं क्योंकि वे जनजातियों के उत्थान कार्यक्रमों पर सारी राशि व्यय नहीं कर सके ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं और उपरोक्त अवधि के दौरान उन्होंने बिना व्यय की गई कितनी राशि वापस की ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दी गई राशि का एक राज्य-वार विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) और (ग) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए गए अनुदानों को वापस करने के मामले सूचित नहीं किए गये हैं। 1980-81 का वित्तीय वर्ष अभी पूरा होना है और किसी अनुदान के वापस करने की सम्भावना नहीं है।

विवरण

उप-योजना कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई राशि का विवरण

राज्य	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	283.00	374.10	289.22
असम	325.00	325.80	319.01
बिहार	994.00	972.10	967.98
गुजरात	624.70	566.20	560.20
हिमाचल प्रदेश	150.00	125.00	31.22
कर्नाटक	28.00	48.00	17.17
केरल	26.00	40.00	57.00
मध्य प्रदेश	1922.80	1918.90	1918.51
महाराष्ट्र	528.00	380.60	542.16
मणिपुर	177.00	126.00	112.05
उड़ीसा	1033.00	991.10	881.45
राजस्थान	388.50	537.00	496.49
सिक्किम	—	—	10.00
तामिलनाडु	54.00	55.00	73.87
त्रिपुरा	115.00	130.00	19.07
उत्तर प्रदेश	18.00	31.20	122.58
पश्चिम बंगाल	268.00	314.00	359.03
अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	43.00	12.50	14.00
गोवा, दमन और द्वीव	22 00	15.00	12.81
कुल जोड़	7000.00	6962.50	6774.26

पाकिस्तान जासूसी गिरोह में शामिल सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारी

4065. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री मंगल राम प्रेमी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल के कुछ कर्मचारी काश्मीर में उरी सीमा पर कार्य कर रहे पाकिस्तानी जासूसी गिरोह में शामिल पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उन्हें किस प्रकार की भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार सीमा सुरक्षा बल का केवल एक सिपाही हाल ही में जासूसी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाया गया था।

(ख) उसने कुछ दस्तावेज तथा सी० सु० बल से सम्बन्धित सूचना पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मचारियों को दी थी।

(ग) सम्बन्धित सिपाही के विरुद्ध कार्रवाई सीमा सुरक्षा बल अधिनियम और नियमों के अधीन की जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण

4066. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की दृष्टि से, सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो 1980 के दौरान कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने टंकण प्रशिक्षण सहित हिन्दी सीखने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है ;

(ग) उनमें से कितनों का उपयोग शासकीय प्रयोजनों हेतु हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किया जा रहा है ;

(घ) क्या हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त कुछ कर्मचारियों ने हिन्दी में काम करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है और क्या सरकार का विचार इस आशय के अनुदेश जारी करने का है कि जिन कर्मचारियों ने हिन्दी में काम करने से मना कर दिया है उनसे सरकार द्वारा उन्हें दिए गए नकद पुरस्कार की राशि वापिस ले ली जाए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रपति के 27-4-1960 के आदेश के अनुसार केन्द्र सरकार के अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि में भी सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के प्रबंध किये गये हैं।

(ख) 1980 में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी और हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किये हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

पाठ्यक्रम का नाम	कर्मचारियों की संख्या
प्रबोध	5614
प्रवीण	5696
प्राज्ञ	5036
हिन्दी टंकण	2651

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार का कर्मचारी अपने सरकारी काम में हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। परन्तु जैसी राजभाषा (संघ के सरकारी प्रयोजन के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 8(4) में व्यवस्था है, केन्द्र सरकार ऐसे कार्यालयों को अधिसूचित कार्यालय विनिर्दिष्ट कर सकती है, जहां उन कर्मचारियों द्वारा सरकारी प्रयोजनों के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग किया जायेगा, जिन्हें हिन्दी में दक्षता प्राप्त है। सरकार को कर्मचारियों के हिन्दी में काम करने से इन्कार करने के बारे में कोई समाचार नहीं मिले हैं। सरकार का यह प्रयास है कि अनुनय द्वारा और प्रोत्साहन देकर सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जाय।

मत्स्य नौका विकास फंड

4067. श्री डी० पी० जडेजा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में मत्स्य नौकाओं के निर्माण के लिए मत्स्य नौका विकास फंड बनाया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980-81 के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) इण्डियन शिपयार्ड की मत्स्य नौका बनाने की वर्तमान क्षमता कितनी है और 1980 के दौरान वास्तव में कितनी मत्स्य नौकाओं का निर्माण किया गया;

(घ) क्या आबंटित राशि का उपयोग नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां।

(ख) एक करोड़ रुपए।

(ग) क्षमता प्रतिवर्ष 170 मत्स्यनौकाओं की है जिनमें लघु क्षेत्र के शिपयार्डों की क्षमता भी शामिल है। बताया गया है कि 1980 में संगठित क्षेत्र में दो मत्स्यनौकाओं का निर्माण किया गया है।

(घ) जी, हां। आबंटित राशि का उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) फण्ड से सहायता के लिए अभी तक कोई भी आवेदन पत्र नही मिला है।

दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों द्वारा कच्चे माल के उपयोग में की गई अनियमितताएं

4068. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय ऐसी औद्योगिक ईकाइयां की संख्या क्या है, जो दिल्ली प्रशासन के विभिन्न स्रोतों से कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) क्या इन औद्योगिक इकाइयों ने कच्चे माल का पूरा उपयोग किया है और क्या विभाग द्वारा इस बारे में कोई जांच की जाती है;

(ग) उन औद्योगिक ईकाइयों की संख्या तथा नाम क्या हैं, जिन्हें इस जांच के फलस्वरूप अनियमितताओं का दोषी पाया गया है ; और

(घ) दोषी इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) दिल्ली में ऐसे 1655 औद्योगिक एकक हैं जिन्हें दिल्ली प्रशासन से कच्चा माल मिलता है।

(ख), (ग) और (घ) इन एककों द्वारा उपयोग में लाए गए कच्चे माल के बारे में कोई औपचारिक जांच नहीं की गई है किन्तु उद्योग निदेशालय के कर्मचारियों (फील्ड स्टाफ) द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती है। उन्होंने 1 अप्रैल 1980 से 28 फरवरी, 1981 के दौरान 78 एककों में अनियमितताओं का पता लगाया था। विस्तार से जाँच करने तक इन एककों के लिए आगे और कच्चा माल देना स्थगित कर दिया गया है।

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण

4069. **श्री जयनारायण रोत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का तेजी से औद्योगिकीकरण करने के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) किसी भी जिले या क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए योजनाओं को सूत्रबद्ध करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, केन्द्रीय सरकार ने इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाले एककों के लिए पूंजी निवेश राजसहायता, तथा परिवहन राजसहायता, तथा प्रावधान करने और रियायती वित्त का प्रबन्ध करने के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक समर्थकारी उपाय

किए हैं। राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में उस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर सीसे और जस्ते की खान योजनाओं का विकास किया जा रहा है ताकि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा धातु का उत्पादन किया जा सके। यह भी सूचना है कि जनजातीय क्षेत्रों में अन्य खनिजों का विदोहन करने के लिए खनन योजनाएं राज्य के विचाराधीन हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न बैठकों में जाने के लिए सुविधाएं

4070. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को (1) संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र-तीन तथा दो स्तर, (2) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त फेडरेशनों/संगठनों, (3) श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित कामगार शिक्षा योजना बोर्ड/सलाहकार समितियों; और (4) खेलकूद प्रतियोगिताओं/आयोजनों (मीट्स) में भाग लेने के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : प्रश्न में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाएं निम्नलिखित हैं :—

(1) संयुक्त परामर्श तंत्र के कर्मचारी पक्ष के सेवारत कर्मचारियों को तृतीय तथा द्वितीय स्तर की संयुक्त परिषदों की बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें ड्यूटी पर माना जाता है और नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाता है।

(2) कार्यकारी समितियों, आदि, मान्यता प्राप्त संगठनों/फैडरेशनों के सदस्यों को ऐसे फैडरेशनों/संगठनों की बैठकों में भाग लेने के लिए एक वर्ष में 20 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाता है।

(3) सलाहकार समितियों/केन्द्रीय कामगार शिक्षा योजना बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विभागीय नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता मिलता है। कर्मचारियों को उनके विभागों की ओर से दौरे पर माना जाता है।

(4) खेलकूद प्रतियोगिताओं/आयोजनों में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं :—

(क) रेल रियायत—एक तरफा किराए में दोनों ओर की यात्रा ;

(ख) रु० 20/- प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता;

(ग) मैच के दिनों में रु० 1.50 प्रतिदिन की दर से नाश्ता ;

(घ) प्रत्येक 12 घंटे में रु० 5/- की दर से यात्रा भत्ता ;

(ङ) खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए एक कलैण्डर वर्ष में अधिक से अधिक 30 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी;

(च) खेलकूद प्रतियोगिता के स्थान पर मेजवान राज्य द्वारा निशुल्क आवास;

(छ) बोर्ड के नियमित कर्मचारी जब भी खेल-कूद प्रतियोगिता/आयोजनों में हाजिर होते हैं तो उन्हें ड्यूटी पर माना जाता है और वे भारत सरकार के विद्यमान नियमों के अधीन उपलब्ध यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के हकदार होते हैं।

सीमेंट टायर और कागज उद्योगों का आधुनिकीकरण

4071. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट, कागज और टायर उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को यह सुझाव दिया गया है कि कागज और टायर उद्योगों को आधुनिकीकरण हेतु आसान ऋण योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए। जहां तक सीमेंट उद्योग का सम्बन्ध है, आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उद्योग के सहायतार्थ एक योजना बनाई जा रही है।

बांस पर आधारित पेपर मिलें

4072. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन पेपर मिलों की संख्या और विवरण क्या है जो अपने कच्चे माल के लिए बांस का उपयोग करते हैं;

(ख) इस प्रकार की पेपर मिलों में 1979 और 1980 में बांस की कितनी मात्रा का उपयोग किया गया; और

(ग) बांस पर आधारित पेपर मिलों के लिए जारी लाइसेंसों का विवरण क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) साधारणतया कागज मिलें विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्री जैसे बांस, ट्रापिकल हार्डवुड; कृषि अवशेष, घासें, रद्दी कागज, आदि का उपयोग करती हैं अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि कौन सी मिलें केवल बांस का प्रयोग करती हैं। किन्तु, बांस सहित वनों कच्ची सामग्री का पर्याप्त मात्रा में उपयोग करने वाली समेकित लुग्दी उद्योग और कागज मिलों की एक सूची विवरण में दी गई है।

(ख) कागज मिलों द्वारा की गई खपत के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) कागज और कागज गत्ते की विभिन्न किस्मों का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाते हैं। विशिष्टि कच्ची सामग्री पर आधारित कागज के निर्धारित उत्पादन हेतु कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है।

विवरण

क्रम	पार्टी का नाम	क्षमता मी० टन प्रतिवर्ष	स्थापनास्थल
1.	टीटागढ़ पेपर मिल्स कं० लि०	93,000	टीटागढ़ और काकीनाडा पश्चिम बंगाल, चौड़ावर, उड़ीसा
2.	बंगाल पेपर एण्ड पल्प कं० लि०	23,000	नैहाटी (प. बंगाल)
3.	बंगाल पेपर मिल्स कं० लि०	50,000	रानीगंज (प. बंगाल)
4.	स्टार पेपर मिल्स लि०	46,000	सहारनपुर (उ. प्र.)
5.	रोहतास इण्डस्ट्रीज लि०	60,000	डालमियानगर (बिहार)
6.	ओरिएन्ट पेपर मिल्स	76,000	ब्रजराज नगर (उड़ीसा)
7.	स्ट्राप्राउक्ट्स लि०	60,000	रायगढ़ (उड़ीसा)
8.	स्ट्रा प्राडक्ट्स लि०	25,700	भोपाल (मध्य प्रदेश)
9.	ओरिएन्ट पेपर मिल्स लि०	85,000	अमलाई (म० प्र०)
10.	बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज	69,000	बल्लारपुर (महाराष्ट्र)
11.	सीरपुर पेपर मिल्स लि०	66,100	कागज नगर (म. प्र.)
12.	आंध्र प्रदेश पल्प एण्ड पेपर मि० लि०	76,000	राजमुन्दरी (आ. प्र.)
13.	मैसूर पेपर मिल्स लि०	24,000	भद्रावती (कर्नाटक)
14.	वैस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि०	60,000	डाँडेली (कर्नाटक)
15.	शेषसाई पेपर बोर्डस् लि०	50,000	पल्लापलायम (तमिलाडू)
16.	अशोक पेपर मिल्स लि०	40,500	अरेगी मोफा (असम)
17.	रायलसीमा पेपर मिल्स लि०	42,000	कुरनूल (आ. प्र.)
18.	भद्राचलम पेपर एण्ड बोर्डस लि०	50,000	भद्राचलम (आ. प्र.)
19.	सैन्ट्रल पल्प मिल्स लि०	16,500	सोनगढ़ (गुजरात)

आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरी, शाहजहांपुर में वर्दियों की सिलाई

4073. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरियों में सम सैनिक बलों, विभिन्न राज्यों की असैनिक पुलिस की वर्दियां और उनके द्वारा प्रयुक्त कपड़े तथा रेलवे की वर्दियां तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वर्दियां सीने के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्टरियों की स्थापना मुख्यत: सशस्त्र सेनाओं को वस्त्र तथा वस्त्रों की अन्य मदें सप्लाई करने के लिए की गई है । इन मदों की सप्लाई सशस्त्र सेनाओं को सन्तोषप्रद रूप से की जा रही है । सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय आरक्षी पुलिस दल, सीमा सड़क महानिदेशक तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर आदि परासैनिक संगठनों की वस्त्र सम्बन्धी मांग सशस्त्र सेनाओं की मांग के बराबर मानी जाती है और आर्डनेंस फैक्टरियों को उनकी जो भी मांग प्राप्त हुई है उसे पूरा किया जाता रहा है । सिविल पुलिस, होमगार्ड, रेलवे आदि अन्य संगठनों की मांगें भी पूरी की जाती हैं बशर्ते कि उपर्युक्त सैनिक संगठनों की मांग पूरी करने के बाद उसके लिए कारखानों में क्षमता उपलब्ध हो। इन अन्य संगठनों की माँग पूरी करने के लिए कारखानों में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की कोई योजना नहीं है लेकिन इन संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी मांग इन कारखानों के पास भेजें ताकि कारखानों में उपलब्ध क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके । इन संगठनों की माँग प्राप्त होने पर ही यह बताया जा सकेगा कि आयुध कारखानों में उनकी मांग पूरी की जा सकती है या नहीं ।

भूसी पर आधारित लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

4074. **श्री डूमरलाल बैठा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु सीमेंट उद्योगों की स्थापना किए जाने को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हाँ, तो अब तक हुई प्रगति, उद्यमों को दिये गए प्रोत्साहन, अन्तर्विष्ट पूंजी और इस प्रयोजन के लिए चयन किए गए स्थान क्या हैं;

(ख) सीमेंट के कच्चे माल के मुख्य उपादान क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि धान की भूसी में भी कुछ ऐसी सामग्री होती है जिसे सीमेंट का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल के एक उपादान के रूप में प्रयोग मे लाया जा सकता है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा यदि कोई है, क्या है; और

(घ) क्या धान उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में धान की भूसी पर आधारित सीमेंट उद्योग स्थापित करने के लिए निजी उद्यमियों को, उनको विशेष प्रोत्साहन देकर, यथेष्ट प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सरकारी नीति देश में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने को प्रोत्साहित करने की रही है । तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत 57 मिनी सीमेंट संयंत्रो के अलावा, भी देश में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए 32 आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं । मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए 4 जनवरी, 1979 का प्रेस नोट जिसकी प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, के जरिए प्रोत्साहनों की घोषणा कर दी गई थी । रोटरी किलन पर आधारित 200 मी० टन प्रतिदिन के मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने में स्वचालित होने के अंश के आधार

पर अनुमानत: लगभग 5 करोड़ के पूंजीगत निवेश की आवश्यकता पड़ती है। तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने जिन संयंत्रों के लिए आशयपत्र दिए/पंजीकरण किये हैं, उनका स्थापना स्थल संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सीमेंट के कच्चे माल में प्रमुख केल्शियस अक्साइड, सिलीक्षेत्र डाई-अक्साइड अल्युमीनियम अक्साइड तथा लोह अक्साइड शामिल हैं।

(ग) नियंत्रित वरिंग के जरियें प्राप्त धान की भूसी की राख में रिएक्टिव्ह सिलीका होती है जिस चूने के साथ मिलाकर पुश्ते बांधने की सामग्री का उत्पादन करने में उपयोग में लाया जा सकता है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

राज्य/संघ का काम	जिला जिसमें मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने का विचार है
1	2
1. आध्र प्रदेश	आदिलाबाद
	गुडापाह
	गुन्तूर
	करीमनगर
	के० बी० रंगारेड्डी
	कूरनूल
	नालगोंडा
	कृष्णा
2. गुजरात	बांसकंठा
	सुरेन्दर नगर
	कांच
	जामनगर
	भावनगर
	जूनागढ़
	पंचमहल

1	2
3. हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा
	धरमकोट
	सिरमूर
4. कर्नाटक	चित्रदुर्ग
	बीजापुर
	गुलबर्गा
	बेलगाम
5. मध्य प्रदेश	बालाघाट
	रींवा
	दमोह
	रायपुर
	धार
	रायगढ़
	खरगौन
6. महाराष्ट्र	चांदपुर
7. उड़ीसा	सुन्दरगढ़
8. राजस्थान	सिरोही, चित्तौड़गढ़
	सिकर
	पाली
	बांसवाड़ा
	जोधपुर
	जयपुर
	उदयपुर
9. उत्तर प्रदेश	देहरादून
10. बिहार	हजारीबाग
11. हरियाणा	अम्बाला
12. तमिलनाडु	रामनाथपुरम, मदुराई
13. पश्चिम बंगाल	पुरुलिया
14. पांडिचेरी	पांडिचेरी

बस्तर में पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़

4075. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में, जो आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, पुलिस और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ में गोलियां चली थी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) भविष्य में इस बारे मे क्या कार्यवाही की जायेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भविष्य निधि संगठनों के कार्यकरण पर समिति का प्रतिवेदन

4077. **श्री के० रामूर्ति :**
श्री जगदीश टाईटलर :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :
श्री मनमोहन टुडु :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि संगठन के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां ।

(ख) भविष्य निधि योजना सम्बन्धी रामानुजम समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2140/81]

तमिलनाडु में अखबारी कागज परियोजना की स्थापना

4077. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में अखबारी कागज का निर्माण करने वाली एक इकाई की स्थापना करने के लिए, जिसकी साम्य पूंजी में हिसाब लेने के लिए विश्व बैंक सहमत हो गया है, एक संयुक्त क्षेत्र की परियोजना के लिए जारी किए गए आशय पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस परियोजना को समय पर क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि किसी बाधा के कारण विश्व बैंक को अपना प्रस्ताव वापस लेने को विवश न होना पड़े, क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सेलम जिला तमिलनाडु में 83000 मी० टन अखबारी कागज और 17,000 मी० टन लिखाई व छपाई के

कागज के उत्पादन के लिए एक नया उपक्रम स्थापित करने हेतु मैसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लिमिटेड, एक राज्य क्षेत्र के उपक्रम को दिनांक 3 जुलाई, 1979 को एक आशय पत्र जारी किया गया है ।

चूंकि यह एक राज्य परियोजना है, अत: तमिलनाडु सरकार समय पर परियोजना के कार्यान्वयन के हर सम्भव कदम उठायेगी ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा लघु इकाइयों का विकास

4078. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने देश के ग्रामीण भाग की सहायता करने के लिए कुछ योजनायें तैयार की हैं;

(ख) क्या निगम सुधरी किस्क के उपकरणों के माध्यम से ग्रामीण तथा लघु क्षेत्र की सहायता करेगा; और

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा छठी योजनावधि के दौरान क्रियान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों का अब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) देश में लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम ने अपनी नियमित योजना में पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर यथोचित ध्यान दिया है । योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम पिछड़े क्षेत्रों में लगाए जा रहे लघु एककों को या अनुसूचित जाति/जनजातियों के उद्यमियों द्वारा प्रदर्शित लघु एककों को किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत मशीनों की आपूर्ति करने और ग्रामीण युवकों को स्वत: रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के लिए अपने प्रशिक्षण केन्द्रों का उपयोग करने तथा ग्रामीण उद्योगों के लिए अपेक्षित मशीनों और उपकरणों का विकास करने एवं उसे अधिक बेहतर बनाने के लिए वरीयता देगा ।

भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विदेशी सहयोगकर्त्ताओं से विशेषज्ञ बुलाये जाना

4079. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा तीन विदेशी सहयोगकर्ताओं से, जिन्होंने निर्माताओं और भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा राज्य बिजली बोर्डों और उपभोक्ताओं के बीच लम्बे अरसे से चले आ रहे विश्वास की कमी से उत्पन्न संकट के समाधान के लिए कई ताप और पन विद्युत संयंत्रों के उपकरण सप्लाई किए हैं, विशेषज्ञों का एक दल बुलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन विशेषज्ञों ने विभिन्न प्राधिकारियों से विचार-विमर्श किया, उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यकरण का स्तर ऊंचा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) बी एच ई एल तथा राज्य बिजली बोर्डों के बीच विश्वास का कोई संकट नहीं है। फिर भी, अमेरिका के मे० कम्बशचन इन्जीनियरिंग से 3 विशेषज्ञों के एक दल, पश्चिम जर्मनी के कोन्हले, कोप तथा कोश्च से दो विशेषज्ञों और अमेरिका के मे० ऐयर प्री-हीटर कम्पनी से दो विशेषज्ञों ने फरवरी, 1981 में 8 बिजली घरों का दौरा किया। 26 और 27 फरवरी, 1981 को एक सम्मेलन हुआ था जिसमें अन्यों के साथ-साथ सभी बिजली बोर्डों, केन्द्रीय विद्युत अधिकरण तथा ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। बी एच ई एल के सहयोगियों ने भी विशेषज्ञों को सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा था।

(ख) बायलरों, पंखों तथा ऐयर प्री-हीटरों की समस्याओं के सम्बन्ध में तकनीकी विचार विमर्श हुआ था। ऐश हैंडलिंग प्रणाली, नियन्त्रणों, सील ऐयर प्रणालियों, ओपन ऐश रिजेक्ट प्रणालियों तथा पंखों के सम्बन्ध में समस्याओं का पता लगाया गया था। विशेषज्ञों के दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की कि विद्युत संयंत्रों को स्वचालित नियंत्रण के अधीन रखा जाना चाहिए तथा कोयले को बंकरों में भरने से पूर्व इसमें से काफी मात्रा में विद्यमान असंगत सामग्री को निकाल दिया जाए।

(ग) ऐसे संगठनों के कार्य कलापों को तेज करने के लिए प्रयास एक निरन्तर प्रक्रिया है। प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा अपने उत्पादों की गुणता में सुधार लाने जैसे कदम उठाकर बी एच ई एल अपनी कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए बराबर प्रयास कर रहा है।

रांची उप-क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत संस्थानों की भविष्य-निधि सम्बन्धी वार्षिक विवरणियां

4080. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रांची उप-क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत संस्थाओं के लेखों के बहुत से वार्षिक विवरणियां अभी तक जारी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस प्रकार के अधिकतर संस्थान हजारीबाग और गिरडीह में अभ्रक के क्षेत्रों में हैं और असहाय अंशदाताओं वार्षिक लेखा विवरणियां विगत बारह से चौदह वर्षों से नहीं मिली है जबकि संस्थान भुगतान और लेखे देने में अद्यतन है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि यह सब भविष्य निधि संगठन की लेखा शाखा के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि उप-क्षेत्रीय कार्यालय, रांची ने छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में 190308 भविष्य निधि अंशदाताओं को वार्षिक लेखा विवरणियां जारी नहीं की हैं।

(ग) से (ङ) इस मामले की जांच की जा रही है।

आसूचना ब्यूरो की समस्यायें

4081. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसूचना ब्यूरो में लम्बे समय से विद्यमान समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार को आसूचना ब्यूरो में विभिन्न समस्याओं की जानकारी है। आसूचना ब्यूरो के कर्मचारियों की समस्याएं लगभग अन्य श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के समान है अर्थात्, पदोन्नति में रुकावट, वेतन और भत्तों की असमानता, पारिवारिक आवास की समस्या इत्यादि। इन समस्याओं पर सरकारी कर्मचारियों की ऐसी श्रेणियों की ऐसी समस्याओं पर सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सतत पुनरीक्षण और संशोधन किया जाता है। आसूचना ब्यूरो में कार्यकारी संवर्ग की पुनः संरचना करके और उच्च स्तर के पदों को उपलब्ध कराकर कुछ पदोन्नति रुकावट को दूर करने के लिए पहले ही कार्रवाई की गई है।

आवासीय योजनाओं सम्बन्धी राज्यों के श्रम मंत्रियों की उप-समिति

4082. **श्री हरिहर सोरन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के श्रम मंत्रियों की एक उप-समिति ने देश में श्रमिकों के लिए आवासीय योजनाओं सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त मामले पर विस्तृत अध्ययन के कब तक शुरु किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए उनके मंत्रालय का अन्य क्या कदम उठाने का विचार ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) महोदय, ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई। तथापि श्रम मंत्रालय की एक सरकारी समिति इस मामले की पहले से ही जांच कर रही है। श्रमिकों की दशाओं में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। विभिन्न सर्वेक्षणों और रिपोर्टों ने समस्या क्षेत्रों को बताया है और उपायों की सिफारिश की है, जिनकी जांच की जा रही है और जब कभी सम्भव होता है, उन्हें क्रियान्वित किया जाता है।

गाडगिल सूत्र में परिवर्तन के लिए राज्य के मुख्य मंत्रियों की मांग

4083. **श्री जैनुल बशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने एन० डी० सी० की हाल की बैठक में यह मांग की है कि संशोधित गाडगिल सूत्र सहित गाडगिल सूत्र में परिवर्तन किया जाए;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद् की 13 और 14 फरवरी, 1981 को हुई बैठक में आशोधित गाडगिल फार्मूले में कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) इन सुझावों को राष्ट्रीय विकास परिषद् की हाल में हुई बैठक में सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई ।

विवरण

राष्ट्रीय विकास परिषद् की 13 और 14 फरवरी, 1981 की हुई बैठक में राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा आशोधित गाडगिल फार्मूले सहित गाडगिल फार्मूले में परिवर्तन करने के लिए दिए गए सुझाव

राज्य	राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा दिए गए सुझाव
1	2
1. केरल	(1) 20 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता केवल कुछ ऐसे राज्यों को ही आबंटित नहीं की जानी चाहिए जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है, बल्कि इसका सभी राज्यों को आबंटन किया जाना चाहिए ।
	(2) गणनाओं के लिए प्रयुक्त प्रति व्यक्ति आय से सम्बन्धित आंकड़े अद्यतन बनाए जाने चाहिए ।
2. कर्नाटक	(1) केन्द्रीय सहायता "प्रति-व्यक्ति आय" माप-दण्ड के अन्तर्गत वितरण के लिए प्रयुक्त प्रति-व्यक्ति आय से सम्बन्धित आंकड़े 1977-78 से 1979-80 तक की अवधि के लिए प्रति-व्यक्ति औसत आय पर आधारित होने चाहिए ।
	(2) आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूले के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता छठी योजना के शेष दो वर्षों में उपलब्ध कराई जाती रहनी चाहिए ।
3. पंजाब	(1) आशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत ऐसे राज्यों को 20 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आबंटन पर बल दिया गया है जिनकी प्रति-व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है, यह आबंटन परिवर्तित करके 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए ।

1	2
	(2) केन्द्रीय सहायता के दस प्रतिशत का आबंटन राज्यों की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए।
	(3) राज्यों की 'विशेष समस्याओं' के लिए आबंटित की जाने वाली केन्द्रीय सहायता के दस प्रतिशत को बन्दकर दिया जाना चाहिए। इसके बजाए 10 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का आबंटन कुल योजना निवेश के प्रतिशत के रूप में 'सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं में किए गए निवेश' के आधार पर किया चाहिए।
4. राजस्थान	(1) आशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत जनसंख्या के मापदण्ड को जो अधिमान्यता दी गई है उसे साठ प्रतिशत से घटाकर चालीस प्रतिशत किया जाना चाहिए।
	(2) दस प्रतिशत केन्द्रीय सहायता क्षेत्र के आधार पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
	(3) राज्यों की 'विशेष समस्याओं' के लिए अधिमान्यता को दस प्रतिशत से बढ़ाकर बीस प्रतिशत किया जाना चाहिए।
5. तमिलनाडु	केन्द्रीय सहायता के 20 प्रतिशत भाग का आबंटन आशोधित गाडगिल फार्मूले के अन्तर्गत ऐसे राज्यों को किया जाता है जिनकी प्रति-व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है, इसका आबंटन गरीबी के प्रतिशत के आधार पर किया जाना चाहिए।
6. उत्तर प्रदेश	जनसंख्या के आधार पर केन्द्रीय सहायता के 60 प्रतिशत का वितरण जारी रहना चाहिए। शेष राशि में राज्यों के भाग का आय व्यतिक्रम फार्मूले के अन्तर्गत निर्धारण किया जाना चाहिए।

लघु उद्योगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी और उत्पादन की तकनीक के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अध्ययन

4084. **श्री समर मुखर्जी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश में लघु उद्योगों, जिनमें से 30 प्रतिशत को निर्धन होने के नाते बिजली का इस्तेमाल न कर रहे 'दस्तकार एकक' वर्गीकृत किया गया है, द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी और उत्पादन तकनीकों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योगों को प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रक्रिया के सामान्य पूल के माध्यम से सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) देश में कार्यरत लघु उद्योगों की कुल संख्या कितनी है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने एक "सर्वे आफ स्माल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, 1977 (स्टेटिस्टीकल रिपोर्ट)" नामक रिपोर्ट तैयार की है। मूलतः यह एक सांख्यिकीय रिपोर्ट है तथा यह लघु उद्योगों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली प्रौद्योगिकी व उत्पादन का विस्तृत अध्ययन नहीं है। सर्वेक्षण के अनुसार, 45 प्रतिशत एकक बिजली का उपयोग नहीं करते हैं।

(ख) लघु उद्योगों को लघु उद्योग सेवा संस्थानों व इनकी शाखाओं तथा विस्तार केन्द्रों, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र आदि, टूल्स रूमों व आद्यरूप विकास तथा परीक्षण केन्द्रों आदि के माध्यम से तकनीकी सहायता व समर्थन दिया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1979 के अन्त में, राज्यों के उद्योग निदेशालयों में 384 लाख लघु औद्योगिक एकक पंजीकृत थे।

आसाम में उद्योगों की स्थापना

4085. श्री सन्तोष मोहन देव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आसाम के पिछड़े क्षेत्रों में कुल कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं; और

(ख) इस अवधि के दौरान जिलावार कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) असम के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित लघु एककों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

निम्नलिखित आशयपत्र और औद्योगिक लाइसेंस भी जारी किए गए थे :—

जिला	1978		1979		1980	
	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
गोलपाड़ा	1	—	—	1	2	—
कामरूप	—	—	—	—	—	1
नौगांव	—	1	—	—	—	—

विवरण

असम के पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए लघु एककों की संख्या बताने वाला विवरण

क्रम सं०	जिला	एककों की संख्या (लघु उद्योग विकास संगठन)		
		1977	1978	1979
1.	गोलपाड़ा	11	62	2
2.	कारबी अंगलोंग (मिकिर हिल्स)	कुछ नहीं	1	कुछ नहीं
3.	कामरूप	29	91	99
4.	नौगांव	2	18	6
5.	कछार	15	10	उपलब्ध नहीं
6.	न्यू लखीमपुर	2	5	4
7.	नार्थ कछार हिल्स	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	योग	59	187	111

उड़ीसा में पुनः चालू करने के लिए चुने गए रुग्ण उद्योग

4086. श्री रामचन्द्र रथ :
श्री के० पी० सिंह देव :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटे क्षेत्रों में रुग्ण मिलों के पुनः चालू करने के लिए एक योजना तैयार करने का प्रस्ताव है ;

(ख) उड़ीसा में पुनः चालू करने के लिए चुनी गई रूग्ण यूनिटों की संख्या क्या है ;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्ष 1980-81 के दौरान उड़ीसा में इन औद्योगिक इकाइयों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां। सरकार रुग्ण लघु एककों के पुनः स्थापित करने में 'सहायता' पहुँचाने के लिए एक सीमांत (मार्जिन) राशि योजना को अन्तिम रूप दे रही है ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार उड़ीसा में 31.12.79 को वाणिज्यिक एककों द्वारा सहायता प्राप्त एककों में से रुग्ण लघु उद्योग एककों की संख्या 772 थी।

(घ) रुग्ण एककों को दी गई सहायता की राशि की मात्रा तत्काल बता पाना सम्भव नहीं है क्योंकि इस प्रकार की सहायता कई प्रकार से दी जाती है तथा राज्य सरकारों सहित विभिन्न अभिकरणों द्वारा रुग्ण एकक की पुनः स्थापना करने हेतु कभी-कभी इसे इकट्ठा अर्थात दंड स्वरूप ले जाये गए ब्याज को छोड़ देने पिछली देयताओं की पुनः सूची बनाते, अपेक्षित सीमान्त धन के अन्तर को पूरा करने के लिए ऋण सहायता देने, रियायती दर पर ब्याज की वसूली, नियंत्रित कच्ची सामग्री को आसानी से प्राप्त कराने एवं सरकारी खरीदारी में दी गई सहायता सहित विपणन सहायता देकर की जाती है।

उड़ीसा में 1000 उद्योगों की स्थापना

4087. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार 1981-82 में 1000 करोड़ रुपये की लागत से 1000 उद्योगों की स्थापना करने जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके मंत्रालय ने राज्य को कोई ऐसे केन्द्रीय मार्गदर्शी निदेश जारी किये हैं कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाये;

(ग) क्या 1000 उद्योगों के इस लक्ष्य में केन्द्रीय क्षेत्र के एककों को भी सम्मिलित किया गया है ;

(घ) उड़ीसा के गंजम जिले में कितने उद्योग स्थापित किये जाने वाले हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) उड़ीसा सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों के अनुसार राज्य में 1980-85 के दौरान 12,000 एककों के स्थापित किए जाने की संभावना है जिसमें से 1981-82 के दौरान 2 00 एककों की स्थापना करने का अनुमान है। जिलावार सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारत सरकार के समय-समय पर पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना में प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस उद्देश्य के लिए, पिछड़े क्षेत्रों में लघु एककों की स्थापना के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों की योजनाओं के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों में स्थायी निवेश पर पूंजी राज सहायता, पिछड़े क्षेत्र के एककों के लिए रियायती वित्त, आयकर में छूट, सेवाएं तथा ब्याज की रियायती दर आदि जैसी अनेक सुविधाएं पहले से ही प्रदान की जा रही हैं।

उड़ीसा राज्य में स्थापित की जाने वाली छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल केन्द्रीय क्षेत्र की मुख्य औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं में से कुछ की सूची नीचे दी गई है :—

1. राऊरकेला इस्पात सन्यन्त्र (सिलीकोन इस्पात परियोजना, होट स्ट्रीप मिल का आधुनिकीकरण, अतिरिक्त नेप्था उत्पादन सन्यन्त्र, रिफार्मिंग प्लान्ट उर्वरक सन्यन्त्र विविधीकरण, सीमेंट संयंत्र, इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण, केपटिव पावर संयंत्र, कोयला भट्टी सन्यन्त्र आदि)।

2. नेशनल अल्यूमिनियम कारपोरेशन उड़ीसा अल्यूमिनियम कम्पलेक्स ।

3. हिन्दुस्तार जिंक लिमिटेड—सारगी पल्ली लेंड माइन्स ।

4. उड़ीसा सैंड कम्पलैक्स (इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड) ।

5. हैवी वाटर प्रोजेक्ट (तलचर) ।

6. भारत अल्यूमिनियम कं० लिमिटेड—गंधमर्दन बाक्साइट माइन ।

7. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया—तलचर परियोजना ।

8. दूसरा नया इस्पात सन्यन्त्र ।

मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए शिक्षित बेरोजगार हरिजनों और आदिवासियों को दी गई सहायता

4088. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये शिक्षित बेरोजगार हरिजनों और आदिवासियों को दिसम्बर, 1980 तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए शिक्षित बेरोजगार हरिजन और आदिवासियों को दी गई वित्तीय सहायता की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

एच० एम० टी० घड़ियों की मांग

4089. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एच० एम० टी० की घड़ियों की, उनके अधिक अवधि तक चलने के कारण, भारी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मांग पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) एच० एम० टी० घड़ियों की उत्पादन क्षमता 1961 में 2.50 लाख से लगातार बढ़ाकर 30 लाख से अधिक कर दी गई है, और आधुनिकीकरण तथा विस्तार की चालू योजनाओं और नई योजनाओं के द्वारा इसे 40 लाख तक और बढ़ाया जा रहा है ।

हरियाणा को सीमेंट की मांग

4090. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) हरियाणा की सीमेंट की वार्षिक मांग कितनी है ;

(ख) यह मांग पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और करने का विचार है; और

(ग) विभिन्न राज्यों को सीमेंट की सप्लाई करने के लिए निर्धारित किए गए मानदंड क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) राज्य सरकारों की सीमेंट की माँगें इकट्ठा नहीं की जाती । किन्तु हरियाणा सरकार ने हाल ही में यह बताया है कि उनकी आवश्यकता प्रति वर्ष 20 लाख मी० टन होगी ।

(ख) हरियाणा सहित राज्यों के सीमेंट के आवंटन में वृद्धि करना देश में सीमेंट की समग्र उपलब्धता सुधर जाने पर ही सम्भव होगा, जिसके लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ग) राज्यों को पिछली खपत के आधार पर तथा सीमेंट की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रति तिमाही सीमेंट का आवंटन किया जाता है ।

हरियाणा में उद्योगों के नाम

4091. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में बड़े, मध्यम तथा छोटे उद्योगों की संख्या, नाम तथा उनके स्थापना स्थलों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें कुल कितनी पूंजी लगी है और उनमें कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या कोई उद्योग बन्द पड़ा है और यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) आवेदक का नाम, स्थापना स्थल आदि सहित किए गए सभी आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित मंथली न्यूजलैटर में प्रकाशित किया जाता है, इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं । अन्य एककों को लाइसेंस प्राप्त करने तथा सम्बन्धित पंजीकरण प्राधिकरण के पास अपने आपको पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) इनके बारे में औद्योगिक स्वीकृत सचिवालय में केन्द्रीय रूप से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके स्वीकृत मानदण्डों के आधार पर हरियाणा के रूग्ण औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में भेजी गई जानकारी निम्न प्रकार है :—

बड़े रूग्ण एकक		लघु रूग्ण एकक
31.12.78 को	31.12.79 को	31.12.1979 को
5	5	225

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रकाशित करने वाली कानूनी व्यवस्थाओं के उपबन्धों के अन्तर्गत बैंकरों में प्रचलित व्यवहार और प्रचलित व्यवस्थाओं के अनुसार उपयुक्त का ब्यौरा बताया नहीं जा सकता है ।

छठी पंचवर्षीय योजना में कारों का लक्ष्य

4092. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में कारें बनाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र में कार बनाने का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में कारों की क्षमता तथा उत्पादन का लक्ष्य क्रमश: 60,000 नग तथा 48,000 नग दिखाया गया है। किन्तु हाल ही में सरकारी क्षेत्र में निगमित एक कम्पनी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 100,000 कार प्रतिवर्ष निर्माण करने का प्रस्ताव है को ध्यान में रखते हुए ये लक्ष्य बदल कर क्रमश: 150,000 तथा 75,000 कर देने का प्रस्ताव है। इन लक्ष्यों में कारों की क्वालिटी तथा मूल्यों के सम्बन्ध में मांग की घट बढ़ को ध्यान में रखा जाता है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा निधि का उचित उपयोग न किया जाना

4093. **श्री भीकू राम जैन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न विकास योजनाओं के लिए आवंटित पूरी धनराशि का दिल्ली प्रशासन ने उचित उपयोग नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वास्तव में अब तक कितनी राशि उपयोग में लाई गई है ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार दिल्ली की 1980-81 की वार्षिक योजना में विकास के विभिन्न क्षेत्रकों के लिए आवंटित धन-राशि में कोई कमी होने की परिकल्पना नहीं है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) 1980-81 वार्षिक योजना के अन्तर्गत जनवरी, 1981 तक विकास के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत किए गए वास्तविक व्यय के ब्यौरे सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाख रु०)

विकास का शीर्ष	1980-81 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत जनवरी, 1981 तक किया गया वास्तविक व्यय (दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)
1	2
कृषि और सम्बद्ध सेवाएं	150,20
सहकारिता	10,25
मझौली सिंचाई	—
बाढ़ नियन्त्रण	563,16
विद्युत्	2620,82
उद्योग	105,17
परिवहन और संचार	1319,73
सामान्य शिक्षा	1162,26
तकनीकी शिक्षा	52,15
कला और संस्कृति	6,95
चिकित्सा	313,97
जन स्वास्थ्य और स्वच्छता	130,44
जल पूर्ति और मलक जल व्यवस्था	1538,51
पुलिस आवास सहित आवास	1095,22
शहरी विकास	566,22
सूचना और प्रचार	5,18
श्रम और श्रमिक कल्याण	13,08
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	37,36
समाज कल्याण	50,84
पोषाहार	45,90
आर्थिक सेवाएं	1,95
सामान्य सेवाएं	2,62
कुल जोड़ :	9791,98

आदिवासी कल्याण के लिए उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

4094. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में विभिन्न आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों के लिये उड़ीसा सरकार को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) उसमें से उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों पर उड़ीसा में कुल कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) क्या वर्ष 1980-81 में रखी गई समस्त राशि निर्धारित समय के अन्दर खर्च की गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या खर्च न की गई शेष राशि फरवरी 1981 में खर्च की जा सकती है; और

(ङ) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गृह मन्त्रालय द्वारा वर्ष 1980-81 के लिए जनजाति उपयोजना स्कीमों के लिए उड़ीसा सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता 908.90 लाख रु० की है ।

(ख) जनवरी, 1981 के अन्त तक व्यय की गई कुल राशि 441.84 लाख रु० है ।

(ग) से (ङ) बकाया राशि को मार्च, 1981 के अन्त से पहले व्यय किया जा सकेगा । व्यय का ब्यौरा वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद ही उपलब्ध होगा ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा को आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत नियतन

4095. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) वर्ष 1976-77, 1977-78, 1979-80 में कोरापुट जिले में आदिवासियों के कल्याण के लिए आदिवासी उप-योजना के नियतन से कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत पांचवी योजना अवधि (1974-79) के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में उड़ीसा को 27,05,15,000 रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी ।

(ख) 1976-77, 1977-78, 1979-80 के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता में से कोरापुट जिले के समेकित आदिवासी विकास क्षेत्रों/आदिवासी विकास क्षेत्रों में खर्च की गई राशि क्रमशः 41,4200 रु० 1,06,63,000 रुपए और 1,73,43,000 रुपए थी ।

(ग) ब्यौरे राज्य सरकार से मालूम किए जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ता (बरकर)

4096. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ट्रेड यूनियनों के कितने कार्यकर्ता अब तक गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ख) गिरफ्तार किए गए ट्रेड यूनियनों के ये कार्यकर्ता किन केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से सम्बन्धित हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अधीन कोई नजरबन्दी किसी व्यक्ति के किसी ट्रेड यूनियन के साथ सम्बद्धता के आधारों पर नहीं की जाती है। इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति की नजरबन्दी जहां आवश्यक होती है नजरबन्द करने का अधिकार रखने वाले प्राधिकारी के आदेश द्वारा की जा सकती है जब उसकी प्रतिकूल गतिविधियों पर अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) के उपबन्ध लागू किये जा सकते हैं।

उद्योगों की मूलभूत सुविधाएं

4097. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांछित उत्पादन प्राप्त करने में नियंत्रन को पुनर्जीवित करने के दृष्टिकोण के साथ उद्योगों को मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से देने के लिए एक समन्वयकारी फार्मूला तैयार करने के लिए सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की वजह से ऐसा किया गया है;

(ग) क्या औद्योगिक उद्यमों के लिए वित्तीय संस्थानों को सहयोग दिए जाने, मजबूत करने का उनके मन्त्रालय का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्णय से औद्योगिक उत्पादन में किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सरकार औद्योगिक उत्पादन को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तथा जहां अवस्थापना सम्बन्धी कमियां बाधाओं के रूप में आती हैं, इन्हें दूर करने के लिए अत्यधिक उच्च स्तर पर कार्यवाही की जाती है। सरकार ने अवस्थापना सम्बन्धी कार्य निष्पादन को देखने और उसमें सुधार करने के लिए स्थायी व्यवस्था की है। उद्योग को विद्युत उपलब्धता तथा रेलों से माल लाने लेजाने की स्थिति में सुधार हो जाने के साथ परिणाम स्पष्ट होने शुरू हो गए हैं। सितम्बर, 1980 दिसम्बर, 1980 तक

औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर निम्न प्रकार थी :—

1980		पिछले महीने की तुलना में भिन्नता (प्रतिशत परिवर्तन)
सितम्बर	...	+2.5
अक्टूबर	...	" 4.6
नवम्बर	...	" 5.6
दिसम्बर	...	" 9.4

(ख) अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए समन्वित उपाय के महत्व की विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के उद्योग मंत्रियों के हाल ही में हुए सम्मेलन में पुनः पुष्टि की गई थी।

(ग) और (घ) उपलब्ध संसाधनों की सीमा के भीतर, वित्तीय संस्थानों की आवश्यकताओं को संभव सीमा तक पूरा करने के लिए प्रयास किया किए जाते हैं। परिणामतः औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि की मात्रा निर्दिष्ट नहीं की है।

राज्यों के उद्योग मंत्रियों का सम्मेलन

4098. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के उद्योग मंत्रियों का 8 फरवरी को सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या अधिक राज्यों ने यह मांग की है कि जिला उद्योग केन्द्र जारी रहने चाहिए;

(घ) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) बैठक के निर्णयों को सरकार द्वारा किस सीमा तक माना गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के उद्योग मंत्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में 7 फरवरी, 1981 को हुआ था।

सम्मेलन में विचार-विमर्श के लिए निम्नलिखित विषय थे :— औद्योगिक नीति का कार्यान्वयन और औद्योगिक स्वीकृतियों की मोनीटरिंग प्रोत्साहनों का युक्तियुक्तकरण, केन्द्रस्थ संयंत्रों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्र का विकास, लघु क्षेत्र को सहायता तथा जिला उद्योग केन्द्रों का पुनर्नवीकरण।

जहां तक जिला उद्योग केन्द्रों का सम्बन्ध है, विचारविमर्श में मुख्यतः उनको नई परियोजना द्वारा नवीकृत करने पर जोर दिया गया। इस बात पर आम सहमति थी कि जिला उद्योग

केन्द्रों को जिला स्तर पर प्रायोजन की उचित धारणा हेतु और कार्यान्वयन हेतु केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करना चाहिए।

सम्मेलन की सिफारिशों को जांच की जा रही है।

वी० बुनकर सुखारी समिति लिमिटेड, उज्जैन द्वारा भविष्य निधि की जमा राशि

4099. **श्री निहालसिंह** : क्या श्रम मंत्री वी० बुनकर सुखारी समिति लिमिटेड, उज्जैन द्वारा भविष्य निधि की जमा राशि के सम्बन्ध में 26 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1222 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा उपर्युक्त सहकारी समिति, उज्जैन के कार्यों की जाँच कब शुरू की गई थी और इस जांच के कब तक पूरे हो जाने की आशा है; और

(ख) क्या यह सच है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना इस समिति पर लागू नहीं है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश ने 15-11-80 को जाँच प्रारम्भ की और कतिपय रिकार्डों का और आगे सत्यापन होने तक प्रतिष्ठान को 1-11-1980 से अनंतिम रूप से योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

(ख) इस समय यह सोसाइटी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं आती है।

विदेशी सहयोग के लिए समय-सीमा का बढ़ाया जाना

4100. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए सरकार विदेशी सहायोग के लिए समय-सीमा को बढ़ाकर 5 से 10 वर्ष करने के निर्णय को बदलने पर पुन: विचार करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसका प्राद्योगिकी के स्थानान्तरण और सहयोग-करारों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजोत चानना) : (क)तथा(ख) रायल्टी तथा/अथवा एकमुश्त धनराशि के भुगतान के आधार पर विदेशी तकनीकी सहयोग प्राप्त करने हेतु भारतीय पार्टियों के प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। जिन मामलों में रायल्टी की अदायगी निहित है उनके लिए अनुमत रायल्टी सामान्यतौर पर 5 प्रतिशत (करदेय) से अधिक नहीं होती है और इसे करार की अवधि के अन्दर समाविष्ट किया जायेगा जो 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, इसमें कारखाने में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने में लगने वाली अवधि भी शामिल है। इन्हें उच्चतम सीमा के रूप में लिया जाता है और प्रत्येक मामले में रायल्टी की दर तथा करार की

अवधि प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। सामान्य तौर पर करार की अनुमत अवधि 8 वर्ष है और रायल्टी की अवधि 5 वर्ष है जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए 3 वर्ष की अनुमति दी गई है।

कर्नाटक के लिए 1981-82 की वार्षिक प्रारूप योजना

4101. **श्री एस० एम०कृष्ण** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने 1981-82 के लिए अपनी वार्षिक प्रारूप योजना पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित परिव्यय और लक्ष्य क्या हैं और उसमें समाज कल्याण के क्या कार्यक्रम रखे हैं ;

(ग) क्या इसे योजना आयोग और केन्द्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसमें क्या परिवर्तन सुझाए गए हैं ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) योजना आयोग द्वारा राज्य सरकार के साथ इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया है और इन्हें अंतिम रूप दिया गया है। तथापि राज्य सरकार को राज्य विधान मंडल के सम्मुख अपना बजट अभी प्रस्तुत करना है।

कालेजों में राष्ट्रीय कैडेट कोर की लोकप्रियता में कमी

4102. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कालेजों में राष्ट्रीय कैडेट कोर की लोकप्रियता में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कैडेट प्रशिक्षणार्थियों की 'जलपान' राशि में तथा विशेषकर राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रभारी अधिकारियों/प्राध्यापकों के भत्ते में वृद्धि करके इसकी लोकप्रियता पुनः बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश सरकार के लिपिकों की ओर से अभ्यावेदन

4103. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार के लिपिकों को (1966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद उनको हिमाचल प्रदेश को भेजे जाने परिणामस्वरूप) कनिष्ठ लिपिकों (55-110

रुपये के वेतनमान वाले) के समान बनाने के भारत सरकार के निर्णय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है जबकि अभ्यावेदन-कर्ताओं का वेतनमान 60-175 रुपये था और सेवा तथा कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व की शर्तें ऊँची थीं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) श्रीमती उषा मल्होत्रा तथा श्री आर० एल० भाटिया संसद सदस्यों के माध्यम से 29-12-1980 को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस विषय पर मामला विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय के परामर्श से अभी विचाराधीन है। इस मामले में अन्तिम निर्णय पर पहुंचने में लगभग दो महीने का समय लगेगा।

रुग्ण एककों के अधिग्रहण की शक्ति प्रदान करने के लिए औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम में संशोधन

4104. **श्री के० ए० राजन** : क्या उद्योग मन्त्री सरकार द्वारा रुग्ण उद्योगों/कम्पनियों को अपने अधिकार में लिये जाने के बारे में 26 नवम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1248 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को रुग्ण उद्योगों/उपक्रमों को सीधे अपने अधिकार में लेने की शक्ति प्रदान करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के उपबन्धों में संशोधन करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने विषयक प्रस्ताव की धारणायें बनाई जा रही हैं अतएव उसके विवरण और विचार के स्तर को निर्देशित नहीं किया जा सकता है।

औद्योगिक विकास सूचकांक की प्रतिशतता में परिवर्तन

4105. **श्री के० ए० राजन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक उत्पादन (1970 = 100) का सामान्य सूचकांक क्या है और 1975 से 1980 तक के दौरान वर्षों/हर वर्ष प्रत्येक गत वर्ष के समान महीने की तुलना में प्रतिशतता में यह परिवर्तन कितना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

औद्योगिक उत्पादन का मासिक सूचकांक *सामान्य (कुछ)

1975-80

(आधार 1970=100)

मास	1975	1976	1977*	1978*	1979*	1980*
जनवरी	123.3	134.4	143.8	149.0	158.6	154.0
फरवरी	117.1	141.5	139.6	142.3	152.2	149.0
मार्च	127.4	141.9	152.5	159.3	168.8	160.3
अप्रैल	112.0	125.4	133.1	143.0	146.0	138.8
मई	111.2	132.9	133.8	149.0	146.4	143.4
जून	108.1	128.5	135.3	141.7	141.3	141.2
जुलाई	120.1	133.0	134.6	146.5	144.6	147.9
अगस्त	119.1	129.3	135.3	145.2	147.3	148.4
सितम्बर	119.5	129.1	134.0	145.7	145.6	150.3
अक्तूबर	118.8	126.2	134.6	142.1	143.8	151.2
नवम्बर	119.6	137.2	133.2	146.9	145.8	155.2
दिसम्बर	134.4	145.3	150.1	162.3	153.5	164.7

*अनन्तिम

वर्ष 1975 से 1980 तक के पिछले वर्षों के उसी मास की तुलना में औद्योगिक उत्पादन के मासिक सूचकांक में परिवर्तन का प्रतिशत

मास	1975	1976	1977*	1978*	1979*	1980*
जनवरी	7.1	9.0	7.0	3.6	6.4	—2.0
फरवरी	7.3	20.8	—1.3	1.9	7.0	—2.1
मार्च	5.9	11.4	7.5	4.5	6.0	—5.0
अप्रैल	4.3	12.0	6.1	7.4	2.1	—4.9
मई	4.2	19.5	0.7	11.4	—1.7	—2.0
जून	—0.6	18.9	5.3	4.7	—0.3	—0.1
जुलाई	4.5	10.7	1.2	8.8	—1.3	2.3
अगस्त	5.8	8.6	4.6	7.3	1.4	0.7
सितम्बर	5.7	8.0	3.8	8.7	—0.1	3.2
अक्तूबर	4.9	6.2	6.7	5.6	1.2	5.1
नवम्बर	5.7	14.7	—2.9	10.3	—0.7	6.4
दिसम्बर	8.8	8.1	3.3	8.1	—5.4	7.3

*अनन्तिम

आदिवासी क्षेत्रों में उत्पादन शुल्क के बारे में मार्गदर्शी निदेश

4106. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में उत्पादन शुल्क नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को मार्गदर्शी निदेश भेजें हैं ;

(ख) यदि हां, तो आदिवासियों को नशा करने और शोषण से बचाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में नशाबंदी की घोषणा की गई है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों में नशाबन्दी नीति के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2141/81]

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में निहित हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2141/81]

मोटर कार (आटोमोबाइल) वाहनों का निर्माण

4107. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारों, तीन पहियों वाले स्कूटरों, वाणिज्यिक वाहनों तथा ट्रैक्टरों का पिछले चार वर्षों में वर्ष-वार अलग-अलग कितना निर्माण हुआ ;

(ख) क्या 1980 में उनके निर्माण में गिरावट आई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) यात्री कारों, तिपहिए स्कूटरों, वाणिज्यिक गाड़ियों और ट्रैक्टरों के गत चार वर्ष के उत्पादन के वर्षवार आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

उत्पादन (नग में)

	1977	1978	1979	1980
यात्री कार	38285	34630	29303	30462
तिपहिए स्कूटर	18396	19151	17117	26519
वाणिज्यिक वाहन	41207	51560	58373	65931
ट्रैक्टर	34729	53046	60142	67662

(ख) गत तीन वर्षों के उत्पादन की तुलना में 1980 में तिपहिए स्कूटरों, वाणिज्यिक गाड़ियों और ट्रैक्टरों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। वर्ष 1977 और 1978 के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1980 में यात्री कारों के उत्पादन में गिरावट आई थी।

(ग) 1980 में यात्री कारों के उत्पादन में हानि मुख्य रूप से मेसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई में औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याओं के कारण हुई थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता है। मे० प्रीमियर आटोमोबाईल्स लिमिटेड के सम्बन्ध में औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में समस्याओं के सुलझाए जाने के परिणामस्वरूप यात्री कारों के उत्पादन में सुधार हुआ है।

पुलिस प्रशिक्षण संस्थायें

4108. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस प्रशिक्षण संस्थायें अपर्याप्त रूप से साजसामान से सज्जित हैं ;

(ख) क्या इन संस्थाओं को निम्नस्तर के कर्मचारी चला रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पुलिस प्रशिक्षण संस्थान वांछित सीमा तक आधुनिक उपकरणों की कमी तथा पुलिस कर्मचारियों की अनुचित भर्ती के कारण सामान्यतः अक्षम है। पुलिस कर्मचारियों की मूलभूत प्रशिक्षण आवश्यकताओं का पता लगाने की समस्या पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों का ध्यान सतत रूप से बना रहता है। प्रशिक्षण के महत्व को महसुस करते हुए भारत सरकार ने पुलिस प्रशिक्षण पर गोरे समिति की स्थापना पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव देने के लिए की थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशें राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिये भेज दी गई थी। केन्द्रीय सरकार ने गोरे समिति रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर अनेक सुझाव दिये हैं। पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता और सलाह देने के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में एक प्रशिक्षण निदेशालय स्थापित किया गया है। प्रो० एम० एस० गोरे की अध्यक्षता में ब्यूरो में पुलिस प्रशिक्षण के संबंध में एक स्थायी समिति का भी गठन किया गया है और समय-समय पर विभिन्न समस्याओं/आवश्यकताओं का पुनरीक्षण किया जाता है। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में मामलों पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुदेश और मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों जहां पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है, के द्वारा सहायता भी देती रही है।

राज्यों में पुलिस कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार के प्रश्न पर 3 अप्रैल, 1980 को हुए राज्यों के मुख्य सचिवों/गृह सचिवों और पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन और 8 अप्रैल, 1980 को हुए राज्यों के राज्यपालों तथा मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था और इस सम्बन्ध में शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता पर राज्य सरकारों पर बल दिया गया था।

इन सम्मेलनों में की गई सिफारिशों को आवश्यक कार्यवाई हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

पुलिस के आधुनिकीकरण में राज्य सरकारों की सहायता करने के विचार से इस मंत्रालय से 1969-70 के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना शुरू की थी। इस योजना के अन्तर्गत 1979-80 तक राज्य सरकारों को कुल 52.24 करोड़ रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी। मदों में से एक जिसके लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकार्य थी वह पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपकरणों की खरीद के लिए थी। 1979-80 के अन्त में योजना को रद्द कर दिया गया। फिर भी योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसको 100 करोड़ रुपए के पर्याप्त परिव्यय सहित अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए पुनर्जीवित किया गया है। 1980-81 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को 750 लाख रुपए की राशि की केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है। अतीत की तरह पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपकरणों की खरीद केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए अर्हक बनाती है।

सातवें वित्त आयोग ने भी पुलिस प्रशासन में पिछड़े 9 राज्यों के पुलिस प्रशासन के स्तरो को ऊंचा उठाने के लिए वर्ष 1979-84 के लिए कुल 16873.00 लाख (राजस्व) रुपए के परिव्यय की सिफारिश की है। मदों में से एक जिसके लिए राज्य सरकारें इन निधियों का उपयोग कर सकती है वह कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार के लिए है। सरकार ने अब इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकारों को निधियां वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर दी जा रही है। राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा आधुनिक और नवीनतम उपकरणों से पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को सज्जित करने के लिए संभावित सीमा तक सहायता दी जाती रही है और दी जा रही है।

सरकार ने देश में पुलिस के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सुझाव देने हेतु एक राष्ट्रीय पुलिस आयोग नियुक्त किया है। आयोग के विचारार्थ विषयों में से एक पुलिस प्रशिक्षण, विकास और अधिकारियों की करियर योजना की जांच करना है और दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के लिए बल के नेतृत्व को प्रभावकारी और नैतिक रूप से मजबूत करने के लिए उनकी सेवा में किसी भी समय अपेक्षित उन परिवर्तनों की सिफारिश करना है। सरकार राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण आवश्यकताओं के नवीनीकरण और सुधार के प्रश्न की जांच कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य सरकारें उनकी पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के सुधार के लिए प्रभावकारी कदम उठाती हैं।

इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का छत्रपुर में उड़ीसा कम्प्लेक्स का पूरा किया जाना

4109. **श्री के० प्रधानी :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने गंजम जिले के छत्रपुर में इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड के उड़ीसा कम्प्लेक्स को पूरा करने के लिए, जिसमें एक वर्ष की देरी हो चुकी है, के लिए कोई अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार योजनाओं का ब्योरा क्या है और इसके पूरा करने में अपेक्षित विदेशी मुद्रा सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

(ग) इस परियोजना के दिसम्बर, 1982 के अंत तक पूरा किए जाने की संभावना है ।

जनगणना में वेश्याओं का भिखारियों के रूप में उल्लेख

4110. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान जनगणना में वेश्याओं का भिखारियों के रूप में उल्लेख किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परिभाषा के औचित्य का क्या आधार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) परिगणकों के लिए अनुदेश पुस्तिका में व्यक्तिगत पर्ची, जिसमें पेशे सम्बन्धी प्रश्न हैं, भरने के लिए वेश्याओं के संबंध में कोई विशेष अनुदेश नहीं दिये गये हैं । परन्तु यदि कोई वेश्या यह कहती है कि वह एक श्रमिक है, तो उसे श्रमिक लिखा जायगा और "अन्य श्रमिक" के रूप में वर्गीकृत किया जायगा । यदि निर्वाह के साधन का कोई संकेत नहीं है तो वेश्या सहित सभी व्यक्तियों को "भिखारी इत्यादि" के रूप में वर्गीकृत किया जायगा, जो एक सामान्य वर्ग है ।

"भिखारी इत्यादि" से सम्बन्धित अनुदेश नीचे पुन: दोहराये जाते है :—

"इसमें भिखारी, घुमक्कड़ अथवा ऐसे व्यक्तियों के मामले जिनके आय के साधन के संकेत नहीं हैं और निर्वाह के अवशिष्ट साधनों वाले व्यक्तियों, जो आर्थिक रूप से किसी उत्पादक कार्य में नहीं लगे हैं, आ जायेंगे ।"

कोटा परमाणु बिजली संयंत्र में दोषों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ

4111. **श्री भीकू राम जैन** :

श्री मनफूल सिंह चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोटा परमाणु बिजली संयंत्र का निरीक्षण करने, मशीनरी और डिजायन में दोषों का पता लगाने और उनको ठीक करने के लिए विशेषज्ञ भेजने का है ;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने कोटा परमाणु एकक के कार्यकरण की जांच कराने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसको ठीक करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) यद्यपि इस बारे में एक प्रैस रिपोर्ट सरकार के ध्यान में लाई गई है, तथापि

सरकार को ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है । बिजली-घर के कार्य-निष्पादन की समीक्षा सक्षम विशेषज्ञों द्वारा लगातार की जाती है ।

कैबरे नृत्य रोकने के लिए कानून

4112. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैबरे नृत्य, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के अन्तर्गत नहीं आते ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस तरह के व्यवसाय को रोकने और कानून में कई आयामी अ-लीलता को रोकने के लिए सरकार का कोई विशेष कानून बनाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यह तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या कोई विशेष कैबरे नृत्य, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 के दृष्टि के अन्तर्गत आता है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

छठी पंचवर्षीय योजना में तीन परमाणु विद्युत केन्द्रों में से एक के लिए कर्नाटक सरकार का दावा

4113. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्थापित किए जाने वाले तीन परमाणु विद्युत केन्द्रों में से एक के लिए मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री का ध्यान पूरी तरह से जल विद्युत पर निर्भर करने के कारण राज्य की पेश आ रही बिजली की भारी कमी की ओर दिलाया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री ने यह भी कहा है कि परमाणु विद्युत केन्द्रों की स्थापना के लिए कर्नाटक के पास बहुत अच्छी जगह है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ;

(ङ) कर्नाटक राज्य में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित कब किया जाएगा ; और

(च) यदि नहीं, तो अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) जी, हां ।

(घ) से (च) सरकार ने दक्षिणी क्षेत्र में, जिसमें कर्नाटक भी आता है, परमाणु बिजलीघर लगाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के एक छात्र द्वारा गोबर गैस सैल बैट्री का आविष्कार

4114. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के एक युवा छात्र श्री मोहन प्रकाश द्वारा आविष्कृत

गोबर गैस सैल बैट्री को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ख) आर्थिक दृष्टि से आविष्कार का तथा ऊर्जा के स्रोतों का ब्योरा क्या है और इस नए आविष्कार के विकास के लिए सरकार ने क्या प्रोत्साहन दिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के श्री मोहन प्रकाश और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा गोबर गैस की एक घटक के रूप में बैटरी अथवा "ईंधन सेलों" में प्रयोग करने के दावे की तकनीकी-आर्थिक जीवन क्षमता की स्थापना अभी नहीं की जा सकी है । इस दिशा में और अन्वेषण किए जा रहे हैं ।

मुद्रा-स्फीति को समाप्त करना

4115. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस तथ्य को देखते हुए कि वर्ष 1980-81 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में मुद्रास्फीति को समाप्त करने का कोई आश्वासन नहीं है, योजनागत आवंटन वास्तविक रूप में कम हो जायेंगे और इससे विकास की प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी ?

योजना और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : 1980-85 की छठी योजना में मुद्रास्फीतिकारक विकास पर सबसे अधिक जोर दिया गया है । तथापि, यदि कीमतें बढ़ती हैं और उनके परिणामस्वरूप परियोजना लागतें भी बढ़ती हैं तो योजना के वास्तविक आकार को बनाए रखने के लिए सामान्य रूप में अतिरिक्त संसाधन जुटाने की राशि को योजना में बताई गई राशि से अधिक करना होगा । इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयत्न करना होगा कि योजना के आवंटन वास्तविक रूप में कम न हो जाएं और संवृद्धि की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

जगुआर विमानों की सप्लाई

4116. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० के० ने अप्रैल, 1979 में किये गये समझौते के अधीन फरवरी 1981 में भारत को जगुआर विमानों का एक "बैच" सीधे सप्लाई किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये विमान भारत के ही हो जायेंगे ;

(ग) क्या इससे पहले सप्लाई किए गए जगुआर विमानों को अन्तरिम "बैच" माना गया था और ऋण के रूप में थे ; और

(घ) कितने जगुआर विमान दिये जा चुके हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत सरकार और ब्रिटिश एयरोस्पेस के मध्य हुए समझौते के अनुसार 1979 से जगुआर विमान की सप्लाई हो रही है । फरवरी 1981 में कोई विमान नहीं दिया गया ।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) सप्लाई की शर्तों और आये हुए विमानों की संख्या बताना लोक हित में नहीं है ।

विदेशियों के मामले पर बातचीत पुन: शुरू किया जाना

4117. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विदेशियों के मामले पर बिना किसी पूर्व-शर्त के बातचीत शुरू किए जाने सम्बन्धी असम क्षेत्र संघ के निर्णय के प्रति अनुकूल रवैया दर्शाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या फरवरी, 1981 के दौरान बातचीत हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त बैठक में कोई ठोस फार्मूला तैयार किया गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) असम में विदेशी नागरिकों की समस्या का हल तलाश करने के प्रयास जारी हैं ।

(ख) जी नहीं श्रीमान ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में जनता और पुलिस में टकराव

4118. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में पुलिस बल में अनुशासनहीनता बढ़ रही है और इस अनुशासन-हीनता के कारण जनता और पुलिस में टकराव हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1981 के टाइम्स आफ इण्डिया की ओर दिलाया गया है;

(ग) क्या जनवरी और फरवरी, 1981 के दौरान विभिन्न राज्यों में जनता और पुलिस के बीच टकराव के कई मामले ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो किन राज्यों में और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस पर चर्चा करने और इस टकराव को, जिसकी यदि रोकथाम न की गई तो यह देश के हित के विरुद्ध होगा, दूर करने के उपाय खोजने के लिये राज्यों के गृह मन्त्रियों की बैठक बुलाने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (ग) और (घ) मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पंजाब के राज्यों में जनता और पुलिस के बीच ऐसी कोई अनुशासनहीनता और टकराव नहीं है । अन्य राज्य सरकारों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही सूचना प्राप्त होगी सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ङ) जी नहीं श्रीमान ।

प्रतिभा-पलायन

4119. **श्री पीयूष तिरकी** :

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे शिक्षित प्रतिभावान व्यक्तियों के विदेशों को चले जाने के कारण हमारे आर्थिक विकास में रुकावट आई है ;

(ख) भारत से बाहर काम कर रहे हमारे डाक्टरों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों से संबंधित (देशवार) आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा अपने देश के प्रतिभावान व्यक्तियों को देश में ही खपाने के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि प्रतिभा पलायन का आर्थिक वृद्धि पर कोई (प्रतिकूल) प्रभाव पड़ रहा है।

(ख) सी० एस० आई० आर० के वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक प्रभाग ने एक 'विदेशों में भारतीयों का रजिस्टर, रखा हुआ है जिसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम लिखे जाते हैं जो कि विदेशों में अध्ययन/प्रशिक्षण/अनुसंधान/सेवानुभव प्राप्त कर आए हैं। इसमें पंजीकरण स्वेच्छापूर्ण होता है। 1-1-1981 को इसमें जिन भारतीय वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकी विदों/इंजीनियरों और चिकित्सा कार्मिकों के नाम दर्ज किए हुए हैं उनकी संख्या 22,085 थी। इनसे से 11,402 ने अपनी भारत वापसी के बारे कोई सूचना नहीं दी और उनका देशोंवार विवरण इस प्रकार है :—

देश का नाम	संख्या
संयुक्त राज्य अमरीका	4,417
कनाडा	818
युनाइटिड किंगडम	3,819
पश्चिमी जर्मनी	988
अन्य यूरोपीय देश	704
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड	172
अन्य	484
कुल :	11,402

(ग) इस समय परिचालित विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैं :—

—सी० एस० आई० आर० द्वारा परिचालित वैज्ञानिक पूल योजना में उन उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, डाक्टरों, आदि को उस समय के लिए अस्थायी-तौर पर सेवा प्रदान की जाती है जबकि वे स्थायी रोजगार की तलाश कर रहे होते हैं।

—वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों को उनके अपने उद्यमों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसे उद्यमों के लिए आवश्यक सारी पूंजी की व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा की जाती है।

—उद्यमशील बेरोजगार व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

—वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रौद्योगिकीविदों आदि द्वारा किसी विशिष्ट परियोजनाओं को ध्यान में रख कर बनाई गई औद्योगिक सहकारी समितियां साझेदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के तीन गुना तक साम्या पूंजी में सरकार के योगदान की पात्र हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी अवसंरचना, योग्य स्थितियों में किराये में रियायत, कुछ समय के लिए बिक्रीकर, चुंगी, बिजली शुल्क आदि से निमुंक्ति जैसे प्रोत्साहनों जैसी सुविधाएं प्रदान कर सकती है।

—देश त्यागी राष्ट्रिकों के माध्यम से जानकारी के स्थानान्तरण की योजना का सूत्रपात किया गया है जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यावसायिक व्यक्ति और महिलाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुखता प्राप्त कर ली है, और जो विदेशों में स्थापित हो गए हैं, उन्हें स्वैच्छिक आधार पर, कुछ चुनी हुई संस्थाओं में जानकारी के स्थानान्तरण के लिए अल्पकालीन तकनीकी समनुदेशितों के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

—कुछ वैज्ञानिक संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था है कि विदेशों में काम कर रहे और/या अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों को अधिसंख्य पदों पर नियुक्त किया जा सकता है।

चाय बागानों के श्रमिकों के लिए रोजगार और प्रशिक्षण

4120. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थायी श्रम समिति देश में रोजगार और प्रशिक्षण के आधारभूत ढांचे को बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) उत्तर बंगाल के चाय बागानों के अतिरिक्त श्रमिक बल के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के आधारभूत ढाँचे के लिए योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्व-रोजगार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उत्तर बंगाल में "सीखने के साथ कमाओं और कमाने के साथ सीखो" योजना का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) रोजगार और प्रशिक्षण के आधार भूत ढांचे को बढ़ाने से सम्बन्धित मामले पर 15 और और 16 सितम्बर, 1980 को हुई श्रम मन्त्रियों की स्थायी समिति की बैठक में विचार विमर्श किया गया और राज्य श्रम मन्त्रियों ने यह सुनिश्चित करना स्वीकार किया कि रोजगार और प्रशिक्षण के आधार भूत ढांचे को बढ़ाने के लिए राज्य योजनाओं में आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।

(ख) उत्तर बंगाल के चाय बागानों के अतिरिक्त श्रमिक बल के लिए रोजगार और प्रशिक्षण के आधार भूत ढांचे के सम्बन्ध में किसी योजना का प्रस्ताव श्रम मन्त्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आरम्भ की गई 'सीखने के साथ कमाओ' की संकल्पना पर आधारित 'उत्पादनोन्मुख प्रशिक्षण योजना' की एक प्रति

राज्य सरकारों में, पश्चिम बंगाल सहित, परिचालित की गई थी, ताकि तत्सम्बन्धी राज्यों में उसे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाकर कुछ चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यान्वित किया जाए। इस योजना को कार्यान्वित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए इसकी पश्चिम बंगाल के उद्योग निदेशालय में जांच की जा रही है। "कमाने के साथ सीखो" की संकल्पना पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों के कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में अंशकालिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

एच० एम० एम० लिमिटेड, फरीदाबाद

4121. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैं० एच० एम० एम० लिमिटेड द्वारा फरीदाबाद में अपने फैक्ट्री परिसरों का उपयोग एक ठेकेदार मैं० ए० के० पैकेजिंग के माध्यम से हार्लिक्स पैक करने के लिए किया जाता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वहां कितने कर्मचारियों को काम पर लगाया गया था और कितने समय के लिए ;

(ग) क्या यह फैक्ट्री अब बन्द कर दी गई है क्योंकि जिन कर्मचारियों को नियमित काम में लगाया गया था उन्होंने मांग की थी कि उन्हें मुख्य नियोक्ता, मैं० एच० एम० एम० लिमिटेड का कर्मचारी समझा जाए ;

(घ) क्या सरकार को इस मामले में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) हरियाणा सरकार से, जो मैसर्स एच० एम० एम० लिमिटेड, फरीदाबाद के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन सम्बन्धित सरकार है, प्राप्त सूचना के अनुसार, हार्लिक्स की पैकेजिंग मेसर्स ए० के० पैकेजिंग द्वारा डी० एल० एफ० औद्योगिक क्षेत्र, फरीदाबाद में उनके द्वारा किराए पर लिए गए परिसर में मैसर्स एच० एम० एम० लिमिटेड, के लिये ठेके के आधार पर की जाती थी।

(ख) मैसर्स ए० के० पैकेजिंग की ठेका करने वाली फर्म में लगभग 138 श्रमिक नियोजित थे, जो उनके यहां एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये नियोजित रहे।

(ग) मैसर्स ए० के० पैकेजिंग ने बिना कोई कारण बताए यथोचित नोटिस के साथ अपनी फैक्टरी को 7-2-81 से बन्द कर दिया।

(घ) हरियाणा की राज्य सरकार को इस मामले में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ङ) राज्य औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र ने विवाद को निपटाने के लिये प्रयास किए। चूंकि कोई समझौता नहीं हो सका, इसलिए मैसर्स ए० के० पैकेजिंग के बन्द हो जाने से सम्बन्धित विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये 11-3-81 को औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा को भेजा गया है।

त्रिपुरा पेपर मिल के लिये सोवियत सहायता

4 22. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ सरकार ने त्रिपुरा पेपर मिल परियोजना हेतु सहायता देने में गहरी रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त परियोजना की स्थापना पर होने वाले खर्च का तथा प्रति वर्ष होने वाले कागज के उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में एक सोवियत प्रतिनिधि-मडल ने भारत का दौरा किया था। और यदि हां, तो उसके साथ हुई वार्ता के क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) जून 1980 में सोवियत शिष्टमंडल के भारत के दौरे के समय लुगदी तथा कागज उद्योग के क्षेत्र में भारत और सोवियत रूस के बीच सहयोग के कार्यक्रम पर सहमति व्यक्त की गई थी। कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ नयी लुगदी तथा कागज मिलें स्थापित करने में सहयोग देने की भी व्यवस्था की गई है। त्रिपुरा सरकार ने राज्य के जंगलों से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित 25.1/300 मी० टन प्रति दिन की क्षमता वाली एक कागज परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार के अनुसार परियोजना की लागत का अनुमान लगभग 175 करोड़ रुपये लगाया गया है। त्रिपुरा कागज परियोजना के सम्बन्ध में सोवियत रूस सरकार की ओर से सहायता देने का कोई भी औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य

4123. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य स्तर में कमी करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के लिए अगस्त में निर्माताओं के प्रतिनिधियों और व्यापारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक की थी;

(ख) क्या निर्माताओं और व्यापारियों ने, जैसी कि सहमति हुई थी उसके अनुसार, मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के समक्ष ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे; और

(ग) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का तथा उनके कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) उपभोक्ता उपयोग की वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने के संदर्भ में उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने साबुन, टूथपेस्ट, टायरों तथा टायूब व जूते आदि के उत्पादों के साथ अगस्त तथा सितम्बर 1980 के दौरान बैठकें आयोजित की थीं। इन बैठकों के होने के फलस्वरूप इनमें के कुछ वस्तुओं के मूल्य स्थिर हो गये थे अथवा कुछ हद तक कम हो गये थे। साबुनों पर 2½ प्रतिशत व 3½ प्रतिशत व टूथपेस्ट पर 4 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के बीच मूल्यों में कटौतियां हो गयीं थी। टायरों के निर्माताओं ने उत्पादकों के स्तर पर कुछ आकार के टायरों के मूल्य 2 प्रतिशत तक मूल्य कम करने पर अपनी सहमति दे दी थी। संगठित क्षेत्र में जूतों के निर्माता भी दो किस्म के जूतों का विपणन 30 रुपये तथा 35 रुपये पर करने लगे थे।

पुलिस की गोली के शिकार हुए हरिजन और आदिवासी

4124. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में 1980 में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों के शिकार हुए लोगों में हरिजनों और आदिवासियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या केन्द्र में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद से पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटनाओं में एकदम वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बोनस की अदायगी

4125. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में उत्पादन से सम्बद्ध बोनस किस-किस श्रेणी के कर्मचारियों तथा किन-किन विभागों को दिया गया है ; और

(ख) वे आधार/मानदण्ड क्या हैं जिनके आधार पर उनके मन्त्रालय के किसी श्रेणी के कर्मचारियों को बोनस दिया जा सकता है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) उत्पादकता आधारित बोनस (न कि उत्पादन-आधारित बोनस) निम्नलिखित रक्षा उत्पादन स्थापनाओं के सभी वर्गों के सिविलियन कर्मचारियों को मंजूर किया गया है जिनमें औद्योगिक, गैर औद्योगिक, पर्यवेक्षण कर्मचारी तथा 1600 रु० तथा 1600 रु० तक मासिक वेतन पाने वाले राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं। लेकिन इसमें आयुध कारखानों, निरीक्षण महानिदेशालय संगठन और भारी वाहन कारखानें में नियुक्त अध्यापन कर्मचारी और निरीक्षण महानिदेशालय के मुख्यालय स्थापना में नियुक्त कर्मचारी तथा अनन्य रूप से अनुसंधान तथा विकास स्थापनाओं का काम देखने वाले एककों में नियुक्त लेखा-परीक्षा कर्मचारी शामिल नहीं हैं :—

(1) आयुध कारखाने, आयुध उपस्कर समूह के कारखाने, आयुध कारखाना बोर्ड मुख्यालय (आयुध कारखाना सैल, नई दिल्ली सहित) और आयुध उपस्कर समूह मुख्यालय, कानपुर;

(2) भारी वाहन कारखाना, आवड़ी;

(3) निरीक्षण महानिदेशालय;

(4) लेखा नियंत्रक संगठन (फैक्टरियां) और मुख्य आन्तरिक लेखा-परीक्षक (फैक्टरियां); और

(5) वित्त नियन्त्रक (फैक्टरियां)।

(ख) उत्पादन करने वाले/उनसे सम्बन्धित संगठनों के कर्मचारियों पर भी उत्पादकता आधारित बोनस योजना लागू की गई है। केन्द्रीय सरकार के आम कर्मचारियों के मामले में इस योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध सतकता मामले

4126. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के अधिकारियों (राजपत्रित) के विरुद्ध सतर्कता के कितने मामले शुरू किए गए थे;

(ख) उनमें से कितने दोषी साबित हुए; और

(ग) कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सभी सतर्कता मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक होता है । वर्ष 1979 तथा 1980 के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध 798 मामले शुरू किए गए जिनमें से 265 मामले निपटा दिए गए तथा 533 मामले अभी विचाराधीन पड़े है । निपटाए गए 265 मामलों में से 147 अधिकारी दोषी पाए गए तथा 82 अधिकारी दोषी नहीं पाए गए । शेष 36 अधिकारियों के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हुए परन्तु अन्य चूकें पाई गई तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने उनके विरुद्ध समुचित प्रशासनिक कार्रवाई करने की सलाह दी ।

वर्ष 1980 के दौरान कारखानों/कम्पनियों में तालाबन्दी

4127. **श्री अजय विश्वास :**

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश भर में राज्यवार, कितने तथा किन-किन कारखानों तथा कम्पनियों में तालाबन्दी तथा जबरन छुट्टियों की घटनाएं हुईं; और

(ख) इन कारखानों में तालाबन्दी तथा जबरन छुट्टियों के कारण राज्यवार कितने श्रमिक बेरोजगार हुए और इन कारखानों के नाम क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों अर्थात् 1978 से 1980 के दौरान तालाबन्दियों की संख्या, इसमें अन्तर्गस्त श्रमिकों की संख्या, और इनके कारण नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या (राज्य वार) सम्बन्धी विवरण (एक) संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2142/81] उक्त अवधि के दौरान जबरी छुट्टी से प्रभावित हुए यूनिटों राज्यवार की संख्या और इनके कारण प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या सम्बन्धी विवरण (दो) संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2142/81] तालाबन्दियों/जबरी छुट्टियों से प्रभावित हुए अलग-अलग कारखानों के नाम तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

त्रिपुरा के विकास के सम्बन्ध में दिनेशसिंह समिति की सिफारिशों का लागू किया जाना

4128. **श्री अजय विश्वास :**

श्री मुकुन्द मण्डल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनेश सिंह समिति ने कागज मिलों की स्थापना, रेल लाइनों के विस्तार द्वारा त्रिपुरा के लोगों के तेजी से उत्थान के लिए कुछ विकासात्मक कार्य शुरू करने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने त्रिपुरा के विकास से सम्बन्धित सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई निर्णय लिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) दिनेशसिंह समिति की सिफारिशें उस रिपोर्ट में निहित हैं, जो 11 अगस्त, 1980 को सदन के पटल पर रख दी गई थी। जिन सिफारिशों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत थी वे आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार और सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। सरकार त्रिपुरा के त्वरित विकास की जरूरत के प्रति जागरूक है और इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

जमशेदपुर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का एक उपक्षेत्रीय कार्यालय खोलना

4129. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सिंहभूम जिले में ऐसे लगभग 900 प्रतिष्ठान/कारखानें/खानें हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आते हैं;

(ख) क्या छूट रहित प्रतिष्ठानों में 50 000 से अधिक अंशदाता हैं और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में इनकी संख्या 1.50 लाख से अधिक है ;

(ग) भविष्य निधि में अंशदान करने वाले निर्धन कर्मचारियों को रांची स्थित उस क्षेत्रीय कार्यालय से अथवा अपना अन्तिम भुगतान प्राप्त करने और ऋण तथा पेशगी लेने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वहां उनके मामलें महीनों और वर्षों तक अटक पड़े रहते हैं ;

(घ) क्या चक्रधरपुर और चाईबासा, चकुलिया, घाटशिला आदि से जमशेदपुर निकटतम स्थान होगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक और उप-क्षेत्रीय कार्यालय जमशेदपुर में

खोलने का है ताकि इन निर्धन कर्मचारियों की कठिनाइयां को दूर किया जा सके ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि : —

(1) सिंहभूम जिले में 774 प्रतिष्ठान/कारखानें/खानें (753 छूट न प्राप्त और 21 छूट प्राप्त प्रतिष्ठान) हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आते हैं।

(2) छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों में अंशदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या 25,350 और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में इन व्यक्तियों की संख्या 1,09,684 है।

(3) अंशदाताओं के भविष्य निधि दावों, ऋण और पेशगी की उन आवेदनपत्रों को, जो सभी समर्थित दस्तावेजों के साथ पूर्ण फार्म में प्राप्त होते हैं, बिना विलम्ब के निपटाया जाता है। केवल उन्हीं आवेदनपत्रों के, जो अपूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं या जिनके साथ समर्पित दस्तावेज नहीं होते हैं निपटान में देरी होती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं। जमशेदपुर में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव पर, अब यह प्राप्त हो जाएगा, इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

मुजफ्फरपुर (बिहार) में भविष्य निधि का एक उप-केन्द्रीय कार्यालय खोलना

4130. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बिहार में 800 से अधिक प्रतिष्ठानों पर कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू होती है और उन प्रतिष्ठानों में अंशदान करने वाले 50,000 से अधिक कर्मचारी इस योजना के अधीन आते हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इन कर्मचारियों को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पटना स्थित कार्यालय से सम्पर्क करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मुजफ्फरपुर में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है ताकि इन कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) उत्तर बिहार में 428 प्रतिष्ठान हैं और इन प्रतिष्ठानों में 71,089 अंशदान करने वाले कर्मचारी हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूर किया है।

कर्मचारी भविष्य निधि के अधीन निरीक्षणालय कार्यालय का निराशाजनक रख-रखाव

4131. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत

सारे भारत में स्थित विभिन्न निरीक्षणालय कार्यालयों की स्थिति इतनी असन्तोषजनक है कि वहां न तो फर्नीचर है, न टाइपराइटर है, न असिस्टेंट हैं, नही पर्याप्त फार्म और लेखन सामग्री है;

(ख) क्या निवेश आदि के पैटर्न के बारे में सभी सरकारी अधिसूचनाएं परिपत्र और सरकारी आदेश विभिन्न राज्यों में स्थित निरीक्षणालय कार्यालयों को नहीं भेजे जाते हैं जिसकी वजह से निरीक्षकों को अद्यतन स्थिति और किए गए संशोधनों आदि की कोई जानकारी नहीं है ; और

(ग) क्या उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार निरीक्षणात्मक कार्यालयों को आवश्यक सामान देने के लिए तत्काल कदम उठाने का है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि वर्तमान मानकों के अनुसार पूरे देश में स्थित सभी भविष्य निधि निरीक्षणालयों को अपेक्षित फर्नीचर, टाइपाइटरों और लिपिकीय सहायता की व्यवस्था के लिए आवश्यक मंजूरी दी गई है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सभी निरीक्षणालयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार फार्म और स्टेशनरी प्रदान कर रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण सरकारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों और निवेश पैटर्न तथा योजनाओं में संशोधन से सम्बन्धित अन्य सरकारी आदेशों की प्रतियां भविष्य निधि निरीक्षणालयों को भी भेजी जाती हैं ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना

4132 : **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का विस्तार करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार यह निर्णय पहले ही कर चुकी है कि उक्त उद्योगों का विस्तार कहां-कहां होगा ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन, एच० एम० टी०, आई० डी० पी० आदि जैसे उद्योगों के विस्तार हेतु उड़ीसा राज्य में कुछ स्थानों का चयन करेगी ;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में उक्त उद्योगों का विस्तार करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ङ) उक्त उद्योग स्थापित करने का निर्णय केन्द्र सरकार कब लेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की विस्तार परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का निर्णय प्रत्येक मामले में उपयुक्त स्थिति में आर्थिक तकनीकी आधारों पर लिया जाता है। इस समय, बी० एच० ई० एल० हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन और एच० एम० टी० की किसी भी विस्तार परियोजना का उड़ीसा में स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है तो भी आई० डी०

पी० एल० का इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड के सहयोग से उड़ीसा में एक ड्रग फारमूलेशन एकक स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल केन्द्रीय क्षेत्र की उड़ीसा में स्थापित की जाने वाली प्रमुख औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं में से कुछ की सूची नीचे दी गई है :—

1. राउरकेला इस्पात संयंत्र (सिलिकोन इस्पात परियोजना, होट स्ट्रिप मिल का आधुनिकीकरण, अतिरिक्त नेप्था रिफोर्मा संयंत्र, उर्वरक विविधीकरण संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण, केपटिव पावर प्लांट, कोयला भट्टी संयंत्र आदि)।

2. नेशनल अल्यूमिनियम कारपोरेशन उड़ीसा अल्यूमिनियम कम्पलैक्स।

3. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड-सरगीपल्ली सीसा खानें।

4 उड़ीसा सैंड कम्पलैक्स (इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड)।

5. हैवी वाटर प्रोजेक्ट (तलचर)।

6. भारत अल्यूमिनियम कं० लिमिटेड/गंधमर्दन बाक्साइड खान।

7. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया-तलचर परियोजना।

8. दूसरा नया इस्पात संयंत्र।

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जाना

4133. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैमित्तिक श्रमिकों को शीघ्र नियमित करने के लिए समूचे भारत के स्तर पर एक निश्चित नीति बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जायेगा ;

(ग) क्या इस प्रस्ताव की क्रियान्वित के लिए उनका मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेगा ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) श्रम मंत्रियों की स्थायी समिति की उप समिति ने 10-2-1981 को हुई अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया कि महाराष्ट्र द्वारा बनाए गए आदर्श माडल स्थायी आदेश सभी नैमित्तक श्रमिकों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू किए जा सकते हैं। इस उप समिति के निष्कर्षों पर श्रम मंत्रियों की स्थायी समिति द्वारा अभी और आगे विचार किया जाना है।

उड़ीसा के पिछड़े जिलों में उद्योग की स्थापना

4134. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में 13 जिलों में से 8 जिलों को औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़ा हुए घोषित किया गया है जिसके लिए इन जिलों में उद्योगपतियों के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह कहा है कि औद्योगिक रूप से सारे राज्य के पिछड़ेपन को देखते हुए सारे राज्य को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) अखिल भारतीय आवधिक ऋणदायी संस्थाओं से रियायती दर पर बिल की सुविधाएं पाने हेतु उड़ीसा के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए आठ जिलों में से छः अर्थात कालाहांडी, मयूरभंज, बोलनगीर ढेकानल, क्योझर तथा कोरापुट जिले निवेश राजसहायता की केन्द्रीय योजना के लिये पात्र हैं।

(ख) उड़ीसा सरकार ने अप्रैल, 1980 में यह अनुरोध किया था कि चुने हुए शहरी क्षेत्रों को छोड़कर समूचे राज्य को ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया जाना चाहिये।

ग) योजना आयोग द्वारा श्री वी० शिवरामन योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य की अध्यक्षता में अन्य बातों के साथ-साथ पिछड़े हुए दोनों के लिये प्रोत्साहन देने की वर्तमान योजना की समीक्षा करने तथा पिछड़ा क्षेत्र होने के लिये मानदण्ड की सिफारिश करने हेतु पिछड़े क्षेत्र का विकास करने के सम्बन्ध में गठित को गई राष्ट्रीय समिति ने "औद्योगिक फैलाव" पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी जिस पर राज्य सरकारों, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा वित्तीय संस्थानों के परामर्श से विचार किया जा रहा है तथा पिछड़े क्षेत्रों की वर्तमान सूची में कोई भी परिवर्तन करना इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर लिये जाने वाले निर्णयों पर निर्भर करेगा।

क्रियान्वित न किए गए आशय-पत्रों का रद्द किया जाना

4135. **श्री चिन्ता मणि जेना :**
श्री जगदीश टाइटलर :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय द्वारा 1977-79 में जारी किए गए आशय-पत्रों में से आधे से भी अधिक आशय-पत्रों को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) वर्ष वार जारी किए गए उन आशय-पत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ग) क्या उक्त अवधि में जारी किए गए कुछ आशय पत्र रद्द कर दिए गए हैं, या कालातीत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इस सम्बन्ध में क्या उपाय करना चाहती है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं। वर्ष 1977 से 1979 तक जारी किए गए कुल पत्रों में से केवल 10.5 प्रतिशत व्यपगत अथवा रद्द हो गये।

(ख) से (घ) सभी आशय पत्रों का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित मंथली न्यूजलैटर में दिया गया है जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है। सभी आशय-पत्रों की वैधता

अवधि एक वर्ष होती है और अधिकांश आशय पत्रों की अवधि कार्यान्वियन की स्थिति में उचित कारण बताए जाने पर बढ़ा दी जाती है अन्य व्यपगत हो जाते हैं अथवा रद्द कर दिए जाते हैं, और रद्द/व्यपगत समझे गए सभी आशय पत्रों का पेयवरण उपर्युक्त न्यूजलैटर में उपलब्ध है ।

(ङ) सभी प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सभी विद्यमान आशय पत्रों की संवीक्षा की जाती है और यदि अवधि बढ़ाने के लिए कोई वैध कारण उपलब्ध होते हैं तो उन्हें 31 मार्च 1981 तक समाप्त कर दिया जाएगा ।

राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश

4136. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय पूंजी-निवेश बहुत कम है जबकि राज्य में जस्ता, तांबा और अनेक अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो योजना के अन्तर्गत और उसके बाहर पूंजी-निवेश में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

31 मार्च, 1980 को विभिन्न राज्यों को 8161.14 करोड़ रुपये के कुल निवेश (सकब्लाक) में से राजस्थान को 337.62 करोड़ रुपये दिये गये थे । नि:सन्देह राजस्थान में मिलने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग राजस्थान में ही स्थापित किए गए हैं । हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड इसके उदाहरण हैं । हो सकता है कि राज्य के आकार तथा सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में किये गये निवेश के बीच वस्तुत: कोई सह सम्बन्ध दिखाई न देता हो क्योंकि इस्पात, कोयला, पैट्रोलियम आदि क्षेत्र के उद्योग जिनमें भारी निवेश करना होता है, सामान्यत: कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थापित किए जाते हैं । तो भी क्षेत्र का सन्तुलित विकास करने पर सदैव ध्यान रखा जाता है और जहां कहीं भी नया निवेश करने संबंधी निर्णय लिए जाते हैं संगत आर्थिक कारकों पर विचार कर लिया जाता है । तथापि छठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये उपलब्ध समस्त साधन स्रोतों को तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत की गई योजना गत प्राथमिकताओं को देखते हुए राज्य स्थान के लिये राज्य में उपलब्ध खनिज स्रोतों के आधार पर उद्योगों का विकास करने हेतु उपयुक्त बल दिया गया है । राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में औद्योगिक विकास करने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में किये गये परिव्यय नीचे बताए गये हैं :—

रुपये करोड़ों में

1980-85 की योजनावधि में परिव्यय

1	2	3
1.	हिन्दुस्तान कापर लि०, खेतड़ी कापर काम्लेक्स	34.46
	(क) चालू योजनाएं, बदलना एवं नवीकरण	17.01

1	2	3
	(ख) नयी योजनाएं अर्थात् स्मेल्टर विस्तार रिफाइनरी विस्तार, उपोत्पाद संयंत्र अन्वेषण कारी तथा संभाव्यतापूर्व अध्ययन	16.00
	(ग) एस० एण्ड टी कार्यक्रम	1.45
2.	**हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड**	**99.22**
	(क) चालू योजनाएं अर्थात् देबरी स्मेल्टर विस्तार, राजपुरा दरीबा खान, मातन फास्फेट खानें	41.75
	(ख) नवीकरण एवं बदलाव	23 00
	(ग) नवी योजनाएं अर्थात् जावमाला खानें, बारोई एक्सफलोरेशन लीच रेसीडयू, ट्रीटमेंट प्लांट अग्रचा बाराई खान तथा स्मेल्टर काम्पलेक्स सिल्वर मरक्यूरी (चांदी, पारा) रिकवरी प्लान्ट, पायराइट यूटिलाइजेशन प्लान्ट, संभाव्यता अध्ययन तथा अन्वेषण ।	33.27
	(घ) एस० एण्ड टी कार्यक्रम	1.20
3.	**पायराइट तथा फास्फेट लिमिटेड (नई योजनाएं)**	**10.50**

खनिज पर आधारित उपर्युक्त कार्यक्रम के अलावा, छठी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान स्थित सरकारी क्षेत्र के अन्य केन्द्रीय उद्योगों के लिये भी निम्न प्रकार से परिव्यय निहित हैं :—

	(करोड़ रुपये में)
1. एच० एम० टी० लि०, मशीन टूल प्रभाग अजमेर	1.32
2. हिन्दुस्तान साल्टस लि०, सांभर साल्ट्स	2.00
3. इन्स्ट्रूमेंटेशन लि०, कोटा	3.85
4. हैवी वाटर प्रोजेक्ट, कोटा	13.86
5. आई० डी० एल० के सहयोग से ज्वायन्ट सेक्टर फारममुलेशन यूनिट	0.11

कानून और व्यवस्था की स्थिति

4137. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में निरन्तर बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) विधि और व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है क्योंकि संविधान के अधीन "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार ऐसी सहायता और सलाह राज्य सरकारों को देती है जो आवश्यक और उपयुक्त होती है।

राजनीतिक दलों और अन्य वर्गों को राष्ट्रीय एकता परिषद के सामान्य मंच पर लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि वे राष्ट्रीय एकता के लिये खतरा पैदा करने वाली समस्या पर विचार कर सकें। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 अधिनियमित किया गया है ताकि विधि और व्यवस्था से संबंधित अधिकारी राष्ट्र-विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को नियंत्रण में रखने के लिये सख्त और समय पर निरोधात्मक कार्रवाई कर सकें। दण्ड प्रक्रिया संहिता कानून प्रवर्तन एजेन्सियों के हाथ मजबूत करने के लिये संशोधित किया गया है। पुलिस बलों को पुनर्व्यवस्थित, पुनः संगठित और आधुनिक बनाने के लिए तथा अवैध गतिविधियों में ग्रस्त पाये गये तत्वों से कारगर ढंग से निपटने के लिए आवश्यक उपकरण देने हेतु कार्रवाई की गई है।

अपराध को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा पर्याप्त कदम उठाये जा रहे हैं जैसे राष्ट्रीय और राज्य राजपथों की गश्त लगाना, रात में यात्रा करने वाली बसों और रेलगाड़ियों पर संरक्षण प्रदान करना, अपराध वाले क्षेत्रों में पुलिस टुकड़ियां तैनात करना और डकैतों को गिरफ्तार करने के लिये विशेष दस्तों का गठन करना।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की बटालियनें और कम्पनियां

4138. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1980 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कितनी-कितनी बटालियनें और कम्पनियां थी और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कार्मिकों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) वर्ष 1980 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कितनी बटालियनें और बढ़ाई गयीं :

(ग) दिनांक 1 जनवरी, 1981 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की बटालियनों की संख्या कितनी हो गई और कार्मिकों की कुल संख्या क्या है; और

(घ) देश में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की बटालियनों के मुख्यालय कहां-कहां स्थित हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1-1-1980 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 58 बटालियनें थीं। कार्मिकों की कुल संख्या 69,610 थी।

(ख) 1980 में के० रि० पु० की 8 अतिरिक्त बटालियनें स्वीकृत की गई थी।

(ग) अतिरिक्त 8 बटालियनों के बनने के बाद के० रि० पु० की 66 बटालियनें होंगी। कार्मिकों की कुल संख्या 78,823 होगी।

(घ) के० रि० पु० बल की बटालियनों के मुख्यालयों के स्थानों का विवरण संलग्न है।

विवरण

बटालियनों के मुख्यालयों का स्थानों का विवरण

ग्रुप सेन्टर के० रि० पु० ब०
(1) हैदराबाद
(2) नागपुर
(3) अवाड़ी
(4) पल्लीपुरम
(5) नीमच
(6) रामपुर
(7) मोकामोहघाट
(8) दुर्गापुर
(9) भुवनेश्वर
(10) बनतालाब
(11) नई दिल्ली
(12) गांधीनगर
(13) अजमेर (I)
(14) अजमेर (II)
(15) इम्फाल
(16) गोहाटी

प्रयुक्त यूरेनियम को प्लूटोनियम में बदलने सम्बन्धी प्रौद्योगिकी

4139. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने प्रयुक्त यूरेनियम को प्लूटोनियम में बदलने सम्बन्धी और इसे परमाणु बिजलीघर में ईंधन के रूप में प्रयोग करने सम्बन्धी प्रौद्योगिकी का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान के क्या निष्कर्ष हैं और इस अनुसंधान-कार्य में लगे नाभिकीय वैज्ञानिकों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए प्रयुक्त यूरेनियम को ईंधन के रूप में उस स्थिति में प्रयोग करने के बारे में विचार कर रही है, यदि अमरीका अपना वचन पूरा नहीं करता है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी ०पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। कुछ किस्म के रिएक्टरों में इस्तेमाल के लिए माक्स (mox) ईंधन बनाने की प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। यह काम इस विभाग के

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के एक दल ने किया है।

(ग) यदि आवश्यकता पड़ी तो ऐसी परिस्थिति पर विचार किया जाएगा।

अनुसन्धान तथा विकास विभाग द्वारा हथियार पद्धति के लिए महती योजना

4140. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अनुसंधान और विकास संगठन ने वर्तमान हथियार पद्धति के पुराने पड जाने से पूर्व देश के अन्दर ही देश की सुरक्षा के लिये हथियारों के निर्माण के लिये योजनायें बनाई हैं;

(ख) क्या छठी योजना के दौरान ऐसे हथियारों के देश के अन्दर निर्माण में वृद्धि करने के लिये कोई महती योजना बनाई है और यदि हाँ, तो आधुनिकतम हथियारों और परम्परागत हथियारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत वर्षों में सेना के हथियारों और उपक्रमों के लिये अनुसंधान और विकास संगठन ने आयात व्यय में कमी करने में किस हद तक योगदान दिया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन की जिम्मेदारी हथियारों का डिजाइन तथा विकास करने की है जबकि उनके निर्माण के सम्बन्ध में योजनाएं बनाने का काम दूसरी एजेन्सियों का है। इस संगठन ने समसामयिक तथा अति आधुनिक शस्त्र प्रणालियों के डिजाइन तथा विकास के लिए पंचवर्षीय तथा भावी योजनाएं तैयार की हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को समुचित आधार पर भावी योजनाओं के अनुरूप बनाया जाता है।

जिन कुछ महत्वपूर्ण हथियारों/उपस्कर/सामान के विकास की योजना बनाई गई है उनमें ये हैं : मुख्य युद्ध टैंक; विजयन्त का आधुनिकीकरण; उन्नत प्रौद्योगिकी के गैस टर्बाइन इंजन और सिमुलेटर ; उन्नत किस्म के राडार और संचार प्रणालियों; सोनार तथा अन्तर्जल हथियार : भावी प्रक्षेपणास्त्र प्रणालियां ; विशेष सामान ; हाई एनर्जी प्रोपिलेन्ट तथा गोलाबारूद, आदि।

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के प्रयासों से काफी हद तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है और इस संगठन द्वारा विकसित बहुत सी मदों का उत्पादन हो रहा है और सेनाओं में उपयोग किया जा रहा है।

उद्योगों को स्वस्थ विकास के रास्ते पर लाने के लिए उपाय

4141. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने और इसे स्वस्थ विकास के रास्ते पर लाने के लिए गत एक वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न उपायों पर प्रभावकारिता का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की नीतियाँ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को अलग-अलग उत्पादन और निर्यात बढ़ाने में किस प्रकार सहायक हुई हैं; और

(ग) क्या इस सर्वेक्षण पर निर्भर करते हुए भविष्य के लिए सरकार दोनों क्षेत्र के उद्योगों के लिए कोई योजना बना पाई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) पिछले महीने की तुलना में जुलाई, 1980 से दिसम्बर, 1980 तक औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक का अन्तर निम्न प्रकार है :—

अवधि (1980)	पिछले महीने की तुलना में अन्तर (प्रतिशत)
जुलाई	+1.9
अगस्त	+1.6
सितम्बर	+2.5
अक्टूबर	+4.6
नवम्बर	+5.6
दिसम्बर	+9.4

सामान्य सूचकांक में 83.2 प्रतिशत भार वाले चुने हुए 148 उद्योगों के विकास का स्वरूप निम्न प्रकार था :—

उद्योग समूह	भार (प्रतिशत)	अप्रैल-नवम्बर, 1979 की अपेक्षा अप्रैल-नवम्बर, 1980 में हुए परिवर्तन का प्रतिशत
(क) मूलभूल उद्योग	28.58	(+) 1.7
(ख) पूंजीगत माल उद्योग	9.79	(+) 9.2
(ग) मध्यवर्ती माल उद्योग	15.11	(+) 0.8
(घ) उपभोक्ता की टिकाऊ वस्तु उद्योग	5.95	(+) 3.8
(ङ) उपभोक्ता की गैर-टिकाऊ वस्तु उद्योग	23.72	(—) 2.9

29 उद्योगों, जिनका सामान्य सूचकांक में लगभग 47 प्रतिशत मिश्रित अंश होता है, के अन्तिम आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि इन उद्योगों में दिसम्बर, 1979 की अपेक्षा दिसम्बर, 1980 में समग्र रूप से लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कुछ चुने हुए उद्योगों का अप्रैल-नवम्बर, 1979 की अवधि की तुलना में वर्ष 1980 की इसी अवधि का कार्य-निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2143/81]

सरकार औद्योगिक वृद्धि को अधिकतम करने के लिए नीतियों का अनुसरण करती रहेगी और उद्योग की अवस्थापना संबंधी आवश्यकताओं की ओर तथा औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राज्यों को सीमेंट की सप्लाई

4142. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गृह निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट की बहुत कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो उपभोक्ताओं को सीमेंट का वितरण करने के लिए क्या प्रक्रिया और शासन व्यवस्था है;

(ग) क्या वार्षिक अथवा त्रैमासिक आधार पर राज्यों और संघ क्षेत्रों के लिए कोई कोटा है, और प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्रों के लिए तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 1980-81 के वित्तीय वर्ष के दौरान कोटे अथवा सप्लाई में कोई कमी हुई; और

(ङ) यदि हाँ, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उपभोक्ताओं को सीमेंट की पर्याप्त नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) देश में सीमेंट की सामान्य कमी है।

(ख) और (ग) राज्यों एवं शासित क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों को सीमेन्ट का वितरण सीमेन्ट नियन्त्रक द्वारा पिछले खपत के आधार पर तथा सीमेन्ट की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इकट्ठा ही तिमाही आबंटन करने की एक प्रणाली के अनुसार किया जाता है। वर्ष 1980 में राज्यों/एवं शासित क्षेत्रों के सीमेन्ट आबंटन तथा आपूर्ति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1979-30 की अन्तिम तिमाही के आबंटन की तुलना में वित्तीय वर्ष 1980-81 में राज्यों के मूल तिमाही आबंटन में कोई भी कटौती नहीं की गई है। वर्ष 1980 में आबंटन में से सीमेन्ट आपूर्ति की गई मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। देश में सीमेंट की उपलब्धता व आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1980 में सीमेन्ट का राज्यवार आबंटन तथा आपूर्ति दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े 000 मी० टन में)

क्र० सं०	क्षेत्र/राज्य	आबंटन	प्रेषण
1	2	3	4
	उत्तरी क्षेत्र		
1.	हरियाणा	619.5	430.0
2.	राजस्थान	571.7	501.0
3.	उत्तर प्रदेश	1952.3	1439.6
4.	हिमाचल प्रदेश	118.0	91.4
5.	जम्मू और कश्मीर	184.4	140.4
6.	पंजाब	911.9	523.8
7.	चंडीगढ़	83.6	72.6
8.	दिल्ली	527.2	429.5
	दक्षिणी क्षेत्र		
9.	आन्ध्र प्रदेश	1550.5	1539.1
10.	तमिलनाडु	1529.9	1489.2
11.	कर्नाटक	1025.7	949.9
12.	केरल	983.7	941.0
13.	पांडचेरी	45.0	54..
14.	अण्डमान निकोबार	18.3	13.1
15.	लक्ष द्वीप	7.6	2.3
	पूर्वी क्षेत्र		
16.	आसाम	219.0	169.9
17.	बिहार	914.6	819.6
18.	उड़ीसा	431.9	409.8
19.	वैस्ट बंगाल	1195.6	1051.4
20.	मणिपुर	41.5	21.2
21.	नागालैण्ड	46.3	35.9

1	2	3	4
22.	अरूणाचल प्रदेश	52.0	17.3
23.	त्रिपुरा	49.0	18.1
24.	मेघालय	66 0	44 6
25.	सिक्किम	44.6	32.4
26.	मिज़ोरम	26.4	6.2
	पश्चिमी क्षेत्र		
27.	गुजरात	1539.3	1431.6
2 .	मध्य प्रदेश	746.1	662.3
29.	महाराष्ट्र	2108.9	1800.2
30.	गोवा दमन डयू	120.2	115.8
31.	दादर नागर हवेली	11.6	5.4

रबर उद्योग की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए एक पैनल बनाया जाना

4143. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबर उद्योग की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए तथा उद्योग की क्षमता उपयोग में वृद्धि के तरीके ढूंढने के लिए एक पैनल बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पैनल ने कोई सिफारिशें की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं। उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई पैनल (नामिका) नहीं बनाया गया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उपयोग में लाए जा चुके ईंधन को पुन: उपयोगी बनाना

4144. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तारापुर तथा राजस्थान परमाणु शक्ति केन्द्रों से उपयोग में लाए जा चुके ईंधन को पुन: उपयोगी बनाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार प्राप्त किया गया ईंधन परमाणु केन्द्रों के उपयोग के योग्य होगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां। तथापि, तारापुर परमाणु बिजलीघर से प्राप्त मुक्त-शेष ईंधन के मामले में भारत और अमरीका के बीच सन् 1963 में हुए सहकार करार के अन्तर्गत, इससे पहले कि मुक्त-शेष ईंधन को पुन: संसाधित किया जाए, अमरीका के लिये यह आवश्यक है कि वह पुन: संसाधन करने वाले संयंत्र पर "सुरक्षोपायों को लागू करने' के बारे में एक "संयुक्त संकल्प" सम्बन्धी कार्रवाई को पूरा करे। इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए बार-बार किए गए हमारे अनुरोध पर अमरीकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

(ख) तथा (ग) हमारे द्वारा किए गए विकास-कार्य के परिणामस्वरूप, कुछ प्रकार के रिएक्टरों में माक्स (mox) ईंधन के इस्तेमाल किए जाने की सम्भावना सामने आई है।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई क्लर्क ग्रेड परीक्षा/स्टेनोग्राफर ग्रेड "डी" परीक्षा

4145. **श्री जैनुल बशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई क्लर्क ग्रेड परीक्षा/स्टेनोग्राफर ग्रेड "डी" परीक्षा में कितने उम्मीदवार थे ;

(ख) उनमें से कितने उम्मीदवार हिन्दी माध्यम से लिखित परीक्षा में शामिल हुए ;

(ग) उनमें से कितने उम्मीदवार हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपि में, अलग-अलग, शामिल हुए और कितने उम्मीदवार सफल हुए ; और

(घ) उपरोक्त दोनों परीक्षाओं के माध्यम से कितने रिक्त पद भरे जायेंगे ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 2,06,326

(ख) लिखित परीक्षा के दो प्रश्न पत्र थे। दोनों ही प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के थे जिनमें उम्मीदवारों को उक्त प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अपने उत्तर चुनने थे। इस प्रकार उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा का हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम से लिखे जाने का कोई प्रश्न नहीं था।

(ग) माध्यम	सफल उम्मीदवारों की संख्या
हिन्दी	160
अंग्रेजी	3998
कुल जोड़	4158

चूंकि आशुलिपि की परीक्षाएं अभी तक सभी क्षेत्रों में पूरी नहीं हुई हैं इसलिए इस स्टेज पर सफल उम्मीदवारों की संख्या निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

(घ) लिपिक ग्रेड परीक्षा	आशुलिपिक परीक्षा
लगभग 7000	300

तदर्थ आधार पर काम कर रहे अवर श्रेणी लिपिक

4146. **श्री जैनुल बशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में कितने अवर श्रेणी लिपिक तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं;

(ख) तदर्थ आधार पर काम कर रहे अवर श्रेणी लिपिकों की सेवाओं को कितने समय के बाद नियमित किया जाता है; और

(ग) यदि उन्हें नियमित नहीं किया जाता है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 21 निम्न श्रेणी लिपिक गृह मन्त्रालय और उसके संबर्ग एककों में तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) निम्न श्रेणी लिपिक के पदों जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा में शामिल हैं, पर नियुक्ति क्लर्क ग्रेड परीक्षा के आधार पर की जाती है। परन्तु इन पदों पर तदर्थ नियुक्तियां कभी कभी की जाती हैं जब योग्यता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी तदर्थ नियुक्तियों को नियमित तभी किया जाता है जब वे निर्धारित परीक्षा योग्यता प्राप्त कर लेते हैं।

संघ सेवा आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक परीक्षा

4147. **श्री जैनुल बशर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1980 में आयोजित की गई आशुलिपिक परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार बैठे थे;

(ख) इनमें कितने उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा हिन्दी माध्यम से दी;

(ग) हिन्दी अथवा अंग्रेजी माध्यम से लिखित परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों में से पृथक-पृथक कितने उम्मीदवार सफल हुए और उन्होंने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए;

(घ) हिन्दी तथा अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षा में पृथक-पृथक कितने उम्मीदवार सफल हुए; और

(ङ) उपरोक्त परीक्षा के आधार पर कुल कितने पद भरे जायेंगे ?

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 5731

(ख) 797

(ग) माध्यम	सफल उम्मीदवारों की संख्या	प्राप्त अंकों की अधिकतम प्रतिशतता
हिन्दी	36	69 प्रतिशत
अंग्रेजी	774	82 प्रतिशत
(घ) हिन्दी	30	
अंग्रेजी	603	
(ङ)	103	

स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन

4148. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्री बालासाहेब विखे पाटिल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वाधीनता सेनानियों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें 300 रुपये तथा 300 रुपये से अधिक तथा 500 रुपये तक मासिक पेंशन मिल रही है;

(ख) गृह मन्त्रालय के पास स्वाधीनता सेनानियों की ओर से पेंशन के लिए प्राप्त कितने आवेदन पत्र निर्णयाधीन पड़े हैं और उनको निपटाने में कितना समय लगने की संभावना है;

(ग) क्या स्वाधीनता सेनानियों को चिकित्सा सहायता देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और क्या उक्त चिकित्सा सहायता का स्वरूप हर राज्य में भिन्न-भिन्न है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यवार स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या सभी स्वाधीनता सेनानियों को एक समान आधार पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और यदि हां, तो किस आधार पर; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जिन स्वतन्त्रता सेनानियों और जिनके आश्रितों को पेंशन योजना के अधीन पेंशन स्वीकृत की गई है उनकी संख्या 1,19,310 है । इस संख्या में 300 रु० मासिक पेंशन पाने वाले स्वयं स्वतन्त्रता सेनानी और यदि वे जीवित नहीं है तो उनके पात्र आश्रित; जिनको पेंशन, परिवार के आकार पर निर्भर 200 रुपए से 300 रुपए के बीच है, शामिल हैं । इस सम्बन्ध में राज्यवार विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-1) [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2144/81] जो स्वतन्त्रता सेनानी 500 रुपए मासिक तक ऊंची पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संख्या 27 है । राज्यवार विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-2) [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2144/81]

(ख) पहले स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 के नाम से ज्ञात स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र प्राथमिक संवीक्षा के लिए लम्बित नहीं पड़ा है । परन्तु स्वतंत्रता सेनानियों से दस्तावेजों सबूत और/अथवा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों से रिपोर्ट न मिलने के कारण 27,793 मामले फाइल कर दिए गए हैं । व्यक्ति अथवा राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त होते ही ऐसे सभी मामलों में कोई निर्णय किया जाएगा ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-3) [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2144/81]

(ङ) चिकित्सा सहायता प्रदान करने का राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होने के कारण, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

डिपार्टमेंटल कैन्टीन स्टोर्स

4149. श्री मूलचन्द डागा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां डिपार्टमेंटल कैन्टीन स्टोर्स चल रहे हैं और उनमें कितना पैसा लगा हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि इस विभागीय कैन्टीनों में सामान्य लोगों को सामान खरीदने की अनुमति नहीं है और केवल भूतपूर्व सैनिकों तथा सैनिकों को ही इसकी अनुमति है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त विभागीय कैन्टीन "न लाभ न हानि" आधार पर चलाई जाती जाती हैं; यदि नहीं, तो वर्ष 1979-80 के दौरान इन पर सरकार को कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) रक्षा मंत्रालय के कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट की कैन्टीनें मुख्यतया यूनिटों, सशस्त्र सेना के फार्मेशन मुख्यालयों और सेना द्वारा सीधे संचालित परासैनिक दलों, सम्मलित प्रादेशिक सेना यूनिटों, तट रक्षक यूनिटों, राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशालय, उसके मुख्यालयों और ग्रुप मुख्यालयों में खुली हुई हैं। जिन स्थानों में यूनिट कैन्टीनें चलाई जा रही हैं उनके नामों से संबंधित सूचना वर्गीकृत होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उसे प्रकट नहीं किया जा सकता।

1980-81 के बजट अनुमान में स्टोर खरीद के लिए कुल 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट की कैन्टीनों से सामान्य नागरिकों को सामान खरीदने की अनुमति नहीं है क्योंकि ये मुख्यतया यूनिटों और सशस्त्र सेना की फार्मेशनों/रक्षा स्थापनाओं में स्थापित की गई हैं और इन्हें खासकर सशस्त्र सेनाओं के कल्याण के लिए चलाया जाता है। दूसरे ये परचून स्टोर या दुकानें नहीं है। इन कैन्टीनों से सामान खरीदने की सुविधा केवल प्राधिकृत वर्ग के कार्मिकों को ही दी गई हैं क्योंकि इन कैन्टीनों के माध्यम से सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों को बेचे जाने वाले माल पर विशिष्ट बिक्रीकर छूट और कल्याणकारी उपाय के रूप में भारतीय संघ के लगभग सभी राज्यों द्वारा शराब पर दी गई उत्पाद शुल्क: रियायतें लागू होती हैं।

(ग) इन कैन्टीनों को मुख्यतया एक कल्याणकारी उपाय के रूप में चलाया गया है। फिर भी इनको अपना कारोबार चलाने में आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए हर साल थोड़ा सा लाभ कमाने की अनुमति होती है। 1979-80 में इस विभाग ने कुल 6.6 करोड़ रुपये का लाभ कमाया।

छठी योजना में मद्य निषेध के लिए प्रावधान

4150. श्री मूलचन्द डागा : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में मद्य निषेध के लिए कोई प्रावधान नही किया गया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार का रवैया क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को वित्तीय सहायता देने का है जो मद्य निषेध को लागू करना चाहते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना और श्रम मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) मद्यपान के खतरों के सम्बन्ध में जानकारी के प्रसार के लिए स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय निकायों द्वारा नशाबन्दी के लिए शैक्षिक प्रचार के संवर्धन के लिए 1980-85 की योजना में 75 लाख रु० की राशि की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, विद्यार्थियों, औद्योगिक कामगारों और सामान्य समुदाय में शराब के उपयोग सहित मादक द्रव्य की बुराई से सम्बन्धित अनुसंधान अध्ययनों के लिए भी सहायता की जाएगी। इनके अलावा, विभिन्न प्रकार के मादक द्रव्यों के व्यसन के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए जन संपर्क के साधनों का उपयोग किया जाएगा।

(ख) वर्तमान स्कीम के अनुसार, भारत सरकार राज्य सरकारों को, 1977-78 के वास्तविक उत्पादन शुल्क के राजस्व को आधार मानकर, वर्ष 1978-79 के हर वर्ष मद्य निषेध के लागू किए जाने के परिणामस्वरूप होने वाली उत्पादन शुल्क के राजस्व की हानि के 50 प्रतिशत भाग को पूरा करने के लिए क्षति पूर्ति करती है।

सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्र की खानों में दुर्घटनाएं

4151. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि भारत में 10 से 60 श्रमिक तक प्रति हजार दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) वर्ष 1978-79 और 1979-80 में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुई; और

(घ) इनके परिणामस्वरूप कितने लोग विकलांग और अयोग्य हुए, इसके क्या कारण थे और उनमें से कितनों को मुआवजा दिया गया ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है, जिसमें वर्ष 1977 से 1980 तक खानों में दुर्घटनाओं की संख्या, प्रति हजार नियोजित श्रमिकों की दर दुर्घटनाओं के कारण और स्थायी रूप से विकलांग हुए व्यक्तियों की संख्या दी है।

वर्ष 1977 और 1978 के उद्योगों के सम्बन्ध में वैसे आंकड़े भी विवरण में दिए गए हैं। 1979 के लिए आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। 1980 के आंकड़े राज्य सरकारों से श्रम ब्यूरों में केवल अगस्त 1981 से प्राप्त होने की आशा है।

विकलांग श्रमिक, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अनुसार, जो भी खानों या उद्योगों में नियोजित व्यक्तियों को लागू होते हैं, मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं।

विवरण

वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	प्रति हजार नियोजित श्रमिक दर		स्थायी रूप से विकलांग हुए व्यक्तियों की संख्या	दुर्घटनाओं के मुख्य कारण
			मृत्यु दर	गम्भीर चोट दर		
1	2	3	4	5	6	7
			खानें			
1977	278	2892	0.40	4.01	139	1. छत और दीवारों का गिरना
1978	227	2652	0.35	3.70	130	2. रोप हालेज
1979	202	2768	0.32	3.85	135	3. मशीनरी का परिवहन
1980	215	2775	0.34	3.82	121	4. व्यक्तियों का गिरना
						5. वस्तुओं का गिरना
						6. अन्य विविध कारण

उद्योग

वर्ष	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	अघातक दुर्घटनाओं की संख्या	प्रति हजार नियोजित श्रमिक दर		महत्वपूर्ण उद्योगों में स्थाई रूप से विकलांग हुए व्यक्तियों की संख्या	दुर्घटनाओं के मुख्य कारण
			घातक दर	कुल दर		
1	2	3	4	5	6	7
1977	686	315552	0.13	63.96	12666 (1976-77)	1. असुरक्षित प्राकृतिक दशाएं
1978	819	341829	0.16	68.54	13276 (1977-78)	2. काम के असुरक्षित तरीके तथा प्रणाली
1979	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	16532 (1978-79)	3. सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं और पद्धतियों का अनुपालन न करना ।

नोट:—आंकड़े अनंतिम हैं ।

पुलिस कम्प्यूटर

4152. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रिड के निर्माण और सतत यफिक प्रबन्ध की व्यवस्था तैयार करने के लिए दिल्ली और राज्यों में पुलिस कम्प्यूटरों को जोड़ने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या कुछ राज्यों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों में वेतन तालिकाएं बनाने और भविष्य-निधि रिकार्डों को बनाने में आजकल पुलिस कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें उस कार्य में जिसके लिए उन्हें लगाया गया था उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

ग्यारह राज्य सरकारों अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को संगणक (टी० डी० सी०-316) आबंटित किए गए हैं और एक संगणक दिल्ली (संगणक समन्वय निदेशालय) को आबंटित किया गया है। सभी संगणकों को दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस संगणक केन्द्र के साथ जोड़कर सभी संगणकों का एक राष्ट्रीय मिलान करने की योजना है। डाक व तार विभाग से संचार चेनल प्राप्त करने के प्रश्न पर उनके साथ बातचीत की जा रही है।

पुलिस संगणक समन्वय निदेशालय द्वारा समेकित परिवहन प्रबन्ध प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली में राज्य में सभी वाहनों के व्यापक आंकड़े पुलिस संगणकों में रखने का प्रस्ताव है। इससे यातायात और पुलिस प्राधिकारी किसी भी समय कराधान लाइसेंस ब्यौरों, पंजीकरण, यातायात कानूनों और नियमों इत्यादि के बारे में किसी वाहन के स्तर का पता लगा सकेंगे। यह प्रणाली औपचारिक स्वीकृति के लिए सभी राज्यों को परिचालित कर दी गई है। इससे यातायात प्राधिकारियों को शहरों में गलती करने वाले वाहनों के मार्ग रखने और वाहन सम्बन्धी यातायात पर प्रभावकारी पर्यवेक्षण करने में भी सहायता मिलेगी।

देश में पुलिस बलों के पे बिलों को तैयार करने के लिए पुलिस संगणक समन्वय निदेशालय द्वारा एक सामान्य पेरोल पैकेज विकसित किया गया है। तीन केन्द्रीय पुलिस संगठनों अर्थात्, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस संगणक केन्द्र में इस पैकेज को कार्यान्वित किया है और दैनिक आधार पर बल के पे बिल तैयार कर रहे है। अभी तक किसी राज्य इस पैकेज को कार्यान्वित नहीं किया है।

सामान्य भविष्य-निधि रिकार्डों पर भी एक सब-प्रणाली विकसित की गई है जिसे राष्ट्रीय पुलिस संगणक में सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

अपराधों, अपराधियों और अंगुलीछाप के सम्बन्ध में कोई व्यापक आंकड़ा बैंक बनाकर अपराधों की रोक थाम तथा निरोध में क्षेत्रीय कर्मचारियों की मुख्य रूप से सहायता करने की

दृष्टि से भारतीय पुलिस में संगणक लागू किए गए हैं । जांच अधिकारी विशिष्ट पेरामीटरों पर संगणकों को प्रश्न भेजने और कम से कम संभव समय में उत्तर प्राप्त करने की स्थिति में होंगे । चूंकि संगणक मंहगे उपकरण हैं और उनकी बड़ी क्षमता में स्टोरेज को देखते हुए चौबीस घण्टे उनका प्रयोग करना आवश्यक नहीं होगा । इस प्रकार संगणक के लिए काफी फालतू समय होगा क्योंकि यह क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा अपराध, अपराधी और अंगुलीछाप कार्य के लिए चौबीस घंटे प्रयोग नहीं किया जायेगा । इसलिए संगणक का प्रयोग जन और संसाधन प्रबन्ध में एक औजार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यातायात सूचना प्रणाली, सामान सूची नियंत्रण इत्यादि जैसी प्रणालियां जो पुलिस की कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए बहुत लाभकारी हैं, संगणक पर कार्यान्वित की जा सकती हैं । इस समय दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस संगणक केन्द्र दिल्ली पुलिस और सभी केन्द्रीय पुलिस संगठनो की जरूरतों को पूरा करता है । दिल्ली पुलिस ने क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सुधार के प्रयोजन के लिए अपराधी सम्बन्धी आंकडा बैंक बनाये हैं । फालतू समय में संगणक का पे रोल कार्यों जैसे अन्य प्रयोजनों के लिए भी प्रयोग किया जाता है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना

4153. **श्री निरेन घोष :**

श्री वी० एस० विजय राघवन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने नये इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं;

(ख) उन पर कुल कितना परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) ये उद्योग कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे; और

(घ) इन स्थानों को चुनने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिकी विभाग कुल 9 करोड़ रुपये के पूंजीनिवेश पर एक इलेक्ट्रॉन ट्यूब उद्योग समूह तथा एक रेडार प्रणाली परामर्शदाता सेवा और उत्पादन निगम स्थापित करेगा ।

जहां तक संचार मंत्रालय का संबंध है, निम्नलिखित नए यूनिट स्थापित किए जाएंगे :

क्रॉसबार टेलीफोन स्विचन उपस्कर के निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश पर उत्तर प्रदेश स्थित राय बरेली में एक नया संयंत्र लगाया जाएगा; 40 करोड़ रुपए के परिव्यय से प्रथम बृहत इलेक्टॉनिक स्विचन प्रणाली संयंत्र लगाया जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजनावधि में 10 करोड़ रुपए के परिव्यय से दूसरे इलेक्ट्रानिक स्विचन प्रणाली संयंत्र को प्रारम्भ किया जाएगा तथा 5 करोड़ रुपए के परिव्यय से तमिलनाडु के राज्य स्तरीय औद्योगिक संवर्धन निगम के होसूर औद्योगिक काम्प्लेक्स में स्थापित किये जाने वाले हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स, मद्रास के इलेक्ट्रानिक टेलीप्रिंटर का एक यूनिट लगाया जाएगा ।

रक्षा सेवाओं के लिए इलेक्ट्रानिकी उपस्करों के विनिर्माण के लिए 30.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी० ई० एल०) की दो नई यूनिटों की स्थापना का प्रस्ताव तथा प्रोन्नत वैमानिकी (वायुवाही इलेक्ट्रानिकी) के विनिर्माण के लिए हिन्दुस्तान वैमानिकी लिमिटेड (एच० ए० एल०) में लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से एक नई यूनिट की स्थापना करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

भारतीय इलेक्ट्रानिकी निगम लिमिटेड (ई० सी० आई० एल०) आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के साथ संयुक्त रूप से 5.8 करोड़ रुपए की कुल पूंजीगत लागत से 51:49 अनुपात के आधार पर समुद्री तथा संचार इलेक्ट्रानिकी (एम० ए० सी० ई०) नामक एक सहायक कम्पनी स्थापित करने का विचार कर रहा है। इस यूनिट की स्थापना विशाखापतनम में की जाएगी क्योंकि हिन्दुस्तान शिपयार्ड और नेवल डाकयार्ड दोनों ही इसके निकट स्थित हैं और दोनों ही इस कम्पनी द्वारा उत्पादित किए जाने वाले समुद्री इलेक्ट्रानिक उत्पादों के महत्वपूर्ण ग्राहक होंगे।

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ने राजस्थान औद्योगिक तथा पूंजी-निवेश निगम के साथ कुल 97 लाख रुपये की पूंजीगत लागत से 51:49 अनुपात के आधार पर राजस्थान इलेक्ट्रानिकी तथा इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड नामक सहायक कम्पनी का संयुक्त रूप से गठन किया है जो इलेक्ट्रानिक दुग्ध विश्लेषक तथा अन्य कृषि इलेक्ट्रानिक और विश्लेषणात्मक उपकरणों का उत्पादन करेगी।

छठी योजना के दौरान विभिन्न राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगमों द्वारा कई नई इलेक्ट्रानिक यूनिटों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। किन्तु इन यूनिटों में कितना वित्तीय परिव्यय होगा, इसका सही ब्यौरा और जिन स्थानों पर इनकी स्थापना की जाएगी, इनके ब्यौरे अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

मुरादाबाद में हत्या और लूट-पाट के लिए प्रांतीय सशस्त्र सेना का जिम्मेदार होना

4154. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्पसंख्यक समुदाय के 28 संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें कहा गया है कि मुरादाबाद में हत्या और लूट-पाट के लिए प्रांतीय सशस्त्र सेना जिम्मेदार है; और

(ख) यदि हाँ, तो दोषी व्यक्तियों को दंड दिलाने और पीड़ितों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए थे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) ज्ञापन की एक प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को भेज दी गई है। प्रांतीय सशस्त्र सेना एक सशस्त्र पुलिस बल है; जिसका संचालन और नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अतः प्रांतीय सशस्त्र सेना के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विचार करना और ऐसी जांच के आधार पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए निर्णय करना राज्य सरकार का काम है। जहां तक पीड़ितों को राहत देने का प्रश्न है, यह भी राज्य सरकार का काम है कि वह स्थिति का

मूल्यांकन करे और राहत देने के लिए किये जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय करे। मुरादाबाद के दंगों में पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू की है।

रंग-रोगनों के उत्पादन की मात्रा

4155. **श्री मोकूराम जैन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संगठित क्षेत्र तथा लघु उद्योगों में रंग-रोगनों का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ है;

(ख) विश्व के अन्य विकसित देशों की तुलना में देश में रंग-रोगनों की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है; और

(ग) देश में रंग-रोगनों की खपत बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) संगठित तथा लघु क्षेत्र में बनाए गए रंग-रोगनों की मात्रा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	संगठित क्षेत्र में उत्पादन (मी० टन)	लघु क्षेत्र में उत्पादन (मी०टन)
1978	88,552	९8,000
1979	77,6'2	84,400
1980	90,500	उपलब्ध नहीं

(ख) भारत में रंग-रोगनों की प्रति-व्यक्ति खपत बहुत कम है, जो लगभग 0.3 कि० ग्रा० से 0.4 कि० ग्रा० बैठती है। उन्नत देशों की इसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) सामन्यत: औद्योगिकीकरण तथा आर्थिक विकास के कारण बढ़ने वाली संभावित मांग को पूरा करने के लिए रंग-रोगनों का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त क्षमता स्वीकृत की गई है/ स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव है।

सरकारी क्षेत्र में हड़तालों पर प्रतिबन्ध

4156. **श्री चित्त महाटा** :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सरकारी क्षेत्र के एककों में तथा महत्वपूर्ण उद्योगों में संगठित श्रमिकों द्वारा हड़तालों पर रोक लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

उद्योगों के बारे में किया गया अध्ययन

4'57. **श्री भोखाभाई** :

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण लघु एककों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) उस अध्ययन दल के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इस अध्ययन दल ने किस उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया है;

(घ) क्या ऐसी योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित कर दी गई है; और

(ङ) इस बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) अपने कार्यालय तंत्र के माध्यम से इस क्षेत्र की रुग्णता पर निगरानी रखता है। हाल ही में, सरकार ने निश्चय किया है कि लघु क्षेत्र में एककों की रुग्णता की सीमा और उसका स्वरूप सुनिश्चित करने के लिए विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय एक नमूना सर्वेक्षण करेगा। रुग्णता की सीमा की वाणिज्यक बैंकों द्वारा जांच पड़ताल की जाती है और समय-समय पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा इसको संग्रहीत किया जाता है।

अनन्तगिरि, विशाखापत्तनम के खनन क्षेत्रों में खनिकों की मौतें

4158. **श्री भीखा भाई** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनन्तगिरि वन, विशाखापत्तनम के खनन क्षेत्रों में आदिवासी खनिकों की मौतों के क्या कारण हैं;

(ख) क्या उक्त मौतें खानों की चट्टानों में रेडियो-धर्मिता के कारण हुई थी;

(ग) यदि नहीं, तो उनकी मौतों के क्या कारण हैं;

(घ) स्थल पर मर गये प्रति-व्यक्ति के निकटतेदारों को कितना मुआवजा अदा किया गया है;

(ङ) क्या ऐसी मौतें पहले भी हुई थीं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(च) क्या ऐसे खान मालिकों के विरुद्ध कभी कोई कार्यवाही की गई है; और

(छ) कोई सुरक्षात्मक उपाय किए गए थे या नहीं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (छ) सूचना राज्य सरकार और खान सुरक्षा महानिदेशालय से एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में चपरासियों के रिक्त पद

4159. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में चपरासियों के 30 से भी अधिक पद एक वर्ष से खाली पड़े हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया था किन्तु एक भी नियुक्ति नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकरणों के अनुसार इस समय केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में चपरासी के 25 पद रिक्त हैं और इन रिक्तियों को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में रिक्त प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पद

4160. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रस्तावित प्रथम और द्वितीय श्रेणी के बहुत से पद अभी तक मंजूर नहीं किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आगामी पांच वर्षों के दौरान बहुत से क्षेत्रीय आयुक्त सेवा-निवृत हो गये हैं अथवा सेवा-निवृत होने वाले हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्षेत्रीय आयुक्त, सहायक आयुक्त, भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड I) और लेखा अधिकारियों के लिए कितने पदों का अनुरोध किया गया है और कितने पद भरे नहीं गए हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त से सहायक भविष्य निधि आयुक्त और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कुछ पदों के सृजन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

(ग) गत पांच वर्षों (अर्थात् 1976-1980) के दौरान नौ विभागीय अधिकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवा से निवृत हुए। ये अधिकारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों के रूप में कार्य कर रहे थे। आशा है कि आगामी पांच वर्षों (अर्थात् 1981-85) के दौरान सात क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सेवा निवृत्ति के पात्र हो जायेंगे।

(घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

	मंजूर किए गए पदों की संख्या	भरे गए पद	रिक्तियां
1 2	3	4	5
1. क्षेत्रीय आयुक्त (उप क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों सहित)	34	31	3
2. सहायक श्रमायुक्त (ग्रेड-I)	54	49	5

1 2	3	4	5
3. सहायक श्रमायुक्त (ग्रेड-II)	8	8	शून्य
4. भविष्य निधि निरक्षक (ग्रेड-I)	144	142	2
5. लेखा अधिकारी	159	145	14

जहां तक क्षेत्रीय आयुक्तों और सहायक आयुक्तों के रिक्त पदों को भरने का सम्बन्ध है, इस मामले को संघ लोक सेवा आयोग के साथ उठाया गया है। आशा है कि इस मामले से संबंधित औपचारिकताओं के पूरा होने जाने के शीघ्र बाद दो भविष्य निधि निरीक्षकों (ग्रेड-I) की नियुक्ति के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। 10 लेखा अधिकारियों की नियुक्त के सम्बन्ध में आदेश पहले ही जारी किए गए हैं, जबकि नियुक्ति के लिए चार और अधिकारियों के चयन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

स्लेट-कारखानों में बाल-श्रमिक

4161. **श्री पियूष तिरकी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 4000 बच्चे मध्य प्रदेश में मन्दसौर और मलहल के स्लेट-कारखानों में अमानवीय स्थितियों में काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों में बाल-श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि श्रमिकों की औसत आयु केवल 40 वर्ष है यदि हां, तो वर्ष 1970 से 1980 तक, वर्ष वार मृत्यु के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि 4000 श्रमिकों में से केवल 1000 श्रमिक ही स्थायी रूप से नियुक्त हैं और शेष श्रमिकों को नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में समझा जाता है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि श्रमिकों के स्वस्थ्य के लिए धूल हानिकारक है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(च) बाल-श्रमिक सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्योरा क्या है और उस सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मंदसौर में 89 स्लेट पेंसिल कारखानें हैं जिनमें अनुमानतः 1000 श्रमिक हैं और इन कारखानों में कोई बाल श्रमिक नियोजित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि यह सच नहीं है कि इस कारखाने में काम करने वाले श्रमिक 40 वर्ष से पहले मर जाते हैं। यह सूचित किया गया है कि सिविल सर्जन,

मन्दसौर ने बताया है कि पिछले वर्ष मृत्यु के केवल दो मामले थे, इस अवधि से पहले के रिकार्ड से यह प्रतीत नहीं होता कि सिलिकोसिस के कारण कोई मृत्यु सूचित की गई ।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ङ) जी, हां । सिलिको धूल, यदि सांस के अन्दर जाती है, तो छः महीने के समय के अन्दर सिलकोसिस हो सकता है और यह रोग असाध्य है । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार सभी श्रमिकों की डाक्टरी जांए पड़ताल की जाती है । दिसम्बर, 1979 से मार्च 1980 के बीच 75 संदिग्ध मामलों में एक्स-रे किया गया तथा सिलिकोसिस के आंशिक संक्रामक के 26 प्रमाणपत्र जारी किए गये । कारखाना मालिकों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे श्रमिकों को धूल के प्रदूषण से बचाने के लिये निष्कासित उपकरणों को लगाएं । 17 कारखानों ने पहले ही तीस कटिंग मशीनों में इन उपकरणों को लगाया है । राज्य सरकार ने कारखाना मालिकों को यह अनुदेश दिये हैं कि वे श्रमिकों को धूल के अन्तःश्वासन से बचाने के लिए उपयुक्त धूल नकाब प्रदान करें और वे उन्हें इन चीजों को शीघ्र प्रदान करने के लिये सहमत हो गये हैं । निष्कासक मशीनों और धूल नकाबों से श्रमिक धूल अन्तःश्वसन से पूरी तरह बच जायेंगे । राज्य सरकार ने दोषी कारखाना मालिकों पर मुकदमें चलाए हैं ।

(च) बाल श्रम समिति ने दिसम्बर, 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें काम कर रहे बालकों के कल्याण तथा बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के संबन्ध में 23 सिफारिशें दी गई है । बाल श्रम समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिये स्थापित अधिकार प्राप्त समिति ने बाल श्रम समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय लिया है भारत सरकार ने अधिकार प्राप्त समिति के निर्णयों को स्वीकार कर लिया है । सरकार द्वारा बाल श्रम समिति की स्वीकृति सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है । बाल श्रम समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश के अनुसरण में, केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है, जो काम कर रहे बालकों के कल्याण सम्बन्धी कानून और अन्य उपायों की पुनरीक्षा करेगी और सुझाव देगी, तथा उन उद्योगों तथा क्षेत्रों की सिफारिश करेगी, जिनमें बाल श्रम पद्धति का उत्तरोत्तर उन्मूलन हो सके । सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी अनुदेश दिए गये हैं कि वे समान कार्यवाही करने के लिए राज्य/जिला स्तर पर बाल श्रमिक सलाहकार बोर्ड की स्थापना करें ।

भविष्य निधि इंस्पेक्टर ग्रेड-एक द्वारा सुपरवाइजरी निरीक्षण कार्य पुनः आरम्भ करना

4162. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसार भविष्य निधि इंस्पेक्टर द्वारा सुपरवाइजरी निरीक्षण किया जाता था; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सिफारिश का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधीन (ग्रेड-एक) द्वारा किए जाने वाले सुपरवाइजरी निरीक्षण को बन्द कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया जाये तथा भविष्य निधि इंस्पेक्टर (ग्रेड एक) को सुपरवाइजरी निरीक्षण के लिए वही अधिकार दिये जायें जिससे कि कार्य-कुशलता, प्रशासनिक औचित्य लाया जा सके तथा (ग्रेड-दो) के इंस्पेक्टर के निरीक्षण पर निगाह रखी जा सके जैसा कि पहले ही स्वीकार किया जा चुका है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) भविष्य निधि प्राधिकरणों से सूचित किया है कि भविष्य निधि निरीक्षकों (ग्रेड-I) द्वारा पर्यवेक्षी निरीक्षण की प्रणाली की पुनरीक्षा करने पर यह पाया गया कि यह प्रणाली ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। अतः इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

(घ) भविष्य निधि प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि निरीक्षण कार्य की फिर से व्यवस्था की गई है और वर्तमान व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इस मामले की जांच की जा रही है।

पांडिचेरी, गोआ, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप को राज्यों का दर्जा दिया जाना

4161. **प्रो० नारायण चंद पराशर :**

श्रीमती संयोगिता राणे :

श्री पी० एम० सईद :

श्री चित्त बसु :

श्री जगदीश टाईटलर :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी, गोआ, दमन और दीव, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों ने उन्हें राज्य का दर्जा दिया जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) लक्षद्वीप के अतिरिक्त संघ शासित क्षेत्रों को राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं। इन पर सम्पूर्ण परिस्थितियों और अन्य सम्बंधित तत्वों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 के अन्तर्गत अधिसूचना जिसके द्वारा दिल्ली जलपान गृह पंजीकरण विनियम, 1980 में संशोधन किया गया

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं श्री पी० वेंकटसुब्बय्या की ओर से दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 896/डी सी पी/एल आई सी (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 24 जनवरी, 1981 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा दिल्ली जलपान गृह पंजीकरण विनियम, 1980 जो दिनांक 28 जून, 1980 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या 155/स्पेशल सैल में प्रकाशित हुए थे, में कतिपय संशोधन किया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 211/81]

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाइमंड हार्बर) : मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ। मैंने राजस्थान के न्यायाधीश के बारे में, जिसे अगुआ कर लिया गया है, एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : उस पर चर्चा की कोई बात नहीं है। कृपया बैठ जाये। मैं उसे कार्यान्वित करने के लिए आपका सहयोग चाहता हूं जिससे आप सहमत हुए थे। कृपया बैठ जायें। कृपया बोलने से पहले अपने नेताओं से बातचीत करलें।

सीमाशुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगतभाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पलट पर रखता हूँ :—

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 177 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 132-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन किया गया है जिसमें भारत-नेपाल व्यापार सन्धि, 1978 के अन्तर्गत भारत में तरजिही प्रवेश के पात्र नेपाली मूल के कुछ अतिरिक्त उत्पादों को जोड़ा गया है।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 178 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कणों के रूप में गोडाकू के नाम से ज्ञात धूम्रपान मिश्रण को उस पर उदग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से, जो हुक्का तम्बाकू पर उदग्रहणीय शुल्क से अधिक है, छूट देने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2122/81]

भारत की जनगणना 1981 सम्बन्धी जनसंख्या के अस्थायी आंकड़ों के बारे में विवरण

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं भारत की जनगणना 1981 की जनसंख्या के अस्थायी आंकड़ों के बारे में एक विवरण (हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2123/81]

राज्य सभा से संदेश

दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधक) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

सचिव : मुझे राज्य-सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :

(एक) राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम (2) के उपबन्धों के अनुसरण में लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश मिला है कि राज्य सभा 16 मार्च 1981 को हुई अपनी में, बिना किसी संशोधन के, जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 1981 से सहमत हुई, जो लोक सभा द्वारा 9 मार्च 1981 को हुई बैठक में पारित किया गया था।

(दो) मुझे राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक 1981 को एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जो राज्य सभा द्वारा 17 मार्च 1981 को हुई बैठक में पारित किया गया था।

2. मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 1981, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

18वां प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

14वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्मनारायणसिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 14वें प्रतिवेदन से जो 17 मार्च 1981, को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : महोदय, मैंने एक संशोधन की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। आप ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं ? आप ऐसा किस कारण करेंगे ? आप समिति के एक अंग हैं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 14वें प्रतिवेदन से, जो 17 मार्च 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

कच्चे तेल पर रायल्टी की दर बढ़ाये जाने के बारे में वक्तव्य

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाशचन्द सेठी) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अशोधित का उत्पादन करने वाले राज्यों को देय स्वामित्व शुल्क (रायल्टी) में वृद्धि के बारे में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

2. अशोधित तेल पर रायल्टी की दर तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1948 के अधीन निर्धारित की जाती है। तटीय अशोधित तेल पर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, एवं असम राज्यों को जहां कि इसका उत्पादन किया जा रहा है, रायल्टी देय है। अशोधित तेल पर रायल्टी की दर 8 सितम्बर, 1976 से 15 रुपये से बढ़ाकर 42 रुपए प्रति मी० टन कर दी गई थी और इन राज्यों को इसी दर पर रायल्टी का भुगतान किया जाता रहा है।

3. गुजरात एवं असम सरकारों ने रायल्टी की दर में और वृद्धि करने के लिए एक विस्तृत ज्ञापन दिया है। इस समय, तटीय अशोधित तेल पर सरकार द्वारा निर्धारित देय मूल्य लगभग 305 रु० प्रति मी० टन है। दोनों राज्य सरकारों के विचारों पर और अन्य बातों पर गौर करने के पश्चात सरकार ने देय रायल्टी की दर 1 अप्रैल, 1981 से 42 रुपए प्रति मी० टन से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति मी० टन करने का निर्णय किया है। अशोधित तेल के वर्तमान विक्रय मूल्य के आधार पर दी जाने वाली 61 रुपये प्रति मी० टन रायल्टी की दर अधिकतम है। वर्ष 1 81-82 के लिए रायल्टी और बिक्री कर के रूप में राज्यों को होने वाली अतिरिक्त आय का अनुमान गुजरात के लिए लगभग 6.32 करोड़ रुपए और असम के लिए 10.08 करोड़ रुपये लगाया गया है।

श्री नीरेन घोष : अध्यक्ष महोदय, हमें इस वक्तव्य पर विवाद का अवसर मिलना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यह संख्या 3(क) का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वह पहिले ही कर चुके हैं। अब संविधिक संकल्प लिए जायेंगे—श्री ज्योतिर्मय बसु।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : कार्य सूची में यह उल्लेख किया गया है कि चार बजे म० प० पर श्री राव वीरेन्द्रसिंह एक वक्तव्य देंगे। परन्तु पुनरीक्षित कार्यसूची में लिखा है कि चार बजे श्री राम विलास पासवान का प्रस्ताव लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : एक अनुपूरक कार्य सूची भी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दोनों को एक ही समय पर लिया जायेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 4-5 मिनट के भीतर हम इनको लेंगे। (व्यवधान) वह वक्तव्य देंगे।

विशेष वाहक बन्धपत्र (उन्मुक्ति तथा छूट) अध्यादेश, 1981 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

विशेष वाहक बन्धपत्र (उन्मुक्ति तथा छूट) विधेयक

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी, 1981 को प्रख्यापित विशेष वाहक बन्धपत्र (उन्मुक्ति तथा छूट) अध्यादेश, 1981 (1981 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, वाहक बन्धपत्र, जिसे मैं जमानत पत्र कह रहा हूँ क्योंकि इससे देश के आर्थिक अपराधियों को छूट मिल रही है, इतिहास में बेमिसाल है और यह एक ऐसे मस्तिष्क की उपज है जिसे मैं सदैव कालेधन की रानी और भ्रष्टाचार का स्रोत कहता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने रानी के लिए विकल्प क्यों किया है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : इससे उन धनी व्यक्तियों के प्रति पक्षपात हो रहा है जो उन्हें सत्ता में बनाये रखते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में पाटिल जैसे एक विचारहीन मन्त्री ने स्पष्टीकरण मांगा था परन्तु मन्त्री को तुरन्त हटा दिया गया और चूंकि यह एक सर्वोच्च व्यक्ति का विचार था इसलिए मन्त्रिमण्डल को केवल सूचित कर दिया गया जैसा कि अवमूल्यन के मामले में किया गया था जहां कोई नहीं अपितु प्रधान मन्त्री अमरीका गए थे और राष्ट्रपति जोनसन तथा विश्व बैंक के प्रधान के साथ भारतीय रुपये का अवमूल्यन करने के लिए 1966 में सहमत हुए थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वाहक बन्धपत्र से मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि हमने यहां वाहक बन्धपत्र विधान आदि पर चर्चा करनी है जिस पर हम चर्चा करेंगे तो हमें ऐसी बातों की अनुमति नहीं देनी चाहिए और मेरा नम्रनिवेदन है कि आप किसी के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप लगाने की अनुमति नहीं देंगे चाहे वह प्रधान मन्त्री हों अथवा कोई और व्यक्ति, जब तक कि वह आपको अपने आरोपों का प्रमाण न दे। मैं आपका ध्यान आपके अपने विनिर्णय तथा आपके पूर्वाधिकारियों के विनिर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : कृपया बैठ जाइये और इस विधेयक को शीघ्र पारित होने दीजिए। इससे केवल विधेयक के पारण में विलम्ब ही होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो कुछ कहा हैं उसका हम सदैव पालन करते हैं। हमने कतिपय नियम और विनियम तैयार किए हैं तथा जो इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। जो कुछ कहा जाता है वह उनके अनुसार होता है अन्यथा हम अपवाद को लेते हैं। यह मामूली बात है। उनको नियमों का पता है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं केवल यह कहना चाहता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह किसी का नाम नहीं बतायेंगे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि 1967 में आपके पूर्वाधिकारी के विनिर्णय हैं। आप मुझे संरक्षण दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ये पालन करने के लिए स्थायी आदेश हैं। हमारी कुछ बातें हैं, कुछ मर्यादा है, कुछ परम्परा है और कुछ नियम और विनियम। कोई भी व्यक्ति, जो सभा में उपस्थित नहीं हो अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति चाहे वह सदस्य हो अथवा मंत्री, उसे पूर्व सूचना देनी होती है .....

श्री एडुआर्डो फैलीरो : सूचना देनी होती है और प्रमाण प्रस्तुत करना होता है।

अध्यक्ष महोदय : उसे पूर्व सूचना और प्रमाण देना होता है। वह ऐसा कर चुके हैं। उनसे जो कुछ अपेक्षा की जाएगी उसे भी वह करेंगे अन्यथा यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे इस वाहक बन्ध-पत्र अथवा काले बन्धपत्र से आश्चर्य नहीं हुआ है। यह वर्ष 1981 (1981 का अध्यादेश संख्या 1) की पहली भेंट है क्योंकि यह एक ऐसी सरकार है जो केवल काले-धन से बनी रह सकती है; यह ऐसा दल है जो केवल काले-धन से बना रह सकता है और इसकी शुरूआत एल० के० झा और टंडन को भर्ती करके तथा उनके प्रतिवेदन से की जा चुकी है। यह एक नंगा निर्लज्ज समर्थन है तथा यह उनके स्वरूप और वर्ग-स्वरूप के ठीक अनुरूप है। काला-धन सत्तारूढ़ दल का मेरुदंड है। मैं यहां आपके समक्ष फाइल की फोटोस्टेट प्रति प्रस्तुत कर चुका हूं जिसमें..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम है कि ये फाइलें क्या हैं।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : संग्रह की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को फाइल की फोटोस्टेट प्रति (व्यवधान) और संग्रह तथा रसीद संख्या.....

अध्यक्ष महोदय : हम कैसे निर्धारण करें ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इसे प्रमाणित करूंगा। (व्यवधान) मैं इसका उत्तरदायित्व लूंगा। मैं इसका पूरा उत्तरदायित्व लूंगा। संग्रह इस प्रकार है : रामनाथ गोयनका आपराधिक आरोपों के आधार पर पकड़े गये—3 लाख रुपए; एसोसियेटेड सीमेंट—7 लाख रुपये; बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (थापर्स)—10 लाख रुपये; बेनेट कोलमैन लिमिटेड, जैन्स—5 लाख रुपये; बोम्बे डाइंग 5 लाख रुपए, बड़ौदा रेयन—4,75,000 रुपये; सेंचुरी स्पिनिंग (बिड़लाज)—6,50,000 रुपए;

चौगुन्स लिमिटेड—5 लाख रुपये, चौगुल्स स्टीमरशिप—7 लाख रुपए; कोरामण्डल फर्टिलाइजर्स—10 लाख रुपए; दिल्ली क्लाथ मिल्स—30,50,000; डेम्पो माइनिंग—5 लाख रुपए; डेम्पो कम्पनी 6 लाख आदि। मुझे सूची पढ़ने में दो घण्टे लगेंगे। कुल संग्रहीत राशि 12 करोड़ रुपये बनती है और उस धन का कौनसा रंग है और वे कैसे दे सके ? रसीदें कहां हैं ? क्या इन मामलों की जांच करने के लिए गृह मन्त्री और वित्त मन्त्री को कोई पत्र लिखा गया था ? यदि हां, तो वित्त मन्त्री को उत्तर देना चाहिए क्योंकि मैंने उनको इस सम्बन्ध में अग्रिम सूचना दी है।

यह अपमानजनक बात है कि इंडियन टबैको कम्पनी तम्बाकू निर्यात की एक सबसे बड़ी लाभ-प्राप्तकर्ता है तथा शुल्क से छूट दी गई थी और लगभग 90 लाख रुपए की राशि जनता पार्टी सत्ता में आने से पूर्व दी गई थी। फाइल पर टिप्पणों की तारीखों से पता चलता है कि यह काम कुछ घंटों में किया गया ताकि वे धन ले सकें क्योंकि उनको मालूम था कि वे सत्ता से हट रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह काला बन्धपत्र बहुत बड़ी बेकार की चीज है और इसके सिवाय यह और कुछ नहीं है। मैं कह सकता हूं कि मुझे अबू अब्राहम का प्रसिद्धि कार्टून याद है जिसमें उन्होंने कहा है, "ब्लैक मनी रैप्ड इन खादी विकम्स व्हाइट" (खादी में लिपटा काला धन सफेद बन गया) (व्यवधान)। वह कुछ और करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनका इसमें हाथ है। मैं आपको एक बात बताता हूं। इसीलिए, तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने 1970 में वांचू समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन को दबा दिया था। श्री वांचू भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और अंतरिम प्रतिवेदन में उन्होंने बताया था कि विमुद्रीकरण.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह कोई अनुमान है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं। मेरे पास हरेक दस्तावेज हैं। उन्होंने उन पर दबाव डाला कि वे अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत न करें और अंतिम प्रतिवेदन में इसका उल्लेख भी न करें कि विमुद्रीकरण के बारे में ऐसा कोई प्रतिवेदन भेजा गया था। इस प्रतिवेदन को स्वयं मैंने 18 अगस्त 1972 को सभा पटल पर रखा था। पाटिल बन्धुओं तथा अन्य व्यक्तियों का धन्यवाद (व्यवधान)।

एक माननीय सदस्य : कब ? (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : 18 अगस्त, 1972 को। (व्यवधान) वित्त मन्त्री महोदय, आपका बहुत बड़ा सचिवालय है, आपको काम करना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं इसका साक्षी था। (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आपके जितना तेजी से काम नहीं कर सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह समिति पर दबाव नहीं डाल सकीं क्योंकि वे गैर-शासकीय सदस्य थे। महोदय, क्या आपको मालूम है ? मंत्रिमंडल के मंत्रियों को मालूम नहीं था। मैं बहुत से मंत्रियों के नाम बता सकता हूं। मैं सब नाम नहीं बताऊंगा। उनमें कुछ अभी भी यहां बैठे हैं सरकारी बेंचों पर नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल के साथ बैठे हैं जिनमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, डा० वी० के० आर० वी० राव भी हैं। उन्होंने मुझे कहा : "कृपया मुझे इस प्रतिवेदन की प्रति दीजिए। मैंने इसे नहीं देखा है।" उस समय के वह सर्वाधिक प्रख्यात अर्थशास्त्री मंत्रिमंडल में थे। उनसे परामर्श नहीं लिया गया और इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री के लिए यह विचलनकारी बात हुई—विमुद्रीकरण

के बारे में प्रस्ताव---अपने सुधारवादी बहानों के कारण वह समाजवाद के बारे में बात कर रही थीं। और सिफारिश क्या थी ? मैं इसे उद्धृत कर रहा हूं :—

'12 नवम्बर, 1970 को निदेशकों की जांच समिति जो, वांचू समिति के नाम से अधिक लोकप्रिय थी, ने भारत सरकार को अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय बताया; "अतः हमने ऐसे मामलों पर अन्तरिम प्रतिवेदन करने का कार्य संभालने का निर्णय किया है जो अविलम्ब उपचारात्मक कार्यवाही किए जाने के बारे में हैं और जो अन्तिम प्रतिवेदन का इन्तजार नहीं कर सकते—समिति के प्रतिवेदन में कहा गया कि—एक विषय, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि कालेधन से हमारी अर्थव्यवस्था को आघात पहुंच रहा है।"

उन्होंने आगे इस प्रकार सिफारिश की :

'हम ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि इस समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान करना है तो हमें कुछ उपचारात्मक उपाय तुरंत करने चाहिए।'

अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में उन्होंने तीन सिफारिशें की हैं। 1. विमुद्रीकरण, 2. नकद धनराशि रखने पर अधिकतम सीमा और 3. अचल सम्पत्ति का अर्जन। उन्होंने इन बातों की सिफारिश की है। ऐसा करना उनके लिए असम्भव था क्योंकि यदि वे ऐसा करते तो वे आत्मघात करते। मई, 1971 में उन्होंने चुनाव करवाये। वह जानती थी कि 1971 के चुनाव के लिए बहुत धन की जरूरत पड़ेगी। वह धन क्या था। वह था कालाधन, केवल काला धन। अतः मैं कहता हूं कि वे काले-धन की उपज हैं। जब वे कालेधन को समाप्त करने की बात करते हैं तो यह धोखे के सिवाय कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा धोखा जो लोगों के प्रति कर रहे हैं।

संथनम समिति प्रतिवेदन में इसे पहले ही स्पष्ट भाषा में बताया गया है परन्तु उन्होंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ये व्यक्ति हैं श्री वेंकटरामन जो अब कार्य संभाले हुऐ हैं ..

श्री आर० वेंकटरामन : आप अपनी तारीखों के बारे में दृढ़ रहिए क्योंकि आप पकड़े जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब और अब—यही व्यक्ति, श्री वेंकटरामन कार्यभार सम्भाले हुए हैं और जो उनकी कामनाओं को क्रियान्वित करते हैं। श्री वेंकटरामन को नये अधिकारी, श्री एल० के० झा मिले हैं। हम उनके पूर्व-वृत्त को जानते हैं। हम बड़े व्यावपायियों तथा पटसन मालिकों के साथ उनके सम्बन्धों को जानते हैं—हीरे के हार और स्काच व्हिस्की के मामलों का हमें पता है, उन पर हम यहां विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे।

सत्र से एक महीने पहले उन्होंने यह अध्यादेश जारी किया। क्या वे सत्र आरम्भ होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे ? क्योंकि बड़े व्यवसायियों के साथ बर्ताव के उनके भाग और उनकी नीति तथा जीवन की विचारधारा बाहर से कुछ और तथा भीतर से कुछ और रही है ! और यह बेकार की चीज है और कुछ नहीं है। बड़े-बड़े साहूकारों और उत्तरदायी व्यक्तियों को इस लूट में से हिस्सा मिलना है, चीनी से प्राप्त धन, खाद्य तेल से प्राप्त धन, मिट्टी के तेल से प्राप्तधन। सारा-धन उनके घर में आना चाहिए अन्यथा यह राजवंशीय लोकतन्त्र कैसे चलेगा ? महोदय,

अत्याधिक घातक रियायतें दी गई थी । वाहक बन्धपत्र, पूर्णतया स्वयं को धोखा देने वाला कार्य है । यदि आपने कागजात देखे हों तो आपको पता चलेगा—मुझे विश्वास है कि श्री वेंकटरामन सहमत होंगे—कि यह बड़े व्यक्तियों से संरक्षित अन्तराष्ट्रीय करेंसी है, बड़े व्यक्तियों से संरक्षित एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी, जो गंदे धन, घातक धन, श्रमजीवी वर्ग के खून-पसीने और गरीबों के धन से उत्पन्न हुई है । हजार रुपए की करेंसी एक मान्य सिक्का है । आपको अपना नाम बैंक में दर्ज करवाना होता , यद्यपि मैं जानता हूं कि एक गोपनीय निदेश था कि यदि किसी मंत्री का निजी सचिव हजार रुपये के नोटों को भुनवाना चाहे तो बैंक उसका नाम नोट नहीं करेंगे । यदि आप चाहें तो मैं उसकी भी एक प्रति प्राप्त करने की कोशिश कर सकता हूं । परन्तु वाहक क्या शर्तें हैं ? वाहक बन्धपत्र प्रणाली कराधान प्रणाली से बाहर है । उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कराधान की प्रणाली से बाहर है । क्या बातें हैं ? कोई प्रश्न नहीं पूंछे जाते हैं । ब्याज पर कोई कर नहीं लगाया जाता है । कोरा धन-कर नहीं है । कोई उपहार कर नहीं है । कोई सम्पदा शुल्क नहीं है । बैंकों से ओवरड्राफ्ट यथावत् आनुषंगिक प्रतिभू हैं । यदि आप दहेज देते हैं तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । इसे निकालने पर कोई रोक नहीं है, श्री वेंकटरामन, यह बहुत खतरनाक रियायत है जो आप दे रहे हैं—इसे देश से बाहर निकालने पर कोई रोक नहीं है क्या आप मान्य सिक्का बाहर निकाल सकते हैं । क्या आप सीमा शुल्क अधिकारी को दिखाते हुए नोटों का बडल बाहर निकाल सकते हैं ? नहीं । यदि आप इसे निकालेंगे तो आप विमान पर ही पकड़े जायेंगे, आप पर मुकद्दमा चलेगा और दंडित किये जायेंगे । परन्तु यदि आप 10 करोड़ रुपए के वाहक बन्धपत्रों का बंडल निकालते हैं और यह कहते हुए, "मैं यह बंडल निकाल रहा हूं " सीमा शुल्क अधिकारी को दिखाते हैं तो उसके पास अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो उसे आपको ऐसा करने से रोकने के लिए प्राधिकृत करे ।

महोदय, इसे राजनीति छूट भी प्राप्त है । यह काले बन्धपत्र अथवा वाहक बन्धपत्र—जिन्हें मैं काला बंधपत्र कहता हूं, जानबूझ कर नहीं अपितु यह मेरे मुंह से स्वत: निकलता है—ये विश्व की किसी भी मुद्रा में खरीदे जा सकते हैं । क्या आप जानते हैं कि आप अपनी गर्दन और हाथ दोनों आग में डाल रहे हैं ? यह काला बन्धपत्र जैसे-जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथों में पहुंचेगा इसका मूल्य बढ़ता जाएगा । विधेयक में यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से की गई है । इससे काले धन में और वृद्धि होगी । 10 वर्षों के पश्चात् उसके लिए 10,000/- रुपये 50,000/- रुपये हो जाएंगे । इस वर्ष 25 प्रतिशत मुद्रास्फीति होने की सम्भावना है, वह होगी । और गरीब सफेद धन वाले व्यक्ति की क्या दशा होगी—उस व्यक्ति की जिसकी सीमित, दर्शायी हुई प्रत्यक्ष आय है ? वह प्रतिदिन धन का कुछ प्रतिशत खोता है । यहां अपराधी, आर्थिक अपराधी, और लुटेरे लोगों के माल और खून पर समृद्ध बन रहे हैं । वे श्रीमती गांधी वेंकटरामन और कम्पनी लिमिटेड की सहायता से मालामाल हो रहे हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अनलिमिटेड ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हां, अनमिटेड ।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : आपके रास्ते अनलिमिटेड हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे ख्याल से श्री स्टीफन को उनकी सेवाओं के लिए उचित रूप से

पुरस्कृत किया गया है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : यही वह आधार है जिस पर आप अपने दल के साथ कार्य कर रहे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सदन को एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करता हूँ । क्या किसी भी शक्ति के लिए जो देश में हमारे लोक तन्त्र को नष्ट करना चाहेगी, यह बहुत ही सुविधाजनक पत्र अथवा दस्तावेज अथवा परिसम्पति अथवा एक्सचेन्ज अथवा एक्सचेंज आर्डर अथवा विधिक टेंडर, आप इसे जो भी कहते हों नहीं हैं ?

क्या सी० आई० ए० इन वाहक बन्धपत्रों को नहीं खरीदेगी । उच्चतम न्यायालय का निर्णय आते ही वह करोड़ों की संख्या में इन वाहक पत्रों को खरीद लेगी ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : के जी बी भी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं के जी० बी० के बारे में नहीं जानता । परन्तु मैं सी० आई० ए० की गतिविधियों को जानता हूँ ।

तब, श्रीमान, गत चुनावों से कुछ पहले अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये का मूल्य किस प्रकार बढ़ा ? और वह अनुचित तरीके से किया गया है । इस देश में चुनावों के लिए कितने देशों ने विभिन्न राज्यों और अपने हितों के लिए धन दिया है ? श्रीमान, इस मामले में अब उन्हें बिलकुल कोई कठिनाई नहीं होगी—वाहक बंधपत्र खरीदो और इन्हें जमा कर दो । जब समय आये तो वाहक बन्ध-पत्रों की जो दूसरे प्रकार की सबसे अधिक सुरक्षित राजनीतिक छूट है अर्थात् भारतीय मुद्रा है, भेज दो । यह बॉंड इस तुच्छ सरकार की, जो जन साधारण के समर्थन का दावा करती है, करतूत और योगदान है ।

श्री आर० आर० मोले : भाषा भी तुच्छ है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हाँ कटु भाषा है । यह व्यवस्था भ्रष्ट मंत्रियों को संरक्षण देगी । इसलिए यह रोष है, यह मैं स्वीकार करता हूं । (**व्यवधान**) परन्तु रेड्डी साहब आप इसमें नहीं आते । आप न तो मंत्री हैं और न ही एक कर्मचारी । भ्रष्ट मंत्री और कर्मचारी बाहर बन्धपत्र खरीदेगें और उन्हें अपनी सास—चाहे वह असली है या नकली—के पास रखेंगे । और यदि भ्रष्टाचार विरोधी विभाग अथवा सतर्कता विभाग द्वारा कोई छापा मारा जाता है तो उन्हें केवल यही कहना होगा कि ये वाहक बन्ध-पत्र मेरी सास के हैं । वे यह नहीं पूछते कि किस प्रकार की सास क्योंकि वह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है । देश की किसी भी वस्तु की कीमत पर सभी सत्ताधारियों को सतत रूप से सत्ता में रखने के लिए—उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए यह कमाल की व्यवस्था है ।

श्रीमान् विविध-व्यापार कार्यों, देश में उद्योग हेतु प्रत्येक भारतीय द्वारा विदेशी अस्तियां खरीदे जाने और सहयोग-करारों की क्रियान्विति के मामले में काला या गुप्त लेन देन होता है अब उन्हें ऐसा लेन देन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी । अब उन्हें हांगकांग और तैंजियंस के व्यापारियों को प्रीमियम के भुगतान का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । वे ऐसा यहीं बैठे कर सकेंगे । काले बन्ध-पत्रों के पार्सल बाहर जाएंगे । इनके स्वामी बदलेंगें । इसे राजनीतिक छूट प्राप्त भारतीय मुद्रा माना जाएगा ।

जहां तक अर्थ-व्यवस्था के नियंत्रण का सम्बन्ध है, अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने तथा काले धन का लगातार बढ़ते जाने से यह आग में घी डालने का काम करेगा। ईमानदार करदाता अपनी बचत घरों में नकदी के रूप में रखते हैं। आय करके छापे, जैसा कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने देखा है, कई मामलों में अकारण ही—बदले की भावना से, व्यक्ति पर दबाव डालने या व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए मारे जाते हैं। इस देश में यह प्रथा है। यदि इस व्यक्ति के पास नकदी है, वर्षों से उसने बचत की है, तो वह आयकर अधिकारी के हाथों बच नहीं पाएगा। परन्तु यदि किसी व्यक्ति के पास "काले बन्धपत्रों के लिए" चिन्हित "लाकर में काले बन्धपत्रों का एक बण्डल है चाहे वह कितनी भी राशि का, चाहे पांच करोड़ रुपये का है—तो आयकर अधिकारी उसमें एक प्रश्न भी नहीं पूछ सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि श्री वेंकटरामन जनरल इन्शुरेंस कम्पनी को इसकी चोरी, सेंधमारी और रास्ते में खो जाने के लिए भी निशुल्क बीमा करने का निदेश है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों छोड़ दिया गया है।

आइए देखें कि भारत के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री वांचू ने क्या कहा था :—

"वांचू समिति के अनुसार, वाहक बन्धपत्र योजना"

—यह वर्षों पूर्व कहा था, श्री वेंकटरामन, कई वर्ष पूर्व—

"वाहक बन्धपत्र योजना प्रगटीकरण योजना के लिए एक कमजोर विकल्प है।"

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, श्री वसु। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे पास केवल चार घण्टे का समय है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पांच घण्टे का।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : चार घण्टे का।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पांच घंटे का। आपको किसने चार घंटे बताए हैं ? (व्यवधान) नहीं, नहीं, 4 बजे हम स्थगित होंगे।

अध्यक्ष महोदय : तब भी हमें समय आबंटित करना होगा.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने प्रस्ताव पेश किया है। मैं समय ले सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु हमें निर्णय लेना है.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : परन्तु कोई भी आनावश्यक व्यवधान न हो।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सोचते हैं कि यह एक आनावश्यक व्यवधान है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह उन्हें मन्त्री नहीं बनाएगा, और केवल यह ही वह बात है जो मैं कहना चाहता हूं।

"वांचू समिति के अनुसार, प्रगटीकरण योजना के लिए वाहक बन्धपत्र योजना एक कमजोर विकल्प है क्योंकि यह उस काले धन को कवर कर सकती है जो कहीं भी निदेश नहीं किया गया है और नकदी के रूप में पड़ी। है इसके अतिरिक्त काले धन का इस प्रकार के बन्धपत्रों में निवेश, इसे आप के किसी विशिष्ट स्रोत के साथ सम्बद्ध नहीं करेगा और इस तरह, यह निवेशक को उस स्रोत से

आय की जांच और उचित मूल्यांकन और दण्डात्मक प्रभावों से नहीं दिलाता।"

यह है जो भारत के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित वांचू समिति द्वारा कहा गया है।

नवीन आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 1980 को 11,821.14 करोड़ रुपए की मुद्रा परिचलन में थी। भारत के रिजर्व बैंक के बुलेटिन में दिया गया तत्सम्बन्धी ब्यौरा मेरे पास है परन्तु इसका विश्लेषण करना कठिन है। आपके पास सौ रुपये और दस रुपए के नोट अधिक हैं और पचास रुपए के नोट भी हैं। मैं नहीं जानता कि आप जानबूझकर क्यों एक हजार, हजार, पांच हजार और दस हजार रुपये के नोटों के आंकड़ों को छोड़ रहे हैं और लेखे में उनकी गणना क्यों नहीं की गई है।

श्री आर० वेंकटरामन : क्योंकि वे प्रचलन में नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह नहीं कह रहा कि आप को उसे परिचलन मुद्रा में शामिल करना चाहिए परन्तु इस बारे में विवरण दर्शाने वाला एक फुट नोट दिया जा सकता था। मैं इसको समझ नहीं पाया हूं कि इसे क्यों नहीं दिया जा रहा है।

श्री वेंकटरामन, आप कृपया मेरी बात सुने। सरकारी और गैर-सरकारी आपके राष्ट्रीय आय आंकड़े इस पर और अधिक प्रकाश डालेंगे और केवल इसी से ज्ञान हो जाता है कि आज कितनी मुद्रा काले धन के रूप में है। कुल काला धन, काली मुद्रा नहीं, अपितु कालाधन कुल राष्ट्रीय उत्पाद आदि के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए के आस-पास है तथा यह अनुमान उचित लगता है। मैं मानता हूं कि कोई भी इसकी गणना ठीक-ठीक नहीं कर सकता। घरेलू आय और सम्पत्ति सर्वेक्षण का सहसम्बद्ध—मेरे पास नवीनतम आंकड़े हैं, और ये मैंने केन्द्रीय सांख्यीय संगठन और योजना आयोग से प्राप्त किए है, 1976-77 में ये आंकड़े 1,42,000 करोड़ रुपए थे और राष्ट्रीय एप्लाइड,(इकनामिक अनुसंधान परिषद के अनुसार दस उच्च परिवारों के पास कुल सम्पति का : 6 प्रतिशत था। काली सम्पत्ति का अर्थ है, सोना, आभूषण, वस्तुएं, वाणिज्यक अस्तियां, चल और अचल सम्पत्ति, उत्पादक और रुग्ण एकक। इसलिए, काली सम्पत्ति की मात्रा जितनी है यह किसी व्यक्ति का अनुमान ही हो सकता है। वे कार्यवाही केवल उन व्यक्तियों को जिनके पास नकदी है को संरक्षण देने के लिए की जा रही है और बिना रोक-टोक स्वेच्छा से अपने लाभ के लिए जैसा चाहे वैसा करें।

श्रीमान्, 26 जुलाई 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर में यह बताया गया था कि :—

"बिड़ला ग्रुप : 1976-77 के वित्तीय वर्ष के दौरान, विभिन्न मामलों आयकर अधिनियम की धारा 144ख अन्तर्गत घोषित और प्रस्तावित आय में कुल वृद्धि 27.59 करोड रुपये की थी—अकेले बिड़ला ग्रुप के विरुद्ध—आयकर अधिनियम की धारा 271/273 के अन्तर्गत 152 दण्डात्मक कार्यवाहियां शुरू की गई हैं। 6 मामलों में कुल 15.42 लाख रुपए का दण्ड वसूल किया गया।"

"बजौड़िया-जलन ग्रुप :···कर चोरी के 157 दण्डात्मक कार्यवाहियां शुरू की गई हैं। 40 मामलों में दण्ड लगाए गए हैं। 1[illegible] मुकदमें·····"

"श्री थांसप्रसाद जैन ग्रुप : आयकर अधिनियम की धारा 144ख के अन्तर्गत 8 मामलों में घोषित और स्तावित आय में कुल वृद्धि 5.66 करोड़ रुपये की थी। आयकर/सम्पदा कर के 12 मुकद्में फिर से शुरू किए गए हैं। आय छुपाने की 5 दन्डात्मक कार्यवाहियाँ शुरू की गई हैं।"

फिर जे० डालमिया ग्रुप। यह एक लम्बी सूची है। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं थोडा समय और लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु मुझे अन्य सदस्यों को भी समय देना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं थोड़ा समय और लूंगा क्योंकि मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले से काफी समय दे चुका हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं श्रीमान्। यह सदैव दिया जाता है। उन्होंने यह नहीं बताया है कि वाहक बन्धपत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में धन को किस प्रकार बटोरा जायेगा और ग्रामीण धन-सम्पदा पर वाहक बन्धपत्रों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। यह बहुत बड़ी राशि है। 1971 के रिजर्व बैंक के 10 वर्षीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण केवल 82,000 करोड़ रुपए दर्शाते हैं। 1981 के आंकड़े बाद में आयेंगे। शहरी काले धन को ग्रामीण कृषिन्मोमुखी सम्पदा में परिवर्तित करने की योजना आजकल फलफूल रही है।

श्रीमान् जी, वे अनर्गल बातें कर रहे हैं और यह वैसा ही है जैसे किसी बिगड़ैल हाथी को उसकी पूंछ के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा हो। 10 वर्षों के बाद आप उन लोगों को—जो विदेशी मुद्रा में काले धन में बोंड खरीद रहे हैं किस तरह पुन: अदायगी करेंगे? इस बारे में आप मौन हैं उस वर्ष विशेष में और उस समय विशेष पर आप वापसी भुगतान राशि की समस्या से किस तरह निपटेंगे? महोदय, यह एक बड़ा भाईचारा है, इसलिए कालाधन रखने वालों की विदेशों में रक्षा की जा रही है। आप इस बात को स्पष्ट करें कि आपने देश से बाहर तक इसका विस्तार क्यों कर दिया है। देश के कानून में छूट की व्यवस्था नहीं है। उनके देशों के कानून भी छूट नहीं दे सकते। इससे वित्त पोषण अथवा जासूसी आदि करना आसान हो आएगा। उसमें दाण्डिक प्रावधान स्पष्ट क्यों नहीं हैं? सारा का सारा कार्य गुप्त तरीके से लुकछिप कर किया गया है। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट वहां पर है और अन्य दूसरी चीजें भी वहां पर हैं। मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि पिछली तीन असफल योजनाओं से केवल 90 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और 1976 में मंत्रालय के प्रत्यक्षकर बोर्ड द्वारा दिए गए 1600 करोड़ रुपए के आंकड़े पूर्णत: एक धोखा है। 840 करोड़ रुपए की धनराशि आय में छिपाई नहीं गई थी, लेकिन यह एक छिपा हुआ धन था। 746 करोड़ रुपये मुख्य रूप से छापों के दौरान पकड़े गए, इनको अपनी इच्छा से प्रकट नहीं किया गया। श्रीमान वेंकटरामन जी, आपने सीमेंट, चीनी, कागज और खाद्य तेलों के निर्माताओं को कितना काला धन पैदा करने की अनुमति दे दी है? वित्त मन्त्री जी आपने नेशनल हेरल्ड एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का नाम सुना है। अब हमारे पास इस बात को साबित करने का लिखित प्रमाण है कि लेखा, पुस्तकों में नेशनल हेरल्ड ने 82,67,476 रुपए काले धन में प्राप्त किए हैं।

12 मार्च, 1979 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में राज्य सभा के सामने यह बात खुलासा की गई थी :

"1974-75 से 1976-77 तक के बीच 35.15 लाख रुपए की फुटकर प्राप्तियां।" केवल दो वर्ष के समय में ही यह 13,15,000 रुपए हो गया। इस प्रकार वह व्यक्ति, जो काला धन पैदा करने वाला है। सरकार का अगुआ बना हुआ है। एक व्यक्ति जो कालेधन पर जीवन निर्वाह करता है, कालाधन रखता है। मुझे नेशनल हेरल्ड एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मिली है जो बताती है कि उन्होंने किस तरह 31 मार्च 1977 को समाप्त हुई अवधि में 14,09,000 रुपये की फुटकर प्राप्तियां हासिल कीं। आश्चर्यजनक पद्धति है। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया ? वे देश भर में जाली एजेंट बनाते हैं। रांची में उनकी बिक्री संख्या 2,000 प्रतियां है, महाराष्ट्र में एक दिन की बिक्री संख्या 2,000 प्रतियां हैं। धन आता रहता है और उसे फुटकर प्राप्तियों में दिखाया जाता है। इन स्रोतों का पता लगाया जाना चाहिए। वह प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी का अखबार है और आप हमसे यह बात स्वीकार करने की आशा करते हैं कि वे काले धन को समाप्त करना चाहते हैं ? इसलिए, मैं पूर्ण रूप से इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विशेष वाहक बंधपत्र 1991 के धारकों को कुछ उन्मुक्तियों तथा ऐसे बन्धपत्रों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करो से कुछ छूटों और उनसे सम्बद्ध विषयों की बाबत उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

स्पष्टीकरण देने वाले कुछ मामूली संशोधन के साथ यह विधेयक विशेष वाहक बन्धपत्र (उन्मुक्तियों तथा छूटों) अध्यादेश, 1981 का जो 12-1-1981 को राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किया गया था, स्थान लेता है।

सभा-पटल पर रखे गए एक विवरण में उन परिस्थितयों को स्पष्ट किया गया है जिनमें एक अध्यादेश द्वारा कानून बनाना आवश्यक हो गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है।

श्री आर० वेंकटरामन : हम भी व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न में भाग लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें।

एक माननीय सदस्य : वह घबरा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस सदन में हमारे साथियों को कुछ पता नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है। वे समझते हैं कि वे बहुत कुछ जानते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : यह तथ्य कि बंधपत्र 2 फरवरी, 1981 को बिक्री के लिए रखे भी थे जिसमें कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व उनकी बिक्री के माध्यम से भारी मात्रा में धनराशि प्राप्त की जाए, केवल अध्यादेश की उद्घोषणा का औचित्य पदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त काले धन को एकत्र करने अथवा किसी दूसरे तरीके से इससे निपटने के लिए कोई भी उपाय अचानक और आश्चर्यजनक तरीके से ही किए जा सकते हैं। केवल अध्यादेश के द्वारा ही इस तरह की विस्मयकारी उपाय किया जा सकता था।

मुझे इस बात का विश्वास है कि सदन के सभी वर्ग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि काले धन की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए वह एक खतरा बन गया है । काला धन पैदा होने और उसके बढ़ने के कारण जटिल है तथा विविध हैं । काले धन की उत्पत्ति और उसमें वृद्धि तथा तत्सम्बन्धी कर अपवंचन की समस्या का व्यापक विश्लेषण प्रत्यक्ष कर जांच समिति की रिपोर्ट अर्थात् वांचू समिति की रिपोर्ट में दिया गया है जिसका मेरे मित्र द्वारा बार-बार उल्लेख किया गया है । इस बात की दलील दी गई है कि कराधान की ऊंची दरों ने लोगों को आय को छिपाने तथा परिणामस्वरूप उससे काला धन पैदा करने को विवश कर दिया है । सरकार ने इस पहलू की ओर ध्यान दिया है और इस दिशा में एक के बाद एक उपाय किए हैं । गत वर्ष कर की अधिकतम सीमित दर को 72 प्रतिशत से कम करके 66 प्रतिशत कर दिया गया अर्थात् 10 प्रतिशत अधिकार की कटौती की गई । श्री बसु ने बात सुनी नहीं, इसलिए वह हंसे । और इस वर्ष कम्पनियों पर अधिभार को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है । इसके साथ ही हमने आयकर के सीमा क्षेत्र से 14 लाख करदाताओं को हटा दिया है अब ताकि विभाग बड़े मामलों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सके । इस दिशा में आगे कदम उठाया जाना इस बात पर निर्भर करेगा कि उन कदमों के प्रति जो मैंने पहले ही बताए हैं, जनता की ओर से सरकार को क्या प्रतिक्रिया मिलती है ।

इस तथ्य से कि बैंकिंग प्रणाली के बाहर बिना लेखे का धन प्रसार में है, इन्कार नहीं किया जा सकता और अर्थव्यवस्था पर इससे जो गलत दबाव पड़ता है, वह भी स्पष्ट है । इन दबावों को कम करने की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था में अस्थिरता को जो कि खुले बाजार के ऋणों के माध्यम से किया जाता है, को समाप्त करना आवश्यक है । सरकार समय-समय पर विभिन्न प्रकार के ऋण लेती है अथवा प्रतिभूतियां जारी करती है और इस तरह अर्थव्यवस्था में अस्थिरता को कम करती है । ब्याज की दरों में विविधता एक अन्य तरीका है जिसका कि अक्सर प्रयोग किया जाता है । तथापि बैंकिंग प्रणाली से बाहर बाले लेखा बाह्य धन के चलन रोकने के लिए कुछ अन्य उपाय आवश्यक हैं और वाहक बंधपत्रों की योजना इस तरह के उपायों में से एक है ।

यह सुझाव कोई नया नहीं है कि अपराधियों को उन्मुक्तियां देकर काले धन को बाहर निकाला जा सकता है और इसको हमारे देश में तथा अनेक दूसरे देशों में भी अनेक बार आजमाया गया है । 1951 के प्रारम्भ में 'त्यागी योजना' नाम से विख्यात एक योजना को अपनाया गया था । इस योजना के अन्तर्गत उन करदाताओं को जिन्होंने अपने पिछले छिपाए हुए धन को सही-सही बता दिया था और उसका सत्यापन करने के लिए आयकर विभाग को अनुमति दी थी, इस बात का आश्वासन दिया गया था कि उनके खिलाफ कोई मुकदमे शुरू नही किए जाएंगे और जुर्माने को कम किया जाएगा ।

अगली स्वैच्छिक प्रगटन योजना वित्त अधिनियम, 1965 द्वारा लागू की गई थी जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने लेखा बाह्य धन को कर के रूप में 60 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करके अपनी लेखा पुस्तकों में ले सकते थे । आय के प्रकार और स्रोत से सम्बन्धित कोई प्रश्न नहीं पूछे गए थे । 1965 में लागू की गई एक अन्य योजना वह थी जिसे 'ब्लाक स्कीम' के नाम से जाना गया । इस योजना के अन्तर्गत लोगों को इस तरह के छिपाये गए धन को प्रकट करने की अनुमति

थी जिसका अधिकारियों को पहले पता नहीं लगा था और व्यक्तियों को प्रकट की गई धनराशि के सम्बन्ध में जुर्माना लगाने अथवा मुकदमा चलाने से उन्मुक्ति दी गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बन्धपत्र, 1980 में लगाई गई छिपाई गई आय के कुछ मामलों में मुकदमा चलाए जाने से उन्मुक्ति तथा कराधान से छूट भी दी गई थी। पिछली बार स्वैच्छिक प्रगटन योजना 1975 में लागू की गई थी जिसके अन्तर्गत घोषित की गई आय पर 25 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक की विभिन्न दरों पर कर लगाया गया था।

इस सदन में भी विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि काला धन रखने वालों को औद्योगिक तथा आवासीय योजनाओं में यह धन लगाने की अनुमति दी जाये। तथापि, इस सुझाव में यह खामी है कि काला धन रखने वाले व्यक्तियों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा तथा इससे इस्पात, सीमेंट, कोयला आदि जैसी दुर्लभ और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में और अधिक वृद्धि होगी। वाहक बन्धपत्र योजना के अन्तर्गत त्याग के रूप में एक उपाय किया जा रहा है और साथ ही इस योजना से काले धन के ऐसे तरीकों से उपयोग किए जाने को रोका गया है जिनसे समाज का अहित होता है।

कर निर्मुक्ति की वैसी ही योजना समय-समय पर कई देशों में प्रस्तुत भी की गई है। इस तरह की निर्मुक्तियों में प्रस्तुत शर्तों में सामान्यत: मुकदमे और जुर्माने से उन्मुक्ति तथा आय की घनराशि अथवा पिछली कर विवरिणियों में न बताई गई परिसम्पत्तियों पर कर की मिश्रित दरों का लगाया जाना शामिल होते हैं। यह समझा जाता है कि विगत 30 वर्षों में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा फ्रांस, मलयेशिया, अर्जेन्टाइना, इसराइल, फिलिपीन्स, इंडोनेशिया, ब्राजील और इटली जैसे अन्य देशों में भी किसी न किसी रूप में कर निर्मुक्तियां दी गई हैं।

1,000 रुपये के प्रत्यक्ष मूल्य के ये बन्धपत्र 10 वर्ष की अवधि के लिए उतने ही मूल्य पर जारी किए गए हैं। अवधि पूरी होने पर बन्धपत्रधारी प्रत्येक बन्धपत्र के लिए 12,000 रुपए प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यह व्यवस्था की गई है कि मूल खरीददार अथवा ऐसे बन्धपत्र रखने वाले व्यक्तियों को इस तरह के बन्धपत्रों के अर्जन के स्रोत प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होगी ताकि लोग इन बन्धपत्रों को आसानी से खरीद सकें। केवल इस आधार पर कि किसी व्यक्ति के पास बन्धपत्र हैं, उस व्यक्ति पर प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत—कर या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और न ही उसके विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।

इस सम्बन्ध में मैं यहां इतना ही कहना चाहूंगा ? मैं समझता था कि श्री ज्योतिर्मय बसु वास्तव में उन लोगों में से हैं जो अपने तथ्यों के बारे में आश्वस्त होते है और हमेशा ही अच्छी तरह तैयारी करते हैं। उन्होंने 20 फरवरी 1981 को एक प्रश्न रखा था जिसमें उन्होंने इसी ब्यौरे में पूछा था :

"(क) विशेष वाहक बन्धपत्रों की कुल बिक्री.....

(ख) क्या विशेष बन्धपत्रों को देश में बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु कानून द्वारा कोई प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।"

इसका जो उत्तर है वह यह है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उस बात को स्वीकार नहीं करता।

श्री आर० वेंकटरामन : आपने उसे देखा था और फिर भी दलील को बार-बार दोहराया था ? मैं आपकी योग्यता की दाद देता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह आपका मूल्यांकन है । आपकी आयु का ध्यान रखते हुए मैं आपसे भिड़ना नहीं चाहूंगा ।

श्री आर० वेंकटरामन : धन्यवाद । कम से कम आप दुनिया में किसी चीज का तो सम्मान करते हैं ।

आपके प्रश्न का जो उत्तर दिया गया वह यह है :

"विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 19 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति के सिवाय कोई व्यक्ति भारत से बाहर बन्धपत्रों को नहीं ले जा सकता ।" आप प्रश्न तो करते हैं लेकिन कभी उनका उत्तर पढ़ने का कष्ट नहीं करते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने पढ़ा था । आपके विधेयक में किसी बात का प्रावधान नहीं किया गया है । आपका विशेष वाहक बन्धपत्र विधेयक इस बारे में बिल्कुल मौन है ।

श्री वेंकटरामन : मुझे गांव के स्कूल मास्टर' के बारे में गोल्डास्मिथ की कविता याद आती है जो इस प्रकार है : "उसे प्रतिवर्ष केवल 40 पौंड आय होती है परन्तु वह तर्क करने का धनी है और परास्त हो जाने पर भी तर्क देता चला जाता है ।

बौंडों (बंध पत्रों) को भुनाते समय जो राशि मिलेगी उस पर आयकर नहीं लगेगा और बौंडों के मूल्य पर धन-कर नहीं लगेगा बौंडों की बिक्री से प्राप्त राशि पर पूंजीगत लाभ कर नहीं लगेगा । इसी प्रकार बौंडों का उपहार द्वारा निपटान करने से उस पर उपहार कर से छूट मिलेगी ।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि विशेष वाहक बौंड योजना कर-व्यवस्था की पकड़ से पूरी तरह बाहर होगी । परन्तु साथ ही किसी भी बौंड धारक को प्रत्यक्ष कर कानूनों में इस आधार पर कोई समायोजन या रियायत मांगने का हक नहीं होगा कि उसने ऐसे बौंडों में पूंजी लगाई है या उन्हें अन्य प्रकार से प्राप्त किया है । कोई भी कर दाता धन कर निर्धारण कार्यवाही में इस आधार पर रियायत मांगने का हकदार नहीं होगा कि उसने अपनी किसी परिसम्पत्ति को धारक बौंड में बदल दिया है ।

मैं पुन: यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रुपये की घोषित सम्पत्ति है और वह 5 लाख या 2 लाख रुपये मूल्य के ऐसे बौंड खरीद लेता है तो उस पर धन कर 10 लाख रुपये पर ही लगेगा और इस तथ्य पर कि उसने ये बौंड खरीद लिए हैं, ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जायेगा । कर-व्यवस्था की परिधि से परे होने का अर्थ यही है और कर प्रयोजनों के लिए इस योजना से कोई लाभ नहीं उठाया जा सकेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री वेंकटरामन, आपने मेरे बारे में जो अपमानजनक शब्द कहे हैं वह मैंने धैर्यपूर्वक सुन लिया है···

श्री आर० वेंकटरामन : नहीं; मुझे माफ कीजिए; मेरा मतलब वह नहीं था। जब आप इतना अधिक देते हैं तो कुछ लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस प्रश्न का जवाब दीजिए। जब आप विदेशों में रहने वाले लोगों, विदेशी लोगों और भारतीय मूल के लोगों को इन बौंडों को विदेशी मुद्रा में खरीदने की अनुमति दे रहे हैं तो फिर आप विदेशी मुद्रा के इस देश में आने और यहां से बाहर जाने को नियमित कर सकते हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : जैसे ही मैं इस बात पर आऊंगा तो आपकी इस बारे में असानता भी दूर हो जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वास्तव में 'नहीं'; और सैद्धान्तिक रूप से 'हां'।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इस बात पर भी आऊंगा। मैं किसी बात को ऐसा नहीं छोड़ूंगा जिसका उत्तर न दिया गया हो। मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अति उत्तम। मुझे प्रसन्नता है कि आप जैसे व्यक्ति यहां उपस्थित हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सेसना विमान के बारे में क्या है ?

श्री आर० वेंकटरामन : आप तो छलांग लगाने वाले मेढ़क के समान हैं। आप विचाराधीन विषय से एकदम दूर छलांग लगा जाते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यही तो है मानसिक फुरती। मै देश के उसी भाग से हूं जहां से आप हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : क्या विरोधाभास है ?

श्री आर० वेंकटरामन : इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि इन बौंडों की अवधि पूरा होने से पूर्व वह इनकी बिक्री से प्राप्त राशि को अपने हिसाब खाते में शामिल कर सके। हां, इनकी अवधि समाप्त होने पर इन्हें भुनाने से प्राप्त राशि को वह अपने हिसाब-खाते में दर्ज कर सकेगा और इस आय पर कोई कर भी नहीं लगेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विशेष वाहक बौंड योजना उन उपायों में से एक है जो सरकार काले धन के अभिशाप से निपटने के लिए कर रही है। आपको यह आशा नहीं करनी चाहिए कि सरकार अपनी सभी योजनाओं को प्रकट कर दे।

हमें इन बौंडों की बिक्री से 1000 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने की आशा है—200 करोड़ रुपये की प्राप्ति 1980-81 में और 800 करोड़ रुपये 1981-82 में। अनुमान लगाने में प्राय: होने वाली गलती को छोड़कर, हमें आशा है कि इतनी रकम इन बौंडों की बिक्री से हमें प्राप्त हो जायेगी। मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि 1975-76 में लागू की गई स्वैच्छिक प्रगटन योजना के अन्तर्गत 700 करोड़ रुपये की अघोषित आय को कर प्रयोजनों के लिए घोषित किया गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में गठित लोक लेखा समिति का

प्रतिवेदन इस बारे में क्या था ?

श्री चित्त बसु (बारसाट) : लोक लेखा समिति की रिपोर्ट क्या है ?

श्री आर० वेंकटरामन : आप नहीं समझते ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह धोखा मात्र था ।

श्री आर० वेंकटरामन : कृपया मेरी पूरी बात सुन लीजिए । स्वैच्छिक प्रगटन योजना के अन्तर्गत 700 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी । मैंने यह नहीं कहा था कि 700 करोड़ रुपये का कर वसूल किया गया था । आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते हैं । श्री ज्योतिर्मय बसु, मैं अपने शब्दों के बारे में बहुत ही जागरूक रहता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 746 रुपये की राशि छापे मार कर एकत्र की गई थी न कि वह स्वैच्छिक प्रगटन योजना के परिणामस्वरूप थी । यदि आप महानियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन देखें तो आपको यह मालूम हो जायेगा । यदि मंत्रिमंडल के अपने साथी श्री नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में गठित लोक लेखा समिति और श्री बसन्त साठे जैसे सदस्यों द्वारा दी गई लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को आप देखेंगे तो आपको यह ज्ञात हो जायेगा । आप यह समझते हैं कि आपको सब कुछ मालूम है और दूसरे कुछ भी नहीं जानते हैं । मुझे खेद है ।

श्री आर० वेंकटरामन : उसी प्रतिवेदन में लिखा 'घोषित राशि' । 'घोषित राशि' और 'वसूल की गई राशि' में अन्तर है । मैंने कहा है कि घोषित की गई राशि 700 करोड़ रुपये थी । यदि तब 700 करोड़ रुपये की राशि घोषित की जा सकती है तो अब लोग 1000 करोड़ रुपये के मूल्य के बौंड खरीद सकते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप सभा को फिर गुमराह कर रहे हैं । इसमें से अधिकांश छापे मारने से पता लगा था ।

श्री आर० वेंकटरामन : ठीक है अब मैं आगे बढ़ता हूँ । मैं श्री ज्योतिर्मय बसु को संतुष्ट नहीं कर सकता ।

अध्यक्ष महोदय : कोशिश ही न करो ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने तो श्री बारोट को 'फ्री प्रेस जनरल' के बारे में कुछ भी नहीं बताया है । फिर आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ।

श्री मगनभाई बारोट : चिन्ता न कीजिए । धमकी न दीजिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें धमकी कहां है ?

श्री आर० वेंकटरामन : इन बौंडों से 1000 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान है जिसके आधार पर उपभोगता वस्तुओं पर बिना अतिरिक्त कर लगाये या बिना और अधिक घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा लिए मैं विकासगत परिव्ययों को उचित स्तर पर रख सका हूं ।

अधिक कराधान और घाटे की अर्थव्यवस्था दोनों में से किसी को भी अपनाने से उसका प्रभाव समाज के मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग पर पड़ता और साथ ही स्थिर आर्थिक प्रगति का

हमारा लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होता। वर्तमान विधेयक पर विचार करते समय इस बात पर भी सभा ध्यान दें, मेरा यह अनुरोध है।

इन बौंडों पर जितना कम प्राप्त होगा, उससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि क्रेता ने कुछ बलिदान किया है। यदि दस वर्ष की अवधि के लिए एक बौंड के प्रत्यक्ष मूल्य पर 7 प्रतिशत वार्षिक दर से हिसाब लगाया जाये तो ब्याज की राशि 6100 रुपये बैठती है। अत: बौंड खरीदने वाला 3900 रुपये छोड़ रहा है। यदि इस बात पर ध्यान दिया जाये कि व्यापार तथा ऐसी अन्य गतिविधियों से, जिनमें यह कालाधन सामान्यत: लगाया जाता है, आय के रूप में प्राप्ति 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कहीं अधिक होती है, तो यह प्रशंसनीय है कि हम छिपाई गई आय पर जो बिल्कुल अनुचित नहीं कही जा सकती, एक अच्छी दर से कर वसूल कर रहे हैं। दस हजार रुपये के मूल्य का एक बौंड खरीदने पर क्रेता को केवल 12000 रुपये दस वर्ष बाद मिलेगा ब्याज की दृष्टि से यह राशि केवल 6100 रुपये पर बैठती है। इस प्रकार मैंने क्रेता से 3900 रुपये की राशि कर के रूप में पहले से वसूल कर ली है।

इस योजना की आलोचना औचित्य के आधार पर भी की गई है। परन्तु औचित्य के प्रश्न पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। जहां पर काले धन से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को गम्भीर खतरा पैदा हो गया हो वहां पर कोई भी ऐसा उपाय उचित समझा जाना चाहिए जिससे काले धन के हानिकर प्रभावों को कम किया जा सके और जिससे पूरे समाज को लाभ होता हो। इस योजना से खर्च और आय का अन्तर कम होता है जिससे अधिक कर लगाने और घाटे की अर्थव्यवस्था से बचा जा सके और परिणामत: समाज के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को इसके दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। अत: सामाजिक दृष्टि से इस योजना का क्या लाभ है, इस संदर्भ में औचित्य के प्रश्न को देखना है।

जहां तक ईमानदार करदाता का प्रश्न है, मैंने गत दो बजटों में जितना किया है उतना पहले किसी ने भी नहीं किया है। वर्ष 1979-80 के दौरान स्तर से आयकर की दरों में की गई कमी, छूट की सीमा को बढ़ाना, बचत के लिए अधिक प्रोत्साहन देना तथा मानक कटौतियों की सीमा में वृद्धि करना कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे यह पता लगता है कि हम ईमानदार करदाता की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। मैं यह भी प्रयास करूंगा कि कर कानूनों को इतना आसान बना दिया जाये जिससे ईमानदार करदाता को असुविधा न हो?

श्री ज्योतिर्मय बसु ने अपने आधे घंटे के भाषण में जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था वह है कि विदेशी क्रेताओं को वापसी भुगतान किस प्रकार किया जायेगा? यदि उन्होंने विधेयक पढ़ा होता तो उन्हें यह मालम हो जाता कि हम उन्हें भुगतान रुपयों में करेंगे, विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए हम बाध्य नहीं हैं। अत: वह प्रश्न ही नही उठता।

महोदय, मैं क्रमश: कहता हूँ कि सभा के सभी पक्षों से इस विधेयक को समर्थन प्राप्त होगा क्योंकि इसके द्वारा आर्थिक विकास के लिये अपेक्षित संसाधन जुटाने और समाज-विरोधी प्रयोजनों में लगने वाले काले धन के कम से कम कुछ हिस्से को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलोर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"विधेयक को उस पर 30 अप्रैल 1981 तक जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री राम जेठमलानी।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु ने सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले विशेष वाहक बंधपत्र, 1991 के लिए एक वैकल्पिक परिभाषा सुझाई है। परन्तु मुझे संदेह है कि वह भी पर्याप्त है। वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे आदमी हैं और मैं उनका बहुत ही आदर करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपना भाषण संक्षेप में दें।

श्रीराम जेठमलानी : आप कितना समय देना चाहेंगे। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय किया गया था कि हम विशेष वाहक बंधपत्र अधिनियम को पांच घंटे का समय देंगे। परन्तु चूंकि गुजरात के सम्बन्ध में विवाद के लिए समय निकाला गया है इसलिए हमने इसे चार बजे सायं समाप्त करने को कहा था।

अध्यक्ष महोदय : हमने यह गत रात्रि को किया था परन्तु आपने इसमें अन्य प्रकार से फिर बाधा उपस्थित की (व्यवधान)। अब भी कोई और रास्ता निकाला जा सकता है। वाद-विवाद के बाद हम एक और घंटे तक बैठ सकते हैं। कल हम इस पर रजामंद हो गये थे, क्योंकि सभा उसमें समय लेती जा रही थी। हम प्रत्येक सदस्य को समय देंगे। चिन्ता न कीजिए। हम पांच घंटे का समय लेंगे। आपको रात्रि भोजन भी दिया जायेगा।

श्री राम जेठमलानी : मैं यह मानता हूं कि आप यह गंभीरतापूर्वक कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या यह आश्वासन है ?

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सात बजे के बाद न बिठाइयेगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आश्वासन दिया गया है। मंत्री की ओर से मैं माननीय सदस्यों तक यह आश्वासन पहुंचा रहा हूं। प्रत्येक पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री राम जेठमलानी : मैंने अभी कहा है कि वित्त मंत्री एक ईमानदार और अच्छे आदमी हैं। (व्यवधान) मैं सुझाव देता हूं कि उन्हें अपनी उसी ईमानदारी के साथ मेरी निम्न-लिखित परिभाषा को विधेयक में दी गई परिभाषा के स्थान पर रखने के लिए उस पर विचार करना चाहिए :—

"विशेष वाहक बंधपत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिससे एक ओर कर-अपवंचकों के, और विदेशी मुद्रा का घोटाला करने वालों के सुसंगठित गिरोहों, अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों तथा सफाई से घूस लेने वाले और भ्रष्टाचरण करने वाले लोगों और दूसरी ओर उत्तरोत्तर कांग्रेस सरकारों के बीच विशेष लगाव, साझा उद्यम एवं लाभप्रद सहयोग के उस अटूट सम्बन्ध का पता लगता है जो आज विद्यमान है और कल भी रहेगा।"

महोदय, मेरी उपरोक्त परिभाषा में, जिसे अपनाये जाने की मैं दिल से सिफारिश करता

हूं, पांच मुख्य बातें हैं—पहली बात है उस समुदाय की जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है और तीसरी बात है उन उत्तरोत्तर समझौतों के बारे में जो सरकार और इस समुदाय के बीच हुए हैं।

श्रीमन्, इस देश में हम अपने दोषों को तो शायद ही कभी स्वीकारते हैं जो हमने अपने भीतर विकसित कर रखे हैं। हमें अपनी किस्मत को कोसने की आदत है, यही हमारी आदत है, यही हमारी राष्ट्रीय आदत है। श्री वेंकटारमन अथवा श्रीमती गांधी की सरकार ने यह तकनीक अपना रखा है कि देश का जो भी दुर्भाग्य है वह सब पूर्ववर्ती जनता के शासन के कारण है। परन्तु श्रीमन् जहां तक काले धन के पैदा होने, उसके अस्तित्व अथवा उसके परिचालन का संबंध है, यह सरकार भी जिसके दिल में सच्चाई अथवा इतिहास के लिये कोई मान्यता नहीं है, जनता सरकार को इसके लिये दोषी नहीं कहलाई है।

यह याद करने की बात है कि बहुत वर्ष पहले वर्ष 1946 में भी देश में काले धन की मौजूदगी का पता लगा था और उस समय भी देश में 48 करोड़ रुपये का काला धन मौजूद होने का अनुमान था। परन्तु, वर्ष 1951 में कांग्रेस सरकार आजाने के बाद, उसने पहले स्वैच्छिक प्रगटन योजना से कार्य आरंभ किया था। यहां मैं श्री वेंकटारमन से एक विवाद कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि उनके पास इन लोगों से निपटने के लिये चार तरीके हैं—साम, दाम, दण्ड और भेद। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि वह इन तरीकों का किस क्रम से उपयोग करेंगे? नीचे से ऊपर अथवा ऊपर से नीचे 'साम' का अर्थ है समझा-बुझा कर राह पर लाना। क्या उन्होंने इस का उपयोग किया है? 'भेद' का अर्थ है कूटनीति द्वारा लोगों में मतभेद पैदा करना। क्या इस उपाय को परीक्षण करके देखा है उन्होंने? दण्ड का मतलब है सजा। मैं इस तरीकों का जिक्र करूंगा जिनके बारे में वह इतने उत्साह से कहते हैं (व्यवधान)।

श्री आर० वेंकटरामन : अन्तिम दो तरीके तो आरक्षित रखे जाते हैं वे हैं भेद तथा दण्ड।

श्रीराम जेठमलानी : तीसरे के बारे में आपका क्या ख्याल है?

श्री आर० वेंकटरामन : साम, दाम, भेद, दण्ड—तीसरे और चौथे तो आरक्षित हैं।

श्रीराम जेठमलानी : इन चारों में से किस-किस का उपयोग आपने करके देखा है? मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस देश का कानून तो केवल एक उपाय को ही इजाजत देता है और वह उपाय है जांच अभियोग तथा सजा और उस पर यथार्हता दण्ड। कानून को तो मात्र दण्ड व्यवस्था का पता है। श्री वेंकटारमन ने अपनी स्वाभाविक ईमान्दारी से यह बात स्वीकार कर ली है कि जहां तक कानून लागू करने वाली व्यवस्था का सम्बन्ध है इस समुदाय के लोगों के विरुद्ध कभी कानून प्रभावी नहीं किया गया है और उन्होंने कांग्रेस सरकारों के आरंभ से ही केवल 'दाम' का तरीका अपनाया है। 'स्वैच्छिक प्रगटन योजना' सबसे पहले 195 में आई थी। 'स्वैच्छिक प्रगटन योजना' को नियुक्त किये गये अधिकारियों को और जांच आयोगों सहित सभी विशेषज्ञों ने इस समस्या के हल का तरीका नहीं माना है। श्रीमन् 'स्वैच्छिक प्रगटन' योजना तो 'अर्थ व्यवस्था' के एक गुप्त रोग के समान है और कांग्रेसियों ने बार बार इस योजना को अपनाया है क्या यह रोग निरन्तर बढ़ता और फैलता गया है।

श्रीमन्, लोक लेखा समिति के 1978-79 के प्रतिवेदन में—मेरा विश्वास है श्री स्टीफन अथवा श्री वेंकटारमन इस दस्तावेज से सम्बन्धित रहे होंगे—पृष्ठ 157 पर कहा गया है :—

समिति के विचार में, विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के प्रयास में सरकार द्वारा ऐसी स्थिति पैदा कर देना उचित नहीं कहा जा सकता जिसमें अंशतः करों की ऊंची दरों के परिणामस्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा धन प्रचलन में आ जाता है जिसका कहीं लेखा-जोखा नहीं है और सम्पूर्ण आर्थिक वातावरण दूषित हो जाता है तथा इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष करों की वसूली की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समिति ने यह विचार भर व्यक्त किया था कि कर लगाने की वर्तमान प्रणाली "श्रम साध्य और जटिल" है तथा करों की वसूली के कार्य में भी अपेक्षित गति नहीं रही है अन्यथा, स्वैच्छिक प्रकटन योजनाएं आरंभ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

इसलिये, श्रीमन् मैंने सोचा कि इस तरह की अवैध उपाय अपनाने की बजाय सरकार को सुदृढ करना चाहिये था, अपने अधिकारियों को कुछ अधिक ईमानदार बनाना चाहिए था और ऐसी स्वैच्छिक प्रगटन योजनाओं के लागू होने को रोकना चाहिये था।

फिर, श्रीमन्, पृष्ठ 159 पर समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि :

तीनों स्वैच्छिक प्रकटन योजनाओं में कुल मिला कर केवल 267 करोड़ रुपये की आय ही प्रकट की गई थी। उस पर कुल कर 61·23 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ बताया गया। वांचू समिति ने "अभी अथवा भविष्य में" छिपायी गई आय को प्रकट करने की कोई आम योजना आरम्भ करने का कड़ा विरोध किया था क्योंकि समिति का यह दृढ़ विश्वास था कि प्रकटन की और योजनाएं न केवल काले धन का पता लगाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में ही असफल रहेंगी अपितु साथ ही उनसे कर देने वाली जनता द्वारा कर सम्बन्धी नियमों का पालन किये जाने के स्तर पर तथा प्रशासन के मनोबल पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने उक्त सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय किया।

इन समितियों के समक्ष सरकार ने स्वयं यह साक्ष्य दिया कि जो कुछ भी निर्णय किया गया है वह तो एक बहुत बड़े कार्यक्रम का एक भाग है और इसलिये आप देखिये कि वर्ष 1946 अनुमानित 46 करोड़ रुपये की राशि से यह काला धन अब बहुत अधिक राशि में परिवर्तित हो गया है और इस योजना से आशा केवल 800 करोड़ रुपये का पता लगाने की है। इसे भी अब एक बहुत बड़े अभियान का एक छोटा सा अंग माना जा रहा है। अरबों रुपये का काला धन इस समय देश में परिचालित हो रहा है और अब तक चार स्वैच्छिक प्रगटन योजनायें आ चुकी हैं तथा यह पांचवी स्वैच्छिक प्रगटन योजना है जो अब लाई गई हैं। इसलिये क्या मेरा यह कहना औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं कि आपने इस बला को प्रभावपूर्ण ढंग से समाप्त करने तथा लोगों को दण्डित करने की बजायें आप हमेशा उन्हें 'दाम' देने में लगे रहे हैं और यह 'दाम' आप वर्ष 1951 से देते आ रहे हैं। और आप उन्हें 'दान' दे रहे हैं। अब वर्ष 1981 में, पूरे तीन वर्ष के अनुभव के पश्चात् आप से पूछा जा रहा है कि इस 'दान' से क्या उपलब्धि हुई हैं। इसलिये, श्रीमन् मेरा पहला निवेदन यह है कि आप इस काले धन के स्रोत का पता लगायें। परिभाषा में काले धन के स्रोतों का ब्यौरा दिया गया है। आप इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कीजिये और जब तक आप कार्यवाही नहीं करेंगे आप किसी भी प्रयोजन को पूरा कर पाने में सफल नहीं होंगे। मैंने कहा था कि काला धन रखने वाले इस समुदाय के प्रति यह एक उदारता दिखाने का मामला है। क्या यह एक ऐसा ही विशेष मामला नहीं है ? उदाहरण ले लीजिये। इस स्थिति को

आप एक ऐसे व्यक्ति की दृष्टि से देखिये जिसने दिन-रात कड़ा परिश्रम करके अपनी जान खपाकर पैसा कमाया है और उससे अर्जित आय का 70-80 प्रतिशत भाग सरकार को दे दिया है। आप इसे उस आदमी को इस दृष्टिकोण से देखिये। वह क्यों नहीं कहेगा कि मैं सारी जिन्दगी मूर्ख ही रहा, पूरी तरह बेवकूफ रहा। अब मुझे यह मूर्खता छोड़ देनी चाहियें और अब अगली प्रगटन योजना की प्रतीक्षा करनी चाहियें जिसके दौरान में ढेरों रुपये कमा लूंगा। मुझे तो उसे विशेष रियायत को प्राप्त करना है जो वित्त मंत्रालय तथा यह सरकार देती जा रही है। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिये ? इस प्रकार इस योजना से न तो धन प्राप्त होगा जैसा कि मंत्री महोदय को आशा है बल्कि दूसरे विपरीत ईमानदार करदाता भी वह कर अदा नहीं करेगा जो कि वह अन्यथा अदा करता है। इसलिये, श्रीमन् यह अपवित्र षड़यंत्र समाप्त किया जाना चाहिये और जब यह समाप्त हो जायेगा तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी अर्थव्यवस्था सुधरती जा रही है।

अन्त में, मैं मंत्री महोदय से उत्तर के लिये एक प्रश्न रख रहा हूं। पिछली तीन स्वैच्छिक प्रगटन योजनाओं का क्या फल निकला ? वर्ष 1971 तक की तीन योजनाओं से केवल 200 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। वर्ष 1975 की योजना आपात काल के दौरान चली थी। प्रोत्साहन के तत्व के साथ-साथ इसमें डराने-धमकाने की बात भी थी तो बम्बई जैसे बड़े शहर से केवल 2·75 करोड़ रुपये ही निकले। और मतलब हुआ कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि हम पिछले अनुभव के आधार पर वित्त मंत्री महोदय इस नतीजे पर कैसे पहुँचे कि इस वर्तमान योजना से 800 करोड़ रुपये प्राप्त हो जायेंगे और बजट घाटा कम हो जायेगा ? इस अनुमान के दो अर्थ हैं। दो बातें निकलती हैं इससे। श्रीमन् इतना बताकर मैं चुप हो जाऊंगा। पहली बात तो यह निकली कि यह मात्र एक खयाली पुलाव है और वह यह कल्पना करके खुश हो रहे हैं कि कहीं से 800 करोड़ रुपये निकल आयेंगे। परन्तु, श्रीमन्, मैं विश्वास करता हूं कि श्री वेंकटारमन इतने बुद्धिमान हैं कि वे मात्र खयाली पुलाव ही नहीं पकाते रहेंगे। मैं तो उनके प्रति अधिक सम्मान का भाव रखता हूं। मेरा विश्वास है कि ये 800 करोड़ रुपये के आंकड़े जान-पहचाने काला-बाजारियों के साथ सांठ-गांठ करके प्राक्कलित किये गये हैं और वे जानते हैं कि कितना धन उपलब्ध है और केवल वही व्यक्ति इन धारक बौंडों से खरीदेंगे। विगत अनुभव के आधार पर यह इस बात का एक निर्णायक पारिस्थितिक सबूत है। आपके मित्रों, संरक्षकों, चुनाव-समर्थकों तथा आप से संबंधित सभी काला-धन रखने वालों का ही इसमें लाभ है। अब वे ही आगे बढ़कर उक्त 800 करोड़ रुपया पैदा करेंगे। अब सरकार उस काले धन की संरक्षक बन जायेगी। अब सरकार इन तस्करों तथा घोटाला करने वालों की नौकरी करेगी, उनका पैसा संभाल कर रखेगी और 10 वर्ष के बाद उन्हें इनाम भी देगी। ये बौंड परिसमाप्त नहीं होंगे जैसा कि सन 1951 से अब तक होता रहा है और आपने यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह धन आपके अगले दो चुनावों के लिये काम में आयेगा। धन्यवाद

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : मैं विशेष धारक बांड (कर बाह्य तथा रियायतें) विधेयक, 1981 का समर्थन करता हूं। परन्तु अपनी बातें कहने से पूर्व मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे दो विशिष्ट वक्ताओं को सुनने का अवसर दिया। एक शब्द "रेच्ड" का प्रयोग किया था। श्री ज्योतिर्मय बसु ने उक्त शब्द कहा था। इन दो विशिष्ट वक्ताओं को

सुनने के बाद मैं एक बात पर आश्चर्य कर रहा था—किसी चीज को उसके कार्यकरण के आधार पर आंकना। श्री जेठमलानी स्वयं तीन वर्ष तक सरकार का एक अंग रहे हैं। श्री ज्योतिर्मय बसु की सरकार आज भी पश्चिम बंगाल में है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उनके कार्यकरण को देखने से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि भारत में राजनीति इतना बुरा व्यवसाय नहीं है। यदि वे जीत जाते हैं तो इसके अनेक फायदे हैं और यदि वे हार जाते हैं तो वे यह पाखंडी स्वरूप धारण कर लेते हैं और उपदेश देना आरम्भ कर देते हैं, आंदोलन चलाते हैं और अस्थिरता पैदा करने में लग जाते हैं। जैसा कि आरम्भ में कहा कि मैं इसलिए कारणों पर बल देना नहीं चाहता हूं। (व्यवधान) कारण स्पष्ट हैं। कालेधन का परिचालन खतरनाक स्थिति में पहुँच चुका है। संसद के हर सत्र में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बात को लेकर सरकार की आलोचना की जाती है और यह भी सही है कि यद्यपि इतनी बड़ी राशि परिचालन में है फिर भी हमारे पास इसका प्रमाण नहीं है। चूंकि ऐसी हालत है इसलिए कालाधन राष्ट्र की दुर्व्यवस्था पर खतरे की तलवार की तरह लटक रही है। मैं समझता हूं कि स्थिति का यह तकाजा था कि कुछ विशेष प्रयास किये जायें और मैं वित्त मंत्री को यह योजना प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। महोदय मैं समझता हूं कि यह बहुत ही यथार्थवादी दृष्टिकोण है क्योंकि हम वास्तविकता का सामना करने से इन्कार करने का दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। जैसा कि मैंने पहले कहा, इसके कारण बहुत ही स्पष्ट हैं। उद्देश्यों को उद्देश्य और कारणों के कथन में भी बताया गया है। इसके उद्देश्य ढ़हती हुई अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करना, मूल्य वृद्धि रोकना, मुद्रा स्फीत रोकना और काले-धन को उत्पादक कामों में लगाना है।

इस योजना के उद्देश्यों और कारणों को पढ़ने के बाद मुझे इसका विरोध करने के किसी वैध आधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। इस सम्बन्ध में, मैं यहां थोमस जेफरसन के सुविख्यात शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा—

"यदि द्वेष के कारण किसी भी अच्छे कार्य में बुराई नजर आती है तो इसका मतलब यह हुआ कि कभी कोई अच्छा काम हुआ ही नहीं।"

मैं इस योजना का स्वागत करता हूं और जैसा कि स्वयं वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि यह एक आवश्यक बुराई है। दुर्भाग्यवश स्थिति का यही तकाजा था कि सरकार कोई न कोई ऐसा कार्य करे। इस योजना का उन व्यक्तियों द्वारा नैतिक आधार पर, नीति-विषयक आधार पर तथा अन्य विभिन्न आधारों पर आलोचना की जाती है जिनका स्वयं का कोई नैतिक आचरण नहीं है। मैं इस बात पर सहमत हो सकता हूं कि इस योजना में अधिक नैतिक गुण न हो क्योंकि छूट की अन्य योजना की तरह यह भी अन्याय से ग्रसित है। इसे कालाबाजारियों को रियायत के रूप में कहा जा सकता है, इसे कालाबाजारियों के प्रति समर्थन कहा जा सकता है। वे कह सकते हैं कि यह कर- अपवंचकों के लिए एक उपहार है। परन्तु व्यापक दृष्टि से, जबकि अर्थव्यवस्था का पूरा हित ध्यान में रखा जाता है, तो क्या कोई इस तथ्य से इनकार कर सकता है कि वर्तमान स्थिति की यह मांग है कि कुछ ऐसे विशेष प्रयास जो अब तक प्रयोग न किए गये हों और असाधारण हों, किए जायें जिसके लिए वित्त मन्त्री बधाई के पात्र हैं।

मुझे विश्वास है कि उन्होंने जो उद्देश्य बताये हैं वे समानान्तर अर्थव्यवस्था में जाने वाले धन के परिमाण को कम करने, उत्पादक कामों में काले धन को लगाने और मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए है ।

मन्त्री महोदय ने पुरःस्थापन अवस्था में साम, दाम, भेद और दंड का उल्लेख किया था । श्री राम जेठमलानी ने भी अपने भाषण में उसका उल्लेख किया था । यदि वित्तमंत्री महोदय अपने विवेक से काम लेंगे तो मुझे विश्वास है कि इसके निश्चय ही वांछित परिणाम निकलेंगे । इसमें केवल समझाने बुझाने की ही नहीं अपितु दंड देने की भी आवश्यकता है । इस योजना के माध्यम से काले धन की बहुत बड़ी राशि का पता लगाना सरकार के लिए सम्भव होना चाहिए ।

इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान उस पत्र की ओर दिलाना चाहूंगा जो 18 फरवरी, 1981 के 'इकनामिक टाईम्स' में प्रकाशित हुआ था और जिसमें बताया गया है कि कलकत्ता में वाहक बन्धपत्र निर्बाध रूप से नहीं मिल रहे हैं । लोग वाहक बन्धपत्र खरीदने जा रहे हैं परन्तु विशेषकर कलकत्ता में ये निर्बाध रूप से नहीं मिल रहे हैं । यह मेरा आक्षेप नहीं है, अपितु यह 18 फरवरी के 'इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित पत्र के अनुसार है । मैं वित्तमंत्री महोदय से चाहूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि जो शक्तियां इस योजना को विफल करने और जो अस्थिरता लाने के लिए आमादा हैं वे अपने षडयंत्र में सफल न हों । उनको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये शक्तियां जन-अधिकारियों के साथ कोई षडयंत्र न रच लें वरना ऐसा क्यों है कि अकेले कलकत्ता में ही वाहक बन्धपत्र नहीं मिल रहे हैं । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वे इन बन्धपत्रों को निर्बाध रूप से खरीदने के लिए तैयार हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यही कारण है कि वे पश्चिम बंगाल सरकार को गिराना चाहते हैं·····(**व्यवधान**)

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने समझा कि वे इस बारे में बहुत उत्सुक होंगे क्योंकि अशोक मित्र इसमें अपना हिस्सा चाहते हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : पुरःस्थापन अवस्था में कहा गया था कि और आज भी मैं श्री ज्योतिर्मय बसु को यह सुझाव देते हुए सुन रहा हूं कि विमुद्रीकरण किया जाये । मुझे प्रसन्ता है कि वित्त मन्त्री ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है परन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि आज इसके लिए स्थिति का तकाजा नहीं है । असाधारण उपाय असाधारण समय के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिये । इस सुझाव को यदि स्वीकार कर लिया गया तो इससे अर्थव्यवस्था महीनों तक अस्त-व्यस्त हो जायेगी और विमुद्रीकरण के लिए श्री ज्योतिर्मय बसु के सुझाव का यही ठीक-ठीक प्रयोजन और उद्देश्य है । हमें ऐसी शक्तियों पर नियंत्रण करना होगा जो उद्देश्य मुद्रास्फीति पर रोक नहीं लगाना अथवा इस काले धन पर नियन्त्रण नहीं करना है परन्तु जिनका उद्देश्य यदि मैं यह कहूं तो, केवल गड़बड़ी पैदा करना है····· (**व्यवधान**) ·····और अस्थिरता पैदा करना है ।

इस योजना से सम्बन्धित उद्देश्य, गुण और कारण बहुत ही स्पष्ट हैं और मुझे उन पर विस्तारपूर्वक बल देने की आवश्यकता नहीं है, अपितु मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहूंगा । प्रथमतः सरकार को काले धन वाले बड़े व्यक्तियों पर दंडात्मक उपायों से दबाव तेज करना चाहिए ताकि

वे इस योजना से दी गई छूट का उपयोग करने के लिए विवश हों। उनको आयकर छापे तेज कर देने चाहिए। कमी वाली वस्तुओं की जमाखोरी वाले स्टाक को जब्त किया जाना चाहिए, जाने-माने काला बाजारियों और जमाखोरों को हाल ही में बनाये गये कानूनों के अन्तर्गत नजरबन्द किया जाना चाहिए और कतिपय बेनामी सौदों पर नियंत्रण रखने के लिए बैंक के कामों पर कड़ी सतर्कता बरती जानी चाहिए। महोदय, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे समाचार आ रहे हैं कि कुछ राज्यों में अनाज व्यापारी खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और दालों के भण्डारण और इस इरादे से महत्वपूर्ण स्थानों पर उनके भण्डारण में, कि बनावटी कमी पैदा करके उसे सप्लाई किया जाए भारतीय खाद्य निगम के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं। निश्चय ही सरकार को शिकायतें मिली होंगी कि बहुत से भण्डागारों में इन जमाखोरों ने छोटे किसानों के नाम पर खाद्यान्न जमा कर लिया है। अतः सरकार को इस स्थिति से निपटने हेतु अधिकारियों को आवश्यक अनुदेश देने चाहिए।

इसके बाद बैंक हैं। बेनामी सौदा कुछ ऐसी चीज है कि वाहक बन्धपत्रों के बाद लोग इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को इन शिकायतों पर भी ध्यान देना होगा कि कुछ बेईमान कर्मचारी यहां तक कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी अपने कर-अपवंचक ग्राहक की ओर से बड़े-बड़े साहूकारों तथा कर-परामर्शदाताओं की बेनामी सौदे करने में सहायता कर रहे हैं। महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बैंकों के ऐसे संदिग्ध कार्यों पर पर्यवेक्षण कड़ा करे तथा आयात-निर्यात व्यापार और विदेशी-मुद्रा सौदों पर और अधिक नियंत्रण रखें।

महोदय, राजस्व आसूचना प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य सरकारी अभिकरणों से भी कहा जाये कि वे इस बात पर कड़ी निगरानी रखें कि नये उद्योग के प्रोमोटर किस प्रकार सरकारी वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले रहे हैं और उत्पादन करने से पहले ही इन प्रतिष्ठानों से काला धन पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि काले धन का सफाया करने का यही एक प्रभावी उपाय है परन्तु हमें इसके पैदा होने की अवस्था में ही इस पर नियंत्रण करने के प्रयास भी करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह जमा न किया जाये। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां बड़े व्यावसायिक गृहों द्वारा चलाई गई कम्पनी में वे एक एकक को ऋण बना देते हैं। उसके बाद वही प्रबन्धक नई कम्पनी चलाते हैं और कुछ सरकारी संस्थाओं से ऋण ले लेते हैं तथा पुनः भ्रष्ट प्रक्रिया में लिप्त हो जाते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि यदि आवश्यक हो तो कानून में संशोधन किया जाये और ऐसे दोषी व्यक्तियों के नाम प्रकाशित किए जायें तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं से और सहायता लेने पर कानूनी रोक लगाई जाये क्योंकि इन गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियों का बिना किसी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का चतुराई पूर्ण तरीका होता है।

मुझे विश्वास है कि इन उपायों का महत्वपूर्ण प्रभाव होगा और इनसे काले धन के पैदा होने पर रोक लग सकेगी, विशेषकर जबकि यह सरकार श्रीमती गांधी के गतिशील नेतृत्व में है और कृत-संकल्प है तथा गतिरोध एवं सोने की नीलामी के तथा राष्ट्रीय बैंकों में परिवर्तन के गत तीन वर्षों में पैदा हुए कमी के वातावरण से छुटकारा पाने की भरसक कोशिश कर रही है।

अंत में, मैं निवेदन करूंगा कि कर-अपवंचन से काले धन का खतरा बनता है। मुझे

विश्वास है कि काले धन के खतरे का मुकाबला करने के लिये वित्त मंत्री के पास यही एक मात्र और अन्तिम उपाय नहीं है। मुझे विश्वास है कि वह अन्य प्रस्तावों तथा ऐसे प्रस्तावों पर भी विचार करेंगे जिनसे काले धन पर नियंत्रण करने के अलावा इसके पैदा होने तथा जमा होने पर रोक लगाने में सहायता मिल सके। मैं उनको इस बात के लिये भी बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रत्यक्ष-कर दर पुनरीक्षित करने के लिये अपने बजट प्रस्तावों के साथ इस विशेष वाहक बन्ध-पत्र को मिला दिया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस पर अधिक ध्यान दें और कुछ अन्य उपाय करें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कर-अपवंचकों तथा काले धन वाले बड़े-बड़े व्यक्तियों से निपटने के लिये साम, दाम, दंड, भेद की आवश्यकता है।

मैं इस दृढ़ विश्वास के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूँ कि यह सरकार काले धन पर नियन्त्रण करने और इसको समाप्त करने में सफल होगी तथा काले धन की उत्पति और संचय पर नियंत्रण करने के लिये अन्य उपाय करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी। आपके दल को बहुत थोड़ा समय दिया गया है। मैं यह नहीं बताना चाहता कि कितना समय दिया गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, जब आप पीठासीन होते हैं तो मुझे सदैव उदारता की आशा होती है।

यह बांड प्रमाण-पत्र की फोटोस्टेट प्रति है—एक काला बांड जो श्वेत-पत्र पर है। कानून के अन्तर्गत मुझे इसका स्रोत बताने की आवश्यकता नहीं है। यह इस आकार में बनाया गया है मानो इसे शीशे में मढ़वा कर श्री वेंकटरामन के ड्राइंग रूम में टांका जायेगा।

श्री जेठमलानी तथा पूर्व-वक्ता, श्री ज्योतिर्मय बसु ने वित्त मंत्री द्वारा दिये गये अधिकतर तर्कों का खण्डन कर दिया है। अतः इस खण्डन प्रक्रिया को जारी रखना मेरे लिये काफी आसान हो जायेगा। मैं वित्त मन्त्री से इस बात पर सहमत हूँ कि काला धन गंभीर समस्या है। यह केवल अपने देश में ही नहीं है अपितु रूस तथा चीन जैसे देशों में भी इस समय काले धन की समस्याएं हैं। स्वयं चीन-वासियों ने बीजिंग रिव्यू' में प्रकाशित किया है कि उनके यहां काले धन की समस्या है। यही स्थिति रूस-वासियों के साथ है। इसे हरेक जानता है। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां काले धन की समस्या न हो। सही प्रश्न यह है कि इस पर काबू कैसे पाया जाये ? यह चौथा प्रयास है। पहले तीन प्रयास सभी प्रकार से विफल हो गये हैं। इतना ही नहीं। हम उन्हें नीति बाह्य और फिजूल समझते हैं। नामों की जांच करने पर हम पाते हैं कि जिन व्यक्तियों ने 1951 में प्रकट किया था उन्होंने ही 1965 में और 1975 में भी प्रकट किया था। स्वेच्छ प्रकटन योजना का प्रयोजन है : एक बार आप प्रकट करते हैं तो आप इसे दोबारा प्रकट नहीं करेंगे। यही आशय है। लेकिन इस मामले में हम देखते हैं कि तीन बार गंगा स्नान किया गया है और मुझे विश्वास है कि विशेष वाहक बंधपत्र के मामले में भी उन्हीं व्यक्तियों को सम्बद्ध किया जायेगा।

उन्होंने क्षमा के बारे में कहा था। यह गलत है। क्षमा एक बार ही दी जाती है। इसे बार-बार नहीं दिया जा सकता। और यह इसका प्रमुख हिस्सा है। यही कारण है कि लोक लेखा समिति ने कहा है कि इसे दोबारा नहीं करना चाहिये।

वित्त मंत्री ने अर्थ-शास्त्र के व्यवसाय में एक नई शब्दावली लागू की है। हम जानते हैं कि जब हम भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर विचार-विमर्श करते हैं तो हम सदैव गरीबी की रेखा के बारे में बातचीत करते हैं : उन लोगों के बारे में जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे हैं। अब मैं यहां पर एक नई शब्दावली देखता हूं । गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे लोग और वाहक बंधपत्र रेखा से उपर जीवन बिता रहे लोग। और इस प्रकार वास्तव में वाहक बंधपत्र रेखा से उपर के सभी व्यक्ति आज उपस्थित नहीं हैं—मैं समाज के उस हिस्से के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। हमारा समाज तीन हिस्सों में विभाजित है : वाहक बंधपत्र रेखा से ऊपर के व्यक्ति और गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्ति तथा इनके बीच के ऐसे व्यक्ति जिनका वित्त मंत्री द्वारा प्रतिदिन शोषण किया जाता है और वह निर्धन मध्य वर्ग है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह युवा कांग्रेस से सम्बन्ध रखते हैं··· (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अत: इसके लिये उत्तेजना क्या है ? यह कौन लाया है ? आपको इसका सुझाव किसने दिया था ? यह उत्तेजना क्यों है ? यह जल्दी क्यों है ? 2 फरवरी से लेकर अब तक आपकी स्वयं की स्वीकृति द्वारा आपने कितने करोड़ रुपये एकत्र किये हैं ? यह 60 करोड़ रुपये हैं जिसमें 35 करोड़ रुपये दिल्ली से ही एकत्र किये गये हैं। बम्बई शहर पूरी तरह से असवा-धान-सा है और एकत्र की गई यह राशि 65 करोड़ रुपये हो सकती है लेकिन इस महीने के अन्त तक यह लगभग 200 करोड़ रुपये न ही हो पायेगी और नहीं यह इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक अतिरिक्त 800 करोड़ रुपये हो जायेगी। अत: उत्तेजना का कारण क्या है ? वह जल्दी में थे। मैं जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार संभव है कि लोग इस हास्यास्पद वस्तु को खरीदेंगे जबकि पता लगने की संभावना बहुत कम है। मैंने सम्भाव्यता सिद्धान्त का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक विश्लेषण और अनुमान लगाया था जो दुर्भाग्यवश हमारे वित्त मंत्री नहीं जानते हैं क्योंकि वह कीनेसियन अर्थव्यवस्था में शिक्षित हैं जो रेखाचित्र और मौखिक गद्य है जबकि मैं एक गणित का अर्थशास्त्री हूं जो सम्भाव्यता सिद्धान्त आदि के आधुनिक तरीके में प्रशिक्षित किया गया है। (व्यवधान) सम्भाव्यता सिद्धान्त के अनुसार जब तक पता लगने की सम्भाव्यता 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाती तब तक कोई भी व्यक्ति वाहक बन्ध पत्र नहीं खरीदेगा जब तक उसके कुछ निहित प्रयोजन न हों; निहित प्रयोजन यह रहा है कि ये लोग उसका नाम अग्रिम रूप से ले लेते हैं और उसे कहते हैं "इतनी संख्या में वाहक बंधपत्र खरीद लो और दस प्रतिशत राशि मेरी जेब में डाल दो" मुझे नहीं मालूम है यदि यह रवैया है जो एक धमकी-पूर्ण रवैया है "या तो आप धनराशि दें अथवा आपके घर पर छापा मारा जायेगा"। लेकिन यदि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक रवैया है तो यह कभी सफल नहीं हो सकता क्योंकि भारत में इस समय पता लगने की सम्भाव्यता 10 प्रतिशत भी नहीं है। इस समय काले धन वाले कितने व्यक्ति भयभीत हैं कि वे पकड़े जायेंगे ? कोई भी नही हैं। मैं बम्बई के बारे में जानता हूं। काले धन का पैदा करने सहित कई बातों में बम्बई एक बड़ा नगर है। मुझे इस में कोई संदेह नहीं है। वास्तव में यह कलकत्ता से बहुत बेहतर है। कलकत्ता एक काल-कोठरी है और वहां पर अधिक काला धन नहीं है। मैं इसके लिए केवल कलकत्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराता लेकिन सचाई यह है कि पता लगने की सम्भाव्यता इस समय इतनी कम है इसको कोई नहीं बाहर निकाल सकता जब तक इसके पीछे कोई बात न हो। मैं उनसे सर्वप्रथम यह जानना चाहता हूं कि वह किस लिये

उत्तेजित हुए। हमें इस बात का अन्दाजा होना चाहिये कि देश में कितना काला धन है।

इस समय अमरीका में भी काले धन की समस्या है। अतः हमारे संसद के समान न होकर उनके संसद ने अमरीका के कांग्रेस, न कि आपकी कांग्रेस, की संयुक्त आर्थिक समिति के समक्ष सुनवाई के बाद "द अंडरग्राउंड इकोनोमी" नामक एक अच्छा प्रकाशन निकाला है। (व्यवधान) कुछ व्यक्ति नये हैं वे आपकी कांग्रेस और अमरीका की कांग्रेस के बीच अन्तर को नहीं जान सकते हैं। दिनांक 15 नवम्बर का यह प्रतिवेदन एक अच्छा प्रतिवेदन है जो मैं वित्त मंत्री से पढ़ने के लिये आग्रह करता हूं जो चेंज इन इकोनोमी आफ 1970 न होकर अपितु ऐसा प्रकाशन है जो आपको काले धन की गणना करने के लिये एक सही तरीका बतायेगा। यदि आप भारतीय अर्थ-व्यवस्था के सम्बन्ध में यह तरीका प्रयोग करते हैं तो पता चलेगा कि इस अर्थ-व्यवस्था में 18,000 करोड़ रुपये का काला धन है। वित्त मंत्री केवल कागज पर ही 1000 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने के लिये बहुत संतुष्ट हैं। उन्हें 60 करोड़ रुपये से अधिक राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रेरणा कहां है ? अतः इसका आधार क्या है ? यह एक अद्भुत विधेयक है जो उन्होंने परिचालित किया है। उद्देश्यों और कारणों को बताने वाले विवरण में शीघ्र विधान के लिये ये कारण दिये गये हैं : बजट में घाटा होने से सरकारी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता और धनराशि को उत्पादक प्रयोजनों में सरणीबद्ध करना। मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप बहुत अधीर दिखाई दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको कुछ समय दूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह याद रखूंगा जब मैं अगली बार उपाध्यक्ष बनूंगा। (व्यवधान) यदि यह उद्देश्य है तो मैं कह सकता हूं कि इससे पूरी तरह से दिवालियापन का पता चलता है और यह पूरी तरह से धनराशि का दुरुपयोग है। क्या सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने का यह तरीका है ? क्या बजट के घाटे को कम करने का यह तरीका है ? क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि इस प्रकार की गंभीर मुद्रा विशेष रूप से उन जैसा एक धार्मिक आस्था वाला व्यक्ति··· (व्यवधान) सबसे बढ़कर एक आयंगर ब्राह्मण।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह नहीं कहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह नहीं कहां जाना चाहिये (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री अरुण शोरी ने सी० आई० ए० और के० जी० बी० के बारे में 'इंडियन एक्सप्रेस' में एक अच्छा लेख लिखा है। मैं नहीं जानता कि के० जी० बी० को एक प्रमाण-पत्र क्यों नहीं दिया है जो एक बांड प्रमाण-पत्र क्यों नहीं है अपितु एक सामान्य प्रमाण-पत्र है कि वे इसमें अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम और हो सकता है कि यह पार्टी की एक नई नीति हो लेकिन वास्तविकता यह है कि इन दोनों द्वारा भारी मात्रा में बांड खरीदे जाने की संभावना है; ऐसा उन्होंने कहा है। वह एक विख्यात अर्थ शास्त्री हैं। वह एक सुविज्ञ व्यक्ति हैं और 'इंडियन एक्सप्रेस' जैसे एक अच्छे समाचार-पत्र में लिखते रहे हैं। अतः वित्त मंत्री सामने आकर इस सभा को आश्वासन दें कि विदेशियों द्वारा इस अवसर का लाभ उठाने में खतरा नहीं है···

अतः यह कह कर मैं भाषण समाप्त करता हूं कि इस वित्तीय दुरुपयोग और दिवालियापन को खुले रूप से स्वीकार किये बिना ही काले धन को प्राप्त करने के बहुत से बेहतर तरीके हैं। अतः स्पष्ट रूप से मैं विमुद्रीकरण के पक्ष में नहीं हूं। मैं एक हजार रुपये नोट के विमुद्रीकरण के पक्ष में भी नहीं था। वह जनता शासन के दौरान हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से श्री जेठमलानी की पार्टी का एक सदस्य वित्त मंत्री के पास भागा हुआ आया था तत्कालीन प्रतिपक्ष में एक महिला थी जो नेपाल में हजार रुपये के नोटों द्वारा भारी धनराशि भेज रही थी और इसलिये यह विमुद्रीकरण किया गया था। न ही मैं सौ रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के पक्ष में हूं। इससे देश में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। मैं ईमानदारी के पक्ष में हूं। सबसे पहले कर सुधार हो। प्रत्येक बार आपने जब कर को कम किया है तो राजस्व की राशि में वृद्धि हुई है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। ऐसा कभी भी किसी अन्य देश में नहीं हुआ था। यह केवल इस देश में ही है। कि प्रत्येक बार जब आपने कर को घटाया है तो राजस्व में वृद्धि हुई है आप चोकशी समिति के प्रतिवेदन को पढ़े न कि कीनेसियन अर्थशास्त्र को। आप लाइसेंसों और सबसिडी के बारे में चोकशी समिति के प्रतिवेदन अथवा वाडीलाल डागली समिति के प्रतिवेदन को पढ़ें। और चुनावों के दौरान हमारे राजनीतिक दल ही काले धन को बैध बनाने वालों में प्रमुख हैं। उन्हें राजनीतिक दलों को कम्पनी के चंदों पर लगाई गई रोक को समाप्त कर देना चाहिये। हमें यह पता लगाना चाहिये कि कौन-सी कम्पनी किस राजनीतिक दल को कितना धन दे रही है। आपको हैरानी होगी कि देश के पूंजीपति न केवल उनके जैसे दलों को चंदा देते हैं अपितु अन्य दलों को भी दे रहे हैं और सभी दल यह चंदा ले रहे हैं। मैं यह बता रहा हूं, यह तथ्य है। यह एक गलत परन्तु अच्छा कार्य है। पूंजीपतियों ने उनकी पार्टी को कितनी धनराशि दी है? मैं जानता हूं कि कम्पनियां चंदा देती हैं। और यही कारण है कि मैं कहता हूं 'प्रतिबंध को समाप्त कर दो'। राजनीतिक दलों को कम्पनियों द्वारा दी गई धनराशि प्रकाशित की जानी चाहिये। हमें पता लगना चाहिये कि कौन दे रहा है। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इसको कोई रोक सकेगा?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कम से कम हमें यह पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या है।

अतः यही रास्ता है। हम, राजनीतिक दल, उन पर दबाव डालते हैं। इसको समाप्त कर दें। पर पद्धति में असंगतियों को समाप्त कर दें। यह टालमटोल खत्म हो जायेगी। यह एक गलत रवैया है और टालमटोल के इन तरीकों से नहीं ठीक हो सकता है। यह दिवालियापन की खुली स्वीकृति है और इसलिये मैं सरकार की इस वाहक बंध-पत्र योजना का पूरी तरह विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुनन्दन लाल भाटिया। (व्यवधान) श्री शिव कुमार सिंह।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैं दिखाना चाहता था कि यह कितनी लोकप्रिय है। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने यह पता लगाना चाहा (व्यवधान) हम अलग हो गये थे। अब वे सभी वहां हैं··· (व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : इसके अन्तिम स्थल का पता चल गया है ।

श्री शिवकुमारसिंह ठाकुर (खंडवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पेशल बियेरर बौंड्स बिल, 1981 के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ ।

आज कई तरह की कहानियां हमें दिन प्रति-दिन के समाचारपत्रों में सुनने को मिलती हैं और अलग से भी हमें यह सुनने को मिलता है कि अमुक व्यक्ति के पास इतना काला-धन है, अमुक व्यापारी के पास इतना काला-धन है, अमुक व्यक्ति इतना काला-धन कमा रहा है । बाजार में जाइए तो तरह-तरह की चर्चाएं सुनने को मिलती हैं और आज कल शहरों में देखते हैं कि शादी विवाह कितनी धूमधाम से किए जाते हैं । मकानों की खरीद में काला-धन किस प्रकार से लगाया जाता है और कृषि भूमि की खरीद में किस प्रकार से व्यवसायी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और किस प्रकार से काला-धन सफेद करते हैं । ये रोजमर्रा की कहानियाँ हो गई हैं और काले धन का रोग हमारे देश में एक ऐसा रोग हो गया है जो हमारी सारी अर्थ-व्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट करता जा रहा है । इस कैंसर रोग के कारण हमारी जो योजनाएं हैं, उन पर एक बहुत विपरीत असर पड़ रहा है और हमारी अर्थ-व्यवस्था बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही है । उपाध्यक्ष महोदय, इस कालेधन को रोकने के लिए जहां एक बड़ा प्रयत्न हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा किया गया है वहाँ मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि यह जो कालाधन हमारे देश में पैदा हो रहा है उसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करके उसकी जड़ों पर कुठाराघात करने के हमें प्रयत्न करने होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, नम्बर दो के बहीखातों को रखने का एक फैशन सा हो गया है । करों की ऊंची दरों के कारण यह स्वाभाविक है कि मनुष्य करों की चोरी की ओर प्रवृत्त होता है । वांचू कमेटी ने 1970 में कहा था कि करों की ऊंची दरों को अगर नहीं रोका गया, अगर अंधाधुंध कर लगाये जाते रहे तो यह स्वाभाविक है कि मनुष्य करों की चोरी की ओर प्रवृत्त होगा और उस देश में काला धन बढ़ेगा । 1970 में वांचू कमेटी ने कहा था कि उस समय देश में 14 सौ करोड़ रुपये का कालाधन है और उसने यह रिकमण्ड किया था कि करों की दरों को नीचे लाया जाना चाहिए । मुझे खुशी है कि हमारे लायक फाइनेंस मिनिस्टर, ने पिछले साल के बजट में भी और इस साल के बजट में भी करों की दरों को नीचे लाने की ओर प्रयास किया है । मुझे आशा है कि वे आने वाले दिनों में इस बीमारी का निदान करने के लिए करों की दरों को और भी युक्तियुक्त बनायेंगे ।

आज हमारे देश में काले धन के बारे में कई तरह के असेसमेंट है । कई लोगों का ख्याल है कि इस देश में दस हजार करोड़ रुपए का काला धन है, कुछ का विचार है कि बीस हजार करोड़ रुपये का कालाधन होने का असेसमेंट है । मुझे भी कभी-कभी शंका होती है कि हम जो स्पीड आजकल देश में देख रहे हैं, हमारे यहां कालेधन को निकालने के लिए या वोलेन्ट्री डिसक्लोजर का पहला प्रयत्न 1950 में हुआ था, फिर 1975 में हुआ, एक प्रयत्न जनता पार्टी के शासन में भी नोटों के विमुद्रीकरण के रूप में हुआ और अभी ये बियरर बोण्ड आये हैं, उन सब में हमारा अनुभव यह रहा है कि उसी तेजी से कालाधन रखने वालों की हिम्मत भी बढ़ती जा रही है । एक

और तो कई मायनों में यह बहुत अच्छा है परन्तु उसके साथ साथ आपको दूसरे प्रयत्न भी करने होंगे जिनसे कि इन कालाधन रखने वालों को नियंत्रित किया जा सके।

कालाधन केवल नकदी के रूप में नहीं है। बहुत-सी स्थाई सम्पत्ति के रूप में भी यह है, चाहे वह पूंजीपतियों द्वारा खरीदी गई कृषि की जमीन हो, चाहे वह बड़ी-बड़ी प्रापर्टी हो जो कि प्लाटों के रूप में खरीदी जाती है और जिसकी बहुत कम कीमत की रजिस्ट्री करायी जाती है, चाहे वह हीरे जवाहरात की शक्ल में हो। लगभग 11 सौ से 14 सौ करोड़ रुपये तक नेपाल बार्डर से अफीम, गांजा और चरस लाया जाता है। दुबाई से घड़ियां, टेप रिकार्डर, सोने की छड़ों की शक्ल में तस्करी में भी हमारा कालाधन प्रयोग में आता है और इसके द्वारा भी हमारा कालाधन बढ़ाया जाता है। ये सभी कारण हैं जिन पर हमें बहुत ही गम्भीरता से विचार करके इन पर नियंत्रण करना पड़ेगा।

हमारे देश में इन्फलेशन भी है। इसके बिल के उद्देश्य में भी यह कहा गया है कि हमारे देश में बियरर बाण्ड के द्वारा जो धन बिना हिसाब-किताब का पड़ा हुआ है, वह उत्पादक कार्यों में लग सकेगा। इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा, कीमतों में स्थिरता आयेगी और जो घाटे का बजट बढ़ रहा है उस पर भी रोक लगेगी। मुझे पूरी आशा है कि बियरर बांड से ये जो उद्देश्य रखे गये हैं इनकी अवश्य प्राप्ति होगी।

मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से यह कहना चाहता हूं कि आपने इन बियरर बांड्स के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं कालाधन रखने वालों को दी हैं, आप बहुत ही खुले हृदय से ये बियरर बांड्स लाये हैं। उनसे न यह पूछा जाएगा कि आपकी आय का क्या स्रोत है, न यह पूछा जाएगा कि किस आदमी ने कितने बियरर बाण्ड खरीदे हैं, न यह पूछा जायेगा कि आपकी आय किस खाते में हुई है। इन पर सम्पत्ति कर, उपहार कर और केपिटल गेन टेक्स भी नहीं लगेगा। दस वर्ष बाद दस हजार रुपए के बौण्ड के उन्हें 12 हजार रुपये मिलेंगे। आपके इतनी सारी सहूलियतें देने के बाद भी जो व्यक्ति कालाधन रखने की और निजी स्वार्थ के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट करने की हिम्मत करता है उसको नियंत्रित करने के लिए आपको बहुत ही सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि अभी राम जेठमलानी जी ने और ज्योतिर्मय बसु जी ने कहा कि इनको बहुत सारी छूटें दी गई हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी ने गणित में कोई गलती नहीं की है, क्योंकि जो 10000 वह आज जमा करेगा वह उसे 10 साल बाद मिलेगा, जब इन्फलेशन के कारण उसकी कीमत सिर्फ 6000 रुपए रह जाएगी। इस प्रकार इन्डायरेक्ट रूप में हमारे मिनिस्टर साहब ने 4000 रुपए का टैक्स लगा दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कामना करता हूं कि बैरर बांड से हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हो, मैं कामना करता हूं कि इस देश में मुद्रा-स्फीति में कमी आए, मैं कामना करता हूं कि कीमतों में जो वृद्धि हो रही है उस पर रोक लगे और इन शब्दों के साथ मैं इस बेरर बांड की सफलता का कामना करता हूं और मंत्री जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने यह स्कीम लागू की।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है। हमने माननीय वित्त मन्त्री, को सुना है जिसमें बजट घाटे के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही के

रूप में इस उपाय को उचित ठहराया गया है। उन्होंने कहा है कि जन साधारण पर नया कराधान लगाने से बचने के लिए यह आवश्यक समझा गया था कि इस देश में खुले रूप से परिचालित कुछ कालेधन को सरकार के कोष में लाया जाए। यह न तो इस देश में मुद्रास्फीति को रोकने और न ही इस देश में आर्थिक अपराधों के घोर अपराधियों को सजा दिलाने के प्रयोजनार्थ है। यह सरकार जानती है कि कालेधन की भारी राशि परिचालित हो रही है जो स्वामित्व में है, स्वयं स्वीकृत और आधुनिक अर्थशास्त्रियों की जानकारी में है जैसा कि डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी कहते हैं। लेकिन उनके विचारों में गलत बयानी की गई है और वह सहज रूप से जनता-विरोधी हैं जहां तक वामपंथी दलो का सम्बन्ध है। यह उचित परिप्रेक्ष्य में इन बातों को नहीं देख सकते हैं।

श्री मगनभाई बरोट : अपने सहयोगी की क्या प्रशंसा की है। (व्यवधान)

सोमनाथ चटर्जी : यह किसके लिए है, वह आपत्ति नहीं करते हैं। आप क्यों आपत्ति करते हैं।

स्थिति यह है। वह कहते हैं कि यह राशि 8,000 करोड़ रुपए की है। कोई नहीं जानता है। श्री ज्योतिर्मय बसु कहते हैं कि यह 30,000 करोड़ रुपये है। मंत्री महोदय को बेहतर जानकारी होनी चाहिए। यदि वे इतने स्पष्टवक्ता हैं तो उन्हें यह जानकारी हमें देनी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं सीमा-शुल्क के सम्बन्ध में वित्त मंत्री के मुद्दे को पराजित कर दूंगा (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास काले धन की मात्रा के बारे में वैयक्तिक जानकारी नहीं है।

श्री मगनभाई बरोट : मैं काले धन के बारे में उतना नहीं जानता जितना मेरे मित्र को पता है (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें इसकी मात्रा का पता नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें कितना काला धन प्राप्त होगा। स्थिति यह है कि यदि हम 18000 करोड़ रुपए के न्यूनतम आंकड़े लेते हैं,—मेरे विचार से डा० स्वामी आजकल किसी प्रकार का कठिन कार्य कर रहे हैं, मैं तो इस बात पर आपत्ति कर रहा हूं कि आपने जो योजना बनाई है जिसका उद्देश्य इसका अल्पांश भी प्राप्त करना नहीं है। दो वर्षों में 1000 करोड़ रुपये की राशि—मेरा आशय इस वर्ष के शेष भाग और आगामी वर्ष में आप यह राशि प्राप्त करने की आशा करते हैं जिसका उद्देश्य क्या है ? और इसका इस देश में समानांतर अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? यहां पर हमारे युवा मित्र—वह एक खराब कारण का समर्थन करने के लिए शानदार प्रयास कर रहे थे, एक कठिन कार्य कर रहे थे—उन्होंने भी इस विधेयक पर प्रारम्भिक संशयशील समर्थन करने के बाद महसूस किया था कि इस संकट को दूर करने के लिए कुछ मूल कार्यवाही की जानी चाहिए। क्या आप नहीं जानते हैं कि वे कौन से व्यक्ति हैं जिनसे आप धन प्राप्त करने की आशा कर रहे है ? क्या आप नहीं जानते कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने करों की राशि बकाया रखी हुई है ? क्या इस देश में यह विश्वसनीय है कि उन एकाधिकारवादियों, बड़े व्यापार गृहों, जैसे टाटा और बिड़ला बंधुओं, से

कर-वसूल नहीं किए जा सकते हैं,—इनकी सूचियां हमें प्रायः शिष्टाचारपूर्वक प्रति वर्ष दी जाती हैं क्योंकि प्रश्न किए जाते हैं, जिनके पास करोड़ों रुपये की विदित और अविदित आस्तियां हैं ? क्या यह सरकार कालेधन को भुला कर निर्धारित किए गये कर की राशि भी वसूल नहीं कर सकी है ? आयकर और धनकर की कितनी बकाया है ? हम सरकार से इसके बारे में जानना चाहेंगे । उससे क्या वे यह अनुभव नहीं कर सकते कि उन्हें अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए उन्हें इस योजना का आश्रय लेना चाहिए और इसके लिए अपनी ही पीठ को थपथपाएं कि उन्होंने एक ऐसी योजना तैयार की है जिससे उन्होंने आम जनता पर नये कर लगाए जाने से बचा दिया है ?

मुझे उस समय आश्चर्य हुआ जब माननीय मन्त्री, श्री वेंकटरामन ने, जिनका मैं और हम सभी सम्मान करते हैं, यह कहा कि यह एक त्याग का तरीका है । काला धन रखने वालों, कर की चोरी वालों तथा कर से बचने वालों के प्रति भारत सरकार का यह दृष्टिकोण है कि इन बन्धपत्रों की खरीद करके मानो कोई त्याग कर रहे हों और इस दृष्टिकोण के साथ आप उस देश की अर्थव्यवस्था में काले धन की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं । इसलिए, इस सरकार से मैं यह चाहूँगा कि क्या वित्त मन्त्री डंडा दंड अथवा से, जो भी हो, इस उपाय का पालन करेंगे । यदि वह उसका बिल्कुल पालन करते हैं तो क्या उनके पास अभी भी अधिकार नहीं हैं ? वह आज भी यह कह सकते हैं कि, "कृपया अच्छी तरह व्यवहार कीजिए, यदि आप अच्छी तरह व्यवहार, नहीं करते, तो हम दण्डात्मक उपाय करेंगे ।" क्या सरकार के पास ये सब शक्तियां नहीं हैं ? तब उन्होंने उन शक्तियों से कार्य क्यों नहीं किया ? अब बकाया कर 1,000 करोड़ रुपए के हैं, और ये साधारण लोगों पर नहीं हैं अपितु थोड़े से लोगों पर हैं । उस सन्दर्भ में, यदि लोग कहते हैं कि यह एक मेल-मिलाप के आधार पर उन लोगों के एक वर्ग को दिया गया एक अवसर है जो शासक दल तथा उन लोगों के बीच गुप्त समझौतों के आधार पर देश को निष्क्रिय बना रहे, हैं आप उन्हें कैसे दोष दे सकते हैं ?

आज 18 मार्च है और आगामी 13 दिनों में वित्त-मंत्री महोदय को 140 करोड़ अथवा 150 करोड़ रुपए मिलने की और आशा है तथा उस आशा के आधार पर उन्होंने बजट तैयार किया है, जबकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है और कानून के अनेक गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं । क्या इस तरीके से इस देश का बजट तैयार किया जाना है ? अब, यदि ये 200 करोड़ रुपए नहीं आते तब वे नए कर लगाएंगे जो जनता को वहन करने होंगे । श्रीमान, हम इसे समझते नहीं ।

वे लोगों के बीच अलगाव पैदा कर रहे हैं, उन लोगों के बीच जो कर देते हैं और जो कर नहीं देते हैं, और यह सरकार उन लोगों से व्यापक समर्थन की बात कर रही है जो खुले तौर पर उन्मुक्त रूप से कानूनों का उल्लंघन करते रहे हैं । मैं नहीं जानता कि वे किन विरोधाभासों, अथवा मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं और मैं यह भी नहीं जानता कि वे देश के इन लोगों के लिए इस सरकार के सद्भावपूर्ण कार्यों से किस तरह की स्थिति तैयार करना चाहते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु तथा अन्य माननीय सदस्यों ने तमाम विवरण दिए हैं । इस समय मैं उनको उद्धृत नहीं करना चाहता, लेकिन उनमें कुछ अत्यंत मूलभूत प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं । आज वे यह कहते हुए "हम कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे", वर्तमान प्रगटन के लिए अपितु विगत के दुराचार के

लिए भावी देयताओं, उन्मुक्तियों स पूरी छूट दे रहे हैं। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आय पर कर नहीं लग सकेगा, यदि यह वाहक बन्धपत्रों के माध्यम से इधर-उधर कर दी जाती है, उस पर कोई उपहार कर नहीं लगेगा और इसे सम्पत्ति कर में शामिल नहीं किया जाएगा। उनके न केवल पिछले कुकृत्यों से उन्हें बेदाग किया गया है अपितु भविष्य के लिए भी उन्हें बेदाग कर दिया गया है और इस देश में नागरिकों का एक नया वर्ग बनाया जा रहा है।

कुछ लोगों ने करों का अपवंचन करके सभी किस्म के संदिग्ध वित्तीय लेन-देन का सहारा लेकर काला धन पैदा किया। अब सरकार कहती है : कि आप इस धन को इन बन्धपत्रों में लगाते हैं तो हम आपसे कोई प्रश्न नही करेंगे कि आपने किन स्रोतों से, कहां से यह धन प्राप्त किया। यद्यपि हम उससे सहमत नहीं और उस अवधारण से हम अपने आपको पूर्णतः अलग करते हैं हम इसे समझ नहीं सकते। जब यह सफेद धन हो जाएगा तो भविष्य में इसे सभी कर-कानूनों से खुले तौर पर उन्मुक्ति मिल जाएगी, जब तक भारतीय कानून का सम्बन्ध है, कोई आय-कर, धन-कर, उपहार-कर और सम्पत्ति-कर इस पर नहीं लगेगा।

मैं नहीं जानता कि क्या इस देश में किसी के पास ऐसा श्वेत धन हो जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो। परन्तु यदि किसी के पास है और वह घोषित धन से खरीद करता है, उसे धन-कर का भुगतान करना होता है, यदि वह अपने घोषित धन में से उपहार देता है तो उसे उपहार-कर देना होता है. यदि वह मर जाता है और उसके पास घोषित धन है तो उसकी सम्पत्ति पर सम्पत्ति-कर देना होता है। परन्तु यदि उसी घोषित धन से अप्रयुक्त घोषित धन से आप वाहक बंधपत्र खरीदते हैं तो इस देश में सभी करों से उन्मुक्ति उन्हें मिल जाएगी। नागरिकों का एक ऐसा आश्चर्यजनक वर्ग तैयार किया गया है जो किसी भी कानून के अधीन नहीं है।

इन बन्धपत्रों में धन लगाने की कोई सीमा नहीं है। इसलिए, आर्थिक रूप से यह एक हानिकारक बात है और वित्तीय रूप से असंगत बात है और इसे बजट सम्बन्धी नियंत्रण लाने के एक साधन के रूप में समझा जाना असंभव है, भले ही वह केनेशियन अर्थव्यवस्था हो, अथवा आधुनिक अर्थव्यवस्था हो अथवा जो भी यह हो मैं यह कहूंगा कि उनके कुछ मित्रों के लिए लाभ के तरीके से कुछ घृणित कार्य किया जा रहा है। अन्यथा, देश की अर्थव्यवस्था पर उनका कोई प्रभाव नहीं हो सकता, जबकि आप एक वर्ष में 1000 करोड़ रुपए मिलने की आशा करते हुए इस पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। जबकि धन का प्रसार 20,000 करोड़ रुपए तक है। यह एक समस्या पर नुक्ताचीनी करना भी नहीं है।

तब, 20,000 करोड़ रुपए के अनुमानित कालेधन में से 19,000 करोड़ रुपए का क्या होगा और उन आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव होगा जिन पर अन्ततोगत्वा प्रभाव पड़ता है ? आप स्वयं ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने 15 लाख व्यक्तियों को करों से मुक्त कर दिया है। 90 रुपए से 120 रुपए तक की अधिकतम बचत उन्हें मिली है। अब ये काले धन वाले कीमतें बढ़ा रहे हैं, मुद्रास्फीति विकराल हो रही है और मध्यम वर्ग की 90 रुपए की यह बचत भी जल्दी समाप्त हो जायेगी।

इसलिए, सिद्धांततः हमें उसका विरोध करना है, इसका इस तंत्र के रूप में, जिसके बारे में कोई भी सरकार विचार कर सकती है, हमें विरोध करना है। हम यह कह रहे हैं कि—यदि

शासकदल का यह विश्वास है कि उन लोगों के एक वर्ग को छूट देकर, जो देश को निष्क्रिय बना रहे हैं, जो देश के आम आदमी का बुरी तरह शोषण करके फले-फूले हैं, जो इस देश के कानून का देश के आर्थिक कानूनों का रंचमात्र भी सम्मान नहीं करते, यदि आप यह सोचते हैं कि उनको रियायतें देकर आप उनका हृदय परिवर्तन कर देंगे अथवा आप उनके कार्य करने के तरीके में कोई परिवर्तन ला देंगे, तो आप पूरी तरह गलत हैं, इससे आप न केवल अपने आपको बेवकूफ बना रहे हैं, अपितु आप देश को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए, हमारा विश्वास है कि इसकी वास्तविक मंशा, वास्तविक आधार यह है कि इस मामले में कुछ बदले में देने की चीज है जिसे अब वापस किया जा रहा है। और इसलिए, मैं अपनी बात समाप्त करने से पूर्व यह कहना चाहता हूं कि वे राजनैतिक दल जिन्हें धन के आधार पर अपने चुनाव संचालित करने होते हैं। उनके पास जाएंगे और डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी नहीं जानते कि वही ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो इस तरह के लोगों के पास नहीं जाते, वे लोगों से एकत्र किए पैसे से, उनकी भागीदारी से चुनाव लड़ते हैं।

श्री रामप्यारे पनिका (रावर्टसगंज) : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी आपको तथा आपके दल को अच्छी तरह जानते हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। आप मेरे मित्रों को अच्छी तरह जानते हैं। (व्यवधान) आप डा० स्वामी के साथ मित्रता करिये, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए, वह उन लोगों के बारे में सम्पूर्ण बात नहीं हैं जो एकाधिकार कर रहे हैं, श्री बसु ने एक सूची बनाई है ....

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी चुनावों में एक लाख से ज्यादा खर्च नहीं करता है। फिर यह चर्चा क्यों ?

श्री सोमनाथ चटर्जी ; महोदय, मैं देखता हूं, वह असंगत बात कर रहे थे। आपको एक उम्मीदवार द्वारा, वामपन्थी दल के एक उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले खर्चे की कोई जानकारी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु यह हिसाब तो हम दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस समय, मैं आपके साथ तकरार नहीं कर रहा। आप इस समय प्रतिष्ठित स्थान पर हैं।

इसलिए, जो हम कह रहे हैं वह यह है कि सरकार को इस देश के उन मुठ्ठीभर लोगों के सामने, जो देश को निष्क्रिय किए हुए हैं, इस बेशर्मी के तरीके से आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए था।

श्रीमान जी, मैं सिद्धांतत: इस विधेयक का विरोध करता हूं और आशा तथा विश्वास करता हूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाएगा और यह सरकार अनुभव करेगी कि वह इस देश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करती रही है और सम्भवत: जब यह विधेयक अथवा यह कानून समाप्त होता है तो वह लोगों को कुछ अन्य प्रोत्साहन, पुरस्कार देगी। चुनाव कोष में उनके सहयोग के प्रतिकार के लिए उन्हें देश की जनता से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए।

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बिल पेश किया गया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आप जानते ही हैं कि अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ, और माननीय वित्त मंत्री ने इस अर्थ व्यवस्था में विभिन्न लोगों को जो छूट दी, उसके परिपेक्ष्य में सदन जानता है कि हम लोगों ने करों में छूट दी है, करों में ही नहीं, जो उत्पादन शुल्क था उसमें भी कमी की है या समाप्त किया है। यही नहीं बल्कि उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ कंपनियों और उद्योगपतियों को भी छूट दी है।

इन सब के परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने जो देश में ब्लैक-मनी है, उसको बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि जो यह बिल आया है, अगर इसके उद्देश्यों को देखें तो उससे यह स्पष्ट है, अभी हमारे विरोधी दल के लोग माननीय श्री ज्योतिर्मय बसु, जेठमलानी और सुब्रह्मण्यम स्वामी कह रहे थे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सदन में गणपूर्ति नहीं है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं नहीं समझता कि सदन को यह बात इतने हल्के रूप में लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति की घंटी बजायी जाए। अब सदन में गणपूर्ति है। श्री पनिका अपना भाषण शुरू करें।

श्री राम प्यारे पनिका : जैसा कि मैं कह रहा था, इस बिल का उद्देश्य है बजट के घाटे को पूरा करना, प्राइसिज को कंट्रोल करना और इसके फलस्वरूप बढ़ते हुए इनफ्लेशन, मुद्रा-स्फीति, को भी कंट्रोल करना। उधर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, उनमें से किसी ने इस बिल के मुताल्लिक बात नहीं की है। वे दूसरे विषयों पर बहस करते रहे।

मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष माननीय फाईनेंस मिनिस्टर ने जो अच्छा बजट रखा था, उसके कारण इनफ्लेशन का दर 21 परसेंट से 13 परसेंट हो गया। हमारी सरकार लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि मुद्रा-स्फीति को कैसे कंट्रोल किया जाये। इसी लिए यह विधेयक लाया गया है। इसमें कोई नई बात नहीं है। देश में पहले भी कई बार 1951, 1965 और 197[illegible] में—इस तरह की व्यवस्था की गई है। वांचू कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि देश में 1400 करोड़ रुपये ब्लैक मनी के रूप में हैं, यदि उसको उत्पादन बढ़ाने के लिए देश की अर्थ-व्यवस्था में वापस लाना है, तो कुछ सुविधायें देनी पड़ेंगी।

इस बजट में वित मन्त्री ने करदाताओं को जो सुविधायें दी हैं, इनकम टैक्स और उत्पादन शुल्क में जो छूट दी है, उद्योग-धन्धे चलाने वाली कम्पनियों और उद्योगपतियों को जो छूट दी है, क्या वह यह नहीं बताता है कि हम मुद्रा-स्फीति को कंट्रोल करने के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? यह विधेयक उन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है। हमारे वित्त मंत्री ने इस बारे में बहुत महत्वाकांक्षा जाहिर नहीं की है कि इससे सारा ब्लैक मनी वापस हो जायेगा। उन्होंने एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा है कि 200 करोड़ रुपये इस वर्ष और 8[illegible]0 करोड़ रुपये 198[illegible]-82 में आयेंगे।

अगर श्री जार्ज फर्नान्डीस ने यह वक्तव्य न दिया होता कि जो लोग बांड्ज लेने जायें, उनका धन लूट लो, और अगर सुप्रीम कोर्ट में इस सम्बन्ध में याचिका विचार के लिए स्वीकार न

हुई होती, तो मैं समझता हूं कि हम 00 करोड़ रुपये से आगे पहुंच गये होते। 1975 का उदाहरण हमारे सामने है, जबकि वालन्टेरी डिक्लेरेशन, स्वैच्छिक घोषणा, की व्यवस्था की गई थी। क्या हमें उसमें उपलब्धि नहीं मिली ? वर्तमान स्थिति के लिए विरोधी दल के नेता जिम्मेदार हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यह मामला वहां विचाराधीन है। ब्लैक-मार्केटियर्ज, होर्डर्ज और प्राफिटियर्ज के विभाग में यह शंका बनी हुई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस विधेयक के विपरीत होगा, तो हम लोगों का क्या होगा। इन दो महत्वपूर्ण कारणों से अपेक्षित रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हो रहा है।

यह बिल राष्ट्र हित में है और देश की इकानोमी के लिए लाभदायक है। राष्ट्रीय इकानोमी को ब्लैक मनी से जो खतरा है, वह इससे दूर होगा। इस बिल में और कोई बात नहीं है। हम इसमें नहीं जाना चाहते हैं कि देश में कितना ब्लैक मनी है। लेकिन हम एक रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर चल कर निश्चित रूप से हम ब्लैक मनी पर काबू पा लेंगे।...(व्यवधान)... यह एक माना हुआ सत्य है कि करदाताओं को हम जितनी ही सुविधाएं देंगे, निश्चित तौर से टैक्सों की चोरी उतनी ही कम होगी। अभी कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता राज में जो गोल्ड बेचने का कार्यक्रम चला था उस से हजार गुना यह उचित है और निश्चित तौर से हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने वाला है।

अब चूंकि समय कम है इसलिए इन चन्द शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि निश्चित तौर से इस से मुद्रास्फीति पर कंट्रोल होगा।

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुज्जफरपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मेरे युवा मित्र, श्री आरिफ मोहम्मद खां, ने जैफरसन को उद्धृत किया परन्तु उनके कार्य तो देखिये। मेरे विचार से, हमारे वित्त मंत्री चोरी और कर-चोरी को एक भला कार्य बनाना चाहते हैं।

मैंने उनका भाषण सुना है अपने भाषण के दौरान वे हम पर यह छाप डालना चाहते थे कि यह विशिष्ट अध्यादेश और विधेयक समाज के प्रति शुद्ध सामाजिक लाभ का योगदान अथवा उत्पादन कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, उन्हें यह उपाय करने का अवसर दिया है, पहले अध्यादेश के रूप में और फिर विधेयक के रूप में, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अधिक धन के निर्माण में योगदान कर रहे हैं और अधिक राष्ट्रीय सम्पदा के बनाने के लिए सरकार को और अधिक धन प्राप्त करने और उसे इस्तेमाल करने का अवसर दे रहे हैं, वे इसे इस प्रकार से पेश करना चाहेंगे।

मैं जानता हूं कि वेंकटरामन जो भी कहते हैं वे उसके बारे में सदैव स्पष्ट रहे हैं। मैं यह भी मानता हूं कि बहुधा उनके विचार सुनकर प्रसन्नता होती है। परन्तु आज उनकी कुछ बातों को सुनकर मुझे हैरानी हुई है। उदाहरण के लिए, उन्होंने यह कहते हुए अथवा भाषण शुरू किया, "हमें एक अध्यादेश लेकर आना था—आप सभी अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं—क्योंकि हमें कोई ऐसी कार्यवाही अचानक करनी थी जो आश्चर्य चकित करने वाली हो" उन्होंने कहा है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपये और आगामी वित्तीय वर्ष अर्थात अगले बारह महीनों में इससे 800 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। मैं वित मंत्री से पूछना चाहूंगा

कि इसमें क्या आकस्मिक और क्या आश्चर्य-चकित करने वाली बात है ? आकस्मिकता कहां है ? किस बारे में आकस्मिकता ? और किसे आश्चर्य-चकित करना है ? उन व्यक्तियों को जिन्होंने धन एकत्रित किया है जिसे वे सफेद धन में परिवर्तित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ? किस प्रकार का आश्चर्य ? वे किस आश्चर्य की बात कर रहे हैं ? श्री वेंकटरामन ने आज जिस प्रकार से एक अध्यादेश को, जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है । स्पष्ट करने की कोशिश की है उस पर मुझे वास्तव में हैरानी है । विशेषकर जब सदन का सत्र शुरू होने वाला था उस समय यह न्यायोचित नहीं है । यदि काले धन का सफाया करने का उनका कोई विचार था, तो उन्हें उस बारे में सदन के समक्ष आना चाहिए था और इस पर पूर्णरूप से वाद-विवाद करवाते । वित्त मन्त्री ने आगे जो कहा उससे मुझे प्रसन्नता हुई । मैं उसे उद्धृत करता हूं :—

"बजट में जिस पर अभी भी वित्त विधेयक में अनुदानों पर चर्चा की जा रही है, 11 लाख कर-दाताओं को छूट दी गई है ताकि विभाग अन्य मामलों में ध्यान केन्द्रित कर सके ।"

यह हमारे लिए रहस्योद्घाटन है । मैंने सोचा कि आप लोगों को राहत दे रहे हैं अथवा आप एक ही तीर से दो शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं ? परन्तु यह एक ऐसे वित्त मन्त्री हैं जिन्होंने उस समय कहा था कि वे 11 लाख कर-दाताओं को राहत दे रहे हैं आज के सदन में खड़े होकर कहते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आय-कर विभाग के कर्मचारी बड़े करदाताओं पर ध्यान केन्द्रित कर सकें ।

मुझे विश्वास है आप इसे नहीं मानेंगे । श्री वेंकटरामन, सम्पूर्ण निष्ठा और सच्चाई में विश्वास रखते हुए भी, आप नहीं मानेंगे कि इस प्रकार कि रिपोर्ट है कि आपके अपने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति उन व्यक्तियों से सांठ-गांठ रखते हैं जो न केवल करों की चोरी कर रहे हैं अपितु निषिद्ध सामान के आयात-निर्यात में सन्निहित है । परन्तु फिलहाल वह मामला विचाराधीन नहीं है । वित्त मन्त्री ने इस उपाय को भी यह कह कर न्यायोचित ठहराया कि बहुत सा काले धन का कारोबार समाप्त हो जाएगा । वित्त मन्त्री महोदय, क्या आप यह वक्तव्य देकर सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं ? क्योंकि आपने कहा कि ये बन्ध पत्र समर्थ ऋणाधार के रूप में कार्य कर सकते हैं । आपने कहा है कि इन बन्ध पत्रों पर 60 प्रतिशत ऋण मिल सकता है ।

अब, हमें यह समझ लेना चाहिए, वे कौन से व्यक्ति हैं जो यह धन जमा करने के लिए आ रहे हैं ? ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ अवधि के दौरान काला धन अर्जित किया है । वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो यह नहीं जानते हैं कि धन किस प्रकार सम्भाला जाय अथवा और अधिक धन कमाने के लिए उस धन को किस तरह उपयोग किया जाए । और अब वित्त मन्त्री हमें यह बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपना काला धन जमा करवाता है वह अब बैंक में जा सकेगा और उसका जमानत के रूप में उपयोग कर 60 प्रतिशत ऋण प्राप्त करेगा और उससे वह अपना व्यापार चला सकेगा । दूसरे शब्दों में, आप उन व्यक्तियों को जिन्होंने अपनी बुद्धिमता के द्वारा, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के द्वारा कालाधन कमाया है को आप इस योग्य बना रहे हैं । यह तथ्य कि वे बुद्धिमान लोग हैं, वे प्रतिभावान लोग हैं, वे ऐसे भाड़े के लोग हैं जो सम्पूर्ण सरकार और सम्पूर्ण कर लगाने वाले तंत्र को प्रभावित करने में सक्षम हैं, पर आपने कोई विचार नहीं किया

है और आप ऐसे उपाय लेकर आए हैं। इसलिए, वास्तव में, यह एक मात्र तर्क कि आप काले धन के कारोबार को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वास्तव में कसौटी पर खरा नहीं उतरता क्योंकि इससे और अधिक धन आएगा और आप उन्हें केवल समर्थ बना पाएंगे···

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे ठीक से याद है, तो वित्त मन्त्री ने कहा था कि उत्पादन के उद्देश्यों के लिए 60 प्रतिशत धन बैंकों से लिया जाएगा। यह वित्त मन्त्री ने कहा था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं स्थिति को स्वीकार करता हूँ और मैं इस बारे में अभी बाद में बात करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम मूर्खों की दुनिया में नहीं रह रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आखिरकार : काले धन का निर्माण कहां होता है? वित्त मन्त्री जी मैं यह मुख्य प्वाईंट उठाना चाहता हूं। आपने कहा है कि हम काले धन को समाप्त करना चाहते हैं। आपने यहां साम, दाम, दण्ड, भेद के सिद्धान्त का भी उपयोग किया है। परन्तु काले धन को कहां बनाया जा रहा है? वित्त मन्त्री महोदय, वह काला धन क्या है, जिसका आज निर्माण किया जा रहा है? यह एक सीधा प्रश्न है और मुझे विश्वास है कि आप इसका स्पष्ट उत्तर देने में सक्षम हैं। मेरा अपना अनुमान यह है—लोगों ने अपने-अपने अनुमान भी लगाए हैं और कोई भी व्यक्ति इसका अनुमान लगा सकता है—कि इस देश में प्रतिदिन 25 से 30 करोड़ रुपये के काले धन का निर्माण किया जा रहा है। और आप को उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी है जिनमें यह काला धन बनाया जा रहा है। इस्पात, सीमेंट, कागज, चीनी, कोयला और फिर आप इसमें तस्करी की गतिविधियां जो बहुत बड़े पैमाने पर होती है, को भी शामिल कर सकते हैं। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग देश के महानगरों में भवन निर्माण उद्योग है। मैं चाहूंगा वित्त मंत्री कहें कि यह 25 करोड़ नहीं है अपितु यह 2½ करोड़ है। यदि वे तैयार हैं और यदि वे वास्तव में काले धन को समाप्त करने के इच्छुक हैं तो मैं इस पर एक पूर्ण वाद-विवाद करवाना चाहूंगा, इस सदन में एक खुला वाद-विवाद अथवा बाहर एक सार्वजनिक वाद-विवाद अथवा एक गैर-सरकारी चर्चा, ताकि हम उन क्षेत्रों की पहचान कर सकें कि किन-किन क्षेत्रों में काले धन का निर्माण किया जा रहा है। इस सदन के कुछ माननीय सदस्य और मित्र-गण हैं जो राजनीति और काले धन, राजनीतिक दल और काले धन के बारे में बात करते हैं और इन्हें परस्पर सम्बद्ध बताते है। परन्तु मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। हमें यह मूल प्रश्न पर कि इस देश में कैसे और कहां पर काले धन का निर्माण किया जा रहा है, चर्चा करनी है। यह एक ऐसा मामला नहीं है जो परम गोपनीय है। और यदि इन क्षेत्रों की पहचान कर ली जाती है। तो फिर वह क्या चीज है जो सरकार को काला धन पैदा करने वाले क्षेत्रों के स्रोतों से निपटने और इस अभिशाप को समाप्त करने से रोक रही है? यदि इस पर सहमति हो जाती है—मैं मान लेता हूं कि इस पर सदन के दोनों पक्षों में सहमति हो गई है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर दोनों के दृष्टिकोण में समानता होनी चाहिए, तो मैं फिर वित्त मंत्री से पूछूंगा कि वे यह बताएं कि ऐसा किया जाना सम्भव क्यों नहीं है। मैं यहां पर एक सुझाव दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति 1975 अथवा 1976 की योजना का संदर्भ प्रस्तुत कर रहा है, क्या यह 754 करोड़ रुपये है अथवा यह कितने करोड़ हैं,

वे किस प्रकार प्राप्त किए गए आदि-आदि । मैं सरकार में सवा दो वर्ष तक रहा मैंने अपनी सरकार को कहा कि वे उन व्यक्तियों के नामों की घोषणा करे जिन्होंने अपने काले धन की घोषणा की थी । मेरी सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह बात पहले भी कही थी ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं यह बात फिर इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि "सरकार ने एक वायदा किया हुआ है, संसद में एक वायदा किया गया है, इसलिए इसको बता नहीं सकते"···

श्री ज्योतिर्मय बसु : तो फिर आप को त्यागपत्र दे देना चाहिए था ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम यहां पर मंत्रियों के त्यागपत्र की बात नहीं कर रहे हैं; मैं एक समस्या पर चर्चा कर रहा हूं, और मेरा विषय यह है । यहां तक कि मेरी सरकार ने जिसे एक समय पर इसकी जड़ पर प्रहार करने का अवसर मिला था, ऐसा करने से इन्कार कर दिया । इसलिए, मैं वित्त मंत्री महोदय, जिनके प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा है, हमें यह बताएं कि इस समस्या का समाधान कहां से आरम्भ किया जाए क्योंकि, हम से मेरे जैसे कुछ व्यक्तियों ने प्रयास किया है और असफल हुए हैं । मेरे दल ने, मेरी सरकार को, हमने इस मामले को कई मंचों पर उठाया है परन्तु हम असफल हुए हैं । हम अभी भी वहीं पर हैं जहां हम पहले थे । मोटे अनुमान के अनुसार आज 25 से 30 करोड़ रुपये के काले धन का निर्माण किया जा रहा है । इसलिए अब वित्त मंत्री जी एक विधेयक पेश कर रहे हैं, जिसमें केवल काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने का प्रयास किया गया है और काले धन के स्रोत पर प्रहार करने का प्रयास नहीं किया गया है । वास्तव में आप जो कर रहे हैं वह इस व्यवस्था को जारी रखने तथा इस देश में काले धन को बनाने वाले सभी साधनों को चिरस्थाई बनाने का प्रयास मात्र है । हमें इसका मुकाबला करना होगा ।

आप जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, अन्य माननीय सदस्यों ने उस बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं । वास्तव में, यह एक प्रोत्साहन है । मुझे विश्वास है वित्त मंत्री इस से असहमत नहीं होंगे । दूसरी ओर के माननीय सदस्य इस विधेयक का अन्य तर्क देकर समर्थन करेंगे; उनका अपना दल है और दल का आदेश है; वे इसके समर्थन करते जायेंगे । परन्तु क्या सदन का कोई भी माननीय सदस्य यह कह सकता है कि यह विधेयक और काले धन के इन बंध पत्रों के माध्यम से आप जो करने जा रहे हैं—वह काले धन के और अधिक निर्माण में प्रोत्साहन सिद्ध नहीं होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह होगा, होगा और अवश्य होगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कोई मुझे यह बताए कि इस कारण से लोगों के लिए कालाधन बढ़ाने में यह लाभकारी नहीं होगा । वे ऐसा वक्तव्य दें । तब हम उसे समझेंगे । अतः उन्होंने समस्या की जड़ को नहीं पकड़ा है, वे समस्या की जड़ को पकड़ने के लिए तैयार नहीं हैं । अतः महोदय, एक प्रश्न उठता है । उस सबका मतलब क्या है । मेरे विचार से माननीय श्री पनिका को यह कहते सुना गया था कि यदि श्री फर्नान्डीस ने काले धन को बरामद करने के बारे में बैंकों के दरवाजे पर वक्तव्य नहीं दिया होता और मामला उच्चतम न्यायालय में नहीं गया होता तो और अधिक धन

आ सकता था। मैं इस सभा में पुन: यह वक्तव्य देना चाहता हूं और मैं केवल इस सभा में ही वक्तव्य देना जारी नहीं रखूंगा बल्कि मैं बोट क्लब में हजारों युवकों को संबोधित करने जा रहा हूं और मैं उन्हें भी बताऊंगा मेरे युवा दल का एक कार्यक्रम यह भी है कि वे प्रत्येक बैंक के काउंटर पर, जहां काले धन के बांड बिक रहे हैं, खड़े हो जाए और जो व्यक्ति धन देने आता है उस धन को छीन लिया जाए। मैं यहां रिकार्ड करना चाहता हूं—इस सभा में डर कैसा—कि हम उस धन को छीनना चाहते हैं—बांड नहीं, धन—छीनकर पुलिस स्टेशन चले जाइये और इसे पुलिस को सौपकर कहें कि मैंने यह कालाधन छीना है जो बैंक में जमा किया जा रहा था, और देखते हैं कौन एफ० आई० आर० दर्ज कराता है। आप उन व्यक्तियों को गुप्त रखना चाहते हैं आप उन्हें सामने नहीं आने देना चाहते। वित्त मंत्री महोदय, आपने यहां सुन्दर दस्तावेज, प्रस्तुत किया है। मैं अवश्य ही यह जानना चाहता हूं कि वे गुप्त व्यक्ति कौन हैं जो सामने नहीं आना चाहते हैं, जो नाम गुप्त रखना चाहते हैं और इस दस्तावेज की आड़ में आश्रय लेना चाहते हैं। अत: मैं चाहता हूं कि वे पुलिस स्टेशन में जाएं और यह कहें कि अमुक युवक ने मुझे लूटा है। मैं एफ० आई० आर० दर्ज कराने आया हूं। उसे गिरफ्तार करें ··· (व्यवधान)

महोदय, वे मेरे पुराने मित्र हैं। हालांकि वे युवा कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं, परन्तु मेरे पुराने मित्र हैं। हम दोनों की आयु बराबर है। चिंता न करें। महोदय, मैं यह वक्तव्य देता हूं। मैं इस देश के युवकों तथा देश के मूल्यों से संबंधित किसी भी व्यक्ति से यह कहता हूं कि वे सामने आएं और इस मामले पर सदन में चर्चा करने और जीतने का प्रयत्न करने की बजाय इस पर आंदोलन शुरू करें।

वित्त मंत्री महोदय, मैं अस्थिरता की स्थिति पैदा करना नहीं चाहता। शायद किसी ने कहा है कि ये सब अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। यदि वे यही कहना चाहते हैं यदि वे अपना 100 करोड़ रुपया नहीं ले पाते तो यह आपकी सरकार को अस्थिर बना देगा तो मैं बहुत खुश हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी सरकार फेल हो जाए। मैंने यह कभी नहीं कहा कि आपकी सरकार सफल हो। मैं आपकी सरकार को फेल करना चाहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। श्री बरोट आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

श्री मगनभाई बरोट : मैंने कहां है कि अंगूर खट्टे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अंगूर खट्टे हैं ? मैं बहुत मीठे अंगूर खाता हूं। मैं बहुत खट्टे अंगूर नहीं खाता। प्रश्न कहां हैं ? आपकी सरकार में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या आप समझते हैं कि हम यह चाहते कि आपकी सरकार चले ? क्या आप समझते हैं कि हम आपकी सरकार को यह लूट मचाने दें। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार गिरे। आपकी सरकार को गिराने के लिए हम सब कुछ करेंगे।

एक माननीय सदस्य : यह नहीं चलेगा।

श्री जार्ज फर्नांडीस : जनता फैसला करेगी। ··· जनता फैसला करेगी। आपके सभा में आने से पहले और व्यक्ति थे, कुछ और भी इस प्रकार लापरवाही से बोलते थे, और आपको पता है 1977 में क्या हुआ। उस समय के इतिहास को पढ़ें। यदि आप इतिहास पढ़ने योग्य नहीं हैं तो

कम से कम अखबार पढ़ें । छात्रों पास जाओ गाँवों में जाओं, लोगों के पास जाओ और उनसे बात करो और वे आपको बता देंगे कि वे आपकी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं ···

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कहा था कि क्लब में आपकी एक मीटिंग थी ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपका मेरे कार्यों से क्या सम्बन्ध है, परन्तु, महोदय जब वे व्यवधान पैदा करते हैं मुझे यह सब बातें कहनी पड़ती हैं ।

मैं चाहता हूं कि यदि वित्त मंत्री वास्तव में कालाधन समाप्त करना चाहते हैं तो वह दो काम करें । पहला है : विशेष धारक बांड जारी न करें । लोगों से कहें कि वे उनका पता लगाएं और देश को बताएं कि ये ईमानदार चालाक व्यक्ति कौन हैं । आप काला धन समाप्त करना चाहते हैं ? आप जड़ पर चोट करना चाहतें हैं ? मुझे विश्वास है कि आप इसका अस्तित्व समाप्त करना नहीं चाहते । महोदय, यदि आप आपटता से, ईमानदारी से और गंभीर रूप से, इसे समाप्त करना चाहते हैं तो लोगों को कहें कि ऐसे व्यक्तियों को वे ढूंढ़ निकालें । आखिरकार वित्त मन्त्री ने कहा है—मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाता हूं कि 1976 में यह 754 करोड़ रुपये था । आपने मेरे साथी की बात का खण्डन किया है ····

श्री आर० वेंकटरामन : मुझे खेद है । मैंने यह नहीं कहा कि हमें 750 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं । मैंने केवल यह कहा था कि बताई गई राशि 750 करोड़ रुपए थी ···· (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : छोड़िए, मामला यह नहीं है । 750 करोड़ रुपये का पता लगा था । अतः यदि 1976 में 754 करोड़ रुपए का पता लगा था तो मेरा विचार में कुछ वर्षों के बाद कुछ और अधिक धनराशि का पता लग जाएगा । आपने विशेष धारक बांड में लोगों को अपना पता बताने के लिए नहीं कहा । हमें पता लगाना चाहिए कि वे व्यक्ति कौन हैं ? आप उनका नाम क्यों नही बताना चाहते ? आप उन्हें इसलिए प्रकट नहीं होने देना चाहते क्योंकि वे चरित्रहीन हैं । वित्त मंत्री से मेरा दूसरा अनुरोध है : क्योंकि आपकी सरकार बेहत्तर चल रही है और क्योंकि आपकी सरकार ने अच्छे कार्य करने का वायदा किया है, क्या वित्त मंत्री महोदय आप उन लोगों को बता सकते हैं जिन्होंने 1976 में अपना धन प्रकट किया था ? क्या आप ऐसा करेंगे ? मुझे यह न बताएं कि हमने ऐसा क्यों नहीं किया । मैं आप से कह चुका हूं कि हम असफल हो गए । मैं असफल हो गया । क्या आप ऐसा कहेंगे ? क्य आप उन महान परोपकारियों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के, उनमें से कुछ बड़े आदमी हैं, नाम बताएंगे ? किन लोगों ने 754 करोड़ रुपये के बारे में जानकारी दी ? आखिरकार पैसा आता कहां से है ? यह पैसा गरीबों से, आपदाओं से, बीमारियों से और लोगों की मजबूरियों से आता है । यह वही पैसा है । और आपका काला धन है क्या ? वही काला धन है । अतः महोदय एक सकारात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर मैं वित्त मन्त्री से चाहता हूं ।

अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मैं अधिक समय नहीं लूंगा । मैं जानता हूं कि आप इस विधेयक को 4 बजे तक पारित करना चाहते हैं । मैं यह भी जानता हूं कि वे इस विधेयक पर कुछ नहीं बोलेंगे । मैं जानता हूं कि वे चाहते हैं कि इस पर चर्चा समाप्त हो जाए । क्या आप इस विधेयक को बिना चर्चा पारित करना चाहेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमने अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं जानता हूं। पांच घंटे निर्धारित किए गए है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री मेरे प्रश्न का उत्तर दें। दूसरी बात यह है। धन इकट्ठा करने के लिए जो तरीका अंग्रेजों ने अपनाया था वही क्यों नहीं अपनाया जाता अर्थात् लोगों को उपाधियां देकर ? हमने कम से कम ये उपाधियां बन्द कर दी थी। आपने भारत रत्न की उपाधि फिर शुरू कर दी। जो व्यक्ति पांच करोड़ रुपये प्रकट करेगा उसे भारत रत्न की उपाधि क्यों न दे दी जाए ? जब आप उनसे यह उपाधि छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ऐसा करने से व्यय से कम इन उपाधियों को प्राप्त करने वाली कम्पनी में बैठने योग्य होंगे और समान स्तर पर समझे जाएंगे भले वह नेशनल हेरल्ड हो या प्रधान मन्त्री—जैसा कि प्रधान मन्त्री के पास भारत रत्न की उपाधि है ? क्यों नहीं ? शायद अंग्रेज सरकार लोगों को उपाधियां देकर धन एकत्रित करने में सफल रही ? इसी प्रकार आप भी लोगों को अपने नाम बताने के लिए कह कर सफल हो सकते हैं। उनको वही दर्जा मिलेगा जो प्रधानमंत्री को समारोहों में मिलता है। यह वह उपाधि है जो अब केवल हमारी प्रधान मन्त्री के पास है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : आप भारतीय नाम क्यों नहीं बताते ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं वित्त मन्त्री को अपना अन्तिम सुझाव बताता हूं। वेंकटरामन महोदय क्या आप उन सभी लोगों को माफ करना चाहते हैं जिन्होंने काला धन कमाया है जिन्होंने खजाने के साथ धोखाधडी की है और देश के साधारण गरीब लोगों को लूटा है तथा उनको ठगा है ? क्या आप एक गरीब जेब कतरे की अपने आपको बदलने के लिए हमदर्दी दिखाएंगे ? मुझे पता चला है कि उनमें से बहुत से इस देश की जेलों में बंद हैं। मेरे विचार में इस छोटे-मोटे धोखा-बाजी के लिए छः महीने से एक वर्ष तक की सजा दी जाती है। आप अधिक से अधिक इस विशेष धारक बांड विधेयक की प्रशंसा कर सकते हैं जिसे आपने प्रस्तुत किया है और दूसरी ओर सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि वे इस अवसर को इस विधेयक की खुशी में छोटे जेब कतरों को जेलों से रिहा करके मनाएंगे ? आखिरकार आप उन लोगों को सजा देते हैं जो 10 या 20 रुपए की जेब काटते हैं। सुब्रह्मण्यम स्वामी जी आप वकील हैं और आप जानते हैं कि दंड संहिता के अन्तर्गत इन लोगों को कितने महीने की सजा दी जाती है ? परन्तु धोखा-धड़ी करने वाले लोगों के बारे में क्या हैं जिन्होंने धोखा-धड़ी करके भारी धनराशि कमाई है ? उन्हें कितने वर्ष की सजा दी जाती है ? यदि 5 रुपये की जेब काटी जाती है तो आप सजा देते हैं और जेल भेज देते हैं।

वेंकटरामन महोदय मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं : कृपया मुझे एक बात बताएं। क्या श्री जाफरसन का उल्लेख करना अच्छी बात है ? मैं श्री आरिफ मोहम्मद खान को बताना चाहता हूं। इस देश में यदि कोई गरीब व्यक्तियों की करोड़ों रुपए की जेब काटकर उसे इस सुन्दर बांड के माध्यम से सफेद धन बनाता है तो उसे आप छोड़ देते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और वित्त मन्त्री द्वारा रखे गए विधेयक का विरोध करता हूं।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय, वित्त मन्त्री महोदय द्वारा

प्रस्तुत विशेष वाहक बन्धपत्र (उन्मुक्ति और छूट) विधेयक का स्वागत करती हूं। यह जो योजना हमारी सरकार की ओर से रखी गयी है यह एक साहसिक प्रयास है जो प्रशंसनीय है।

मैं अभी बहुत ध्यान से जार्ज साहब का भाषण सुन रही थी। जार्ज साहब उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। वे हमारे वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहते थे कि आखिर कालाधन कहां जेनरेट होता है, कहां से आता है, इसका पता लगाना होगा। मुझे आश्चर्य है कि वे तीन वर्ष तक सत्ता में रहे और फिर भी वे यह पूछ रहे हैं कि यह कालाधन कहां जेनरेट होता है और कहां से आता है।

मैंने ज्योतिर्मय बसु साहब की बातें भी सुनीं। उनकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें दुनियां में कहीं अच्छाई नजर आती ही नहीं, सभी कुछ गलत नजर आता है। इन्सान की जैसी भावना होती है, वैसा ही उसे सारी दुनिया दिखाई पड़ने लगती है। सारी अच्छी बातें भी उन्हें अच्छी नहीं लगती।

आप जानते हैं कि जिस उद्देश्य से यह विधेयक यहां पर रखा गया है वह उद्देश्य सिर्फ यह है कि किसी तरह से कालाधन हमारी सरकार के खजाने में आये और आ कर के वह राष्ट्र निर्माण में लगे। यह सभी जानते हैं कि कालेधन की महिमा बढ़ रही है। इसको सभी स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको कोई स्वीकार नहीं करता हो। यह समस्या बराबर बढ़ती जा रही है। यह केवल हमारे राष्ट्र की ही समस्या नहीं है यह तो अन्तर्राष्ट्रीय समस्या हो गयी है। यह एक वर्ल्डवाइड फिनोमिना हो गया है। इसके बारे में इन्टरनेशनल मोनेटरी फण्ड की गत वर्ष की रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि उसमें 1976 तक के आंकड़ों के अनुसार कहा गया है कि ब्रिटेन में प्रोसेसनल प्रोडक्ट्स का सात परसेंट कालेधन में है और 7.9 परसेंट अमेरिका में है। इस तरह से कालाधन चारों तरफ बढ़ता जा रहा है।

यह एक चिंता का विषय है और इसी समस्या के समाधान के लिए हम निरन्तर लगे हुए हैं और बराबर सोचते रहते हैं। इस में दो मत नहीं हो सकता कालेधन की वृद्धि को समाप्त करना है। इस पर अंकुश लगाने का प्रभावी प्रयास किया जाना आवश्यक है। मैं यह कहना चाहती हूं कि इसके लिए हमें वातावरण भी तैयार करना होगा। ऐसा वातावरण बनाना होगा कि जो हमारे करदाता हैं उनमें यह आतंक और भय व्याप्त हो कि साथ ही साथ कर देने योग्य जो उसकी आय निश्चित आपका हिस्सा है, उसको वह स्वेच्छा से सरकार को दे और उस पर जो उनकी निर्धारित है वह भी वह सरकार को दे।

अब सवाल यह उठता है कि विथेरर बोण्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी ? जो हमारे करों का ढांचा है वह हमेशा त्रुटिपूर्ण रही है। वह त्रुटिपूर्ण इसलिए भी रहा है कि अगर एक मामूली औरत, गरीब औरत अगर रेलवे यार्ड से एक डलिया कोयला उठा लेती है, या राशन शाप पर जा कर एक मुट्ठी अन्न उठा लाती है अपनी भूख को शांत करने के लिए तो उसको जेल की हवा खानी पड़ती है। और जो ये बड़े-बड़े लोग हैं, पहुंचे हुए महात्मा हैं, ये चाहे कालाधन स्मगलिंग के जरिये भी जमा करें जिससे कि देश को नुकसान पहुंचे तो भी वे कानून के अन्तर्गत पकड़ में नहीं आते वे बरी हो जाते हैं और इस तरह से काफी आराम की जिन्दगी बसर करते हैं। इस त्रुटि के कारण

कर प्रशासन विभाग की स्थिति बहुत पेचीदा हो जाती है और आम जनता को काफी परेशानी होती है। इस परेशानी से बचने के लिए कई बार ऐसे आदमी भी जो कि कानून का उल्लंघन करना नहीं चाहते, वे भी कर की चोरी करने को बाध्य होते हैं। इसलिए इस ओर हमारे वित्त मन्त्री का ही ध्यान जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना कोई नई नहीं है। पहले भी इस तरह की योजना आ चुकी है, लेकिन उसमें शंका बनी हुई थी। अभी हमारे वर्तमान वित्त-मन्त्री महोदय ने जो दावा किया है कि मार्च महीने तक 200 करोड़ रुपए की उपलब्धि होगी और 81-85 तक 800 करोड़ के बैरर बांड्स की खरीदी होगी, यह दावा बहुत ही उत्साहवर्द्धक है और जो तरीका उन्होंने अपनाया है उससे आशा की जा सकती है कि इसमें सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि इस योजना के अन्तर्गत 60 करोड़ रुपया मिल चुका है और अभी जो काला धन कमाने वाले हैं, उनके लिए स्वर्ण अवसर है कि वे स्वेच्छा से बता दें और यह कालाधन राष्ट्र के विकास में काम आ सके।

एक बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है, वह यह कि हमारे अधिकारियों को अभय दान नहीं मिलना चाहिए, कर प्रशासन में जो भ्रष्टाचार या अनियमितता है उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, जैसा वित्त मंत्री महोदय ने स्वयं भी कहा था कि प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करना और उसमें दक्षता लाना आवश्यक है ताकि जनता के लाभ के लिए बनाए गए कानूनों द्वारा वे जनता का ह्रास न कर सकें। मंत्री महोदय स्वयं सजग हैं। हमें आशा है कि यह जो विधेयक हमारे सामने आया है इससे मूल्य वृद्धि और मुद्रा स्फीति पर रोक लगेगी और आवश्यक पदार्थों का जो कृत्रिम अभाव पैदा करके आर्थिक संकट उपस्थित किया जाता है, इस प्रवृत्ति को रोकने में भी सहायता मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं बहुत धन्यवाद देती हूं और विधेयक का स्वागत करती हूं।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मैं ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत किये गये सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूँ और माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। इस चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न नीति विषयक, नैतिक, राजनीतिक, संवैधानिक और आर्थिक पहलुओं को प्रस्तुत किया जा चुका है। मैं यह कह कर शुरू करना चाहता हूँ कि यह केवल बेईमानी का लाभ है। आप कर अपवंचकों को केवल मान-सम्मान दे रहे हैं। आप काले धन को सफेद धन में बदलना चाह रहे हैं। इस समय मंत्री महोदय ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे गलत कार्य को ठीक बनाया जा सके।

महोदय, अब मैं इन योजनाओं के इतिहास की ओर दृष्टि डालता हूं और यह उल्लेख करता हूं कि इन योजनाओं का अनुभव क्या है। मैं एक लेख से उद्धृत करता हूं।

"1946 में सरकार ने अधिक मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण किया था। 5 वर्ष बाद अर्थात् 1951 में सरकार एक अधिक समन्वयात्मक रवैया अपनाने के लिये इच्छुक थी और उसने स्वैच्छिक प्रकटन योजना (वी० डी० एस०) लागू की थी। दबाई गई आय के प्रकटन को सुविधाजनक बनाने के लिये कानून के दंडात्मक उपबंधों में उचित रूप से ढील दी गई थी। 1956 में

सरकार ने एक दूसरी स्वैच्छिक प्रकटन योजना लागू की थी। 60-40 योजना के रूप में भली-भांति जानी जाने वाली इस योजना में छिपाई गई आय का 60 प्रतिशत कर के रूप में भुगतान करने और 40 प्रतिशत शेष राशि को निर्धारितियों के बही-खातों में लाने की व्यवस्था की गई थी। इसका पूरी तरह से अनुसरण करते हुए 'ब्लाक स्कीम' के रूप में जानी जाने वाली सुविदित स्वैच्छिक प्रकटन की एक अन्य योजना भी लाई गई थी जिसके अन्तर्गत प्रकट की गई छुपाई गई आय के समूह (ब्लाक) पर लागू दरों पर कर दिया जाना था और न कि फ्लैट दर जैसा कि प्रारंभिक 60-40 योजना के अन्तर्गत था।

तथापि इन सभी तीन स्वैच्छिक प्रकटन योजनाओं से छुपाई गई आय की अधिक राशि प्राप्त नहीं हुई थी। इन तीनों योजनाओं को मिलाकर केवल 267 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे जो 15 वर्षों अर्थात् 1951-65 के दौरान अप्रकट आय का अत्यन्त संतुलित प्राक्कलन का भी केवल अंशमात्र था।

इसकी तुलना में 1965 से 1969 के पांच वर्षों के दौरान सामान्य अवधि में आयकर विभाग द्वारा पता लगाई गई अप्रकट आय 161 करोड रुपये थी और इस प्रकार से छिपाई गई इस आय पर करों और जुर्मानों की राशि 105 करोड़ अथवा पता लगाई गई आय का लगभग 65 प्रतिशत थी।

इन तीन स्वैच्छिक प्रकटन योजनाओं की अपेक्षाकृत कम आय का कारण यह बात थी कि इनके अन्तर्गत प्रकट की गई अधिकांश आय का या तो पहले ही पता लगा लिया गया था अथवा लगभग पता लगने ही वाला था।"

श्रीमान, उनके द्वारा की गई सामाजिक कार्यवाही का यह इतिहास है। मैं कहता हूं कि यह एक व्यर्थ का प्रयास है। इस संबंध में मैं यहां पर वांचू समिति के प्रतिवेदन के सम्बद्ध अंश को उद्धृत करता हूं :

"हमने इस सुझाव के लाभ और हानियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। वाहक बंध-पत्र योजना धन प्रकट करने के लिये भी एक कमजोर प्रतिस्थापन है क्योंकि यह केवल काले धन को शामिल कर सकती है जो पूंजी निवेश नहीं किया गया है और वह नकद राशि के रूप में पडा हुआ है। इसके अतिरिक्त काले धन को इन बांडों में लगाने के निवेश को किसी विशेष आय स्रोत से जोड़ा नहीं जायेगा और इस प्रकार यह पूंजी निवेशकर्ता को उस स्रोत से आय की जांच-पड़ताल और उचित कर निर्धारण तथा दंड परिणामों से उन्मुक्ति नहीं देता है। पूंजी निवेशकर्ता आयकर विभाग से भी पूरी तरह से गुमनाम नहीं रह सकता है जब वह इन बांडों को बेचता है अथवा इनकी प्रतिभूति पर ऋण लेता है अथवा इन बांडों से ब्याज को काराधान के लिये देता है। ये पहलु बही खातों में दर्ज न की गई नकद राशि रखने वाले व्यक्तियों के सीमित क्षेत्र में भी इस योजना की सफलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। ब्याज को कर मुक्त करना ब्याज की अधिक दर देने के समान होगा और पूंजी निवेश पर कम लाभ देने के समान होगा और पूंजी निवेश पर कम लाभ देने के प्रयोजन को ही समाप्त कर देगा। दूसरी ओर यदि ब्याज कर योग्य है तो ऐसे अवसर हैं जिनमें अधिकांश पूंजी निवेशकर्ता अपनी गुमनामी का लाभ उठा कर ब्याज की आय प्रकट नहीं

करेंगे और वास्तव में यह योजना और कर अपवंचन को बढ़ावा देगी और इससे काले धन का निर्माण होगा।"

इसके अतिरिक्त मैं कुछ दिन पूर्व इस सदन में माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण का एक अन्य उद्धरण पढ़ता हूं :

"जहां विमुद्रीकरण का परिणाम मुद्रा में जनता का विश्वास खो देना हो सकता है, वहां काले धन को वैध बनाना लोगों को अधिकाधिक काले धन को जमा करने को प्रोत्साहन दे सकता है।"

उपाध्यक्ष महोदय यह वाहक बंध-पत्र योजना सरकारी अधिकारियों के पूरे समर्थन सहित समय-समय पर काले धन को सफेद धन में बदलने और कर कानूनों को तोड़ने वाले व्यक्तियों को प्रेरणा और रियायतें देती है। मैं यह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि विभिन्न वित्त मंत्रियों ने विगत में इस दिशा में कार्यवाही की थी और वे बुरी तरह से असफल हुए थे। हमें पता लगाना है कि यह काला धन कहां से पैदा हो रहा है। यह निश्चित रूप से व्यापार में, फिल्मी हस्तियों और भ्रष्ट राजनीतिज्ञों में व्याप्त है। अतः यह केवल भारत में ही प्रासंगिक नहीं है अपितु यह सभी पूंजीवादी देशों के मामले में है। अतः जब तक आप यह सुनिश्चित करने के लिये कुछ ठोस उपाय नही करते हैं जिससे कि इस पद्धति में आर्थिक परिवर्तन किये जायें तब तक काले धन को रखने वाले व्यक्तियों को पकड़ा नहीं जा सकता है। यह काले धन में निर्मित तंत्र है। जब तक आप इस मामले की गहराई में नहीं जाते हैं, इस बीमारी की जड़ में नहीं जाते हैं तब तक आप इस काले धन को समाप्त नहीं कर सकेंगे। आपकी इन सभी अच्छी आकांक्षाओं के होते हुए भी यह व्यर्थ का प्रयास है।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प का विरोध करता हूं और मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का समर्थन करता हूं। धन के मामले के बारे में बोलते हुए एक सुविख्यात अर्थशास्त्री ने इस प्रकार कहा था।

"धन एक विलक्षण वस्तु है। यदि इससे खुशी प्रेम की भांति इस से भी मनुष्य को बड़ी प्रसन्नता मिलती है और यह मनुष्य की चिंता के सबसे बड़े स्रोत के रूप में मृत्यु के बराबर है।"

धन के इन दोनों पहलुओं की व्याख्या यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा दिये गए भाषणों में भली प्रकार से दी गई है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि कालाधन हमारे आर्थिक विकास और प्रगति के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं अय्यर समिति के 1936 के, निकोलस काल्डेर समिति के 1956 के और वांचू समिति के 1971 के प्रतिवेदनों का उल्लेख करना चाहता हूं। इन सभी समितियों ने काले धन की समस्याओं का उल्लेख किया है। वांचू समिति के प्रतिवेदन में काले धन की समस्याओं, इसके स्रोतों तथा इसके प्रभाव पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। जिनके पास उक्त प्रतिवेदन की प्रति है अथवा जिन्होंने उसका अध्याय 2 का अध्ययन किया है वे इसको समझ सकेंगे कि वास्तविक कालाधन क्या है और हमारे आर्थिक विकास को नष्ट करने में काले धन की क्या भूमिका है। यह

ठीक है कि जहां तक अर्थ-व्यवस्था के विकास का सम्बन्ध है इस का अनुकूल पक्ष भी है और मैं उससे इन्कार नहीं कर रहा। परन्तु जहां तक हमारी आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों का सम्बन्ध है इसके प्रभाव विनाशकारी हैं। माननीय वित्त मन्त्री द्वारा अपने बजट भाषण के पैरा 24 में इसका बहुत उचित उल्लेख किया गया है। जिन माननीय सदस्यों ने उसको नहीं पढ़ा है वे इस समस्या के इस पहलू को पूरी तरह समझने की दृष्टि से उस को देखें। अतः यह आवश्यक है कि कालेधन के प्रभाव एवं परिचालन को रोका जाये। किसी भी माननीय सदस्य द्वारा राष्ट्रीय विकास के उपयुक्त किसी ठोस कदम का सुझाव नहीं दिया गया है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने हास्यपूर्ण ढंग से जो कहा है और श्री जार्ज फर्नान्डीज के जो सुन्दर सुझाव हैं उनको मैंने सुना है और केवल मूर्ख ही उनका पालन कर सकते हैं .... (व्यवधान)

मैं इस सन्दर्भ में एक पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं। भारत के नियन्त्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार 31 मार्च 1980 के दिन 1011.85 करोड़ रुपये के कर बकाया हैं। मैंने इस सदन में बारम्बार कहा है कि करों का बकाया कठोरता से वसूल किया जाए। यद्यपि मैं इस विधेयक में अपनाई गई प्रक्रिया एवं सिद्धांतों से सहमत हूं, उसके साथ ही मैं दृढ़तापूर्वक यह मांग करता हूं कि कि धन की वसूली के लिए बकाया करों की राशि का मूल्यांकन करने एवं उसकी वसूली के तन्त्र को सुचारू बनाया जाये। कुछ माननीय सदस्य यह कह सकते हैं कि मैं यहां पर करों की बकाया रशियों का उल्लेख क्यों कर रहा हूं। क्या मैं उनसे यह पूछ सकता हूं कि क्या सच नहीं है कि इससे भी कालाधन पैदा होता है। अधिक धन से जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि नकदी का अनुपात बढ़ता है और उसको आर्थिक विकास और आयोजना के समतुल्य लाया जाना है। यदि आप यह सोचते हैं कि नकदी पर नियंत्रण किया जाये तो दक्षता उत्पादन और ऋण प्रणाली के घोषित सिद्धांतों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिये जैसा कि बजट भाषण में बताया गया है। अतः क्या हमें उस पहलू पर भी विचार नहीं करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि करों के बकाया के कारण कालाधन और आवांछित आर्थिक विकास न पैदा हो? अनेक माननीय सदस्यों ने इस पहलू का उल्लेख किया है कि कालाधन इस प्रकार से आर्थिक विकास पर प्रभाव डालता है। यह किस के लाभ के लिए है। यह आम आदमी के लाभ के लिए नहीं है। इसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल रहा। इस मामले में नैतिक भ्रष्टाचार है। मैं इससे सहमत हूं। समाज इससे दूषित है। हम उसके अंग हैं। परन्तु इससे निकलने का रास्ता क्या है? सरकार द्वारा इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिए। क्या आप इस सिद्धांत से असहमत हो सकते हैं कि कालेधन पर रोक लगनी चाहिए? अतः मेरा कहना है कि यह उस उद्देश्य के सम्बन्ध में पहला कदम है।

महोदय, अध्यादेश द्वारा तत्काल विधायन के लिए कारणों के विवरण में कहा गया है:

"धनराशि की उसके उत्पादक कार्यों में गहन उपयोग तथा निवेश करने के लिए आवश्यकता होती है ...."

महोदय, क्या हम इस बारे में गंभीर हैं? क्या हमने अपने आर्थिक संसाधनों को उत्पादन कार्यों पर लगा रखा है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस पहलु पर विचार किया जाये। मैं पूरी तरह सरकार द्वारा उठाए गये कदमों से सहमत हूं। एक साधारण आदमी की तरह हमें अपने प्राथमिक

निवेश, उत्पादक निवेश तथा अपनी अर्थ-व्यवस्था के गैर उत्पादक पहलू के बारे में पुनर्मूल्यांकन करना है। यह बातें ही इस कालेधन का कारण हैं। कोई नहीं जनता कि कालेधन की मात्रा कितनी है परन्तु हर कोई जानता है कि हमारे समाज में समानांतर अर्थव्यवस्था है। इस बारे में कोई विवाद नहीं है।

अत: मेरा अनुरोध है कि कालेधन की वृद्धि को कोई रोक नहीं सकता। सोवियत रूस में यह नहीं किया गया है, चीन में भी यह नहीं किया गया है। अर्थव्यवस्था की किसी प्रणाली ने काले धन के विकास को रोकने का कोई तरीका नहीं निकाला है। यह हमारे समाज में निरंतर चल रहा है। परन्तु मेरा सुझाव यह है कि अभी भी समय है कि सरकार इस बारे में गम्भीर विचार करे। जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में कहा है यदि आवश्यक हो तो उचित प्रभावी, कठोर कदम उठाये जाने चाहिए। मेरा विश्वास है कि सरकार ऐसे कठोर कदम उठायेएगी और अर्थव्यवस्था एवं आम आदमी को समृद्धि प्राप्त करने में सहायता देगी।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह एक अनैतिक विधेयक है अत: मैं इसके पारित किए जाने में रुकावट के रूप में खड़ा हूं। परन्तु मैं जानता हूं कि सरकार अपने काले एवं निर्मम हाथों का उपयोग करके ऐसी रुकावटों को दूर करने में समर्थ है क्योंकि यह सरकार भ्रष्टाचार को पूरी तरह समर्थन करती है। जब मैं यह कहता हूं कि सरकार भ्रष्टाचार का समर्थन करती है तो मुझे एक घोटाले की याद आती है जिसमें शासकदल के राजनीतिज्ञों द्वारा कालाधन जमा किया गया है। उदाहरण के रूप में महोदय, मैं थाल-वैशाट हजी घोटाले का उल्लेख करना चाहता हूं। अत: मैं माननीय ज्योतिर्मय वसु द्वारा पेश किये गए इस सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूँ और इस राष्ट्र विरोधी जानता विरोधी काले विधेयक का विरोध करता हूँ। महोदय यह विधेयक सभी प्रकार के भ्रष्टाचार बेईमान तथा राष्ट्र विरोधी लोगों को प्रोत्साहन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। काला बाजारी करने वाली, मुनाफाखोरों, जमाखोरों, तस्करों, कर-अपवंचकों, तथा इस प्रकार के भ्रष्ट लोगों को, जिन्होंने कालाधन जमाकर रखा है, इससे लाभ पहुँचेगा। इसी कारण मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं। लोग समझते हैं कि सत्तारूढ़ दल के राजनीतिज्ञ इस पैसे से उन लोगों से ले लेंगे जिन्होंने गल्त तरीकों से इसको जमा किया है। इसी कारण यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक को लाने का कोई अवसर नहीं है। संसद का सत्र प्रारम्भ होने वाला था तो अध्यादेश जारी किया गया। यह विधेयक नहीं लाया जाना चाहिए था क्योंकि यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

बजट भी इस विधेयक के आधार पर तैयार किया गया है। मानलिया जाये कि उच्चतम न्यायालय इस अधिनियम को—इस विधेयक को पारित करके अधिनियम बनाया जाएगा—अवैध घोषित कर दिया गया तो क्या होगा ? सारा बजट जो मुद्रास्फीति कर रहा है बहुत अधिक मुद्रा-स्फीति कारक बन जाएगा क्योंकि कालेधन के इन बांडों से जो लोगों द्वारा बैंकों से खरीदे जायेंगे—1000 करोड़ रुपए मिलने की आशा है।

यह उम्मीद की जाती है कि 1,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। मानलिया कि उच्चतम न्यायालय अच्छे अधिक निर्णय दे देता है तो क्या स्थिति होगी ? बजट बहुत मुद्रा-स्फीति पैदा कर देगा। इस

कारण सरकार का विचार पूरी तरह से गलत है और मैं समझता हूँ कि विधेयक के द्वारा इस देश में बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा किया जाने वाला है।

मान लें कि सी० आई० ए० तथा अन्य ऐसी एजेंसियां—के० जी० बी० अथवा कोई अन्य एजेन्सी—डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को इन सभी एजेंसियों का अच्छा ज्ञान होगा—यह बांड खरीद लेती हैं। अन्त में क्या होगा ? कुछ समय के पश्चात वे हमारे राष्ट्र की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देगी। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं समझता हूँ कि इस विधेयक के कारण और कालाधन पैदा होगा। मेरे विचार से 100 रु० के करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया जाना कालेधन का पता लगाने का इससे अच्छा तरीका होगा। हमारे वित्त मंत्री समझते हैं कि यदि हमने वैसा किया तो हमारी अर्थव्यवस्था यह हो जाएगी। शायद डा० स्वामी भी ऐसा ही समझते हैं। परन्तु यह ठीक नहीं है। इससे देश को अधिक लाभ होता। इसी कारण यह एक बेहूदा और निरर्थक विधेयक है जिसके कारण अन्ततः हमारी अर्थव्यवस्था को नुक्सान पहुँचेगा। अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डांगा। आपको अपना भाषण 5 मिनट में पूरा करना होगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जब चम्बल घाटी में बहुत ज्यादा डाकू हो गये, रोज लूट-खसूट होने लगी और हम उस समस्या को हल नहीं कर पाये, तो क्रांति के अग्रदूत, जयप्रकाश बाबू, ने डाकुओं से कहा कि वे पुलिस के सामने आत्म-समर्पण कर दें। मुझे याद है कि एक दिन आया कि कई डाकुओं ने अपना धंधा छोड़ दिया और आत्म-समर्पण कर दिया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : परन्तु उनके नाम और फोटो सब के सामने थे।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : क्या उससे डकैतियां बन्द हो गईं ?

श्री मूलचन्द डागा : आज भी डाके चालू हैं।

हमारी तरफ से बोलने वाले कह रहे हैं कि यह एक रेवोल्यूशनरी कदम है। लेकिन न तो फिनांस मिनिस्टर ने और न सरकार ने यह बात कही है। कई बार इस तरह का रेगुलराइजेशन किया जा चुका है। आज जब हम लोग टू-थर्ड्ज मैजारिटी में हैं, तब हमें इस राजनैतिक मंच पर निर्णायक कदम उठाने चाहिए और क्रान्ति के नये मूल्य स्थापित करने चाहिए। यदि हमने ऐसा नहीं किया, तो यह समय वापस नहीं आयेगा और सब कुछ यथास्थिति के दामन में पड़ा रहेगा। जब जनता पार्टी का राज्य था, उस वक्त भी ऐसे कदम उठाने चाहिए थे। हिन्दुस्तान में एक बात अच्छी है।

हजारों टन गीता यहां बिक गई, रामायण बिक गई, बाइबिल बिक गई लेकिन पाव रत्ती भर भी किसी के नीचे उतरी नहीं। लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। लोग कहते हैं ब्लैक मनी, ब्लैक मनी लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह चुनाव लड़ कर जो लोग आते हैं वह क्या हलफनामा देते हैं ? "मैं हलफनामे से कहता हूं कि मैंने 35 हजार रुपया खर्च किया है।" यह वह बयान देते हैं और बड़ा अच्छा बयान यह है। तो इस की जो जड़ है वह कौन है, कहां पर है ? कोई भी सरकार आज तक रही, उस में एक गलती माननी चाहिए कि

हमारे प्रशासन करने वाले आज कल जो लोग हैं, जो सरकारी नौकर हैं उन नौकरों में सेठों में और बड़े बड़े ब्लैक मार्केटिंग करने वालों में एक सम्बन्ध रहता है। जीवन के सारे सम्बन्धों का निर्णायक यह पैसा है। इस को आप चाहे किसी रूप में देख लें। जो बड़े बड़े वकील हैं, मैं जानता हूँ उन वकीलों की क्या फीस होती है और उस में वह क्या लिखते हैं, वह तो वही जानते हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लेता लेकिन मैं कहता हूँ यह क्या है? मैं तो आज यह कह रहा हूं कि कांग्रेस को ऐसे कदम उठाने चाहिए थे जैसे अर्बन सीलिंग ऐक्ट लागू करना था और दूसरे काम करने थे जैसे अभी हमारे अराकल साहब ने कहा कि करोड़ों रुपये इनकम टैक्स के बकाया हैं, इन सारे कामों को करना था। हम जानते हैं कि कितने लोग इनकम टैक्स में छूट गए है। आप ने बड़ा अच्छा काम किया होगा लेकिन मेरे दिमाग में आज भी यह बात है कि अगर हमारे प्रशासन में भ्रष्टाचार न होता तो यह काला धन पनपने न पाता जो देश के लिए अभिशाप है, यह सब ने माना है। यह समानान्तर अर्थ-व्यवस्था है, यह भी सब ने माना है और देश को खत्म कर देगा, यह भी सब ने माना है। अगर आप यह कहते हैं कि हम ने कोई क्रान्ति का कदम उठाया है तो यह कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं है। यह तो केवल एक ऐसा कदम है कि हम कुछ रुपया, शायद एक हजार करोड़ रुपया आशा करते हैं इस से आ जायगा और कुछ थोड़ा सा काम चल जायगा, मुद्रास्फीति को रोकने में थोड़ा सा लाभ मिल जायगा।

यह जो साम, दाम दण्ड और भेद की बात वित्त मन्त्री जी कहते हैं, मैं तो उन से यह कहता हूं कि यह मौका है, आखिर तक पहुंच जाना चाहिए और जो यह काला धन है, जहां-जहां भी यह है उस को खत्म करना चाहिए। यह धीरे-धीरे उठाए गए कदम कभी कारगर नहीं होते। कदम उठाना है तो मजबूती से उठाना चाहिए और उन को खत्म करना चाहिए। ये कदम जो अधूरे मन से और अधूरे संकल्प से उठाए जाते हैं वह कभी सफल नहीं होते। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक समय है, एक अवसर है जबकि हमें इन काले धन वालों को समाप्त करना चाहिए। ये जो काला धन रखने वाले और ब्लैक मार्केटियर्स हैं इन्होंने देश को किस प्रकार से लूटा है और किस प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ा है यह आप खुद जानते हैं और कहते हैं। लेकिन उसको कहते हुए भी इस का कोई इलाज नहीं करते हैं। यह हमारे पास एक रोग है, अगर आप कहें कि उस का कोई इलाज नहीं है तो ऐसी बात नहीं है। रोग कोई भी लाइलाज नहीं हो सकता है। एवेरी रांग हैज ए रेमेडी। जहां कोई रोग होता है वहां उस का इलाज भी होता है। इस रोग का इलाज करने के लिए इस तरह की बातें मत करिए, यह कहिए कि हमें इस को मिटाना है। उस के लिए ऐसा बिल आप को लाना चाहिए था जिस से यह चीजें सारी खत्म हो जातीं। आज जितने भी कानून बनाए जाते हैं उन की क्या हालत है—मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। यह कानून और नियम जो हम बनाते हैं, उस में क्या होता है? अच्छा है लोकतन्त्र में हम एक बहस कर लेते हैं लेकिन इस बीमारी को हटाएगा कौन? अगर इस ब्लैक मनी को हटाना है तो इस की जो जड़ें हों, गहरी जड़ें उन के लिए सख्ती से कदम उठाने होंगे, तभी हम देश में लोकतांत्रिक समाजवाद ला सकते हैं।

श्री चित्र बसु (बारसाट): मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि वित्त मन्त्री न केवल आज ही बल्कि पहले भी वक्तव्य दिया है परन्तु मैं उनकी इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि काले धन का अनुपात खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है। मुझे उनसे शिकायत है कि इस बात को

स्वीकार करते हुए भी कि काले धन से किया जाने वाला धंधा खतरनाक स्थिति तक पहुँच गया है। उसे समाप्त करने हेतु उन्होंने उपयुक्त तरीका नहीं अपनाया है। वह काले धन के अभिशाप को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु उनसे मेरी शिकायत है, उन पर मेरा आरोप है कि इस तरीके से काले धन का व्यापार और अधिक बढ़ेगा तथा अधिक सुदृढ़ होगा। अत: इस नीति से काले धन से होने वाला कारोबार समाप्त नहीं होगा बल्कि इसे काले धन को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा और यह राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। इस विधेयक के वास्तविक स्वरूप को समझना है, मैं इसकी अपनी भाषा में व्याख्या करना नहीं चाहता। मैं देश के कुछ समाचार पत्रों के सम्पादकीय लेखों से उद्धरण पेश करना चाहता हूं। "काले धन के मालिकों को इससे अच्छा अवसर पहले कभी नहीं मिला"।

यह 30 जनवरी के 'टाइम्स आफ इंडिया' के सम्पादकीय लेख में की गई टिप्पणी है। मैं एक अन्य वित्तीय पत्र के विचार भी उद्धृत करना चाहता हूँ :—

"जमाखोरों, आलसाजों, चोर बजारियों और काले धन से धंधा करने वालों ने धनाढ्य होने का इससे बढ़िया तरीके या तोहफे का स्वप्न भी नही देखा होगा जो विशेष धारक बांड के रूप में इन्दिरा सरकार ने उन्हें दिया है।"

यह बिजनिस स्टैंडर्ड के सम्पादकीय में की गई टिप्पणी है। अत: ये मेरे अपने स्वयं के विचार नहीं हैं। मैं अपनी किसी नई विचारधारा के साथ उसकी आलोचना करना नहीं चाहता। इसकी उन राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने बहुत ही उचित ढंग से आलोचना की है जिनकी हमारे साथ कोई हमदर्दी नहीं है। अत: इस विधेयक का मूल उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। इस विधेयक के मूल उद्देश्य को मेरे मित्र श्री जेठमलानी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। मैं उनकी बात में यह और जोड़ना चाहता हूं कि यह बांड वास्तव में सत्ताधारी दल के लिए है। यह सत्ताधारी दल और देश के टाइकूनों और कर अपवंचकों के बीच किया गया एक समझौता है। अत: वे इस समझौते को तोड़ना नहीं चाहते। जब तक उस समझौते को वे समाप्त नहीं करते, जब तक वे काला धन समाप्त नहीं करते तब तक काले धन में वृद्धि रुक नहीं सकती। मैं चाहता हूँ कि वित्त मन्त्री काले धन से होने वाले काले व्यापार के लिए कुछ करें। परन्तु वे कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। परन्तु मैं आपको बताता हूँ कि काला धन पैदा होने के मूल कारण क्या हैं। इस सरकार द्वारा पिछले तीस वर्षों से जिन आर्थिक नीतियों, राजकोषीय नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है वे ही काले धन के पैदा होने और उसके बढ़ने और फैलने के मूल कारण हैं। आधारभूत आर्थिक और राजकोषीय नीतियाँ ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। मैं जानता हूं कि उनमें से कोई भी मेरी इस बात से सहमत नहीं होगा कि काले धन को केवल उन्हीं आर्थिक तथा राजकोषीय नीतियों से समाप्त किया जा सकता है जो एकाधिकार-विरोधी हों। परन्तु वे साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था के लिए वचनबद्ध हैं, वे एकाधिकारवादी अर्थव्यवस्था के लिए वचनबद्ध हैं, वे देश मे पूंजीवाद स्थापित करने के लिए वचनबद्ध हैं, वे भ्रष्टाचार के लिए वचनबद्ध हैं। अत: काले धन बढ़ने को वे नहीं रोक सकते। अत: जिस तरीके का अब प्रस्ताव रखा गया है उससे न तो काला धन समाप्त होगा और न ही कम या सीमित होगा बल्कि इससे काले धन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। इस बात पर बहस पहले ही हो चुकी है कि इससे काले धन को बढ़ावा कैसे मिलेगा और मैं उसकी पुनरा-

वृति नहीं करना चाहता । मैं उन लोगों का उल्लेख करना चाहता हूं जिन्हें इस विधेयक से लाभ पहुंचेगा । इस विधेयक के प्रमुख लाभभोगी वे लोग होंगे जो प्रशासनिक तंत्र या राजनीति में,उच्च स्थानों पर हैं ।

एक माननीय सदस्य : पश्चिम बंगाल में नौकरशाही के बारे में क्या विचार हैं ?

श्री चित्र बसु : पश्चिम बंगाल की नौकरशाही भी नौकरशाही है । अतः आप यह न सोचें कि एक जगह की नौकरशाही दूसरी जगह की नौकरशाही से भिन्न हैं । हम प्रायः बेवाक करने और चुकता करने के बारे में सुनते हैं । इस विधेयक में कर-व्यवस्था के अन्तर्गत लाने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है । मुझे डर है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद, कुछ मामलों में तो भ्रष्टाचार से निपटने वाला अधिनियम भी निष्प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि इस अधिनिमम से बॉड धारकों को देश के सभी कर-कानूनों से छूट मिल जाएगी । अतः भ्रष्टाचार के बहुत से मामले, बड़े लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप, कर-कानूनों की सीमा से बाहर हो जाएंगे और काले धन में और अधिक वृद्धि होगी ।

स्वैच्छिक प्रगटन योजना 1975 के अन्तर्गत घोषित की गई धनराशि की मात्रा के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि जनवरी, 1976 में श्री प्रणव मुखर्जी ने अपने वक्तव्य में बताया था कि 741 करोड़ रुपये के काले धन की घोषणा की गई है । वित्त मन्त्री का भी यही विचार है । लोक लेखा समिति के 123वें प्रतिवेदन के कुछ अंश उद्धृत करना चाहता हूं । उन्होंने टिप्पणी की है कि :—

"राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने भी साक्ष्य के दौरान इस बात को छिपाया है कि अर्थ-व्यवस्था और शुद्ध धन में वास्तविक वृद्धि 841 करोड़ रुपये नहीं है बल्कि 200 करोड़ रुपये के लगभग है ।

अतः समिति अपने इस सन्देह को व्यक्त किए बगैर नहीं रह सकती कि योजना की उपलब्धियों को जानबूझकर चार गुणा बढ़ाकर बताने का प्रयास किया गया है और इस प्रकार संसद और जनता को धोखा दिया गया है ।"

यह भी लोक लेखा समिति के 123वें प्रतिवेदन का अंश है । अतः सरकार ने इस प्रकार की स्वैच्छिक घोषणा योजना की उपलब्धियों को बढ़ाचढ़ा कर बताने का जानबूझकर प्रयास किया है । इससे पहले भी ऐसी चार योजनाएं शुरू की गई थी । यह पांचवीं योजना है । इस प्रकार की स्वैच्छिक घोषणा योजना से काला धन से किया जा रहा व्यापार समाप्त नहीं होता । इससे काले धन में हो रही वृद्धि को नहीं रोका जा सकता । इसके लिए और अधिक क्रांतिकारी उपायों की आवश्यकता है । वित्त मन्त्री सलनिष्ठ हैं ईमानदार हैं और उन्हें काले धन के बढ़ने के कारणों का पता है । मैं उनसे आशा करता हूं कि वह काले धन को बढ़ने से रोकने के लिए और अधिक विस्तृत और क्रान्तिकारी उपाय करेंगे ।

अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, मुख्यतया इस वजह से कि इससे काले धन में वृद्धि रुक नहीं सकती । मैं श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा रखे गए सांविधिक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय मेरे संसदीय जीवन के प्रारम्भिक दिनों में···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह कब की बात है ?

श्री आर वेंकटरामन : यह 1950 की बात है, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे।

महोदय, मुझे एक राष्ट्रमण्डल संसदीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ भेजा गया था और मैं एक देश में गया जहां मुझे एक स्थान पर ले जाया गया जिसे जुगनुओं की गुफा कहते हैं। इस गुफा में अत्यधिक जुगनू हीरों की तरह चमक रहे थे। उस समय मेरे साथ श्री डीफेनबेकर थे जो बाद में कनाडा के प्रधान मन्त्री बने। बाद में जब हम एक बठक में बातचीत कर रहे थे तो श्री डीफेनबेकर ने कहा : मैं ये जुगनू उधार लेना चाहता हूं क्योंकि यदि आप शोर मचाते हैं तो ये जुगनू रोशनी फैंकना बन्द कर देगे और अन्धेरा हो जाएगा। उन्होंने कहा : मैं यह जुगनू अपने सदन में ले जाना चाहता हूं और इन्हें अध्यक्ष महोदय को दे दूंगा ताकि यदि वह इन्हें सदस्य को दिखाए तो वे चुप हो जाएं। मैं उनके साथ हां में हां मिला रहा था। मैंने कहा कि मैं इन जुगनुओं को बिना ताप के रोशनी फैंकने के कारण लेना चाहता हूं।

संसद में चर्चा उन जुगनुओं की तरह होनी चाहिए जो बिना ताप के रोशनी देते हैं। यह बहुत ही साधारण सा विधेयक है।

प्रो० मधु दंडवते : प्रकाश ताप का अगला चरण है।

श्री आर० वेंकटरामन : इसलिए मैंने कहा है कि जुगनू बिना ताप के रोशनी देते हैं। यह बहुत ही साधारण विधेयक है। इस विधेयक पर भावनाओं में बहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह लेखा बाह्य धन है और बैंक प्रणाली से बाहर इस धन का परिचलन है। असली बात यह है कि बैंक प्रणाली से बाहर जो काला धन या लेखा बाह्य धन परिचलन में है उससे वस्तुओं का अभाव पैदा किया जाता है। यदि चीनी की कमी होती है तो चीनी खरीद ली जाती है और इस प्रकार और अधिक अभाव हो जाता है, यदि दालों की कमी होती है तो दालें खरीद ली जाती हैं और अभाव और अधिक बढ़ जाता है। संसाधनों की तुलना में अधिक धन के परिचालन से उत्पन्न मुद्रास्फिति की तुलना में काला धन समाज के लिए अधिक हानिकारक है। इसे समाप्त करने या इस पर नियन्त्रण पाने के लिए हमने हर सम्भव प्रयास किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1980 में तलाशियों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1979 में 2000 तलाशियां ली गई थी जबकि 1980 में 3060 तलाशियां ली गई जिनमें बहुत से बही-खाते, रिकार्ड, लेखा बाह्य धन आदि पकड़ा गया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुकदमा चलाया गया ?

श्री आर० वेंकटरामन : लेकिन इससे समस्या हल नहीं हुई।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कारण विशेष से किया गया था। यह हम जानते हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं ऐसे सभी व्यवधानों पर ध्यान नहीं दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि वे आपके अनुकूल न हो।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु की बात का अलग से उत्तर दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तब मुझे उत्तर देने का अधिकार है।

श्री आर० वेंकटरामन : बाहर बांडों को जारी करने का विचार कोई नया नहीं है। यहां तक कि संविधान सभा के समय और काम चलाऊ संसद तथा इसके बाद भी जो लोग विरोधी पक्ष में बैठते थे यह सुझाव दिया करते थे कि और इस बारे में अनेक सुझाव प्राप्त हुए थे कि इस काले धन को समाप्त करने का एक रास्ता वाहक बाण्ड जारी करना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : फ्लड गेट खोलकर।

श्री आर० वेंकटरामन : यहां तक कि वांचू समिति की रिपोर्ट में भी, जिसे बार-बार उद्धृत किया जाता है, श्री चेल्लैया ने एक नोट लिखा था—मुझे उम्मीद है कि लोगों ने इसे पढ़ा होगा—जिसमें उन्होंने पुन: कहा है कि बैंकिंग प्रणाली से परे परिचालित काले धन से निपटने तथा कुछ सीमा तक उस पर नियंत्रण करने का एक तरीका है कि वाहक बाण्ड जारी किए जायें। अत: यह कोई नई बात हमने नहीं की है, जिसे लोग इस बुराई को हल करने का तरीका न स्वीकार करें।

एक बात जो श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री जार्ज फर्नान्डीस तथा कुछ अन्य लोगों ने उठाई है कि यद्यपि आप यह कहते हैं कि आप इस स्थिति में सुधार करने के प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप काले धन की वृद्धि का रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसका क्या लाभ है। यह बहुत ही तर्कसंगत बात है।

इस विषय पर पिछली सभी रिपोर्टें, लोक लेखा समिति की रिपोर्टें तथा वांचू समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि काले धन की वृद्धि का ठीक कारण कराधान की ऊंची दर है। श्री जेठमलानी ने काफी जोर देकर कराधान की ऊंची दर का प्रभाव आज बताया है। यदि आप पिछले दो वर्षों में भी बजट प्रस्ताव को देखें वे कुछ ऐसी विचार धारा लिए हुए हैं जो प्रत्यक्ष करों को कम करते हैं। पिछले वर्ष हमने छूट की सीमा 12,000 रु० तक बढ़ाई थी। उसके साथ-साथ हमने कर की तथा अतिरिक्त कर की, जो आय-कर पर लगाया जाता है अधिकतम सीमान्त दर में 10 प्रतिशत की कमी की थी, इस प्रकार छोटे व्यक्ति से लेकर, जो आयकर देता है, 15,000 रु० से लेकर अधिकतम कर देने वाले व्यक्ति तक, जो 72 प्रतिशत कर देता है, उन्हें 10 प्रतिशत की छूट मिली है। वास्तव में, यह दर 72 प्रतिशत से घटाकर 66 प्रतिशत कर दी गई है। इस वर्ष मैंने उसी लीक पर 15,000 रु० तक आय वाले लोगों को कर से छूट दी है तथा निगमित करों में अतिरिक्त कर में मैंने 5 प्रतिशत की राहत दी है, इसे 7 प्रतिशत से घटाकर 2·5 प्रतिशत कर दिया है। आप एक ही वर्ष में सभी करों से राहत नहीं दे सकते। मुझे इस ढंग से एक-एक करके कदम बढ़ाने हैं कि मैं राजस्व की इस क्षति को अन्य साधनों से 'इस क्षति को पूरा करने हेतु इस क्षति को पूरा करने में समर्थ हो सकूं। यदि अर्थव्यवस्था में इस प्रकार कार्य होता रहा, यदि मार बढ़ता रहा, तो मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि मैं इस रियायत की इस पद्धति को इसी प्रकार से रखूंगा कि हमारे देश में अधिकतम कर देयता 60 प्रतिशत हो सके तथा सम्भवत: अधिकतम निगमित कर देयता 50 प्रतिशत हो पाए। किन्तु यह निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के

कार्य करने के ढंग पर निर्भर करता है और ऐसा करने के लिए मुझे अनेक उपाय करने होंगे तथा इस एक उपाय देश में घाटे को कम करना है, संसाधनों की उपलब्धिता में इस ढंग से वृद्धि करना कि उचित कर प्रणाली अपनाने की नीति का अनुसरण करने से राजस्व की क्षति को कम किया जा सके। कोई भी व्यक्ति यह बात नहीं कह सकता कि किसी कल्याणकारी राज्य में, जैसा कि हमारे यहां है, जहां हम निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सीय सहायता, सस्ती दर पर अनाज, सस्ता नियंत्रित कपड़ा आदि वस्तुएं हम देते हैं, और जहां 60% कर की दर लगाई जाती है। इसके विपरीत, मुझे याद है पिछले वर्ष श्री सोमनाथ चटर्जी तथा विरोधीपक्ष में अनेक मित्रों ने आयकर तथा अतिरिक्त कर में कमी किए जाने पर मेरी आलोचना की थी और कहा था—'आपने सम्पन्न लोगों को रियायतें दी हैं, जो कर दे सकते हैं।'

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप सभी लोगों को एक-साथ प्रसन्न नहीं कर सकते।

श्री आर० वेंकटरामन : मैंने केवल तर्क का उल्लेख किया है। मैं यह नहीं कहता कि प्रत्येक व्यक्ति ने ऐसा कहा था।

यहां मेरा मुद्दा यह है कि ऐसा करने के लिए, मुझे कर प्रणाली लागू करनी होगी, जिससे काला धन उत्पन्न नहीं होगा। मुझे ऐसी स्थिति तैयार करनी चाहिए जिससे नया अथवा और काला धन पैदा न हो। अतः यह कहना कि मैंने और काला धन उत्पन्न होने को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, गलत है। हम उन रास्तों पर चल रहे हैं और जो रास्ते हमने चुने हैं हम उस पर अग्रसर हैं और जैसा कि मैंने भी रास्ते बताये हैं, जिनके द्वारा हम, मैं और आगे बढ़ रहा हूं बशर्ते कि अर्थ-व्यवस्था ठीक ढंग से चले और इसका रुख अच्छा चल रहा है। अन्यथा, किसी ने मुझसे पूछा कि 'यदि उच्चतम न्यायालय इसे अस्वीकार कर दे और कहे कि आपके बाण्ड वैध नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे ?' ठीक है, हमारा पहला विकल्प कर लगाना होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : त्याग-पत्र दे देना इसका विकल्प है।

श्री आर० वेंकटरामन : तब भी आप लोगों ने बताया कि काले धन के बढ़ने से रोकना अथवा काले धन की वृद्धि को रोकने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। आपको अपनी बात पर रहना चाहिए। आप एक ही भाषण में परस्पर विरोधी बात नहीं कह सकते। आप विभिन्न भाषणों में तथा विभिन्न समय पर स्वयं परस्पर विपरीत बातें कह सकते हैं। (व्यवधान)

अब, जो दूसरा मुद्दा उठाया गया था कि इन बाण्डों से घाटे में कमी नहीं होगी क्योंकि आप इसे समर्थक ऋण धार के रूप में जारी कर सकते हैं। महोदय, रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक ऋण नीति के अन्तर्गत जारी किए गए निर्देशों के भीतर उत्पादक कार्यों के लिए इन बाण्डों को जारी किया जा सकता है। वर्तमान ऋण नीति यह है कि हम उत्पादक कार्यों के लिए सहायता प्रदान करते हैं। हम व्यापार, जमाखोरी, माल को छिपाये जाने पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाते हैं। यदि इन बाण्डों को जारी किया जा सकता है, तो 50 प्रतिशत बाण्डों के लिए यह माना जा सकता है कि रिजर्व बैंक द्वारा अपनी ऋण नीति के अन्तर्गत जारी किए गए निर्देशों की भीतर उत्पादक कार्यों के लिए ये बाण्ड दिए गए हैं। यदि अब मैं इन्हें नहीं देता, तो इनका क्या उपयोग है ? मुझे इस काले धन को जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक रूप में चल रही है, ऐसे क्षेत्र के लिए, जहां यह उत्पादक

हो सकती है तथा अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक हो सकती है, अवश्य बाहर निकालना होगा। यह अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से बाहर आएगी जिससे माल का उत्पादन हो सके तथा लाभदायक हो सके। दूसरी ओर इससे कोई उत्पादन नहीं होता यह व्यर्थ चली जाती है अथवा माल छिपा रहता है। जो मूल्य वृद्धि में सहायक होता है। यह काले धन को अस्वस्थ तथा अनुचित उपयोग से उत्पादन तथा सेवाओं के लिए लगाना ही है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस ने यह बात उठाई है कि 11 लाख निर्धारितियों को राहत आदि दिए जाने के प्रयाजन हेतु छोड़ दिया गया है। किसी घटना अथवा कृत्य के अनेक परिणाम हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि वे इसे समझते हैं। मध्यम वर्ग के लोगों को छूट देने के अनेक परिणाम निकले हैं। इसका एक परिणाम यह है कि इससे आयकर विभाग का भार हल्का होगा। आय कर विभाग बड़ी आय पर, जिसका समय की कमी के कारण अब ठीक ढंग से निर्धारण नहीं होता, ध्यान देने में समर्थ होंगे।

दूसरी बात जो उठाई गई थी वह यह थी कि अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहां मेरा बहुत ही साधारण उत्तर है। हमें वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए किसी राशि हेतु ऋण लेना चाहते थे। ऐसा करने के लिए हमें कुछ समय पहले खुद जारी करना था। यह एक कारण हुआ।

आप बिना किसी प्राधिकार के अथवा जब तक हमें अध्यादेश प्राप्त न हो जाए, बाण्ड नहीं छाप सकते, हमने बाण्डों को छापा तथा उन्हें जारी करने के लिए 2 फरवरी, 1981 से उपलब्ध कराया। ऐसा पहले किया गया था।

ऐसे सभी मामलों में जब तक आप अचानक कुछ न करें तो आपके लिए कोई कदम उठाना सम्भव नहीं होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने अब तक कितनी राशि एकत्रित की है ?

श्री आर० वेंकटरामन : 65 करोड़ रु०। प्रतिदिन 2 से 3 करोड़ रु० प्राप्त हो रहे हैं···और···

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं। किन्तु यह मामला न्यायालय में लम्बित होने के कारण मुझे पूरा विश्वास है कि हम 100 करोड़ रु० इकट्ठे करने में समर्थ होंगे। फिर भी घाटे को पूरा करने में इससे काफी मदद मिलेगी। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी यह कार्य स्वयं कर सकते हैं। वे बम्बई से चुनकर आये हैं और···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा बढ़ता हुई शहर है और उनका शहरा घटता हुआ है। यह उस शहर के लोगों की प्रगतिशीलता पर निर्भर करता है।

श्री आर० वेंकटरामन : अब मैं दो मुद्दों को लूंगा। मुझे 4 बजे से पूर्व अपनी बात समाप्त करनी है। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु तो एक जादूगर की तरह अपनी टोपी में से खरगोश निकाल कर दिखा देते हैं। (व्यवधान)—टर बर···

श्री ज्योतिर्मय बसु : 82 लाख रुपये। (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : हम सभी मानते हैं कि जादूगर तो बस कोई चालाकी कर रहा होता है। न तो कोई खरगोश होता है और न ही कोई टोपी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : खरगोश है असोसिएटिड जर्नल लेखे का वार्षिक प्रतिवेदन (व्यवधान) श्रीमती गांधी···

श्री आर० वेंकटरामन : जहां तक इस आरोप का संबंध है कि प्रधान मंत्री ने वांचू समिति के प्रतिवेदन को दबा दिया, मैं यह कहना चाहूंगा कि तत्सम्बन्धी प्रश्न वर्ष 1971 में पूछे गये थे। 25 मई, 1971 को प्रश्न पूछा गया था और उत्तर था—प्रत्यक्ष कर जांच समिति ने हाल ही में अपना अंतरिम प्रतिवेदन पेश किया है।

"(ख) और (ग) अन्तरिम प्रतिवेदन की कुछ सिफारिशों की जांच की जा रही है।"

यह उत्तर 25 मई, 1971 का है।

पुनः मामलों को उठाया गया और एक प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न 3 अगस्त 1971 को पूछा गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री, श्री यशवन्तराव चौहान ने कुछ इस प्रकार उत्तर दिया था :

"प्रत्यक्ष कर जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में एक सिफारिश यह भी थी कि सरकार को इस अचल सम्पदा के अधिग्रहण का अधिकार देने के लिए जो उन मूल्यों पर हस्तांतरण की विषय सामग्री है जो हस्तांतरण के दस्तावेजों में बताए गए मूल्यों से मेल खाते हैं, के लिए आयकर अधिनियम म संशोधन किया जाय।"

अर्थात् दिए गए झूठे मूल्यांकन पर किसी वस्तु को खरीदना।

"इस उद्देश्य से आय-कर अधिनियम में संशोधन का एक विधेयक लोक सभा के चालू सत्र के दौरान पुरःस्थापित किए जाने की सम्भावना है।"

फिर आगे कहा गया है—

"अन्य सिफारिशें विमुद्रीकरण और अन्य सम्बद्ध मामलों से सम्बन्धित है। इस पर, कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।"

इसलिए मामले को दबाने का प्रश्न कहां है ? प्रश्न का उत्तर दिया गया था।

श्री ज्योतिमय बसु : मैं आपको सन्तुष्ट करूंगा।

श्री आर० वेंकटरामन : यह ऐसा है कि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई···(व्यवधान) वे कहते हैं कि उन्हें रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। किसी भी सरकार को रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अन्तरिम रिपोर्ट स्वीकार नहीं की गई थी। रिपोर्ट स्वीकार न करने के लिए आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। आप कहते हैं, इसे अवश्य ही

स्वीकार किया जाना चाहिए था। इसका निर्णय सरकार करती है कि वह इसे स्वीकार करे अथवा न करे। यह आरोप नहीं लगाया जा सकता। आप यह नहीं कह सकते कि उन्होंने रिपोर्ट को केवल इस लिए दबाया है क्योंकि उन्होंने सिफारिशें स्वीकार नहीं की हैं।

नेशनल हैरल्ड के बारे में भी इसी प्रकार का आरोप है। वास्तव में जो हुआ वह यह है कि उन्होंने कुछ नहीं छिपाया। नेशनल हैरल्ड ने आय-कर अधिकारियों को बताया कि यह वाणिज्यिक आय है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : और स्रोत क्या हैं ?

श्री आर० वेंकटरामन : उन्होंने कहा है कि वाणिज्यिक आय है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पढ़ कर सुनाऊंगा।

श्री आर० वेंकटरामन : यह उन कुछ दुर्लभ अवसरों में से एक होगा जिसपर आप को मेरे बाद उत्तर देने का अधिकार है।

श्री आर० वेंकटरामन : आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आप सदैव इतने उद्विग्न रहते हैं कि आप अपने आप पर कुछ मिनटों के लिए भी काबू नहीं रख सकते।

इस पर, आय-कर अधिकारियों ने कहा है, "नहीं, यह ऐसी आय है कि अभी घोषणा नहीं की गई है।" उन्होंने अपील की और अपीलीय आयुक्त ने इस तर्क को स्वीकार किया कि ये व्यापार से आय है। इसलिए, आप अपने को छोड़कर विश्व के प्रत्येक व्यक्ति से चुनौती अथवा प्रश्न नहीं पूछ सकते। मैं बहुत कटु बातें नहीं कहता चाहता। यह बहुत ही गलत है। आप कहते हैं कि आय कर अधिकारी बुरा है; वह व्यक्ति बुरा है; कोई भी व्यक्ति जो आप से सहमत नहीं है वह बुरा है। ऐसे तो सरकार किस प्रकार कार्य कर सकती है ? मैं एक आयकर अधिकारी नहीं हूं। वहां एक अपीलीय अधिकारी भी है। आयकर अपीलीय प्रधिकरण इसे व्यापार की आय स्वीकार करते हैं। फिर नेशनल हैरल्ड द्वारा उठाए गए तर्क स्वीकार कर लिए गए थे। इसमें रहस्य क्या है। इसलिए इसमें कोई रहस्य नहीं है।

इसके साथ ही मुझे यह भी मानना होगा कि यह ऐसा नहीं है कि मैं सदन तथा माननीय सदस्यों की भावनाओं से पूर्णतः जानकार नहीं हूं। मैं यह नहीं कहता कि इस विधेयक को समानता अथवा नैतिक आधार पर पूर्णतः न्यायोचित ठहराया जा सकता है। परन्तु यह देश की परिस्थियों को देखते हुए, एक बहुत ही विकट आर्थिक स्थिति और समस्या जिसका सामना वित्त मंत्री को करना होता है, अर्थव्यवस्था में परिसमापन को किसी न किसी रूप में नियन्त्रित करने के प्रयास और इसका कुछ न कुछ समाधान निकालने की आवश्यकता ने मुझे ऐसा कदम उठाने के लिए वाध्य किया है। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो हुआ होता ? आप कहते हैं कि इस धन को बांडों में परिवर्तित करना पाप है। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मैं पाप का भागीदार बनता। इस धन का किसी भी अन्य प्रकार से उपयोग नहीं किया जाएगा। यह इसी प्रकार से जिस प्रकार यह कार्य कर रहा है, कार्य करता रहेगा। यह विनाश करता रहेगा। आप इस प्रकार की स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। यदि आप कहते हैं, कि यह आप का निष्पादन है, तो, जब आप सत्ता में आएं उस समय आप इस प्रकार के जीवन का चयन करें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सी० आई० ए० और के० जी० बी० ने बाजार में संकट उत्पन्न कर दिया है।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों की परवाह नहीं करता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह बहुत ही रोचक है। सबसे पहले मैं नेशनल हैरल्ड पर चर्चा करूंगा क्योंकि मैं वास्तव में यह आशा नहीं करता कि वह वास्तव में मेरे जाल में आ जाएगा। यदि आप कृपया दूसरे सदन के अल्पसूचना प्रश्न संख्या 2 की ओर ध्यान दें, जिसका उत्तर इस प्रकार से है :

"1974-75 और 1976-77 के बीच विविध प्राप्तियां 35 से 50 लाख रुपये तक की हुईं जिनके बारे में इस प्रकार की प्राप्तियों का स्रोत उपलब्ध नहीं हैं।"

उपलब्ध नहीं है। यह स्पष्ट कहता है। वह क्या धन है जो आपके नियन्त्रण में है ? वह काला धन है। इसीलिए उसके स्रोतों को बताया नहीं जा सकता। अब मैं उस दस्तावेज की बात करता हूं। समान्यता; हम एसोसिएटेड जरनल्स लिमिटेड, लखनऊ के लेखों की वार्षिक रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं। यदि आप उस पृष्ठ को देखें, उस उचित पृष्ट को, आप देखेंगे कि···

श्री आर० वेंकटरामन : क्या आप इस बात को मानने से इन्कार करते हैं कि अपीलीय आयुक्त, आय-कर आयुक्त ने नेशनल हैरल्ड की स्टेटमेंट कि यह व्यापार से आय है को स्वीकार किया है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : अपीलीय सहायक आयुक्त पर बिना कोई इल्जाम लगाते हुए, मैं कह सकता हूं कि देश में ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसमें 1977 और 1979 के बीच की अवधि के अतिरिक्त सरकार के खिलाफ कहने का साहस किया हो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप एसोसिएटिड जर्नल्स मिसलेनियस रिसीट्स। वित्त मंत्री महोदय आप देखते हैं कि यह बहुत ही दिलचस्प है।

श्री आर० वेंकटरामन : आप जानते हैं कि अपीलीय प्राधिकरण ने विचार व्यक्त किए हैं कि प्रस्तुत किए गए सभी तर्क युक्ति-संगत नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह काला धन है इस को सिद्ध करने का उत्तरदायित्व मैं अपने अपने ऊपर लेता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : किसी बात को करने का यह तरीका नहीं है। (व्यवधान) मुद्दा यह है कि अपीलीय प्राधिकरण सहमत है, हम नहीं जानते। (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : किस तारीख पर (व्यवधान) श्रीमती इंदिरा गांधी का विरोध कौन करेगा ? क्या किसी अधिकारी में इतना साहस है ? (व्यवधान)

श्री आर० वेंकटरामन : यदि वे सरकार के किसी अधिकारी पर संदेह करते हैं तो मैं उन पर भी सन्देह व्यक्त करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस धन का जिक्र कर रहा हूं (व्यवधान)। इसे स्वीकार करें। मैं इसे सिद्ध कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, 31 मार्च, 1977 तक अर्थात् जिस समय पिछली सरकार का पतन हुआ लगभग उस समय तक प्राप्तियां 14,88,000/- रुपये थी। अब आप कृपया तमाशा देखें। 1-4-1976 से 31-3-1977 तक यानी कि जब वे सत्ता में नहीं थे, तो वह राशि कम होकर 74,800/- रुपये रह गई। यह सारा काला धन ही है जो नेशनल हैरल्ड में गया है। यह 100/- रुपये शुरु हुआ। उनके विज्ञापन के अनुसार, वे कहते हैं कि कि उनकी सम्पत्ति का बाजार मूल्य 3 करोड़ रुपये है। यह 21 नवम्बर, 1977 की बात है। इसलिए मैं तर्क में नहीं पड़ना चाहता। आप कृपया इसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करे। नेशनल हैरल्ड का धन और कुछ नहीं केवल काला धन है जो लेखा पुस्तकों में दर्शाया गया है। अब मैं कहता हूं···

श्री आर० वेंकटरामन : मैं इस से इन्कार करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इनकार करते रहें। परन्तु इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आइये हम इस पर वाद-विवाद करवा लें। अब, वित्त मंत्री महोदय जिनके प्रति मेरे मन में वास्तविक आदर है। मैं पाखण्डी नहीं हूं। मैं दिखावा नहीं करता। मैं उन्हें कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं यह नहीं चाहता कि वे मेरे प्रति दुर्भावना रखें। मैं वित्त मंत्री महोदय आप को विश्वास दिलाता हूं।

प्रातः आप ने सोचा कि आप मेरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैं इसे नहीं समझा। विमान पत्तनों और बन्दरगाहों पर, सीमाशुल्क कर्मचारियों के पास उन वस्तुओं की एक सूची होती है जिनका वैयक्तिक समान अथवा अन्य सामान के रूप में निर्यात नहीं किया जा सकता, उनका निकाल लिया जाता है। क्या यह सच है कि नहीं ? अब, क्या यह सूची में है अथवा नहीं, सीमाशुल्क अधिकारियों को एक कार्यकारी के आदेश के अन्तर्गत, उन्हें स्पष्टतः बताया गया है कि आप एक निश्चित सीमा से अधिक भारतीय मुद्रा को देश से बाहर नहीं ले जा सकते। वह सीमा क्या है ? आप विमान पत्तन पर केवल 3 पौंड अथवा 5 पौंड खरीद सकते हैं। मैंने सीमाशुल्क अधिकारी से परामर्श किया है। केवल इसलिए मैं साहस के साथ कहता हूं कि वाहक बन्धपत्र उस प्रतिबन्ध सूची में शामिल नहीं हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं पुनः पूछता हूं। क्या आपको यह उत्तर नहीं दिया गया ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : उत्तर पढ़ने के पश्चात, मैंने इसकी जांच की।

श्री आर० वेंकटारामन : तो आप यह कहते हैं कि उत्तर गलत था ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : नहीं, मैं कह रहा हूं मैंने पूछा है···

श्री आर० वेंकटरामन : आप क्या कह रहे हैं ? मैं क्षमा चाहूंगा। आप अपने दिल की बात करते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप वास्तव में कभी-कभी रास्ते सेभटक जाते हैं। (व्यवधान) आपके अपने चेले हैं, हल्ला दल है। उनका यह योगदान है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वित्त मंत्री महोदय प्रश्न पढ़ने के पश्चात, मैं कुछ सीमाशुल्क अधिकारियों से मिला, मैंने पूछा यदि मैं वाहक बन्धपत्रों का एक बण्डल ले जाऊं, तो क्या आप मुझे वह अधिकार अथवा सरकार का आदेश दिखा सकते हैं जिसके अन्तर्गत आप मुझे वह बण्डल बाहर ले जाने से रोक सकें ?" और उन्होंने कहा, "नहीं, महोदय", यह उत्तर था। (व्यवधान) मुझे आपसे अथवा श्रीमती गांधी से वाहक बंधपत्र उधार लेने पड़ेंगे क्योंकि नेशनल हैरल्ड वाहक बंधपत्र खरीद रहा होगा।

इसलिए, वित्तमंत्री महोदय, प्रातः आपने जो कुछ कहा उससे चतुराई का आभास होता है परन्तु उसके सार का अभाव है। यह ठीक नहीं है। फिर आपने कहा है···

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मंत्री महोदय के वक्तव्य पर विश्वास नहीं है परन्तु आपको सीमा-शुल्क अधिकारी के वक्तव्य पर विश्वास है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अभास हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि आप को बात की जानकारी हो तो मैं अवश्य ही आप से बात करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल महसूस किया है; मैं आपसे उत्तर देने के लिए नहीं कह रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वित्त मन्त्री महोदय, दूसरी बात जो मैंने आप से पूछी थी वह यह थी, "आपने विश्व में इन बन्ध-पत्रों की बिक्री के लिए इन्हें विदेशों में क्यों उपलब्ध कराया ? आप उन्हें विदेशी मुद्रा के बदले में क्यों बेचना चाहते हैं ?" इसका क्या उत्तर है ? इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। वित्त मन्त्री महोदय मैं आपको बता दूं कम से कम शैतान को उसकी देयता तो दें ; लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष के नाते मैंने बहुत सिर खपाया है।

एकबार भी यदि आप विदेशी मुद्रा को इस देश से बाहर जाने की अथवा देश में लाने की अनुमति दे देते हैं, तो इसका चलन अपने स्वाभाविक रूप में शुरू हो जाएगा, फिर आप इसे रोक नहीं सकते।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आज के सन्दर्भ में यह बात असंगत है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपको बताता हूँ, यह धनराशि यदि इसे विदेशी मुद्रा के रूप में लाया गया, चक्रवृद्धि ब्याज सहित देश से बाहर चली जाएगी और इस बीच तस्करों के माध्यम से इसका बीसों बार हेर-फेर होगा और इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। इसलिए इस बात का मैंने संक्षिप्त रूप में हवाला दिया है। लेकिन इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि इसे विदेशों में बेचने के बारे में क्यों कार्यवाही की गई।

श्री जार्ज फर्नान्डीस ने काले-धन के उत्पादन के क्षेत्र के बारे में बताया। मेरे दोस्त हॉलांकि वे उद्योग मंत्री थे, एक चीज बताना भूल गए। उत्पादन लागत में वृद्धि और बिक्री राजस्व में कमी होना इसका मूल क्षेत्र है। इसके अन्य भी क्षेत्र हैं, लेकिन यह मूल क्षेत्र है। वित्त-मंत्री महोदय, मैंने आज सुबह एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्मारिका, 10 करोड रुपए, 12 करोड रुपये की धनराशि का उसके द्वारा जमा किया जाना उस धन का क्या रंग है? आपको और आपकी सरकार को एक पत्र लिखा था, सरकार को एक पत्र भेजा गया था। उस मामले में क्या जांच की गई? उस बारे में आपने क्या कार्यवाही की? आप उसे हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि उस में सभी बड़े-बड़े चन्दा देने वाले व्यक्तियों के नाम हैं। यदि आप हाथ लगा बैठे, तो आपका भविष्य शुष्क हो जाएगा। अतः कालेधन पर अंकुश लगाने संबंधी आपकी बातें और कुछ न होकर केवल एक ढोंग, यह कहते हुए, श्री वेंकटरामन, मुझे अफसोस है।

मैं श्री वेंकटरामन के दर्शन के बारे में कुछ जानता हूं। उन्हें अपना दर्शन रखने का अधिकार है। उनका दर्शन स्वतन्त्र उद्यम के फोरम का दर्शन है। श्री वेंकटरामन का दर्शन स्वतंत्र उद्यम के फोरम का दर्शन है। वे यह नहीं समझते कि स्वतन्त्र उद्यम के फोरम का अर्थ लूट की स्वतन्त्रता, शोषण की स्वतंत्रता और लाभ कमाने की स्वतंत्रता प्रदान करना है। वे कहते हैं कि यह एक मामूली विधेयक है। लेकिन श्री वेंकटरामन यह 'मामूली' किनके लिए है? यह लोगों की उस श्रेणी के लिए मामूली है. जिनकी आज, आपके नेता खिदमत कर रहे हैं, आपका दल खिदमत कर रहा है। यह उनके लिए मामूली है, अच्छा है।

अब वे कमियों की बात जोर-शोर से कर रहे हैं। वे इससे कैसे बच सकते हैं, जबकि उन्होंने अग्रिम 'ओवर ड्राफ्ट' प्रदान कर दिए हैं, जबकि उन्होंने इन बांडों के समर्थक ऋणाधार के बदले में बैंकों को 'ओवर-ड्राफ्ट' प्रदान करने सम्बन्धी अनुमति दे दी है? आप उसे कैसे रोक सकते हैं। सीमेंट निर्माता क्या आज कालाबाजारी नहीं कर रहे हैं? क्या चीनी-उत्पादन-कर्ता आज कालाबाजारी नहीं कर रहे हैं? क्या कागज-निर्माता आज कालाबाजारी नहीं कर रहे? आप उन्हें इन धारक बांडों के कालेधन के बदले में उत्पादन के लिए ऋण दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि आप बाजार से फालतू धन खींच रहे हैं। कैसा मजाक है यह, श्री वेंकटरामन आप किसी प्राथमिक विद्यालय में जाकर बच्चों को बहकाने का प्रयास कीजिए, न कि यहां चाहे जिसको आप बहकाने का प्रयास करें।

धारक बांडों के विचार का वांचू समिति द्वारा भली-भांति विश्लेषण किया गया था और उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी दी थी। उनकी रिपोर्ट क्या थी? मैंने सुबह उसके उद्धरण दिए थे। समिति धारक बांडों के एकदम खिलाफ थी। क्या ऐसा नहीं था? तब भी आपने अपनी मर्जी की थी।

श्री वेंकटरामन में आपसे कुछ सीखना चाहूंगा। धारक बांड और मान्य-सिक्के में क्या अन्तर है? कृपया आप बताएं कि क्या अन्तर है।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री जेठमलानी उनकी मदद क्यों नहीं करते? आप एक ही पक्ष में है। आप कुछ सीखना चाहते हैं? कृपया बैठ जाइए। मैं आपको बताता हूं ....

मान्य सिक्के को हर व्यक्ति द्वारा स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन धारक बांड को हर व्यक्ति द्वारा स्वीकार करना जरूरी नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मान्य सिक्का ··· हो सकता है।

श्री आर० वेंकटरामन : अवश्य होता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तो ऐसा है कि मान्य सिक्का काला-बाजारियों के पास जा रहा है और धारक बांड केवल अपराधियों के पास जा सकता है। यह अन्तर है। मैं समझा। मैं इससे सहमत हूं। मैं इसके बारे में जान गया। अतः यह कालेधन की वृद्धि को नहीं रोकेगा, बल्कि यह कालेधन को और बढ़ाएगा, जैसा कि मैंने चीनी, कागज और सीमेंट आदि के उदाहरण दिए हैं।

आपने छूट की सीमा 15,000/- रुपये तक बढ़ा दी है। श्री वेंकटरामन, मैं जानता हूं कि आप योजना आयोग के सदस्य थे। आप अर्थ-शास्त्र को न केवल अच्छी तरह समझते हैं बल्कि मुझ से बेहतर समझते हैं। मैं तो इसे बिल्कुल नहीं समझता। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता भारतीय रुपये की क्रय-शक्ति उस समय क्या थी जब निम्नतम देय-कर सीमा अर्थात् निचली सीमा निर्धारित की गई थी ? और आज भारतीय रुपये की क्रय-शक्ति क्या है ? क्या आपने कोई राहत दी है ? अपने आम आदमी को कोई राहत नहीं पहुंचाई है।

श्री वेंकटरामन को यह समझ लेना चाहिए कि जब तक यह पूंजीवादी प्रणाली कायम है, तब तक आपको कालेधन के साथ रहना पड़ेगा और जहां केवल लाभ कमाना ही एक उद्देश्य हो, आप कालेधन को समाप्त नहीं कर सकते और यदि आप कालेधन को समाप्त कर देते हैं, तो श्री वेंकटरामन, आपके नेता और आपके सब साथी-साथी इस सभा से गायब हो जाएंगे। आपको यह पक्का विश्वास होना चाहिए। आप बिल्कुल गायब हो जाएंगे।

आप कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। श्री वेंकटरामन, यदि आप अपने अन्तःकरण को साफ रखते हुए और यह बात भूलकर कि आप वित्त मंत्री हैं, बजट का विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि आप शिक्षा पर कितना खर्च कर रहे हैं और स्वास्थ्य पर कितना खर्च कर रहे है। अब भी, सी० जी० एच० एस० औषधालयों में कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। इस समय तक उनके बजट की सारी, धनराशि खर्च हो चुकी है। औषधालयों की बात छोड़ दें, स्कूलों आदि की भी क्या स्थिति है ? वित्त मन्त्री हमें शेख-चिल्ली की दुनिया में रखना चाहते हैं, लेकिन हम सभी वहाँ रहने के लिए सहमत नहीं हैं।

मैं अब केवल रिपोर्ट के दबाने के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। उसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। सभा के समक्ष कैसी आधारहीन वस्तु प्रस्तुत की गई थी—श्री वेंकटरामन आपने इस सभा का मनमाना फायदा उठाया। मुझे यह कहते हुए खेद है। महोदय, मैं 17 मई, 1972 के लोकसभा के वाद-विवाद का हवाला देते हुए बताता हूं ····

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : इसे अस्वीकार किया जा चुका है, महोदय, उस दिन, सन् 1972 में, मैं भी सभा में उपस्थित था—आपने यह मामला उठाया था और इसे अस्वीकार कर दिया गया था और फिर यहां उसी की पुनरावृत्ति हो रही।

उपाध्यक्ष महोदय: आप दोनों एक ही स्थान पर हैं।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) : अन्तर केवल इतना है कि जहां श्री ज्योतिर्मय बसु उसी दल में है, श्री लाकप्पा उसी दल में नहीं हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम पुराने मित्र हैं।

17 मई, 1972 का लोकसभा का वाद-विवाद। तिरु वेंकटरामन, मैं आपसे निवेदन करता हूं। जो कुछ इस नाचीज ने कहा था, वह यह है :

"**श्री ज्योतिर्मय बसु** : इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट आपने प्रकाशित भी नहीं की। आपने यह कहते हुए अन्तरिम रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की, कि ये सिफारिशें हैं। दाल में कुछ काला लागता है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (तत्कालीन वित्त मन्त्री) : आपने कभी प्रशासन नहीं चलाया है। इसलिए आप नहीं जानते।

ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती। यदि इनकी क्रियान्विति भी करनी होती है, तो भी इस तरह उनकी घोषणा नहीं की जाती। क्या वर्ष 1971 में, जब देश युद्ध में संलग्न था, आप उसकी आशा करते हैं ....

तब मैंने हस्तक्षेप किया :

"**श्री ज्योतिर्मय बसु** : 7 दिसम्बर को आपने उन पर रिपोर्ट प्रकाशित न करने के लिए दबाव डाला था।"

उत्तर यह था :

"**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जब देश आपातकाल के संकट के दौर से गुजर रहा है, आप विमुद्रीकरण चाहते हैं और अपने देश की मुद्रा में ही अविश्वास उत्पन्न करना चाहते हैं ?"

"इसे कोई हद दर्जे की बचकाना बात ही समझेगा।" यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि अन्तरिम रिपोर्ट दबाई गई थी।

मैं इसके आगे और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस घातक विधेयक का विरोध करता हूं और पूर्णत: विरोध करता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : श्री बसु अवश्य ही स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे कई बार तिरुपति के देवता कह कर पुकारा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप पहले अपना टिकट खरीद लीजिए।

———

गेहूँ और जौ के वसूली मूल्य के बारे में वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदय : राव बीरेन्द्रसिंह गेहूं और जौ के वसूली मूल्य के बारे में एक वक्तव्य देंगे ।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (राव बीरेन्द्रसिंह) महोदय, मैं वर्ष 1980-81 से सम्बन्धित गेहूं और जौ की मूल्य नीति के बारे में सरकार द्वारा लिए गए निम्नलिखित निर्णय की घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब वे 4.00 बजे वक्तव्य देंगे । कृपया जरा सुनें । मेरा ख्याल है कि यह घोषित हो चुका है कि मन्त्री महोदय वक्तव्य देंगे । (व्यवधान)

कृपया बैठ जाइए । मैं उनसे वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं ।

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए । इसकी पहले ही सबको सूचना दी जा चुकी है ।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : मेरा रेजोलूशन भी 4 बजे है और इनका स्टेटमेंट भी 4 बजे है यह कैसे होगा ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी पहले ही सूचना दी जा चुकी है कि वे 4 बजे वक्तव्य देंगे । कृपया आप बैठ जाइए ।

राव बीरेन्द्रसिंह : मैं वर्ष 1980-81 के फसल के मौसम से सम्बन्धित गेहूं और जौ की मूल्य नीति के बारे में सरकार द्वारा लिए गए निम्नलिखित निर्णयों की घोषणा करता हूं :—

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : केवल मन्त्री महोदय का वक्तव्य ही कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा । मंत्री महोदय के वक्तव्य के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

राव बीरेन्द्रसिंह : (एक) गेहूं का वसूली मूल्य जो गत वर्ष 117 रुपये प्रति क्विन्टल था इस वर्ष बढ़ा कर 130 रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया गया है । यह गत वर्ष अदा किए गए मूल्य पर प्रति क्विन्टल 13 रुपये की कुल वृद्धि बनती है और कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गए मूल्य से 3 रुपए प्रति क्विन्टल अधिक है ।

(दो) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं का निर्गम मूल्य 1 अप्रैल, 198. से 130 रुपए प्रति क्विन्टल से बढ़ाकर 145 रुपये क्विन्टल कर दिया जाएगा ।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(तीन) रोलर फ्लोर मिलों के लिए निर्गम मूल्य 1 अप्रैल, 1981 से 155 रुपये प्रति क्विन्टल किया जाएगा ।

(चार) समूचे देश में गेहूं सहित खाद्यान्नों की निर्बाध ढुलाई की वर्तमान नीति जारी रहेगी । तथापि, गेहूं की वसूली बढ़ाने के लिए, यदि आवश्यक हुआ तो, सरकार व्यक्तियों पर लेवी लगायेगी ।

(पांच) जहां तक जौ का सम्बन्ध है, कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये प्रति क्विन्टल 85 रुपये के समर्थन मूल्य की तुलना में समर्थन मूल्य 105 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किया गया है ।

विशेष वाहक बन्धपत्र (उन्मुक्ति तथा छूट) अध्यादेश, 1981 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

विशेष वाहक बन्धपत्र (उन्मुक्ति तथा छूट) विधेयक—जारी

श्री भीष्म नारायणसिंह : अब आपको विशेष वाहक बन्धपत्र विधेयक को सभा के मतदान लिए रखना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सांविधिक संकल्प को सभा मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी, 1981 को प्रख्यापित विशेष वाहक बन्धपत्र (उन्मुक्ति तथा छूट) आध्यादेश, 1981 (1981 का अध्यादेश संख्या ।) का निरनुमोदन करती है ।"

(प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूं, एक संशोधन है जिसे निपटाना है ।

मैं श्री टी० आर० शमन्ना से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इसे वापस ले रहे हैं ।

श्री टी० आर० शमन्ना : जी नहीं । मैं बोलना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आज बोल नहीं सकते हैं । आप खंडों पर बोल सकते हैं, अभी नहीं । मैं संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन 1 संख्या मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चार बज चुके हैं, क्या गुजरात का भाषण नहीं लिया जायेगा ? (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : गुजरात के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा चार बजे आरम्भ की जाती है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे पूरा करना चाहता हूं मैं सभा का विचार जानना चाहता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या आप सदन को इस तरह से चलाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आप सभी बैठ जाइये। मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं। कृपया उनको अपनी बात कहने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री भीष्म नारायणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण हैं अत: मैं चाहता हूं कि इस पर कोई दो राय या विवाद न हो। चूंकि हम वाहक बन्धपत्र पर काफी चर्चा कर चुके हैं इसलिए यह जारी रहना चाहिए थी और इस पर मतदान होना चाहिए था। परन्तु मैं यह नहीं चाहता। यह मामला महत्वपूर्ण हैं और आप इस पर चर्चा स्थगित करके गुजरात के बारे में प्रस्ताव को ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गुजरात के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। श्री रामविलास पासवान ···

— — —

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये नौकरियों के आरक्षण के सम्बन्ध में आलोचना और प्रदर्शनों से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गुजरात, राजस्थान, और देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये नौकरियों के आरक्षण के विरुद्ध आन्दोलन और हिंसात्मक प्रदर्शनों से उत्पन्न स्थिति पर चिन्ता व्यक्त करती है।"

उपाध्यक्ष जी,··· (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह पता लग रहा है कि लोगों को इस से कितनी हमदर्दी है।

एक माननीय सदस्य : हमको बहुत हमदर्दी है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपको हम से ज्यादा नहीं होगी।

श्री राम विलास पासवान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन काफी चर्चा हुई, मैं चाहूंगा कि आज जो चर्चा हो, उसमें कोई नतीजा निकले और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से समस्या के समाधान के लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है, इस पर विचार करें। सरकार से भी आग्रह है कि इस विषय को वह गम्भीरता से ले और सरकार और गृह मन्त्री महोदय द्वारा जो कुछ कहा जाए, वह बड़ी गम्भीरता से कहा जाए। यह नहीं होना चाहिए कि 193 के तहत मौका मिल जाए और दूसरे दिन अखबारों में आ जाए कि गृह मन्त्री महोदय ने यह कहा और फिर इसके बाद फिर मर्ज बढ़ता ही जाए और हाउस में हंगामा हो कि इस पर फिर डिस्कशन होना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार बहुत ही गंभीरता से जवाब दे और गंभीरता से इस विषय को ले।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ, जितने भी माननीय सदस्य यहां पर हैं, उन्हें मालूम है कि उस समय अंग्रेजों द्वारा "डिवाइड एण्ड रूल" की पालिसी चलाई गई थी। उस समय अंग्रेजों द्वारा कमजोर वर्गों के दिमाग में यह चीज भर दी गई थी, हरिजन आदिवासी और दलित वर्गों के लोगों के दिमाग में यह चीज बैठाने की कोशिश की गई थी कि यह देश तुम्हारा नहीं है और अगर तुम इस देश में रहोगे तो तुम्हारे जान-माल की सुरक्षा नहीं रहेगी। इसलिए तुम इस देश से अलग हो जाओ। आपको मालूम है कि उस समय ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि महात्मा गांधी जी को आमरण अनशन पर जाना पड़ा था और उन्होंने पूरे हिन्दुस्तान की जनता की तरफ से, हिन्दुओं और सवर्णों की तरफ से अछूतों को विश्वास दिलाया था कि तुम्हारे अधिकार सुरक्षित हैं और इस देश में तुम्हें समान अधिकार दिए जाएंगे। हरिजन-आदिवासी, अल्प संख्यकों और कमजोर वर्गों के लोगों को पूरे अधिकार रहेंगे और उपाध्यक्ष महोदय, यही कारण है कि हरिजन-आदिवासी और कमजोर वर्गों के अधिकारों को न सिर्फ कांस्टीट्यूशन में रखा गया बल्कि इन्हें मौलिक अधिकारों में भी रखा गया। आप मौलिक अधिकार में कांस्टीट्यूशन की धारा 15(4) में देखिए, जिसमें कहा गया है कि—

इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की किसी बात से राज्य को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्हीं नागरिक वर्गों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई विशेष उपबन्ध करने में बाधा न होगी।

इतना ही नहीं, आगे 16(4) में पढ़िए—

इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई बाधा न होगी।

छुआछूत की भावना के सम्बन्ध में डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ स्टेट पालिसी में ही नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों में भी लिखा गया है कि—

'अस्पृश्यता' का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया

जाता है। 'अस्पृश्यता' से अपनी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें कंस्टीट्यूशन में कही गई हैं। इसके बाद आप देखिए क्लाज 46 में कहा गया है कि—

राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें कंस्टीट्यूशन में इसलिए कही गई थीं कि जो करोड़ों लोग सदियों से शोषित रहे, पीड़ित रहे, जिनके साथ अन्याय होता रहा था, उनको विश्वास दिलाया जा सके कि हिन्दुस्तान तुम्हारा है। तुम्हारा भी इस देश पर अधिकार है। अब तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया जा सकेगा और तुम्हारा शोषण नहीं किया जा सकेगा। तुम्हारा उत्पीड़न अब नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि आजादी के 32 वर्ष के बाद भी जब हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है तो यह मामला भी उसके साथ साथ चल रहा है, गुजरात का आन्दोलन भी चल रहा है और हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर न केवल अत्याचार बल्कि घिनौने अत्याचार हो रहे हैं और इस तरह के अत्याचारों की मिसाल आपको संसार के किसी अन्य देश में सुनने या देखने को नहीं मिलती है। जो गारंटी संविधान में हम लोगों को दी गई थी क्या देश के राज नेताओं द्वारा उसका इम्प्लीमेंटेशन सही रूप में हो रहा है या फिर हम पुनः पीछे की ओर जा रहे हैं, यह सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। बहुत ही खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे यहां महाराष्ट्र के लोग आए हुए हैं, गुजरात के लोग आए हुए हैं और यह कहा जा रहा है कि होली के दिन प्लान बन रहा है और खून की होली खेली जाएगी, हरिजन परिवारों में से एक एक हरिजन को उस दिन मार दिया जाएगा। इसको आप कल्पना मात्र न समझें। उस दिन भी मैंने गृह मन्त्री जी से कहा था और उनके नालेज में मैं इसको लाना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि हमारे यहां भी सारी तैयारियां रिजर्वेशन के खिलाफ चल रही हैं। जब इस तरह की बात आजादी के 32 साल के बाद भी देखने और सुनने को मिलती है तो हमें समझ नहीं आता कि हम लोग कहां हैं। गाड़ी में गार्ड होता है जिसके हाथ में हरी और लाल दोनों प्रकार की झंडियां होती हैं और जब वह हरी झंडी दिखाता है तो गाड़ी खुल जाती है और जब लाल दिखाता है तो गाड़ी रुक जाती है। उसी तरह से हम लोग भी एक डिब्बे में सवार हैं और हरी और लाल झंडी दिखाई जाती है और कभी गाड़ी रुक जाती है और कभी चलने लग जाती है। गृह मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इसको वह गम्भीरता से लें।

हमारे खिलाफ तर्क दिया जाता है कि इनके पास कार्य क्षमता नहीं है, ये योग्य नहीं हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ती है। प्रधान मन्त्री जी ने उस दिन राज्य सभा में

एक जवाब दिया था जिस के सम्बन्ध में हमारे एक साथी ने सवाल उठाया था और गृह मन्त्री जी ने सफाई दी थी। तब हम लोगों को लग भी रहा था कि प्रधान मन्त्री का उस में कोई बुरा इंटेंशन नहीं है और प्रधान मन्त्री जी सही रूप में चाहती हैं कि हरिजनों, आदिवासियों और कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान हो। लेकिन प्रधान मन्त्री जी ने जो वक्तव्य लायजं कान्फ्रेंस में दिया उस का कुछ अंश मैं पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों चीजों को एक साथ कैसे ले कर चला जा सकता है :

"साथ ही श्रीमती गांधी ने कहा कि इस नीति के कारण वास्तविक योग्यता वाले व्यक्तियों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिये।"

इसके बाद स्टेट्समैन कहता है :

"कांग्रेस (इ) संसदीय पार्टी के वकील सदस्यों की बैठक में की गई श्रीमती गांधी की टिप्पणी अब तक अपनाई गई सरकार की नीति, कि आरक्षणों के बारे में समझौता नहीं किया जा सकता, में किसी परिवर्तन और संशोधन का प्रथम द्योतक है।

देश विषम परिस्थिति में से हो कर गुजर रहा है। हम देख रहे हैं कि एक गलती हुई है जिस के कारण यह सारा बितंडावाद चल रहा है। एक बार नैगोशिएशन हुआ है और उसके कारण यह सारा कुछ हो रहा है। रोज अखबारों में दिया जा रहा है कि हम मैरिट का आदर करेंगे, कार्यक्षमता का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ हरिजनों, आदिवासियों का रिजर्वेशन भी जारी रखेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह की बात कहने की जरूरत क्यों महसूस होती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पुराना स्टैंड आपका है उससे आप पीछे तो नहीं जा रहे हैं? कहीं आन्दोलनकारियों के आगे आप झुक तो नहीं रहे हैं? कहीं आपके सामने दुविधाग्रस्त स्थिति तो पैदा नहीं होने लगी है? इसको आप स्पष्ट करें।

आज भी आप कहते हैं कि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और माइनोरिटी के लोग योग्य नहीं हो पाए हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि देश को चलाने का मौका आप हमें दें, फिर आप देखें कि देश चलता है या नहीं? अगर आप हमें सर्विस में लेते हैं तो कोई उपकार आप हम पर नहीं करते हैं। एक आदमी सरकारी नौकरी में चला जाता है तो कोई करोड़पति नहीं हो जाता है। सरकारी नौकरी में उसको आप इसलिए रखते हैं कि वह भी समझें कि इस देश में मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी भाग है। देश में ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं तो क्या ये रिजर्वेशन की वजह से होते हैं या डाक्टर से किसी के पेट में कैंची छूट जाती है तो यह रिजर्वेशन वालों की वजह से छूटती है? आज भी लाखों रुपया लेकर मैडीकल में एडमिशन मिलता है। शैड्यूल्डकास्ट और ट्राइब्ज कमिशन की रिपोर्ट को आप पढ़ें। बंगलौर में दो-दो तीन-तीन लाख रुपया ले कर लड़के को मैडीकल में दाखिला दिया जाता है। और वह जा कर के डाक्टर बनता है। तो दो लाख रु० दे कर मेडिकल में 30 परसेंट वाला भी डाक्टर बन जाय उससे राष्ट्र को खतरा नहीं है। लेकिन हमारा 45 परसेंट मार्क वाला बच्चा डाक्टर बन जाय हाउस सर्जनशिप भी कर ले, आई० ए० एस० में कम्पीट करके आ जाय और मंसूरी में ट्रेनिंग भी ले ले फिर भी वह अक्षम हो जाता है।

लेकिन जो लाख लाख रु० दे कर डाक्टर बनता है वह मेरिटोरियस हो जाता है। मैंने उस दिन भी कहा था जब अंग्रेज लोग यहां थे तो हम लोग पुलिस इंस्पेक्टरी के लिये भी योग्य नहीं माने जाते थे। लेकिन अंग्रेजों के हटते ही हम लोग रातों रात योग्य हो गये। इसलिये जो कार्यक्षमता का तर्क दिया जाता है उसको आप हटा दें। हम लोग घूमने जाते हैं तो देखते है कि एक शेड्यूल्ड कास्ट अफसर है, उसकी आचरण पुस्तिका में लिखा रहा होगा रिमार्क्स कालम में कि गुड, रिलेशनशिप हायर अफसरों के साथ गुड, लेकिन फिट फौर प्रोमोशन के लिये लिखा होगा नहीं। मतलब यह कि सब चीज गुड है लेकिन प्रोमोशन के लिये फिट नहीं है। तो यह सारी चीजें आज चल रही हैं जो सर्वथा अनुचित है।

मैं एक केस देख रहा था, जब गृह मन्त्री जी बोलेंगे तो जवाब देंगे, हीरा लाल बनाम स्टेट आफ पंजाब, 1970, इसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं आपके मार्ग में बाधक नहीं है। लेकिन जब नीयत साफ नहीं रहती है तो नीति के चक्कर में उलझ जाते हैं। एक उदाहरण देता हूं, हमारे बिहार के माननीय चन्द्रशेखर और सतीश जी जानते हैं कि मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में प्रीमेडिकल टेस्ट हुआ और उसमें जितने छोटी जाति के लोग थे सब को फेल कर दिया गया। विद्यार्थियों ने वी० सी का घेराव किया और मांग की कि फिर से कापियां जांची जायें। जब उनकी जांच की गई तो जो विद्यार्थी फेल थे वह पास कर गये और जो पास थे वह फेल कर गये। जहां से हम जन्म लेते हैं वहीं से हमारे संस्कारों को दबाया जाता है। स्कूलों में हमारे लिये चटाई की व्यवस्था नहीं होती और दूसरी तरफ अमीरों के बच्चों के पढ़ने के लिये एयरकंडीशन्ड मकान हैं। फर्स्ट क्लास मेरिटोरियस विद्यार्थी को फेल किया जायगा और थर्ड क्लास ले लिया जायगा। और आप हमेशा कहते हो कि मेरिट को इग्नोर नहीं किया जायगा। बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय है वहां की कापियां यदि बाहर भेज दी जाती हैं तो सेन्ट परसेंट हरिजन बच्चे पास कर दिये जाते हैं, लेकिन जब मिथिला विश्वविद्यालय में ही कापी जांची जायें तो उच्च जाति के बच्चे ही पास होते हैं। जब यह सारी बातें चलती हैं तो कैसे हम विश्वास कर लें कि गरीबों क साथ न्याय होगा ? हमें याद पड़ता है, मेरिटोरियस का क्या मतलब है ? लेकिन उसका अंगूठा काट दिया गया। इसी तरह शंबूक की गर्दन काट दी गई क्योंकि वह तथाकथित छोटी जाति के थे। हमारा कहना है कि आज भी हमारे पास कार्यक्षमता है, लेकिन उसकी कहीं पूछ नहीं है। जो हजारों साल से राजा रानी का देश रहा है, जो जातिगत व्यवस्था रही है उसी का कारण है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश सब से ज्यादा दिन तक गुलाम रहा। सोमनाथ मन्दिर पर जब चढ़ाई होती है तो उच्च जाति वालों की फौज को वापस भेज दिया गया यह कह कर कि जो सारे संसार की रक्षा भगवान करता है उसका मन्दिर कौन गिरा सकता है। नतीजा हम सब को मालूम है कि विदेशी मन्दिर को लूट कर चला गया। जहां एक प्रतिशत लोगों को अधिकार दिया गया हो कि देश की रक्षा करें, किताबें लिखें और हमको पांव दबाने के लिये ही कहा गया हो वहां कैसे समता आ सकती है। और आज 5,000 वर्ष के बाद आप सोचते हो कि हमारे बच्चे मेरिटोरियस हैं कि नहीं। उसके बाद भी जब हम तैयार हैं, लाइन में आने के लिये खड़े होते हैं तो भी हमारे सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसलिये मैं गृह-मन्त्री से कहूंगा कि इसको देखिये।

दूसरा तर्क दिया जाता है कि आर्थिक पिछड़ापन है । आज तक हमारे दिमाग में यह बात नहीं आई कि यह क्या है । जो लोग यह तर्क देते हैं वह कुतर्क देते हैं । उनके दिमाग में कहीं न कहीं यह घुसता है, वह चाहते हैं कि रिजर्वेशन की पालिसी पर सीधे कुठाराघात न कर के इन-डायरेक्टली चोट करें ।

बिहार में रिजर्वेशन किया गया था और वह आर्थिक आधार पर था 20 परसेंट पिछड़े वर्ग के लिये रिजर्वेशन किया गया था । अगर हम गलत बोलते हैं तो मंत्री जी इसको दिखवा लें । इस 20 परसेंट में 14 सीटें 60 परसेंट के हिसाब से एनेक्श्चर I में है कि लोहार, कुम्हार, नाई, बढ़ई के लिये रिजर्व की गई थीं । 6 सीटें बचीं 40 परसेंट उसमें दिया गया कि बैकवर्ड क्लासेज को देंगे जिनकी आमदनी 1 हजार रुपये से कम थी । 20 परसेंट ऐसे चला गया । 3 परसेन्ट दिया गया महिलाओं के लिये अदर दैन बैकवर्ड । 3 परसैन्ट दिया गया था उनके लिये जो आर्थिक दृष्टि-कोण से गरीब हैं । उसके बावजूद क्या वहां गोली नहीं चली और दूसरी चीजें नहीं हुई ?

वही चीज आज गुजरात में हो रही है । इसलिये जो तर्क देते हैं आर्थिक पिछड़ेपन का, तो यह क्या है, हमको आज तक समझ में नहीं आया । एक गरीब आदमी झोपड़ी में पैदा होता है और एक दूसरा आदमी राजमहल में पैदा होता है । दोनों में सारी चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है । आर्थिक दृष्टि से क्या कहते हैं ? जितने एम० पी० आये हैं एक पीढ़ी में किसी का सुधार नहीं होता है । आज आप होम मिनिस्टर हैं, आपका लड़का आई० ए० एस० बनेगा, लेकिन आप पहली पीढ़ी में आई० ए० एस० नहीं बन सकते थे । जिसके पेट में अन्न रहता है; जिसके दिमाग में बुद्धि रहती है उनका जैनरेशन आगे बढ़ता है । आप कोई बतायें कि झोपड़ी में पैदा हुआ हो और आई० ए० एस० हो गया हो । यह अपवाद है । होता क्या है ? जब आप इकनामिकली साउंड हो जाते हैं आपके पेट में अन्न आता है, बच्चा पढ़ने-लिखने जाता है, जाकर नौकरी करता है, सर्विसेज में कम्पीट करता है तब जाकर मैं समझता हूं कि वह डाक्टर बनता है ।

लेकिन यहां तर्क दिया जाता है कि रिजर्वेशन के नाम पर यहां जगजीवन राम जी हैं, रिजर्वेशन के नाम पर आई० ए० एस० अफसर भी हैं । मैं कहता हूं कि आप परसैन्टेज देखिये उसमें आपकी कितनी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति की ।

1979 में अनुसूचित जाति के प्रथम श्रेणी में 4.70 हैं, द्वितीय श्रेणी में 7.37 हैं और तृतीय श्रेणी में 12.55 और चतुर्थ श्रेणी में 9.3 परसैन्ट हैं । इसी तरह अनुसूचित जनजाति का है, कार्तिक ओरांव जी आप देखिये । 1979 में प्रथम श्रेणी में 0.94 परसैन्ट, द्वितीय में 1.03 परसैन्ट, तृतीय श्रेणी में 3.11 परसैन्ट और चतुर्थ श्रेणी में 5.1 परसैन्ट है । चतुर्थ श्रेणी के लिये भी सूटेबल नहीं है । यह 1979 के आंकड़े हैं ।

अब 1974 के आंकड़े भी देख लीजिये । अनुसूचित जाति का प्रथम श्रेणी का 3.25 पर-सैन्ट, द्वितीय श्रेणी का 4.59 परसैन्ट, कितना कछुआ की चाल से आगे बढ़ रहे हैं, यह देखिये । 6 साल के बाद द्वितीय श्रेणी में 4.59 परसैन्ट, तृतीय श्रेणी में 10.33 परसैन्ट और चतुर्थ श्रेणी में 18.53 परसैन्ट । इसी तरह अनुसूचित जनजाति का देखिये । 1974 में इसका प्रथम श्रेणी में

0.57 परसैन्ट, द्वितीय श्रेणी में 0.49 परसैन्ट, तृतीय श्रेणी में 2.13 परसैन्ट और चतुर्थ श्रेणी में 3.84 पर्सेन्ट। हमने आपको कहा कि हमारी नियत साफ नहीं है। अगर हमारी नियत साफ रहती तो यह सारा बैकलाग नहीं रहता। यह कभी का पूरा हो गया होता। लेकिन हमारे जो अफसर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, वह यह सोचता रहता है, खोजता रहता है कि इन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को कैसे खोजें कि ये अन-सूटेबल हैं।

मैंने पार्लियामेंट में एक क्वैश्चन किया, रेल मंत्रालय से जवाब आया। झाझा में टेंडर के लिये एप्लाई किया गया। मेरे क्विश्चन के जवाब में आया कि शिड्यूल्ड कास्ट का एक को-आपरेटिव सोसाइटी है, जवाब में आया कि उसका सबसे कम टेंडर है, लेकिन उनको एक्सपीरिएंस नहीं है इसलिये एक बाबू से एक लाख रुपया लेकर ठेका दे दिया गया।

सभापति महोदय : आपका समय हो गया है।

श्री राम विलास पासवान : मैं कोई इर्रेलेवेन्ट तो नहीं बोल रहा हूं।

जहां तक पब्लिक सैक्टर का सम्बन्ध है, अधिकारी श्रेणी में राष्ट्रीयकृत बैंकों में शिड्यूल्ड कास्ट्स 2.44 परसैन्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज 0.42 परसैन्ट, स्टेट बैंक में शिड्यूल्ड कास्ट्स 1.39 परसैन्ट और शिड्यूल्ड 0.25 परसैन्ट रिजर्व बैंक में शिड्यूल्ड कास्ट्स 2.82 परसैन्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज 0.22 परसैन्ट, औद्योगिक विकास बैंक में शिड्यूल्ड कास्ट्स 1.69 परसैन्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का एक भी नहीं, औद्योगिक वित्त निगम में शिड्यूल्ड कास्ट्स 3.05 परसैन्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का एक भी नहीं, औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम में शिड्यूल्ड कास्ट्स 2.72 परसैन्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज 0.28 परसेन्ट हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह जलन की राजनीति है। ये जो आर्थिक आधार और मैरिट आदि के तर्क दिये जाते हैं, वे सब जलन के पेट से निकले हुए हैं।

यह सारा हंगामा डाक्टरों को ले कर चल रहा है। जो लोग डाक्टरी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स 5.3 परसेन्ट हैं। नर्सों में शिड्यूल्ड कास्ट्स 4.08 परसेन्ट है।

गुजरात में, जहां यह आन्दोलन चल रहा है, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्वेशन 7 परसेन्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 14 परसेन्ट है, लेकिन वहां प्रथम श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट्स 4.05 परसेन्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज 2.03 परसेन्ट, द्वितीय श्रेणी में शिड्यूल्ड कास्ट्स 5.09 परसेन्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज 3.02 परसेंट है।

हरियाणा में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्वेशन 20 परसेन्ट है। वहां शिड्यूल्ड ट्राइब्ज नहीं है। वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स प्रथम श्रेणी में 3.4 परसेंट, द्वितीय श्रेणी में 3.9 परसेंट और तृतीय श्रेणी में 7.5 परसेन्ट हैं।

केरल में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 8 परसेन्ट रिजर्वेशन है, लेकिन वे प्रथम श्रेणी में 1.71 परसेन्ट, द्वितीय श्रेणी में 3.47 परसेन्ट और तृतीय श्रेणी में 3.95 परसेंट हैं।

मेरे पास सब स्टेट्स के आंकड़े हैं। सब जगह यही स्थिति है।

मैं श्री मकवाना का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों को न्यायालयों से जस्टिस,

न्याय, मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में 16 जज हैं, मगर उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का एक भी नहीं है।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : एक है।

श्री राम विलास पासवान : अब हो गया है।

श्री बूटा सिंह : पहली बार—श्रीमती इंदिरा गांधी की कृपा से।

श्री राम विलास पासवान : क्या आप उसी पर संतोष कर लेंगे ? जो कुछ आपने दे दिया है, उसको उपकार न समझिए।

देश के हाई कोर्ट्स में 355 जज हैं। उनमें शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का एक भी नहीं है और शिड्यूल्ड कास्ट्स के केवल 5 हैं। जहां से न्याय की गंगा निकलती है, वहीं अन्याय है। तो फिर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग कहां जायें ?

नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 में बनाया गया। उसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों द्वारा किये गये मामलों की संख्या 5325 थी। उनमें से 3991 मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं। जिन मामलों का फैसला हो चुका है, उनमें 1136 दोष मुक्त हुए और केवल 198 दोषसिद्ध हुए। इसका मतलब यह है कि हरिजनों द्वारा जो 5325 मामले किये गये, उनमें से केवल 198 मामलों में अभियुक्तों को दोषी पाया गया।

आज गुजरात में पुलिस के सामने ही क्या होता है ? हरिजनों की हत्या होती है, उनके लड़कों को मारा जाता है। अगर कोई थाने में जाए, तो केस दर्ज नहीं किया जाता है। अगर गृह मंत्री इतने दिनों में कम से कम वहां की लोकल पुलिस को हटवा देते और अपने यहां की पुलिस को भेज देते, तो वह दर्जनों हरिजनों की रक्षा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

आज सारे देश में भीतर ही भीतर एक चिनगारी सुलग रही है, जिससे सभी पक्षों के लोग चिन्तित हैं। जब मैं ऊंची जाति की बात कहता हूं, तो मैं यह नहीं कहता हूं कि ऊंची जाति के लोग हमारे दुश्मन हैं। मैं तो यह कहता हूं कि ऊंची जाति के लोग भी यदि देश के नक्शे को सामने रखकर देखेंगे कि देश कैसे बनेगा तो वह कहेंगे कि हम खाद बनेंगे और हरिजन आदिवासी लोगों को बीज बनने दो। वह भी यही कहेंगे। लेकिन जब देखेंगे कि हम को नौकरी मिल रही है या नहीं तो उस परिस्थिति में वह कहेंगे कि हमारा हक मारा जा रहा है। लेकिन देश के नक्शे को सामने रखेंगे तो समझेंगे कि देश बनाने का यही एकमात्र तरीका है, इसी से देश आगे बढ़ सकता है, हरिजन और आदिवासियों के हक को छीन कर नहीं।

यह जो आज हो रहा है यह क्यों हो रहा है—इसलिए कि आज हरिजन के पास में जमीन नहीं है। 1961 की जो फिगर है, शेड्यूल्ड कास्ट्स ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट को

देखें, शेड्यूल्ड कास्ट 345 लैंडलैस थे 1 हजार में लेकिन आज बढ़कर 518 लैंडलेस हो गए हैं। उस समय शेड्यूल्ड ट्राइब्ज 197 लैन्डलेस थे लेकिन आज बढ़ कर 320 लैन्डलेस हो गए हैं। यह आप की रिपोर्ट में है। शेड्यूल्ड कास्ट के किसान थे 378 जो आज 279 बच गए हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के किसान 681 थे जो आज घट कर 573 हो गए हैं। यह इसलिए कि जमीन पर सब जगह लागू है कि सिंचित जमीन हो तो अब जमीन पर सब को रोजगार मिल नहीं रहा है। नतीजा यह होता है कि दस पोस्ट्स निकलती हैं तो उस दस पोस्ट के लिए कम्पटीशन होता है और उसमें गला-घोंटी चलती है।

आप ने मार्च 1970 में एक पत्र लिखा था सब मुख्य मंत्रियों के नाम और आप ने सदन में कहा कि जितनी भी की पोस्ट्स हैं—ए० एस० पी०, एस० पी०, कलैक्टर आदि की इन पोस्ट्स के ऊपर गरीब तबके के लोगों को, कमजोर वर्ग के लोगों को रखो, लेकिन यह आप का आदेश कहीं पालन हुआ ? नहीं हुआ। और जहां हम लोग इसे लाइट में ले आए, इस बात को नौलेज में लाए, वहां उस अफसर को ताड़ना दी गई और ताड़ना दी जा रही है। पिपरा की घटना आप के सामने है पिपरा में आप गए थे और आपने कहा था कि हरिजन अफसर ने अच्छा काम किया है। लेकिन उस हरिजन अफसर की क्या दुर्गति हो रही है, यह ज्ञानी जी, आप को और मकवाना साहब को भी मालूम है। वह चीफ सेक्रेटरी समझता है कि इस ने हम को होम मिनिस्टर से गाली दिलवायी है, इसलिए उस ने उस का सी० आर० खराब करके रख दिया।

ये सारी समस्याएं हैं और यह जो विद्रोह हो रहा है इस विद्रोह का कारण क्या है ? इस विद्रोह का एक ही कारण हो सकता है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वह अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जो दूसरी जाति के लोग हैं वह समझते हैं कि उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। मैं आप से कहूंगा कि यह सदन के लिए अपमान है, आज देहातों में क्या होता है कि बड़े बड़े लोग रात में शराब पीकर आएंगे, हमारी मां, बहनें सोयी रहेंगी, वह शराब पीकर भीतर जाएंगे और वहां से निकलेंगे। यह समाज की हालत है आजादी के 32 वर्ष बाद में। सरकार इस पर कार्यवाही करे।

यह स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस है। इंडियन एक्सप्रेस में एक फोटो छपी है, इस को आप देखिए। यह आरक्षण विरोधी लोग नारा लगा रहे हैं और आगे में एक महात्मा गांधी की फोटो बनाया है। एक आदमी को खुला बदन करके लिंगोटी पहना कर महात्मा गांधी बना दिया है और ये लोग आरक्षण के विरोध में नारा लगाते हुए, झूमते हुए हिंसा के लिए जा रहे हैं। ··· (व्यवधान) ···क्या गलत यह गलत बात है ? दूसरा मैं आप को दिखाता हूं, यह स्टेट्समैन है। इस स्टेट्समैन में गुजरात के एक प्रगुण साहू हैं उन का लेख आप पढ़ लीजिए, आपको स्पष्ट हो जायगा कि वहां प्रशासन क्या कर रहा है। वहां के अखबार किस तरह आग उगल रहे हैं ? वहां जो प्रेस रिपोर्टर है वही क्या कहता है। आप यह प्रेस रिपोर्ट देखिए···

सभापति महोदय : वह तो सब ने पढ़ी होगी, आप क्यों उस को पढ़ते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : नहीं, सदन को कहां मालूम है ? क्या सब लोगों ने इसे पढ़ लिया है ?···(व्यवधान)···मैं यह कहता हूं इस में एक प्रेस रिपोर्टर ने दस उदाहरण दिए हैं कि मैं गया था जहां के लिए कहा गया कि मैरिज हो रही है लेकिन मैरिज नहीं थी। मगर यह कहा गया कि हरिजन लोग आ कर औरत के साथ बलात्कार किए। यह फैलाया गया कि हरिजनों ने होटल में जा कर अटैक किया और लड़कियों के साथ बलात्कार किया। इस तरह से एक से एक न्यूज फैलायी गई। पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट आई, पुलिस कमिश्नर ने किस तरह से कहा कि भाव ने फोर्स पर अटैक किया ? यह सब अखबार की रिपोर्ट है।

उस दिन मकवाना साहब बोल रहे थे और ज्ञानी जी भी बोल रहे थे। बोलते बोलते उन्होंने कहा कि इस फलां फलां पार्टी के आदमियों का हाथ है और हम लोगों ने उस चार्ज को डिनाई किया। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूं कि जिस पार्टी, लोकदल की ओर से हम यहां पर जीत कर आए हैं उसका मेनिफेस्टो कहता है :

"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में लोक सेवाओं में भर्ती के लिये आरक्षण प्राप्त है। लोकदल ने प्रस्ताव किया था कि ऐसा आरक्षण परमिटों या लाइसेंसों के आवंटन में भी किया जाये **जो सरकार की ओर से उपहार के रूप हो** परन्तु जिसमें किसी तकनीकी कौशल शोषण की आवश्यकता न हो। हमारी पार्टी रिजर्वेशन के लिए तैयार है। मैं बूटासिंह जी से कहना चाहूंगा कि वे इसके खिलाफ कोई एक भी स्टेटमेंट चौधरी चरण सिंह जी का दिखला दें। (व्यवधान) बूटासिंह जी, उस दिन आपने कहा था, मैं यहां पर कोई पालिटिक्स नहीं उठा रहा हूं···

श्री बूटासिंह : चौधरी चरण सिंह आरक्षण के प्रश्न के बारे में बोल चुके है। मैं माननीय सदस्य से केवल इतना ही निश्चित करना चाहता हूं कि क्या···(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : सर्टेनली। मैंने कहा कि हमारा लीडर न सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के रिजर्वेशन के लिए तैयार है बल्कि हमारा लीडर यह भी कहता है कि लाइसेन्स, कोटा पर्मिट में भी उनको रिजर्वेशन दिया जाए। आप बैकवर्ड क्लासेज के लिए भी रिजर्वेशन कीजिए। हमारी पार्टी के मेनिफेस्टो में आगे लिखा है :

"यद्यपि सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग (अनुसूचित जनजातियों और जातियों को छोड़कर), दोनों हिन्दू तथा मुसलमान हमारी जनसंख्या में आधे से अधिक हैं, तथापि देश के प्रशासनिक क्षेत्र में उनकी नहीं के बराबर स्थान प्राप्त है अत: वे अन्याय और वंचना की दृष्टि से कष्ट उठा रहे हैं। यद्यपि लोकदल मानता है कि आरक्षण हमारी व्यवस्था का स्थायी अंग नहीं हो सकता है तथापि व्यावसायिक अवसरों की नीति का कोई और विकल्प नहीं है। अतः केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में ग्रुप ए और बी के लिए कम से कम 25 प्रतिशत नौकरियां ऐसे वर्गों के युवकों और युवतियों के लिए आरक्षित की जाएंगी जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत स्वयं केन्द्रीय सरकार द्वारा छठे दशक में नियुक्त पिछड़े वर्ग आयोग ने सिफारिश की है।

आपने काका कालेककर कमेटी बना दी थी, 1953 में उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी। फिर आपने दूसरी कमेटियां भी बनाई लेकिन इस देश के बैकवर्ड लोगों में इतनी बुद्धि है, वे इस बात को समझ रहे हैं कि रोज आप कमीशन बनावें, उस पर खर्चा करें लेकिन जब उसकी रेकमेंडेशन्स पर इंप्लीमेन्टेशन करने की बात आती है तब आप चुप हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि फलां लीडर विरोध कर रहा है, फलां लीडर विरोध कर रहा है। सरकार आरक्षण की नीति को कड़ाई के साथ लागू क्यों नहीं करती ? जब हमारी पार्टी का राज था तब हमने कहा था और आज भी मैं यहां पर दो सुझाव देना चाहता हूं।

मेरा पहला सुझाव यह है कि आप एक तात्कालिक कार्यक्रम के लिए विचार करें और इस सम्बन्ध में जिन पोलिटिकल पार्टीज से भी बातचीत करनी हो वह करें तथा देश में, विशेषकर गुजरात में जो आग भड़क रही है उसको कड़ाई के साथ रोकें।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि गुजरात की जो लोकल पुलिस है उसको वहां से हटायें और अपने यहां से फौज भेजें ताकि हरिजनों की जानें बचाई जा सकें। होली के बाद प्रत्येक घर से एक हरिजन मार देने की शिव सेना की जो योजना बन रही है, आखिर इस सम्बन्ध में आपकी विजलेन्स और आपका गुप्तचर विभाग क्या कर रहा है ? आप वहां के डी० एम० और एस० पी० को सस्पेण्ड क्यों नहीं करते हैं ? यदि आप सोलंकी और अन्तुले को सस्पेण्ड नहीं कर सकते तो कहीं न कहीं आपको चाबुक उठाना ही पड़ेगा।

इसके अलावा जो रेलिजस इंस्टीट्यूशन्स है, रेलिजस प्लेसेज हैं वहां पर पण्डित जी ही बैठ जाते हैं, हम वहां भी नहीं जा सकते हैं चाहे कितने ही अकलमन्द हम क्यों न हों। हम चाहेंगे कि जो पढ़े लिखे लोग हों जोकि डिग्री लेकर निकलें उन लोगों को ही मन्दिर मस्जिद का पुजारी बनाया जाए, जाति के आधार पर किसी को पुजारी न बनाया जाए।

अन्त में जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, यह बेमेल लड़ाई नहीं चल सकेगी कि एक तरफ बन्दूक और राइफल हो और दूसरी ओर हरिजन निहत्थे हों। जो बड़े-बड़े लोग हैं उनसे आप बन्दूकें और राइफलें सीज कीजिए, उनके लाइसेन्स कैंसिल कीजिए और दूसरी तरफ गरीब हरिजनों को आप बन्दूकें दीजिए, लाइसेंस दीजिए और उनकी ट्रेनिंग भी दीजिए। इसके अलावा पुलिस में जो नीचे की पोस्ट कांस्टेबल की हैं या दूसरी जो प्रोटेक्शन फार्सेज हैं उसमें इन स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा इन लोगों की बहाली आप करें ताकि अपनी रक्षा करने में वे सफल हो सकें।

सभापति महोदय : उसमें कुछ संशोधन हैं।

श्री भीखाभाई के० गधावी : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि प्रस्ताव में

अन्त में यह जोड़ा जाए—

"और संकल्प करती है कि देश के सभी राजनीतिक दल और समाज के सभी वर्ग न केवल आन्दोलन की भर्त्सना करने में सहयोग करें बल्कि स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्र सरकार

और राज्य सरकारों को भी सक्रिय समर्थन दें जिससे शांति और सामान्य स्थिति कायम की जा सके।" (1)

श्री नवीन रवाणी : मैं प्रस्ताव करता हूँ

कि प्रस्ताव में

अन्त में यह जोड़ा जाए :

"और संकल्प करते हैं कि देश के सभी राजनीतिक दल और समाज के सभी वर्ग स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का समर्थन करें जिससे शांति और सामान्य स्थिति कायम की जा सके।" (2)

सभापति महोदय : श्री एडुआर्डो फैलीरो—अनुपस्थित।

श्री सूरजभान : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में

अन्त में यह जोड़ा जाए :

"और उसकी यह राय है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के बारे में, जैसा कि संविधान में उपबन्धित है कोई विवाद नहीं है किन्तु विभिन्न राज्यों में इसके कार्यान्वयन में कतिपय कठिनाइयां और विषमता उत्पन्न हो गई हैं जिसके परिणामस्वरूप आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में आन्दोलन हो रहे हैं, इसलिए यह सभा आन्दोलनकारी नेताओं से अपील करती है कि वे अपना आन्दोलन समाप्त कर दें और संकल्प करती है कि आरक्षण के कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाइयों और विषमताओं को दूर करने और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए सभा की एक सर्वदलीय समिति नियुक्त की जाए। (4)

सभापति महोदय : प्रो० अजित कुमार मेहता—अनुपस्थित।

श्री भेरावदन गधावी (बनासकांठा) : सभापति महोदय, मैंने इस रैजोलूशन के बारे में पासवान जी की बातें सुनीं। हम तो यह चाहते थे कि इस बड़े देश के सामने, न किसी एक पक्ष के लिए, न किसी एक पालीटीकल पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए यह सब से गम्भीर समस्या है और इस सर्वोच्च सदन के ऊपर पूरे देश को एक राह दिखाने का दायित्व है। इसलिए थोड़ी गंभीरता से इसके बारे में सोचना चाहिए, मगर जब मैंने उनका भाषण सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत गम्भीर बात न कहते हुए वे क्षुद्र राजनीति के ऊपर नहीं आ सके।

एक जमाना था, जब हम पढ़ते थे और छोटे थे, तो हमने यह देखा कि 30 जनवरी, 1948 की शाम को एक बहुत छोटे आदमी ने एक बहुत बड़े आदमी, राष्ट्रपिता, की छाती छलनी कर कर दी। यह छाती क्यों छलनी की गई थी और किस बात के लिए ऐसा हुआ था ? वह इसलिए

हुआ था कि उस आदमी ने एक आवाज उठाई थी, हिन्दुस्तान के जो गरीब लोग हैं, हिन्दुस्तान के जो हरिजन लोग हैं, हिन्दुस्तान के जो बैकवर्ड इलाके के लोग हैं, हिन्दुस्तान के जो माइनोरिटीज कम्युनिटीज के लोग हैं, उन के लिए उसने आवाज उठाई थी और दूसरी आवाज अपने उसूलों पर खड़े रहने के लिए उठाई थी। उस वक्त भी कुछ ऐसी ताकतें मौजूद थीं, कुछ ऐसे लोग थे जो यह चाहते थे कि ऐसा आदमी जो यह कहता है कि मैं अपने उसूलों पर खड़ा रहूंगा, जो अपने उसूलों पर खड़ा रहता है और जो आदमी यह कहता है कि जो गरीब हरिजन लोग हैं, जो इन कास्ट्स के लोग हैं और जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उन को बराबर होना चाहिए, जो आदमी अपने वायदों को निभाने की बात अपने इस देश में करने की बात करे, ऐसे आदमी को जिन्दा नहीं रहना चाहिए और इस तरहसे उसकी छाती को छलनी कर दिया गया। उसके बाद हमारा संविधान बनाया गया और इसके पहले भी और आजादी के बाद भी, लगातार न किसी एक पार्टी ने, न किसी एक पक्ष ने बल्कि पूरे देश के लोगों ने यह बात कही कि हमारे जितने भी कमजोर तबके हैं हमारे जितने वे लोग हैं, जो समाज में सब से पिछड़े हुए हैं, उनको हम मौका देंगे, उनको बराबर का गिनेंगे और उनके साथ मिलजुल कर काम करके उनको समाज में बराबर का स्थान देंगे ताकि वे आत्म-सम्मान के साथ इस देश में रह सकें। ऐसा वातावरण हम बनाएंगे। आजादी के पहले की बात जो पासवान जी ने कही, वह सही है। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था और फिर पूना पक्ट हुआ और इसी हिसाब से हम इस देश में चलते रहे हैं। आरक्षण हम ने इसीलिए दिया है। आखिर एक मरीज होता है, उसको दवा देनी पड़ती है और दवा देते हैं। तो दवा क्यों देते हैं ? इसलिए दवा देते हैं कि बाद में वह अच्छा हो जाए और उसको बाद में फिर ज्यादा दवा न देनी पड़े।

मुझे अफसोस है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लाइयर्स कान्फ्रेंस में बात कही थी, उसका उन्होंने गलत अर्थ लगाया। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि गरीब तबकों को हम मदद दे रहे हैं, हम देने वाले हैं और उसके ऊपर मुकम्मल हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मरीज अच्छा कभी न हो। हम तो चाहते हैं कि आरक्षण बना रहे मगर आरक्षण के साथ-साथ जो हमारा ध्येय है और जिसे हमें कार्यान्वित करना है, वह वही है एक कि ऐसा दिन इस देश के अन्दर आएगा, जब हम यह कहेंगे कि आरक्षण के बगैर वे गरीब तबके, हरिजन, आदिवासी जो कुछ भी इन को सहायता मिल रही है, जाब्स में और एजूकेशन के मामले में जो फैसेलिटीज मिल रही हैं, वे उस के बगैर चल सकें और दूसरे लोगों के बराबर हो जाएं। यह देश की भावना है, यह हमारे संविधान की भावना है और तोड़ मरोड़ कर राजनीति के हिसाब से इस को पेश करना अच्छी बात नहीं है। गुजरात में मैंने जैसे आपको बताया था कि 30 जनवरी, 1948 को गांधी जी की छाती में गोली लगी।

आज गुजरात में क्या हो रहा है ? जिन लोगों ने गांधी की छाती पर गोली लगायी थी, वही लोग देश के हर कोने में जहां भी बैठे हैं, वहां पर लोगों को उकसा रहे हैं कि हरिजनों पर अत्याचार करो। यहां जेठमलानी जी बैठे हैं, बात तो आप बहुत करते हैं कि हम भी यह कहते हैं, हम भी यह चाहते हैं। लेकिन आप जबान से और दिल से एक बात किया करो। आपके दिल में और बात हो, जबान में और बात हो तो वह बात नही चल सकती। (व्यवधान) यहां उन्होंने

सब कुछ कहा है। (व्यवधान) आप पासवान जी यह बात कर रहे हैं, हम जानते हैं···(व्यवधान)

श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री : सभापति जी, यह सारा का सारा मामला राजनीतिक रूप में बदल रहा है, जबकि यह कहा गया था कि इसे राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाएगा। (व्यवधान)

श्री जगपालसिंह (हरिद्वार) : हमारे यहां से पासवान जी बोले हैं। यहां लोकदल की बात कही गयी है, पोलिटीकल की बात की गई है। (व्यवधान) गुजरात की आप बात कर रहे हैं। (व्यवधान) मेरा चार्ज है कि आपके मिनिस्टर, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपके अफसर इसमें शामिल हैं। (व्यवधान)

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : क्या मैं अपील कर सकता हूं ? चर्चा कटु नहीं होनी चाहिए। पूरी तरह ठंडे दिमाग से समस्या पर उसके सम्पूर्ण रूप पर चर्चा करना शुरू किया गया है। मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से केवल अनुरोध करूंगा···(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : पहले आप अपने दल के लोगों से अनुरोध कीजिए। (व्यवधान)

श्री पी० वेंकटसुब्बया : जब श्री पासवान भाषण कर रहे थे तो इस पक्ष से किसी ने की व्यवधान पैदा नहीं किया···(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : मैं उन मंत्रियों के नाम बता सकता हूं जो इसमें शामिल हैं। लेकिन मैं चुप रहा हूं। कृपया उनसे छींटा कशी न करने के लिए कहिए। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : सभापति जी, श्री वेंकटसुब्बया जी ने मेरा नाम लिया है। मैं आपको कहता हूं कि आप सारी प्रोसीडिंग्स को उठा कर देख लीजिए कि कहीं भी मैंने किसी का नाम लिया हो। जब मुझ से बूटासिंह जी ने इस बारे में पूछा कि लोक दल के नेता का क्या स्टेण्ड है तो मैंने सिर्फ़ लोक दल मेनिफेस्टो पढ़ कर सुना दिया। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। (व्यवधान)

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैंने आपके विरुद्ध कोई बात नहीं कही। मैंने यही कहा कि जब आप बोल रहे थे तो हमारी ओर से किसी ने आपके भाषण में व्यवधान पैदा नहीं किया।

श्री रामविलास पासवान : वह क्या बोल रहे हैं, आप उनसे तो पूछिए ? आप हमेशा दूसरे के बारे में कहते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप समस्या के सम्बन्ध में बोलिए। इस बात पर बोलिए कि गुजरात में क्या हो रहा है, उसका निदान क्या हो सकता है। वह पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि वह पार्टी कर रही है यह पार्टी कर रही है ? क्या इससे समस्या का समाधान होगा ? अगर आपकी तरफ से ऐसा जवाब आयेगा तो हमारे पास भी कागजात हैं, आपका कच्चा चिट्ठा है, हम भी बहुत कुछ आपको कह सकते हैं। इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि आप समस्या

का निदान बनलाइये, उस पर बोलिए और सुझाव दीजिए । देश आज जल रहा है । क्या ऐसे समय में हम एक दूसरे को गाली दें ।

श्री जगपालसिंह : मेरा इतना कहना है कि हम लोगों ने इस वजह से मूमेंट शुरू नहीं किया । (व्यवधान)

श्री भेरावदन के० गधावी : हम इस चर्चा को कटु नहीं बनाना चाहते; जहां तक इस चर्चा का सम्बन्ध है हम यह नहीं चाहते हैं कि ··· (व्यवधान) लेकिन मैं यह बात पूरा जोर देकर निश्चित तौर पर कहूँगा कि जब ये ताकतें एक दुहरे मानदन्ड के साथ बोल रही है, तो स्वभावतः यदि मैं उनका पर्दाफास नहीं करता तो मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता ।

श्री सत्यनारायण जटिया : सभापति महोदय, किसी भी माननीय सदस्य के ऊपर रिमार्क लगाया जाए तो उसे एक्सपंज कराया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय ; उन्होंने कहा कि वह कोई निन्दा नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : सभापति महोदय, आप ट्रेजरी बैंचेज से ऐसे लोगों को बुलवाया करें, जिनके मन में हरिजनों के प्रति दर्द हो । (व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह : ये मन से ही खिलाफ हैं ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : यह बहुत अनुचित है । हमारे दल का कोई भी सदस्य हरिजनों अथवा आरक्षण के खिलाफ नहीं है । सरकार का रवैया बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है । हमारे दल का कोई भी सदस्य हरिजनों अथवा आरक्षण के खिलाफ नहीं है ।

श्री भेरावदन गधावी : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज देश के सामने यह समस्या खडी हो गई है. यह प्रश्न खड़ा हो गया है, हमें इस पहलू को देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं । आप पिछली बातों की ओर ध्यान दें. जब पहली बार गुजरात में मेडिकल स्टूडेंट्स के द्वारा एजीटेशन किया गया तो हमने कहा कि आरक्षण जारी रहेगा और जिन लोगों को आरक्षण का अधिकार है, उन्हें पूरी सुविधा दी जाएगी, इसके साथ-साथ गुजरात सरकार ने कहा कि अगर किसी इंटेलीजेंट स्टूडेंट के साथ आरक्षण की वजह से अन्याय हो जाता है तो हम उसे दूर करेंगे और आरक्षण की सीटें बढ़ा देंगे, ताकि किसी की हानि न हो, न आरक्षण वालों की और न दूसरों की । आज गुजरात के स्टूडेंट्स और गुजरात के लोग उसे चलाना नहीं चाहते और स्टूडेंट्स जब समझौता करने के लिए आते हैं तो आर० एस० एस० के लोग उनको धमकियां देते हैं, यही रामविलास जी से मैं अर्ज कर रहा था । (व्यवधान)

श्री फूलचन्द वर्मा : सभापति महोदय, उन्हें अपना आरोप वापस लेना चाहिए, या ये प्रमाण प्रस्तुत करें । (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक चर्चा होनी चाहिए ।

श्री भेरावदन के० गधावी : मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि हमारा दल, जो आज यहां

बैठा है हम आज से ही नहीं; बल्कि आजादी के पहले से इनके हित में बात करते आए हैं और पूरे हिन्दुस्तान की जनता जानती है कि अगर हरिजनों और आदिवासियों का कोई हमदर्द है तो वह कांग्रेस है। घड़ियाली आंसू बहाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री एन० के० शेजवलकर : क्या श्रीमान जी नियम 353 के अन्तर्गत उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी कहने की अनुमति है जो पीठ की पूर्वानुमति के बिना यहां अनुपस्थित है ?

श्री भेराववन के० गधावी : मैंने किसी पर दोषारोपण नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री फूलचन्द वर्मा : आप क्या समझते हैं कि आपको ही बोलना आता है, दूसरे बोल नहीं सकते हैं ? मैं आपको चुनौती देता हूं, ज्ञानी जी को चुनौती देता हूं। वह जांच करवा कर देख लें कि आर. एस. एस. का हाथ है या नहीं (व्यवधान) अगर उनका हाथ है तो उनको फासी लगा दो लेकिन गलत आरोप न लगाओ। यदि लगाते हैं तो आप को खेद प्रकट करना चाहिए वर्ना मेरी चुनौती को स्वीकार कर लेना चाहिए। सरकार में हिम्मत है तो मेरी चुनौती को स्वीकार करे।

श्री भेराववन के० गधावी : आरक्षण की बात को हमने कांस्टीट्यूशन में रखा है और जो हमारे मंशे की बात कही जाती है वह इसी से साफ हो जाती है। आप यह भी देखें हमारे दल के न होते हुए भी बाबा साहेब अम्बेदकर को संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए कहा गया था। वह कांग्रेस दल के नहीं थे। इससे भी हमारा मंशा साफ हो जाता है।

गुजरात के आंदोलन के सम्बन्ध में मैंने एक एमेंडमेंट रखा है और मैंने कहा है कि सभी दल मिल कर न सिर्फ इसके ऊपर सोचें लेकिन जो एजीटेशन चल रहा है, उसकी भर्त्सना भी करें।

सभापति महोदय : आप पहले ही 16 मिनट ले चुके हैं। आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अपना भाषण समाप्त करिए।

(व्यवधान)

श्री भेराववन के० गधावी : यही कारण है कि मैंने सभी दलों की सच्चाई जानने के लिए यह संशोधन पेश किया है कि क्या वे आंदोलन की निन्दा करेंगे और गुजरात में सामान्य स्थिति तथा कानून एवं व्यवस्था फिर कायम करने में सहयोग करेंगे।

श्री फूलचन्द वर्मा : या वह आरोप वापिस लें या सरकार जांच की घोषणा करे।

श्री भेराववन के० गधावी : गुजरात और राजस्थान तथा अन्य राज्यों में जो बातें चल रही हैं उनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात के लोग बड़े शान्तिप्रिय हैं और गांधी के देश में गांधी के पुतले का किसी ने रक्त का टीका इसके पहले नहीं किया था और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने दिल को टटोलें और जिस किसी ने गांधी के पुतले को रक्त का टीका किया है उसको ढूंढ निकाले।

श्री नवीन रवाणी (अमरेली) : गुजरात में जो घटनाएं दो महीने से घट रही हैं और

आज भी जो वहां से खबरें आ रही हैं इससे सारा देश चिन्तित हैं, हम सब चिन्तित है । इस महत्वपूर्ण विषय पर परम्परा का निर्वाह करते हुए हम सोच रहे हैं । गुजरात के आन्दोलन के संदर्भ में इस सदन की गरिमा और संसदीय लोकशाही का हम को पालन करना है । मैं प्रार्थना करता हूं कि हम विशाल दृष्टिकोण अपनाएं और विपक्ष से भी मेरा अनुरोध है कि वह भी ऐसा ही करें और इस विषय में अपना सम्पूर्ण सहकार सरकार को दें ।

मैं गुजरात से आ रहा हूँ । गुजरात में जो घटनाएं घट रही हैं, गुजरात का प्रतिनिधि होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि उनको देख कर हमारा सिर झुक जाता है । गांधी जी के प्रदेश गुजरात में किन लोगों ने किन लोगों पर हिंसा की, किन को दोष दिया, किन लोगों पर हमला किया, इसको आपको देखना चाहिए । महात्मा गांधी ने पूरी जिन्दगी भर हरिजनों, आदिवासियों के लिए काम किया और जो लोग आर्थिक और सामाजिक शोषण की बलि बने हैं उनके बारे में उन लोगों को मालूम नहीं है कि वे कैसे रहते हैं ।

आप सब ने तो देखा होगा । मगर देहातों में हरिजन और आदिवासी की झोपड़ी नहीं देखी होगी जिसमें मिट्टी के दो बर्तन के अलावा और कुछ सम्पत्ति नहीं होती है, पहनने के लिए एक लगोटी के अलावा और कुछ नहीं होता । उनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है ।" उन वे चारों के लिए गांवों में पीने को पानी नहीं मिलता और मिलता भी है, तो अलग कूए से मिलता है । हरिजन के रहने का स्थान गाँव से दूर होता है । उस हरिजन और आदिवासी को उठाने की बात है । गुजरात में कुछ लोगों ने आन्दोलन छेड़ा है, लेकिन अगर उनके सामने उन हरिजनों का सही चित्रण होता तो वह यह आन्दोलन नहीं छेड़ते । इस सब लोगों के बीच में रहते हैं, हम पिछड़े, गरीब और दबे हुए लोगों को उठाने की कोशिश करते हैं । यह कांग्रेस की परम्परा रही है । यह सन्देश महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से हमको मिला है । अब यह संदेश हमको अपनी प्रधान मन्त्री और हमारे प्रमुख नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिल रहा है । उसका इनप्लीमेंटेशन कैसे होगा । आरक्षण के खिलाफ कितना भी प्रतिकार आये कांग्रेस सरकार और कांग्रेसजन इस आरक्षण के साथ सदा रहा है, रहना है और रहेंगे । इस सम्बन्ध में मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है । महात्मा गांधी बिहार का दौरा कर रहे थे कौमवाद की आग बुझाने के लिए । दोपहर का समय था, गांधी जी थोड़ा आराम कर रहे थे । बगल की कुटिया में ठक्कर बापा सो रहे थे । जहाँ एक आदिवासी वहां पहुँचा उसने कहा कि मैं गान्धी जी के दर्शन करना चाहता हूं । लोगों ने कहा कि वह आराम कर रहे हैं । तब ठक्कर बापा जग गए और उसने बताया कि गांधी जी की चारपाई के सामने जा कर चुपचाप बैठ जाओ । थोड़ी देर बाद गांधी जी जग गये, उन्होंने आदिवासी को अपने पास बुलाया और पास बैठाया । उस आदिवासी ने क्या किया ? वह मुंह में घास का तिनका ले कर गांधी जी के पैर में लेट गया । जब उन्होंने उसको उठाया और कहा मुंह में से तिनका दूर करो और आइन्दा किसी के सामने ऐसा नहीं करोगे । फिर आदिवासी ने क्या किया ? गान्धी जी को एक पैसा भेंट किया । गांधी जी ने कहा कि कहां से लाये ?" उसने जवाब दिया कि आज की रोजी से मिला ।" एक पैसे की दारू और ताड़ी पी एक पैसे का चना खाया और एक पैसा आपको भेंट दे रहा हूं । ऐसी स्थिति थी उसकी ? आज भी आदिवासी और हरिजन बस्ती

में ऐसा ही दिखाई पड़ता है। अगर डाक्टरों और वकीलों को इस चित्र का ख्याल होता तो उनके खिलाफ वह आन्दोलन नहीं छेड़ते।

आदिवासी और हरिजन के लिए आरक्षण की जो बात है वह इसलिए है कि उनकी आजीविका का साधन सीमित है। साल में कुछ ही दिन उनको रोजी मिलती है, दूसरे दिनों में वह रूखी रोटी खा कर दिन गुजारते हैं। असल बात यही है कि कांग्रेस सरकार ने उनके उत्थान के लिए कानून बनाया। इस कानून के जरिए शिक्षा में स्वास्थ्य में हरिजनों को स्थान दिया जाये। परन्तु हरिजन और आदिवासी इतने दबे हुए और पिछड़े हुए हैं, इसके पासवान जी ने आंकड़े दिए हैं। पहले इस विषय की बहस के समय गुजरात के उत्तम भाई पटेल ने आंकड़े दिए थे कि उनके सामने जो सुविधाएं रहती हैं, उनका उपयोग वह नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में उनको ऊंचे ले जाने के लिए आरक्षण जरूरी है।

पूना पैक्ट की बात कही गई है, उसमें मात्र गांधी जी और अम्बेडकर की सही नहीं थी, देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों की भी गांधी जी के अनशन छुड़वाने में दस्तखत थे सही थी। समाज कल्याण की बात सिर्फ सरकार के सिर पर ही नहीं है, देश के बड़े-बड़े उद्योगपतियों, प्राइवेट सैक्टर के उद्योगपतियों ने गांधी जी का उपवास छुड़वाने के लिए जो वचन दिया था, उसको उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने हरिजन और आदिवासियों के कल्याण के लिए इस काम में अब तक हाथ नहीं बटाया।

मैं आप के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि "वह ऐसी व्यवस्था करे कि सभी प्राइवेट सैक्टर के उद्योगों में हरिजनों और आदिवासियों को स्थान मिले।" इसके लिए कानून बनाया जाए। रिजर्वेशन की बात के बारे में आज हम सोच रहे हैं, मगर गांधी जी ने 1927 में यंग इंडिया में कहा था हरिजनों और आदिवासियों को राष्ट्र के प्रवाह में ले जाने के लिए चौकस कदम उठाने पड़ेंगे। आज जो बात चल रही है, गांधी जी ने 1927 में कहा था। लुई फिशर की किताब है, उसमें गांधी जी ने कहा था—

"·····मुझे इस प्रश्न की परख नहीं है कि किसी भी राजनीतिक संविधान में, जो तैयार किया जाए, अछूतों का क्या स्थान होगा। संविधान में निर्धारित किए जाने वाला प्रत्येक कृत्रिम आधार टूट जाएगा यदि हम हिन्दू खेल को अच्छी तरह न खेलना चाहते हो···यह अस्पृश्यता निवारण किसी कानून के अधिनियम न किए जाने में नहीं लाया जाना है।

"यह केवल तभी लाया जाएगा जब हिन्दुओं की अपनी चेतना कार्य करने को तैयार हो उधर वे स्वेच्छा से इस शर्मनाक बात को समाप्त करें।"

गांधी जी ने कहा था कि मानस-परिवर्तन का सवाल हमें करना है और हरिजनों को भी उन्होंने कहा था। उन्होंने यह बात बताई थी—

"तरजीह पाने के मामले के रूप में उद्धार के लिए आपको हिन्दुओं से नहीं कहना चाहिए।

यदि हिन्दू ऐसा चाहते हैं तो उन्हें अपने हित में यह कार्य करना चाहिए। इसलिए आपको अपनी शुद्धता और सफाई से उन्हें लज्जित करना चाहिए।"

महात्मा गांधी ने उस दफे बताया था कि दया के तौर पर हरिजनों के उत्थान की बात नहीं स्वीकार करनी चाहिये। अभी जो बहस चल रही है, यह हरिजनों पर कोई, (व्यवधान)

दूसरी बात आरक्षण के बारे में यही कही जाती है कि बैकवर्ड क्लास के लोगों के कल्याण के लिये क्यों न सोचा जाये ? सरकार ने उनके लिये योजना बनाई है, लेकिन हिन्दुस्तान में हरिजनों और आदिवासियों पर इतिहास में 200 वर्ष से जो जुल्म किया गया है, वैसा जुल्म इस इकनामिकली बैकवर्ड क्लास पर नहीं हुआ। इसलिये इनके लिये आरक्षण का सवाल उपस्थित नहीं होता।

मैं सोच रहा था कि तबीबी छात्रों में करुणा और सहानुभूति होती है, मगर गुजरात में इतना आन्दोलन क्यों बढ़ गया ? गुजरात सरकार ने उसके मामले में विचार किया, उनकी बात को स्वीकार भी किया, मगर आन्दोलन क्यों भड़का ? बात यही है कि जब सरकार और छात्रों के बीच में समझौता हो रहा है, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि समझौता हो जायेगा तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ आन्दोलन का रास्ता नहीं निकलेगा, आन्दोलन नहीं हो सकेगा। जून, 1980 में प्रचंड समर्थन के साथ कांग्रेस सरकार बनी और जनता ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। जब आदमी निराश होता है, तो वह लोगों के बीच में नहीं जा सकता है और सेवा नहीं कर सकता। तब वह नैगेटिव राजनीति का अनुसरण करता है। वैसा रवैया इस समय गुजरात और सारे देश में विपक्ष द्वारा अपनाया जाना शुरू हुआ।

सब से पहले जुलाई, 1980 में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आन्दोलन की शुरुआत की। मगर उसे लोगों का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि वह बेबुनियाद था, उसमें सच्चाई नहीं थी। इस लिए वह आन्दोलन ठप्प हो गया। फिर दूसरा आन्दोलन शुरू हुआ। लोक दल को लगा की अब हमारी बारी आई। लोक दल ने कहा कि किसानों को खेत की पैदाइश के ठीक दाम नहीं मिल रहे हैं। लेकिन 1980 के मौसम में किसानों को मूंगफली का इतना दाम मिला, जो 1950 से ले कर अब तक कभी भी नहीं मिला था। फिर ये आन्दोलन भी ठप्प हो गया।

गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को विशेष तालीम दी जाती है। यह साफ है कि तबीबी छात्रों कभी भी बस नहीं जलाते, बैंक और दुकानें नहीं लूटते—ये काम कौन लोग करते हैं ? क्या यह कहने की जरूरत है ? गुजरात में देसाड़ गांव में हरिजन बस्ती को जला दिया गया। इनकी तस्वीर अखबार में आपने देखी होगी यह कौन करते हैं ? एक तरफ गांधीवादी समाजवाद की बात करना और दूसरी तरफ हरिजनों की बस्ती जला देना। मुख में राम बगल में छुरी, यही बात इस समय चल रही है।

गुजरात सरकार ने इस आन्दोलन को शान्त करने के लिए सब कुछ इन्तजाम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गुजरात में वर्ग-विग्रह करवाने की जो कोशिश हो रही है, वह

एक भयानक बात है। वे लोग आग से खेल रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि यह आग सारे देश में फैल सकती है। उनको मेरा सुझाव है कि वे आग के साथ खेलने की चेष्टा बन्द करें। वे राजनैतिक दल विशाल दृष्टिकोण अपना कर और संकुचित मनोवृत्ति को छोड़ कर गुजरात के प्रमुख नेताओं से कहें कि वे इस आन्दोलन से दूर रहें। अगर उनके निर्देश के बाद फिर आन्दोलन शुरू हो, तो मालूम हो जायेगा कि यह आन्दोलन असामाजिक तत्वों द्वारा चलाया जा रहा है, जिन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे कर उसे बन्द कर दिया जाये।

*श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, आज मैं कविगुरू रवीन्द्र नाथ टैगोर की भाषा में अर्थात बंगाली में बोलना चाहूंगा।

महोदय, आज हम उस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें गुजरात तथा दूसरे राज्यों में, जहां एक भाई दूसरे को मार रहा है। हो रहे आंदोलन और दंगों के बारे में विचार करने की बात है। मेरी राय में चर्चा की मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय मामले के रूप में इस पर विचार करने का है और हमें एक रचनात्मक रवैया अपनाना है और इसका सही तरीके से इसका समाधान खोजने की कोशिश करनी है। पीडा और चिन्ता के साथ मुझे यह कहना है कि महात्मा गांधी के जन्म स्थान गुजरात में, जहां उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उत्थान के लिए आंदोलन शुरू किया था। शिक्षा, रोजगार और पदोन्नति के क्षेत्र में इन लोगों के लिए आरक्षण के प्रश्न पर गत दो महीने से आंदोलन चल रहा है और क्या वहां इस तरह का आरक्षण होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। श्रीमान, मैं आंकड़े उद्धृत करने में सदन का समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे मित्र तथा प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री पासवान ने आंकड़े पहले ही दे दिए हैं। वास्तविक प्रश्न है कि गुजरात में पददलित, गरीब, शोषित वर्गों का और उन सभी लोगों को जो समाज के निम्न तबके के हैं और उन लोगों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं और जो खेतों तथा कारखानों में काम करते हैं और जो उत्पादन को बरकरार रखते हुए राष्ट्र की जीवनधारा को कायम रखते हैं, उन्हें परेशान और संत्रस्त किया जा रहा है। उन पर हमले किए जा रहे हैं और उनके घरों एवं बस्तियों को जलाया जा रहा है और नफरत की लपटें राजस्थान की ओर फैल रही हैं। इस तरह की बेहूदी घटनाओं में सहयोगी इस तरह के तत्वों और कारणों की पृष्ठभूमि का हमें मूल्यांकन करना है।

महोदय, हम सब ऐसे समाज में रहते हैं जो वर्ग और जाति के आधार पर बंटा हुआ है जहां धनी लोग गरीबों के श्रम पर फलते-फूलते हैं, जहां अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लोगों के साथ घृणित अछूतों जैसे व्यवहार किया जाता है और जो तरह तरह की अयोग्यताओं से परेशान होते हैं। इन अयोग्यताओं के कारण ही यह बात है कि भारत के संविधान में सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है जिनसे इन पददलित लोगों का विकास होगा। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ओर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के इन उपेक्षित और पददलित लोगों की आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ रही है और दूसरी ओर देश में बेरोजगार लोगों की फौज तेजी से तैयार हो रही है। अनुसूचित जातियों तथा गैर-अनसूचित जातियों के लोगों में भीषण

*बंगला में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बेरोजगारी है और रोजगार दुर्लभ तथा सीमित होता जा रहा है। जब वास्तविक स्थिति यह है तो हम इसका आधारभूत समाधान खोजने की बजाय हम असली समस्या की टालमटोल करने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक धोखा है जिससे राजस्थान और गुजरात की घटनाएं हुई हैं। इससे अगला प्रश्न यह उठता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग किस तरह अपना उद्धार कर सकते हैं। सभी तरह की सामाजिक और आर्थिक अक्षमताओं और भेदभावों से उन्हें किस तरह मुक्त किया जा सकता है। श्रीमान, हमारा दृढ़ विश्वास है कि इन सभी उपेक्षित लोगों की मुक्ति का मार्ग एवं संयुक्त संघर्ष में निहित है जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियोंके लोगों को अपने उन गैर-अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध भाइयों के साथ शरीक होना चाहिए जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिमों और गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं गरीब हिन्दुओं को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और सभी सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सभी तरह के शोषण के खिलाफ, सभी तरह के अन्याय के खिलाफ एक अनवरत लड़ाई छेड़नी चाहिए और उन अवरोधों को उखाड़ फेंकना चाहिए जो हमारे देश के विशाल जनसमुदाय को बन्धन और आर्थिक बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। इस संयुक्त संघर्ष में ही सभी के उद्धार की आशा निहित है। हम यह भी अनुभव करते है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षा उपायों और आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों, जैसे कि अनुच्छेद 16 और 353 में दिये गए हैं, जारी रहने चाहिए क्योंकि आंध्र, तामिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में इस तरह के लोगों को आज भी मूलभूत मानव अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, आज भी वे दासता के बंधन में जकड़े हुए हैं और कष्ट उठा रहे हैं और वे एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां कानून उनके प्रति पक्षपातपूर्ण है। जब हम आरक्षण का समर्थन करते हैं तो हमें स्थिति की वास्तविकताओं से अपनी आंखें नहीं फेर लेनी चाहिए क्योंकि उस बात का पता करने के लिए हमें यथार्थपरक मूल्यांकन करना है कि इन सभी तेतीस वर्षों में इन आरक्षणों से उन लोगों को, जिनके लिए ये किए गए हैं, आगे बढ़ने तथा समानता के स्तर पर दूसरे लोगों के साथ प्रतियोगिता करने में कहां तक सफलता मिली है। यह कहना अनावश्यक है कि इस मामले में प्रगति शर्मनाक रूप से नगण्य रही है। हम आज भी यह अनुभव करते हैं कि वे लोग इन आरक्षणों से आगे बढ़ने और धीरे-धीरे सुधार करने में समर्थ होंगे। गलतफहमी को दुरुस्त करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के योग्य और सक्षम लोगों के लिए पदोन्नति के मामले में भी आरक्षणहोना चाहिए। हम यह भी अनुभव करते हैं कि न्यूनतम योग्यताओं वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लड़कों की स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए आरक्षण होना चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि सम्पूर्ण रूप में लोकतांत्रिक आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी इस तथ्य में निहित है कि हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं, दुःख तथा पीड़ा की ठीक ठीक मूल्यांकन करने में असफल रहे हैं और हम उन्हें मजदूर वर्ग—श्रमिक, किसानों और मजदूरों के लोकतांत्रिक आंदोलनों से जोड़ने के लिए उनमें उत्साह पैदा करने में असफल रहे हैं और हम उन्हें इन आंदोलनों से जोड़ने में असफल रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप हम उन्हें मुख्य राष्ट्रीयधारा में लाने में

असफल रहे हैं। इसलिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि शासक वर्ग तथा सरकार में बैठे लोगों द्वारा इन लोगों के प्रति महज सहानुभूति व्यक्त करने से उन्हें अपनी समस्या को हल करने में सहायता नहीं मिलेगी। आवश्यकता है दृढ़ इच्छा शक्ति कार्यवाही मूलक योजना की जिसे उनकी कठिनाइयों पर विचार करना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अपने सभी मित्रों और उनके नेताओं से अपील करना चाहूंगा कि उन्हें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही अपनी जनसंख्या के 50 प्रतिशत से भी अधिक लोगों के विशाल सर्वहारा जनसमुदाय के संगठित संघर्ष से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। सवर्ण हिन्दुओं में बहुत से प्रगतिशील तत्व हैं जो जाति व्यवस्था के विरुद्ध हैं। हमें उन्हें भी अपने साथ लेना है। केवल इस तरह के संयुक्त संघर्ष में शामिल होकर ही वे उन सामाजिक अन्यायों से अपने आपको मुक्त कराने में समर्थ हो सकेंगे जिनसे उनकी अत्याधिक हानि हुई है और इसी से वे अपने आपको अस्पृश्यता के अभिशाप से मुक्त कर सकते हैं। यह आधारभूत समस्या है और यह उसका आधारभूत समाधान है। मैं बाबूजी से यह सही रास्ता अख्तियार करने की अपील करूंगा। लेकिन इस दिशा में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाना चाहिए वह यह है कि देश में भूमि सुधार लागू किया जाना और खेत जोतने वाले लोगों तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को वह भूमि देना। यह कहने में मुझे गर्व की भावना का अनुभव होता है कि पश्चिम बंगाल सरकार एक अत्यंत प्रभावकारी तरीके से इस रास्ते का अनुकरण कर रही है। बड़गादरी प्रणाली में भूमि सुधार लागू करके भूमिहीनों को जिनमें अधिक संख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की है, भूमि वितरित कर रहे हैं। महोदय, 1980 के मध्यावधि चुनाव से पूर्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री भोलापासवान शास्त्री पश्चिम बंगाल गए थे और भूमि सुधारों के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए कार्य की उन्होंने अत्यन्त प्रशंसा की थी। जनवरी, 1981 के दौरान श्री शास्त्री ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था और स्वयं यह बात देखी थी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को किस तरह भूमि के पट्टे दिए जा रहे थे। एक बार पुनः उन्होंने इस कार्य पर अपना पूर्ण सन्तोष व्यक्त किया। मैं कहूंगा कि समुचित भूमि सुधारों के माध्यम से और शोषित लोगों द्वारा एक संयुक्त संघर्ष के माध्यम से हम उस सामाजिक तथा आर्थिक अन्याय को समाप्त कर सकते हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पीड़ित करने में लगा हुआ है। इसके साथ ही एक अत्यावश्यक उपाय के रूप में एकाधिकारियों के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता है। देश में ये एकाधिकारी तथा सामंती तत्व हैं जो शोषकों के विरुद्ध शोषित लोगों के एक संयुक्त संघर्ष को निष्फल बनाने का हमेशा ही प्रयास करेंगे। ये वे तत्व हैं जो उन्हें विभाजित रखने की कोशिश करेंगे। ये वे तत्व हैं जो शोषित वर्गों के विभिन्न भागों के बीच घृणा पैदा करने की कोशिश करेंगे और देश में आंदोलन पैदा करेंगे। वे मुक्ति के इस संघर्ष की दिशा बदल रहे हैं। ये निहित स्वार्थियों की दिग्भ्रम करने वाली चालें हैं

जो गुजरात, राजस्थान, जमशेदपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद और आसाम में हुई घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। महोदय, संसद के इस सदन से मैं गुजरात और राजस्थान के लोगों से, वस्तुतः अपने देश के सभी लोगों से इस बात की अपील करता हूं कि उन्हें स्वजनघाती इस आंदोलन को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। इसके साथ ही मैं सरकार से इस बात की अपील करूंगा कि उसे राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए सभी राजनैतिक दलों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए केवल जो इन बेहूदी विभाजनकारी ताकतों पर नियंत्रण कर सकता है और जो उन तत्वों को जो आरक्षण के मसले पर दंगों में शामिल हो रहे हैं, विवेकशील बना सकता है। मौजूदा समस्या हल करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच से सम्पूर्ण प्रयास होना चाहिए। और आधारभूत समस्याओं को समाधान करके हमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी सदस्यों को और उन अधिकांश लोगों को जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, शामिल करके गरीबी, के खिलाफ तथा सभी सामाजिक बुराइयों तथा आर्थिक विषमताओं और शोषण को उन्मूलन करने हेतु युद्ध की घोषणा करने के लिए एक संयुक्त संघर्ष शुरू करना चाहिए। हमें शोषणविहीन समाज की संरचना करनी है। इसलिए मैं कहूंगा : सब मिल कर काम करो। हिन्दू आएं, मुसलमान आएं, ईसाई आएं— सब एक साथ मिल कर काम करें। हमें राष्ट्रीय चेतना जागृत करनी चाहिए। हमें अपने दलगत अन्तर को भुला देना चाहिए। क्या हम यह नहीं कर सकते जबकि गुजरात, जमशेदपुर और आसाम की आग देश को बरबाद कर रही है। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में तथा देश के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ? यदि हम अवसर के अनुसार काम करने में असफल रहते हैं तो भावी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। यदि निहित स्वार्थ, विघटन कारी तथा सांप्रदायिक ताकतें अनुभव करती हैं कि वे आने वाले सभी समयों के लिए शोषकों के खिलाफ शोषितों की क्रान्ति को रोक सकते हैं तो मैं यह अवश्य कहूंगा कि वे गलतफहमियों की दुनियां में रह रहे हैं। यदि हम गुजरात, राजस्थान, मुरादाबाद, जमशेदपुर, उत्तर प्रदेश और कश्मीर में स्वजनघाती घटनाओं को नहीं रोक सकते तो हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस अग्नि से एक ऐसी महान व्यक्तियों का उदगम होगा जिन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के रूप में नहीं जाना जाएगा, उन्हें जमींदारों तथा शोषकों के रूप में नहीं जाना जाएगा। उन्हें सवर्ण हिन्दुओं अथवा मुसलमानों के रूप में नहीं जाना जाएगा अपितु वे सभी एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां प्रत्येक व्यक्ति समान सामाजिक तथा आर्थिक स्तर का उपयोग करेगा और वे सभी व्यक्ति एक दूसरे के समकक्ष होंगे और जहां समाज उसकी आवश्यकताओं, उसकी शिक्षा और उसके विकास की देखरेख करेगा। मैं सभी राजनीतिक दलों से और खासतौर पर सरकार से यह मार्ग अपनाने की अपील करता हूं क्योंकि शेष सभी की अपेक्षा सरकार की जिम्मेदारी बड़ी है। मुझे इस बात का विश्वास है कि यदि सरकार यह रास्ता अख्तियार कर लेती है तो कोई भी विरोधी दल कभी उसका विरोध नहीं करेगा। मुझे आशा थी कि जब संसद राष्ट्रीय महत्व के मामले पर चर्चा कर रही है तो प्रधान मन्त्री हमारे बीच उपस्थित होंगी, लेकिन वे यहां नहीं हैं। मुझे इस का दुःख है लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि समय तेजी से बीत रहा है। हमें सभी राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन अवश्य बुलाना चाहिए और राष्ट्रीय चेतना जागृत करनी चाहिए और इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ इस देश को अंधेरे से सभी व्यक्तियों की स्पष्ट

समानता की ज्योति की ओर ले जाना चाहिए । यदि हम ऐसा करने में अशफल रहे, तो संसदीय लोकतन्त्र के प्रति जनता का विश्वास उठ जाएगा । वे क्रांति का रास्ता अपनाएंगे, नई समाज व्यवस्था स्थापित करेंगे और एक नए समाज की संरचना करेंगे जहां प्रत्येक व्यक्ति समान होगा और जहां कोई शोषण नहीं होगा, कोई जातिगत घृणा नहीं होगी, कोई असमानता होगी और न कोई छुआछूत होगी ।

श्री सी० डी० पटेल (सूरत) : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल गुजरात आंदोलन की चर्चा करूंगा । जहां तक गुजरात के आंदोलन का सम्बन्ध है. हमें आंदोलन के मूल कारण को देखना है और उस पर गहराई से विचार करना होगा । आंदोलन के विशेष अध्ययन से यह बात मालूम होता है कि आंदोलन का मुख्य कारण क्या था ।

जहां तक स्नातकोत्तर चिकित्सा-पाठ्यक्रम में स्थानों के आरक्षण का सम्बन्ध यह है, यह आरक्षण 1975 में शुरू हुआ था और उस अमय राज्यपाल का शासन वहां था । राज्यपाल के शासन के पश्चात जब जनता सरकार आई तो उसने राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाही की पुष्टि कर दी । अब, वहां 1975 से 1981 तक कोई आन्दोलन नहीं हुआ और आंदोलन शुरू हुआ 1981 के वर्ष में । महोदय, यह इसलिए क्योंकि श्री सोलंकी सरकार ने शासन संभाल लिया है । और वे सोलंकी-सरकार को गिराने के विचार से यह खिलवाड़ कर रहे हैं । वहां दो आंदोलन हुए वे जो राजनीतिक विवाद उठाने के लिए शुरू किए गए थे परन्तु जब वे उन आंदोलनों में असफल हो गए तो उन्होंने यह आंदोलन शुरू कर दिया ।

महोदय, जहां तक पिछले कार्य को आगे बढ़ाने अथवा पारस्परिक परिवर्तनशीलता के सिद्धान्त का सम्बन्ध है मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा । इन विषयों पर काफी चर्चा हुई है, परन्तु जहां तक चिकित्सा छात्रों की मांग का सम्बन्ध है, मैं एक उदाहरण देते हुए अपनी बात प्रस्तुत करूंगा । अहमदाबाद बी० जे० मेडीकल कालेज में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए 65 स्थान हैं । यदि वर्तमान नियम को देखा जाए तथा आगे ले जाए जाने वाले स्थानों की प्रणाली को जारी रखा जाए तब इन पैंसठ स्थानों में से अड़तीस स्थान अनारक्षित वर्गों के लिए हैं और सत्ताईस स्थान आरक्षित वर्गों के लिए हैं । आगे ले जाए जाने वाले स्थानों की प्रणाली के कारण दस स्थान चले गए हैं । इस प्रकार, अनारक्षित वर्गों के लिए अड़तालीस स्थान हैं । इन पैंसठ स्थानों में से अब तक आरक्षित वर्गों हेतु केवल सात स्थान भरे गए हैं । अब वे कहते हैं कि अठ्ठावन स्थान अनारक्षित वर्गों के लिए हैं और आरक्षित वर्गों के लिए सात स्थान हैं, जो पर्याप्त नहीं हैं ।

उनका कहना है योग्यता के प्रश्न पर यदि विद्यार्थी को हानि नहीं होनी चाहिए । तब गुजरात सरकार ने कहा कि वे स्थानों की संख्या बढ़ाने जा रही है । तब विषयों के चयन का प्रश्न उपस्थित हो गया । उन्होने कहा : यदि आप स्थानों की संख्या बढ़ाते हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु रोस्टर को चुनौती देते हुए विषयों के चयन की अनुमति के लिए हम तैयार नहीं हैं ! जहां तक मेडिकोडा के हाउसमैनशिप तथा पंजीकरण की मांग का सम्बन्ध है, यह मांग अत्यन्त अनुचित

है। इस मांग को माना नहीं जा सकता। यह आरक्षण की नीति के विपरीत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जहां तक गुजरात सरकार द्वारा कुल मिलाकर अपनाई गई नीती का संबंध है, मेरा निवेदन है कि आरक्षण की नीति से हटकर कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। गुजरात सरकार तो सिर्फ यह चाहती है कि योग्य छात्रों को स्थान दिया जाना चाहिए और योग्य छात्रों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। गुजरात सरकार द्वारा ये कदम केवल इन योग्य छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए उठाए गए थे। किन्तु ये अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों जैसे आरक्षित वर्गों के हितों के बिल्कुल विपरीत नहीं हैं। अतः, महोदय गुजरात सरकार द्वारा उठाए गए कदम सही हैं। गुजरात सरकार द्वारा सही कदम उठाऐ गए हैं।

अब मैं आन्दोलन के मुद्दे पर आता हूं। जहां तक आन्दोलन का सम्बन्ध में, इस बारे में क्या कुछ हुआ। आन्दोलन के अतिरिक्त, इसके साथ-साथ उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी। विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में 1962 से 1981 तक इस सम्बन्ध में अनेक निर्णय दिये जा चुके हैं। महोदय, अब गुजरात उच्च न्यायालय के हाल के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं की गई है। अब वे कहते हैं कि वे इस मामलों को सड़कों पर ले जाएंगे। यह लोकतांत्रिक कदम नहीं है।

लोक-तन्त्र का आधारभूत सिद्धांत तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी बारे में नाराज है तो उनके पास के वल एक ही रास्ता है कि वे न्यायालय में जाएं जहां उन्हें चुनौती दी जानी होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया वे इसे वर्ष 1962 से 1981 तक इसे चुनौती देतेआए हैं। मेरे मित्र, श्री चटर्जी ने उच्चतम न्यायालय निर्णय के कुछ पैरों को उद्धृत किया है। इन सभी निर्णयों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आरक्षण मूलभूत अधिकार है और इसकी रक्षा करनी ही होगी। महोदय, इस बात को हमारे संविधान में स्वीकार किया गया है और इसे हम सबने स्वीकार किया है। यदि कोई कानून संवैधानिक अथवा अमान्य है, तब इसे न्यायालय में चुनौती दिए जाने का मार्ग है और इसका सहारा लिया जा सकता है। और अन्ततोगत्वा यदि कानून को न्यायालय द्वारा विधिमान्य तथा वैध पाया जाता है, तब लोकतान्त्रिक पद्धति में इसका दूसरा विकल्प चुनाव हैं। आप इसे चुनाव के माध्यम से लोकतान्त्रिक ढंग से चुनौती दे सकते हैं। गुजरात में क्या हुआ है? एक वर्ष के भीतर गुजरात में अब तक तीन चुनाव हो चुके हैं। इन सभी चुनावों में, उन लोगों की पराजय हुई है, जो ये सब दावे कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें न्यायालय में अथवा एक वर्ष की अवधि के दौरान अब तक हुए चुनावों में उन्हें कोई सफलता नहीं मिली है, अब वे गुजरात सरकार के लिए कुछ संकट पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन बातों से निपटने के लिए यह नितान्त अलोकतान्त्रिक तरीका है। महोदय, 1975 की घटना अथवा प्रसंग को लीजिए। 1975 में इस बात का विस्तृत तथा सुनियोजित प्रचार किया गया कि श्री विश्वनाथन, जो गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल थे, अपने पुत्र को दाखिल कराना चाहते थे, और इसलिए ये सब कुछ किया गया। अब इसके तुरंत बाद एक प्रेस वक्तव्य निकला जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि उनके पुत्र को वर्ष 1975 में दाखिल नहीं कराया जाना था, क्योंकि उनका पुत्र 1973 में पहले ही दाखिल किया जा चुका था, आदि-आदि। तत्कालीन राज्यपाल श्री विश्वनाथन

किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के नहीं थे। किन्तु इस प्रकार का अनावश्यक प्रचार किया गया और यह सिद्ध हुआ कि यह प्रचार कितना झूठा तथा दुर्भावनापूर्ण था।

कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा हरिजनों पर अत्याचार रोकने के संबंध में, कि गुजरात सरकार तथा वहां के वर्तमान मुख्य मंत्री ने इस स्थिति को काफी प्रभावी ढंग से एवं अच्छी तरह से संभाला है।

जहां तक अहमदाबाद का सम्बन्ध है, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 18 पुलिस थाने हैं और इस 18 पुलिस थानों में 14 में कोई कर्फ्यू नहीं है और केवल चार पुलिस थानों में कर्फ्यू लगा हुआ है, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का अड्डा है जो कानून और व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने के लिए इस प्रकार की गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, यही कारण है कि इन क्षेत्रों में यह आन्दोलन जारी है। मेरा विनम्र निवेदन यह है। जहां तक गुजरात के क्षेत्रों का सम्बन्ध है अब उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। जहां तक कानून और व्यवस्था की स्थिति का सम्बन्ध है, मेरे माननीय मित्रों ने अपने शानदार भाषणों में बताया है कि वहां हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। किन्तु मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जहां तक हरिजनों की सुरक्षा का सम्बन्ध है, न केवल हरिजनों अपितु लोगों के सभी वर्गों की सुरक्षा का सम्बन्ध है, उनका अच्छी तरह से संरक्षण किया जा रहा है। जहां तक गुजरात सरकार का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि हरिजनों पर कोई अत्याचार नहीं हुआ है। जहां तक पुलिस का सम्बन्ध है, उपद्रवियों द्वारा पुलिस पर काफी सुनियोजित ढंग से आक्रमण किए जा रहे हैं (व्यवधान)। अभी मेरे माननीय सदस्य बाबू जगजीवन राम ने एक भूतपूर्व सांसद श्री दया भाई जो जनता पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं, द्वारा परिचालित ज्ञापन के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। यह ज्ञापन गुजरात के मुख्य मंत्री को वितरित नहीं किया गया है और जैसे ही ये तथ्य उनकी जानकारी में लाए गए तो उन्होंने तत्काल इसका खण्डन किया, जिसे उनके गले में उतारा जाना अपेक्षित था। इस परिपत्र को दिल्ली में परिचालित किया गया था, न कि गुजरात में। किन्तु ज्ञापन में बताये गए सिद्धांत से मैं सहमत हूं। गुजरात के मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों ने स्पष्ट रूप से तथा खुले शब्दों में घोषणा की है कि वे आरक्षण समाप्त किए जाने को स्वीकार करने की अपेक्षा सत्ता को छोड़ देंगे। हम इस सम्बन्ध में एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इस तथ्य की जानकारी इस ज्ञापन में नहीं दी गई है।

सदन में तथा सदन के बाहर प्रत्येक व्यक्ति से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमें इस स्थिति को गम्भीरता से लेना होगा। इस आक्रमण से समाज को चोट पहुंचेगी और लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचेगी। जहां तक गुजरात का सम्बन्ध है, जहां तक दक्षिण गुजरात का सम्बन्ध है, जहां तक सूरत तथा वलसार जिलों का सम्बन्ध है, इन जिलों में रहने वाली कम से कम 75% जनसंख्या आरक्षित वर्ग में आती है। बलसार जिले में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां आरक्षित वर्ग के लोगों की जनसंख्या 50% से कम हो। वे समाज के स्वरूप को चुनौती दे रहे हैं तथा इस देश में अपनाई गई लोकतान्त्रिक पद्धति को चुनौती दे रहे हैं। हम नहीं जानते कि यह आन्दोलन हमें कहां ले जाएगा। यदि इन आन्दोलनों को चलने दिया गया, तो ये जाति-युद्ध की ओर चला जाएगा, जो

अन्ततोगत्वा वर्ग-संघर्ष में बदल जाएगा। अतः यह बहुत ही आवश्यक है कि इस आन्दोलन को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। जहां तक इस माननीय सदन का सम्बंध है, प्रत्येक व्यक्ति को गुजरात में वर्तमान आन्दोलन की निन्दा करनी चाहिए।

मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि जहां तक आन्दोलन का सम्बन्ध है, मैं पूरी नम्रता से निवेदन करता हूं कि यह हमें काफी खतरनाक तथा विनाश की स्थिति में ले जाएगा, जो कुल मिलाकर देश के हित में नहीं होगा। यदि यह आन्दोलन राज्य के शेष भाग तथा पड़ोसी राज्यों में भड़कता है, तो ऐसी स्थिति में हम जाति संघर्ष तथा वर्ग संघर्ष को निमन्त्रण दे रहे होंगे। अतः संरक्षण इस ढंग के दिया जाना है जिससे कि समाज के किसी भी वर्ग की उपेक्षा न हो। यह एक गम्भीर मामला है और इससे पूरी गम्भीरता से निपटने की आवश्यकता है। मेरा विनम्र निवेदन यह है और मैं इस सम्मानीय सदन से अपील करना चाहता हूं कि हम सभी एकजुट होकर इस आन्दोलन की एक स्वर से निन्दा करें। इसमें एक विशेष वर्ग की दिलचस्पी है और वे राज्य सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है। हमें इस अवसर पर अवश्य उठना चाहिए। मैं पूरी विनम्रता की प्रार्थना करता हूं तथा आशा करता हूं कि सदस्य इससे सहमत होंगे जिससे कि इस स्थिति को और बिगड़ने न दिया जाए।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आज यह माननीय सदन देश की बहुत ही गम्भीर समस्या पर विचार कर रहा है। आज गुजरात में जो आग लगी है, उसका असर राजस्थान में भी पहुंच चुका है, यू० पी० में भी पहुंच रहा है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी उस आग की लपटें पहुंचना चाहती हैं। मैं प्रधान मंत्री का, केन्द्रीय सरकार का और गुजरात-सरकार का आभारी हूं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आरक्षण के बारे में कोई बातचीत नहीं हो सकती।

(श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

श्री जैनुल बशर : सभापति जी, सरकार ने करेक्ट स्टैप लिया है, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और आरक्षण के बारे में किसी भी राजनीतिक दल के दो मत नहीं हैं। देश के संविधान निर्माताओं ने आरक्षण इसलिए रखा था कि सदियों से दबा हुआ, सदियों से कुचला हुआ गरीब हरिजन आदिवासी, जो इस देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। जिनके साथ सदियों से अन्याय होता रहा है उनको राष्ट्रीय धारा में बराबर का हिस्सा मिल सके, वे आगे आ सकें, वे तरक्की कर सकें, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने यह एक सही फैसला किया था। इसके लिए देश के उच्च वर्ग के लोगों को, देश के आगे बढ़े हुए लोगों को कुर्बानी देनी होगी, कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा, तभी उन लोगों की क्षतिपूर्ति हो सकती है।

सभापति महोदय, इस मामले में देश के सभी लोग राजी थे सारी जनता राजी थी और इस मामले में कोई दो मत नहीं थे, लेकिन आज गुजरात से यह जो आग शुरु हुई है और कुछ

लोग इस आग को भड़काना चाहते हैं, अगर यह आग देश के बड़े हिस्सों में फैल गई तो इस बात की आशंका है कि हमको एक नेशनलक्राइसिस से गुजरना पड़ेगा, एक राष्ट्रीय संकट से गुजरना पड़ेगा, और सारा देश गृह-युद्ध या सिविलवार की चपेट में आ जाएगा। यह सिविल वार अमेरिकन सिविल वार की तरह नहीं होगा जहां कुछ रियासतें कुछ रियासतों के साथ लड़ी थीं, जहां अमेरिका दक्षिणी भाग अमेरिका के उत्तरी भाग से लड़ा था, अगर यह गृह-युद्ध हमारे देश में फैल गया तो गाँव-गांव, शहर-शहर, मोहल्लेमोहल्ले और एक-एक घर को अपनी चपेट में ले लेगी। इसलिए सभापति महोदय, यह एक नेशनल क्राइसिस है, जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। हमें इसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। इसे रोकने के लिए सभी की सहमति होनी चाहिए। अब वह समय नहीं है कि हम यहां से बैठे- बैठे विरोधी दल के लोगों की आलोचना करें और विरोधी दल के लोग यहां बैठे-बैठे हमारी आलोचना करें। इस मामले में सब की सहमति होनी चाहिए।

जब बाहर से हमारे देश पर आक्रमण हुआ तब हम एक आदमी की तरह एक जुट हो गए थे, पूरा राष्ट्र एक जुट हो गया था और आक्रमणकारी का हमने एक जुट होकर मुकाबला किया था तो आज जब आंतरिक खतरा है तो उसका मुकाबला करने के लिए हम सब लोग एक जुट नहीं हो सकते हैं ? हमें एक जुट होना चाहिए। जब तक हम एक जुट नहीं होंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

गुजरात में हरिजनों पर अत्याचारों के समाचार मिल रहे हैं। इस सदन में और इस सदन के बाहर भी समाचारपत्रों ने लिखा है कि गुजरात पुलिस ने हरिजनों पर अत्याचार किया है। पुलिस के लिए यह कोई नई बात नहीं है। पुलिस में कुछ ऐसी मनोवृत्ति के लोग हैं जो जब भी माइनोरिटीज, कमजोर वर्ग के लोगों, आदिवासियों या शैड्यूल्ड कास्ट्स का मामला आता है हमेशा उन पर अत्याचार करते हैं। हरिजनों पर ये अत्याचार महात्मा गांधी के प्रदेश में हुए हैं। महात्मा गांधी जिन्होंने हरिजनों के उद्धार का नारा दिया, जिन्होंने इस देश को एक राष्ट्र बनाया, जिन्होंने उन पर दया ही नहीं बल्कि उनके साथ न्याय करने की बात भी कही, उनके प्रदेश में ऐसा हुआ। जिन्होंने इस देश को एक राष्ट्र के रूप में उभारा उनके प्रदेश में—मैं नहीं जानता, मुझे जान कर खुशी होगी अगर कोई मेरे सामने इस तरह की मिसाल पेश कर दे,—कोई भी गांधीवादी जब हरिजनों को मारा जा रहा था तो सामने नहीं आया। अगर एक भी गांधीवादी की हरिजनों को बचाते हुए हत्या हो जाती, उसका खून बह जाता तो महात्मा गांधी की आत्मा संतुष्ट हो जाती। गुजरात में गांधीवादी विचारों के बहुत अधिक लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी गांधीवादी किसी भी हरिजन को बचाने के लिए सामने नहीं आया, उसने अपनी कुर्बानी नहीं दी।

आज कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो आरक्षण के खिलाफ लोगों को उकसा रही हैं, जो इस झगड़े का फायदा उठाकर लोगों को उनके खिलाफ एक जुट करना चाहती है। हम तेजी के साथ कनफ्रंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी एजीटेशन कर रहे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर राजनीतिक पार्टियां सिद्धान्तों और कार्यक्रमों के आधार पर बनने के बजाय जातीय

आधार पर बनने लग जाएंगी, राजनीतिक पार्टियों के बीच समझौते सिद्धान्तों और कार्यक्रमों के आधार पर न हो कर जातीय आधार पर होने लग जाएंगे तो इस देश में जितने भी मूल्य हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं वे सब समाप्त हो जाएंगी, यहां तक कि हमारा जनतन्त्र भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हमें कनफ्रंटेशन से बचना चाहिए। जाति के नाम पर हम को एक जुट नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं सोचना चाहिए। जातियों के साथ समझौते जातियों के खिलाफ करने की बात नहीं सोचनी चाहिए। इससे किसी भी जाति का फायदा नहीं होने वाला है, किसी व्यक्ति का फायदा नहीं होने वाला है और हमारे राष्ट्र का नुकसान अवश्य होने वाला है, जिन मूल्यों के लिए हमारे फोर फादर्ज ने कुर्बानियां दीं, जिन मूल्यों के लिए हम ने कुर्बानियां दीं, उन मूल्यों पर आघात अवश्य होने वाला है।

सभापति जी, ऐसी स्थिति में यह प्रभुता सम्पन्न सदन है, यहां सभी वर्ग के प्रतिनिधि हैं सभी राजनीति दलों, सभी जातियों वर्गों और सम्प्रदायों तथा सभी भाषाओं के बोलने वाले लोग हैं, हमको सबसे पहले इस सदन में एक कौंसेन्शस बनानी चाहिए। और वैसे भले ही हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन मैं जानता हूं कि सभी का हृदय कांप रहा है, सभी गम्भीरता से सोच रहे हैं और चाहते हैं कि इस तरह का कोई कौंसेन्शस बने। मैं एक राय देना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि गुजरात में गृह मंत्री के साथ सभी राजनीतिक दलों के नेता सर्वश्री वाजपेयी, चरणसिंह, बाबू जगजीवनराम, चन्द्रशेखर, मधु दंडवते, इन सबका एक पीस मिशन गुजरात और राजस्थान में भेजा जाए जो अहमदाबाद और जयपुर में जा कर लोगों से अपील करे कि आप आन्दोलन बन्द कर दीजिए क्योंकि यह राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है, देश की भावनाओं के विरुद्ध है, महात्मा गांधी के आदर्शों के विरुद्ध है। सारे राजनीतिक नेता इस बात को भूल जाएं कि किस से किसको फायदा और नुकसान होने वाला है, बल्कि यह सोचें कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और उसी रूप में इसको लेना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : सभापति जी, मैं आशा करता था कि गुजरात के बारे में आज की चर्चा कुछ दूसरे वातावरण में होगी। मैं आशा करता था कि इस चर्चा के दौरान सदन की नेत्री, प्रधान मंत्री उपस्थित रहेंगी।

कुछ माननीय सदस्य : प्रधान मंत्री जी आ गयीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं यह भी आशा करता था कि सदन की ओर से इस सम्बन्ध में कोई बात एक स्वर से कही जायगी जो बात उभड़ी हुई भावनाओं को शांत कर सके, आरक्षण के सवाल को उसके सही परिप्रेक्ष्य में रख सके और उस संकल्प को दोहरा सके जो संकल्प इस सदन ने कुछ ही महीने पहले विधान मंडलों और संसद में रिजर्वेशन की अवधि को 10 साल बढ़ाने का फैसला करके किया था। इस सदन को उस संकल्प को दोहराने की जरूरत है कि सेवाओं और शिक्षाओं में आरक्षण की जो नीति हमने अपनायी है वह एक राष्ट्रीय

नीति है, सारा सदन उस नीति से बंधा हुआ है और उस नीति पर दृढ़ता से अमल करने की आवश्यकता है । लेकिन में देख रहा हूं कि कोई सर्वसम्मत प्रस्ताव लाने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है ।

कुछ माननीय सदस्य : प्रस्ताव आ रहा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सत्तारूढ़ दल यह मामला विरोधी दलों पर नहीं छोड़ सकता । दो तिहाई बहुमत आपका है, शासन के सूत्र आपके हाथ में हैं । एक माननीय सदस्य—यह राजनीति है । श्री वाजपेयी—यह अगर आपको राजनीति दिखाई दे रही है तो फिर आप राष्ट्र नीति को कभी नहीं समझ सकते ।

सभापति जी, मेरी कठिनाई यह है कि प्रस्ताव आ रहा है और आयेगा तो मैं क्या बोलूं ।...

श्री इन्द्र जीत गुप्त : हमें प्रारूप दिखाये बिना कोई संकल्प हमारे समक्ष अचानक पेश न कीजिए । प्रत्येक व्यक्ति संकल्प चाहता है, एक सर्वसम्मत प्रस्ताव । किन्तु अचानक कोई संकल्प रखकर यह न कहिए कि "इसे पारित करो ।"

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और अगर प्रस्ताव आ रहा है तो फिर भाषण देने की जरूरत नहीं है प्रस्ताव रख दीजिए । संकल्प तैयार करते समय हमसे परामर्श नहीं किया गया है । महोदय, ये कोई आश्चर्य पैदा करना चाहते हैं ।

सभापति जी, आज मैं आरोप-प्रत्यारोपों में फंसना नहीं चाहता । दोषारोपण समस्या का हल नहीं है । बलि के बकरे की तलाश हमें कहीं नहीं ले जाएगी । आप अगर आरोप करें, मैं प्रत्यारोप करने के लिए तैयार हूँ । मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि उस दिन श्री मकवाना ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की, मैं नहीं कहना चाहता ।

सर्वोदयी नेता ने अहमदाबाद में जो बैठक बुलाई थी, उसकी सूचना हमको नहीं मिली थी । लोक-दल को तो निमंत्रण दिया ही नहीं गया था । हमारे एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई थी, सब लोग उसकी शव-यात्रा में लगे थे । सर्वोदयी नेताओं ने बैठक में ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी वालों से सम्पर्क नहीं हो सका है, लोकदल वालों को बुलाया नहीं गया है, फिर भी मकवाना साहब ने सदन में आकर इस तरह का आरोप लगा दिया, यह चीज हमें दुःख पहुँचाती है ।

एक माननीय सदस्य : आप नहीं कहिए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अब मैं नहीं कहता, जाइये ।

गुजरात में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के डाक्टरों को अपना आन्दोलन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, कोई कारण नहीं है । यह बात मैंने अहमदाबाद में डाक्टरों से कही थी । जब

हम मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि कैरी फार्वड की प्रथा समाप्त कर दी गई है, इंटर-चेंजेबिलिटी की प्रथा समाप्त कर दी गई है। अगर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के विद्यार्थियों को स्थान देने से कोई योग्य विद्यार्थी वंचित होता है तो गुजरात की सरकार ने यह भी कहा कि हम उसके लिए अतिरिक्त स्थान बना देंगे।

इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं आगे जाकर, मगर हमने डाक्टरों से कहा कि इन व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में सरकार से बैठकर बात करें।

श्री ए० के० राय : क्या आप राज्य सरकार के कदमों को समर्थन करते हैं ?

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : हां, मैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री ए० के० राय : हम इसका समर्थन नहीं करते। यह समर्पण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

सभापति महोदय : आप बोलिए।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : मैं तो बोलूंगा ही।

सरकार ने जब यह बातें स्वीकार कर लीं, तो फिर आन्दोलन को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं था। मगर मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन मैडिकल कालेज के विद्यार्थियों के हाथ से निकल गया है।

मुझे स्कूल के विद्यार्थी मिले कि इस सम्बन्ध में भारतीय जनता पार्टी की नीति ठीक नहीं है। मैंने कहा कि आपसे रिजर्वेशन का क्या मतलब ? तो कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं, हम चाहते हैं कि वह परीक्षाएं टल जाएं। अगर आन्दोलन बढ़ेगा तो परीक्षाएं टल जायेंगी, हो सकता है कि बिना परीक्षा के हम को पास कर दिया जाए। यह लड़कपन है, मगर बड़ा खतरनाक खेल है।

आरक्षण की नीति जिस तरह से अमल में लाई गई है, उससे कुछ शिकायतें हैं और उन शिकायतों को देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मैडिकल कोर्सेज में भी केवल 9 राज्यों में आरक्षण है, बाकी के राज्यों में नहीं है।

मेरा निवेदन है कि यह मामला गुजरात तक का नहीं है, जैसा अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे और उस दिन भी भाषण में मैंने सुना। जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलने वाला है और अगर वह यह कहें, मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी की इसमें मुश्किल है, गुजरात में आरक्षण किया था जनता सरकार ने और वर्तमान सत्तारूढ़ दल में भी ऐसे सदस्य हो सकते हैं जो यह करे कि जनता सरकार ने जो दिया था, वह इंटरचेंजेब्लिटी आपने क्यों खत्म कर दी, कैरी फार्वड क्यों समाप्त कर दिया ? जगह खाली रखिये, जब शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लड़के आयेंगे, तब जगह भरी जाएगी यदि ऐसा कहा जाय तो इसमें भी बल है।

जहां राज्यों में यह मांग नहीं है, जहां अभी आरक्षण नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट मैडिकल कोर्सेज में, वहां अगर यह मांग होने लगे कि 9 राज्यों में आरक्षण है, यहां भी करो ? उस समय प्रतिक्रिया क्या होगी ?

दूसरी ओर जहां 9 राज्यों में आरक्षण है, वहां यदि यह मांग होती है कि अगर गुजरात में इंटरचेंजेबिलिटी खत्म हो सकती है, कैरी-फार्वर्ड खत्म हो सकता है, तो और राज्यों में क्यों नहीं खत्म होना चाहिए ?

इसलिए खाली गुजराज के मामले को नहीं देखना चाहिए । मैं इस मामले को केवल सीटों का मामला भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं । आरक्षण की सारी व्यवस्था इस बात पर टिकी है और टिकी थी--उसका आरम्भ इस बात में से हुआ कि समाज एक है, सैकड़ों वर्षों से हमारे कुछ बन्धु उपेक्षित रहे हैं, दलित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं, अब उनके साथ हमें न्याय करना है और इसमें अगर थोड़ा सा अन्याय उनके साथ हो जाए, जो सैकड़ों सालों से आगे रहे हैं, तो कोई अपत्ति नहीं होनी चाहिए, समाज की एकता को कायम रखने के लिए यह कीमत देनी पड़ेगी ।

मगर मैंने गुजरात में देखा है कि जो डाक्टर अच्छे लोग हैं, जो नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, मैं उनकी निन्दा नहीं करना चाहता हूं, वे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम उनको यह समझाने में असमर्थ रहे हैं कि अगर 22 रजिस्ट्रार होते हैं और उनमें से एक शिड्यूल्ड कास्ट का रजिस्ट्रार हो जाए, तो उन्हें आपत्ति क्यों होनी चाहिए । हम उनको नहीं समझा सके हैं । केन्द्रीय सचिवालय में काम करने वाले अपर कास्ट के कर्मचारियों को समझाना मुश्किल हो रहा है ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस सवाल ने सब दलों को बांट दिया है । कांच के घर में रहने वाले दूसरों पर पत्थर फेंकने की गलती न करें । इस सवाल ने सभी दलों को बांट दिया है, ट्रेड यूनियन्ज को बांट दिया है । यह हमारे समाज की एकता की जड़ पर कुठाराघात कर रहा है, और राष्ट्र की एकात्मता खतरे में हैं ।

लोग वर्तमान संकट को सिविलइजेशनल क्राइसिस कहते हैं । तब हम यह नहीं समझते थे कि ऐसा वर्णन क्यों किया जा रहा है । ख्याल था कि वर्तमान संकट आर्थिक है या राजनीतिक है ।

एक माननीय सदस्य : क्राइसिस आफ सिविलाइजेशन ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : सिविलाइजेशनल क्राइसिस और क्राइसिस आफ सिवलाइजेशन एक ही बात है ।

प्रो० मधु दन्डवते (राजापुर) : ट्रांसलेशन तो एक ही है ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : बड़ी कठिनाई के दिनों में भी, विदेशी आक्रमण के जमाने में,

पराधीनता के काल में, भेदभाव होते हुए, समाज कुरीतियों से ग्रस्त था, इसके बावजूद एक विश्वास, एक भाईचारा, कहीं न कहीं ममता, कहीं न कहीं आत्मीयता हम बनाए रखने में सफल हुए थे। वह ममता खत्म हो रही है, विश्वास टुकड़े-टुकड़े हो रहा है। यह कुछ सीटों का मामला नहीं है, नौकरियों का सवाल नहीं है। अगर विश्वास मिट गया, तो फिर कोई व्यवस्था, कोई कानून, कोई नियम उस स्नेह को पैदा नहीं कर सकता है, जिसके बल पर समाज साथ चलता है, कदम मिला कर आगे बढ़ता है।

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस संकल्प को दोहराएं कि जो रिजर्वेशन है, वह जारी रहेगी। मगर नई पीढ़ी को विश्वास में लेने की जरूरत है, उसे समझाने की जरूरत है, उसके सामने आंकड़े रखने की जरूरत है। जो प्रावलम का डाइमैंशन है, वह पोस्टग्रेजुएट में तो है ही नहीं। वहां के मैडिकल कालेज के विद्यार्थी कहने लगे कि साहब, जो योग्य नहीं है, वह कैसे पढ़ा सकता है। हमने पूछा कि अगर 94 टीचर्ज हैं, और उनमें एक शिड्यूल्ड कास्ट का आ गया, तो क्या स्टेण्डर्ड गिर जायेगा। यह नहीं हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : डोनेशन दे कर कालेजों में प्रवेश पा रहे हैं।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : डोनेशन से आ रहे है। अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कार्पोरेशन का जो कालेज है, उसमें ट्रस्टियों के उम्मीदवार आ रहे हैं। वे पैसे से आते हैं योग्यता से नहीं। उनके बारे में हमारे मन में थोड़ी सी भी आपत्ति नहीं होती है। मगर यह अनुमति कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे रक्त के रक्त, हमारे मांस के मांस हैं, हम अपने साथ थोड़ा अन्याय करेंगे, लेकिन उनको शिकायत नहीं होने देंगे, यह अनुमति मर रही है।

यह राजनीतिक का खेल नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रधानमन्त्री सदन में होतीं। वह बड़े नपे-तुले वक्तव्य दे रही हैं, बड़े संतुलित वक्तव्य दे रही हैं। मगर जब लोगों की भावनायें उभरती हैं, वे तो वे किस तरह से मतलब निकाल लेते हैं, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं।

"आंदोलनकारी चिकित्सा छात्रों की कार्यवाही समिति के अध्यक्ष डा० मुरेश वैष्णव ने श्रीमती गांधी के इस वक्तव्य का स्वागत किया है कि प्रतिभाशाली छात्रों के आरक्षण के कारण नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।

डा० वैष्णव ने कहा कि आरक्षण के मामले में हम उनके द्वारा उठाए गए साहसी कदम का स्वागत करते हैं।"

जो आंदोलन कर रहे हैं, यह उनके नेता हैं। वह प्रधान मंत्री के वक्तव्य में अपने लिए समर्थन देख रहे हैं। हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज वाले बंधु अपने लिए समर्थन देख रहे हैं।

श्री जगजीवन राम (सासाराम) : नहीं हम अपने लिए समर्थन नहीं देख रहे हैं। वह बहुत घातक वक्तव्य है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि यह मामला चतुराई से हल नहीं होगा। और यह मामला दोषारोपण से भी हल नहीं होगा। अगर आप सारा श्रेय हमें देना चाहते हैं···

एक माननीय सदस्य : तो हम लेने के लिए तैयार हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, हम इसके लायक ही नहीं हैं, हमारी शक्ति नहीं है और हम कन्विन्स्ड भी नहीं हैं। कन्विन्स्ड होंगे तो डंके की चोट पर कह देंगे। हम वोट के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, हम ने सत्ता के लिए सिद्धांतों का सौदा नहीं किया है। मगर हम कंविंस्ड हैं कि ये जो पिछड़े लोग हैं इनके साथ न्याय करना होगा। मगर नयी पीढ़ी को कैसे समझाएं ? एक कम्यूनिकेशन गैप है और यहाँ सरकार विफल रही है।

आप आंकड़े उठा कर देखें, मेरे पास रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं। कोई समझता ही नहीं है कि समस्या है क्या ? आप रिजर्व बैंक के आँकड़े देखिए, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक—इन में पन्द्रह परसेन्ट होना चाहिए और कहीं एक परसेन्ट से भी ज्यादा नहीं है। किस को हम दोष दें ? और आप जानते हैं बैंकों में क्या हो रहा है ? बैंकों का मैनेजमेंट कहता है कि ट्रेड यूनियन्स के साथ हमारा ऐग्रीमेंट है और ट्रेड यूनियन सब आर. एस. एस. नहीं चलाता, वी. जे. पी. नहीं चलाता, हमारे और मित्र भी ट्रेड यूनियन चलाते हैं। इस सवाल पर वह कहते हैं कि मैनेजमेंट का और ट्रेड यूनियन का समझौता हो गया है, रिजर्वेशन लागू होता है या नहीं होता है, इस चक्कर में मत पड़िए। यह चीज ट्रेड यूनियन को भी बांटती है।

मेडिकल कालेज में आप देखें कितने लोग हैं। मगर एक बात नौजवानों की समझ में नहीं आती कि सैकड़ों साल से अन्याय हुआ है। वह कहते हैं कि ठीक है, सैकड़ों साल से अन्याय हुआ है तो हमने तो नहीं किया, हम क्यों भुगतें ? उसके हृदय में यह समवेदना नहीं है, वह दर्द नहीं है और तैंतीस साल में अगर हम ने कोई बात खोयी है तो यह दर्द खोया है, यह समवेदना खोयी है, यह भाईचारा खोया है। सारे प्रश्नों का दुर्भाग्य से सारे मामले का राजनीतिकरण हो गया है। देश दलों में बट गया है और दल जातियों में बंट रहे हैं। देश ही नहीं बंटा है, दल ही नहीं बंटे हैं दिल भी बंट गए हैं।

इस सदन में बड़ी बड़ी बात कहने से नहीं होगा। बाहर की लड़ाई कौन लड़ेगा ? एक दल नहीं लड़ सकता, मैं मानता हूं। अभी यह शिक्षा-संस्थाओं तक मामला है। अब गुजरात के कर्मचारी मांग कर रहे हैं। उनसे पूछो कि क्या रिक्रूटमेंट में शिकायत है ? कहते हैं कि—रेक्रूटमेंट, में तो चल सकता है, मगर प्रोमोशन हमारी समझ में नहीं आता। जो हमारा जूनियर है वह सीनियर हो जाता है। मैं भी उनको संतुष्ट नहीं कर सकता। रेक्रूटमेंट में रिजर्वेशन समझ में आ सकता है, प्रोमोशन में भी सुप्रम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि प्रोमोशन में ठीक है और हम उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन जो दफ्तर में बैठा हुआ है वह कहता है कि यह बात ठीक नहीं है। आप उन्हें सुविधाएं दे कर सब के बराबर ले आइए मगर एक बार बराबर ले आइए तो छोड़ दीजिए। जो

आगे जाता है यह आगे जाएगा। वह मुझे रोस्टर दिखाते हैं कि पांच साल बाद डिप्टी सेक्रेटरी कौन होगा? मैं तो कह सकता हूँ कि कोई भी सेक्रेटरी हो उसकी चिन्ता नहीं है, हो जाने दो अपना ही भाई है मगर यह आर्थिक प्रश्न है, रोटी का सवाल है। व्यक्ति ऐसा अर्थमय हो गया है कि राष्ट्रीयता, समाज की एकता, बन्धुता, भाईचारा, स्नेह, ममत्व, ये मूल्य आज किसी को अपील नहीं करते है। यहां हम विफल हुए हैं।

अभी सर्वोदय नेताओं की बात हो रही थी। ऐसा नहीं है कि सर्वोदय नेताओं ने निन्दा नहीं की है। मगर सर्वोदय नेताओं की भी सीमा है। राजनीति सब पर छा गई है। राजनैतिक नेताओं की बात हर मामले में चलती है। सर्वोदय वालों को हमने पूछा कब है? अब गुजरात में संकट पैदा हो गया तो हमें सर्वोदय वालों की याद आ गई। मगर जब राजनीति को नैतिकता पर चलाने का सवाल आता है तो सर्वोदय वालों की बात कोई नहीं सुनता। तब सत्ता का लज्जाजनक खेल चलता है। आज एक संस्था टूट रही है, एक-एक मान्यता मिट रही है, एक-एक परम्परा पैरों तले रौंदी जा रही है। जो सत्ता में हैं वह सत्ता में रहना चाहते हैं और जो विरोधी दल में हैं वे ऐसे मौके का फायदा उठा कर थोड़ा सा लाभ उठाना चाहते हैं। मगर हमारे कांग्रेसी मित्र इस की शिकायत न करें। उत्तर प्रदेश में लोक दल की सरकार थी। नारायणपुर में गड़बड़ हो गई, हरिजनों पर अत्याचार हुआ था, महिलाएं उसमें फंसी हुई थीं। प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दरा गांधी नारायणपुर गईं। वह महिलाओं से मिल कर बाहर निकल रही थीं तो एक पत्रकार ने पूछा कि क्या यह कहा जा सकता है कि यह लोक दल की सरकार है और आप यहां उनकी गलती का फायदा उठाने के लिए आई हैं तो प्रधान मन्त्री का उत्तर था कि अगर विरोधी गलती करें तो हम फायदा क्यों न उठाएं? यह उनका जबाव था। आज हमारे कार्यकर्ता वह जबाव हमको दिखाते हैं, कहते हैं राजनीतिक आपकी समझ में नहीं आयेगी, राजनीति इन्दिरा जी करना जानती हैं। बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए जनता शासन के दौरान रिजर्वेशन लागू किया गया तो कांग्रेस पार्टी ने खुले आम उसका समर्थन नहीं किया। वे चुप रहे। अभी भी जो वक्तव्य दिया जा रहा है वह बड़ी चतुराई से दिया जा रहा है—इधर भी थोड़ा सा और उधर भी थोड़ा सा। अरे, इससे नहीं चलेगा, यह मैं कह रहा हूं। यह देश चतुराई से नहीं चलेगा, यह देश चलेगा तो चरित्र से चलेगा, यह देश मूल्यों से चलेगा। आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं हैं, आप बहुमत में हैं, सत्ता आपके पास है लेकिन साहसपूर्वक आपको फैसला करना पड़ेगा और उसके लिए सभी को साथ लेने की तैयारी चाहिए। आरक्षण की नीति जिस ढंग से अमल में लाई जा रही है उससे कुछ समस्यायें पैदा होंगी और उन समस्याओं का मैंने उल्लेख किया है।

उस दिन हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य श्री भोगेन्द्र झा ने इस सदन में एक बिल पेश किया था, नान-आफिशियल बिल,—वे तो बी. जे. पी. के नहीं हैं, आर० एस० एस० का होने का सवाल ही नहीं है—उसमें उन्होंने कहा था कि एजूकेशनली और सोशली बैकवर्ड के साथ एकोनामिकली बैकवर्ड का भी थोड़ा सा ख्याल करो। क्या गरीबी केवल जाति पर है? क्या गरीबी-गरीबी नहीं है। भले ही आप उसके लिए कोई रिजर्वेशन मत करिए मगर कन्सेशन्स तो दीजिए। जो आर्थिक दृष्ट से गरीब हैं, भीख मागते हैं उसका विचार हम नहीं कर रहे हैं।

फिर क्या रिजर्वेशन प्रमोशन में भी वह चलना चाहिए ? इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह तो कोई नहीं कह सकता कि 33 साल तक जो आरक्षण चला है उसका किसी को फायदा नहीं मिला है लेकिन यह भी देखने की जरूरत है फायदा जिन्हें मिलना चाहिए था उन्हें मिला है या नहीं मिला है ? कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि कुछ लोग ही फायदा उठा रहे हों और बाकी वंचित हों।

यह सारे पहलू ऐसे हैं जिन पर इकट्ठे होकर चर्चा करके कोई राजनीतिक मतैक्य कायम किया जाना चाहिए। लेकिन इसका तालुक है प्रधान मन्त्री जी से और प्रधान मन्त्री जी सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए इस चर्चा का कोई अर्थ नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के सम्बन्ध में एक बार पहले भी इस सदन में चर्चा हो चुकी है और उसके होने के बाद क्योंकि आन्दोलन समाप्त होने के बजाए और दूसरे प्रदेशों के अन्दर भी उसकी चिनगारियां पहुंचने लगीं और इस सदन के अन्दर यह आवाज उठी कि इस प्रश्न के ऊपर फिर विचार किया जाना चाहिए इस सदन में आज हम फिर इकट्ठे होकर विचार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो संघर्ष हमारे सामने देखने में आ रहा है उसका मूल कारण, असल में हमारे देश के अन्दर जो जाति प्रथा चली आ रही है उसी का यह परिणाम है। पहले कभी अगर शेड्यूल्ड कास्ट और कास्ट के बीच में झगड़ा हो जाता था तो उसको वर्ग संघर्ष का रूप समझकर नहीं चला जाता था। इस समस्या का हल आज कोई एक दल नहीं, सभी दल मिलकर निकालें—यह अत्यन्त आवश्यक है। मैंने पिछली बार भी कहा था और आज भी निवेदन करना चाहता हूं आज इस सवाल पर जब हम बहस कर रहे है तो यह अच्छा रहेगा कि हमारी बहस का परिणाम यह हो कि बाहर अन्दोलनकर्ताओं पर उसका अच्छा और गम्भीर प्रभाव पड़े। पिछली बार हमारे देश के काफी पुराने नेता बाबू जगजीवन राम जी ने इस बात को यहां पर कहा था कि शेड्यूल्ड कास्टस के ऊपर भारी बहुमत की ओर से एक तरह से जेनोसाइड हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देश में कुछ जगहों पर कुछ आन्दोलन चल रहे हैं लेकिन उसमें सभी कास्ट हिन्दूज दूसरे सभी लोग सम्मिलित होकर किसी शेड्यूल्ड कास्ट या किसी वर्ग विशेष के ऊपर आक्रमण करके उनका जेनोसाइड कर रहे हों—ऐसा कहना मैं समझता हूं ज्यादती होगी और यह गलत भी है कि उसको इस प्रकार की संज्ञा दी जाए। उसका रियेक्शन होने की वजह से बात की गुंजाइश पैदा होती है। उपाध्यक्ष जी, इसी प्रकार से कोई क्लास, वर्ग के रूप में इस सम्बन्ध में बात करे या कास्ट-वार के रूप में इस सम्बन्ध में बात करे तो उससे समस्या हल होने वाली नहीं है, हल होने के लिए आवश्यकता यह होगी कि जो चीजें इस देश ने और इस सदन ने राष्ट्रीय नीति के तौर पर मानी हैं, उस पर मजबूती के साथ मिल-जुल कर अमल करें। मेरी यह निश्चित मान्यता है कि मैं किसी पर दोषारोपण करके वातावरण की तेज नहीं करना चाहता, लेकिन अगर सभी दलों के नेता, जो भारतीय स्तर के हैं, वे अपनी शाखाओं और उप-शाखाओं को टटोलें तथा

यदि कहीं कमजोरी पायें तो उस कमजोरी को हिम्मत के साथ दूर करें और समझायें तो इस समस्या को हल करने में आसानी होगी—बजाय इसके कि हम आक्षेप या प्रत्याक्षेप के अन्दर चलें। कई संस्थायें हैं, मैं किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता हूं, राजनीति में इसको बदलना नहीं चाहता, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, उन बातों पर बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर आक्षेप करें, उसको हल करने के लिए उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है ··(व्यवधान)···अगर हमारे यहां की कोई बात आपके सामने आई है, तो निश्चित तौर पर उसको लाइए और लाकर उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। मैं किसी जमायत के बारे में कहकर नहीं चलता, लेकिन जहां भी दोष हो, उस दोष को ठीक करने की आवश्यकता है, न कि उस दोष को बढ़ाने की। इस आन्दोलन का जो भी लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा, कोई भी नेता लाभ उठाने का प्रयत्न करेगा, तो मेरी निश्चित मान्यता है कि न वह पार्टी लाभ उठा सकेगी और न हीं वह व्यक्ति लाभ उठा सकेगा। वे ही नुकसान उठाने वाले हैं, जो देश तथा समाज को नुकसान देंगे, इस गलत काम को करके, लेकिन इससे किसी को भी लाभ पहुँचने वाला नहीं है।

आज देश में एक गम्भीर समस्या खड़ी हुई है और जो असंतोष हो रहा है, राजस्थान में जो कुछ हुआ—मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे यहां पर दो जातियों के बीच में पैदा हुए झगड़े का रूप भी अखबारों में इसी प्रकार से दूसरी जगहों में आया, कि जैसे कोई आरक्षण के लिए लड़ रहा हो। हलांकि मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ फलना में हुआ, वह शैड्यूल्ड कास्ट्स और दूसरी जातियों के बीच का झगड़ा न होकर के दो बीच के झगड़े को लेकर एक बड़ी गम्भीर समस्या पैदा हो गई। यह उसी तरह की बात होती जा रही है कि जैसे हिन्दू-मुस्लिम आपस में पतंग उड़ाने के अन्दर लड़ गए और उसको लेकर काम्यूनल रायट हो गया—यदि इस तरह की स्थिति समाज में पैदा होगी तो भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी और यह किसी के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

अभी मुझ से पूर्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कह रहे थे कि इसमें एक राष्ट्रीय कन-सैन्सस बनाने की आवश्यकता है, मिल जुलकर के हम सच्चे दिल से इस समस्या को हल करने के लिए साथ दें—इसकी आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि कोई वक्तव्य या प्रस्ताव हम पास करें, उससे ज्यादा दिल से समस्या को हल करने की आवश्यकता। प्रस्ताव भी कागज पर रह सकता है, भाषण भी भाषण की जगह पर रह सकता है, लेकिन दिल से इस समस्या को हल करना चाहते हैं या नहीं, यह मुख्य समस्या है, जिसको कि देखने की आवश्यकता है। उसको गहराई के अन्दर हम जायें और उन समस्याओं को हल करें—ऐसा मैं मानता हूं और शायद सभी लोग इस बात को मानेंगे कि जहां तक जातिवाद और शैड्यूल्ड कास्ट्स के सवाल समय-समय पर यहां आते रहे हैं, कई प्रकार से आते रहे हैं और पहले भी इस सदन के अन्दर चर्चा हुई है। यह एक गम्भीर मसला है और इस गम्भीर मसले पर जैसा कि अभी कहा गया है और मैं समझता हूं कि सब तरफ से एक ऐसा वातावरण पैदा किया जाए, जिससे देश में समस्या को हल करने के लिए मिल-जुलकर बैठें और बैठकर सारी समस्याओं पर विचार करके, जो कुछ भी हमारे विधान के अन्दर हमने तय किया है कि इन लोगों को ऊपर उठाया जाना चाहिए, शैड्यूल्ड कास्ट्स के रिजर्वेशन को कायम रखना चाहिए, उसके लिए वातावरण बनायें, न कि उस वातावरण को कमजोर करने की तरफ जायें। मैं कहना

चाहता हूं कि उस आधार को कहीं पर भी हिलने नहीं देना चाहिए, वरना आज एक आन्दोलन होगा कि अमुक जगह पर रिजर्वेशन कम करो, फिर कल दूसरी जगह पर आन्दोलन खड़ा होगा कि कम करो, परसों फलानी जगह पर होगा कि कम करो, तो इस तरह से इसका कहीं अन्त नहीं होने वाला है, बल्कि कुछ और आन्दोलन को खड़ा करने वाले हो जायेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सोचे और कोई हल निकाल कर इस समस्या को हल करें। मुझे खुशी है कि लोकदल के माननीय सदस्यों ने भी इस मामले में काफी उत्साह के साथ इस बात को कहा है। यहां पर अभी वाजपेयी जी ने भी कहा, हल्दर जी ने भी कहा और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि हम सब मिल कर, वास्तविक रूप में इस समस्या को हल करने के लिये ज्यादा से ज्यादा मिलजुल कर काम करें और इस प्रकार का वातावरण बने, तो मैं समझता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी भी पसन्द करेंगे कि डायलोग का एटमासफीयर पैदा हो, जिस में सब साथ बैठ कर इस समस्या को हल करें। एक बार एटमासफीयर बन जायगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधान मन्त्री जी और गृह मन्त्री जी भी इस बात से कभी नहीं झिझकेंगे [illegible] बैठ कर समस्या को हल किया जाय और मैं आशा करता हूं कि आज की बहस के बाद फिर से इस समस्या पर इस सदन में बहस करने की आवश्यकता नहीं होगी और इस का स्थायी हल ढूंढने की तरफ सब का दिमाग जाएगा।

श्री मोहन भाई पटेल (जूनागढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात एक शान्तिप्रिय प्रदेश है। बाहर के बहुत से इण्डस्ट्रीयलिस्ट्स गुजरात में आकर अपनी इण्डस्ट्री लगाना चाहते हैं, क्योंकि हिन्दुस्तान में सब से शान्तिप्रिय प्रदेश गुजरात है। आज गुजरात में जो हो रहा है, उससे हम बड़े शर्मिंदा हैं। गुजरात की अधिकांश प्रजा शान्ति चाहती है, लेकिन कुछ लोगों के इस आन्दोलन से एक महीने में दूसरी दफा हम को यह चर्चा यहां पर करनी पड़ रही है और यह चर्चा हम को यह बतलानी है कि इस सदन के सारे माननीय सदस्य इस प्रश्न को बड़ी गम्भीरता से देखते हैं और उसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो चर्चा हुई थी और उस के बाद आज जो चर्चा हुई है उस से सभी पार्टियों की नीति हमारे सामने साफ हो गई है। माननीय वाजपेयी जी का जो प्रवचन हम ने सुना, उस से ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी का अगर कोई व्यक्ति इस आन्दोलन से जुड़ा हुआ है तो उसे समझा कर वहां से निकाल लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब पहले इस विषय पर चर्चा हुई थी तो उस समय कहा गया था कि कांग्रेस के भी कई लोग इस एजीटेशन में शामिल हैं, लेकिन मैं उन को बतलाना चाहता हूं कि उस चर्चा से पहले ही हमारी पार्टी ने ऐसे लोगों को दल में से निकाल दिया था। आज सभी पार्टियों का यह फर्ज है कि उन के दल के जो लोग उस में शामिल हों, उन को या तो समझाना चाहिये और अगर वह नहीं समझे तो पार्टी से निकाल देना चाहिये। इस बात के लिये हम को तैयार हो जाना चाहिये।

आज जो आन्दोलन गुजरात में चल रहा है—उस के लिये बहुत से लोगों ने कहा है कि यह गुजरात में जो स्थिर सरकार चल रही है उस को तोड़ने का आन्दोलन है। यह आंदोलन तब

तक खत्म नहीं होगा जब तक वह सरकार खत्म नहीं हो जाती है। यह आन्दोलन सिर्फ़ मेडिकल में रिजर्वेशन के सवाल को ले कर शुरू हुआ था, लेकिन आज जो बात सामने आई है—उस में टोटल-रिजर्वेशन को दूर करने की बात कही गई है। उन लोगों का यह भी कहना है—यदि ये दोनों बातें स्वीकार कर भी ली जांय तो भी यह आन्दोलन खत्म नहीं होगा, वे फिर कोई और तरीका निकालेंगे जब तक कि गुजरात की सरकार टूट नहीं जाती, वे चैन से नहीं बैठेंगे। यह बात हम सभी पार्टियों को गम्भीरता से सोचनी चाहिये, क्योंकि पहले जो तीन चुनाव आये, उन तीनों चुनावों में प्रजा ने मेन्डेट दे दिया और उस के बाद पंचायत परिषद के जो चुनाव हुए उन में भी जनता ने मेन्डेट दे दिया। वे सब एजीटेशन किसानों के नाम पर, रेम्यूनरेटिव प्राइसेज के नाम पर या महंगाई के नाम पर जो हुए, उन सब आन्दोलनों में वे सफल नहीं हुए। इसलिए मेडीकल स्टूडेंट्स को अपना इंस्ट्रूमेंट बना कर के उस के पीछे और कई लोग काम कर रहे हैं। मैं यह अपील करना चाहता हूं कि अगर हम सब पालीटीकल पार्टियां जो यहां बैठी हैं, वे इस बात पर सहमत हों, तो यह एजीटेशन रुकना असम्भव नहीं है। यह एजीटेशन रुक सकता है अगर दिल से सब चाहें, दिल से सब प्रयत्न करें। मेरा कहना यह है कि यह एजीटेशन गुजरात में सीमित न रह कर अभी पूरे देश में फैलने जा रहा है और बड़ा गंभीर प्रश्न यह अभी हो रहा है और आगे और भी गंभीर यह हो जाएगा। यह हम सभी जानते हैं और इसलिए मेरी यह अपील है कि अगर हम सब गुजरात में शान्ति चाहते हैं और पूरे हिन्दुस्तान में अगर हम शान्ति चाहते हैं, तो अपनी-अपनी पार्टियों की पालीटिक्स और वाद-विवाद जो इस में डालते हैं, उस को छोड़ कर इस इशू को एक राष्ट्रीय इशू समझ कर सभी पालीटीकल पार्टियों के नेता मिल कर ऐसा रास्ता निकालें, जिस से यह रिजर्वेशन साथ में रहे और एजीटेशन खत्म हो। आज कांग्रेस (आई) इस के लिए काम कर रही है। पहले तो यह एलिगेशन लगाया जाता था कि कांग्रेस पार्टी अपने वोटों के लिए हरिजनों और आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन का ज्यादा काम करती है, वह सब कुछ अपने वोटों के लिए करती है लेकिन यह खुशी की बात है कि आज दूसरे जो लोग हैं, दूसरी जो हमारी पालीटीकल पार्टियां हैं, हमारी कांग्रेस रिजर्वेशन को जितना सपोर्ट दे रही है और पार्टियां भी उस को सपोर्ट दे रही हैं। श्री राम विलास जी हर दफा बड़े जोर-शोर से यहां पर बात करते रहे हैं जैसे हरिजनों और पिछड़े हुए लोगों की वे ही बहुत चिन्ता कर रहे हैं लेकिन मैं उन को बता देना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी जितना उन के लिए काम कर रही है, जितनी उन की चिन्ता कर रही है, वह और पालीटीकल पार्टियों के मुकाबले में ज्यादा कर रही है।

इसलिए मैं सब से अपील करता हूं कि गुजरात में और पूरे हिन्दुस्तान में शान्ति बनी रहे, इस के लिए हम सब प्रयत्न करें। इस हाऊस का बड़ा असर पूरे हिन्दुस्तान में होता है। वह असर हम प्रस्थापित करें, यह बात कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं।

श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : इस विषय पर मैं बोलना चाहता हूं। पहले यह स्पष्ट कर देता हूं कि मेरे दल ने आरक्षण के समर्थन में हमेशा ठोस कदम उठाए हैं जोकि संविधान में भी निहित हैं। यह ऐतिहासिक आवश्यकता थी कि आरक्षण को संविधान में स्थान

दिया जाए। इसलिए लागू करना पड़ा कि हमारे देश में कुछ जातियां सदियों से कष्ट सहन करती आई हैं। उन्हें वर्षों तक सामन्ती प्रथा में कष्ट सहे हैं और उनका आर्थिक शोषण हुआ है और समाज में नीचा दर्जा मिला है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ पिछड़ी जातियों और वर्गों के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है।

आजादी मिले 33 वर्ष बीच चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस सीमा तक यह भेद-भाव दूर किया गया हैं। मैं गृह मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे सभा पटल पर एक ऐसा श्वेत-पत्र रखने को तैयार हैं जिसमें यह बताया गया हो कि यह आरक्षण कब, किस राज्य में, किस सीमा तक और किस क्षेत्र में लागू किया गया। मैं आपका बहुत आभारी हुंगा यदि आप इन मुद्दों पर सदस्यों को जानकारी देने के लिए गृह मंत्री से एक श्वेत-पत्र रखने के लिए कहें। इस सम्बन्ध में मैं उनसे विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

आज यह समस्या हरिजनों और दलित वर्गों तथा अन्य समाज के बीच है। इसके आर्थिक कारण हैं। ये लोग काफी लम्बे अर्से से आर्थिक रूप से पिछड़े रहे हैं तथा सामाजिक रूप से दबे हैं। जब तक हरिजनों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया जाता तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

अतः, आज बेरोजगार युवकों और विशेषकर हरिजनों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों में असन्तोष है।

इन युवकों की हिम्मक बंधाने के लिए सरकार को उनके भविष्य, उनके रोजगार के अवसर, तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करने होंगे। यह भेद-भाव केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने से ही दूर हो सकता है।

जहां तक गुजरात की स्थिति का सम्बन्ध है, इस पर सभा में पहले ही चर्चा हो चुकी है। अतः में जो पहले चर्चा के दौरान कहा जा चुका है उसके तथा आज जो गुजरात में आंदोलन भड़कने के जो कारण बताए गए हैं मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं चाहता। मैं उन विभिन्न जुल्मों की भी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता जो हरिजनों पर ढाए गए हैं। इस सम्बन्ध में हम समाचार-पत्रों में पढ़ते रहते हैं और इस पर सभा में भी कई बार चर्चा हो चुकी है। इन सब बातों की पुनरावृत्ति करने में सभा का समय नहीं लेना चाहता।

जो कुछ मैं गुजरात के बारे में कहना चाहता हूं वह यह है कि आंदोलन भड़कने के बाद राज्य सरकार ने उस समय क्या किया। कुछ चिकित्सा छात्र एक अंधे लड़के को, जिसने 66 प्रतिशत से भी अधिक अंक प्राप्त किए हैं, सीट दिलाना चाहते थे। बाद में वे सीट देने के लिए सहमत हो गए। यह पहले क्यों नहीं किया गया ? उस समय गुजरात की राज्य सशस्त्र पुलिस के हथियार भी छीन लिए गए। जिसके परिणामस्वरूप, आंदोलन भड़कने पर पुलिस का हौसला पूर्ण रूप से टूट गया। उस समय स्थिति पर काबू पाने के लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार की

सहायता करने में पूर्णतया असफल रही । सत्ताधारी दल के मंत्री, राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकारों के, अलग-अलग विचार प्रकट कर रहे थे । वे सार्वजनिक तथा निजी रूप से अलग-अलग वक्तव्य दे रहे थे ।

अभी-अभी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडियन एक्सप्रेस में से एक वक्तव्य पढ़ा है जिसमें आंदोलनकारियों के नेता ने प्रधान मंत्री के एक वक्तव्य, जो कि आरक्षण विरोधी है का स्वागत किया है । इस प्रकार की बातों से कुछ सन्देह उत्पन्न हो जाता है । सरकार को इस प्रकार का सन्देह ही उत्पन्न नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें ऐसी बातें कहने की आजादी नहीं होनी चाहिए ।

राज्य तथा केन्द्र के मन्त्रियों के बीच, विशेषकर गुजरात में, विवाद चल रहा हैं । मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता । यह उचित नहीं है कि इस प्रकार के वैधानिक विचार प्रस्तुत किए जाएं विशेषकर इस प्रकार के आंदोलन के सम्बन्ध में ।

अब यह राजस्थान में भी फैल गया है । सारी व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था पूर्णतया बिगड़ गई है और विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है । श्री जगजीवन राम और प्रो० कुरियन जैसे नेताओं ने भी अहमदाबाद का दौरा करने के बाद बताया है कि स्थिति अब भी गम्भीर बनी हुई है । अब भी गुजरात में स्थिति तनावपूर्ण है । प्रतिदिन पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की सूचना मिल रही है । अब तक सरकार ने क्या किया है ? यह केवल गुजरात या राजस्थान का प्रश्न नहीं है । देश में कानून और व्यवस्था पूर्णतया बिगड़ चुकी है । उदाहरणतया, असम आंदोलन को लम्बे अर्से तक चलने दिया गया जिसके परिणामस्वरूप हमें कर्नाटक में पोस्टर देखने को मिले जिनमें गैर-कर्नाटकवासियों को राज्य छोड़ने के लिए कहा गया है ।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति विस्फोटक हो गई है । एक दिन महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री शिव सेना के प्रदर्शनकारियों से मिले और उन्हें संबोधित किया । जहां तक इन सब बातों का सम्बन्ध है विरोधी दलों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता । इस प्रकार के आरोप विरोधी दलों, हरिजनों, जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बहाने से विरोधी दलों को ब्लैकमेल करने के लिए लगाए जाते हैं ।

मेरा सुझाव है कि गृह मंत्री और प्रधान मंत्री इन समस्याओं के समाधान के लिए विरोधी दलों को विश्वास में लेकर उनके नेताओं के साथ एक बैठक बुलाए तथा उनसे बातचीत करे जिसमें विभिन्न वर्गों के प्रमुख व्यक्ति शामिल हों । यह एक दल की नहीं बल्कि राष्ट्र की समस्या है । इस प्रकार की विघटनकारी प्रवृत्तियों से देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे और देश के कमजोर वर्गों की भलाई तथा सुधार नहीं होगा ।

ये कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता था और शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अखबारों में पढ़ता हूं कि गुजरात में आन्दोलन चल रहा है, आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा है, मैं कहता हूं कि यह आंदोलन नहीं है, वह तो आक्रमण है, हमला है, इसको आंदोलन न कहिए, इसको आक्रमण कहिए, हमला कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में बैठने वाले लोग संविधान की मूल भावना के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमने जो मूल्य संविधान में स्थापित किए हैं, उन मूल्यों के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं और हम जानते हैं कि रोग क्या है और रोग का इलाज क्या है। रोग ला-इलाज नहीं है। अगर इसका इलाज करने का पूरा इरादा कर लिया जाए तो हम इस रोग को इसी वक्त खत्म किया जा सकता है। मैं एक बात उधर बैठने वाले माननीय नेताओं से कहना चाहता हूं कि वे जब बोलें तो भाषण की कला का उपयोग न करें और यह न कहें कि आरक्षण पर कुछ विचार होना चाहिए, बातचीत करिए। विचार क्या करना है ? जो भावना संविधान में है, उस भावना को हमें अमल में लाना है और हम अमल में ला रहे हैं, इसके लिए हमें त्याग करना होगा। हमने कई वर्षों तक, शताब्दियों तक उन लोगों को दबाये रखा, उनका शोषण किया, उनका दमन किया, हमें त्याग करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई कहता है कि गुजरात के मामले में समझौता होना चाहिए, मैं कहता हूं कि समझौता क्या होता है ? सिद्धान्तों के आगे समझौता नहीं होता। गृह मन्त्री जी एक बात समझ लें कि सिद्धान्त जहां हैं वहां समझौता नहीं हो सकता। समझौता संविधान में कर लिया है और उस समझौते के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, उसके अनुसार चलना होगा। रोग फैल रहा है, डाक्टर धीरे-धीरे निदान सोच रहा है, निदान सोचने की जरूरत नहीं है। निदान हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमें उसी के अनुसार चलना है।

उपाध्यक्ष महोदय, जनवरी से यह आंदोलन चल रहा है। अखबार में मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। महसाणा जिले के बीजापुर तालुका में एक गांव, जिसका नाम डेटरोज है, उस गांव के अन्दर 7000 लोग रहते हैं और उसी गांव के अन्दर 500 घरों की एक हरिजन बस्ती है। लोगों ने उस बस्ती को जला दिया। वहां पर क्या नजर आने लगा—आग, मलबे, राख के ढ़ेर और उड़ते हुए पंछी और 2-4 पुलिस कर्मचारी। क्या कारण था कि पक्षी भी उस जमीन पर रहना नहीं चाहते थे। इस तरह से उस बस्ती पर अत्याचार किया गया। किसने किया यह अत्याचार ?

उपाध्यक्ष जी, अगर मजबूती के साथ कदम उठाए जाएं तो इस रोग का निदान हो सकता है। हम किन से बात करना चाहते हैं, क्या समझौता करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि सरकारी कर्मचारी यदि सरकार में रहते हुए संविधान की अवहेलना करते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। कौन सा एस० पी०, कलेक्टर या कौन सी पुलिस है जो आंदोलन को रोक नहीं सकती। इसका दमन करना होगा और आज रात को ही करना होगा। यहां बैठकर

विद्वतापूर्ण डिबेट्स, हमारे डिस्कशन हमारी बहसें, क्या ये हमारी समस्या का निदान हैं ? इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता यह तो नेशनल हिस्टोरिकल नेसेसिटी है, नेशनल कमिटमेंट है, कांस्टीट्यूशनल आब्लीगेशन है। इस पर कोई विचार नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष जी, गांधी जी ने कहा था कि मैं तब समझूंगा जब भारत का राष्ट्रपति एक हरिजन कन्या को बनाया जाएगा।

महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं पुनः जन्म लूं तो हरिजन के घर में जन्म लूं। यह था गांधी जी का दर्शन। इस वास्ते जो नीति हमने बनाई है उस पर हम को दृढ़ रहना चाहिए।

आप इन आंकड़ों को देखें। मुझे दुख होता है। क्या हमने इनको दिया है ? मैडीकल कालेजों के अन्दर 106 प्रोफेसर हैं जिनमें से केवल एक हरिजन है। एसोसिएट प्रोफेसर 101 हैं जिनमें से केवल एक हरिजन है। 247 असिस्टेन्ड प्रोफेसरों में से केवल पांच हैं। 237 ट्यूटरों में से केवल पन्द्रह ट्यूटर ही हरिजन हैं। इस प्रकार से 73 में से केवल 24 हरिजन और आदिवासी हैं। हमको हिम्मत करके बात कहनी चाहिए। हम लोगों ने अपने कदम मजबूती के साथ नहीं उठाए आज अनुसूचित जातियों, जनजातियों का स्वाभिमान जागा है, आत्म सम्मान की भावना उन में पैदा हुई है, संविधान में दी गई गारंटी की रक्षा करने की बात उन्होंने कहनी शुरू की है। वे भी भारत के नागरिक हैं। जीने को तो सब जीते हैं लेकिन स्वाभिमान से जीने, गौरव के साथ जीने को ही जिन्दगी कहते हैं। ओपिनियन बनने की बात, नैगोशिएशन की बात का क्या मतलब है ? बार-बार कांग्रेस ने कहा है और उसकी नीति भी है, कि उनको हमें ऊपर उठाना है। पांच फरवरी को मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था। मैं उसको दोहराता हूं। उन्होंने कहा था :

"सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षण समाप्त करने के बारे में बातचीत नहीं हो सकती। यह 5 फरवरी का गृह मंत्री का वक्तव्य है।" आप—समझौता करेंगे ? आप कहते हैं यह नैगोशिएबल नहीं है।

जहां तक पुलिस कर्मियों का सवाल है मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम यह जो दीवाल है इसको तोड़ नहीं सके हैं, हरिजनों और सवर्णों के बीच की दीवाल को तोड़ नहीं सके हैं अभी हम उनका प्रेम नहीं जीत सके हैं, उन में विश्वास की भावना पैदा नहीं कर सके, उनके मन तक पहुंच नहीं सके, उनके घरों में जाकर उनके पास नहीं बैठे हैं। हम ने केवल वोट की राजनीति के आधार पर यह आरक्षण दिया है। हमें उनके घर जाकर उनके दिलों को जीतना होगा। दुनिया में कौन सी चीज है जो प्रेम से नहीं जीती जा सकती है ? इंसान क्या, पशु पक्षियों को जीता जा सकता है, शेरों को भी पाला जा सकता है। तीस साल के बाद आरक्षण पर पुनर्विचार की बात समझ में नहीं आती है। क्या तरकीब से कहा जाता है पुनर्विचार होना चाहिये। वे डाक्टर बनना चाहते हैं। उन्होंने यह सब किया है। क्या वास्तव में वे मैडीकल स्टुडेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह की कार्रवाइयों में भाग लिया है ? इसमें हम को जाना होगा। आग भड़काने वाले कौन हैं ? ये वे लोग हैं जो वोट की राजनीति करते हैं। हमको राष्ट्रीय एकता कायम रखनी है, अखंड

रहना है। हिन्दुस्तान के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि राष्ट्रीय एकता को वह बनाए रखे। यह तब बनेगी जब हिन्दुस्तान का रहने वाला जो गरीब आदमी है, उसके प्रति हमारा प्रेम भाव पैदा होगा, उसको आदर मिलेगा, उसको विश्वास होगा कि वास्तव में हम उसका भला चाहते हैं और स्वाभिमान से वह जिन्दा रह सकता है। वे उठते हैं तो उनको उठने दो। उनमें योग्यता अपने आप भी आ जाएगी। वह पढ़ा लिखा होगा तो सन्तान भी उसकी ज्यादा अच्छी होगी। वे पीढ़ियों से, सदियों से, चार सौ साल से दबे हुए हैं, आर्थिक संकट वे झेलते आ रहे हैं। उनको ऊपर उठने का मौका मिलना चाहिये।

यह कहा जाता है कि माडल स्कूलों में वे नहीं पढ़ते हैं, वे योग्य नहीं हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि क्या पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला आदमी क्लैक्टर बनेगा और सादे स्कूल में पढ़ने वाला चपड़ासी बनेगा ? यह चीज आपको शोभा नहीं देती है। बात धीरे-धीरे नहीं बनेगी। तेजी से काम करना होगा। अच्छा हुआ कि हरिजन जागे हैं और अपनी हिम्मत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। देश उनके साथ है। कांग्रेस का तो हमेशा से यही कर्म रहा है, धर्म रहा है और आज भी है। यह हमारी भावना है कि हम लोग, कांग्रेस के लोग हरिजनों के साथ रहेंगे, उनके साथ खड़े होंगे और उनके हितों की रक्षा के लिए अपनी जिन्दगी दे देंगे। कहीं की भी मिनिस्ट्री में आप देख लें, यहां केन्द्र में भी जो मिनिस्ट्री बनी है उसमें हरिजन और शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के काफी लोग हैं। मुझे इस बात का गर्व है। यह आवाज जो आती है आप अपने दिल को टटोलें क्यों आवाज आ रही है। हम अपनी गलती को मानते हैं, हमारे गृह मंत्री जी रोग को जानते हैं उनको इसका इलाज करना चाहिये और इनको वहीं गुजरात में जाकर रहना चाहिए जब तक वहां शान्ति न हो जाय और इसको दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगायें। नये-नये डाक्टर बनेंगे, कहते हैं हम आपको निदान बताते हैं। आप क्या निदान बतायेंगे ? संविधान हमारा मौजूद है उसी में इस समस्या का निदान है। यह रोग मेरे जिले और राज्य में भी फैल रहा है, मेरा जिला गुजरात से लगा हुआ है, मैंने कहा यह रोग क्यों फैल गया। यह फैलाने वाले कौन हैं, मैं जानता हूं। युवक कौन होते हैं यह भी मैं जानता हूं, और इसको कौन आगे ले जा रहे हैं यह भी मैं जानता हूं। पालना और आबू में जो घटनायें घटी हैं उसके बारे में मैंने कहा कि कुछ नहीं हो सकता, जो भी आरक्षण विरोधी तत्व हैं उनको जेल में उसी वक्त बन्द कर दिया जायगा। यह आन्दोलन नहीं चलेगा, बन्द करदो इनको। भाषण दिया कि हमें सबको मिल कर बात करनी चाहिए। कौन सी बात करनी है ? संविधान है जिसकी शपथ सबने खायी है, संविधान के जो आर्टिकिल्स इस बारे में हैं उनको मानिये और देश को आगे बढ़ाइये, यही मेरा कहना है। एक बात और याद रखिये कि आरक्षण के मामले को समाप्त करने से कोई यह समझे कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, यह भी गलत है। जो बात आप कहते हैं वह मुझे बिल्कुल पसन्द नहीं है। अपना अपना तरीका होता है राजनीति में अपनी बात को किस प्रकार रखना चाहिए। मैं तो यही कहता हूं कि जो कुछ आप कहते हैं अगर वह आपके दिल की आवाज है तो लोग अपने आप आपके पीछे आ जायेंगे। इसलिए यह प्रस्ताव है, हम प्रतिबद्ध हैं। हम अपनी कमजोरी मानते हैं कि सख्त कदम नहीं उठाया। आप मिलिटरी लगा दीजिये, कुछ आदमी मर जायें कोई परवाह नहीं, लेकिन यह आंदोलन पनपना नहीं चाहिये, यही मैं चाहता हूं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इस सभा की वर्षों से चली आ रही कुछ परम्पराएं हैं महोदय, जब भी देश पर हमला हुआ है इस सभा ने एक व्यक्ति की तरह काम किया है और मुझे विश्वास है कि वर्तमान संकट में, जिसमें कमजोर वर्ग शामिल हैं, चाहे हम सभा में इस पक्ष से संबंधित हों या उस पक्ष से इसकी कोई बात नहीं कि यह दल सत्ता में है या वह दल या यह दल विरोध पक्ष में है या वह दल, मुझे आशा तथा विश्वास है कि हम सब एक होकर गुजरात में ही नहीं बल्कि कहीं भी कमजोर वर्ग का साथ देंगे। महोदय, पिछली बार मैंने कहा था कि गुजरात में जो कुछ हुआ है वह महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यह विपथन केवल गुजरात तक ही सीमित नहीं रहेगा; यह देश के अन्य भागों में फैलेगा। यह किसी एक विशिष्ट राज्य का विपथन नहीं है अपितु यह दिमाग का विपथन है। दिमाग किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहता परन्तु अपनी चपेट में पूरे देश को लेता है और यही है जो आज हुआ है, यह राजस्थान में पहुँचा है; यह उत्तर प्रदेश में पहुँचा है और इसमें देश के अन्य भागों में भी पहुँचने की सम्भावना है और इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम इस समस्त समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखें और एक राष्ट्रीय समस्या के परिप्रेक्ष्य में हम इस मामले के समाधान का प्रयत्न करें।

महोदय, जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब मैं यह कहता हूं कि सभी दलों को इस पर एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने यह बात स्पष्ट कर दी है कि आरक्षण की नीति के प्रति वचनबद्धता एक ऐतिहासिक जरुरत है; यह एक राष्ट्रीय वचनबद्धता है और यह एक सांविधानिक अनिवार्यता है। मैं अपने मित्र श्री डागा से पूर्णतः सहमत हूं कि हम सबने जब हम इस सदन में आये थे तो हमने संविधान के उपबन्धों के पालन होने की शपथ ली थी ? इसलिए हमें संविधान को बनाए रखना है। यदि हमें संविधान को बनाए रखना है; तो हमें संविधान में दी गई वचनबद्धता का पालना करना है और हमें संविधान के विभिन्न उपबन्धों की व्याख्याओं का भी पालन करना है। आरक्षण के सम्बन्ध में कुछ विवाद थे और वे विवाद उच्चतम न्यायालय में उठाए गए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय ने भी अपना न्याय निर्णय दिया है और जब हम कहते हैं कि हम सांविधानिक दायित्वों के प्रति वचनबद्ध है, तो हम इस देश में सांविधानिक दायित्वों को व्याख्याओं के प्रति भी वचनबद्ध हैं और, इसलिए, हम उस वचनबद्धता का भी पालन करते हैं।

महोदय; बहुधा, यह कहा जाता है कि यह एक जातीय विपथन नहीं हैं अपितु यह एक आर्थिक समस्या भी है। उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। मैं सदन के ध्यान में सिर्फ यह बात लाना चाहता हूं कि केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यता को एक तरफ रखते हुए, मैं यह बात कहता हूं कि जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, जाति दलित वर्ग से सहबद्ध है। अनुसूचित जातियों का यह एक अनिवार्य फीचर है। यह कहना कि कुछ रोजगार प्राप्त करने पर अनुसूचित जातियां श्रेष्ठ वर्ग में परिवर्तित हो गई हैं; मेरे विचार से पुनः यह तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना है। अनुसूचित जातियों को श्रेष्ठ वर्गों में परिवर्तित नहीं किया गया है। वे समाज में दलित वर्ग से सहबद्ध हैं। इसलिए, जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, मैं आर्थिक पहलू और जातीय पहलू में अन्तर

नहीं देखी रहा हूं और इसलिए, उस विशिष्ट प्वाइंट को पूर्णतः नोट किया जाना है। यह एक अन्य पहलू है। हमारी राजनीति पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर कई जातिगत पहलू भी हैं। परन्तु जहां तक उनके समाजशास्त्र का सम्बन्ध है, कुछ व्यक्ति, उनका आर्थिक स्तर चाहे कुछ भी हो, यह अवश्य ही महसूस करते हैं कि जन्म के आधार पर ही उनके सिर पर कलंक लगा दिया जाता है। यह वह नीति है जो जन्म पर आधारित है और जिसे समाप्त किया जाना है और हम यह करने के लिए कृतसंकल्प हैं कि चाहे हमें इस सदन में कोई भी संकल्प अथवा प्रस्ताव लाना पड़े हम जन्म पर आधारित जातिगत नीति को समाप्त करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से हिन्दु समाज में लोग हमें कहते हैं कि गीता में, उपनिषदों में अथवा वेदों में जो लिखा हुआ है वह हिन्दु धर्म का सारांश है। परन्तु मैं इस देश की अनुसूचित जातियों की ओर से यह कहना चाहता हूं कि वे गीता के संदेश के द्वारा, उपनिषदों के संदेश के द्वारा अथवा वेदों के संदेश के द्वारा हिन्दू धर्म के सारांश को नहीं समझते परन्तु वे हिन्दू धर्म को उस रूप में समझते हैं जिस रूप में हिन्दू समाज के सदस्य उनके साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बर्ताव करते हैं। वे हिन्दू धर्म को जिस रूप में समझते हैं वह यह है। वे हिन्दू धर्म को धर्म ग्रन्थों के आधार पर नहीं समझते, वे हिन्दू धर्म को इस देश में उच्च जाति के हिन्दुओं द्वारा अनुसूचित जातियों से किए जा रहे बर्ताव के आधार पर समझते हैं। इसलिए उस विशिष्ट पहलू का भी ध्यान रखना होगा। मुझे खेद है कि हिन्दू धर्म के कुछ वर्गों ने इस धर्म को त्याग कर कुछ अन्य धर्म अपना लिए हैं। उनकी समस्याएं इस प्रकार हल हुई हैं। मैं कहता हूं कि वह हल नहीं हुई हैं चाहे वे बौद्ध बन गए हैं, फिर भी वे कहते हैं कि वे अनुसूचित जाति के बौद्ध है; यदि वे ईसाई भी बन जाए, तो भी उन्हे कहा जाता है कि वे अनुसूचित जाति-हिन्दू ईसाई हैं; वे अनुसूचित जाति के ईसाई है। यहां तक कि वे जब इस्लाम कबूल करते हैं तो लोग यह नहीं भूलते कि वे वह मुसलमान हैं जो अनुसूचित जातियों से आए हैं। इसलिए वह कलंक जो जन्म के साथ संलग्न है वह कभी नहीं मिटता। हमारा समाज, विशेष कर हिन्दू समाज चतुर्वर्णः पर आधारित है। यदि कोई एक विशिष्ट समुदाय में उत्पन्न हुआ है तो उसे कहा जाता है कि उसके भाग्य में अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर सड़क साफ करना लिखा है; और यदि वह एक विशिष्ट समुदाय में पैदा हुआ है तो उसके भाग्य में यह लिखा होता है कि यह हाथ में बन्दूक ले और बहादुर बनें; यदि वह एक विशिष्ट समाज में जन्म लेता है तो उसे पंडित बनना होता है। उसे पंडित बनना होता है चाहे उसके पास ज्ञान हो या न हो क्योंकि उसने एक विशिष्ट समुदाय में जन्म लिया है इसलिए उसे ज्ञानी पुरुष माना जाता है। क्योंकि वह एक विशिष्ट समुदाय में जन्मा है इसलिए उसके भाग्य में विशेष वाहक बन्धपत्र खरीदना लिखा है। इस प्रकार प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और जब तक आप इस चतुर्वर्णः को समाप्त करने की कोशिश नहीं करते, उसके लिए चाहे आप कोई भी कानून बनाएं, संविधान को कैसे भी संशोधित करें; और आप इसकी कोई भी ऐतिहासिक आवश्यकता स्वीकार करें अनुसूचित जातियों के लिए न्याय पाना सम्भव नहीं होगा। इसलिए, हमें समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश करनी चाहिए और चातुर्वर्ण की व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए जो समाज में सम्पूर्ण अन्याय की जड़ है। मैं यही कहना चाहता था।

मैं एक और पहलू पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं जिसके बारे में मैंने पिछली बार इशारा

किया था। श्रीमान, यह और कुछ नहीं अपितु स्नातकोत्तर मेडिकल पाठयक्रमों में प्रवेश है। यह रोजगार अवसरों पर भी लागू होती है। मैंने जो पिछली बार कहा था उसे मैं दोहराऊंगा। अवसरों की समानता उन को लाभ पहुंचाने में सहायक नहीं होगी जो सदियों से पिछड़े हुए हैं। उन्हें अधिमान्य अवसर देकर अन्यों के समान लाया जाना होगा। उन्हें अधिमान्य अवसर देने पर कुछ अन्य वर्गों को नुकसान हो सकता है परन्तु हमें वह नुकसान उन पापों के लिए उठाना होगा जो हमने हजारों वर्षों से किए हैं और यदि हम नुकसान उठाते हैं तो हमें उसके लिए बिलकुल भी खेद नहीं होना चाहिए। हममें व्यथा की भावना नहीं होनी चाहिए। अपितु हमें महसूस करना चाहिए कि हमने जो हजारों वर्षों से पाप किए हैं उनसे हमें छुटकारा मिल रहा है। इसलिए समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से, समाज के दलित वर्ग को अधिमान्य अवसर दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यदि खेल के क्षेत्र में अपंग दौड़ है तो समाज में समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी अपंग दौड़ को स्वीकार करना होगा। इसीलिए अधिमान्य अवसर होने चाहिएं।

श्रीमान्, गलत आकड़े दिए जा रहे हैं और मैं तथ्यों को सीधा प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब से चिकित्सा की स्नातकोत्तर योजना में यह विशिष्ट आरक्षण व्यवस्था शुरू की गई है वास्तव में 857 सीटें उपलब्ध थीं और उनमें से केवल 37 सीटें ही वास्तव में भरी गई है। 857 में से केवल 37 सीटें उपलब्ध थी और इसलिए 37 सीट भरी गई हैं।

अब, यह बात युवकों को भी समझना है। मैं युवाओं के सभी वर्गों को दोष नहीं देता क्योंकि कभी-कभी उन्हें गुमराह किया जाता है। कई प्रकार के पक्षपात होते हैं, बेरोजगारी के कारण कुण्ठाएं हैं। यह सभी समस्याएं हैं और जब कभी वे रोजगार से नैराश्य होते हैं वे इस बात को न समझते हुए कि अस्थाई हल की कोशिश में वे सदैव के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहे, अस्थाई हलों का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। अब वह विशिष्ट विपथगमन मौजूद है। उसे दूर किया जाना होगा और उसे दूर करने के लिए एक विशिष्ट पहलू का ध्यान रखना होगा।

बहुधा इस बारे में अभियान और एक मिथ्या अभियान छेड़ा जाता है कि जब कभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कुछ अवसर दिए जाते हैं उस मामले में, स्तर में गिरावट आती है। श्रीमान, एक समय में भाग्य से अथवा दुर्भाग्य से मैं रेल मन्त्री बना। मैं जानता हूं कि कितनी दुर्घटनाएं हुई और इन दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी कौन है यह जानने के लिए मैंने आंकड़ों या विश्लेषण किया। मैं चाहूंगा कि यह सरकार आंकड़ों का अध्ययन करे और वह स्थिति को जान पाएगी। क्या इन दुर्घटनाओं के लिए अनुसूचित जातियों के ड्राइवर जिम्मेदार थे ? नहीं। वे इसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे। यह एक झूठा और बदनाम करने वाला प्रचार है जो किया जा रहा है। श्रीमान, यदि कोई अन्यमनस्कता में होता है तो वह खोया-खोया रहता है, चाहे वह अनुसूचित जाति का हो अथवा प्रोफेसर। श्रीमान, एक प्रोफेसर, कहावत के अनुसार, अन्यमनस्क होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर मधु दण्डवते के सिवाय।

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं, श्रीमान, मैं अपने आपको भी उससे अलग नहीं रखना चाहता। इसलिए, श्रीमान, जैसा कि मैं बता रहा था, यह गलत प्रचार जारी है। मेरी मांग है कि : आंकड़ों का अध्ययन करवाया जाए। समाजशास्त्रीय अध्ययन करवाया जाय; डाक्टर अथवा सर्जन के एक अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होने के कारण अपरेशन की मेज पर कितने मरीज मरे इसका पता लगाइये; इस बात का पता लगाइये कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का ड्राइवर होने के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई। आप पाएंगे कि आंकड़े इस प्रकार के बदनाम करने वाले अभियान को, जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ चलाया जा रहा है, न्यायोचित सिद्ध नहीं करेंगे। और इसलिए मैं इसकी मांग करता हूं। हमारे यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति आयुक्त है। इसको पहले ही नियुक्त किया जा चुका है उस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयोग को ही इस समस्या का अध्ययन करने के लिए कहा जाय। उन्हें ही गुजरात में और अन्यत्र समस्याओं का अध्ययन करने दिया जाए कितने व्यक्ति मारे गए हैं, जब कभी दंगे होते हैं सबसे अधिक नुकसान हुआ किन वर्गों को है, जब कभी पुलिस के साथ मुठभेड होती है, पुलिस गोली चलाने का सहारा लेने की कोशिश करती है; कभी कभी वहां प्रतिरोध भी होता है; कुछ पुलिस कर्मियों को चोट भी लगती है। इस बात का पता लगाइये कि इन सभी दंगों में किन वर्गों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। यह एक रोचक अध्ययन होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग से इसका अध्ययन करवाया जाए। सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रयास और हो। हमारे यहां कई दल हैं। जैसा कि पहले भी उचित ही कहा गया है, कि आरक्षण की नीति को सर्वत्र प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं किया गया है। विभिन्न राज्यों में आरक्षण की नीतियों का किस प्रकार क्रियान्वित किया जाता है इसका पता लगाया जाय। विभिन्न राज्यों में आरक्षण की नीति को सुप्रवाही बनाने और युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता का आपको पता चलेगा। वह नीति बिल्कुल युक्तिसंगत नहीं है। यह सुप्रवाही नहीं है। इसकी आवश्यकता है। और यदि कोई व्यक्ति यह मांग करता है कि नीति के कार्यान्वयन में सुप्रवाह और युक्ति संगत होना चाहिए, इसका यह आशय नहीं लेना चाहिए कि वह आरक्षण की नीति को समाप्त करना चाहता है, अपितु वह तो केवल यह जानना चाहता है कि इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जाय; यदि उसमें कोई दोष है; उसमें कोई त्रुटि है—तो उसकी जांच करनी होती है। और संविधान में कोई नीति निर्धारित ही नहीं करनी होगी, अपितु, उसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना होगा।

महोदय, मैं इस सदन का ध्यान महात्मा गांधी पर एक अविस्मरणीय पुस्तक, जो उनके भूतपूर्व सचिव प्यारेलाल द्वारा लिखी गई है, की ओर दिलाते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। उन्होंने अपनी पुस्तक की बहुत ही सुन्दर प्रस्तावना लिखी है और पुस्तक में वे कहते हैं कि जब कभी विश्व के अन्य भागों से कोई विशिष्ट नेता यहां आता है तो उन्हें गांधी जी की समाधि पर ले जाया जाता है, वे विभिन्न परियोजनाएं देखते हैं, वे पंचतारा होटल देखते हैं। यह जो गांधी जी के सचिव श्री प्यारेलाल ने "गांधी जी द लास्ट फेज' नामक पुस्तक की प्रस्तावना के अन्तिम पैरा में लिखा है। जब वे अपने देश वापिस पहुंचते हैं, तो वे कहते हैं, 'हमने भारत देख लिया है;

लेकिन गांधी का भारत कहां है ?' जब ये यात्री गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत के अन्य भागों की यात्रा करते हैं तो हम नहीं चाहते कि पर्यटक अपने देश वापिस पहुंच कर यह कहें 'हमने भारत देख लिया है, लेकिन गांधी का भारत कहां है ?' हमें उन्हें गांधी जी का सम्पूर्ण भारत दिखाना है। श्रीमती गांधी, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा मैं महात्मा गांधी का जिक्र कर रहा हूं। जब वे इस देश से वापिस जाएं, तो उन्हें जाकर यह कहने दिया जाए 'हमने महात्मा गांधी का भारत देखा है। हमें महात्मा गांधी के भारत पर गर्व है।' यह सन्देश होना चाहिए, जब पर्यटक हमारे देश से वापिस जाए। और यदि यह काम करना है, तो आरक्षण नीति, जिसके लिए सभी दल देशहित में वचनबद्ध रहे हैं, को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करना पड़ेगा, उसे बुद्धिसंगत बनाना पड़ेगा, उसे कारगर बनाना होगा और मैं आशा करता हूं तथा मुझे विश्वास है कि इस सभा में राजनीतिक दलों की किसी भी प्रकार की रोकटोक के बिना, जब हम चर्चा समाप्त करें, हमें एकमत होकर ऐसा प्रस्ताव अपनाना है, जो एकमत तथा लोक सभा के राष्ट्रीय इरादे को दर्शाए और देश के राष्ट्रीय भाव का प्रतिनिधित्व करे। धन्यवाद।

श्री आर० आर० भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, मैं यह देखकर अत्याधिक प्रसन्न हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इस प्रश्न पर सदन लगभग एकमत है। महोदय, हमारे समक्ष तथा देश के समक्ष, इतना संकुचित प्रश्न कोई नहीं है जितना इन कमजोर वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण सम्बन्धी प्रश्न है। इस सदन के समक्ष और इस देश के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जो अत्यधिक महत्व और गम्भीर किस्म का प्रश्न है वह उन 60% लोगों के स्तर को उठाने से सम्बन्धित है, जो गरीब और निर्बल वर्गों के हैं। क्या हम उनके जीवन स्तर, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति और सैक्षिण मानदण्ड में कोई सुधार कर रहे हैं ? इस विषय से सम्बन्धित एक अन्य मुद्दा यह है कि क्या हम राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय एकता को पहले जैसा ही बनाए रखना चाहते है अथवा नहीं ? इन गरीब और असहाय लोगों पर गांवों तथा शहरों में अत्याधिक अत्याचार किए जाते हैं। हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या गुजरात तथा अन्य स्थानों के भारी संख्या में लोगों के दिमागों में जो बातें रह गई हैं, उन्हें वैसे ही रहने दिया जाएगा अथवा वे बातें उनके दिमागों से निकाली जायेंगी। मेरी राय में ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिन पर सरकार को विचार करना है। हम उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर को उठाने के लिए वचनबद्ध हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं को इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने ध्यान में रखा था। पण्डित जवाहरलाल नेहरू का भी उस समय यही दृष्टिकोण था, जब अनुच्छेद 15(4) को जोड़ते हुए हमारे संविधान में संशोधन किया गया था। अत: इससे यह प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि क्या संविधान के प्रति हमारी निष्ठा है अथवा नहीं है। इन सभी प्रश्नों और मुद्दों का हल और समाधान निकालना है। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि इन प्रश्नों पर इस सभा में सद्भावपूर्ण चर्चा हुई और हर व्यक्ति का यह दृष्टिकोण दिखाई देता है कि समाज के इन गरीब और पिछड़े लोगों को अन्य लोगों के स्तर तक लाया जाए।

महोदय, इस सभा में कुछ कानाफूसी चल रही है। वास्तव में एक इस तरह का प्रचार चल रहा है कि 10 साल बाद सरकारी संगठनों की सभी सेवाओं में अनुसूचित जाति के लोगों की

सख्या अधिक हो जाएगी और सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए सेवाओं में कोई जगह नहीं रह जाएगी। प्रारम्भ में मैं यह अवश्य कहूंगा कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 3% या 5% से अधिक नहीं है। जहां तक विभिन्न सरकारी संगठनों में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या का प्रश्न है, तो यह अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या के अनुपात में मुश्किल से 0.1% होगी। मैं अब इस सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं कि वर्ष 1965 से वर्ष 1978 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या में वास्तव में कितनी वृद्धि हुई है। जहां तक केन्द्रीय सरकार की सेवाओं का सम्बन्ध है, श्रेणी-एक के पदों में अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता 1.64% थी और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता 0.27% थी। श्रेणी-दो के पदों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 2.82% और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 0.34% था। श्रेणी तीन में यह प्रतिनिधित्व 8.88% और 1.14% था और श्रेणी चार में 17.75% और 3.29% था। यह अनुपात इतना नगण्य है, जिससे कोई भी आदमी इस बात का आसानी से अन्दाजा लगा सकता है कि यह कुछ और नहीं, केवल शून्य के बराबर ही है। दिनांक 1-1-1979 को यह स्थिति इस प्रकार थी। श्रेणी-एक के पदों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 4.75% था और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 0.94% था। श्रेणी-दो के पदों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 7.37% और अनुसूचित जनजातियों का 1.03% था। श्रेणी-तीन के पदों में यह प्रतिशतता क्रमश: 12.55 और 3.11 थी तथा श्रेणी-चार में 19.34 और 5.19 थी।

मैं सदन के नोटिस में अब तक सरकारी क्षेत्र में इन लोगों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आंकड़े भी लाना चाहता हूं। मुझे ये आंकड़े 1-1-1979 तक के प्राप्त हुए हैं। अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व श्रेणी-एक के पदों में 2.35%; श्रेणी-दो के पदों में 4.22%; श्रेणी-तीन के पदों में 16.73% और श्रेणी-चार के पदों में 23.79% था। अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व श्रेणी-एक के पदों में 0.52%; श्रेणी-दो के पदों में 0.95%; श्रेणी-तीन के पदों पर 7.80% और श्रेणी-चार के पदों पर 9.51 % था।

अत: इससे यह पता चलता है कि आजादी मिलने के 33 वर्षों के बाद भी विभिन्न श्रेणियों में इन कमजोर वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व लगभग 5% या 4.5% है। अत: जो यह प्रचार चलाया जा रहा है कि 10 वर्षों की अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के ही सब जगह होंगे लोग और अन्य लोगों को कही जगह नहीं मिलेगी, एक भ्रामक प्रचार है।

एक और अन्य बात जिसका यहां मैं जिक्र करना चाहता हूं वह यह है कि किस वजह से गुजरात में यह हिंसा भड़क रही है। गुजरात सरकार ने उन सभी समस्याओं का समाधान दिया है जो चिकित्सा से सम्बन्धित थीं। मैं नहीं समझता कि स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों में से कोई ऐसा मुद्दा बचा रह गया हो जिसका हल निकाला जाना हो। लेकिन ऐसा लगता है कि वहां कुछ ऐसे समाज-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी तत्व हैं जो यह देखने के इच्छुक हैं कि

इन जातियों के लोगों को कोई भी लाभ न पहुँचे या यह कि सरकार को बदनामी होनी चाहिए। इन दिनों गांवों में हो रही हिंसा की घटनाओं का यही कारण है। ये चिकित्सा छात्र हिंसा नहीं भड़का रहे हैं। मुझे इस बात का विश्वास है कि कालज के छात्र भी हिंसा नहीं भड़का रहे हैं। ग्रामवासियों ने क्या किया है ? वे चिकित्सा कालेज या अन्य किसी कालेज के छात्र नहीं हैं। गांवों में गरीब वर्ग के लोगों पर हिंसा, अत्याचार और उनके मकानों को जलाने की ये घटनाएं स्नातकोत्तर चिकित्सा छात्रों अथवा कुछ अन्य छात्रों द्वारा नहीं शुरू की गई, बल्कि इनमें कुछ ऐसे तत्वों का हाथ है जो यह देखने के इच्छुक हैं कि जाति संघर्ष द्वारा हमारे देश की एकता खंडित हो जाए। मैं सदन के नोटिस में यह बात भी अवश्य लाऊंगा कि गुजरात के कुछ गांवों में इन कमजोर वर्गों के लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया गया है। मेरे विचार में यही उचित समय है जबकि गुजरात सरकार को इस मामले पर कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहिष्कारों को सरलता से नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत किया गया अपराध कहा जा सकता है। लेकिन अब तक की रिपोर्ट यही है कि उन ग्रामवासियों के विरुद्ध ऐसे अपराध के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए हैं, जो इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर रहें हैं और उनकी हत्या कर रहे हैं। महोदय, कुछ ऐसे मामले हैं, जिनके बारे में मैंने सोचा था कि ये मामले मुझे सदन के नोटिस में लाने चाहियें। लेकिन साथ-साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता को आंच न आए, यह राष्ट्रीय अखंडता नष्ट न हो, इन गरीब लोगों को अन्य बेहतर लोगों के समान स्तर पर लाया जाए और जब तक कुछ समय के लिए यह आरक्षण बरकरार नहीं रहता है, ये गरीब लोगों दूसरों के समान स्तर तक कभी नहीं आ सकेंगे। अन्यथा, यदि किसी शैक्षिक संस्था में इन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, तो यह सम्भव है, महोदय, कि ये लोग यह सोचने लगें कि मनुस्मृति वाला पुराना काल आ गया है क्योंकि हमें किसी कालेज अथवा स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इन गरीब वर्गों के लोगों के दिमाग में इस प्रकार की मनोवृत्ति और शक नहीं पैदा होने दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं जानता हूं कि इस सदन ने इस समस्या को बड़ी गम्भीरता से लिया है। यह सदन इसका समाधान भी बड़ी चतुराई से निकालेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि गरीब और पिछड़े वर्गों के ये लोग ऐसी हिंसा और कठिनाइयों के शिकार न हों, जो इन्हें आजकल भुगतनी पड़ रही हैं। महोदय, इसी के साथ मैं बात समाप्त करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि यहां इस प्रकार का प्रयास चल रहा है कि यह सदन एकमत होकर संकल्प स्वीकार करे और मुझे आशा है कि प्रयास सफल होगा। मैं देख रहा हूँ कि प्रारूप तैयार करने वाले अनेक व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं और मुझे आशा है कि उनका यह प्रयास सफल होगा। ऐसी स्थिति में मेरा विचार है कि अधिक भाषणों की अब आवश्यकता नहीं है। यह पहला अवसर नहीं है, जब हमारे संविधान में उल्लिखित हमारे देश के मूल कानून को हजारों साल पहले के मनु के कानून द्वारा चुनौती दी जा रही हो। यह पहली बार नहीं है, जबकि यह हमारे देश में घर रहा हो। महोदय, इस समस्या की जड़ों के बारे में अनेक सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। इसकी जड़, नौकरियों में आरक्षण सम्बन्धी इस प्रश्न में ही नहीं मिलेगी, बल्कि इसकी जड़ें सामाजिक और आर्थिक दमन में फैली हुई हैं। मैं

इस तथ्य के प्रति पूर्णत: सचेत हूं कि हमारे समाज में विद्यमान ये सामाजिक और आर्थिक दमन, अत्याचार, शोषण एक ही दिन मे समाप्त होने वाले नहीं हैं और इनका इस सदन के एक संकल्प से भी हल होने वाला नहीं है। लेकिन इस समय की यह पुकार है कि आग लग रही है। हमारे देश के पश्चिम भाग में चिन्गारियां धधक रही हैं और यह हमारा परम् अनिवार्य कर्त्तव्य है कि यह देखने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएं कि आग को बुझा दिया जाए।

देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर भाग में जो कुछ घटित हुआ, वह अभी तक पूर्णत: शांत नहीं हुआ है, और यह गत डेढ़ वर्ष से चल रहा है। मैं उस प्रश्न की अच्छाइयों-बुराइयों के बारे में नहीं बोलना चाहता, लेकिन इस तथ्य के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं है कि यह कुछ ऐसी बात है जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता को खतरा पैदा हो गया है, जिसे हम सभी पाल-पोस रहे हैं। अब देश के दूसरे किनारे पर, पश्चिम की ओर हम देखते हैं कि कुछ इसी प्रकार की घटना एक भिन्न मुद्दा लेकर, घट रही है। जब आवेश ठंडा पड़ जाएगा, जो पड़ सकता है, तब आपको इस तथ्य का पता लगाने के लिए स्थिति का कुछ मूल्यांकन करना चाहिए, कुछ अध्ययन करना चाहिए कि यह सब कुछ कैसे हुआ, जैसाकि उदाहरणत: असम के मामले में हुआ, जो बाद में आन्दोलन का एक इतना बड़ा मुद्दा बन गया, कथित विदेशियों का मुद्दा, जो इससे पहले 1980 तक कभी पैदा नहीं हुआ था।

1977 में चुनाव हुए थे और इसी मतदान सूची के आधार पर 1978 में विधान सभा के चुनाव हुए थे। किसी व्यक्ति ने कभी विदेशियों के इस मामले को राज्य-व्यापी अशान्ति के स्तर तक नहीं उठाया था। लेकिन 1980 से अचानक ही यह शुरू हो गया।

स्नातकोत्तर मेडिकल कालेजों में आरक्षण का यह मामला, जैसा आपने यहां सुना है, कुछ ऐसा मामला है जो 1975 में जनता सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो यह किस प्रकार है कि किसी भी व्यक्ति ने 1980 तक इस मामले को नहीं उठाया था और इसे संघर्ष और विवाद का मामला बना दिया था? अत: मैं पूरी तरह से संदेह करता हूं यद्यपि मेरे पास इसे प्रमाणित करने का कोई साधन नहीं है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसका सतही तौर पर अध्ययन किया जाए। हमारे देश में कुछ ऐसी शक्तियां कार्य कर रही हैं—हमने यह बात यहां पर पहले भी कई बार कही है—जो देश के अस्थिरीकरण, इसकी एकता और निष्ठा को तबाह करने पर तुली हुई हैं। आन्तरिक शक्तियां और बाहरी शक्तियां भी यह कार्य कर सकती हैं।

मैं एक बात कहना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि इसका बुरा नहीं माना जायेगा। इस विशेष अवसर पर जब गुजरात में आग में लग चुकी है। आग भड़क रही है और राजस्थान जैसे समीपवर्ती राज्यों में इस आग को फैलाने के लिए प्रयास किए गए हैं और प्रधान मन्त्री का पूरा सम्मान करते हुए मेरे विचार से उनके लिए यह उचित अवसर नहीं था जब वह योग्यता के बारे में इस प्रकार का वक्तव्य दें और सचाई यह है कि हमने सदैव योग्यता को ही माना है और हम योग्यता की निन्दा नहीं करना चाहते हैं। योग्यता को कौन अपमानित करना चाहता है? कोई नहीं।

लेकिन इस वक्तव्य में जिसमें उन्होंने कहा है "इस आरक्षण का आशय कमजोर वर्गों को एक प्रकार से सहारा देना था लेकिन हमें सदा के लिए यह सहारा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए।" वास्तव में सिद्धांत रूप से यह ठीक है। मुझे विश्वास है कि सम्बन्धित लोग सदा के लिए यह सहारा नहीं लेना चाहते अपितु वे अन्य लोगों के समान समानता के स्तर पर आना चाहते हैं और इन सहारे की इन बैसाखियों को फेंक देना चाहते हैं। लेकिन हमें व्यावहारिक बनना है। क्या निकट भविष्य में कोई ऐसी सम्भावना, वास्तविक सम्भावना है ? क्या इसे आप देख सकते हैं ? इसमें बहुत समय लगेगा। अतः मैं इसे ठीक मानता यदि माननीय प्रधानमंत्री ने किसी और समय यह बात कही होती। जी हां, वह इन विचारों को किसी और समय पर व्यक्त कर सकती थीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि इस विशेष अवसर पर लोगों द्वारा उनके इस वक्तव्य का दुरुपयोग किया जा सकता है और इसे तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है और वे ऐसे लोग हैं जो इस विवाद को जारी रखने में रुचि रखते हैं। यदि वे केवल अस्थाई बैसाखियां हैं तो यह सुनिश्चित करने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता कि इन बैसाखियों को हटाया जा सके ? लेकिन यह सदन कम से कम किन्हीं परिस्थितियों में चाहे बाहर कोई व्यक्ति कुछ भी कहे—आरक्षण की नीति जो संविधान में और इस सदन द्वारा स्वीकृत की गई है, को कम करने अथवा इसे कमजोर करने अथवा इसे छोड़ देने के किसी मामले पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकता। जैसा यहां उल्लेख किया गया है कुछ वर्ष पूर्व अर्थात् 18 अथवा 19 वर्ष पूर्व जब हमला हुआ था प्रत्येक सदस्य ने खड़े होकर एक संकल्प पारित किया था। हमने यहां पर खड़े होकर एक संकल्प पारित किया था और 1962 में एक शपथ ली थी और यह मेरा विनम्र अनुरोध है—आप उसकी उपेक्षा कर सकते हैं—कि आज की चर्चा के अन्त में हम एक संकल्प पारित करें जिसकी मैं उत्साहपूर्वक आशा करता हूं कि हम ऐसा कर सकेंगे। यहां पर भी हमला किया जा रहा है। हरिजनों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों के खिलाफ युद्ध घोषित किया गया है। तो आज भी इस सदन में प्रत्येक सदस्य खड़ा होकर इस संकल्प को पारित करके उन लोगों को कुछ प्रोत्साहन और शक्ति दें। मेरा यह विनम्र सुझाव है।

अब आंकड़े दिये जा चुके हैं। मैं इन सीटों के आरक्षण के बारे में गुजरात में वास्तविक स्थिति के बारे में इन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं और स्थिति किस प्रकार हास्यस्पद है। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि हरिजनों अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा उन्हें धमकी दी गई है और परेशान किया गया है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में केवल 25 प्रतिशत सीटें अर्थात् 437 में से 110 सीटें आरक्षित रखी गई थीं और उनमें से, जैसा यहां किसी सदस्य ने कहा है, केवल 37 सीटें ही भरी गई हैं और बाकी सीटें सामान्य कोटे में जोड़ दी गई हैं। पांच मेडीकल कालेजों में प्रोफेसर, एसिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर और ट्यूटर के 737 पदों में से केवल 22 पदों पर ही अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। और दो पदों पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं। वास्तविकता यही है और इसे देखते हुए मुझे आशंका है कि मैं राज्य सरकार के रवैये का अनुमोदन नहीं कर सकता और इन तथ्यों को देखते हुए मैं इन आन्दोलनकारियों को संतुष्ट करने के प्रयास में इन्हें और रियायतें देने और सभी सीटों का आरक्षण समाप्त करने की

राज्य सरकार की कार्यवाही का अनुमोदन नहीं कर सकता हूं। आरक्षण की अन्तरणीयता और इन्हें आगे ले जाना और ये सुविधायें देना क्या है। आन्दोलन को शांत करने में यह सहायक नहीं होगा। वास्तव में हमारे लोग महसूस करते हैं कि उनके आंदोलन से हमें बाध्य होकर कुछ रियायतें देनी पड़ी हैं और यदि वे अपने आंदोलन को तेज कर देंगे तो उन्हें और सुविधाएं प्राप्त होंगी। अत: संतुष्टीकरण की यह नीति ठीक नहीं है और मैं निश्चित रूप से इसकी निन्दा करता हूं।

श्री वाजपेयी ने इस तथ्य का उल्लेख किया था। मैं भी इसका उल्लेख कर रहा हूं और तब आप देखेंगे कि कुछ ऊंचे वर्ग की किस प्रकार की उत्कट देश प्रेम की भावना है और यह कहां तक पहुंच गई है। वे इन आरक्षित सीटों पर आपत्ति करते हैं लेकिन वे चन्दा देकर ली जाने वाली सीटों, जो धनराशि अदा करके प्रदाता द्वारा ली गई है, पर आपत्ति नहीं करते हैं। क्या वे इस पर आपत्ति करते हैं? (व्यवधान) वे केवल उन सीटों पर आपत्ति करते हैं जो अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के लोगों लिए आरक्षित रखी गई हैं। (व्यवधान) वास्तविकता यही है जो मैं कहता हूं।

वास्तव में माननीय गृह मंत्री ने हमें अधिक विस्तार से प्रशासन की स्थिति को स्पष्ट किया था। अब क्या होने जा रहा है? क्या हम इस प्रशासन और उस स्थिति पर जिसमें इसे इस स्थिति से निपटना है भरोसा कर सकते हैं? श्री डागा ने नौकरशाहों, अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में, जिनकी वास्तव में सांठ-गांठ हो सकती है, इस सदन में बहुत गंभीर आरोप लगाये थे क्योंकि दंगों और उपद्रवों का यह हमारा पहला अनुभव नहीं है। कमजोर वर्ग, हरिजन और मुसलमान अपने बारे में जानते हैं कि जब भी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं तो निश्चित रूप से किस प्रकार कम से कम प्रशासन का एक भाग, मैं पूरे प्रशासन के बारे में नहीं कहता हूं, और निश्चित रूप से पुलिस बल ऐसी भूमिका नहीं निभाता है जो उन्हें धर्म-निरपेक्ष राज्य में निभानी होती है। यही बात हमारे वहां के लोगों के बारे में है। श्री भूपेश गुप्त भी वहां पर व्यक्तिगत रूप से गये थे। उन्होंने अनेक शिकायतें सुनी थीं कि किस प्रकार हरिजन बस्तियों से लम्बी दूरी पर स्थित कुछ घटनायें हुई थीं लेकिन पुलिस इन बस्तियों में गई थी और वहां पर लोगों को मारा-पीटा था और उन्हें गिरफ्तार किया था। एक श्रमिक संघ के नेता के रूप में मैं भी इस बात से अत्यन्त दुःखी हूं। श्रमिक इतने व्यापक रूप से विभाजित हैं कि अहमदाबाद में कपड़ा मिलों म काम बंद हो गया था। स्पिनिंग विभाग के सभी श्रमिकों ने, जो हरिजन थे, काम पर जाने से मना कर दिया था क्योंकि उनके लिए संरक्षण नहीं था। उन्होंने कहा था "जब तक हमें सरक्षण नहीं मिलता और सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो जाती हम मिलों में काम पर नहीं जा सकते"। विभिन्न कपड़ा मिलों में स्पिनिंग विभाग के प्राय: समस्त श्रमिक घर पर रुके रहे थे और काम पर नहीं गए थे और इसके परिणामस्वरूप मिले बंद रही थीं।

वस्तुत: सामान्य तौर पर जब ऐसे कारणों से मिलों में उत्पादन में व्यवधान पड़ता है तो मिल मालिक यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यन्त चिंतित रहते हैं कि किसी न किसी प्रकार सामान्य स्थिति बहाल हो जाए क्योंकि इसके कारण उन्हें कुछ घाटा उठाना पड़ता है। लेकिन इस बार

मुझे पता चला है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है । इसके बारे में किसी ने चिन्ता नहीं की है । निश्चित रूप से इससे कुछ सन्देह उत्पन्न होता है ।

मेरे मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को सुनकर मैं अत्यन्त प्रसन्न हुआ था और मैं कामना करता हूं कि यहां उनके द्वारा व्यक्त की गई भावनायें और अपीलें कम से कम उनकी पार्टी के अनुयायियों द्वारा ईमानदारी पूर्वक पालन की गई थीं । मैं महत्व पाने के लिए यह नहीं कह रहा हूं । हमें अपनी भी सूचना प्राप्त हुई है । हमारे लोग वहां हैं । हमारे लोगों ने इन क्षेत्रों का दौरा किया है । मुझे इस मामले में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ईमानदारी अथवा सत्यता पर बिल्कुल संदेह नहीं है और मुझे खुशी है कि वह उसी तरह से बोले हैं जिस तरह वह बोलते हैं । लेकिन आप देखते हैं कि सभी दलों में ऐसे लोग हैं जो अपने नेताओं द्वारा कही गई बात का अनुसरण नहीं करते हैं । मैं यहां फिर कह रहा हूं कि आग भड़क रही है । अत: मैं अत्यन्त प्रसन्न हूंगा यदि उन्होंने यहां पर जो कुछ कहा है, वह वास्तव में कम से कम उनके अनुयायियों द्वारा पालन किया जाए क्योंकि हमें यह समाचार नहीं मिला है ।

कुछ पदों और कुछ सीटों की इस समस्या से यह समस्या हल नहीं हो जायेगी । मैं केवल यही कहना चाहता हूं । हमारे पूरे समाज में यह एक अत्यन्त गंभीर समस्या तथा सामाजिक और आर्थिक समस्या है और सीटों के अनौपचारिक आरक्षण का एक ऐसी टाइप है जिसे कानून अथवा संविधान द्वारा मंजूरी नहीं दी गई है लेकिन यहां भी हम पाते हैं कि यह मानसिक रूप से कार्य करता है । मैं आपको अनुसूचित जातियों और आदिवासियों, विशेषकर बिहार के संथाल परगना और छोटा नागपुर, के दो उदाहरण दे सकता हूं ? आप देखते हैं कि एक ऐसा समझौता है कि एक परियोजना, सरकारी क्षेत्र की एक परियोजना अथवा किसी अन्य प्रयोजन के निर्माण के लिए इन लोगों की भूमि अर्जित की जाती है तो भूमि के मुआवजे के अतिरिक्त, जो सांविधिक रूप से दिया जाता है, कम से कम प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को जिसकी भूमि ली गई है इस परियोजना में रोजगार दिया जायेगा । इस प्रकार की स्थिति को आप आरक्षण कह सकते हैं । यह आरक्षण के आश्वासन का मामला है जिसका औचित्य सिद्ध करने के लिए इसके पीछे कोई कानून नहीं है ।

हाल ही में कुछ सप्ताह पूर्व हजारी बाग जिले के चलरामपुर में एक घटना हुई थी जिसमें गोली चलानी पड़ी थी और लोग मारे गए थे । इसका कारण केवल यही है कि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स जो एक सरकारी उपक्रम है और जो इस करार के लिए एक पार्टी है, ने इसे कार्यान्वित न करने का निर्णय किया था । स्वभावत: लोग उत्तेजित हो गए थे और क्षुब्ध हो गए थे और कुछ गड़बड़ हुई थी जिससे गोली चलानी पड़ी और लोग मारे गये । लालमाटी के निकट ईस्टर्न कोलफील्ड्स में वे इस करार को ईमानदारीपूर्वक पालन कर रहे हैं परन्तु हजारीबाग का किसी ने यह निर्णय ले लिया था कि वे इसका पालन नहीं करेंगे ।

जमशेदपुर में क्या हो रहा है ? वहां 10 000 ठेका श्रमिक हैं । मामला यह है कि आदिवासी और जनजाति के हैं । वे अनुसूचित जाति के लोग हैं और हमारी सरकार द्वारा उनका

कल्याण देखा जाता है। टी० आई० एल० सी० ओ०, टिन प्लेट और टिस्को के सभी प्रबन्धक-वर्ग द्वारा जमशेदपुर में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और प्रत्येक कम्पनी एक पार्टी है। उनके द्वारा हस्ताक्षर की गई मेरे पास इस करार की एक प्रति है जिसमें कहा गया है कि ये नौकरियां स्थाई नौकरियां हैं और निरन्तर स्वरूप की हैं और इन नौकरियों में इन ठेका श्रमिकों को नियमित श्रमिकों के रूप में खपाया जायेगा। टेल्कों ने औपचारिक रूप से पालन किया है, टिन प्लेट्स ने पालन किया, ट्यूब कम्पनी ने पालन किया है परन्तु 'टिस्को' के प्रबन्ध निदेशक, श्री रूसी मोदी इसका पालन करने से इन्कार कर रहे हैं। वे आदिवासी श्रमिक हैं। यह एक प्रकार का रोजगार का अवसर है जो उनके लिए खुला है। वे आन्दोलित हो रहे हैं। पुलिस ने लाठी-प्रहार किया। इसके परिणामस्वरूप हमारा अनुभवी व्यक्ति केदारदास मारा गया। क्या यह मखौल है या और कुछ ? यह रूसी मोदी किस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं ? क्या वह ऐसा वक्तव्य देकर सरकार पर विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं या श्रीमती गांधी पर ? "अरे ! यह तो साम्यवादियों का एक षडयंत्र है।" आदिवासी, गरीब पद-दलित ठेका श्रमिक ऐसे रोजगार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके लिए उनको आश्वासन दिया गया था और रूसी मोदी, चूंकि वह टाटा बन्धुओं के मालिक हैं इसलिए सरकार उस पर अंगुली उठाने से डरती है और इन्हें आदिवासियों तथा अनुसूचित जातियों के लोगों के प्रति इस प्रकार के घृणापद रवैये के बावजूद बचने दिया जाता है। यहां पर किसी वाद-विवाद या संकल्प से समस्या का समाधान नहीं हो सकता परन्तु हम जो कुछ कर सकते हैं वह यह है कि हम एक संकल्प पारित करें। जहां तक इसका सम्बन्ध है, यह ठीक है।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं परन्तु मैं दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो मैं पहले ही बता चुका हूं। यदि आप कोई संकल्प स्वीकृत करते हैं, तो कृपया इस पर कम से कम यह विचार करें कि क्या हम इस संकल्प को खड़े होकर पूरी निष्ठा से पारित करें जैसा कि चीन द्वारा आक्रमण के समय हमने किया था। मैं इसे अपने लोगों के एक बड़े वर्ग, जो पद दलित हैं, पर आक्रमण समझता हूं।

दूसरे, मैं किसी सदस्य द्वारा वहां दिये गये सुझाव की पुष्टि करता हूं कि हममें से प्रत्येक, जो भिन्न-भिन्न दलों का है, को बजाय इसके कि अलग-अलग रूप से गुजरात जाये और वापस आकर प्रेस वक्तव्य दें अथवा पत्रकार सम्मेलन बुलाये—आप किसी को ऐसा करने से नहीं रोक सकते परन्तु क्यों नहीं एक परिवर्तन के लिये—गत वर्ष असम में भी मैं ऐसा करवाना चाहता था, यदि हम ऐसा कर सकते—सभी दलों के राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ नेता, जो धर्म-निरपेक्षता तथा संविधान में उल्लिखित सिद्धान्तों के प्रति कृत संकल्प हैं, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता में विश्वास करते हैं, इस तथा उस पक्ष के सभी नेता—मैं इसके लिये तैयार हूं—हमारा दल इसके लिये तैयार है—एक साथ मिल कर एक समान मिशन के रूप में अथवा समूह के रूप में प्रभावित क्षेत्र में जायें। हम सब एक साथ मिल कर सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हों और उनसे अपील करें। वे हमारा क्या करेंगे ? क्या वे हम पर आक्रमण करेंगे ? उन्हें हम पर आक्रमण करने दिया जाये ? क्या वे हम पर पत्थर फेकेंगे या किसी को पीटेंगे ? हमें कहना चाहिये कि हम उसके लिये

भी तैयार हैं। परन्तु यदि हम वहां मिल कर जाते हैं। परन्तु यदि हम वहां मिल कर जाते हैं और प्रभावित स्थानों का दौरा करते हैं—कृपया 'सुरक्षा', यह और वह, न करें—महात्मा गांधी में स्वयं ऐसा करने का साहस था जब कभी भी कहीं कोई गड़बड़ होती थी। —यदि हम साथ जाते हैं तो मुझे विश्वास है कि इसका लोगों पर बड़ा निर्णायक प्रभाव पड़ेगा। इससे जो लोग वास्तव में गड़बड़ी पैदा करते हैं, उनका पता लगाना सम्भव होगा—इससे आप लोगों में, जो अच्छे हैं, सही धारणा बनेगी—उनमें से कुछ को गुमराह किया जाता है—परन्तु शांति स्थापित की जा सकती है, सामान्य स्थिति बहाल की जा सकती है। मैं अपने दल की ओर से सिफारिश करता हूं कि हम सब के लिये यही रास्ता है।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (सीतापुर) : हम आज यहां एक गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आरक्षण का सवाल कोई राजनीतिक सवाल नहीं है और इस पर हमें इस रूप में विचार नहीं करना है कि यह किसी पार्टी का सवाल है। मुझे उधर से लोगों के भाषण सुन कर अफसोस हुआ है। उन में ऐसे भाषण भी किए ए हैं जिन का आरम्भ तो इस रूप मे किया गया कि हरिजनों के आरक्षण की बात तो ठीक है लेकिन बाद में पिक्चर यह खींची गई कि कांग्रेस ने आरक्षण को पूरी तरह से लागू करने के लिए कदम नहीं उठाया या हरिजनों के लिए कांग्रेस ने इन वर्षों में कुछ विशेष काम नहीं किए। मैं खास तौर से बी० जे० पी० के नेता श्री अटल विहारी वाजपेयी की बात करना चाहती हू। जब वह बोल रहे थे तो उन्होंने हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के ऊपर यह आक्षेप किया कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को कुछ बातें चालाकी से नहीं कहनी चाहिये थीं। इसका आरोप उन्होंने हमारी नेता पर लगाया है। मैं पूछना चाहती हूं कि उनकी जो बात थी क्या वह चालाकी से भरी हुई नहीं थी ? श्रीमती इन्दिरा गांधी दुनिया की वह नेता हैं जो जिस बात को कहती हैं उसी को करती भी हैं, हर चुनौती के सामने जिन्होंने खड़े हो कर अपनी बात को कहा है और उसका सामना किया फिर चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़ा हो। अभी हमारे भाई श्री इन्द्रजीत गुप्त बोल रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें यह स्टेटमेंट नहीं देना चाहिये था। क्यों न दिया जाए, क्यों सही बात न कही जाए ? सही बात को सही समय पर कहना क्या गुनाह है ? जहां तक आरक्षण का सवाल है इसको संविधान में रखा गया है। किस ने रखा है ? कांग्रेस जब गवर्नमैंट में आई पंडित जवाहर लाल जी नेहरू के नेतृत्व में तो 1950 में उसने संविधान बनाया और उस में हम ने आरक्षण को माना। लेकिन उसके पहले मुझे याद है अपने बचपन की बात, हम सब कांग्रेस के परिवार से जो लोग आते है हमें सिखाया गया कि हरिजनों के साथ कैसे व्यवहार रखना है, उनके साथ किस तरह खाना पीना, उठना बैठना है, किसी तरह की छूआछूत नहीं माननी है। इस तरह से हम बड़े हुए। यह कांग्रेस की फिलासफी में रहा है, कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के अन्दर रहा है। और जब आजादी आयी तो उसको हमने संविधान में रूप दिया और अस्पृश्यता, छूआछूत को खत्म करने के लिये कानून बनाया। संविधान में हमने कहा कि इस देश में कोई भी अगर छूआछूत मानता है तो कानून की दृष्टि से वह दंडित है और उसके बाद उसके पालन के लिये कदम उठाये गये। पहली बार जो संविधान में 10 वर्ष के लिये आरक्षण रखा गया था उसको 1960 में फिर 10 वर्ष के लिये बढ़ाया। किसने बढ़ाया ? कांग्रेस की सरकार

ने बढ़ाया। 1970 के बाद फिर कांग्रेस सरकार ने 10 साल के लिये बढ़ाया। और 1980 में जब बढ़ाने की बात आयी, जनता सरकार खत्म हो गई उसका समय बीतने को आ रहा था और उस समय लोक दल सरकार भी आ गई थी, वह आरक्षण की बात को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन उनके अन्दर ऐसे कुछ तत्व थे जो आरक्षण में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिये उन्होंने आरक्षण को 10 साल के लिये नहीं बढ़ाया। और आज गुजरात में जो आग फैलाये हुए हैं उनमें से कुछ ऐस तत्व हैं जो आरक्षण विरोधी हैं। गुजरात की जनता यह लड़ाई नहीं कर रही है। अब माननीय इन्द्रजीत गुप्त ऐग्रेशन की बात कहते हैं। एग्रेशन कौन किस पर कर रहा है? कोई न हमला कर रहा है और न कोई हमलावर है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह नहीं कहा आप हमला कर रहे है। मैंने कहा हमला हो रहा है इन लोगों पर।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : हम नहीं मानते हैं एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हम प्यार के साथ इस समस्या को दूर करना चाहते है। क्लासवार की बात जो लोग कहते है उस पर न हमारी पार्टी और न हमारी सरकार विश्वास करती है। इसलिये हम अपने प्रस्ताव में, जिसका जिक्र आप बारबार करते हैं, इसको एक मत से लाये। यह ऐग्रेशन किसको हम कहने जा रहे हैं? समाज के एक वर्ग की अलग करने की बात आप करते हैं, समाज में आरक्षण की बात को लेकर जबान से दूसरी बात कहते हैं, करते दूसरी बात हैं। यह दोनों बातें नहीं चल सकती हैं।

अभी माननीय वाजपेयी जी कह रहे थे हम आरक्षण स्वीकार करेंगे और मानेंगे और आगे भी कुछ बात करनी होगी। उन्होंने गुजरात जाने के बाद एक स्टेटमेंट भी दिया था। मैं पूछना चाहती हूं बातचीत किस तरह की? बातचीत करने से क्या मतलब आप चाहते हैं? आरक्षण तो हमने स्वीकार किया है और उसको हम इमप्लीमेंट कर रहे हैं, आगे भी करते चले जायेंगे। 10 साल के लिये जो बढ़ाया है उस बीच में फिर देखा जायगा किस तरह हम इसमें कामयाब होते हैं और कितनी तरक्की होती है। हमारे भाई बहनों को समाज में पूरा स्थान क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन हां अफसोस इस बात का है कि इस स्थिति का फायदा उठा कर राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है। जब कि गुजरात मे कुछ दिन पहले ही पंचायत और कोरपोरेशन के चुनाव हुए। अहमदाबाद में जहां सबसे ज्यादा उपद्रव और परेशानी है वहां की कोरपोरेशन में महीना भर पहले कांग्रेस की जीत हुई और जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया। पंचायतों के चुनाव में नीचे के लेविल से गांव गांव में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले। फिर उसके बाद निराश हो कर अब क्या करने लग गये हैं? तो आज जो आग भड़काने की बात करते हैं इससे काम नहीं चलने वाला है। देश की जनता श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ है और गुजरात की जनता तो विशेष रूप से श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ है। मैं यह भी जानती हूँ कि अभी जो अहमदाबाद मे या गुजरात में हो रहा है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। यह तो जो लोग इसको करा रहे हैं, वह जानते है, लेकिन गुजरात के मुख्य मन्त्री ने जो 11-3-81 को अहमदाबाद में गुजरात के मामले पर बोलते हुए कहा था, उसमें उन्होंने बहुत साफ शब्दों में यह कहा कि गृह मन्त्री श्री प्रबोध रावल ने राष्ट्रीय

स्वयं सेवक संघ पर पाबन्दी लगाने की धमकी दी है और श्री रावल ने राज्य विधान-सभा को बताया कि चालू आन्दोलन के पीछे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ है, विशेषकर अहमदाबाद और मेहसाणा जिलों में ये लोग बहुत सक्रिय हैं। श्री रावल ने यह कहा कि यदि जरूरी हुआ तो सरकार संघ पर पाबन्दी लगाने से हिचकेगी नहीं। कांग्रेस (ई) के विधायक के प्रश्न के उत्तर में श्री रावल ने सदन में एक वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में कई दिनों तक शांति रहने के बाद पिछले 24 घंटों में राज्य के कई भागों में पुनः हिंसा भड़क उठी है।

मेहसाणा जिले के पाटन नामक स्थान में जनता विधायक डा० डाह्या भाई पटेल आरक्षण विरोधी छात्रों के एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए गिरफ्तार कर लिये गये।

अब आप कहते हैं कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। आज जनता पार्टी के विधायक कैसे नेतृत्व करते हैं इन चीजों का ?

एक माननीय सदस्य : विधायक नहीं है।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी : ऐसे गंभीर प्रश्न को हम सब लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिये और जो भी प्रस्ताव करें, एक दूसरे पर कीचड़ न उछालते हुए हमें शांतिपूर्वक और गंभीर तरीके से इस पर विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष पीठ की ओर से एक अपील है। हमारी चर्चा से गुजरात में व्याप्त स्थिति और नहीं बिगड़नी चाहिये। अतः मैं कहना चाहूँगा कि हम भावनाओं को महत्व न दें बल्कि समझ को महत्व दें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी शर्म की, हम सब के लिये कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है कि आजाद हिन्दुस्तान के 34वें साल में हम लोग एक ऐसे मसले पर यहाँ पर बहस कर रहे हैं जिस पर कभी का हल होना चाहिये था।

गुजरात पर प्रस्ताव तो आयेगा और मैं आशा करता हूं कि वह एक राय से इस सदन से पारित भी हो जायेगा, लेकिन मैं इस गलतफहमी में रहने के लिये तैयार नहीं हूं कि आज इस में जो बहस होगी और जो प्रस्ताव होगा, उससे इस समस्या का कोई निदान आना है, कोई हल निकल आना है, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट कहीं जायें, और कुछ बातों पर हम चाहेंगे कि अपने दल से भी उठकर, अगर उनमें हिम्मत हो, असलियत का सामना करने की, असलियत को रखने की, तो वह रखने का काम करें।

सवाल बुनियादी है कि हिन्दुस्तान में जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में सम्पत्ति है और यह सत्ता व सम्पत्ति के साथ जो जात जुड़ी हुई है, क्या इस देश में वे लोग उस सत्ता को कुछ हद तक छोड़ने के लिये तैयार हैं ? जब तक लोग इस पर विचार करने के लिए तैयार नहीं

हो जायेंगे और मन से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच जायेंगे, तब तक यह सदन चाहे जितने प्रस्ताव पारित करे, वह चाहे जितने आश्वासन आज गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में जलाए जाने वाले, मारे जाने वाले हरिजनों, आदिवासियों और समाज के पिछड़े वर्गों को दे, उन पर कोई अमल नहीं होना है।

अकेले गुजरात का सवाल नहीं है। क्या हुआ था भागलपुर में ? किनकी आंखें निकाली गई थीं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं आपसे बैठने की अपील करता हूं। (व्यवधान) पिछले अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने पांच घंटे की चर्चा की अनुमति दी थी। हमने अब एक और चर्चा की इसलिये अनुमति दी है कि समस्या का समाधान किया जाये न कि बराबर लड़ा जाये।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फ़र्नान्डीस : और कौन लोग थे, जो भागलपुर की सड़कों पर जूलस निकाल कर चले थे और बोले थे कि पुलिस ने जो किया है, वह ठीक किया है ? अगर कोई मुझे कहे कि पुलिस के समर्थन में भागलपुर की सड़कों पर निकला हुआ जूलस डकैती और डकैतों के विरोध में था, और वह जूलस इस देश की उस समाज-व्यवस्था के समर्थन में नहीं था, जिसने आज गुजरात में आग लगाने का काम किया है, तो जिसको भ्रम में रहना है, वह रहे—मैं रहने के लिए तैयार नहीं हूं।

एक माननीय सदस्य : चले जाइये विदेश। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज, आप मुस्करा कर क्यों नहीं बोलते ? मुस्करा कर बोलिए, सब ठीक हो जायगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे विदेश भेजने वाली शक्ति हिन्दुस्तान में पैदा नहीं हुई है। मैं इस देश का हूं, यह मेरा देश है। मुझे इस देश से कोई नहीं भेज सकता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सबका है। आप चिंतित क्यों हैं ? यह सबका है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं यह बात बहुत स्पष्ट तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हम नकली बहस क्यों चलायें, सब के मन की बात यहां पर हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि हंसते हुए बोलो क्या यह हंसी का विषय है ? मैं देख रहा हूं कि सदन में कितनी देर से हंसी हो रही है। मगर मेरे लिए यह हंसी का विषय नहीं है। इसी लिए मैं भागलपुर की बात को यहां लाया हूं, और अब मैं डल्ली राजहरा की बात को लाता हूं।

एक कमेटी ने इस बारे में एक रिपोर्ट दी है। मैं उसके दो जुमले सदन के सामने रखूंगा। गुजरात के बारे में बहस सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि वहां हरिजनों को जलाया जा रहा है,

बल्कि इसलिए भी बहस है कि कुछ इधर-उधर और लोगों पर भी पुलिस की तरफ से चोट लग रही है। इसलिए भी बहस है कि और इस आन्दोलन में सब लोग अपना-अपना हाथ धो कर कुछ निकालने का काम कर सकते हों, तो वह भी हो जाए।

डल्ली राजहरा में मजदूरों के बीच में, हरिजन और आदिवासी मजदूरों के बीच में काम करने वाले एक कार्यकर्ता को उस कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया, जो गैरकानूनी कानून है—राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। उसका नाम है शंकर गुहा नियोगी—एक ऐसा व्यक्ति, जिसने ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी और तीन रुपये रोज पाने वाले हरिजन और आदिवासी मजदूरों को 17 रुपये पर लाने का काम किया पांच बरस की मेहनत के बाद, एक ऐसा व्यक्ति, जिसने पच्चीस हजार आदिवासियों को शपथ दिला कर शराब के नशे से मुक्त कराने का काम किया और जिस ठेकेदार ने वहां 17 लाख रुपये में शराब का ठेका लिया था, पिछले साल उसका दो लाख रुपये का व्यापार नहीं हो पाया। उन ताकतों से लड़ने वाले व्यक्ति को दलीय राजनीति पर चल कर प्रदेश की सरकार ने पिछले महीने की 1 तारीख को गिरफ्तार किया। सुबह के 11 बजे उसे कहा गया कि कलेक्टर साहब ने मजदूरों की समस्या के बारे में बात करने के लिए दुर्ग में बुलाया है। अपनी यूनियन के अन्य पदाधिकारियों को ले कर वह नौजवान वहां पहुंचता है, उसकी जीप के ड्राइवर को वहां पर गिरफ्तार करके जीप सरकारी कचहरी में रखी जाती है और शंकर गौहनियो को सागर की जेल में पहुंचा दिया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत। मैं शंकर गौहनियो जी की गिरफ्तारी के बुनियादी मसलों पर यहां पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन समाज के उन शोषित तबकों के साथ जो व्यवहार है और वह अकेले गुजरात का नहीं है, वह अकेले भागलपुर का नहीं है, वह देश के कोने-कोने में प्रतिदिन जो हो रहा है उसकी ओर मैं सदन की नजर खींचना चाहता हूं। हंसने वाली बात नहीं है और इस तरह से हल्ला करके दबाने वाली बात भी नहीं है।

सत्याग्रह किया वहां पर महिलाओं ने शंकर गौहनियो जी की पत्नी आशा, एक आदिवासी महिला, तीन बच्चों की मां, 6 वर्ष का एक बच्चा, चार वर्ष का एक बच्चा और उसके हाथ में 6 महीने का एक बच्चा, उसके नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ और फिर क्या हुआ, यहां जिनको इस समस्या का हल खोजना है न, वह इस का भी हल निकालने का काम करें।

'शाम के समय करीब 6 बजे लगभग 460 महिलाएं और बच्चे, जो दो ट्रकों और एक बी. एस. पी. बस में भरे हुए थे, मानपुर के बन जो नगर से लगभग 40 कि. मी. दूर है, ले जाया गया।

इन महिलाओं बच्चों को पुलिस द्वारा घने जंगल, जो सूखी हुई मोटरी नदी के किनारों पर है, में जबरदस्ती छोड़ दिया गया जहां भेड़िये बहुत हैं। महिलाओं और बच्चों को बाहर घसीटा गया और खुले में फेंक दिया गया। अनेक महिलाओं और बच्चों को चोटें आईं। उनको तीन भिन्न-भिन्न स्थानों : खारगोन, पानखजूर और मोटरी नदी पर दलों में छोड़ दिया गया। टेप किये गये एक साक्षात्कार में बहुत सी महिलाएं और बच्चे अपना भयावह अनुभव सुनाते समय

फफक-फफक कर रोने लगे । उनको अपने गन्तव्य स्थानों पर पैदल चल कर वापस आना पड़ा । यह रिपोर्ट लिखने के समय अभी भी बारह महिलाएं और बच्चे गुम थे । उस क्षेत्र में पानी नहीं था । वापस आते समय उनमें से बहुतों ने मानपुर से आ रही परिवहन बस को रोका, जो अंतिम बस थी । बस ड्राइवर और कन्डक्टर ने इन श्रमिकों में से किसी को भी बिठाने से इनकार कर दिया क्योंकि पुलिस ने उनको अनुदेश दे रखे थे कि वे डल्ली-राजहरा को वापस आने वाले इन-इन श्रमिकों की मदद न करें ।

महिलाओं ने शिकायत की पुलिस ने उनको गोली मारने की धमकी देते हुए उनके साथ बुरा बर्ताव किया । बहुत से बच्चे जो इतनी देर तक भूखे नहीं रह सकते थे को पत्तियां आदि खिलानी पड़ीं ।"

उनको वन से प्राप्य पत्तियाँ आदि खिलानी पड़ी ।

श्री ईरा अनबारासु : इस रिपोर्ट का लेखक कौन है ? क्या हमें इस रिपोर्ट पर विश्वास करना है ? यह क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय ऐसी रिपोर्ट की अनुमति कैसे दे रहे हैं ? रिपोर्ट की क्या संगतता है ?

उपाध्यक्ष महोदय, ये सब बातें पूछें (व्यवधान)

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : यह क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि बाहरी चीजें यहां न लाई जाये । सभी माननीय सदस्य बाहरी चीजे न लायें ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम कोई भी बाहरी चीज नहीं ला रहे हैं । इसमें कुछ भी बाहरी नहीं है । ये हरिजन और आदिवासी हैं तथा आप उनके साथ यह बर्ताव कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या गुजरात में दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यूनियन के नेता को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द कर दिया गया है । वह इन श्रमिकों के आन्दोलन का नेतृत्व कर रहा था । उससे इनकार नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसके कारण गुजरात की गड़बड़ आरंभ हुई है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या संकल्प गुजरात के बारे में है ? (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप लक्षणों से इलाज करना चाहते हैं बीमारी से नहीं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील करता हूं कि आप राजनीतिक फायदा न उठायें। गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उस पर हममें से सभी को शर्म करनी चाहिए। इस प्रश्न पर दो पक्षीय राय नहीं है। प्रत्येक को सहमत होना चाहिए। हम इस पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करें ताकि हम इस समस्या का समाधान निकाल सकें। मैं यही चाहता हूं।

(व्यवधान)

जब हम चर्चा की अनुमति नहीं देते हैं तो बहुत हंगामा होता है और जब अनुमति देते हैं तो इससे स्थिति और बिगड़ती है। अतः मैं अपील करता हूं कि इन चर्चाओं को इस देश की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए अनुमति दी जाती है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस ने अपने एक अन्य भाषण में इसका उल्लेख किया है। मैंने सुना है (व्यवधान)। मैं केवल आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि सद्भावपूर्ण वातावरण रहे और हम निष्पक्ष रूप से उस पर विचार करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज "जबकि अनेक बच्चे····· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहां पर इसका उल्लेख क्यों करते हैं। आप किसी अन्य अवसर पर इसका उल्लेख करें। यह ठीक प्रक्रिया नहीं है। यदि आप किसी रिपोर्ट से पढ़ना चाहते हैं तो कहां से आई है यह रिपोर्ट ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह पीपुल्ज यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज की रिपोर्ट है। इसके अध्यक्ष एक भूतपूर्व न्यायाधीश हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख दें। मैं इसकी सत्यता की जांच करूंगा और तब ही आप उस पर कुछ कह सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं इसको सभा पटल पर रख दूंगा (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक प्रक्रिया नहीं है। आप इसे सभा पटल पर रख दें। इसकी जांच की जायेगी। मैं आपको उसे पढ़ने की अनुमति नहीं दूंगा।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : क्या मैं सदन को यह बता दूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज हरिजनों पर अत्याचारों की घटनाओं का अनुचित लाभ उठा रहें हैं····· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह रिपोर्ट को नहीं पढ़ सकते। वह उसे सभा पटल पर रख देंगे। मैं रिपोर्ट की सत्यता की जांच करूंगा तथा तब ही मैं अनुमति दूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : किस नियम के अधीन ? आप मुझे रिपोर्ट को सत्यापन करने को कह सकते हैं। आप यह कैसे कह सकते हैं कि मैं रिपोर्ट से पढ़ नहीं सकता ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : इसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता .....
(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप नियम चाहते हैं तो मैं नियम बता सकता हूं। अवशिष्ट नियमों के अन्तर्गत मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री बी० शंकरानन्द : श्री जार्ज फर्नान्डीज, आप हरिजनों के जीवन से न खेलें .....
(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा उसे कार्यवाही वृतान्त से भी निकाला जाना चाहिये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त को देखूंगा। आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : किस विषय पर ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रस्ताव पर अपना भाषण जारी रखें। मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस से सहयोग की अपील करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आप उनसे रिपोर्ट का सत्यापन करने का कह सकते हैं। आप उनको रिपोर्ट से पढ़ने से कैसे मना कर सकते हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप उनको रिपोर्ट पढ़ने से कैसे रोक सकते हैं ?

श्री सी० एम० स्टीफन : उन्हें प्रासंगिक बात कहनी चाहिये। वह अप्रसंगिक बात नहीं कह सकते (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान) मैं पहले ही कह चुका हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज वह रिपोर्ट नहीं पढ़ सकते। वह केवल प्रस्ताव पर बोल सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप किस नियम के अधीन उनको रिपोर्ट पढ़ने से रोक सकते हैं ?
(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जारी रखें। यह वातावरण नहीं है .....
(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कैसे संभव है ?

प्रो० मधु दंडवते : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में किसी भी विषय पर बोलने वाला कोई सदस्य उद्धृत कर सकता है। कई बार किसी पुस्तक से उद्धरण दिया जाता है और कई बार किसी रिपोर्ट से। यह सभी किया जाता है। यदि किसी को किसी प्रकार का संशय है तो वह इतना कर सकता है कि वह यह मांग करें कि इसे सभा पटल पर रखा जाये। उसको उसे सत्यापित करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने रिपोर्ट पढ़ना आरंभ किया तो मैंने उस पर आपत्ति नहीं की। तब उन्होंने रिपोर्ट पढी। मैंने पाया कि उसमें कुछ आरोप हैं आदीवासियों के प्रति दुर्व्यवहार किया गया, उनको धमकी दी गई। जब उन्होंने यह पढ़ा तो मैंने पाया कि उस बारे में अनेक आपत्तियां हैं।

दंडवते जी, क्या आप इससे सहमत हैं कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा वह प्रासंगिक है ? मैं आज किसी बात की अनुमति नहीं दूंगा वह इसका राजनैतिक लाभ उठाते हैं। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या आप यह चाहते हैं कि मैं वही बात बोलू जो आप चाहें ? मैं बोलना चाहता हूँ यह बात नहीं है कि आप चाहते हैं कि मैं कुछ बोलू या वह चाहते हैं कि मैं बोलूं।

एक माननीय सदस्य : किस नियम के अधीन आप उन्हें बोलने से रोक रहे हैं ?

श्री पी. शिवशंकर : उपाध्यक्ष महोदय. सदन के समक्ष संकल्प यह है कि यह सदन गुजरात, राजस्थान तथा देश के अन्य भागों में अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण के विरुद्ध आन्दोलन तथा हिंसात्मक प्रदर्शनों से उत्पन्न स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। देश के अन्य भागों का उल्लेख नौकरियों के आरक्षण के सदर्भ में है। प्रश्न यह है।

महोदय, यदि प्रश्न यह है तो क्या मैं आपका ध्यान नियम 129 की ओर आकर्षित करूं ?

"किसी संकल्प पर चर्चा संकल्प से सर्वथा संगत और उसकी व्याप्ति के भीतर होगी।"

यदि यह नियम है तो वह चाहे जो कुछ और चाहे जिस विषय पर नहीं बोल सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : आप का व्यवस्था का प्रश्न ठीक है।

श्री फर्नान्डीस आप अपना भाषण जारी रखें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय यह है कि आप का व्यवस्था का प्रश्न ठीक है।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : क्या आप मुझे बतायेंगे कि मैं क्या बोलूं ? कृपया मेरा कथन मुझे बतायें। अपना भाषण पढ़ने की मेरी आदत नहीं है । कृपया मुझे बता दें कि मैं क्या बोलूं । मैं उसे दोहरा दूंगा । आप बता दें और मैं उसको दोहरा दूंगा । (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बता दें कि मैं क्या बोलूं और मैं उसे दोहरा दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं नहीं बैठूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब मैं अगले वक्ता का नाम पुकारूंगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप इस प्रकार ऐसा कर सकते हैं ? मैं बोल रहा हूं । आप मुझे बोलने से किस प्रकार रोक सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा है कि आप जारी रखें परन्तु आप बोलना जारी रखने से इन्कार कर रहे हैं ।

श्री राम जेठमलानी : आप सबकी बात को सुनने से पूर्व व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय किस प्रकार दे सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न पर किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राम जेठमलानी : विधि मंत्री ने व्यवस्था कर प्रश्न उठाया था···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल तब अनुमति दूंगा यदि मैं राय जानना चाहूं । मैं अपना निर्णय दे सकता हूं और मैंने दे दिया है । अब वह अपनी बात रख सकते हैं ।

श्री राम जेठमलानी : आप से हमें सुनना चाहिये ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे ऐसे कदम उठाने को बाध्य न करें जो हम उठाना नहीं चाहते । हम आपके पद का सम्मान करना चाहते हैं, हम अध्यक्ष पीठ का सम्मान करना चाहते हैं । इन लोगों के पिठ्ठू न बनें (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है । इस अभिव्यक्ति को कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं लिया जायेगा । (व्यवधान) श्री जार्ज फर्नान्डीस, क्या आप अपना भाषण जारी रखेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, मैंने कहा है कि मैं अध्यक्ष पीठ का सम्मान करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना भाषण जारी रखना चाहते हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं जारी रखना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे किसी भी नाम से पुकारें मैं चिन्ता नहीं करता । वह सब ठीक है । आप अपना भाषण जारी रखें । आप मेरे अच्छे दोस्त हैं । यह सब ठीक है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नियमों के अन्तर्गत आप यह नहीं कह सकते। मैं विशिष्ट नियम बताता हूं। (व्यवधान)

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अपना भाषण आरम्भ करने से पूर्व मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों का ध्यान उन शब्दों की ओर दिलाना चाहती हूं जिनका उपयोग किया गया है और जो व्यवहार उनके सामने है। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रही। मैं केवल आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं। हम यह चर्चा क्यों कर रहे हैं? मेरी संकल्प, प्रस्ताव अथवा जो कुछ भी यह है उसके विशिष्ट शब्दों के बारे में कोई विशेष रुचि नहीं है। जैसा कि आपने कहा है और जैसा मैंने देखा है—मैंने सभी भाषण सुने हैं, हालांकि मैं सदन में उपस्थित नहीं थी, यहां पर आने से पूर्व मैं सारी बातें सुन रही थी और यहां आने के बाद भी, कुछ छोटी मोटी बातों को छोड़कर अथवा तानेबाजी को छोड़कर जिसका अब मैं उल्लेख नहीं करना चाहती—मैं नहीं समझती कि यह इस समय महत्वपूर्ण है—मैं यह समझती हूं कि एक न्यायोचित इच्छा भी कि हम एक निर्णय करें, हम चाहे कोई कार्रवाई न करें, कम से कम यह दृष्टिकोण प्रकट करें जो गुजरात तथा अन्य स्थानों पर जहां पर यह घटनाएं हुई हैं, स्थिति को सुधारें। इस का यही उद्देश्य था प्राय: जब लोग किन्हीं बातों पर चर्चा करना चाहते हैं और हम उसके लिये तत्पर नहीं होते। इसलिये नहीं कि हमें चिंता होती है कि वे क्या कहेंगे अथवा वे आलोचना करेंगे परन्तु इस संशय के कारण कि स्थिति और अधिक बिगड़ न जाये। इस समय इस मामले पर सभी तरफ भारी तनाव है। पहले मैंने सोचा मैं नहीं बोलूंगी, परन्तु बाद में अपने विपक्षी माननीय सदस्य को सुनने के बाद और श्री वाजपेयी को सुनने के बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ शब्द कहूं। खैर, अब मैं उस मसले पर कुछ नहीं कह रही। मैं आरक्षण पर नहीं बोल रही। मैं समझती हूं कि हमारा दृष्टिकोण इस सदन में राज्य सभा में तथा बाहर के सभी मंचों पर बहुत ही स्पष्ट रूप से बता दिया गया है।

मैं अपनी उस बात पर दृढ़ हूं जो मैंने गुणों के बारे में कही। मैं समझती हूं कि सभी जो कुछ हम कोशिश कर रहे हैं, जिस ढंग से हम कर रहे हैं, यह हो सकता है कि हम सफल न हुए हों और हम ने पूरा काम न किया हो—इसको मैं स्वीकार करती हूं—परन्तु प्रश्न यह है कि योग्यता हमारे सभी लोगों में है परन्तु वह ऊपर नहीं उठ सके हैं क्योंकि उसके लिये अवसरों से वंचित किया जाता है। सारा प्रश्न यही है। हमने आरक्षणों का उपबन्ध क्यों किया? यह केवल इस दृष्टिकोण से नहीं है कि आरक्षण होने चाहियें। यह इस कारण से है कि कुछ लोगों को कुछ बातों से वंचित किया गया और हम उनकी उस स्थिति से ऊपर उठने के लिये सहायता करना चाहते थे। मेरा यह मतलब था। इस का मतलब यह नहीं कि यह इस कारण है कि मैंने यह कहा कि आरक्षण समाप्त किये जा रहे हैं अथवा कोई अन्य सहायता दिया जाना बन्द किया जा रहा है। जब तक उनकी सहायता नहीं की जाती, स्पष्ट है कि ये तथा अन्य उपाय किये जाने होंगे। अन्यथा, हमने आरक्षण जारी न रखे होते। हम यह कह सकते थे "हमने 15 वर्ष प्रतीक्षा की। वह समय समाप्त हो गया है और अब हम इसे नहीं बढ़ा रहे।" परन्तु हमने इसे जारी रखा है क्योंकि हमने यह पाया है कि जो जरूरत पहले थी वह अभी भी है। परन्तु इस अवसर पर मैं इस प्रश्न पर चर्चा नहीं करना चाहती।

यहां पर हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यह आरम्भ किस प्रकार हुआ। मूलत: मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि यह एक मूल दृष्टिकोण है। इस प्रकार का भेदभाव रहा है और विद्यमान है, केवल कार्यवाही में नहीं परन्तु यह मानसिक दृष्टिकोण के कारण है, यह अभी भी जारी है और उसका हमको मुकाबला करना होगा। किन्तु इस विशेष मामले में, मैं अपनी बात में संशोधन के लिए तैयार हूं। किन्तु मेरी जानकारी में जो बात लाई गई थी, वह यह थी कि एक विकलांग व्यक्ति था, जो पहले आया और जो प्रथम श्रेणी में पास हुआ किंतु यह विशेष पद, जिसे वह अपने लिए समझता था, किसी अन्य व्यक्ति के लिए आरक्षित था। यह कोई ऐसा कारण नहीं है, जिसके लिए हमें आन्दोलन करना चाहिए और मैं किसी भी रूप में इस आन्दोलन का अथवा वे लोग जो कुछ कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रही हूं। किन्तु जहां ऐसी बात हो, तो हमें उसकी जांच करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है। मेरा कहने का यही तात्पर्य था। मैं नहीं समझती कि मेरे शब्दों के बारे में हरिजनों अथवा अन्य लोगों में कोई गलतफहमी है। मुझे दु:ख है कि कुछ लोग ने गलतफहमी पैदा करनी चाही है, किन्तु, वह मुद्दे से परे है। मुद्दा यह है : इस बहस में हम क्या कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या श्री जार्ज फर्नान्डीस के भाषण ने वह वातावरण तैयार करन में मदद की है, जिसे 'यहां तक कि' श्री बाजपेयी सहित सभी सदस्यों ने उत्पन्न करने की कोशिश की है?...

प्रो० मधु दण्डवते : 'यहां तक कि' क्यों?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं समझती हूं कि यहां एक माननीय सदस्य ने 'यहां तक कि' शब्द की ओर ध्यान दिलाया है। मैं इसे तूल नहीं देना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि हमें इस विवाद में पड़ना चाहिए।

प्रश्न यह है कि हम एक विशेष संकल्प को एक साथ पारित करने के लिए कब विचार कर रहे हैं, क्या यह वह वातावरण है जिसे हम तैयार करने जा रहे हैं? यह वह मुद्दा है, महोदय, जिसे हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यही वह मुद्दा है जिसे हम सब उठाना चाहते हैं।

प्रश्न यह नहीं है कि मैंने इस विशेष रिपोर्ट नहीं सुनी। सभापति महोदय ने कहा कि उन्होंने इसे पहले सुना है। वे इसका उल्लेख किसी और अवसर पर कर सकते थे किन्तु जब पूरा लक्ष्य शान्ति का, सौहार्द का, सहयोग का वातारण बनाने का हो, एक ऐसे प्रश्न को हल करने का है, जो गुजरात का प्रश्न अथवा मध्य प्रदेश का प्रश्न अथवा कोई अन्य प्रश्न नहीं है अपितु जो एक राष्ट्रीय प्रश्न है। अत्याचारों के अतिरिक्त हरिजनों अथवा अन्य क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यह एक बड़ा प्रश्न है।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय एकता का जिक्र किया है। मैं समझती हूं कि इस समय राष्ट्रीय एकता की मूल भावना को चोट पहुंचाई जा रही है।

हमें इस क्षण इन बातों की ओर ध्यान देना है और मैं केवल अपना स्वर मिला सकती हूं।

मैं विरोधी पक्ष में उस माननीय सदस्य से अपील करती हूं कि···महोदय, आपके द्वारा मुझे खड़ा किए जाने के बावजूद, वे बोल रहे हैं···

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं समझता था कि प्रधान मंत्री इस मुद्दे पर अथवा मैंने जो कुछ कहा है उस पर कुछ अनुरोध करना चाहती हैं।··· (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : नहीं, मैं अनुरोध नहीं कर रही है। यह महत्वपूर्ण नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फर्नान्डीस, मुझे खुशी है कि कम से कम आप मुस्करा जरूर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : इनमें से कोई भी नहीं झुक रहा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं अन्तिम व्यक्ति हूं जो झुकूं। इससे पूर्व कि मैं बैठूं, केवल एक और मुद्दा है, जो मैं उठाना चाहती हूं। जहां तक मैं मानती हूं, शायद मैं उस मुद्दे से चूक गई हूं। किंतु अब तक मैंने जो भाषण सुने हैं, मैंने किसी को यह कहते हुए नहीं सुना कि वे 25 तारीख को हुए बन्द का समर्थन कर रहे हैं अथवा वे बन्द न कराने के लिए प्रयास कर रहे थे। मैं समझती हूं कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने आपके बारे में जो कुछ कहा, मैं यह कहने की धारणा नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह कहने देने पर, मुझे भी···

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे वापस ले रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हां, महोदय। वह कह चुकने के बाद, मैं निवेदन करना चाहूंगा— मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री ·

श्री राम जेठमलानी : यह प्रधान मन्त्री के भाषण का प्रभाव है। कम से कम इसका अच्छा प्रभाव तो पड़ा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री ने यह मुद्दा उठाया है कि यह मामला गुजरात अथवा अकेले वहां कि जो कुछ हो रहा है, उसका नहीं है अपितु यह एक मूलभूत प्रश्न है। इस बात पर मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा था। केवल प्रधान मन्त्री ने मुझे समझा है, किसी अन्य व्यक्ति ने मुझे नहीं समझा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं माननीय सदस्य से पूर्णत: सहमत हूं। किंतु मुझे सिर्फ उनके द्वारा इसे उठाये जाने के ढंग पर आपत्ति है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे प्रसन्नता है कि हमें मामलों को उठाये जाने के ढंग में भिन्नता रही है। यह आधार अनेक वर्षों से चल रहा है। किन्तु मुझे खुशी है कि जो कुछ मैंने कहा है उसकी उन्होंने पुष्टि की है कि वे ही एकमात्र व्यक्ति हैं मुद्दों के उठाये जाने पर जिनका विचार भिन्न है। इसके अतिरिक्त उन्होने कुछ नहीं समझा। वे अपने हाथ हिलाती रहीं और हमें चुप रहने के लिए कहती रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया गुजरात के विषय की परिधि में ही रहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, मैं अन्तिम वाक्य पढ़ूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे भ्रान्ति होगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस मामले में कोई भ्रान्ति नहीं है। यह वह है जो प्रधान मंत्री ने कहा है। यह एक ऐसा मामला है जिसे निपटाना ही होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं। कृपया आप उसे न पढ़िये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसमें कोई भावनायें अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं। हम इस क्षण कुछ मूलभूत समस्याओं के बारे में चिन्तित हैं जो देश को परेशान कर रही हैं। यदि कोई व्यक्ति एक दस्तावेज के साथ आता है और उसे उद्धृत करता है, तो यह कहा जाता है कि वह उसे उद्धृत नहीं कर सकता, उसे उद्धृत नहीं किया जा सकता। माननीय प्रो० दण्डवते ने जो कहा वह श्री प्यारे लाल का उद्धरण था अथवा अन्य पक्ष की ओर से माननीय सदस्य द्वारा जो कुछ कहा गया है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया विषय से सम्बद्ध रहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं समझता हूं कि मुद्दा स्पष्ट हो गया है। विषय की प्रासंगिकता हल हो चुकी है। यह प्रासंगिक है···

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) : महोदय, नियम 353 स्पष्ट है कि जो कुछ भी कहा जाए वह अपमानजनक नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगत, मैं इसका ध्यान रखूंगा। श्री जार्ज, मेरी आपसे यह व्यक्तिगत अपील है। कृपया अच्छे माहौल को खराब न कीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं तथाकथित वातावरण की स्थिति में नहीं जाना चाहता। मुझे स्पष्ट करने दीजिए। हमें स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। सभी जगह ऐसा माहौल नहीं है। हम एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। मैं इस प्रकार के माहौल में रुचि नहीं रखता। मेरी दिलचस्पी मूलभूत समस्या को हल करने में है। यह समस्त देश में हरिजनों, आदिवासियों तथा शूद्रों की है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में सबसे पीछे हैं। सच्चाई यह है। हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं और जब वर्तमान प्रधान मन्त्री विरोध पक्ष में थीं, तो वे हाथी की पीठ पर

चढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों में गई और इस बात को देखा कि बेलची में हरिजनों की किस प्रकार नृशंस हत्या कर दी गई थी। उनकी पीपरा में नृशंस हत्या कर दी गई। उनके करफटा में टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये और विभिन्न स्थानों पर उनकी नृशंस हत्या की गई है। अतः आप इन दो मुद्दों को अलग कैसे कर सकते हैं ? आप यह बात किस प्रकार से कह सकते हैं कि गुजरात पर विचार करें तथा एक-दूसरे की ओर देखने का वातावरण पैदा करें। प्रतिदिन जो कुछ हो रहा है उस सबको भूल जाने के लिए आप कैसे कह सकते हैं। हम गोआ में तथा प्रत्येक स्थान पर आदिवासियों को गोलियों से भूना जाना न भूलें। तेलीराजा में आदिवासियों का जिस प्रकार से, शोषण हो रहा है, नहीं भूलना चाहिए। आप कैसे भूल सकते हैं ? बाबू जगजीवन राम ठीक मौके पर चोट करते हैं। दो अथवा तीन दिन पूर्व, शायद लखनऊ में उन्होंने कहा था कि वे उचित अवसर पर चोट करते हैं। आप वास्तविकताओं से दूर कैसे भाग सकते हैं ? आप इस तथ्य से अलग कैसे रह सकते हैं कि इस देश में 'शूद्र' सबसे पीछे हैं। यदि सदियों से वे सामाजिक दृष्टि से सबसे पीछे हैं और अब जब आप उन्हेंने कुछ आर्थिक राहत उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, लोग उन्हें आर्थिक राहत से, जिसका संविधान में प्रावधान है तथा सदन में विभिन्न अवसरों पर इच्छा प्रकट की है, कुछ लोग इस राहत से उन्हें वंचित रखने का प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, यही समस्या की जड़ है। अतः अन्य बातों को अलग रखकर गुजरात समस्या पर विचार करना हमें किसी और स्थिति में ले जाएगा। जहां तक भावनाओं का सम्बन्ध है, जो यहां व्यक्त की जा रही हैं, उनमें कोई अन्तर नहीं है किन्तु जब तक आप इस पर वाद विवाद नहीं करायेंगे, और न केवल वाद-विवाद, अपितु उन लोगों के रवैये में परिवर्तन नही लायेंगे, जो जाति तथा धन के कारण, क्योंकि कुछ सीमा तक अंग्रेजों के कारण किन्तु मुख्य जाति और धन के कारण देश में सत्ता तथा अधिकार जमाये बैठे हैं, उनके रवैये में परिवर्तन लाना होगा।

जैसा श्री वाजपेयी ने कहना चाहा है कि प्रत्येक दल, प्रत्येक संगठन, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक कस्बा, प्रत्येक गांव तथा यहां तक कि ट्रेड यूनियन भी, जो वर्ग संगठन हैं, आज इन मामलों पर बैठे हुए हैं, जो न केवल आर्थिक अपितु मूलभूत सामाजिक ससस्याओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए, जब हम यह चाहते हैं कि गुजरात की यह समस्या हल हो तो गुजरात का यह संकल्प पूरा नहीं होगा—हमारे देश में हर जगह यह समस्या है—जब तक कि यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राजनैतिक दल उन आधारभूत और मूलभूत परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता जो कि आवश्यक हैं और वे आमूलचूल परिवर्तन न केवल इस देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन में होने हैं अपितु लोगों के साथ निपटने के रूप में, लोगों से बात करने के रूप में और विचार विनिमय के रूप में समग्र दृष्टिकोण में इस परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसा प्रो० दण्डवते कहना चाहते थे कि आखिरकार जनता ही इस देश की समूची प्रणाली, समूची सामाजिक व्यवस्था का निर्णय करती है और वह नहीं जो धर्मग्रन्थों में लिखा हुआ है अपितु जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है।

मुझे यह तर्क भी देना चाहिए कि भारतीय स्थिति में महज अवसर की समानता से एक बार पुनः उन लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है जिन्हें सैकड़ों वर्षों से अवसर की

समानता से वंचित किया जाता रहा है। इसलिए उन लोगों के लिए, जिन्हें पीढ़ियों से उन अवसरों से वंचीत किया जाता रहा है, इस देश को अधिमान्य अवसरों, विशेष अवसरों को सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है।

इसलिए, महोदय, मैं उस संकल्प का पूर्णत: साथ दूंगा जिसे सदन सर्वसम्मति से अंगीकार करना चाहता है, मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि यदि आवश्यक हो तो इस मसले पर इसके सभी विस्तृत पहलुओं पर चर्चा की जाए। यदि इसमें इस पर राय में कोई अंतर होता है तो उस मत-वैभिन्य को व्यक्त किया जाए क्योंकि हम सभी सदन से बाहर हर रोज इस मत-वैभिन्य को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इसलिए, इसकी अभिव्यक्ति की जाए और अवसरों की समानता के प्रति स्वयं को वचनबद्ध करते हुए हमें इस बात का भी पता करना चाहिए कि किस सीमा तक अधिमान्य अवसर उन लोगों को दिए जा सकते हैं जिन्हें पीढ़ियों से इन अवसरों से वंचित किया जाता रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कांग्रेस (आई) की ओर से अनेक माननीय सदस्य बोलना चाहते थे। लेकिन वे इस पर जोर नहीं दे रहे हैं क्योंकि पहले की 8·45 ही गए हैं। (व्यवधान) प्रत्येक ने चर्चा में भाग लिया है वे अपना स्थानापन्न प्रस्ताव पेश कर रहे हैं।

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन) : गुजरात के हरिजनों का यह सवाल है। मैं अकेला हरिजन हूं। मैंने नाम दिया है।

श्री आर० एन० राकेश : हम केवल कुछ मिनट का समय लेंगे।

एक माननीय सदस्य : विपक्ष के सदस्यों को बोलना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल विपक्ष की ओर से। प्रत्येक माननीय सदस्य केवल तीन मिनट का समय लेगा। श्री राकेश। कृपया केवल तीन मिनट में ही अपनी बात समाप्त करिएगा।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : एक बार पहले भी इसी विषय पर इस सदन में बहस हो चुकी है और आज फिर से इसके ऊपर हम को बहस करनी पड़ रही है। गृह मन्त्री जी ने पिछली बार जब बहस हो रही थी तो कहा था कि अब हरिजनों के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो वह खुदकशी कर लेंगे। उनके प्रति उन्होंने बड़ी हमदर्दी दिखाई थी, उनके प्रति बड़ी दरियादिली दिखाई थी। मैं कहना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण बात नहीं है कि आप उनके प्रति कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण विरोधियों कि कितनी आर्थिक मजबूत पकड़ है। आपकी नीति और नीयत नेक है या नहीं यह भी देखना होगा। श्री अटल जी ने इंडियन एक्सप्रेस की बात कही और डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी ने कहा कि प्रधान मन्त्री जी जो कहती है उसको करती भी हैं। अगर यही बात है तो ऐसी बात पर अगर कोई प्रस्ताव आता है तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो इसका विरोध करूंगा। क्या कहा है प्रधान मंत्री ने? उन्होंने कहा है कि मैं आरक्षण की पक्षधर हूं लेकिन मैरिट की हत्या नहीं होने दूंगी। मतलब यह है कि मैं हरि-

जनों के प्रति सहानुभूति रखती हूं लेकिन हरिजनों की हत्या करने वाले जो हैं उनको सजा नहीं होने दूंगी—

श्रीमती इन्दिरा गांधी : बिल्कुल गलत बात है। जो दोषी लोग हैं उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिये, इसमें कोई दो रायें किसी की नहीं हैं।

श्री आर० एन० राकेश : बड़ी अच्छी बात है कि प्रधान मन्त्री जी ने इस बात की सफाई दे दी है। लेकिन उनके इसी भाषण से गुजरात में जो आन्दोलनकारी है उनको बल मिला है, इंडियन एक्सप्रेस इसका सबूत है।

गृह मन्त्री महोदय ने कहा था कि उनके हक छीन कर हरिजनों को दिए जाते हैं। यह बात उन्होंने अपनी पिछली स्पीच में कही थी। आरक्षण विरोधी आन्दोलनकारियों के अधिकार छीन कर हरिजनों को दिए जाते हैं, वह उन्होंने कहा था। सोलंकी जी का ब्यान पहले आ चुका है। प्रधान मन्त्री जी द्वारा जो ब्यान दिया गया है—दो दिन पहले, ज्ञानी जैल सिंह के ब्यान को और सोलंकी जी के ब्यान को और साथ ही साथ आन्दोलनकारियों के ब्यान को देखा जाए तो शब्दों में हेरफेर जरूर दिखाई देता है लेकिन जो आबजैक्टिव या इंटेंशन है वह कामन है, उनमें कोई हेरफेर दिखाई नहीं देता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

लेकिन प्रधान मंत्री ने कह दिया कि मैरिट देखी जायगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के बाद लोगों को अपील प्रधान मन्त्री के यहां करनी पड़ेगी ?

दूसरी बात प्रधान मन्त्री जी ने अपने बयान में कही है···

श्रीमती इंदिरा गांधी : आप बिल्कुल नहीं समझे मैंने क्या कहा। मैंने कोई बात ऐसी नहीं कही।

श्री आर० एन० राकेश : इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात को अच्छी तरह समझा है और माननीय वाजपेयी ने यहां उसको कोट किया है। उन्होंने भी अच्छी तरह इस बात को समझा है।

आरक्षण का फायदा कुछ लोगों को तो हुआ है, लेकिन वह फायदा सब को होना चाहिये। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, संक्षेप में इतना कहना चाहता हूँ कि जितना इस देश के हरिजन, आदिवासियों को दो वर्ष के अन्दर फायदा होना चाहिये 33 सालों के अन्दर भी उतना फायदा नहीं हो पाया है। जो फायदा उनको आप देने के लिए कहते हैं वह उन्हें भी मिलना चाहिये था। यदि आपकी नीति और नीयत ठीक ठीक थी तो आपने क्यों नहीं दिया ? किसने आपको रोका था ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आरक्षण क इशू पर हरिजनों की प्रतिभा को मैरिट की तराजू पर तोलने की कोशिश की जा रही है। अगर हरिजनों की मैरिट को ही तोलना

है तो महर्षि बाल्मीकि की प्रतिभा को तौल लीजिये। डा० अम्बेडकर की प्रतिभा को तौल लीजिये जिन्होंने देश के लिये संविधान बनाया जिसकी एक एक लाइन पर हम 33 साल से बहस कर रहे हैं। अगर हरिजनों की प्रतिभा को ही तौलना है तो बाबू जगजीवन राम की प्रतिभा को ही तौल लीजिये, जिस कुर्सी पर वह बैठे उसका वजन बढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया बैठ जाइए। तीन मिनट सब को दिये हैं, यही फैसला किया है।

श्री आर० एन० राकेश : सब को बहुत टाइम मिला है। मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

मान लीजिये आज आरक्षण को आज समाप्त करते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को किस कैटेगरी में आप रखेंगे ? क्या वह वर्ण व्यवस्था जिसने इन्सान इन्सान म फर्क पैदा किया है और हरिजनों तथा पिछड़ी जातियों का शोषण किया है उसको आप कायम रखना चाहते हैं ? मेरा कहना है कि जब तक वर्ण व्यवस्था कायम रहेगी तब तक उनको संरक्षण देना पड़ेगा। आज हालत यह है कि संविधान में उनको अधिकार मिला हुआ है फिर भी उनकी रक्षा नहीं हो पा रही है। जब संवैधानिक सरक्षण खत्म हो जायगा तब हरिजन कहां जायेंगे, क्या होगा, मैं नहीं जानता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिन्दू वर्ण व्यवस्था की ऊंची चोटी पर बैठने वालों अगर तुम्हारे मन में यह बात है कि हिन्दू धर्म तुम्हारा है तो हर आंधी तूफान में जब हिन्दू धर्म रक्षा की बात आयी तब हरिजन उस कसौटी पर सही उतरे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री आ० एन० राकेश : अगर पूरी बात आप नहीं सुनना चाहते तो ये यही कहूंगा कि :

हां सताते हो हमारे होकर,
मिला इनाम क्या यही हमें तुम्हारे होकर।

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात के गम्भीर सवाल के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि जब कोई आदमी बीमार होता है और डाक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी न बताये तो उसका इलाज नही हो सकता है।

इस सदन में मैं भी गुजरात का एक हरिजन हूं। हरिजनों पर गुजरात में जुल्म हो रहे हैं। मैं अपनी बीमारी को सदन के डाक्टरों के सामने पेश करना चाहता हूं। आन्दोलन दिन-प्रति-दिन क्यों बढ़ रहा है, उसी को बताने के लिए मैं थोड़ा ज्यादा समय लूंगा। मैं मानता हूं कि सदन का जो समय मुझे दिया गया है, इसमें से कुछ नतीजा निकलने वाला है।

यह आन्दोलन क्यों हुआ, क्यों बढ़ रहा है, इसका इलाज क्या है, यह मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि इसके लिये मुझे वक्त ज्यादा दिया जायेगा।

गुजरात के आन्दोलन को भड़काने के लिए गुजरात के अखबार "गुजरात समाचार" ने कुछ भड़काने वाली खबरें प्रकाशित कीं। आन्दोलन ज्यादा बढ़ा। राजनीतिक दलों के आदमी इसमें कुछ गैर-फायदा लेने के लिए शामिल हो गये। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों और यूनियन वालों ने ओपन अखबार में छपवाकर इस आन्दोलन को समर्थन दिया। सरकार ने उसको रोकने के लिये कुछ नहीं सोचा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी शामिल हो गये। 144 की कलम थी, हजारों कर्मचारी 144 की कलम के अगेन्स्ट आन्दोलन में शामिल हो गये हरिजनों को मारने के लिये। सरकार खामोश है। उसी गुजरात की पुलिस से आन्दोलन ज्यादा भड़क गया और आन्दोलन में ज्यादा समर्थन आया। आखिर हमारे बचने के लिये एक ही सहारा था, पुलिस का। गुजरात की पुलिस क्या कर रही है ?

28 फरवरी को जनसत्ता अखबार में गुजरात कांस्टेबल यूनियन ने जाहिरात कर दिया कि हम आन्दोलन वालों के साथ हैं। पुलिस कांस्टेबल यूनियन शामिल हो गई और ये सारी यूनियनें अखबारों में खबर देकर शामिल हो गई। हमारे को बचाने वाला कौन रहा ?

मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि 11-3-81 को मेरे क्षेत्र पाटन में एक हरिजन को आन्दोलन करने वालों ने उठाकर एक कोठी में लेजाकर मार दिया। इस टाइम पर पुलिस खड़ी थी, एक इन्सपैक्टर के तमंचे से गोली निकली, कहां गई ? हरिजन कांस्टेबल पर गई। उसे रोकने वाली सारी पुलिस खड़ी थी लेकिन इंसपैक्टर ने तमंचे में से गोली निकाली और हरिजन कांस्टेबल जो खड़ा था, उसको फायर किया। आज इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह सारा जुल्म गुजरात में हो रहा है। इसको रोकने का सही तरीका निकाला जाये, नहीं तो यह सारे देश में फैल जायेगा। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, सच्ची बात सदन के सामने पेश करना चाहता हूं, कि कोई रास्ता निकालो। 20, 21 तारीख को अहमदाबाद में काफी जुल्म शुरू हो गया।

मुझे अपने गांव की एक घटना याद आती है। एक हरिजन की लड़की की शादी थी, बारात आई, बिजली नहीं थी। एक छोटी लड़की दिया जलाने लगती है, उस दिये से किरासिन तेल निकल गया, और वह लड़की जलने लगी। बारात वाले इच्छित थे लड़की को बचाओ, वहां के सब लोग इच्छित थे कि लड़की को बचाओ, वहां सदन में बैठने वाले सब लोग इच्छित हैं कि आन्दोलन नहीं होना चाहिये लेकिन वह लड़की जल गई। सब की भावना बचाने की थी, लेकिन कोई बचाने को खड़ा नहीं हुआ।

मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि "बचाओ, बचाओ" सब लोग कहते हैं, लेकिन बचाने का कोई तरीका करो। होली आ रही है। गुजरात में एक बात जोर-शोर से चल रही है कि होली के दिन हर गांव में एक हरिजन को होली में डाला जाये। (व्यवधान) हमारे दर्द की बात सुनिए अगर यह बात सच न हो, तो अच्छी बात है। इससे इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है।

मैं प्रार्थना करता हूं कि गुजरात में हरिजनों के ऊपर से पुलिस को हटा दिया जाये

और मिलिटरी को वहां लगाया जाये। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी इसमे शामिल होते हैं। गवर्नमेंट के कानून को भंग करने वाले लोगों को शिक्षा क्यों नहीं देते हैं ?

आपने मुझे समय दिया है। मुझे बहुत बातें कहनी थीं, लेकिन मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री एन० ई० होरो (खूंटी) : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण-विरोधी जो आन्दोलन गुजरात में हो रहा है, इस सदन में उस पर चर्चा हो रही है। मैडिकल कालेज के छात्रों ने जो आन्दोलन शुरु किया है, उसकी चर्चा यहां हुई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आरक्षण-विरोधी कार्यक्रम तो केन्द्रीय सरकार के दफ्तरों में चल रहा है, पब्लिक अंडरटेकिंगज में चल रहा है, स्टेट के डिपार्टमेंट्स में चल रहा है। कुछ कर्मचारी वहां हैं, वे आरक्षण-विरोधी काम कर रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैंने दो हरिजन एम्पलाईज के प्रोमोशन के सम्बन्ध में एम० एम० टी० सी०—मेटल्ज एण्ड मिनरल्ज ट्रेडिंग कार्पोरेशन—के जेनरल मैनेजर को एक चिट्ठी लिखी थी। दो हरिजनों ने टेस्ट में पास किया था और उनके मार्क्स 50 पर्सेंट से ज्यादा थे। उन्हें न लेकर एक गैर-हरिजन को, जिसके नम्बर कम थे, ले लिया गया। मगर इसका नतीजा यह हुआ कि उस आफिसर ने मेरी चिट्ठी को फाड़कर फेंक दिया यह कह कर कि एम० पी० लोग इस प्रकार पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के काम में बाधा डालते हैं। मैं होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि मैं उन्हें उस आफिसर का नाम बताऊंगा और उनसे चिट्ठी का जिक्र करूंगा। वह पता कर लें कि उस आफिसर ने चिट्ठी को फाड़ा है या नहीं।

जब सरकारी कर्मचारी इस प्रकार हरिजनों और आदिवासियों के अधिकारों को छीनेंगे और उनके अधिकारों के खिलाफ जायेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि सिर्फ गुजरात में ही रिजर्वेशन-विरोधी काम हो रहा है—यहां सरकारी दफतरों में भी हो रहा है। इसलिए यह गम्भीर मामला है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

हम सदन में एक रेजोल्यूशन पास कर लें और यह कह दें कि संविधान में लिखा हुआ है, हम उसके प्रति कमिटिड हैं और हमने कांस्टीट्यूशन की कसम खाई है, इससे बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। हमें इन मामलों को देखना चाहिए। इसलिए मैं सरकार और होम मिनिस्टर से अनुरोध करूंगा कि विभिन्न विभागों में जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका स्क्रीनिंग कीजिए और जिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में पाया जाये कि वे हरिजनों और आदिवासियों के हितों के खिलाफ काम करते हैं, उनको सजा दीजिए और उनको नौकरी से छुट्टी दीजिए।

जब तक सरकार कुछ ठोस कदम नहीं उठायेगी, तब तक हमारे यहां रेजोल्यूशन पास करने से कुछ बात नहीं बनने वाली है। हरिजनों और आदिवासियों का जिक्र श्री जार्ज फर्नान्डीस और दूसरे माननीय सदस्यों ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में पुलिस की गोली से बहुत आदिवासी मारे गये हैं। पिछले साल 8 सितम्बर, 1980 को गुवा में और 6 फरवरी 1981 को बलरामपुर में और ऐसे सिंहभूम में कई जगह जो फायरिंग हुआ, उसमें

आदिवासी घायल हुए और मरे। यह काम सरकार की तरफ से होता है। आपको जानकर तक्लीफ होगी कि बिहार में होम विभाग में कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, जो साफ-साफ, कहते हैं कि इन आदिवासियों को डंडे से पीटो, इनको गोली से उड़ाओ, आदिवासी लीडर्स को फ्रेम अप करो, इन को केसेज में फंसाओ। अगर अधिकारीगण का ऐसा विचार हो, ऐसी मनोवृत्ति हो तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यहां इस सदन में हमारे एक रेजोल्यूशन पास करने से और संविधान का हवाला देने से वह बात बनेगी ? इसलिए मैं इन मुद्दों पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि पहले तो यह काम हो कि जितने सरकारी अफसर शेड्यूल्ड कास्ट एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के रिजर्वेशन का मामला डील करते हैं उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि ऐसे अफसरों के रहते जो कमजोर वर्गों के लोगों के ऊपर अत्याचार होता है वह काम बन्द हो और उनको जस्टिस मिले।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, कल हम लोगों ने और हर एक माननीय सदस्य ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि यह सदन गुजरात में आरक्षण सम्बन्धी उत्पन्न हुई गंभीर परिस्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता है और गुजरात के नागरिकों से अपील करता है कि वहां अविलम्ब शांति स्थापित करें और इसे अपना सर्वोपरि कर्त्तव्य मानें कि समाज के शोषित और कमजोर वर्ग की रक्षा का उत्तरदायित्व उन पर है।

इस देश में हजारों साल से कुछ ऐसी व्यवस्था रही है जिस का दोष और जिसका प्रभाव आज भी समाज से नहीं निकला है। हजारों साल से इस देश में व्यवस्था रही कि इन शूद्रों, अछूतों और छोटे वर्ग के लोगों का जिस रोज ये पैदा हों इन का नाम गन्दे से गन्दा रखा जाय, इनके पास कोई सम्पत्ति इकट्ठी न होने दी जाय और इन्हें राज-दरबार में प्रवेश न करने दिया जाय। आज जब उनके सरकारी सेवाओं में जाने का प्रश्न पैदा होता है तो वही मनोवृत्ति जो इस देश में हजारों साल से लोगों को गुलाम बनाने की रही है वही काम कर रही है। जो हजारों साल से पददलित हैं, जो हजारों साल से कुचले गए हैं, जिन्हें हजारों साल से समाज ने मान और सम्मान नहीं दिया है उनके लिए अगर आरक्षण की व्यवस्था है तो वह संविधान की व्यवस्था है जिसके लिए बाबा साहब डा० अम्बेडकर ने, पूज्य महात्मा गांधी ने, पेरियार रामास्वामी नायकर ने और डा० लोहिया ने लड़ाई लड़ी। हमारी सोशलिस्ट पार्टी का तो सिद्धांत है कि 60 प्रतिशत अधिकार हमारा है और इन शोषितों को सारी सेवाओं में 60 प्रतिशत अधिकार मिलना चाहिए. पिछड़े वर्गों को मिलना चाहिए। आज 33-34 साल से बराबर हम को धोखा देते रहे। आज भी आरक्षण को लेकर गुजरात में जो लड़ाई चल रही है उसका सीधा मंशा यह है कि मंडल कमीशन आ गया है, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना होगा। मगर आप ने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया था और लोगों को बहका कर, बरगला कर चाहे सोलंकी की सरकार वहां जा कर करें चाहे आप करें, मगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू न हो सके इसके लिए आपने यह कोशिश की है। पिछड़े वर्ग के अधिकारों से खेलने के लिए आपने इनको उकसाया है। आप रिपोर्ट उठाकर देख लें। आपकी पुलिस ने वहां पर किस तरह से लोगों को मारा है। आज भी वहां पर हरिजनों कैम्पों में पड़े हुए हैं। कौन सी सरकार यह है ? क्यों

नहीं आप हिफाजत कर पाते ? क्यों प्रधान मंत्री जी यहां पर हैं ? क्यों नहीं चलते गृह मंत्री जी वहां पर ? क्यों यह सदन यहां चल रहा है ? ले चलो इसको गुजरात में । एक हफ्ते तक गुजरात में सदन चलना चाहिए पार्लियामेंट वहां बैठनी चाहिए वरना कुछ होने वाला नहीं है । लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है । आप जायेंगे नहीं । आप उकसाते रहेंगे । ···· (व्यवधान)

हंसने से काम नहीं चलेगा । हम पर हजारों साल से हंसते रहे हो आज भी हरिजन इस देश में गोबरहा की रोटी खाता है, आज भी इस देश में हरिजन किस तरह से पददलित है, शोषित है । आज भी वह महुवा खा कर अपना गुजारा करता है । इन पर तुम हंस सकते हो, हंसे हो लेकिन कभी ये चेतेंगे । ये करोड़ों करोड़ लोग चेतेंगे, जिस रोज इन को अकल आ जायगी, जिस रोज अकल आ जायगी बाबू जगजीवन राम जी को, जिस रोज अकल आ जायगी चौधरी चरण सिंह जी को, जिस रोज अकल आ जायगी ज्ञानी जेल सिंह जी को, उस रोज वे दिखा देंगे कि पददलितों पर अत्याचार करने का समय निकल गया है । कब तक इन पर अत्याचार करते रहोगे ?

अब गुजरात की जो आपकी पुलिस है, जैसा कि हमने और दूसरे और माननीय सदस्यों ने कहा, अत्याचार वह कर रही है, उसको हटाइए । मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र की पुलिस गई है तब से वहां कुछ शांति स्थापित हुई है और वहां कुछ निष्पक्ष काम करने की कोशिश हुई है ।

दूसरी चीज यह है कि गुजरात की जो सरकार है उसको बरखास्त कीजिए और फौरन इस तरह का एक प्रस्ताव पास करिए, हम लोग सारे इसके लिए साथ हैं । सौ में 90 शोषित हैं, 90 अधिकार हमारा है । आरक्षण हमारा अधिकार है, आरक्षण हमारा धर्म है, आरक्षण हमारा दीन है । इसके लिए हम लड़ते रहेंगे । हमारे हजारों लोगों को बरबाद किया है, हमारे हजारों घरों को जला दिया है, हमारी लड़ाई इसके लिए चलती रहेगी ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : जो स्थिति गुजरात में पैदा हो गई है और जिसकी देश के अन्य भागों में फैलने की संभावना है मूलभूत विषय से सम्बन्धित है । आज जो चीज खतरे में है वह है जीवन के मूलभूत मूल्य ? आज जो चीज खतरे में है, वह है राष्ट्रीय एकता की मूलभूत अवधारणा ? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारतीय समाज की या यूं कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीयता का एक अभिन्न अंग है । दुर्भाग्यवश, इतिहास यह रहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध विशाल जनसमुदाय विभिन्न प्रकार की सामाजिक अयोग्यताओं और असमानताओं के अधीन रहा है । वे युगों तक सामाजिक आर्थिक शोषण के शिकार हुए हैं ।

अब आरक्षण का सिद्धान्त केवल संवैधानिक बाध्यता नहीं है अपितु विश्वास की एक बात है । यह राष्ट्र के प्रति वचनबद्धता है । अब आरक्षण को करने के लिए आन्दोलन पहले से ही शुरू हो गया है । यह मानना कि आरक्षण एक उपहार है, यह मानना कि आरक्षण का सिद्धान्त ऐसी कोई चीज है जो समाज एक वर्ग से दूसरे वर्ग को कमजोर है, कुछ उपहार देना है, यह एक हानि-

कारक अवधारणा है। आरक्षण सिद्धान्त कोई कृपा की बात नहीं है। लालच और उपहार की बात नहीं है अपितु उन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का, जिन्होंने भारत राष्ट्र के अस्तित्व में योगदान किया है, एक न्यायसंगत अधिकार है। इस मूलभूत आधार को समझा जाना है, और यदि हम समाज के इस मूलभूत आधार को समझ सकते हैं तो हम उनके प्रति अपने रवैये को बदल सकते हैं। दुर्भाग्यवश सवर्ण अभी की यह विश्वास करते हैं कि वे केवल दया के पात्र हैं, और कि वे केवल कृपा के पात्र हैं। इस दृष्टिकोण को बदला जाना है। उनका शरीर भारतीय राष्ट्र का शरीर है : उनकी रगों में का लहू भारतीय राष्ट्र का लहू है। अपनी भारतीय जनसंख्या के इस वर्ग को अलग करके हम भारतीय राष्ट्र के रूप में नहीं उभर सकते। इस तरह, आरक्षण का सिद्धान्त हमारी राष्ट्रीय वचनबद्धता है। यह बात जानना अच्छा और सतोषजनक है कि गृहमंत्री ने यह कहते हुए एक वक्तव्य दिया कि आरक्षण के सिद्धान्त पर सौदेबाजी नहीं की जा सकती। मेरे लिए यही पर्याप्त नहीं है। समूची संसद को एक बार फिर इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि हमारे सविधान में प्रदत्त आरक्षण के सिद्धान्त को किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि हमारी जनता की यह विशाल जनसमुदाय इसे नहीं चाहता। यह समय का प्रश्न नहीं है। यह समय-सीमा का प्रश्न नहीं है। जब तक उन्हें समाज के अन्य वर्गों के बराबर नहीं लाया जाता है, आरक्षण का यह सिद्धान्त जारी रहना चाहिये। दुर्भाग्यवश कुछ विचारधाराएं प्रस्तुत की जा रही हैं। जाति की विचारधारा, योग्यता की विचारधारा, आर्थिक कसौटी की विचारधारा—ये सभी विचारधाराएं प्रस्तुत की जा रही हैं। मुझे यह कहने की अनुमति दी जाय, और इस बात को रिकार्ड में शामिल करने की अनुमति दी जाय कि आरक्षण के आधारभूत सिद्धान्त, जो कि तरजीह दिये जाने किस्म का है, से हटने के लिए ये मामले उठाए जा रहे हैं। वहां एक अधिमान्य प्रणाली होनी चाहिए। यह केवल एक कालेज का प्रश्न नहीं है। इसलिए, मैं प्रधान मत्री से इस बात पर जोर देता हूं कि उन्हें इस तरह की आर्थिक कसौटी की विचारधाराओं, वर्गों की विचारधाराओं, योग्यताओं की विचारधाराओं की गिरफ्त में नहीं आना चाहिए। ये आरक्षण के उस सिद्धान्त के विपरीत हैं जो कि हमारे समुदाय के इन कमजोर वर्गों के आधारभूत रूप से और पूर्णत: तरजीह के व्यवहार के सिद्धान्त के लिए है।

गृह मंत्री (श्री जैल सिह) : सम्मानीय स्पीकर साहब, आज की चार घण्टे की बहस में बहुत ही कीमती अपने ख्यालात मैम्बर साहबान ने दिये। कुछ एक-दो को छोड़कर बाकी जितने भी थे, उन्होंने इस बात की गहराई से चिन्ता की है कि हमारे देश की जो परम्परा है, जो हमारे सिद्धान्त है, जिसको हमने माना है, उसकी जड़ों को काटने वाली शक्तियों को उभरने न दिया जाए — मैं इस बात के लिए उन सब का मशकूर हूं। जिन दोस्तों ने कुछ कटाक्ष भी किए, उनके लिए भी मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन इस बात में मैं भी इत्तिफाक करता हूं तथा यह समझता हूं कि अब कोई एक-एक मैम्बर के भाषण का जवाब देने की जरूरत नहीं रही। पर्टिकुलरली प्रधान मंत्री जी ने कुछ छोटी सी स्पीच में अपने विचार रखे और उसके बाद हाउस में जितने मैम्बर थे, उनमें फिर एक शान्ति का वातावरण आया।

मैं जितने ग्रुप लीडर्स हैं, पार्लियामेंट में रिप्रजेंट करते हैं, उन पार्टियों के जो नेतागण हैं,

उनका भी मशकूर हूं, उन्होंने इस बात को खुद सोचा कि हमको एक ऐसा रिजोल्यूशन लाना चाहिए, जिससे हिन्दुस्तान के लोगों को और दुनिया को यह मालूम हो जाए कि ऐसे मामले पर भारत के लोग और भारत के लोगों के जो प्रतिनिधि हैं, वे इकट्ठे चल सकते हैं। मैं इस बात पर भी इत्तिफाक करता हूं, इन्द्रजीत गुप्ता जी की बात पर कि ऐसे जो मामलात हैं, जो भारत की एकता को तोड़ने वाले हैं, जो हमारे मूल सिद्धान्त को जड़ से काटते हैं, उनको रोकने के लिए हम ऐसे ही महसूस करें जैसे कि हमारे ऊपर कोई हमला हो गया है। मैं इस बात पर इत्तिफाक करता हूं और मैं एक-एक मैम्बर की तकरीर को सुनने के बाद उन मैम्बरों से भी प्रार्थना करूंगा कि जो मैम्बर इस हाउस में बोलता है, उसके जो लफ्ज हैं उन पर पूरा ऐतबार करना चाहिए और यह कटाक्ष नहीं करना चाहिए कि बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। मुझे आशा है कि तमाम हिन्दुस्तान के मैम्बर साहबान इस भावना को लेकर जायेंगे कि हमने एक मत होकर इस समस्या पर जो भारत में उभरने की कोशिश कर रही है और गुजरात में जिसने बद अमनी पैदा कर रखी है, उसको खत्म करने के लिए उपाय किये जायें। कुछ बहुत से मेम्बर साहबान ने अपने सुझाव भी दिये, उनको भी हम ध्यान में रखेंगे और उन पर जिस-जिस तरीके से हम मिल कर अमल कर सकते हैं, उन बातों पर अमल करेंगे।

स्पीकर साहब, अब पासवान जी का जो मोशन है, उसमें रूल 345 के तेहत आपरिलैक्स कर दें तो मैं हाउस में जो कन्सेन्स है उसके आधार पर, कुछ अमेण्डमेन्ट खूब करना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री जैलसिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यदि सभा गुजरात, राजस्थान और देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये नौकरियों के आरक्षण के विरुद्ध आन्दोलन और हिंसात्मक प्रदर्शनों से उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त करती है।" **के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित किया जाए—**
"कि यह सभा आरक्षण की समस्या को लेकर गुजरात में वर्तमान स्थिति पर गहरी चिन्ता और क्षोभ व्यक्त करती है। सभा संविधान में उल्लिखित आरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति में अपनी दृढ़ नियम पुनः व्यक्त करती है। हिंसा सम्पत्ति के नष्ट किए जाने और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार की कथित घटनाएं हमारी संस्कृति के विरुद्ध हैं और अहिंसा के उस सिद्धान्त के विपरीत हैं जिनका राष्ट्रपिता ने प्रचार किया और जिनके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। अपनी इस परम्परा को बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह शांति और सामान्य स्थिति पुनः स्थापित करने का प्रयास करे और राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास करें।" (16)

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गृह मंत्री ने जो कहा है और इतनी डिस्कशन के बाद सिवाय इस प्रस्ताव के और कोई चीज नहीं निकल रही है। हमारे एक साथी जब अभी बोल रहे थे तो प्रधान मंत्री जी भी बोलीं, उनके बोलने से ऐसा लगा कि वह

कुछ बिगड़ गई थीं। मैंने अपने भाषण में उनको कोट किया था और मैं अभी भी इस राय का हूं—प्रधान मंत्री जी भी उस तमाम पेपर्स से वाकिफ होंगी, उनके नजदीक भी पेपर्स की कटिंग्ज जाती होंगी—उनका भाषण राज्य सभा और लायर्स कान्फ्रेन्स में हुआ था, वह जिस ढंग से पेपर्स में आया, मैंने एक पेपर्स का उदाहरण भी दिया है—स्टेट्समैन का—उस में निकला था कि प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी जो पुराना स्टैण्ड रिजर्वेशन का है उससे पीछे हट रही है: उसके सामने कोई प्रश्न-वाचक चिन्ह है·····(व्यवधान)··· मैंने वह पेपर्स से पढ़ा था, यह उस पेपर में लिखा हुआ था ··· (व्यवधान)

श्री पी० शिवशंकर : पी० एस० ने क्लेरिफाई कर दिया है—हमारी पोजीशन वही है।

श्री रामविलास पासवान : प्रधान मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं। जो आप की भावना है और जो हमारी भावना है—दोनों में कहीं कोई अन्तर नहीं है, लेकिन जिस ढंग से पहल हुई है, जिस ढंग से सारी समस्या बढ़ती जा रही है और अभी आप के पक्ष के लोगों ने भी फिगर्स दी हैं और हमने भी फिगर्स दी हैं—30 सालों के रिजर्वेशन में अभी तक 4-5 परसेन्ट है—इसका मतलब है कि कहीं-न-कहीं इम्प्लीमेंटेशन में खराबी है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है···

श्री जैलसिंह : स्पीकर साहब, मैं पासवान जी से खुद ही इजाजत ले लेता हूं। उन्होंने जब रेजोल्यूशन मूव किया तो उनके पहले अलफाज ये थे—कि इसको बहुत गम्भीरता से हमको सोचना है और उस गम्भीरता को यहां के बहुत से मेम्बरों ने कायम रखा है। अब जो रेजोलूशन उन्होंने मूव किया है और उसमें जो एमेंडमेंट है, वह भी उनको मंजूर है, तो मैं पासवान जी से कहता हूं कि अब क्या तकरीर की जरूरत है।

श्री रामविलास पासवान : कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है।

श्री जैलसिंह : अब आप शान्त रहिए और अपनी खूबसूरती को क्यों खराब करते हो।

श्री रामविलास पासवान : कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे रेप्लाई का अधिकार है और उस हैसियत से आप की नालिज में इस बात को लाना चाहता हूं। मैंने उस दिन भी कहा था, गृह मन्त्री जी आप को याद होगा मैंने बोलते समय कहा था कि ज्ञानी जी बात को गोलमोल ढंग से कह रहे हैं और खूब वजन के साथ नहीं कह रहे हैं, तो मामला और बिगड़ेगा। इसलिए मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आप साफ तौर पर कहिए कि मेरिट-फेरिट कुछ नहीं चलेगा, रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन रहेगा और प्रोमोशन में भी रिजर्वेशन रहेगा और कड़ाई से उसका पालन होगा। साफ तौर पर आप को इस बात को कहना चाहिए। हमने आप से मांग की थी कि न सिर्फ सर्विसेज में रिजर्वेशन दीजिए बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह कोटा हो, लाइसेंस हो, परमिट हो, जीवन के प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र में आप रिजर्वेशन की व्यवस्था कीजिए। हम लोगों ने यह भी मांग की थी कि आप एक व्हाइट पेपर निकालिये और सरकार की तरफ से व्हाइट पेपर आना चाहिए कि केन्द्र ने कब से, राज्यों ने कब से, किस किस इयर में और कौन-कौन से विभागों में रिजर्वेशन लागू किया गया और कितनी दूर तक इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है।

हम लोगों की कार्यदक्षता के सम्बन्ध में कहा जाता है। 30 साल से ऊपर हो गये हैं और अभी भी हम लोगों की इनटेगरिटी के ऊपर किसी को डाऊट है, हम लोगों की कार्य क्षमता पर किसी को डाऊट है। तो हम लोग जब तक सर्टीफिकेट देते रहेंगे कि हम देश के लायल हैं, कब तक हम सर्टीफिकेट देते रहेंगे कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। एक बार आप एक कमीशन नियुक्त करके जांच करवा लीजिए कि किसके पास कार्य क्षमता कितनी है, किसके पास कार्य दक्षता कितनी है। हमारे साथियों ने कहा कि रेलवे में एक्सीडेंट्स हुए और अस्पतालों में इंसीडेंट्स हो रहे हैं, तो उनमें किसका कितना हाथ है, इसका भी एक बार फैसला हो जाए कि हरिजन और आदिवासी लोग हैं या और कौन लोग है, जिनकी कार्य दक्षता कम है, जिस के कारण सारी चीजें हो रही हैं।

एक बात और कहना चाहूंगा। मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट्स का मामला चल रहा है। हमारे जैसा आदमी अभी भी इस बात को मानकर चलता है कि वहां की सरकार जो दो प्वाइन्ट्स पर, कैरी फारवर्ड और प्रोमोशन के मामले, उन लोगों के सामने झुक गई, वह गलत बात है और उस को फिर से आप लागू नहीं करवाएगें, तो दूसरी जगहों पर भी यह मामला बढ़ेगा, दिल्ली में भी बढ़ेगा और यहां के एम्पलाइज चुप नहीं रहेंगे और वे उसी का अनुसरण करेंग। इसलिए इस मामले में सरकार का साफ दृष्टिकोण होना चाहिए और सरकार को ठीक-ठीक कहना चाहिए कि हम इस मामले में कहीं समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं।

लास्ट में मैं कहूंगा कि यह जो पोस्ट-ग्रेजुएट वाला जो मेडीकल का मामला है, इसमें यदि बहुत वितंगावाड चलता है, तो छोड़ दीजिए सबके लिए और सबको एडमीशन का अधिकार दीजिए। सरकार का पैसा उसमें लगेगा। जो पास करेगा, वह एम० डी० होगा, जो पास करेगा वह एम० एस० होगा। जो पढ़ेगा, वही पास होगा। इस तरह से इस सारी चीज को चलने दीजिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमको मालूम हुआ है कि वहां के मुख्यमंत्री ने कोई कमेटी बनाई, सर्वदलीय कमेटी बनाई है। अब वह जो सर्वदलीय कमेटी बनाई है, जो उस के टर्म्स आफ रेफ्रेन्स हैं, उन में यह भी जोड़ा जाए कि वह यह भी देखे कि हरिजनों की कितनी क्षति हुई है, किन लोगों के द्वारा क्षति हुई है और कितने पुलिस के लोग थे, जिनक द्वारा क्षति हुई है। ये सारी चीजें हैं, जिनके ऊपर आप को साफ तौर पर बताना चाहिए इस सदन के माध्यम से गुजरात को ही नहीं बल्कि देश की सारी जनता को कि वह इस मामले में समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अखबारों और दूसरे माध्यमों से जो इस मामले में कन्फ्यूजन हुआ है, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, उसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : कर तो दिया है, इस हाऊस ने।

श्री रामविलास पासवान : कहां हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : कर दिया है।

श्री रामविलास पासवान : प्रधानमंत्री जी ने कहां कहा है ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : प्रधान मंत्री जी ने कर तो दिया । ···(व्यवधान)···

श्री रामविलास पासवान : इतना बड़ा डिस्कशन हुआ और उसमें इतने सारे प्वाइन्ट्स उठाए गये, क्या निकला उसमें से ?

अध्यक्ष महोदय : एक रेजोलूशन आया है ।

श्री रामविलास पासवान : आप ही बतला दीजिए कि उन्होंने क्या क्लेरिफाई किया है ? क्या रिजर्वेशन भी रहेगा, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन रहेगा ? अगर आप समझें हैं तो आप ही बतला दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल स्पष्ट है । संकल्प बिल्कुल स्पष्ट है ।

श्री रामविलास पासवान : अगर आप कहते हैं तो आप बतला दीजिए कि रिजर्वेशन और प्रमोशन दोनों रहेंगे ? (व्यवधान) आपको चिंता है लेकिन क्या आप हमें स्पेसिफिक तरीके से नहीं बतलाइयेगा ? अगर यह नहीं बतलाइयेगा तो यह दूसरे तरीके से आपका बढ़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : सभी दलों की सहमति से यह निष्कर्ष निकला है ।

श्री रामविलास पासवान : हम तो यह चाहते हैं कि आपकी रिजर्वेशन की पालिसी तो है लेकिन प्रमोशन की पालिसी आपकी क्या है ? (व्यवधान) अगर शंकरानन्दजी इस से आप सेटिस्फाई हैं तो हमको कुछ नहीं कहना है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे माननीय सदस्य, जिन्होंने अपने संशोधन पेश किए है, उन्हें वापस लेना चाहते हैं ?

श्री भेरावदन के० गधात्री : महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 1 पर जोर नहीं देना चाहता ।

श्री नवीन रवाणी : महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 2 पर जोर नहीं देना चाहता ।

श्री सूरजभान : महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 4 पर जोर नहीं देना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्यगण अपने संशोधन वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहते हैं ।

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

(सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिए गए)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा के मतदान के लिए श्री जैलसिंह द्वारा प्रस्तुत सरकार का संशोधन रखूंगा । प्रश्न है :

"कि प्रस्ताव में—

"कि यह सभा गुजरात, राजस्थान और देश के अन्य भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण के विरुद्ध आंदोलन और हिंसात्मक प्रदर्शनों से उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त करती है।"

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाना—

"कि यह सभा आरक्षण की समस्या को लेकर गुजरात में वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता और क्षोभ व्यक्त करती है। सभा संविधान में उल्लिखित आरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति में अपनी दृढ़ निष्ठा पुन: व्यक्त करती है। हिंसा, सम्पत्ति के नष्ट किए जाने और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार की कथित घटना हमारी संस्कृति के विरुद्ध हैं और अहिंसा के उस सिद्धान्त के विपरीत हैं जिनका राष्ट्रीयता ने प्रचार किया और जिनके लिए उन्होंने अपने प्राणों को आहुति दी। अपनी इस परम्परा को बनाए रखने के लिए प्रत्येक नागरिक का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह शांति और समान्य स्थिति पुन: स्थापित करने का प्रयास करे और राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास करें।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें एक साथ खड़े होकर इसे स्वीकार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : खड़े होकर सभी ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा के मत के लिए संशोधित रूप में मुख्य प्रस्ताव रखूंगा। प्रस्ताव यह है :

"कि यह सभा आरक्षण की समस्या को लेकर गुजरात में वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता और क्षोभ व्यक्त करती है। सभा संविधान में, उल्लिखित आरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति में अपनी दृढ़ निष्ठा पुन: व्यक्त करती है। हिंसा, सम्पत्ति के नष्ट किये जाने और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार की कथित घटनायें हमारी संस्कृति के विरुद्ध हैं और अहिंसा के उस सिद्धान्त के विपरीत हैं जिनका राष्ट्रपिता ने प्रचार किया और जिनके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। अपनी इस परम्परा को बनाये रखने के लिये प्रत्येक नागरिक का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वह शान्ति और सामान्य स्थिति पुन: स्थापित करने का प्रयास करे और राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9.28 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा बृहस्पतिवार, 19 मार्च, 1981
28 फाल्गुन, 1902 (शक) के 11 बजे म० पू०
तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साउथ मौजपुर, दिल्ली।